स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली

श्रद्धानन्द ग्रन्थावली: ग्यारह खण्डों में

राष्ट्र पुरुष श्रद्धानन्द ने भारत में धर्म, समाज, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी क्रांति का सूत्रपात किया था। उन्होंने स्वयं को कल्याण मार्ग का एक ऐसा पथिक बताया जो ऋषि दयानन्द के दिव्य जीवन से प्रेरणा लेकर निज के तथा संसार के कल्याण हेतु निरन्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता ही रहा। स्वामी श्रद्धानन्द जहाँ एक निष्ठावान धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री तथा स्वाधीनता संग्राम के अजेय सेनानी थे, वहाँ वे सरस्वती के वरद पुत्र भी थे। उन्होंने हिन्दी, उर्दू, तथा अंग्रेजी में विपुलकाय ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनके सभी ग्रथों का प्रामाणिक और अधिकृत संस्करण श्रद्धानन्द ग्रंथावली के ग्यारह खण्डों में प्रथम बार प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें स्वामी जी की स्वलिखित आत्मकथा के अतिरिक्त उनका संस्मरणात्मक साहित्य (बंदी जीवन के विचित्र अनुभव तथा इनसाइड कांग्रेस), वेदाधारित धर्मोपदेश, स्वामी दयानन्द के जीवन और व्यक्तित्व का मूल्यांकन परक साहित्य तथा धर्म समाज के इतिहास की स्मरणीय घटनाओं को लिपिबद्ध करने वाली रचनाएं एक साथ ही उपलब्ध कराई गई हैं। 'आर्य समाज एण्ड इट्स डिट्रेक्टर्स ए विण्डिकेशन' जैसे दुर्लभ किन्तु महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रामाणिक अनुवाद को भी ग्रन्थावली में समाविष्ट किया गया है।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उर्दू में संकलित 'कुलियात संन्यासी' तथा सद्धर्म प्रचारक व अन्य पत्र पत्रिकाओं से उनके लेख व शास्त्रार्थों का संग्रह सम्पादन तथा अनुवाद भी ग्रन्थावली के दो खण्डों में समाया है।

ओ३म्

स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली

सप्तम खण्ड

सद्धर्म-प्रचारक पर पहला मानहानि अभियोग

संपादक
डा० भवानीलाल भारतीय
एम० ए०, पी-एच० डी०
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानन्द शोध पीठ
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली-६

प्रकाशक
विजय कुमार
गोविन्दराम हासानन्द
नई सड़क, दिल्ली-११०००६

संस्करण : १९८७

मूल्य : ६०.००

मुद्रक
शान प्रिंटर्स,
शाहदरा दिल्ली-११००३२

सम्पादकीय

वैदिक धर्म के पुनीत प्रचार कार्य में स्वामी श्रद्धानन्द को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनकी मुंहबोलती तस्वीर उनके द्वारा संचालित सद्धर्म-प्रचारक पत्र पर सनातनी पं० गोपीनाथ द्वारा चलाये गये मानहानि के अभियोग के विवरण में दिखाई पड़ती है। लाहौर में जिस वर्ष स्वामी दयानन्द का पदार्पण हुआ, उसी १८७५ ई० में पं० मुकुन्दराम काश्मीरी ने मित्रविलास नामक एक सनातनी विचारधारा का साप्ताहिक पत्र निकालना आरम्भ किया था। कालान्तर में उसी के पुत्र पं० गोपीनाथ ने सनातन धर्म गज़ट और अखबार आम नामक दो उर्दू पत्र निकाले। पं० गोपीनाथ की शास्त्रज्ञता यद्यपि नितान्त साधारण कोटि की थी, किन्तु वह यदा-कदा आर्यसमाजी विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकार कर लाहौर के सनातनी समाज में अपनी धाक जमाया करता था। महात्मा मुंशीराम के साथ भी उसके अनेक शास्त्रार्थ हुए, जिसमें उसे सदा ही पराजय का मुँह देखना पड़ा।

शास्त्रार्थ समर में आर्यसमाज से मुँह की खाने पर पं० गोपीनाथ ने अपने पत्र सनातन धर्म गज़ट के माध्यम से उस पर क्षुद्र प्रहार करने आरम्भ किये। पं० गोपीनाथ की पत्रकारिता नितान्त हीन कोटि की थी। वह अपने लेखों में असभ्य, अश्लील तथा जुगुप्सा उत्पन्न करने वाली भाषा तथा भद्दे कटाक्षों का प्रयोग करने से कभी नहीं चूकता। १५ मार्च १९०१ के सनातन धर्म गज़ट में गोपीनाथ ने 'होली के चुटकले' शीर्षक से आर्यसमाज पर ऐसे ही कमीने तथा अश्लील आक्षेप किए। सरकार की दृष्टि में उसका यह लेखन आपत्तिजनक समझा गया और भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत उस पर मुकद्दमे चलाए गए। इसमें पं० गोपीनाथ को विभिन्न प्रकार की सजाएं भी हुईं।

अब गोपीनाथ ने आर्यसमाज से बदला लेने की ठानी। उसने प्रचारक के कतिपय लेखों के आधार पर लाहौर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रचारक के सम्पादक श्री मुन्शीराम, सहायक सम्पादक श्री वज़ीरचन्द और प्रबंधक श्री बस्तीराम पर मानहानि का अभियोग दायर किया। सद्धर्म-प्रचारक

में प्रकाशित लेख तो पं० गोपीनाथ द्वारा प्रकाशित पूर्व लेखों की प्रतिक्रिया में ही छपे थे और उनसे पं० गोपीनाथ के छद्म चरित्र, उसकी धूर्ततापूर्ण चालाकियों तथा उसके दोहरे व्यक्तित्व का पर्दाफ़ाश हुआ था। लाहौर के सार्वजनिक जीवन में अपनी इसी प्रकार की चालबाज़ियों के कारण कुख्यात पं० गोपीनाथ ने जब देखा कि अब उसका पर्दा उघरने ही वाला है, तो वह क्रुद्ध नाग की भाँति फुफकार कर सद्धर्म-प्रचारक के सम्पादक पर हमला कर बैठा। परन्तु ऐसा करके उसने अपनी रही-सही प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया। इस अभियोग की सुनवाई के दौरान पं० गोपीनाथ के चारित्रिक दोष जिस प्रकार जनता के समक्ष आए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब में अपने-आपको सनातन धर्म का स्वयंभू प्रवक्ता कहने वाला यह धूर्त, स्वयं कितना पतित है। उसी के एक साथी मियां करीमबख़्श के बयानों से जो रहस्य लोगों के सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। इनसे सिद्ध हुआ कि पं० गोपीनाथ ने अपने पत्रों में हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने वाले विज्ञापन तथा लेख तो छापे ही हैं, वह स्वयं भी गोमांस-भक्षण तथा वेश्यागमन जैसे पापों में लिप्त रहा है। स्वयं को पौराणिक धर्म का ठेकेदार मानने वाले पं० गोपीनाथ का इस प्रकार भण्डाफोड़ होना अपने आप में रोमांचक उपन्यास से कम नहीं था। कहना नहीं होगा कि विचारशील न्याय-पति ने सद्धर्म-प्रचारक के सम्पादकों को निर्दोष बताते हुए गोपीनाथ के काले कारनामों का पर्दाफ़ाश कर दिया।

सद्धर्म-प्रचारक पर चलाए गए मानहानि के इस अभियोग का वृत्तान्त सर्व-प्रथम उर्दू में छपा था। उसे ही सं० १९५८ वि० (१९०१ ई०) में नागरी लिपि में 'सद्धर्म-प्रचारक पर पहला मानहानि का अभियोग' शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इसका उपशीर्षक इस प्रकार था —"जिसमें पं० गोपीनाथ के पब्लिक जीवन का गुप्त भेद स्वयं ही खुल गया।" 'श्रद्धानन्द ग्रन्थावली' के पाठकों की सेवा में इसी अभियोग वृत्तान्त को षष्ठ खण्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पाठक देखेंगे कि अदालत की कार्यवाही, जो उर्दू भाषा में हुई थी, को इस ग्रन्थ में यथावत् प्रस्तुत किया गया है। हमने भी उसे ज्यों की त्यों रहने दिया है, क्योंकि विभिन्न गवाहों के बयानों, वकीलों की बहस तथा न्यायाधीश के निर्णय को परिष्कृत हिन्दी में अनूदित करने से मूल का स्वारस्य सर्वथा समाप्त हो जाता। हो सकता है कि अनेक पाठकों को अदालती कार्यवाही में प्रयुक्त अनेक उर्दू-फ़ारसी के शब्द सर्वथा कठिन प्रतीत हों, किन्तु उससे कथ्य के अभिप्राय-ज्ञान में कोई बाधा नहीं पहुँचती।

पाठक देखेंगे कि इस ग्रन्थ में प्रयुक्त भाषा और शैली इस शताब्दी के प्रारम्भ की है। उस समय तक शब्दों के रूप स्थिर नहीं हुए थे और उनकी वर्तनी में

विविधता लक्षित होती थी। हमने यथासम्भव इस प्रकार के पुरानी वर्तनी में प्रयुक्त शब्दों को वर्तमान रूप देने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ मूल ग्रन्थ में धर्म्म, कर्म्म, शर्म्माना, फ़र्म्माना, जुर्म्माना जैसे प्रयोग थे, जिन्हें हमने धर्म, कर्म, शर्माना, फ़र्माना, जुर्माना का रूप दे दिया है। इसी प्रकार पहिला को पहला तथा जिस्के, उस्के, जिस्मे, सक्ता आदि को जिसके, उसके, जिसमें, सकता—इस प्रकार लिखा है। कुछ अन्य प्रकार के भाषागत संशोधन भी किये गये हैं। आशा है ग्रन्थावली का प्रस्तुत खण्ड आर्यसमाज के विगत इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण पृष्ठ का उद्घाटन करने में सफल होगा।

—**भवानीलाल भारतीय**

दयानन्द शोध संस्थान
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
कार्तिक कृष्णा ९, सं० २०४४ वि०

ओ३म्

प्रस्तावना

इस पुस्तक के क्रमवद्ध करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना रहा है क्योंकि सब अनुवाद अंग्रेज़ी से किया गया है, और इसका उर्दू से भाषा में अनुवाद देवनागरी भाषा के प्रेमियों के लाभार्थ किया गया है, परन्तु भूमिका, उभयपक्ष के कौन्सिलों का सम्वाद (तक़रीर) और न्यायाधीश की न्यायव्यवस्था का तो ठीक-ठीक अनुवाद है परन्तु शेष को अर्थात् दस्तावेज़ात और सबके बयानात को यथातथ्य देवनागरी अक्षरों में ही मुद्रित कराया गया है, क्योंकि अनुवाद कराने से अभिप्राय के बदल जाने का भय था, और क़ानूनी शब्दों को प्राय: सब लोग समझ भी लेते हैं, इसलिए बड़ा आवश्यक भी न था, अदालत ने इस अभियोग के गूढ़ रहस्यों को मिसल-ख्वानों की अपेक्षा अधिक समझा था परन्तु कहीं कोई विषय उर्दू बयान में अधिक था जो यथातथ्य गवाहों के मुख से निकला था वह भी ले लिया गया है, मतलब स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं अपनी ओर से ( ) इस चिह्न के अन्दर अधिक शब्द दे दिए गए हैं। उभयपक्ष के कौन्सिलों के सम्वाद का अनुवाद बड़ी कठिनता से तैयार हुआ है यों तो एक संक्षेपलेखक भी मिल गए थे, परन्तु उनके क़ानूनी और अंग्रेज़ी लिटरेचर से अनभिज्ञ होने के कारण ठीक प्रयोजन सिद्ध न हुआ, सौभाग्य से मेरे नोट भी उपस्थित थे जिनकी सहायता से इस कठिनता को हल कर लिया, कौन्सिलों का संवाद क़रीब-क़रीब उनकी अपनी इबारत में दिया है केवल उन रिक्त स्थानों को अपनी ओर से पूर्ण किया गया है जो कि संक्षेपलेखक (मुख्त-सिरनवीस) को मजबूरन (विवशतया) रखने पड़े थे, और शीघ्रता के कारण सूची-पत्र भी तैयार न हो सका, पाठकगण क्षमा करें।

जालन्धर शहर
ता० १६ नवंबर १६०१   ह० मुंशीराम

ओ३म्

भूमिका

इस अभियोग (मुक़द्दमे) के शोकमय समाचार क्यों सर्वसाधारण के सन्मुख आये हैं, और उनके इस प्रकार प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी ?

यह प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस समय देने की आवश्यकता है, जबकि वे लोग जिनका काम केवल आत्मिक प्रदर्शनी (नुमाइशगाह) स्थापित करके दुनिया में काम करनेवालों के छिद्रान्वेषण करना तथा अपनी स्वयं स्थापित उच्चवेदि पर से प्रत्येक मनुष्य को डांट बतलाना ही है, वे यह लिख रहे थे कि उभय पक्ष वालों का दोष है, और यह कि धार्मिक भाव को इस काम में लाना चाहिए तथा दूसरे के गुप्त भेद नहीं प्रकाशित करने चाहिए, इत्यादि। परन्तु जब इस प्रकार के मनुष्यों तक को सत्यता के प्रगट हो जाने पर अपने हृदय की दुर्बलता (बुज़दिली) की शृंखला तोड़ कर न केवल अदालत में सत्य कथन के लिए ही बाध्य होना पड़ा किन्तु जिस समय ऐसे महाशय पं० गोपीनाथ को यह सम्मति देने के लिए उद्यत हो गए हैं कि उन्हें (गोपीनाथ को) सनातन धर्म सभा और कश्मीरियों की जाति से उत्तर पाने के पूर्व ही पृथक् हो जाना चाहिए, और तपोवन में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तो अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रही, तथापि जब समय आवेगा तो इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।

सत्यता उपन्यासों (फ़सानों) से भी विचित्रतर हुआ करती है—यह पुस्तक पं० गोपीनाथ के पब्लिक चाल-चलन की शोकमयी किन्तु उपदेशप्रद कहानी का प्रकाश करती है, जिन-जिन आश्चर्यजनक रहस्यों (राज़ों) का भेद इस अभियोग की तहक़ीक़ात (अन्वेषणा) के अन्तर्गत खुला है, उसके लिए न मैं अपराधी हूं और न कोई अन्य है, किन्तु सारा अपराध पं० गोपीनाथ का है क्योंकि यदि वे मुझ पर अभियोग न चलाते (जो उन्हें नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि इससे पूर्व बीसियों बार मेरे विषय में इस प्रकार के बहुत से अपमानसूचक लेख छाप चुके थे, जिनके कारण कि मैं अधिकतर सफलता की आशा से बीसियों अभियोग उन पर चला सकता था, जिनका मैंने कभी ध्यान तक नहीं किया) और उसकी पैरवी में इस प्रकार असाधारण जोश न दिखाते तो जो लज्जाप्रद घटनाएं इस अभियोग के बीच में सहस्रों मनुष्यों के सन्मुख प्रकट हुई हैं उन्हें कोई कानोंकान न सुनता, परन्तु ऐसी घटनाएं

सदा के लिए नहीं छिप सकतीं। एक दिन आता है कि सहस्रों आवरणों (पर्दों) के मध्य से भी ऐसे रहस्य प्रकट हो जाते हैं, अदालत का विचार है कि मैं और लाला वज़ीरचन्दजी इस गुप्त भेद के प्रकाश करने के कारण प्रतिष्ठित हिन्दुओं के धन्यवादार्ह हैं, और जो प्रशंसावाद (मुबारिकबाद) तथा धन्यवाद के तार, समाचार और पत्र (जिनकी संख्या ५०० से न्यून नहीं है) जो कि मेरे नाम अब तक आ चुके हैं उनसे ज्ञात होता है कि पब्लिक का भी (बिना भेद मुसलमान, ब्राह्म, हिन्दू या आर्य के) ऐसा ही विचार है। परन्तु यदि सर्वसाधारण के लिए असाधारण मनोमोद (दिलचस्पी) की सामग्री इस अभियोग ने प्रस्तुत कर दी है तो मैं पुनरपि निवेदन करूंगा कि उसके लिए पं० गोपीनाथ ही धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझ पर क्यों यह अभियोग चलाया गया—इस अभियोग में यद्यपि तीन अपराधी (मुजरिम) थे परन्तु अभियोग वास्तव में मुझ पर था, अन्य अपराधी ग़ालबन् (अनुमान है) इसलिए घसीटे गये थे कि उनकी जालन्धर से अनुपस्थिति के कारण भी मुझे ही हानि पहुंचेगी। इस कारण मैंने यह प्रश्न उठाया है कि मुझ पर अभियोग क्यों चलाया गया?

पं० गोपीनाथ ने अपने कथन (बयान अव्वल) के समय मेरे अखबार के पुराने पांच-छः पर्चे इस अभिप्राय से पेश किए कि मेरी ओर से वादी (मुस्तग़ीस) के विषय में द्वेष भाव सिद्ध किया जावे यद्यपि अदालत के विचार में उनके अन्दर एक शब्द भी अपमानसूचक या कठोर नहीं है। परन्तु पं० जी की सम्मति में उन पर्चों के लेख अति अपमानसूचक थे, पुनः यह प्रश्न होता है कि उस समय मुझ पर क्यों नालिश न की गई? इस प्रश्न के अन्वेषण में मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा जब तक कि 'सनातन धर्म गज़ट' केवल आर्यसमाज पर आक्रमण की इच्छा से जारी नहीं हुआ था तब तक एक बार के अतिरिक्त जबकि अखबार आम ने पं० लेखराम तथा पं० कृपाराम पर आक्रमण किये थे मेरे अखबार में पं० गोपीनाथ का नाम भी कभी नहीं लिखा गया था, गज़ट के जारी होने के पश्चात् प्रायः आर्य भाई पं० गोपीनाथ के कठोर, मलिन तथा उत्तेजक लेखों की शिकायत करते रहे, और मेरे पास उत्तर में कठोर लेख छापने के लिए भेजते रहे, परन्तु मैं सदा कठोरता से बचता रहा और अपने पत्र-प्रेरकों को भी श्रेष्ठ सम्मति देता रहा, इस स्थान पर उदाहरणार्थ सन् १८९६ ई० के 'सद्धर्म-प्रचारक अखबार' से दो लेखों का (संक्षेप) उद्धृत करता हूं। दोनों 'पत्र-प्रेरकों को सूचना' के स्तम्भ (कालम) में लिखे हैं [प्रथम—प्रचारक २८ दिसम्बर १८९६ ई० पृष्ठ ६ से] एक धर्म-परीक्षक सनातन धर्म गज़ट लाहौर के विषय में लिखते हैं कि इसमें सिवाय आर्यसमाज पर नीच आक्रमणों के और कुछ नहीं होता, गाली-गलौज की भरमार होती है, इत्यादि, पत्र-प्रेरक को जानना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य वही भेंट (तोहफ़ा) पेश कर सकता है जो कि उसके पास हो, गज़ट के सम्पादक के पास इसी प्रकार की

सामग्री (जखीरा) हो तो वह क्या करें। आर्यसमाज गालियां तो एक तरफ़ ईंट-पत्थरों की चोट सहन करता हुआ इस स्थान तक पहुंचा है, कि इस समय इन स्वाभाविक (क़ुदरती) लहरों को रोकना गज़ट के से निर्बल पुलों (बन्दों) का काम नहीं है।।

[द्वितीय—सद्धर्म-प्रचारक ८ जनवरी सन् १८९८ ई० पृष्ठ ९ से]—**पत्र-प्रेरक दसूहा** = पं० गोपीनाथ तो अपनी आदत से मजबूर हैं। क्या यह आवश्यक है आर्यसमाज की ओर से भी वैसी ही फक्कड़बाज़ी से काम लिया जावे, फिर आर्य-समाज और पौराणिक सभा में क्या अन्तर (फ़र्क) रहा, गाली-गलौज सदा युक्ति-शून्य आदमी के लिए युक्ति (दलील) का काम देती है, जो सचाई पर हैं वे कभी व्यर्थ भाषण में फंस नहीं सकते इत्यादि।

इस प्रकार के आक्षेप (एतराज़) आर्यसमाजस्थ पुरुषों की ओर से मेरे पास बराबर पहुंचते रहे। परन्तु मैं अपने पत्र-प्रेरकों को बराबर इन आक्रमणों के सहन करने की प्रेरणा करता रहा, मेरे इस नम्रभाव का जो परिणाम हुआ उसे इस पुस्तक के पाठक (दस्तावेज़ डी २७) में दृष्टिगोचर करेंगे और उसके पश्चात की घटनाएं भी अपराधियों की प्रविष्ट की हुई दस्तावेज़ों से भली भांति विदित हो सकती हैं।

उस समय जबकि अप्रैल सन् १८९८ ई० के सनातन धर्म गज़ट में पं० गोपी-नाथ ने मुझ पर कठोर आक्रमण किए थे, मेरे पास फिर बहुत से आर्य भाइयों के पत्र आए जिनमें कि सहनशीलता की अवधि बतलाते हुए मुझे अदालत में न्याय-प्रार्थना (चाराजोई) की प्रेरणा की गई थी। मैं अपने सिद्धान्तों को बदल नहीं सकता था और इसलिए उन भाइयों की आज्ञा पालन न कर सका। परन्तु विदित होता है कि सनातन धर्म गज़ट के ग्राहकों ने भी प्राय: पं० गोपीनाथ की इस लेख-शैली को पसन्द नहीं किया, और उनमें से कितनेक निर्भय मनुष्यों ने गज़ट की ग्राहकी बन्द करने की धमकी दी, बस क्योंकि पंडित जी के ग्राहकों की धमकी का कारण निरपराध मैं था, इसलिए उसी समय से पंडित साहब की अप्रसन्नता (नाराज़गी) मेरे विरुद्ध प्रारम्भ हुई परन्तु साथ ही उनकी शैली (टोन) नरम हो गई, जिसका परिणाम वे शास्त्रार्थ थे जो लाहौर तथा जालन्धर में नवम्बर और दिसम्बर सन् १८९८ ई० को हुए। अन्तिम शास्त्रार्थ वर्णव्यवस्था पर जालन्धर शहर की सनातन धर्मसभा के स्थान में था, उसका फल यह हुआ कि वहां की धर्मसभा ने यह विचार करके कि ऐसे शास्त्रार्थों का प्रभाव धर्मसभा के विरुद्ध पड़ता है, पिछले वर्ष (आइन्दा साल) शास्त्रार्थ के लिए जगह देने से इन्कार किया, यह दूसरा कारण अप्रसन्नता का मेरे विरुद्ध था, फिर शास्त्रार्थ के पश्चात् कुछ दिनों तक पण्डित जी की लेखशैली बदल गई। परन्तु आर्यसमाज की ओर से किसी उत्तेजना के बिना ही पंडित जी ने फिर उस (समाज) के काम करने वालों

को कोसना प्रारम्भ कर दिया, और मार्च सन् १८९९ ई० में पहला होली का लेख निकला जिसकी तारीफ़ करने की कुछ आवश्यकता नहीं, जब उसका नोटिस किसी ने न लिया तो वह अधिकतर दृढ़चित्त (दिलेर) हो गये और मार्च सन् १९०० ई० में दूसरा होली का लेख निकला जिस पर कि गवर्नमेंट की ओर से उन पर अभियोग चलाया गया। अभियोग का तो अपने कर्त्तव्य का फल था परन्तु उन्होंने इस अभियोग का कारण भी मुझे ही समझा, परन्तु वास्तविक बात यह है कि जब तक अभियोग मेरे विरुद्ध नहीं चलाया गया था मैंने इस लेख को पढ़ा भी नहीं था, जिस समय यह होली का मज़मून निकला है, उस समय मैं दक्षिण हैदराबाद से गुरुकुल के लिए काम करके लाहौर में वापिस आया था, मुझे कुछेक आर्य भाई यह मज़मून दिखलाने आये, और कहने लगे कि मुझ पर और ला० रोशनलाल जी पर बड़े कठोर, लज्जाप्रद और गन्दे आक्रमण (हमले) किये गये हैं, मैंने इस हेतु से लेख पढ़ने स्वीकार न किये कि जब मेरी प्रतिज्ञा सदा से यह रही है कि आर्यसमाज के सम्बन्ध में जो आक्रमण मुझ पर हों उनके लिए अदालत में नहीं जाऊंगा तो लेख पढ़ने से मुझे कोई अभिप्राय (मतलब) नहीं है, इसके पश्चात् भी इसी विषय के सम्बन्ध में बहुत से आर्य भाई मेरे पास कठोर लेख लिखकर भेजते रहे, और बहुत कुछ भड़के हुए मालूम होते थे परन्तु मैं उनको शान्ति की ही सम्मति देता रहा और उनके जोश (मनोवेग) को रोकता रहा, अन्ततोगत्वा (आखिरकार) पंडित जी के विरुद्ध पहले साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहादुर लाहौर की अदालत से ४ मास के साधारण कारा-वास (क़ैद महज़) की आज्ञा हुई, और पुनः अपील में केवल ६०० रुपये जुर्माने का दण्ड स्थिर रहा। यद्यपि मैं इसमें भी निरपराध था परन्तु पंडित जी को यह तीसरा कारण शिकायत का मेरे विरुद्ध था। मैं सुन चुका था कि पंडित साहब मुझ से अत्यन्त रुष्ट हैं और सद्धर्म-प्रचारक की सम्पूर्ण मिसलों (फ़ाइलों) की पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं पकड़ने का मौक़ा मिले तो मुझे नीचा दिखलावें। मैंने इस जनश्रुति (अफ़वाह) पर कुछ ध्यान न दिया, परन्तु पंडित साहब के गज़ट में मेरे लेखों से बेजोड़ टुकड़े नवीन टीकाओं सहित निकलने प्रारम्भ हो गए, और यह बात अब इस अभियोग में भली भांति सिद्ध हो गई है कि पंडित जी आर्य-समाज और विशेषतया मेरे विरुद्ध गवर्नमेंट के अफ़सरों के कान भरने का प्रयत्न करते रहे हैं। इन घटनाओं के पश्चात् रोपड़ आर्यसमाज ने कुछ रहतियों को शुद्ध करके आर्यसमाज में सम्मिलित किया, हिन्दुओं में विरोध भड़क उठा, उस समय पंडित साहब के अखबार में एक लेख निकला जिसका शीर्षक था 'सिर मुंडाते ही ओले पड़े' 'आर्य चमार' [देखिये दस्तावेज़ सनातन धर्म गज़ट बाबत अक्टूबर सन् १९०० ई०]। इस लेख ने ऐसी आग भड़काई कि आर्यों के बच्चे पानी बिना तड़पने लगे, आर्यों को अतिपीड़ा पहुंचाई गई। ला० सोमनाथ प्रधान

आर्य समाज रोपड़ को अपना कुटुम्ब लेकर जालंधर में आना पड़ा। जब किसी प्रकार शान्ति की आशा न देखी तो महाशय इन्द्रजीत उपनाम लालसिंह जिन्हें शुद्ध किया गया था, और ला० सोमनाथ जी ने फ़ौजदारी का मुक़द्दमा दायर करने की सम्मति की। मैं उनकी इस मन्त्रणा (मशवराह) के विरुद्ध था और बराबर उन्हें न्यायालय में जाने से रोकता रहा, परन्तु क्योंकि मैं और कोई सहायता उनकी नहीं कर सकता था इसलिए मेरे शुष्क उपदेश पर चलना उन्होंने उचित न समझा, और पं० गोपीनाथ तथा कितनेक रोपड़ की धर्मसभा के सभासदों पर फ़ौजदारी के अभियोग ताज़ीरात हिन्द की धारा ५०० के अनुसार दायर कर दिये। पं० गोपीनाथ के पास जब समन पहुंचा तो उन्होंने इस पीड़ा का कारण भी मुझको ही समझा जो उनकी निम्नलिखित तहरीर (लेख) से सिद्ध है—

[सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ मार्च सन् १६०१ ई० सफ़े २ से उद्धृत] **आर्यसमाज की ओर से सनातन धर्म गज़ट पर मुक़द्दमा** "अखबार ट्रिब्यून से यह बात मशहूर हुई·········पस हमारे आर्य भाइयों ने बहुत सोच-विचार के पश्चात स्थान जालन्धर को **अबअआजमाई** के लिए पसन्द फ़र्माया है कि जहां घास-पार्टी आर्यसमाज का बड़ा भारी गढ़ है कि जहां हमारे मेहर्बान ला० मुंशीराम साहब प्लीडर-लीडर घासपार्टी अपने प्रेस और अख़बार सद्धर्म-प्रचारक के सहित बनफसनफ़ीसशरीफ़ तशरीफ़ रखते हैं (स्वयं विराजमान हैं) शायद रोपड़ी आर्य-समाज ने इस कारण यह स्थान पसन्द किया हो·········हम रोपड़ी आर्यसमाज को इस छेड़खानी के प्रारम्भ के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको बाज़ाब्ता अदालत आलीया के द्वारा जालन्धर में निमन्त्रण दिया है जिसको मंज़ूर करना हमारा फ़र्ज़ है······" इत्यादि। इस लेख के पश्चात ही पूरी तैयारी करके मुझ पर चोरी और मानहानि के दावे दायर किए गए, जिनमें से चोरी का दावा तो सरसरी तौर पर ही खारिज हो गया [देखिये अदालत का फ़ैसला जो रायज़ादा भक्तराम जी की तक़रीर के बीच में दर्ज किया गया है] और मानहानि के अभियोग का परिणाम यह पुस्तक है।

शोक! कि पं० गोपीनाथ ने दावा दायर करने से पूर्व इस बात पर विचार न किया कि जो पीड़ाएं उन्हें समय-समय पर पहुंचती रही हैं उनका कारण मैं था या उनके अपने कर्तव्य[1] थे। अपने विरुद्ध इस अभियोग के चलाए जाने के कारण बतलाने के पश्चात अब ज़रूरी मालूम होता है कि जिस प्रकार अदालत के अन्दर की कार्यवाही मिसल से प्रकट होती है उसी प्रकार अदालत के बाहर की कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तान्त पाठकों के सन्मुख धर दूं जिससे उनकी समझ में सुगमता से

१. कारनामे

आ जावे कि इस अभियोग में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

मुक़द्दमे की पैरवी की कहानी—मार्च सन् १६०१ ई० के अन्त में मुल्तान आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर सम्मिलित होने के अभिप्राय से गया था और वहां से अप्रैल के प्रारम्भ में बीमार होकर वापिस आया, उस रोग से अभी तक छुटकारा नहीं हुआ था कि पं० गोपीनाथ साहब ने मानहानि का दावा मुझ पर दायर कर दिया, और समन की तामील के लिए स्वयं तशरीफ़ लाये (पधारे)। खुद बग्घी पर मेरे मकान के बाहर ठहरे रहे और प्यादे को अन्दर इत्तला करने को भेजा, क्योंकि मेरा चित्त रोगी था और पण्डित जी ने बावजूद पीछे दावा दायर करने के भी जालन्धर वाले मुक़द्दमों से पहले ही पेशी की तारीख़ नियत करा ली थी, जो बहुत निकट थी, इसलिए समन पर मैंने लिख दिया कि जवाबदेही की तैयारी के लिए समय काफ़ी नहीं है, पहली तारीख़ पेशी २६ अप्रैल सन् १६०१ ई० को थी जिसके तीन-चार दिन पूर्व ही मैं लाहौर पहुंच गया, परन्तु वहां पहुंचकर चित्त इतना बिगड़ गया कि जाना न जाना बराबर हो गया, तिस पर भी अख़बार आम और सनातन धर्म गज़ट की फ़ाइलों की तलाश बराबर होती रही, और जो पर्चे अपने पास थे उनकी पड़ताल होती रही। पंडित रामभजदत्त बी० ए० प्लीडर चीफ़ कोर्ट और ला० रोशनलाल बी० ए० बैरिस्टर प्रथम से ही पैरवी कर रहे थे और बयान इस्तग़ासे आदि की नक़ल मुझे भेज चुके थे। २६ अप्रैल की रात को ला० रामकृष्णजी प्लीडर चीफ़कोर्ट जालंधर से पैरवी में शरीक होने के लिए तशरीफ़ ले गये, और २६ अप्रैल के प्रातःकाल मेरे भाई[1] रायज़ादा भक्तराम बैरिस्टर भी पहुंच गये जिन्होंने इस मुक़द्दमे में अपनी दत्तचित्तता (जाफ़िशानी) और परिश्रम से सिद्ध कर दिया कि भ्रातृप्रेम से बढ़कर अन्य कोई सहायता पृथ्वीतल पर नहीं है।

मुक़द्दमे की पहली पेशी—२६ अप्रैल को १० बजे के समय ही हम सब टाउन हाल में पहुंच गये, इस दिन यद्यपि जनसमूह अधिक न था तथापि विदित हो गया कि इस अभियोग में पबलिक विशेष चित्तोत्सुकता (दिलचस्पी) प्रगट करेगी, मुल्ज़िमों के बिस्तर वृक्षों के नीचे बिछ गये मेरे कौन्सिल (वकील) बाररूम (वकीलों का कमरा) में गये ही थे कि मिस्टर पार्कर साहब एडवोकेट मुस्तग़ीस ने मुल्तवी होने के लिये दरख़्वास्त की। मुझसे पूछा गया, मैंने भी प्रसन्नता प्रकट की, परन्तु जब अदालत से प्रार्थना की गई तो अस्वीकृत (नामंज़ूर) हुई। उस दिन मुद्दई का बयान इब्तदाई (पहला बयान) हो कर अन्य छः गवाहों के बयान भी लिखे गये, जिरह किसी पर न की गई, अदालत का इजलास एक निचले छोटे से कमरे में होता रहा जो खचाखच भरा हुआ था और वराण्डे में इसके

---

१. साले

अतिरिक्त जनसमूह था, क्योंकि मुद्दई के गवाह समाप्त नहीं हुए थे इस कारण अभियोग की आगे की पेशी की तारीख १६ तथा १७ मई नियत हुई और हम सब जालन्धर को लौट आये।

कठिनाइयों का सामना—इस समय बड़ी चिन्ता थी कि इस बेसरोसामानी (उपकरणरहितता) से किस प्रकार ऐसे प्रबल शत्रु का सामना किया जावेगा, मुद्दई लाहौर का निवासी, और हम परदेशी, वह मुस्तग़ीस और हम मुल्ज़िम, उसे अभियोग की समाप्ति से बेपरवाही (उदासीनता) और हमें फंस जाने से प्रतिष्ठा का भय, इसके अतिरिक्त अखबारों की फाइल तक नहीं मिलती थीं, केवल यही नहीं किन्तु जिस प्रबल और प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित शिक्षित मनुष्य के पास जाते वह प्रथम तो पं० गोपीनाथ के चाल-चलन और सर्वसाधारण सम्बन्धी कर्त्तव्य की शिकायत करने वाला दीखता, और वाक़आत (घटनाएं) भी बयान करता, परन्तु जब अदालत में चलकर न्याय के लिए सत्य बोलने को कहा जाता तो सिवाय बग़लें झांकने के कुछ नज़र न आता, प्रत्येक स्वतन्त्रता की डींग मारने वाला मनुष्य पं० गोपीनाथ से भयभीत दिखाई दिया, ऐसी दशा में परमात्मा पर भरोसा रखने के अतिरिक्त कुछ उपाय न था, और परमेश्वर ने अपनी अपार दया से जो सहायता उस समय मुझ निस्सहाय को दी उसके लिए मैं कहां तक धन्यवाद दे सकता हूं। अखबार आम की सारी फ़ाइल मिल गई, उसमें से जिन कागज़ों तथा घटनाओं को तलाश करके पं० गोपीनाथ के अन्य प्रतिवादी [क्योंकि पं० गोपीनाथ साहब के साथ बेशुमार (अगणित) आदमियों के मानहानि के अभियोग हो चुके हैं जिनमें कि वह कभी मुद्दई और कभी मुद्दालह रह चुके हैं] निष्फलप्रयत्न होकर थक चुके थे, वे काग़ज़ात और घटनाएं मुझे ठीक समय पर मिलते रहे, परन्तु इस बीच में मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची जिसके लिफ़ाफ़े पर उर्दू में यह इबारत थी : 'जालन्धर शहर, लाला मुन्शीराम वकील' और भीतर की चिट्ठी अंग्रेज़ी में थी जो एक ८ × ३½ काग़ज के टुकड़े पर प्रत्यक्ष इस प्रकार थी—

Beware Shib Dass' fate awaits you. Gopi Nath's prosecution Semi Government Petman Asstt. Legal Remembrancer permitted to appear on G's behalf just got this news. Can't write more. Compromise any cost. Done my duty."

इसका अभिप्राय निम्नलिखित है—"सावधान हो जाओ, शिवदास के से भाग्य तुम्हारी भी प्रतीक्षा (इन्तज़ारी) में हैं, गोपीनाथ का मुक़द्दमा आधा सरकारी है, पेटमैन असिस्टेण्ट लीगल रिमेम्ब्रेन्सर (नायब वकील सरकारी) को G (जी) (अभिप्राय गोपीनाथ से) की ओर से पैरवी करने की आज्ञा मिल गई है, अभी यह समाचार मिला है, अधिक नहीं लिख सकता। चाहे कितनी

ही हानि हो, राज़ीनामा कर लो। मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया।"

जब अन्य घटनाएं अपराधियों के चित्त को न हिला सकीं तो इस गुमनाम चिट्ठी की क्या शक्ति थी जो मेरे हृदय को कम्पित कर सकती, मुझे कब विश्वास आ सकता था कि मुझ निरपराध के विरुद्ध वर्त्तमान गवर्नमेंट बिना कारण विरुद्ध हो गई है। केवल यही नहीं, किन्तु मुझ वेदस्तोपा (निःशक्त) को दण्ड देने के लिये सामयिक गवर्नमेण्ट को उस प्रकार की नीच सन्धि करनी पड़े जिस सन्धि का भेद खोलने के कारण यह अभियोग चलाया गया था। मैंने इस चिट्ठी को उस बेपरवाही और घृणा से देखा जिसके कि वह योग्य थी और पूर्व की अपेक्षा अधिक तैयारी करके फिर दूसरी पेशी के लिए पहुंच गया।

मुक़द्दमे की दूसरी पेशी—६ मई को जब मैं अदालत में पहुंचा तो जनसमूह बहुत ही अधिक था। यद्यपि अदालत ने अपने बैठने में परिवर्तन करके कुछ अधिक अवकाश स्थान का निकाल रक्खा था, तथापि दोनों बरांडे और कमरे में तिल रखने को जंगल न रही, इतने पर भी सैकड़ों आदमी बाहर घूम रहे थे, यह देखकर मजिस्ट्रेट साहब ने आज्ञा दी कि इस अभियोग का इजलास (बैठक) आइन्दा से ऊपर के बड़े हाल में हुआ करेगा, मुकद्दमा पेश होते ही साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने फ़र्माया कि ऐसे मुक़द्दमों में राज़ीनामा हो जाया करता है, मैंने समझा था कि शायद राज़ीनामा हो गया होगा, इस पर मिस्टर पार्कर ने कहा कि हम किस प्रकार राज़ीनामा कर सकते थे जब कि मुल्ज़िमों की ओर से प्रेरणा ही नहीं हुई, रायज़ादा भक्तराम ने केवल यही उत्तर दिया कि मुस्तग़ीस के वाज़दावा देने से (दावा वापिस लेने से)अभियोग का फ़ैसला हो सकता था।

इस दिन मिस्टर पार्कर के साथ मिस्टर पेटमैन साहब भी उपस्थित थे। उनको देखकर साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने पूछा कि क्या वे गवर्नमेण्ट की ओर से इस अभियोग की पैरवी के लिए नियत किये गये हैं।

मिस्टर पेटमैन साहब ने उत्तर दिया कि उनको मुद्दई ने मुक़र्रिर किया है उन्हें गवर्नमेण्ट की ओर से पैरवी की कोई आज्ञा नहीं है, जब मिस्टर पेटमैन यह कह कर बैठ गये तो रायज़ादा भक्तराम ने गुमनाम चिट्ठी उन्हें देखने के लिए दी, उक्त साहब ने चिट्ठी को पढ़कर कहा, "The Rascal!" (यह बदमाशी है!)और चिट्ठी लौटा दी, अस्तु उस दिन की कार्यवाही मुद्दई के गवाहों की गवाही पर समाप्त हुई, केवल मुद्दई के गवाह मिस्टर जान्सटन का बयान बाक़ी रह गया।

दूसरे दिन [१७ मई सन् १९०१ ई० को] अदालत का इजलास बड़े कमरे में था। दस बजे से ही लोगों ने अपनी-अपनी जगह संभालनी प्रारम्भ कर दी, सैकड़ों मनुष्यों का समूह हो गया, ऊपर की तो यह दशा थी और नीचे पुराने कमरे में रायज़ादा भक्तराम और ला० रामकृष्ण एक ओर और मिस्टर पार्कर तथा

पं० गोपीनाथ दूसरी ओर कुछ सरगोशियां (कानाफूसी) कर रहे थे। मिस्टर पार्कर ने सन्धि (सुलह) की बातचीत छेड़ी जिस पर रायज़ादा भक्तरामजी ने कहा—

"मिस्टर पार्कर! क्या आप समझते हैं कि ला० मुन्शीराम जिन पर इतने आक्रमण हो चुके हैं और जो इन लेखों में कुछ भी अनुचित नहीं समझते क्षमा मांगेंगे?"

मिस्टर पार्कर—मेरा यह अभिप्राय नहीं है, वह क्षमा (माफ़ी) न मांगें केवल उन कठोर शब्दों के लिए जो उनके पत्रप्रेरक ने लिखे हैं Regret (शोक) प्रगट कर दें।

पं० गोपीनाथ—और मैं अपनी ओर से कठोरता के लिए शोक प्रकट कर दूंगा, किन्तु जालन्धर वाले दावे भी दाखिल दफ़्तर कर दिये जावें।

रायज़ादा भक्तराम साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि जिस दशा में मेरी सम्मति में पं० गोपीनाथ के लेखों को ध्यान में रखते हुए मेरे पत्रप्रेरक ने पं० गोपीनाथ का कोई अपमान ही नहीं किया तो मैं ईमानदारी (धर्म) से क्योंकर उसके लेख पर शोक प्रगट कर सकता हूं? यह बातें हो ही रही थीं कि अभियोग बुलाया गया और मिस्टर जान्सटन का बयान प्रारम्भ हुआ, जिसके पश्चात् पं० गोपीनाथ पर सारा दिन जिरह के सवालात होते रहे अन्त को ५ बज जाने पर भी मुल्ज़िमों के कौंसिल (बैरिस्टर) रायज़ादा भक्तराम ने कहा कि अभी गोपीनाथ की जिरह का आधा भाग भी समाप्त नहीं हुआ तो अभियोग ता० ४, ५ जून के लिए मुल्तवी किया गया।

ज़रूरी शहादतें किस प्रकार मिलीं?—इस अभियोग में जिस प्रकार की दस्तावेज़ी शहादतें मुझे बिना किसी प्रकार के अपने परिश्रम के मिलीं, उनसे प्रगट होता है कि मुझे तो केवल यश वा अपयश (जो समझो) ही मिलना था, वास्तव में समय ही आ गया था कि परमेश्वर के न्यायानुसार पं० गोपीनाथ के सम्पूर्ण सर्वसाधारण सम्बन्धी जीवन (मुकम्मिल पबलिक लाइफ़) का भेद खुल जावे, अन्यथा (वर्ना) क्या आवश्यक था कि पं० गोपीनाथ और उनके भाई यह भी न समझ सकते कि गोमांस के विज्ञापन को बिगाड़ने से भी उनके क्रमपूर्वक वर्षों के गोमांस और गोचर्म के विज्ञापन धोये नहीं जा सकेंगे, २४ अप्रैल का पर्चा अखबार आम दस्तावेज़ डी ४७ बिगड़ा हुआ इस बीच में मुझे मिला। उसपर अदालत और महकमे कमसर्यट का ध्यान दिलाने पर यह भी विदित हो गया कि महकमे कमसर्यट में ठीक कापी मय बिल के भेजी गई है, इस पर तलाश शुरू हुई और कई विज्ञापन गौओं के मांस, चमड़ा, शिर, जंघा, लात[1] आदि के सन् १८८४ ई० से लेकर अब तक के अखबार आम की फ़ाइल में से मिले,

---

१. 'पांव' के लिए पंजाबी शब्द

जिनमें से केवल दो (दस्तावेज़ात और डी ८८) मिसल में शामिल किये गये, इस बीच में वह प्रसिद्ध चिट्ठी (दस्तावेज़ डी ७३) मिली, जिसने प्रगट किया कि पण्डित साहब सनातन धर्मसभा के मंत्री और महोपदेशक होते हुए भी जालंधर में एक वेश्या को शायद वहां की धर्मसभा के वार्षिकोत्सव पर साथ लाये थे। यद्यपि एक चिट्ठी (दस्तावेज़ डी ६८) ५ जून के पश्चात् मिली थी तथापि इस सब शहादत की बुनियाद उससे प्रथम ही पड़ चुकी थी, इन चिट्ठियों के विषय में बड़ी-बड़ी जनश्रुति (अफ़वाहें) फैलाई गई हैं, और इनके विषय में मेरे मित्रों की गूढ़ नीतियों (हिकमतअमलियों) के लिए बहुत प्रशंसा की गई है, इसके संबंध में मेरी विभूति (अमारत) बढ़ाने का भी प्रयत्न किया गया है और किसी गवाह को पांच हज़ार रुपया और किसी को तीन हज़ार रुपया घूस (रिश्वत) देकर गवाही दिलाने का दोष भी जनश्रुति द्वारा लगाया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि न तो मेरे मित्र ही इस विषय में उस प्रशंसा के योग्य हैं जो उन्हें अधिकतर मिल रही है और न मैं ही इस योग्यता से युक्त हूं जो मुझमें समझी जाती है, यह सब चिट्ठियां ऐसे महाशयों (असहाब) ने दीं जिन्हें न रुपयों की परवाह थी और न मेरी कुछ खुशामद थी किन्तु केवल मुझे मज़लूम (विपद्ग्रस्त) समझकर जो अनुचित समझते थे कि असत्य की विजय हो। मियां करीमबख्श शहादत के लिए कभी न बुलवाये जाते यदि यह चिट्ठियां मुझे पहले से न मिल गई होतीं, यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने गवाह मुल्ज़िमों ने पेश किये या तलब कराये उनमें से पहले से एक को भी नहीं पूछा गया था कि क्या वे शहादत देने के लिए तैयार होंगे या नहीं, शहादत की तैयारी करते, नये दस्तावेज़ों के अंगरेज़ी अनुवाद कराते, और साधारणतया अभियोग की तैयारियां करते हुए फिर तीसरी तारीख पेशी भी आ पहुंची।

मुक़द्दमे की तीसरी पेशी—अभियोग की प्रत्येक पेशी पर मुझे दो-चार दिन नियत तिथि से पूर्व ही लाहौर पहुंचना पड़ता था, इसलिए यदि यह कहूं तो अनुचित न होगा कि जितने समय तक यह मुक़द्दमा जारी रहा मैं बराबर मुक़द्दमे के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्य ही न कर सका [अखबार का साधाणतया चलाते रहना और मामूली डाक की तामील (उत्तर देना आदि) कुछ काम नहीं समझा जा सकता] अन्त को ४ जून की तारीख भी आ पहुंची और ठीक ११ बजे लगभग एक सहस्र से अधिक मनुष्यों की उपस्थिति में अभियोग पेश हुआ। अदालत ने सबसे प्रथम मुल्ज़िमों पर फ़र्दक़रारदादजुर्म (दोषनिर्णायक पत्र) लगाना उचित समझा, और इसके लिए मिस्टर पेटमैन कौन्सिल मुद्दई से सहायता लेकर जिन-जिन शब्दों के लिए उन्होंने बल दिया फ़र्दक़रारदादजुर्म लगाई गई। यद्यपि मुझे मालूम था कि मानहानि के अभियोग में फ़र्दजुर्म लगाना प्रायः आवश्यक होता है, तथापि जिस समय मैंने खड़े होकर फ़र्दजुर्म सुनना प्रारम्भ किया तो

सम्पूर्ण उपस्थितगण (हाज़रीन) खड़े हो गये, उनके चेहरे मुल्ज़िमों के साथ सहानुभूति की मानो साक्षी दे रहे थे, और वे आश्चर्यान्वित थे कि क्यों फ़र्दजुर्म लगाई जा रही है, परन्तु अन्त को उन्हें भी विदित हो गया कि ऐसे मुक़द्दमों में फ़र्द-जुर्म लगाने के यह अर्थ नहीं हैं कि अपराधी वास्तव में जुर्म करने वाले समझे गये हैं, इसके पश्चात पं० गोपीनाथ को फिर जिरह के लिए बुलाया गया, परन्तु पण्डित जी आज एक रंगदार ऐनक लगाकर पधारे थे [यह ऐनक जो ४ जून को लगी तो ४ सितम्बर तक मुकाम जालन्धर हुई ही देखी गई] उज़्र हुआ कि जिरह मुल्तवी की जावे क्योंकि पं० साहब की आंखें दुखती हैं और पं० बालकृष्ण साहब कौल असिस्टेण्ट सर्जन का सार्टीफ़िकेट (प्रमाणपत्र) आगे किया गया। रायज़ादा भक्तराम ने कथन किया कि पं० साहब को दस्तावेज़ात पढ़ने का कष्ट न दिया जावेगा मैं स्वयं पढ़ दूंगा, बस इज़हार मुंह से दे सकते हैं, साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने फ़र्माया कि शहादत मुंह से देना है जो नहीं दुखता है, बस जिरह शुरू हुई। इस जिरह का वृत्तान्त वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है, जिस योग्यता से कि राय-ज़ादा भक्तराम ने एक-एक घटना (अमरवाक़अ) का कथन मुद्दई के मुख से कराया वह सुनने और देखने ही से सम्बन्ध रखता था। और इस स्थान पर मैं यह निवे-दन कर दूं कि रायज़ादा भक्तराम का नाम इस मुक़द्दमे के कारण लाहौर की स्त्रियों और बच्चों तक के जिह्वारूढ़ हो रहा था। अस्तु ५ जून को पं० गोपी-नाथ का बयान समाप्त होकर उनके बड़े भाई पं० गोविन्दसहाय पर भी जिरह हुई और मुक़द्दमा फिर २४, २५, २६ जून के लिए मुल्तवी किया गया। परन्तु इन तारीखों पर साहब मजिस्ट्रेट बहादुर अचानक रुखसत लेकर पहाड़ पर चले गये, इस कारण मुक़द्दमा फिर १६, १७, १८ जुलाई १९०१ ई० के लिए मुल्तवी किया गया।

मुक़द्दमे की चौथी पेशी—१६ जुलाई को वादी-प्रतिवादी के उपस्थित होते ही पहला काम जो मुद्दई के कौन्सिल ने किया यह था कि सद्धर्म-प्रचारक ५ जुलाई सन् १९०१ ई० का पेश किया, जिसमें मुक़द्दमे की कार्यवाही छापनी प्रारम्भ कर दी थी, और कहा—

मिस्टर पेटमैन—मैं श्रीमान का ध्यान इस पर्चे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह प्रगट करके कि मुल्ज़िम के अखबार के विरुद्ध यह पहला ही मानहानि का अभियोग है, मुल्ज़िम ने अदालत की सम्मति अपने पक्ष में करनी चाही है, और इसलिए मुल्ज़िम नं० १ पर अदालत के अपमान (तौहीन) का जुर्म लगाना चाहिए—अदालत ने सररिश्तेदार को आज्ञा दी के ता० ५ जुलाई १९०१ के पर्चे की इबारत पढ़ी जावे, अतः निम्नलिखित इबारत पढ़ी गई : "तमहीद (भूमिका) प्रचारक के विरुद्ध यह पहला ही लाइबिल केस है। इससे पूर्व प्रचारक को एक बार के अतिरिक्त किसी नालिश की धमकी तक नहीं मिली, और इस एक बार भी न

तो प्रचारक को क्षमा ही मांगने की आवश्यकता हुई और न ही नोटिस देने वाले महाशय ने अदालत में जाने का साहस किया, किन्तु कुछ दिनों पीछे मेरे प्रचारार्थ भ्रमण में वह महाशय मुझे मिले तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि जो कुछ उनके विषय में लिखा गया था, ठीक था। वर्तमान अभियोग अभी तक ज़ेरतजवीज़ (निर्णयाधीन) है, इसलिए तत्सम्बन्धी घटनाओं के लिए सम्मति देना उचित नहीं, परन्तु पाठकगण इन घटनाओं के विषय में जो कुछ राय (सम्मति) अपने चित्त में धारण करेंगे उससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता।"

अदालत—इसमें न्यायालय का किसी प्रकार का अपमान नहीं, और हमारी सम्मति पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव (वेजा असर) डालने का यत्न नहीं किया गया है, आपका क्या अभिप्राय है ? क्या यह लेख फ़ौजदारी के इस्तग़ासे (अभियोग) का मूल बन सकता है ? ।

मिस्टर पेटमैन—मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मुल्ज़िम पर फ़ौजदारी का मुक़द्दमा चलाया जावे, किन्तु अभिप्राय यह है कि मेरे मुवक्किल को बदनाम करने के लिए समाचार मुद्रित करने प्रारम्भ किये गये हैं।

अदालत—अदालत की कार्यवाही को प्रत्येक मनुष्य छाप सकता है। इस विवाद के पश्चात् पं० गोपीनाथ का बयानसानी (दुबारा कथन) प्रारम्भ हुआ, जो सारे दिन में समाप्त हुआ, और अपने स्थान पर दर्ज किया गया है। १७ जुलाई १९०१ को पं० गोविन्दसहाय का दूसरा बयान होकर मुद्दई के गवाहों पर जिरह हुई, और दो सफ़ाई के गवाहों का बयान भी लिखा गया। १८ जुलाई को फिर मुद्दई के अवशिष्ट (बाक़ीमान्दह) गवाहों पर जिरह हुई, और मुल्ज़िमों के गवाहों के बयान लिखे गये, अन्तिम गवाह करीमबख्श था जिसके बयान से पूर्व मुल्ज़िमों के कौन्सिल ने प्रगट किया कि कुछ नये दस्तावेज़ात करीमबख्श द्वारा मुद्दई के विरुद्ध प्रमाणित (साबित) कराये जावेंगे, क्योंकि हम प्रारम्भ से ही इस्तग़ासह (मुक़द्दमा दायर करने वाले) के साथ स्पष्ट व्यवहार करते रहे हैं, इसलिए अब भी अवसर देना चाहते हैं कि यदि मुद्दई इन दस्तावेज़ों का कुछ उत्तर रखता है तो जिरह के लिए तैयार हो जावे, परन्तु इस्तग़ासह की ओर से बड़ा प्रबल उज्र (निषेध) किया गया, जिस कारण से अदालत ने विवश होकर मुल्ज़िमों के कौन्सिल की प्रार्थना अस्वीकार की, इसके उपरान्त करीमबख्श का इज़हार लिखा गया, बयान के बीच में ही मिस्टर पेटमैन साहब चले गये, और जब बयान समाप्त हो चुका तो पं० गोपीनाथ ने करीमबख्श पर स्वयं जिरह के सवालात करने से इन्कार किया, अनुमान अढ़ाई घंटे तक मुद्दई के कौन्सिल की प्रतीक्षा (इन्तज़ारी) होती रही। अन्त को वह आये और दो-चार सवालात उन्होंने किये, वह जिरह के उत्तर से प्रगट होते हैं। इस प्रकार यह पेशी समाप्त हुई और अभियोग अन्तिम बहस के लिए ३१ जुलाई और १ अगस्त के लिए रक्खा गया॥

मुक़द्दमे की पांचवीं पेशी—परन्तु दुर्भाग्यवश २९ जुलाई से ही रायज़ादा भक्तराम साहब मुल्ज़िमों के ऐडवोकेट (क़ानूनी सलाह देने वाले) का चित्त किसी क़दर बिगड़ चला था, और ३० जुलाई के प्रातःकाल जब मैं लाहौर चलने के लिए उनसे विदा होने गया तो चित्त अधिक बिगड़ चला था, अतएव उसी समय साहब, मजिस्ट्रेट बहादुर को मुक़द्दमा मुलतवी करने के लिए तार दी गई, परन्तु तिथि निकट होने के कारण उत्तर मिला कि मुलतवी नहीं हो सकता। मैं तो उसी दिन लाहौर पहुंच गया, परन्तु रायज़ादा साहब उसी रोग की दशा में रातोंरात तैयारी करके ३१ जुलाई के प्रातःकाल ९ बजे पहुंच सके, ११ बजे के समीप जब हम सब टाउनहाल में पहुंचे तो दर्शकों का समूह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कालिजों में छुट्टी हो गई थी इसलिए हम लोगों ने समझ लिया था कि अब उतना समूह दिखाई न देगा, परन्तु यहां कालिजों और स्कूलों की छुट्टियों ने भी कुछ बड़ा भेद न दिखलाया, उसी प्रकार सैकड़ों महाशयों ने उभयपक्ष के वादी-प्रतिवादियों के भीतर जाने से पूर्व ही स्थान सम्भाल लिये। अभियोग पेश होते ही साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने रायज़ादा भक्तराम के चित्त की दशा (मिज़ाज की कैफ़ियत) पूछी, रायज़ादा साहब का विचार था कि कदाचित् वह अपनी वक्तृता (तक़रीर) को समाप्त नहीं कर सकेंगे और इसलिए मुझे शेष वक्तृता (बाक़ी तक़रीर) के लिए कहते थे, परन्तु जब उन्हें जोश आ गया तो सब पीड़ा स्वयं दूर हो गई, और जिस योग्यता से उन्होंने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया उसके लिए मुझे कथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी प्रशंसनीय वक्तृता स्वयं बोल रही है।

मुक़द्दमे की छठी पेशी और अंतिम पेशी—फ़ैसला सुनाने के लिए २ सितम्बर सन् १९०१ ई० अर्थात् बहस से पूरे एक मास पीछे तिथि नियत हुई, उस दिन प्रातः-काल सवा दस बजे ही मैं ला० वज़ीरचन्द तथा ला० बस्तीराम मुल्ज़िमों के सहित अपने कौन्सिल मिस्टर रोशनलाल के साथ ज़िले की कचहरी में पहुंच गया, यद्यपि साहब मजिस्ट्रेट बहादुर के कमरे में २५ वा ३० मनुष्यों से अधिक के लिए अव-काश न था तथापि उसी समय से कचहरी का अहाता भरना शुरू हो गया, और अभियोग का आखिरी फ़ैसला सुनने की उत्सुकता से अच्छा समूह एकत्रित हो गया, मिस्टर रोशनलाल भीतर चले गये, और कुछ समय पीछे आज्ञा सुनाने के लिए वादी-प्रतिवादी बुलाये गये, उस समय साहब मजिस्ट्रेट ने फ़ैसले का जो संक्षेप सुनाया था उसे यहां लिखने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि इस पुस्तक के पाठक फ़ैसले को यथातथ्य समाप्ति पर पढ़ लेंगे, हुक्म सुनकर सब बाहर आ गये, निषेध करने पर भी बाहर का समूह अपना जोश रोक न सका और आनन्द ध्वनि पर आनन्दध्वनि (चियर्ज़ पर चियर्ज़) होने लगी, अधिक प्रदर्शनी से बचने के लिए मैं उसी दिन दोपहर पीछे की गाड़ी में बैठकर साढ़े चार बजे अपने घर पहुंच

गया और परमेश्वर की अपार दया का धन्यवाद दिया।

यह पुस्तक क्यों प्रगट की गयी है?—अब इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे सुगम है कि यह पुस्तक क्यों छापी गयी है, अभियोग की समाप्ति का समाचार सुन कर जो ५०० के लगभग तार समाचार और पत्र मेरे नाम आये हैं, उनमें ९५ फ़ीसदी में ताकीद (आज्ञा) थी कि सम्पूर्ण वृत्तान्त को लिखकर पुस्तकाकार मुद्रित किया जावे। परन्तु केवल एक यही बात मेरे इस कार्य की प्रेरक न थी, मैंने इस पुस्तक को किसी श्लाघा या अभिमान के कारण लिखना आरम्भ नहीं किया था, और न केवल इसका यही उद्देश्य था कि आर्यसमाज के गाम्भीर्य और न्याय-परायणता के भाव को प्रगट किया जावे, इसका उद्देश्य इन सब बातों से भी बढ़ कर है। इस समय इस देश में बीसियों धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संशोधन करने का बीड़ा उठाने वाली सभायें वर्त्तमान हैं, उनमें सैकड़ों नेता (लीडर) काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन है के वे सब और उनकी सभाओं के सभासद् इस कहानी को आदि से अन्त तक पढ़ें और इससे कुछ शिक्षा लें, यदि उनमें से कोई भी अपने भाइयों को धोखा दे रहा हो तो उसका औचित्य (फ़र्ज़) है कि तुरन्त ऐसी अनुचित दशा से पृथक् हो जावे, और यदि वह स्वयं अपने कर्त्तव्य को अनुभव नहीं करता, तो उस सभा को चाहिए कि यदि अपने अस्तित्व को स्थित रखना और कुछ काम करना चाहती है तो अपने अन्दर एक भी इस प्रकार के लीडर को न रहने दे।

क्षमा का परिणाम बड़ा मीठा है—आर्यसमाज के सभासदों के साथ जिस प्रकार का बर्त्ताव किया गया, वह इस कहानी से भली भांति सिद्ध हो जावेगा। केवल यही नहीं किन्तु रोपड़ में जो तूफ़ान-बत्तमीज़ी (अन्यायान्धकार) उनके विरुद्ध उठाया गया उससे कौन आदमी अभिज्ञ नहीं है? परन्तु आर्यसमाज ने इसके उत्तर में क्या आचरण किया? २ सितम्बर १९०१ ई० को पं० गोपीनाथ का अभियोग खारिज़ हुआ, और हम सब प्रतिष्ठा सहित (बाइज़्ज़त) बरी हुए। ३ सितम्बर सन् १९०१ ई० को मुक़द्दमे ला० सोमनाथ बनाम सीताराम रोपड़ निवासी में सीताराम मुल्ज़िम ने बड़ी दीनता से क्षमा मांगी, और उसे माफ़ कर दिया गया, उसने निम्नलिखित माफ़ीनामा (क्षमाप्रार्थनापत्र) पेश किया था—"(जो चिट्ठी 'दयानन्दी शगूफ़ा' शीर्षक से मुझ सीताराम ने 'जैनधर्मश्रावक' में ला० सोमनाथ प्रधान आर्यसमाज रोपड़ के विरुद्ध छपवाई थी, मुझे अब शोक से लिखना पड़ता है कि उसमें अपमानयुक्त असत्य बातें लिखी गई थीं, जिनसे उनको अत्यन्त हानि पहुंची, इस कारण मैं बड़े विनीत भाव से क्षमा मांगता हूं। मैं लाला साहब की धार्मिक भाव के विषय में वैसी ही प्रतिष्ठा करता हूं जैसा कि उस चिट्ठी छपवाने से पूर्व करता था, मैं उनको जाति से पतित नहीं समझता, उनके अधिकार सर्वसाधारण के साथ वैसे ही समझता हूं जो कि पहले थे, मुझसे आर्य लोगों से

कोई झगड़ा नहीं है, सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह माफ़ीनामा अख़बार 'सद्धर्म-प्रचारक' और अख़बार 'पंजाब समाचार' लाहौर में और 'जैनधर्म-श्रावक' लाहौर में मुद्रित कराता हूं)।" ४ सितम्बर सन् १९०१ ई० को पं० गोपीनाथ और अन्य रोपड़ निवासी सनातनधर्मी महाशयों ने सौ रुपये से अधिक ख़र्च की बाबत मुद्दइयों को देकर माफ़ीनामा अदालत में दाख़िल कर दिया, और उन को भी माफ़ कर दिया गया। जो लोग समय-असमय क्षमा और दया आदि का ज़ुबानी उपदेश दूसरों के लिए दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तों की रक्षार्थ जो पुरुषार्थ आर्यपुरुष करते हैं उनके लिए आर्यसमाज के सभासदों पर आक्षेप करने का प्रयत्न किया करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह इससे बढ़ कर क्षमा का भाव अन्य धार्मिक सभाओं के लीडरों में दिखा सकते हैं? जहां थोड़ा ही समय बीता है कि नम्रता से भरे हुए मसीह के उपदेशकों ने अपने धर्म के अपमान के बदले एक हिन्दू को क़ैद कराया था, वहां आर्यसमाज का यह आचरण बड़े ध्यान देने योग्य है। मेरे पाठकों में से जिन्होंने रोपड़ के वृत्तान्त पढ़े थे उन्हें विदित होगा कि किस प्रकार आपत्तियों से तंग आकर विवशतया ला० सोमनाथ अदालत तक पहुंचे थे, जिन लोगों ने जथा करके पानी बन्द कर दिया हो, जिन्होंने नाई आदि तो एक ओर रहे, धीवरों[1] को भी जाति से पतित करने की धमकी दिलाकर आर्यों के घरों को वैशाख और ज्येष्ठ की तीक्ष्ण उष्णता के दिनों में जलरहित कर दिया हो, जिन्होंने आर्यों के बीमार बच्चों को पानी के लिए तरसते देखकर भी उनके करुणा-युक्त वचनों पर कुछ ध्यान न दिया हो, और पाषाणहृदय (संगदिल) होकर उन्हें एक-एक चुल्लू पानी के लिए तरसाया हो, जिन लोगों ने कि धर्मकार्यों को अधर्म बतला कर धर्मात्मा लोगों के प्रत्येक काम में विघ्न डालने के प्रयत्न किये हों, उनको वश में आने पर भी छोड़ देना, साधारण मनुष्य का काम नहीं है। परन्तु हम कौन हैं? जो श्लाघा (शेख़ी) करें!!! जिस परमात्मा ने मुझे और मेरे साथी मुल्जिमों को बल प्रदान किया था कि कठिन से कठिन आघात को सहन करते हुए भी ऊं (उफ़) न करें, और सब कठिनाइयों को सहते हुए भी सचाई को पबलिक के सन्मुख लाने का प्रयत्न करें, उसी परमात्मा ने ला० सोमनाथ और महाशय इन्द्रचन्द्र को शक्ति दी थी कि वे अपने सम्पूर्ण दुःखों को भूलकर अपने पुराने शत्रुओं को क्षमा मांगते ही भाई समझ कर माफ़ कर दें।

हिन्दू भाइयों से निवेदन (अपील)—और कुछ शब्द मैं अपने हिन्दू भाइयों की सेवा में निवेदन करता हूं, आप लोगों को मालूम है कि आर्यसमाज को दुःख

---

१. पानी भरने वाले कहार

पहुंचाने और दिक करने का काम पहले-पहल सनातन धर्मसभाओं की ओर से प्रारम्भ हुआ है, आर्यसमाज ने अपने जन्म-दिन से ही किसी पर आक्रमण प्रारम्भ नहीं किया, हां, अपनी रक्षा के लिए इसने सदा पुरुषार्थ से काम किया है, परन्तु क्या आपने कभी अपने हृदय से यह प्रश्न किया है कि आर्यसमाज और उसके सभासदों को अपनी रक्षा के लिए काम करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? अपने अन्तःकरण के भीतर घुसकर पूछिये तो आपको उत्तर मिलेगा कि जिन वेदों और शास्त्रों को आप केवल वाणी के द्वारा स्वीकार करते हैं उनको अमली तौर पर (आचरण द्वारा) फैलाने के प्रयत्न में आर्यसमाज पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। स्वार्थी मनुष्य आपको आपके सच्चे मित्र और शुभ-चिन्तकों से इसलिए रुष्ट कर रहे हैं कि आर्यसमाज की वाणी सुनते ही आप उनकी पोल से अभिज्ञ हो जायेंगे। अय प्रिय हिन्दू भ्राताओ! आप निश्चय जानिये कि आर्यसमाज को आपके साथ कोई शत्रुता नहीं है, उसको इन बुराइयों के साथ वैर है जो कि आपके और हम सबके भीतर फैलकर हमारे आत्मिक मन्दिरों की जड़ों को खोखला (जर्जर) कर रही हैं, और यह उन्हीं बुराइयों का परिणाम है कि जो लोग साधारण सदाचार (अखलाक़) से भी शून्य हैं और बड़े-बड़े पातकों में गुप्तरीति से लिप्त रहते हुए भी अपने आपको धर्मात्मा और श्रेष्ठ प्रकट कर रहे हैं वे आपके लीडर और अगुवा बने हुए हैं। बुरे और भले दोनों प्रकार के आदमी किस मत और समुदाय में नहीं पाये जाते, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्म और आर्य, हिन्दू और जैनी, कोई भी मनुष्य-समाज बुरे आदमियों से रहित नहीं है। परन्तु यदि इन समाजों के नेता पापी और दुष्टात्मा हों तो फिर मनुष्य के भावी कल्याण की क्या आशा हो सकती है, जो कि एक ही उद्देश्य प्रत्येक धार्मिक समाज का हुआ करता है।

आर्यसमाज के सभासदों ने यदि विवश होकर किसी गिरे हुए (पतित) भाई की असलीयत (स्वभाव) को प्रगट किया है तो उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि गिरे हुओं को और गिराया जावे या उससे किसी प्रकार के बदले का ध्यान हो। आर्यसमाज का यह उद्देश्य रहा है कि किसी भी धार्मिक सभा के नेता दुराचारी न हों जिससे कि उनका परस्पर भ्रातृभाव के साथ धार्मिक विचार हो सके, और मनुष्य अन्त को सत्य के अन्वेषण में सफल प्रयत्न हो सकें।

आर्य भाइयों से अन्तिम निवेदन—आर्यसमाज के सभासदों की सेवा में भी एक और प्रार्थना (इल्तमास) अवशिष्ट (बाक़ी) है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जितने कष्ट मिलते हैं, वह धर्म-प्रेमियों के लिए उस व्यायाम (वरज़िश) के तौर पर हुआ करते हैं, जो कि अन्त को पहलवान (मल्ल) बनाने में कृतकार्य होती है।

आप लोग इन दुःखों को अपने लिए ईश्वर की दया का चिह्न समझते हुए अपनी सहनशीलता को बढ़ाते जाओ, जिसे उन महान् उद्देश्यों को पूर्ण करने के योग्य बन सको, जिन्हें कि ऋषि दयानन्द ने तुम्हें सौंपा था ।।

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

—०—

ओ३म्

सद्धर्म-प्रचारक

पर

पहला लाइबिल का मुक़द्दमा

बयान इस्तग़ासह

ब अदालत जनाब साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ज़िलअ लाहौर

पंडित गोपीनाथ वल्द
पं० मुकन्दराम ब्राह्मण
साकिन लाहौर

बनाम

(१) ला मुन्शीराम प्लीडर
जालन्धर शहर
जि० जालन्धर शहर
(२) ला० वज़ीरचन्द
साकिन—तथा—
(३) ला० बस्तीराम
साकिन—तथा—

इस्तग़ासह जेर दफ़ात ५००, ५०१, ५०२ ताज़िरात हिंद

पंडित गोपीनाथ मुस्तग़ीस हस्ब ज़ैल बयान करता है—

(१) यह के ला० मुन्शीराम प्लीडर साकिन जालन्धर प्रिण्टर, पबलिशर, एडीटर, मैनेजर, मालिक अखबार सद्धर्म-प्रचारक का है। जो उसी नाम के मतबअ़ में जिसका ला० मुन्शीराम प्रोप्राइटर भी है तब्अ़ होकर शाया होता है।

(२) यह के ला० वज़ीरचंद साकिन जालन्धर उसी अखबार का असिस्टेंट एडीटर है।

(३) यह के ला० बस्तीराम उसी मतबअ़ और अखबार का असिस्टेन्ट मैनेजर है।

(४) यह के अखबार सद्धर्म-प्रचारक मुवरिखा २० माघ सम्मत् १९५७ मुताबिक १ फरवरी सन् १९०१ ई० में (जिसका असली तर्जुमा शामिल अर्ज़ी हाज़ा है। और उस पर निशान हर्फ़ A का दिया है) मुन्दर्जे ज़ैल इबारत शाया है—"पंडित गोपीनाथ के मित्रविलास की बेहूदा तहरीरें इबारत मुतज़क्किरह पं० गोपीनाथ से मनसूब है और हतकआमेज़ है।"

(५) यह के एक चिट्ठी (जिसका असल और तर्जुमा शामिल है और उस पर निशान हर्फ़ बी का दिया है) इसी अखबार के इसी नम्बर में मय ताईदी नोट एडीटर के शाया हुई—इस तमाम चिट्ठी में मुस्तग़ीस की निस्बत हतकआमेज़ अलफ़ाज़ इश्तालबख़्श तरीके पर दर्ज है और खास कर ज़ैल के फ़िकरात तौहीन-आमेज़ हैं "कोई अशराफ़ आदमी जिसके अन्दर सेल्फ़रिस्पेक्ट का ज़रा भी खयाल है हर्गिज़-हर्गिज़ गवारा न करेगा— कि कोई रिन्द बरसरे बाज़ार उसकी पगड़ी उतारे या कोई औबाश शरारतन उसे नुक़सान पहुंचाने के लिए सख़्त से सख़्त ना-जायज़ वसायल को काम में लावे मगर वोह उन बातों की कुछ भी परवाह न करे। हम बड़े तअज्जुब से देखते हैं के सनातन धर्म गज़ट के अन्दर पं० गोपीनाथ की तरफ़ से आर्यों के बख़िलाफ़ सख़्त हतकआमेज़ मुफ़सिदाना तहरीरें पै दर पै निकल रही हैं। बुग्ज़ व कीने से महज़ शरारतन वह महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज के भूषणों को बेनुक्त सुना रहा है और हर तरह पर उन्हें बदनाम करने पर कमर-बस्त है—मगर आर्य पुरुषों की तरफ़ से कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता। इतना ही नहीं बल्के पंडित साहब पुराने आर्य अखबारों की पुरानी तहरीरों में से बेजोड़ टुकड़े चुन कर उनको गलत पैराये में बयान करके भोलेभाले हिन्दुओं को आर्यसमाजियों के खिलाफ़ भड़का रहे हैं और चमार वगैर: नामों से उनकी सरीहन हतक करते हुए हिंदुओं को अपनी बिरादरियों से खारिज करने की पट्टियां पढ़ा रहे हैं। इससे भी बढ़ कर वह आर्यसमाज के बख़िलाफ़ गवर्नमेंट के कान भरने की दीवानावार जद्दोजहद कर रहे हैं—अगर्चे हमें यक़ीन वासिक़ है कि समझदार हिन्दू पंडित साहब के दम झांसों में नहीं आयेंगे क्योंकि वह खूब जानते हैं के यह वही गंगा-जमनी पंडित साहब हैं जिन्होंने के मुसलमानों को खुश करने के लिए गौकुशी के मुतल्लिक हिन्दू धर्म के बख़िलाफ़ मज़मून लिखा था—अगर्चे हमें दृढ़ विश्वास है के गवर्नमेंट आलिया को वह इन कमीना हरकतों से आर्य-समाज की तरफ़ से बदज़न करने में कामयाब नहीं हो सकते—क्योंकि वह पंडित साहब के अयमालनामे से कमाहक़्क़ वाक़िफ़ है लेकिन फिर भी फ़साद या ग़लत-फ़हमी का खदशा ज़रूर है। अगर्चे जिस दिन से के पंडित साहब ने होश संभाला है इनका बर्तारा (स्वभाव) यही है मगर जब से के मेहरबान गवर्नमेंट आलिया ने न मालूम किन खास वजूहात की बुनियाद पर अपने सज़ाये क़ैद के हुक्म को मन्सूख करके सिर्फ़ छह सौ रुपये जुर्माना करके ही पंडित साहब को छोड़

दिया है। पंडित साहब और भी बढ़ते गये बक़ौल के "मरज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की" चाहिए तो यह था कि पंडित साहब अपनी गुज़िश्ता कर्तूतों पर नादिम होकर हवाये नख़वत को अपने दिमाग़ से दूर करते और आइन्दा अपने अयमाल-नामे को स्याह करने से डरते, वह दरीदा दहनी और बुहतानबाज़ी में पहले से भी बढ़कर दीदा दिलेर हो रहे हैं और शबाना रोज़ आर्यसमाजों की निस्बत ग़लत-फ़हमियां फैलाने और आर्य पुरुषों पर कमीने हमले करने पर कमर बस्ता हैं— मगर आश्चर्य के न तो गवर्नमेंट ही इन शरर्‌अंगेज़ तहरीरों का कोई नोटिस लेती है और न कोई आर्य अख़बार ही इनको गवर्नमेंट आलिया के नोटिस में लाता है। इन हालात में इसके सिवाय और क्या हो सकता है के पंडित साहब की हरेक शरर्‌अंगेज़ तहरीर का तुर्की बतुर्की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई अलहदा अख़बार जारी किया जावे या सनातनी अख़बारों और किताबों से, जो कि परले दरजे की हतकआमेज़ तहरीरों से पुर हैं, ख़ास-ख़ास तहरीरें ब जिन्स ही इन्तख़ाब करके एक ज़खीम किताब की सूरत में शाया की जावें ताके गवर्नमेंट आलिया उन तहरीरों को आर्यों की असली तहरीरों के मुक़ाबले में रखकर इस अमर का अन्दाज़ा लगा सके कि ज़ियादती किसकी तरफ़ से है। हम दावे से कह सकते हैं कि दीगर सनातनी अख़बार जो एक सर्फ़ अगर सिर्फ़ सनातन धर्म गज़ट के आज तक के तमाम पर्चों की ही पड़ताल की जावे तो शायद ही कोई ऐसा परचा होगा के हतकआमेज़ और शरर्‌अंगेज़ तहरीरों से ख़ाली हो—हम उम्मेद रखते हैं के गवर्नमेंट पंडित गोपीनाथ साहब को अपना ताज़ा इकरार याद दिला कर मुना-सिब हिदायत फ़र्मायेगी—वर्ना अग़लब है कि तंग आकर आर्यों की तरफ़ से भी कोई तुर्की ब तुर्की जवाब देने को कमर-बस्ता हो जावे जिससे मामले के तूल पकड़ जाने का अंदेशा है—हम पंडित साहब से भी बड़े अदब के साथ निवेदन करते हैं कि वह जल्द होश में आ जावें—वर्ना उनको सख़्त अफ़सोस करना पड़ेगा, "दाना को इशारा ही काफ़ी है"।

(६) यह के अख़बार हाज़ा के पर्चा २७ माघ व ५ फाल्गुन सम्वत् १९५७ (जो हर दो तारीख़ का एक ही पर्चा शाया हुआ है) में एक एडीटोरियल नोट तब्अ़ हुआ है, जिसके बाद में एक चिट्ठी जो मिनजानिब वज़ीरचन्द बयान की जाती है दर्ज है (असल और तर्जुमा शामिल है और उस पर निशान C का दिया है) और उसमें इस चिट्ठी का मज़मून दर्ज है जो के पंडित गोपीनाथ ख़ुफ़िया तौर पर शाया करने का इरादा रखता था लेकिन जो उसने कभी जारी नहीं की, उस पर हतकआमेज़ हाशिये जाबजा दिये गये, और इनमें ज़ैल के अल्फ़ाज़ ख़सूसन् तौहीन-आमेज़ हैं "सफ़ेद झूठ", "बे असूले आदमी का बे असूलों में ही गुज़ारा हो सकता है", "ज़रूर, आपके बग़ैर स्वांग कैसे पूरा उतरेगा और स्यापे की नायन का काम कौन देगा, किसी और जगह ख़्वाह आप जायें या न जायें मगर जालन्धर में ज़रूर ही

आना, दो वर्ष से जालन्धर निवासियों को आपके देखने का इश्तियाक़ लग रहा है। लाला मुन्शीराम जी आपको पकड़ नहीं लेंगे इतना क्यों डरते हैं, आदमी ढीठ होना चाहिए शर्म किस बला का नाम है, कोरी शिकस्त खाई थी हम दुबारा अर्ज़ किये देते हैं कि जालन्धर ज़रूर ही आना", "मा बाद कुछ नहीं लिखा वह शायद साथ-साथ वसूल होगा, मतलब पर तो अब आये, यह ख़ूब दूर की सूझी, टके बटोरने का यह अच्छा ढंग है। मुर्दा चाहे "दोज़ख में जाये या बहिश्त में मुल्ला को अपने हलुवे मांडे से काम", "वेशक वर्ना छह सौ रुपये जेब में आना मुश्किल है", "एक और सिक्रेट (ख़ुफ़िया) मंडली भी इस साज़िश में शरीक है।"

आखिरी फ़िक़रों में जैल की इबारत हतकआमेज़ है, "क्या तुम नहीं देखते कि दयाहीन घातक इस बेबश बालक (आर्यसमाज) का गला घोट कर इसका काम तमाम करने की घात में लगे हुए हैं,

(७) यह कि इबारत और फ़िक़रात मज़कूर: बाला मुस्तग़ीस से मुतल्लिक हैं और उससे जुर्म इज़ाले हैसियत उर्फ़ी सर्ज़द होता है॥

(८) यह कि अखबार सद्धर्म-प्रचारक लाहौर में अशायत पाता है और एडीटर सनातन धर्म ग़ज़ट सायल, आर्यसमाज लाहौर लाइब्रेरी, और एडीटरान् अख़बार ट्रिब्यून, पंजाब समाचार और दीगरान् के नाम बज़रिये डाक बाक़ायदे आता है।

(९) यह कि सायल और दीगर अशख़ास को अखबार सद्धर्म-प्रचारक के वह नम्बर जिन पर इस्तग़ासा है लाहौर में बज़रिये डाक पहुंचे।

(१०) यह कि ला० मुन्शीराम, ला० वज़ीरचन्द, ला० बस्तीराम ने यह इत्तहाम जिन की निस्बत इस्तग़ासा है सायल को नुक़सान पहुंचाने की नियत से शाया किये यह जान कर या यह बावर करने की वजह रख करके ऐसे इत्तहाम सायल की शुहरत को नुक़सान पहुंचावेंगे—इसलिए ज़ेर दफ़ै ५०० के मुजरिम हैं और ला० मुन्शीराम ज़ेर दफ़ै ५०१ व ५०२ के मुजरिम हैं—क्योंकि वह प्रिण्टर और फ़रोक्त कुनन्दा अखबार मुत ज़विक़रह का है और लाला बस्तीराम भी बहैसियत असिस्टेण्ट मैनेजर अख़बार पौर मतबअ़ मुतज़क्किरह वाला जरायम् मज़कूर की अआनत का मुजिरम है।

अर्ज़ी..................

——————दस्तखत पण्डित गोपीनाथ

समन बनाम मुद्दालहुम व तक़र्रुर ता० २६ अप्रैल ज़ेर दफ़ै ५००, ५०१ व ५०२ जारी हों।

दस्ती दिये जावें, ता० ६ अप्रैल सन् १९०१ ई०।

—o—

हुक्म सुपुर्दगी

मैं यह इस्तग़ासा साहब सिटी मजिस्ट्रेट की ख़िदमत में फ़ैसले के वास्ते भेजता हूं।

दस्तख़त ऐटकिन्स साहब बहादुर
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ६ अप्रैल १६०१ ई०

तर्जुमा बयान पंडित गोपीनाथ मुस्तग़ीस

नोट—पंडित गोपीनाथ का पहला बयान २६ अप्रैल सन् १६०१ ई० को अज़ जानिब इस्तग़ासा शुरू हुआ। उस रोज़ मुस्तग़ास अलेहुम (जिस पर मुक़द्दमा लगाया हो) के क़ानूनी मशीर ने सवालात जिरह व मशविरह क़ानूनी मशीर इस्तग़ासा व साहब मजिस्ट्रेट बहादुर मुल्तवी रक्खे। फिर पेशी आइन्दा पर इस्तग़ासह के कुल दीगर गवाहान् के इज़ाहरात् क़लमबन्द हो जाने के बाद १७ मई १६०१ को पं० गोपीनाथ के बयान का तत्मा उस के अपने क़ानूनी मशीर के सवालात के जवाब में लिखा गया, जिसके बाद उस पर जिरह के सवालात शुरू किये गये, १७ मई को जिरह का बहुत कम हिस्सा ख़तम हुआ, चुनांचे मुक़द्दमा और ४ और ५ जून सन् १६०१ के लिये मुल्तवी किया गया। ४ जून से शुरू होकर ५ जून को तक़रीबन् ढाई बजे के क़रीब तक मुस्तग़ीस पर जिरह के सवालात होते रहे। उसके बाद १६ जुलाई सन् १६०१ ई० को मुस्तग़ीस का बयान सानी सारे दिन में ख़तम हुआ—गोया मुस्तग़ीस का बयान पांच मुख़तलिफ़ तारीख़ों पर हुआ—जिसे सहूलियत के लिए एक ही जगह दर्ज किया गया है। (तारीख़ २६ अप्रैल सन् १६०१ ई०)

पंडित गोपीनाथ वल्द मुकंदराम ज़ात कश्मीरी ब्राह्मण उमर ३६ साल साक़िन लाहौर।

बाक़रार सालह

"मैं लाहौर में रहता हूं और सनातन धर्म गज़ट का एडीटर हूं—मैं सद्धर्म-प्रचारक को जानता हूं, मुन्शीराम जालन्धर का एक वकील है जो उस पर्चे का एडीटर और मालिक है, जोकि उसी नाम के एक मतबअ़ में तब्अ़ होता है, जिसका भी मुंशीराम मालिक है वह पर्चा मेरे आफ़िस (दफ़्तर) वाक़ै सनातन धर्म गज़ट प्रेस में बाक़ायदा आता है—इन दस्तावेज़ात ए और बी जिल्द हाये सद्धर्म-प्रचारक में लिखा है, "मतबअ़ सद्धर्म प्रचारक जालंधर शहर में बा इहतमाम मुन्शीराम मालिक मतब्अ़ के तबअ़ हुआ।"

वज़ीरचन्द मुस्तग़ास अलह नम्बर २ जहां तक मुझे इल्म है उस पर्चे का असिस्टेंट एडीटर है और मज़ामीन मुस्तदाविया में से एक का ज़ाहिरा लिखने

वाला है कापी (अखबार सद्धर्म-प्रचारक) मुवर्रिखे ८ व १५ फ़र्वरी सन् १९०१ ईसवी (दस्तावेज़ हर्फ़ B) में मुतज़क्किरा वाला मज़मून वज़ीरचन्द का लिखा हुआ दर्ज है, मैं वज़ीरचन्द को जानता हूं (उसकी तरफ़ इशारा करता है—दस्तख़त साहब मजिस्ट्रेट बहादुर)।

लाला बस्तीराम असिस्टेंट मैनेजर है और दोनों दस्तावेज़ हाये पर्चेजात सद्धर्म-प्रचारक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर के लिखा हुआ है, मैं इस मुल्ज़िम को नहीं जानता हूं और आज से पेश्तर मैंने इसे नहीं देखा था।

यह इस्तग़ासा मैंने अदालत में दायर किया था और जहां तक मेरा इल्म और यक़ीन है यह सही है। कुछ अर्से से यह पर्चा मेरे बख़िलाफ़ मज़ामीन शाया कर रहा है यह अमल कुछ अर्से से जारी है खसूसन सन् १८९८ ईसवी से चन्द एक मज़ामीन हतकआमेज़ शाया हुए हैं—एक जिल्द सद्धर्म-प्रचारक मुवर्रिखा २२ जुलाई के सफ़े ५ पर एक मज़मून है जिसकी सुर्ख़ी यह है "चेला किसको कहते हैं" जिसमें मुझ पर धोका देने वाला होने और बदल जाने का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। सफ़े ९ पर एक मज़मून बसुर्ख़ी "पं० गोपीनाथ जवाब दें" है उस में यह फ़िकरा दर्ज है कि मुन्शी गोपीनाथ जी हिमाक़त का पहाड़ सिर पर उठाये हुए हैं और पुराणों से ढकोसले सुनाकर लोगों को गुमराह करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है [इस अखवार पर निशान हर्फ़ C लगाया गया है] एक और जिल्द मुवर्रिखा १७ जून सन् १८९८ ई० के सफ़े ११ पर एक लम्बा मज़मून व उनवान "पं० गोपीनाथ जवाब दें" है जिसमें मुझसे ४२ सवालात पूछे गये हैं जो ज़्यादातर हिक़ारत और मज़हक़ाआमेज़ हैं और चन्द एक घिनौनी क़िस्म के हैं (दस्तावेज़ हर्फ़ D)।

उसी पर्चे की एक जिल्द मुवर्रिखा ८ जुलाई सन् १८९९ ई० के सफ़े अव्वल पर एक मज़मून है **रिसाले गोपीनाथ पर मेरी एक नज़र** जिसमें मुझे 'कश्मीरी बच्चा' कहा गया है और मुझ पर बेलगाम होकर झख मारने का इलज़ाम लगाया गया है (दस्तावेज़ निशान हर्फ़ ई)।

एक जिल्द मुवर्रिखा ४ आषाढ़ सम्वत् १९५६ के सफ़े १२ पर मेरे रावी में नहानेवाली औरतों के पार्चात चुराने के इम्कान पर बहस है (दस्तावेज़ हर्फ़ F)।

एक जिल्द मुवर्रिखा २१ अक्टूबर सन् १८९८ ई० के सफ़े ११ पर एक तहक़ीरआमेज़ मज़मून है जिसमें मुझे एक ऐसे जुलाहे से मुनासबत् दी गई है जिसका जिस्म नीम ज़िन्दा है (दस्तावेज़ हर्फ़ G)।

सन् १८९९ में भी इस पर्चे ने आम तौर पर मुझ पर हमले जारी रक्खे और इसी तरह सन् १९०० ई० में भी। एक जिल्द मुवर्रिखे १३ जुलाई सन् १९०० ई० के सफ़े ज़ात १६ और १७ पर मेरे बख़िलाफ़ हतकआमेज़ मज़ामीन उस

मौक़े पर दर्ज किये गये—जब कि गवर्नमेंट की तरफ़ से मेरे बखिलाफ़ मुक़द्दमा बनाया गया था सद्धर्म-प्रचारक आम तौर से सिलसिलेवार मेरे बखिलाफ़ रहा है। आख़िरकार दो अशायतों में एक मुवर्रिखे इकम फ़र्वरी सन् १६०१ ईसवी के दो मज़ामीन में और मुवर्रिखे ८ व १५ फ़र्वरी सन् १६०१ ईसवी के दो मुश्त की अशायतों में, मज़ामीन मुस्तदाविया दर्ज हुए। यह दोनों पर्चे मेरे पास एक ही वक़्त में आये, वे मेरे दफ़्तर के पते से आये, जैसा दस्तावेज़ बी से ज़ाहिर है, डाकख़ाने की मुहर जालंधर से १६ फ़र्वरी की लगी हुई है, और लाहौर की २० फ़र्वरी की (दुरुस्त है दस्तखत साहब मजिस्ट्रेट बहादुर) यह पर्चे जात एडीटर सनातन धर्म गज़ट के नाम खिताब किये गये हैं, वह एडीटर मैं हूं, मेरे भाई गोविन्दसहाय ने उन्हें खोला और पहले मज़ामीन देखा, यह अख़बार लाहौर में कई जगहों पर आता है। 'ट्रिब्यून आफ़िस', 'पैसा अखबार आफ़िस', 'पंजाब समाचार आफ़िस', 'प्यूरिटी सर्वेंट आफ़िस', 'आर्यसमाज लाइब्रेरी', और 'रामभजदत्त प्लीडर के पास'। आर्यसमाज की लाइब्रेरी में हर शख्स जाकर इस अख़बार को पढ़ सकता है, मैं जानता हूं कि कई एक मेरे दोस्तों को यह पर्चा पहुंचा और इन मज़ामीन से उन्हें रंज हुआ। कई आदमियों ने मुझे कहा कि उन्होंने यह मज़ामीन लाइब्रेरी में पढ़े हैं, बावा मथुरापुरी इन मज़ामीन को लाइ-ब्रेरी में पढ़ने के बाद आया और मुझे तसक़ीन दी। पर्चा मुवर्रिख इकम फ़र्वरी सन् १६०१ ईसवी (दस्तावेज़ हर्फ़ ए) में मुझ पर बेहूदा तहरीरों का इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं सनातन धर्म की निहायत फ़ोश और गंदी तहरीरों से पुष्टि करता हूं। मज़मून जिस पर निशान बी का लगाया गया है, उसका मुझ पर इतलाक़ है और मुझ से खुयानत खुदगर्ज़ी और शरारत मंसूब करता है, और मुझ पर नाजायज़ वसायल इस्तेमाल करने, शरारत और चालाकी का इल्ज़ाम लगाता है। मुझे रिन्द और औबाश भी ज़ाहिर किया गया है और आगे चलकर मुझ पर हतकआमेज़ और मुफ़सिदाना तहरीरें शाया करने और बुग्ज़ व कीना से महज़ शरारतन बेनुक़्त सुनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुझ पर ग़लती से हिन्दुओं को आर्यसमाजों के बखिलाफ़ भड़काने और आर्यसमाजियों को हतक करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। यह कुल फ़िक़रा झूठा है। वैसा ही गवर्न-मेंट को आर्यसमाज के बखिलाफ़ करने की दीवानावार कोशिश (का फ़िकरा ग़लत है) गो मैंने गवर्नमेण्ट की तवज्जह ज़रूर आर्यसमाजियों की चन्द एक तहरीरों की तरफ़ दिलाई थी। मुझे गंगा-जमनी पण्डित भी कहा गया है, और मुझ पर गौकुशी के हक़ में एक मज़मून लिख कर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया है, यह मेरे बखिलाफ़ सब से बढ़ कर लाइबिल है।

मैंने कभी भी ऐसा मज़मून नहीं लिखा। मैंने कभी कोई मज़मून गौकुशी के

हक़ में नहीं लिखा। यह भी इशारा किया गया है कि गवर्नमेण्ट मेरे गुज़िश्त चलन को बहुत ख़राब समझती है। मुझ पर दरीदा दहनी और ग़लतफ़हमियां फैलाने और नेक आदमियों पर कमीने हमले करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कुल मज़मून अव्वल लफ़्ज़ से आख़िर लफ़्ज़ तक हतकआमेज़ है और मेरे बख़िलाफ़ एक सख़्त हमला था।

पर्चे ८ व १५ फर्वरी सन् १६०१ ईसवी में एक एडीटोरियल नोट निकला था और मज़मून व सुर्ख़ी 'भांडा फूट गया' जिसमें एक प्राइवेट ख़त शामिल था, जो मैंने लिखा था, उसमें (प्रचारक में) दर्ज है के भीमसेन अपनी आला जगह से पुराणिक सभा की तह में गिर गया। जिस चिट्ठी का एडीटोरियल नोट में ज़िकर है वैसी कोई चिट्ठी मैंने शाया नहीं की। मैंने चिट्ठी लिखी थी और उसे छपवाया था। मैंने १६० जिल्दें छपवाई थीं और तब अपना इरादा बदल दिया और उसे शाया न किया। एक जिल्द गुम हो गई थी वह उस चिट्ठी की बजिन्सई नक़ल है जो कि मैंने लिखी थी और जिसकी एक जिल्द कि गुम हो गई थी। मैं सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी हूं और वे, मुराद आर्यों से है, हमको हमेशा पुराणिक सभा कहकर पुकारते हैं। इस लफ़्ज़ पुराणिक के ख़सूसन बुरे माइने हैं क्योंके आर्य लोग कहते हैं कि पुराण फ़ोश और गंदे हैं।

मज़मून 'भांडा फूट गया' मेरी निस्बत हतकआमेज़ है। मुझ पर एक प्राइवेट साज़िश में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया है जिसमें भीमसेन का शामिल होना बयान किया गया है और मज़मून का मतलब है कि मेरी प्राइवेट चिट्ठी के शाया होने से पाप का भांडा फूट गया है जो दर्ज है वैसे ही दर्ज है जैसी मैंने लिखी है मैंने उसे Strictly private and confidential याने (बहुत ही गुप्त) लिखा था इसलिए उसकी अशायत मेरे निस्बत हतक-आमेज़ है।

एक जुम्ले को सफ़ेद झूठ कहा गया है जिसके माइने उर्दू मुहावरे में फ़ोश झठ के हैं। आगे चल कर मुझको एक बेअसूला आदमी कहा गया है, जिसके साथ ही एक बेअसूला आदमी गुज़ारा कर सकता है। तर्जुमे के सफ़े ६ पर जो तशरीहें दर्ज हैं वह ख़सूसन् हतकआमेज़ हैं, मुझे स्यापे की नायन कहा गया है, और बेशर्म बतलाया गया है। अगली तशरीह में ज़ाहिर किया गया है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए भीमसेन की ख़िदमत करना चाहता हूं और उसके बाद यह इशारा किया गया है कि मैं छः सौ रुपये की रक़म अपना जुर्माना अदा करने के लिए जमा करने की कोशिश कर कहा हूं। ईश्वरानन्द और आलाराम भी आर्यसमाज के लीडर हुआ करते थे, वे भी सनातन धर्म सभा में शामिल हो गये थे।

इससे आगे मज़मून उस (बयान की ग़र्ज़) मकरूह साज़िश को मज़ीद तश-रीह करता है जिसमें मेरा शामिल होना बयान किया जाता है। मुझ पर 'दयाहीन,

घातक' होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है ।

जुम्ला दस्तावेज़ात हर्फ़ सी से हर्फ़ एफ़ तक वे जिल्दें हैं जो कि मुझे बाक़ायदा मामूली तौर पर बज़रिये डाक पहुंची हैं। जुम्ला मज़ामीन जिनका मैंने ज़िकर किया है, मेरी शोहरत के लिए नुक़सानदेह हैं। लोगों के दिलों में इनसे यह शक पैदा होता है, कि मैं मकरूह साज़िशों में शामिल होता हूं, धोखा देकर अपने फ़ायदे के लिये रुपया कमाता हूं। मेरे बख़िलाफ़ नफ़रत, हैबत, और तहक़ीर के ख़यालात फैलाये गये हैं, और मुझे बेअसूला ज़ाहिर किया गया है। अगर यह इल्ज़ाम सही होते तो लोग मुझे धोखेबाज़ और बेअसूला समझने लग जाते जो पर्चेजात मेरे पास आते हैं वे तबादले में आते हैं। मालूम नहीं कि आर्यसमाज लाइब्रेरी ख़रीदार है या नहीं !

वाक़ै १७ मई सन् १९०१ ई०

यह चिट्ठी दस्तावेज़ हर्फ़ एल (जो मैं पेश करता हूं) मुझे मिस्टर सी० एच० टप्पर साहब से पहुंची थी, यह दस्तावेज़ हर्फ़ 'के' उसके साथ मल्फ़ूफ़ आया था 'इण्डियन फ़ेमिन चेरिटेबल रिलीफ़ फ़ण्ड की ज़नरल क़मेटी' का मैं क़रीब ६ फ़र्वरी सन् १८९७ ई० के मेम्बर मुन्तख़ब हुआ था, और फ़र्वरी को एक एगज़ेक्टिव (इन्तज़ामिया) कमेटी बनाई गई थी और मैं उसका मेम्बर हुआ और इस हैसियत से कई जल्सों में शामिल हुआ, यह दोनों काग़ज़ात दस्तावेज़ात् हर्फ़ [के २] के और [के ३] के उन वाक़ात का सही बयान है जो कि इन कमेटियों में गुज़रे थे। दस्तावेज़ हर्फ़ एम मिस्टर टप्पर का अपनी दस्तख़ती ख़त मेरे नाम है। यह दस्तावेज़ हर्फ़ एन एशियाटिक सोसाइटी सीलोन (लंका) की तरफ़ से मेरे नाम ख़त मुवर्रिख़े २५ मई सन् १९०१ ई० है।

अहकाम दर्म्यानी

(१) इस्तग़ासह ने और कोई गवाहान पेश नहीं करने हैं। (२) वकील इस्तग़ासह को क़ब्ल अज़ फ़र्द क़ाररदाद जुर्म लगाये जाने के पंडित गोपीनाथ पर जिरह होने की निस्बत एतराज़ है, लेकिन चूंकि कुल गवाहान के बयानात् क़लमबंद होने तक की जिरह के अल्तवा का अमल आम और मुफ़ीद है—इसलिए मैं इस गवाह पर सवालात जिरह की अब इजाज़त देता हूं।

(दस्तख़त हाकिम)

गोपीनाथ फिर बुलाया गया बराये सवालात जिरह

मेरा बाप कश्मीर से लाहौर में मेरी पैदाइश से पेश्तर आया था और मेरी उमर इस वक़्त ३९ वर्ष की है। उससे पेश्तर लाहौर में हमारी कोई जायदाद न

थी। मेरे पांच भाई हैं। मित्रविलास प्रेस मेरे वालिद की मिल्कीयत थी। उस मतबअ् के खोलने से पेश्तर मुझे मालूम नहीं है कि मेरा बाप क्योंकर अपना गुज़रान् करता था। इस मतबअ् से एक मित्रविलास (नामी) अख़बार निकलता था। वह हिन्दी में था, अखबार आम को शुरू किए हुए ३१ वर्ष हुए। यह मित्र-विलास अखबार से पेश्तर जारी हुआ था। यह भी उसी मतबअ् से शाये होता था। मेरा बाप और मेरे भाई इकट्ठे बतौर एक मुश्तर्का खान्दान के रहते थे। मेरे बाप की मौत के बाद एक भाई कन्हैयालाल अलहदा हो गया है। और गवर्न-मेण्ट का मुलाज़िम हो गया है। बाक़ी हम सब अब तक इकट्ठे रहते हैं। इस अलहदगी को एक या डेढ़ साल हुआ इसके बाइस जायदाद ख़ान्दान मुश्तर्का की तक़सीम नहीं हुई। मेरा वालिद बहुत कम उर्दू जानता था। कन्हैयालाल अंग्रेज़ी जानता है यह पैम्फ़लेट (दस्तावेज़ डी) मित्रविलास प्रेस ने तब्अ् किया था। और मेरे भाई ने तसनीफ़ किया था। कन्हैयालाल की उमर तकरीबन् ३० वर्ष की है। जिस वक़्त यह पैम्फ़लेट तब्अ् हुआ मैं भी प्रेस के मालिकान् में से एक था। मैं ख़याल करता हूं कि मैंने वह पैम्फ़लेट पढ़ा है। जहां तक मुझे इल्म है वह सही है। सफ़े ६ पर मेरे वालिद की हालत और आमद सही तौर पर बयान की गई है। सफ़ेजात १४ व १५ पर यह बयान सही है कि उसने (मेरे बाप ने) २५ वर्षों तक काम करके फिर इस पैम्फ़लेट के तब्अ् होने के दस वर्ष पेश्तर से अपने कारख़ाने के लिए कोई काम नहीं किया था। इन दस वर्षों में जब कि उसने काम करना बंद कर दिया था प्रेस का काम हम सब भाई चलाते थे। मैं ख़याल करता हूं कि पंडित गोविंदसहाय बतौर एडीटर अख़बार आम के काम करता था, और कन्हैयालाल बतौर एडीटर मित्रविलास के। मेरा वालिद २२ दिसंबर सन् १८९७ को मर गया। मैं कुछ अर्से के लिए मित्रविलास का एडीटर था। और फिर उसके बाद कन्हैयालाल एडीटर हुआ। यह प्राइवेट इन्तज़ाम था। मैं कभी अखबार आम का एडीटर नहीं रहा। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी एडी-टोरियल नोट्स भी नहीं लिखा। मैं नहीं कह सकता कि मेरी कोई तहरीरें एडी-टोरियल नोट्स में निकलीं या नहीं। माह जुलाई सन् १९०० में बमौक़े इस्त-ग़ासह अज जानिब गवर्नमेण्ट बर्खिलाफ़ मेरे, मेरा भाई एक हफ़्ते के लिए हरिद्वार गया था और मैंने उसकी जगह काम किया था। इससे पेश्तर मैं नहीं ख़याल करता कि गोविंदसहाय कभी भी लाहौर से बाहर गया हो। मैं अख़बार आम का एक-दो या तीन वर्षों के लिए मैनेजर रहा हूं। लेकिन अब अर्से पांच या छः साल से मेरा भाई मैनेजर है। इन अखबार या प्रेस के मामले में हम भाई एक दूसरे को मदद दिया करते हैं। 'सनातन धर्म गज़ट' भी मेरा अखबार है। अखबार 'मित्र-विलास' की अशायत बंद हो गई है। इसमें मज़हबी मज़ामीन शाये हुआ करते थे। खातमे पर यह क़रीबन सनातन धर्म गज़ट की तरह का हो गया था। क़ब्ल इसके

आर्यसमाज ने सनातन धर्म पर अपने हमले शुरू किए, मित्रविलास आम खबरें और रायें शाया किया करता था। बतौर एक अखबार के इससे कभी भी नफ़अ नहीं हुआ। हिन्दी नाज़रीन कम थे, और इसलिए इसे बंद किया गया। जब यह बंद हो गया तो सनातन धर्म गज़ट शुरू हुआ। यह बतौर एक मज़हबी पर्चे के सनातन धर्म के खिलाफ़ हमलों को रोकने के लिए तजवीज़ किया गया था। यह सन् १८९७ ई० में जारी हुआ और आर्यसमाज और दीगर मुखालफ़ीन सनातन हिन्दू धर्म के बखिलाफ़ इसका निशाना था।

बम्बई का वेङ्कटेश्वर अखबार हमारे मतबअ में तबादिले में आया करता था—उसकी जो अशायत पेश की गई है वह मुवर्रिखे २ अक्टूबर सन् १८९६ ई० की है—(दस्तावेज़ के डी २) सफ़े २ पर एक मज़मून है—जिस की सुर्खी "हमारे हमअसर मित्रविलास का हम पर झूठा एतराज़" है। जहां तक मुझे इल्म है वेङ्कटेश्वर पहले सनातन के बखिलाफ़ था और बादहू उसके हक में हुआ। वेङ्कटेश्वर एक सनातन धर्म का मन्दिर बम्बई में है। आर्यसमाजी लोग बुतपरस्ती के बखिलाफ़ हैं। वेङ्कटेश्वर की मूर्ति इस अखबार का एक निशान है। और उसमें छपी हुई है। इसमें लिखा है, "हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे हमअसर मित्रविलास ने अखबार में दीगर मज़ाहब वालों को गालियां देना और बेहूदा एतराज़ करना और मुल्क में मुखालफ़त फैलाना क्योंकर धर्मप्रचार समझ रक्खा है। अगर आप सच्चे सनातन धर्म के पैरो हैं तो धर्म का कोई ज़ाहिर काम करके दिखाइए। अगर आप अपनी ग़ैर मामूली लियाक़त के ज़ोर से ऐसा ही समझते हैं तो क्या आप के सफ़े-दो सफ़े में किसी समाज को गालियां देने से किसी समाज का फ़ायदा हो जायेगा,............................

हमको अफ़सोस है कि आप जैसे आदमी जिनकी इज़्ज़त दुनिया में मशहूर है कि अपना असली फ़र्ज़ छोड़ कर बेफ़ायदा शोर मचाकर हिन्दू धर्म और देशी अखबारात को बदनाम कर रहे हैं। अब रहा मज़हब का मामला, जिससे आप हम को गिरा हुआ बतलाते हैं—उस मामले में हमें आपसे सिर्फ़ यह पूछना है कि हम भी आपकी तरह ग़ैर शरीफ़ाना तौर से काग़ज़ स्याह कर दिया करें तो हमें आप वैष्णव समझेंगे वरना हम वैष्णव नहीं हैं—अफ़सोस, नहीं मालूम इस बुढ़ापे की उमर में मित्रविलास की अक़ल कहां चली गई है जो मुन्दर्जे वाला क़िस्म की तहरीरों और एतराज़ों से अपने अखबार को बदनाम कर रहा है। इस्तग़ासह के फ़िक़रे नम्बर ५ के मुतल्लिक़ ताईदी (नोट) एडीटर का यह है, "इस विषय में आगे लिख चुका हूं और मुफ़स्सिल आइन्दा लिखूंगा" जिससे ज़ाहिर-होता है कि एडीटर मुत्तफ़िक़ था, वरना उसकी बाबत न लिखता। सद्धर्म-प्रचारक मुवर्रिखे २५ जनवरी सन् १९०१ ई० में इस बारे का पहला मज़मून निकला था, यह दस्तावेज़ हर्फ़ डी ३ वही अशायत है जो के इससे

ज़ाहिर होती है ।

(तर्जुमा दस्तावेज़ डी ४)

नोट—वाज़े रहे कि २५ जनवरी सन् १९०१ ई० के पर्चे में सफ़ेजात ६ और १५ पर हस्ब ज़ैल एडीटोरियल (नोट) दर्ज है जिसकी तर्फ़ कि इकम् फ़र्वरी सन् १९०१ ई० के अख़बार में इशारा किया गया है ।

आर्यसमाज के बानी और उसके धर्म पर गन्दे बुज़दिलाना हमले

पंडित गोपीनाथ पर जब से मुक़द्दमा दायर हुआ था उनके पर्चे सनातन धर्म गज़ट की टोन किसी क़दर बदल गई थी, फिर उन पर सज़ाये क़ैद का हुकम सादिर हुआ, कुछ अर्से तक तो यह चुप रहे, लेकिन अपील दायर होते ही न मालूम किस शै पर उन्होंने आर्यसमाज के बख़िलाफ़ न सिर्फ़ सख़्त ही लिखना शुरू किया बल्कि आर्य पर्चों की तहरीरों को ग़लत पैरायों में ज़ाहिर करने की कोशिश की, बावजूद तक़रीर वकील सुनने के मिस्टर हेरिस साहब सेशन जज ने फ़ैसले के लिए लम्बी तारीख़ डाल छोड़ी, इस अर्से में आर्यसमाज पर पं० गोपीनाथ के कटाक्ष बढ़ते गये। और आख़िरकार नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेण्ट की तरफ़ से फिर सिफ़ारिश हुई कि महज़ जुर्माना काफ़ी है। जज साहब ने फ़ैसले में लिखा कि मुल्ज़िम ने अपने तर्ज़ तहरीर को बदल लिया है। लोग इससे क्या नतीजा निकालते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसी अर्से में न मालूम क्यों क़ादियानी मिर्ज़ा के पैरवों ने आर्यसमाज और उसके काम करने वालों पर सख़्त हमले करने और उनकी निस्बत गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने शुरू कर दिये और सबसे बढ़ कर रसूल इस्लाम ने गंदगी और नाशायस्तगी का ख़ातमा कर दिया। इन जुमला तहरीरों को पढ़ कर आर्य पुरुष सख़्त मुश्तअल होकर मुझे तंग कर रहे हैं और पूछते हैं कि क्या इसी तरह लोग आर्यसमाज को दबाया करेंगे। इसके अलावा मेरे पास बन्नू के सर्हद्दी ईसाई अख़बार की तहरीरें भी बतौर नमूने भेजी गई हैं, जिनमें आर्यसमाज पर तनासुख़ और नियोग की बिना पर इस क़दर फ़ोहश हमले हैं कि मैं नहीं समझता के कोई शरीफ़ ईसाई इन तहरीरों को अपनी मस्तूरात के हाथ में देने का हौसला कर सके। मेरे पास रोज़ दो-तीन ख़तूत आर्य भाइयों के पहुंचते रहते हैं, जिनमें मेरी बेजा शान्ति पर सख़्त अफ़सोस का इज़हार होता है। मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैं हर्गिज़ इन और दीगर तमाम मज़ाहब के अख़बारों की गन्दा तहरीरों और नाशाइस्ते हमलों का जवाब तुर्की ब तुर्की देने के लिए तैयार नहीं हूं बल्कि उनका नोटिस भी नहीं लेना चाहता, हां आर्य-समाज के असूलों पर जिस क़दर एतराज़ हों उनका जवाब हमेशा युक्ति और प्रमाण से देता रहा हूं, और देता रहूंगा। मैं अपने भाइयों को यक़ीन दिलाता हूं कि

इन तहरीरों से आर्यसमाज का कुछ बिगड़ तो सकता नहीं फिर मैं नहीं समझता कि मेरे भाई क्यों इस क़दर रंज महसूस करते हैं। मेरी राय में इस क़िस्म की तहरीरों को रोकने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। मैं इस क़िस्म की कोशिशों के सख्त मुख़ालिफ़ हूं, जिनके ज़रिये से कि गवर्नमेंट के पास इससे दुआ की जाती है कि वह, ऐसी तहरीरों को रोके, मुझे इससे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट अपने इन्तज़ाम को क़ायम रखने के लिए क्या कार्रवाई करती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा के आर्यसमाज के लिहाज़ से उस पर किये हुए किसी हमले को भी न रोके, मेरा पुख्ता यक़ीन है कि धार्मिक मामले में गवर्नमेंट की मदद लेना धर्म की कमज़ोरी को मान लेना है, मेरा विश्वास है कि यदि वैदिक धर्म सच्चा है तो जिस क़द्र ज़ियादा हमले उस पर होंगे उसी क़दर उसकी सचाई ज़ाहिर होगी, पस पौराणिक, मोहम्मदी, ईसाई, जैनी वग़ैरा जुमले मज़ाहब के वाइज़ों और मुसन्निफ़ों की आगाही के लिए यहां दर्ज करता हूं कि उनकी नाशाइस्ता तहरीरों का हर्गिज़ नोटिस नहीं लिया जावेगा अलबत्ता वैदिक धर्म के असूलों पर जिस क़दर एतराज़ किये जावेंगे उन का जवाब हमेशा दिया जावेगा। परमपिता सहनशीलता प्रदान करें ताके आर्यसमाज के मेम्बर अपनी सहन-शक्ति से वैदिक धर्म की रक्षा कर सकें।

अल्फ़ाज़ रिन्द और औबाश मुझसे मुतल्लिक हैं जैसा कि कुल मज़मून से ज़ाहिर होता है? लफ़्ज़ रिन्द कभी भी अच्छे मानों में नहीं आता और इस मज़मून में ख़सूसन बुरे मानों में इस्तेमाल किया गया है, इस लुग़ात फ़ीरोज़ी में इसके माने Sceptic किये हैं और Platts डिक्शनरी में भी पहले माने यही दिये हैं, लुग़ात बुढ़ानक़ातआ में भी Sceptic ही माने दिये हैं न कि Libertine, मैं किताब दीवान रिन्द से वाक़िफ़ नहीं हूं, मैंने दीवान हाफ़िज़ की बाबत सुना है। रिन्द के माने उस शख्स के हैं जोके क़ाइदों और बन्दिशों की परवाह नहीं करता।

अगर कोई शख्स पब्लिक प्रेस में किसी की निस्बत यह ज़ाहिर करे कि फलां शख्स मेरा ज़ेर मश्क़ रहा है और उसकी मां-बहिन को गालियां लिखे तो मैं उसको अगर उसने किसी के जवाब में ऐसा कहा हो तो लुच्चा नहीं कहूंगा वर्ना लुच्चा कहूंगा। अगर गाली के जवाब में ऐसा लिखे तो उसे बुर्दवार नहीं कहेंगे। अगर पबलिक प्रेस में एक शख्स ऐसा फिक़रा इस्तेमाल करे 'सटकढ़ी फ़क़ीर विस्तरे' तो यह बुरा है—सिवाय इसके कि ऐसी ही तहरीरों के जवाब में कहा जावे (मेरा) यह जवाब नीतिशास्त्र के मुताबिक़ है, यह जो जिल्द ५, नम्बर ५, बाबत १५ मार्च सन् १९०० ई० (दस्तावेज़ डी ५) जिल्द ५ नम्बर ७ बाबत १५ अप्रैल सन् १९०० (दस्तावेज़ डी ७) और तर्जुमा अंग्रेज़ी (डी ७) और जिल्द ५ नम्बर ८ बाबत् ३० अप्रैल १९०० ई० (दस्तावेज़ डी ८) और तर्जुमा अंग्रेज़ी डी (९) पेश की जाती हैं यह मेरे सनातन धर्म गज़ट हैं मज़ामीन ख़ास

एडीटोरियल नोटिस के लिए मैं ख़सूसन ज़िम्मेवार हूं और जुम्ले मज़ामीन के लिए भी मैं ज़िम्मेवार हूँ।

अज़ सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ मार्च १९०१ ई०

होली के चुटकले

होली मनाने के लिये हमारे लिए उम्दा तरीन् ज़ेर मश्क़ आर्यसमाजी या दयानन्दी भाइयों से बेहतर और कोई नहीं। हमारा जी उनसे ही खेलने को चाहता है। क्योंकि होली में क़ायदा है जो रोन्दू हो याने ज़ियादे रोने और चिढ़ने वाला हो या कोई अहमकुल दौला या बुत शिकनुल नसले फ़र्तूत हो और हिन्दू वीर्य से पैदा होकर होली से चिढ़े उससे ज़्यादा दिल्लगी करनी चाहिए। दयानन्दी भाइयों में आजकल दो दल याने गिरोह मशहूरोमारूफ़ हैं। दोनों एक-दूसरे से ऐसा लड़ते और बाहम धूल-कीचड़ और गंदगी उड़ाते हैं के हिन्दू लोग होलियों में क्या करेंगे। उनके यहां आजकल बाहम वर्षों से बराबर होली हो रही है याने आज बारह और बारह चौबीस और बारह छत्तीस और बारह अड़तालीस और बारह साठ महीनों से बराबर धौलाधप्पा हो रहा है, लेकिन हमारी राय में यह महा-भ्रष्ट जंगली लोगों का काम है, जो बारह ही महीनों होली खेलते रहें। हमारे यहां सब बात एक नियम याने अन्दाज़ के साथ होती है, याने बारह महीनों में ज़क़त ८ दिन होली के लिए मखसूस हैं बाकी नहीं। इस एक हफ़्ते के अन्दर-अन्दर हम जिस क़दर दयानन्दियों से कर लें रवा है। उसके बाद क्या मजाल कि कोई उनकी मांओं का घूंघट भी उठा सके। वह चाहे खुद बेपर्द होकर समाज में बैठी रहें और उनके ही लोग टकटक उनकी तरफ़ देखें, लेकिन हम इन दिनों के अलावा और दिनों में कुछ न करेंगे, आज होलियों की इस अनन्त महिमा के सागर में हम थोड़ी देर के लिये दयानन्दी भाइयों को मग्न करना चाहते हैं, वह चिढ़ें तो चिढ़ें हमारे अंगूठे से। जितना चिढ़ेंगे उतना ही हमें मज़ा आवेगा। पिछली मर्त्तबा जो हमने इनसे होली खेली थी बहुत से रूपों में आकर वह कई महीनों तक पीटते रहे, क्योंके हमने होली के रंग में कुछ ऐसी शोखी मिला दी थी कि वह कई हफ़्तों बल्कि महीनों तक अपने चेहरे को साबुन-सज्जी से धोते रहे, मगर रंग न गया आखिर किसी अक़लमंद ने उनको मशवरा दिया के गोमाता और सांड़ पिता के मूत्र और गोबर से चेहरे को मल-मलकर धो डालो। जी तो ऐसा करने को न चाहता था, पर मरता क्या न करता, आखिर को झख मारकर ऐसा करना पड़ा और तब जाकर शान्ति हुई।

कंजर फला समाज

दयानन्दियों की एक पार्टी को बड़ी मुश्किल दरपेश है। वह ऐसी है कि उससे छुटकारा इन्हें नहीं सूझता—वह यह कि लाहौर में जिस मुहल्ले में वह समाज के लिए मकान ख़रीद कर ईंट, लकड़ी, गारे, चूने की पूजा करते हुए समाज मंदिर बना बैठे हैं—वह मकान ऐसे मुहल्ले में वाक़ै है कि जिसका नाम कंजर फला है—शायद सिक्खों के ज़माने में वहां नोची वाले कंजरों का कोई अड्डा या उनकी खास जायदाद थी जिससे इस मुहल्ले का नाम कंजर फला मशहूर हो गया और वह अब तक जारी है। अब इस पार्टी के समाजी लोग बहुत छटपटाते हैं और दांत पीसते हैं और इन अपने लीडरों पर बहुत कुछ लानत भेजते हैं कि जिन्होंने कंजर फले के मुहल्ले में मकान लेकर उनकी नाक हमेशा के लिए काट दी। जब यह अपने जोम में महात्मा बने हुए लोग कोई बहुत घनघोर लेक्चर देते हैं और बहुत गला फाड़-फाड़कर और पानी पी-पीकर अपने बाप-दादा को कोसते हैं और बड़ी शेखी बघारते हैं, उस वक़्त उनके बाप-दादा के ख़ैरख़्वाह सनातन धर्मी एक ही ध्रुाद ऐसी छेड़ देते हैं जो उनके तमाम लेक्चर के असर को इस तरह बरबाद कर देती है कि जैसे घास के अम्बार को एक आग की चिंगारी। उस वक़्त इनसे कुछ लिखते नहीं बनता और सिर पीट के रह जाते हैं। इनसे कोई सनातन धर्म नौजवान खड़ा होकर इतना ही जब कह देता है कि कंजर फला वाली समाज में ऐसा लेक्चर हुआ—और मुहल्ले के नाम पर ज़रा ज़ोर दिया कि उनका तमाम लेक्चर खाक में मिल जाता है। सनातन धर्मियों की तरफ़ से इस बात की खार हमेशा इन लोगों में खुटकती रहती है। अब गुज़िश्ता प्रतिनिधि बीवी के मुजरे में एक घाघर ने बहुत उमदा इलाज सनातन धर्मियों से बदला लेने का बताया है। इसने कहा कि हमें सनातन धर्मियों से बख़ूबी बदला इस तरह लेना चाहिए कि वह उमर-भर याद करते रहें। जब हमारे ला० मुन्शीराम साहब यह कह रहे हैं कि ३० हज़ार रुपये चाहे बिगड़ भी जावें लेकिन गुरुकुल का तजुर्बा ज़रूर कर लेना चाहिये और कामयाबी न भी हुई ताहम् तीस हज़ार रुपया बिगाड़ देना कोई बात नहीं है—पस जब हमारे प्रधान साहब का यह क़ौल है तो हमें भी चाहिए इस मकान की ईंट से ईंट बज जावे। लेकिन सनातन धर्मियों से ज़रूर बदला लेना चाहिए। जो कंजर फले का नाम लेकर हमें कंजर बताते हैं उनकी तजवीज़ यह है कि यह मकान सनातन धर्म सभा लाहौर को बतौर हिबा के दे दिया जावे—इस शर्त पर कि वह इसमें सभा के जल्से किया करे। जब वह मान लें तो बाद में उनको कंजर फला वाली सभा कह-कहकर के हम उनसे बदला लें। दूसरे एक बड़े घुघू ने कहा कि इससे बेहतर यह है कि इस मकान को बिल्कुल मिसमार कर दिया जावे और रड़ा मैदान बना दिया जावे, कुछ दिन मैदान खाली पड़ा रहने दिया जावे जब तक कि आर्यसमाज का नाम लोगों को भूल

जावे, याने जब तक कि समाज के निशान के अलावा उसका नाम मिट जावे तब फिर यहां एक ठाकुरद्वारा या शिवालय बना दिया जावे। उस वक़्त भी हम लोग इस क़ाबिल होंगे कि सनातन धर्मियों से पूरा बदला लें और हमेशा कंजर फले वाला ठाकुरद्वारा या शिवालय कह कर पुकारा करेंगे—सभा तो शायद कभी बंद भी हो जावे।

लेकिन हिन्दुओं का ठाकुरद्वारा और शिवालय दूर नहीं हो सकता पस यह तजवीज़ पहले से बेहतर है। हमेशा हिन्दू हमारे ज़ेर मश्क़ रहेंगे। आख़िरी फ़िक़रा इन साहब की तक़रीर का बड़ा जोशदार था—इसके सुनते ही लोगों के दिल दहल गये। कुछ सुनगुन हमारे रिपोर्टर को मिल गई जिसने गो इसे लिखने में अपनी तरफ़ से कोई कसर नहीं रक्खी लेकिन उसका बयान है कि यह असली फ़िक़रा कि ज़ोर के मुक़ाबले में अशरे अशीर भी नहीं है और वह यह है—अय आर्य भाइयो, अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ भी माद्दा है, अगर आप ख़ुद को बिलकुल ज़लील नहीं ख़याल करते, अगर आप में इन्सानियत के ख़ून का एक भी क़तरा है, अगर आप में ज़िन्दगी है और आप बिलकुल मुर्दा नहीं हो गये, अगर आप अपनी और अपने बाल-बच्चों, मां-बहिनों की इज्ज़त का ज़रा-सा भी पास रखते हैं, अगर आप बेशर्मी में ग़ारत नहीं हो गये, अगर आर्यसमाज की ज़रा-सी भी वक़त आप के दिल में है, अगर आपको स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की एक राख की चुटकी के बराबर भी परवाह है—अगर आप अपने अलावा अपने स्वामी जी महाराज को भी ज़लील करना नहीं चाहते—अगर आपके जिस्म में सच्चे आर्य ख़ून की एक बूंद भी है—अगर आप बिलकुल लालची, बेशर्म, नालायक़, ख़ुदग़र्ज़ और नावकार नहीं हो गये तो मैं कहता हूं कि इस वक़्त इसी दम इस मकान की ईंट से ईंट बजा दो कि कंजर फले में आर्य समाज का निशान न रहे। नाम खुद रफ़्ते-रफ़्ते मिट जावेगा—हमको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि इस मकान पर इस क़दर लागत आ चुकी है—लाअ़नत है आप पर अगर आप रुपये का ख़याल करके इस तजवीज़ पर अमल दरामद से पहलू तही करें—लानत है आप पर अगर सनातन धर्मियों की इतनी गालियां सुनने पर भी आप दम बख़ुद रहें और इस ईंट-लकड़ी की इमारत में बैठे रहें कि जिनकी वजे से आपकी नाक कट रही है। लानत है आप अगर आप जल्दी बहुत जल्दी काली जुमेरात से पहले-पहले इस मकान को हमेशा के लिए ख़ाली न कर दें। आप अगर पत्थर पूजक नहीं हैं और न ईंट-लकड़ी की पूजा करते हैं—बस आपका ज़रा तास्सुब या ख़याल नहीं होना चाहिए कि इस मकान में आर्यसमाज इतने वर्षों तक रहा है—अपने हाथ से कैसे इसे मिस्मार करें—आपको लकड़ी, ईंट, पत्थर से कोई काम नहीं अगर यह मकान न रहा तो और सही—और अगर आप लोग सच्ची आर्य सन्तान हैं तो आपको ईंट-पत्थर की परवाह करना होया अपने मुंह पर स्याही

मलना है—आपका ईश्वर निराकार तो समाज भी निराकार होना चाहिए—ग़र्ज़े कि तमाम दुनिया की लानत आप पर पड़ेगी—अगर आप आज से आगे एक दिन भी इस कंजर फले वाले समाज में आकर जमा हों—अगर आपने अगली होलियों से पहले-पहले इस मकान में आर्यसमाज की जगह शिवालय या ठाकुर-द्वारा न बना दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी बेशर्मी, नालायक़ी, ख़ुदग़र्ज़ी और बेइज़्ज़ती की कोई इन्तहा नहीं—और आप फिर समाज में मुंह देने लायक़ नहीं रहेंगे—इस वक़्त आपके निराकार ईश्वर और आपके स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज, महायोगी, महाब्राह्मण, महासंन्यासी, महाऋषि, महामुनि, महा-अचार्ज की रूह क़ैदख़ाने से निकलकर आपको देख रही है—यह आपके बड़े इम्तिहान का मौक़ा है। लाख जाये, साख न जाये—हां, समाजी वीरो, इस वक़्त मौक़ा है कि इम्तिहान में पूरे निकलो—सारा समाज और प्रतिनिधि का फ़ण्ड भी अगर खर्च हो जावे तो इस काम में कर दो लेकिन क़दम पीछे न हटाओ—अगर आपने इस तजवीज़ से मुंह मोड़ा तो मैं ख़याल करूंगा कि आप आर्यसमाज के लिए मूजिबे नंग हैं गोया आपने अपने कुल को, ख़ान्दान को, मां-बाप को, नाम को, अपने इस ख़ून और और वीर्य को जिससे आप पैदा हुए अपने शर्म हया को बट्टा लगाया और आप इस लायक़ नहीं रहे कि आपका कोई मुंह देखे—अगर ग़ैरत है तो उठो और अपने हाथ में फावड़ा लेकर इस मकान को गिरा दो या होली की आग में जला दो—और ज़मीन को चाहे सनातन धर्म सभा के हवाले कर दो या कोई शिवालय बना दो—और सनातन धर्मियों से इन्तक़ाम पूरा लो। अगर ऐसे दुश्मनों से आप इस तरह पर इन्तक़ाम नहीं ले सकते जैसा कि आपको बताया गया है या लेना नहीं चाहते तो मैं कहता हूं (टेबिल पर हाथ मार कर) ज़ोर से कहता हूं और (टेबिल पर दोहत्थड़ मार कर) बड़े ज़ोर के साथ कहता हूं कि फिर आप इन्सान नहीं हैं—हैवान भी नहीं हैं, क्योंकि हैवान में भी इन्तक़ाम का माद्दा है। मैं कहता हूं कि आप जड़ पत्थर हैं बल्कि जड़ पत्थर से भी बदतर हैं क्योंकि आप बजाय यह सूरत हासिल करने के अगर पत्थर होकर पैदा होते, ताहम नमक या मसालह पीसने के काम आते। अब तो वह फ़ायदा भी नहीं है। नाहक आपने अपनी माता को ९-१० महीने गर्भ में रहने की पीड़ा दी!!! इस फ़िक़रे पर आर्यसमाजी बहुत से वजूद में आ गये, जोश का दर्या था कि उमड़ा चला आता था। चेयर्ज़ पर चेयर्ज़ होते थे—हमारे रिपोर्टर साहब भी ऐसी हालत में न रह सके और बेअख़्तयार उठ बैठे, अभी यह नहीं मालूम हुआ कि यह रिज़योल्यूशन इत्तफ़ाक़ राय से पास हुआ या कसरत राय के साथ और इस पर अमल दरामद कब होगा—अर्र, ख़र्र, छर्र, कबीर नम्बर २।

आर्यसमाजियों में औरतों का पर्दा

औरत ज़ात में क़ुदरत ने बड़ी खूबी दी है जो मर्दों के लिए दिलचस्प है, औरत ज़ात की आवाज़ बारीक और शीरीं, इसका जिस्म कोमल-कोमल, उसके पैर छोटे-छोटे, नाज़ो-नखरा क़ुदरती हरेक हर्कत में एक खास अदा, जो मर्द में नहीं है। हिन्दुस्तान में थोड़े ज़माने से पर्दा जारी हो गया है, जब लोगों में दृष्टि ज़्यादा हो जावे तब औरतों का पर्दा अच्छा है। अब आर्यसमाज ने अपने पब्लिक सालाना जल्सों में इस पर्दे को हटाया है याने पहले स्त्री समाज अलहदा होते थे, लेकिन अब मर्दों के समाज जल्से में औरतें बेपर्द बैठाई जाती हैं और वाह-वाह क्या बहार होती है, हाज़रीन की तादाद में इससे बहुत तरक़्क़ी होगी। जिस तरह मिशनरी लोग वाअ़ज़खानों में खूबसूरत मेमों से बाजा बजवाते या गीत गवाते हैं, इसलिए कि रौनक़ बिला शुबह ज़ियादा होती है इस तरह शायद आर्यसमाज को भी रौनक़ बढ़ाने का खयाल हुआ है होली की तरंग में हम यह लिखते हैं कि शाबाश मर्दो, तुम्हारी इस कार्रवाई से मजमुए के अलावा रुपये की कमाई बहुत होगी—बशर्ते कि हमारे मशवरे पर चलो — मगर आप आइन्दा से अपनी औरतों को बहुत बन-ठन कर ऐसे जल्से के मौक़े पर बैठावें और उसका नाम, Exhibition of the Panjab Pardanashin beauty याने 'समाजी पर्देनशीन ज़नाना खूबसूरती की नुमाइश' रखें तो अगर आप टिकट भी लगा दें तो हज़ारों आदमी आपकी समाज में आवें, अगर आप अंग-रेज़ी अखबारों में इश्तहार दें तो बहुत से यूरोपियन भी फ़र्स्ट क्लास बल्कि रिज़र्व्ड क्लास टिकट ज़रूर खरीदकर आवें और अगर आप इन्तज़ाम के साथ यूरोप के अखबारों में चन्द माह पहले से इश्तहार दे दें तो बर्रेआज़म यूरोप से भी बहुत से लोग इस नुमाइश की यात्रा के लिए आवें। जैसे पेरिस की नुमाइश में बहुत से लोग जावेंगे। हमारे एक दोस्त आपके साथ कन्ट्रैक्ट करने को तैयार हैं अगर आप आइन्दा जल्से से चन्द माह पहले इनको मुतल्लअ़ कर दें कि किस-किस साहब की घरवाली कैसे-कैसे लिबास में शामिल होगी और कहां-कहां बैठेंगी और उनकी नशिसतों पर वह नम्बर लगा सकें के फलां नम्बर की नशिसत पर फलां बीवी और उसका वह इश्तहार जारी करने के मजाज़ हो तो दरसूरत पांच सौ मस्तूरात के जमअ होने के वह पांच दिन के लिए पांच हज़ार रुपये देने को तैयार होंगे—एक हज़ार औरतों के लिए दस हज़ार रुपये, गर्ज़ कि इसी हिसाब से कमोवेश समझ लो। हमारे दोस्त इस तजुर्बे पर तैयार हैं और वह लिखते हैं कि इससे चन्द साल में वह बहुत अमीर बन जावेंगे। आपकी औरतों से कोई मज़ाह-मत नहीं की जावेगी। क्या मजाल कोई हाथ लगा सके—अलबत्ता देखने का इख़्त्यार सब को होगा और पर्दा करना न होगा, लिहाज़ा फ़ेशन के अन्दाज़े से वह उनको बैठावेंगे। और पोशाकें भी वह तजवीज़ करके बतायेंगे कि किस

रंग पर क्या फ़बती है। लो पांच हज़ार सालाना खड़े करो, गुरुकुल चलाओ, या शिष्य कुल चलाओ, मुन्शी कुल चलाओ या मुसद्दी कुल चलाओ। अगर ज़रूरत हो तो हम निहायत खुशी के साथ उस दोस्त का पता देंगे जिसकी यह स्कीम है।

पौराणिक और दयानन्दी वैदिक मज़हब में फ़र्क़ नम्बर (1)

नाज़रीन, आज थोड़ा-सा हाल मावैन पौराणिक और दयानन्दी वैदिक मज़हब के आप साहवान के रूबरू पेश करता हूं और इस सदाक़त को ज़ाहिर करता हूं कि जो वेशर्म दयानन्दियों ने आम लोगों को पुराणों की अज़मत बिगाड़ कर और वेद को झंडे पर चढ़ाकर अपने दामे फ़रेब में फंसाया है—मगर वजाय उसके वह बक़ौल अपने सत्यार्थप्रकाश के वेदों की फ़ज़ीलत को मानते उन्होंने उसके बखिलाफ़ कार्रवाई शुरू की और सत्यार्थप्रकाश को असत्यार्थप्रकाश याने फ़ज़ूल और ग़लतगो किताब ज़ाहिर किया—जैसा कि नीचे दर्ज है—दयानन्द और उसके चेले-चांटे अंध गोर में पड़े हैं और इस तरह से वेदों की अज़मत को बट्टा लगाते हैं कि उनके कहने के मुताबिक़ तमाम हिन्दू पौराणिक हैं—बेशक हम कहते हैं कि हम पौराणिक हैं जिसके माने साफ़ यही निकलते हैं कि हम तमाम हिन्दू प्राचीन वक़्त से चले आये—हमारा मज़हब वेद हैं, हमारी तारीखें पुराण हैं—चूंकि हरेक मज़हब के वास्ते तारीख का होना ज़रूरी है कि फ़लां वक़्त हमारा कौन राजा था और उसका आचार कैसा था—पबलिक और रिआया से कैसा वर्त्तता था, उसका धर्म क्या था वग़ैरा-वग़ैरा—लिहाज़ा हम बड़े शौक़ से अपनी तवारीखों पर अमल दरामद करते रहे हैं और कर रहे हैं। हमारा मज़हब वैदिक याने वेदानुसार है मगर हमारी रसूमात तमाम पुरानी और प्राचीन हैं। हमारी तवारीखें, पुराण आदिक कहते हैं कि एक औरत के वास्ते सिर्फ़ एक खाविन्द जायज़ है और उसका धर्म है कि अपने सत पर क़ायम रहे और उसी को ईश्वर समान जाने। उसका शौहर नामर्द हो या किसी बीमारी के कारण हमेशा तंग हो, औरत का यह धर्म नहीं कि उसको त्याग करके किसी दूसरे बदमाश की बग़ल को गर्म करे—नाज़रीन, हमारा यह वैदिक रिलीजन (मज़हब) है, उसके साथ हमारी पुरानी रसूमात जो पुराणों से साबित होती हैं कि आज तक कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसकी औरत ने दूसरा खाविन्द किया हो या राजा की रिआया में किसी औरत ने यह कहा हो कि मैं अपने शौहर को नहीं चाहती हालांकि बरअक्स आर्यसमाज ढोल का पोल वैदिक मज़हब को इस तरह बदनाम करता है और अपनी मस्तूरात को मुफ़स्सिले ज़ैल अधरोपदेश करता है। जो इनकी मज़हबी दरोग़गो किताब सत्यार्थप्रकाश कहती है। औरत को पूरा अख्त्यार है कि यदि उसका खाविन्द औरत के

नाक़ाबिल हो वह फ़ौरन अपने पति को छोड़े और दूसरे, ग़ैर पुरुष से हमआग़ोश हो और जब तक हमल न ठहरे बेशक ग़ैरों को लुत्फ़ दे और अपनी ज़िन्दगी को लुत्फ़ और मज़े से गुज़ारे। वाह रे दयानन्दियो, यह तुम्हारा मज़हब (?) अगर औरत का ख़ाविन्द कहीं पढ़ने के वास्ते बाहर गया हो या किसी ख़ास काम के वास्ते बाहर जावे तो औरत को अख़्त्यार है कि चन्द साल तक अगर उसका ख़ाविन्द वापिस न आवे तो उस मर्द से जिसको वह पसन्द करे तमाम बदन को घी लगा कर उससे भोग करे और ख़ाविन्द के घर में आने से पहले एक बच्चा पैदा कर छोड़े ताकि ख़ाविन्द बिचारा इस तकलीफ़ से निजात पाये। ख़ूब! जो बात है ख़ुदा की क़सम लाजवाब है, नाज़रीन इस मज़मून को लिखते हुए मुझे फ़िकर पड़ गया है कि अब क्या होगा। जबकि डी० ए० वी० स्टूडेन्ट्स जो पढ़ने के वास्ते घरों से आये हैं या वह दयानन्दी जो नौकरी के वास्ते अपने वतनों को ख़ैर-बाद करते हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं और तीसरे जब गुरुकुल खुल जायगी तब तो और भी लुत्फ़ होगा—क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज़ियादा चालाक और होशियार होंगी, जिनके वास्ते हक़ीक़त में सत्यार्थप्रकाश असली या पांचवां वेद होगा। ख़ाविन्द औरतों की नाजायज़ सन्तान पैदा करने के वास्ते उन्हें कोसेंगे और घरों से बाहर निकालेंगे। उधर औरतें जाबजा अपने पांचवें सत्यार्थप्रकाश का हवाला देंगी कि देखो तुम लोग फ़ज़ूल हो, स्वामी साहब ऐसा फ़र्मा गये हैं—चे ख़ुश! उनके स्वामी साहब होंगे। अलावा इन समाजी लोगों को समझेंगी क्या? वह तैयार होंगी कि अदालत में जावें और अपने पांचवें वेद का हवाला दें। इसके बाद और लीजिए, पौराणिक मज़हब यानी तारीख़ हमको यह बताती है कि अगर किसी औरत का शौहर मर जावे तो उसको चाहिए उसके साथ सती हो जावे वरना अपने आप को मिसकीन हालत में रक्खे और वर्तों और फ़ाक़ों से अपने आपको मारे ताके उसकी कामना किसी और पुरुष की तरफ़ न हो और अपना सत खो बैठे बरअक्स इसके दयानन्दियों का वेद कहता है यदि किसी औरत का ख़ाविन्द मर जावे तो बजाय इसके कि वह अपने आपको उस पर कुर्बान कर दे उसको फ़ौरन किसी और ख़ाविन्द की तलाश करनी चाहिए हत्ताके औरत ग्या-रहवें ख़ाविन्द की धुन में रहे कि कब नये से नये दोस्त का मुंह देखूं जुज़ाक अल्लाह —क्या दिल को फ़रहत देने वाला यह फ़िक़रा समाजियों के वेद में दर्ज है।

जिल्द ५ नम्बर ७ बाबत १५ अप्रैल सन् १२०१ ई० (दस्तावेज़ डी० ६)।

नियोग

यह मसला ऐसा अहम है कि इसका निर्णय करना आर्यसमाजियों के वास्ते बहुत ही कठिन है और इस मसले की इन लोगों ने ऐसी मट्टी पलीद की है कि "ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल महौम्मद" भला कहाँ उनके गुरू घंटाल दयानन्द की

आज्ञा कि अय वीरो, तुम अपने कुल में नियोग जारी करो और कहां यह बेवकूफ़ लोग इस मामले को हल करने के बजाय विधवा विवाह रच रहे हैं जो हिन्दू मज़हब तो क्या इस्लामी और ईसाई मजहब में शाही खान्दानों में रायज नहीं है अगर बावर न हो किसी खान्दानी बेगम या लेडी शाही खान्दान का हवाला तहरीर करें—जिसको हम बसरोचश्म मंजूर करेंगे—मगर खैर, जब कि यह लोग इधर-उधर की मिट्टी किरेर कर अपने सिर में डालें तब तक हम चन्द एक नजीर शादी बेवगान के नाजायज़ होने में बतलाते हैं। अहल इस्लाम में आजकल रानी साहिबा भोपाल जो बेवा हैं—और एक अर्से से बेचारी बेवा हो गयी हैं—ताहाल दूसरी शादी से किनाराकश हैं—और ऐसा ही हाल तमाम आले और मौअज़्ज़िज़ खान्दानों का है – क्या हिन्दुस्तान, क्या ईरान, क्या रूस, क्या मिसर! दूसरी तरफ़ इङ्गलिश क़ौम को देखें कि हमारी राजराजेश्वरी मल्का महारानी जिनका इक़बाल भगवान दिन ब दिन बढ़ावे, एक चौथाई सदी से ज़्यादा अर्सा गुज़र चुका है कि बेवा हो गयीं मगर क्या मजाल कि कोई हरामज़ादा आपकी तरफ़ नज़र करता।

आपकी सोसाइटी में जिस क़दर औरतें हैं—जिनकी तादाद क़रीब सात सौ के है उनमें कोई भी ऐसी लेडी नहीं जिसने बेवापन की हालत में शादी की हो—आपकी सोसाइटी में क़रीब एक तिहाई के बेवा साहिबज़ादियां हैं और वह अपनी क़िस्मत को ऐसी तरह भोग रही हैं जैसे कि एक हिन्दू बेवा की हालत होती है।

हाल ही में जिसको अर्सा क़रीबन् दो साल का गुज़रा है कि एक लेडी ने शादी की और इस खबर के होने पर वह फ़ौरन दर्बार सोसाइटी से बर्तरफ़ की गई—हालांकि उसने एक लार्ड से शादी की थी और एक लार्ड ही की बेटी थी।

इसके बाद अब ईरान और मिसर को भी देखें कि वह बेगमें जिनके खान्दान फ़ौत हो गये कैसे ग़म व अन्दोह में उमर बसर कर रही हैं—हालांकि उनके वास्ते नये से नये, खूबसूरत से खूबसूरत, जवान से जवान और अमीर से अमीर शाहज़ादे तैयार हैं मगर वह ऐसी हरकत को आर समझती हैं और अपने सत्य को बट्टा नहीं लगातीं।

क्या इससे आर्यसमाजियों ने यह नतीजा अख़ज़ किया है के बेवगान की शादी की जावे? ऐसे खयाल पर अफ़सोस और धिक है।

चुनांचे श्री मनुजी महाराज और याज्ञवल्क्यजी यों फ़र्माते हैं कि "औरत के वास्ते नियोग जायज़ है" "चेयर्ज़" नाज़रीन इस क़दर इबारत को पढ़कर तो आर्यसमाजी चेयर्ज़ पर चेयर्ज़ देंगे—जबकि यह इस क़दर पढ़ेंगे कि वाह-वाह क्या खूब हुआ कि सनातन धर्म गजट ने इस क़दर इबारत शाया कर दी—लेकिन अय नालायको, ज़रा आगे भी चलो, देखो कि मनुजी और याज्ञवल्क्यजी क्या तहरीर

फ़र्माते हैं, "दुजन्मों याने ज़न्नार बन्दों या यों कहो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क़ौमों के लिए यह नाजायज़ है"—अफ़सोस, इस वक़्त इनके सिर पर मिट्टी और धूल पड़ेगी मगर फिर भी यह लोग आंख बन्द किये अंधे गधे की तरह चले जाते हैं—और बिल्कुल परवाह नहीं करते कि किस गड्ढे में गिर जायेंगे। मगर जब पीछे से एक सोटा चूतड़ों पर पड़ेगा तो फिर किसी क़दर सीधे हो जायेंगे—मगर बेशर्म को शर्म क्या—बक़ौल के किसी के चूतड़ पर दरख़्त उगा और उसने कहा, क्या परवाह है उसका मेवा खायेंगे—हालांकि यही वजह थी कि जब तमाम समाजियों ने भंगियों के साथ खाना शुरू कर दिया और हिन्दुओं में उनके साथ नाता वग़ैरा तर्क कर दिया। यह सोटा उनकी पीठ पर ऐसा पड़ा कि होश आ गई। मगर अक़्ल के अंधे कई एक लोग कुछ अर्से के बाद फिर इस जहालत में फंस गये और लगे गुरुकुल खोलने। हिन्दू-मुसलमानों-ईसाइयों से रल-मिल कर खाने का नतीजा क्या होगा—इसको पब्लिक ख़ुद ग़ौर करेगी।

ख़ैर, इस तरह से जब तक यह लोग अपने शास्त्रों की अच्छी तरह से खुद छानबीन न करेंगे उनका हाल उसी अन्धे गधे की तरह होगा। अब रहा यह कि आखिर मनुजी ने जो इनका नियोग कहा, यह किनके वास्ते है - आपके हुक्म से तो यही साबित होता है कि न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न ही वैश्य इस रस्म के अधिकारी हैं। अब रहे शूद्र लोग--सो इन लोगों के वास्ते यह रस्म बेशक वाजिब है--इस तरह से यह हाल भी ग़रीब और रज़ील दीगर क़ौम में भी है—अब रहा इनका शोर मचाना तो यह भी फ़ज़ूल है। अगर यह लोग नियोग कर लेते तो, ख़ैर इससे हमें मतलब ही क्या, हमें क्या कि इनकी औरतें घरों में अकेली क्या-क्या करती हैं—वे जाके बाज़ारों में दोस्तों की बग़लों को गर्म करें मगर विधवा विवाह का मसला तो उनके सत्यार्थप्रकाश में भी नहीं है—किसी ने सच कहा है कि इन लोगों को पहले अपनी आंखों के नाख़ून उतरवाने चाहिए। अफ़सोस है इन लोगों की हालत और लग़व बयानी पर जबकि यह लोग नियोग की ओट में छिपे हुए बेवगान की शादी करते हैं।।

ख़ालसा हिन्दू हुए चले जाते हैं

इस उनवान की सुर्ख़ी हमारी नज़र से मुन्शीरामी अख़बार से गुज़री हमें बड़ा सख़्त आश्चर्य है कि यह जालन्धरी समाजी लोग अब क्यों कोशिश कर रहे हैं कि जहां तहां से हिन्दू लोग उनकी मजलिस में शामिल हों—हालांकि उनका दर्वाज़ा मुसलमानों, ईसाइयों, भंगियों व दीगर तमाम मज़ाहब के वास्ते खुला है। उनको हर्गिज़ इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिन्दू ही इनके सोशल रिफ़ार्मर बनें—इनको हर्गिज़ इस बात का कभी भी पास नहीं करना चाहिए कि यह फ़िर्क़ा हिन्दुओं की जमायत बन जाय मगर हां अगर हिन्दू लोग इसमें शामिल

हो जावेंगे तो उनका भी यही हाल होगा—वक़ील के धोबी का कुत्ता घर का न घाट का है। किसी ने खूब कहा है, "न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।" अब जब कि यह लोग जानते हैं कि उनकी दुर्दशा हो रही है और अक्सर हिन्दू सोसाइटियां उनके हाथ का खाना ऐब समझती हैं लिहाज़ा इन लोगों ने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि हो न हो, किसी तरह से अब सिक्खों को ही शामिल कर लिया जावे। चुनांचे अब यह लोग गांवों-गांवों, देहात-देहात दर ब दर फिरने लगे हैं कि किसी तरह से जाट क़ौम इनके फन्दे में फंसे और यह भी अपने आप को ऊंची टांग करने वाला कहें मगर यहां बात ही कुछ और—अब यह लोग सिक्खों को अजीब-अजीब क़िस्म की नसीहतें करने लगे हैं—कि अय सिंहो, तुम सरासर हिन्दुओं की नक़ल करते हो—श्राद्ध करते हो, मूर्तिपूजा करते हो। तीर्थों पर जाते हो, तिहवारों में हिन्दुओं की नक़ल करते हो वग़ैरा-वग़ैरा।

अब भला अगर इन लोगों से कोई पूछे कि क्यों मियां, जबकि आपका दरवाज़ा हरेक क़ौम व मिल्लत के लिए खुला है तो इससे फ़ायदा ही क्या, हालांकि गुरुकुल के चल जाने से तमाम क़ौमों की खिचड़ी हो जावेगी और फिर आप खूब तरक़्क़ी और तरक़्क़ी भी इस क़िस्म की कि हाथ में ढोल लिए इधर-उधर फिरेंगे। अय नास्तिको, याद रक्खो, इससे तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं होगा। देखो! श्रीकृष्ण भगवान क्या नसीहत करते हैं, "मैं किसी को बहुरूपिया रूप में देखकर खुश नहीं हूं बल्कि मैं उस शख्स को ख्वाह वह किसी मज़हब में हो और मेरा भक्त हो उसी के मज़हब में हूंगा, मेरी तलाश में जो शख्स एक मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में जाता है, हे अर्जुन! मैं उसको पापी जानकर उसका ध्यान नहीं करता, चुनांचे इस बात की सदाक़त में बड़े-बड़े हवालेजात मौजूद हैं।"

एक दफ़ै का ज़िकर है जबकि श्रीराम जानकी, लक्ष्मण सहित चौदह वर्ष जंगल में गुज़ारने के लिए जाते थे—एक मुकाम पर उन्होंने भीलनी के बेर खाये और उसका उद्धार किया। चुनांचे फिर कृष्ण भगवान् कहते हैं, "हे अर्जुन चांडाल से चांडाल जो अपने सत्त में है और अपने इस मज़हब में जिसमें कि वह पैदा हुआ है मेरा आराधन करता है मैं उसको अपना स्वरूप जानता हूं।" मगर आजकल ज़माने का हेरफेर है। आजकल के दयानन्दी क्या इस भगवान् के ढूंढने के वास्ते कि वह एक आत्मा है और वही आत्मा सब में विराजमान है इसलिए उनको सब के साथ खाना खाना चाहिए—अफ़सोस है, अगर उनका यह सिद्धांत है तो बेहतर है कि वे लोग ब्रह्म समाज के साथ मिल जावें। मगर लुत्फ़ तो यह है कि अब ब्रह्म लोग भी उनको नापाक समझते हैं और न ही मुसलमान उनसे बर्तारा रखना चाहते हैं—लिहाज़ा यह लोग हिन्दूपन की ओट में बिचारे ग़रीब और हलीम सिक्खों को अपने दामे फ़रेब में फंसाने की कोशिश करते हैं मगर ताबके।

(डी ८) सनातन धर्म गज़ट बाबत ३० अप्रैल १९०० ई०

अज़ सफ़े १६

हमें इस इश्तहार की सुर्ख़ी देखकर निहायत अफ़सोस हुआ—और खयाल किया कि बीसवीं सदी की सिवीलीज़ेशन दयानन्दियों के वास्ते यही है कि अपनी क़ौम में एक दूसरे की बहू-बेटियों और अपने खाविन्दों की प्यारी औरतों को ज़लालत की निगाह से देखें, क्या यह डूब मरने से कम है ? हमारा एक प्रश्न इस दयानन्दी से है—जिसने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया—इसमें भी एक ग़रीब ब्राह्मण भोले कालूराम को ही आगे रक्खा कि अगर कोई मलामत का टोकरा फेंके तो इस चालबाज़ का नाम गुम रहे और बिचारा ब्राह्मण मारा जाये—हमारा जहां तक खयाल है ब्राह्मण बिचारे भोलेभाले इनके हथकंडों को क्या जानते हैं…………भाई आर्यसमाजियो, अब तो पौबारह है। आइन्दा से ज़रा ध्यान रखना कि तुम्हारी क़ौम में कितने मर्द हैं जो सन्तान पैदा करने के क़ाबिल नहीं, कितनी औरतें हैं जिनके खाविन्द उनको नहीं चाहते, कितने मर्द हैं जो अपनी औरतों से बेज़ार हैं— और कितने वह लोग हैं जो अपनी बहिनों और बहू-बेटियों को कहेंगे कि हां ग़ैरों की बग़लों को गरमावें………

अज़ सफ़े १७

दयानन्दी जवाब दें

नाज़रीन वाइज्ज़ो वक़ार पर पोशीदा न रहे कि यह कमतरीन एक अर्से से बवजूहात खास अश्हब तेज़ गाम क़लम को सफ़े क़र्त्तास पर जौलानी करने से रोक रहा था और तबियत वर्क़ कर्दार को मुख़ालफ़ीन के रख़ते बदचलनी और लखगोई के फूकने से वाज़ रख रहा था।

अज़ सफ़े १९

बख़िदमत जमीह मेम्बरान् आर्यसमाज मुमालिक मग़रिब व शिमाली वग़ैरा वग़ैरा

निवेदन कि मेहर्बानी करके सवालात मुन्दर्जे ज़ैल का जवाब बज़रिये अखबार सद्धर्म-प्रचारक जालन्धर मरहमत फ़र्माइये।

(१) किसी मुलाज़िम सरकारी का वज्दे मन्त्री आर्यसमाज होने के बिला इत्तला अपने अफ़सर के फर्ज़मनसबी के ग़ैरहाज़िर होना नमकहराम है या कि नहीं।

(२) किसी प्रधान आर्यसमाज का खिलाफ़ वजह फ़ितरी कार्रवाई करना किसी

समाज या गुरुकुल का असूल है या किसी तरह मीमशुदह वैदिक कोर्स का हुक्म है।

(३) व मूजिब तहरीर सत्यार्थप्रकाश आर्य की तारीफ़ का मुसदाक़ है—अशख़ास मज़कूरह बाला में या उनसे कोई और बढ़कर अगर है ही तो फ़हवुल मराह अगर है तो कौन।

(४) अपनी बदचलनी और नमकहरामी पर तवज्जह न करना और दूसरे शख़्स पर यही इल्ज़ाम लगाना मंत्री आर्यसमाज गढ़ी अबदुल्ला ख़ां का शेवा है और समाज इस कमाल से मुक़म्मिल है अगर और भी हैं तो जाये अफ़सोस है, अगर है तो क्यों नहीं उनके सिरसे दस्तारे फ़ज़ीलत उतारी जाती।

(राक़िम गनेशीलाल सेक्रेटरी सनातन धर्म सभा, गंगोह)

जिरह—जिल्द ५ नम्बर ५, मज़मून के लिए मुझ पर जुर्माना हुआ था—मैंने तमाम जुर्मों से इक़बाल किया था। अदालत का फ़ैसला सही था। मज़मून मौसूमा 'नियोग' जिल्द, ५ नम्बर ७ वाला मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैं नहीं जानता हूं किसने लिखा था, विशम्भरदास और बालमुकन्द मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं—शायद उनमें से किसी ने लिखा था—मैं ख़याल करता हूँ कि यह मेरी ग़ैर-हाज़िरी में तब्अ़ हुआ था—मैं अमूमन ऐसे मज़ामीन के मसविदह जात रखता हूं—नियोग हिन्दुओं के लिए जायज़ है सिवाय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जिनके लिए कि यह नाजायज़ है सफ़े ६ का मज़मून मेरा लिखा हुआ नहीं है। जिल्द ५, नम्बर ५ (दस्तावेज़ डी ५) 'होली के चुटकुले' वाला मज़मून मैंने लिखा था और सफ़े अलिफ़ से स्वाद तक मेरा लिखा हुआ है—सफ़े १ से २८ तक अखबार लिखा जा चुका था और चूंकि यह होली का दिन था, मैंने यह ख़ास रंगदार सफ़े पीछे से शामिल कर दिये—मैंने इसी क़िस्म के होली के चुटकुले जो कि तहज़ीब के पाये से गिरे हुए हैं—अवध पञ्च, सारसुधानिधि, कलकत्ता और बङ्गवासी में देखे हैं। पंजाब के किसी अख़बार में इस क़िस्म के रिमार्क्स देखने की मुझे याद नहीं हैं—शायद इस क़िस्म के हमले होली के ऐयाम में मित्रविलास में निकलते थे। इनमें कोई हर्ज नहीं है—मैं होली के ऐयाम में इनमें कोई हर्ज नहीं देखता। जब याद आया होलियों में ऐसे मज़ाक लिख दिये। यह लाज़मी मज़हबी फ़र्ज़ नहीं है कि होलियों में ऐसे मज़ाक छापे जावें। यह सनातन धर्म गज़ट बाबत ३० मार्च सन् १८९९ ई० है और होली का नम्बर है—(दस्तावेज़ डी १० मय तर्जुमा अंग्रेज़ी हर्फ़ डी ११)

आर्यसमाज के साथ होली

होली की तरङ्ग में यह मज़मून लिखा जा रहा है—आज हमारा जी चाहता है कि आर्यसमाज के साथ खूब होली खेलें, खूब धूल उड़ावें, दो सुनें चार सुनावें

इतने अर्से तक हम उनकी सुनते रहे, वह मौसम-बेमौसम की तान उड़ाते हैं। हम लोग बेमौसम कुछ न करेंगे..................आज हमारा इरादा है कि दयानन्द सरस्वती को गधे पर सवार करावें, हाथी, घोड़े, पालकी, पीनस, टमटम, फिटन, रेल, इंजन और तार पर बहुत दफ़े आप सवार हुए होंगे, मगर गधे की सवारी शायद न नसीब हुई हो—आखिर गधे की सवारी में हर्ज भी क्या है। मुल्तान में बराबर गधे की सवारी जारी थी—हजूर कैसरे हिन्द तक एक खूबसूरत खुशक़िस्मत सब सामान शाहाना से सजे हुए पर सवारी फ़र्माती हैं—सल्तनत रूम में भी गधा सवारी का एक निहायत नफ़ीस जानवर समझा जाता है। हजूर कैसरे हिन्द की सवारी के गधों को वह ग़िज़ाएं मिलती हैं और ऐसी असायश के साथ रक्खे जाते हैं कि दयानन्दियों को तो क्या उनके १०८ श्रीमान्‌जी को भी मयस्सर न हो सके और उनमें से एक-एक की खातिर इस क़दर खर्च होता है कि जिससे पचास दयानन्दी बाबू पल सकें या उससे ज़्यादा खरानन्द, कूकरानन्द, श्वानानन्द, उपान्तानन्द, भगनानन्द, बालकानन्द, अनाथानन्द, यतीमानन्द, तिमिरानन्द सरस्वती वग़ैरा स्वामियों का लश्कर पल सके और हिन्दू मिथोलोजी में गधा बड़ा उत्तम शरीर है, खास सीतला देवी जी का वाहन है। पस गधे पर सवार करना कोई दयानन्द सरस्वती के लिए तो हक़ीर नहीं है। बल्कि खास सीतला माई का दर्जा उनको दिया गया है और सच भी तो है, जिस तरह सीतलाजी के आने से बच्चों में हलचल पड़ती है—सरस्वतीजी के आने से कोई अंगरेज़ी की जूठन के पचासवें हिस्से की सूखी बोटी से मालामाल बाबू बच्चों में कोहराम मच गया। आज हम इस हराम को होली की अग्नि में जलाकर उसकी राख कर देंगे और वही धूल उड़ा कर अपने दयानन्दी सीतला से ग्रसे हुए भाइयों को इस माद्दह से पाक करेंगे और इसी चुटकी की धूनी उन्हें देकर उनसे भूत निकालेंगे। निकला तो वाह भला, न निकला तो उनकी क़िस्मत, हमारे दोनों हाथ लड्डू और पेड़ा हैं और उनके दोनों हाथ में..................चाहे हाथ में रक्खें या गले में लटकावें, अब गधे पर ऐसी दलायल से सवार कराया तो हार भी तो चाहिये। होली में लोग कह देंगे कि जूतियों का हार, मगर ना भाई, आजकल जूतियां बड़ी महंगी हैं। एक-एक अंगरेज़ी जोड़ा चार रुपये से पचास-पचास और सौ-सौ रुपये का पड़ेगा, इतना महंगा हार पहनाने की हमें हैसियत नहीं है, अगर कहो कि हिन्दुस्तानी जोड़ा सही, पहले तो छी-छी ! वह इस तहज़ीब के ज़माने में सजता नहीं है। ज़माना यह और ऐसा जूता तोबा-तोबा ! सड़ी हो, अंगरेज़ी जूते की इज़्ज़त दरबार में और फिर एक ऐसे मुअज़्ज़िज़ दरबारी से भी दरबारी मुअज़्ज़िज़ सवारी के लिए देसी जूते की तज्वीज़ महज़ वाहियात, फिर सादे से सादा देसी जूता भी तो जो आगे दस-बारह आने में पड़ता अब दो डेढ़ रुपये में पड़ेगा। वह भी क़ीमत ज़्यादा है और अगर कहो देसी न सही पुराने अंगरेज़ी सही क्योंकि अंगरेज़ी पुराना भी

अच्छा। स्याही बुर्श लगा लिया—देसी नये से भी। मगर उसमें भी यह मुश्किल है कि ज़्यादा सस्ते वह भी न मिलेंगे क्योंकि वह तमाम इकट्ठे करके एक क़िस्म की विलायती शराब के बनाने में काम आते हैं और खुमार में पड़ कर जब खिंचते हैं तो वह सरूर हासिल होता है कि उसका लुत्फ़ कोई साहब किसी शराबी दयानन्दी से पूछें, शराब पीना दरअसल दयानन्दी भाइयों के लिए कोई दोष नहीं क्योंकि फ़क़त 'स्वामीजी' के दस नियमों पर चलना उनका फ़र्ज़ है और उन नियमों में न शराब का कहीं ज़िकर है न मांस का, न और बहुत-सी ऐश की बातों का। बस जो चाहे उन नियमों पर चलता हुआ भी सब गुलछर्रे उड़ा सकता है और फिर कड़े से कड़े और सरगर्म से सरगर्म दयानन्दी का दयानन्दी बल्कि दयानन्द का भी बाबा दयानन्दी और दयानन्द की भी ग़लतियां निकालने और उनकी तहरीरों को इसलाह देने वाला दयानन्दी, आखिर दयानन्द भी इन्सान था वह ख़ुद कह रहा गया है कि जहां मेरी ग़लतियां मालूम हों उनको छोड़ दिया जावे या ग़लत करार दिया जावे। वह ख़ुद जानता था कि वेदों के ग़लत अर्थ कर रहा है, इसलिए उसको मालूम था कि जब इनके ही चेले-चांटों में से कोई थोड़ी-सी भी संस्कृत पढ़ लेगा तो उसे दयानन्द की ग़लतियां फौरन मालूम हो जावेंगी। वह अपने लिए ख़ुद यह क़ौल लिख गया कि ग़लतियों को छोड़ देना ताकि फिर भी इज़्ज़त बनी रहे, हां हम तो हार तज्वीज़ करने लगे थे यह किस बखेड़े में पड़ गये। साबित हो गया कि इस काम के लिए जूतियां बहुत महंगी हैं। होली में इतनी ज़्यादा फ़ज़ूलखर्ची भी जायज़ नहीं है। थोड़ी-बहुत हो जावे तो मुज़ायका नहीं, तफ़रीह है।

लोग कहेंगे, जूती को हार से निस्बत ? इसका जवाब साफ़ है कि आजकल वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा बाक़ी रही। नीच ज़ातें सर पर चढ़ रही हैं। ऊंच ज़ात को और खास कर ब्राह्मणों को नीचे गिरा रहे हैं। देखो हिन्दुओं में पहले अक्सर पांव नंगा रहा करता था, बहुत हुआ घास का मुख्तसर पापोश या खड़ाऊं, फिर जूता भी बना तो ऐसा कि जिसमें आधा पांव नंगा रहे। अब क्या हाल है नंगा पांव रहना बदतहज़ीबी में दाखिल है। हमेशा मोज़ों से ढका हुआ जूता गुर्गाबी से बढ़ते-बढ़ते घुटनों तक पहुंच गया। फिर चूतड़ों तक और उससे आगे छाती तक बहुत थोड़ा ही फ़ासला है, जहां पर हार लटकता है। इस हिसाब से क्या तअज्जुब कि बूट साहब कभी गले और सिर तक जा पहुंचें। कोट को देखिये, जो किसी ज़माने में चोगे की सूरत में पांव तक होता था, घटते-घटते कोट बना और वह कोट भी रानों के नीचे से घटता-घटता अब कमर तक आ पहुंचा है, और ज़ेर नाफ का हिस्सा फ़क़त पतलून के ज़ेर साया है। सर को देखिये, पहले दो-दो पगड़ियों और दुपट्टों से ढका रहता और सरदार बना होता था। एक पगड़ी गई, दूसरी पगड़ी गई। टोपी आई, वह भी हल्की होती-होती यहां तक

हुई कि बिल्कुल उड़ गई, सर नंगा हो गया। और यहीं तक नहीं बल्कि इस सिर पर चन्द बाल जो रोज़े पैदाइश से आज तक की निशानी थी वह भी चट हो गये और रुण्ड-मुण्ड बाबू टुण्डदास हो गये तो फिर दयानन्द सरस्वती को काहे का हार पहनावें, खोपड़ियों का हार, वह भी आजकल मेडिकल कालिजों की बदौलत बहुत महंगी हैं और तालिब इल्म को जब क़ीमतन ऐसी चीज़ें हासिल करने की हैसियत नहीं रहती तो वह उसे चुरा लिया करते हैं, पर आसान तरीक़ा यही है कि उनके बनाए हुए हत्यार्थप्रकाश के, जो उनके वैदिक प्रेस में कई बार छपा है और दीगर उनकी तसनीफ़ात के बचे-बचाए प्रूफ़ और कम-ज़्यादे वर्क़ जो दफ़्तरी के पास बच जाते हैं वह तमाम ग़ैरज़रूरी काग़ज़ात लेकर उनपर कसूंभे का रंग देकर उनको तागे में पिरो कर उनके गले में डाल दिया जावे। हमख़ुर्माव ! हमसबाब !! मगर पहले उन काग़ज़ों को भिगो कर कूट डालो और फिर गोल-गोल अंडे की तरह बना लो और हार की तरह पिरो लो। कोई-कोई कहते हैं कि गधे पर सवार करके मुंह भी काला कर देना चाहिये, लेकिन वह उनकी अपनी करतूत है जो मुंह काला करेगी। हमारी कोशिश की ज़रूरत नहीं है और दूसरे यह भी है कि हमने दयानन्द सरस्वतीजी को सवार कराकर विलायत की हवा खिलानी है और विलायतों में फिराना है इस खयाल से उनका मुंह ऐसा गोरा भी न था कि उसे रंग चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। यूरोपियन या विलायती रंगत के सामने वह आख़िर एक काला आदमी था।

इस सवारी में ऐसा सरकर्दह कोई नहीं है जो खास "दूल्हे का सिरवाला हो" या नाटक की नायिका हो, या अफ़सर की दुम और चेलों में प्रधान चेला हो। सब अपनी-अपनी जगह प्रधान हैं, लेकिन ताहम इसके साथ झांझ, ढप, तबला, थाप, मृदंग, सितार, सारंगी, खंजरी, घंटा, घड़ियाल खड़काने और खास कीर्तन करने वालों में एक भीमसेनजी हैं। न मालूम यह भीमसेनजी कितने बड़े भीमसेन हैं, कितना खाते हैं, कितना शिकार करते हैं, और उनके बड़े भाई युधिष्ठिर और छोटे भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव कौन और कहां हैं, जैसे भीमसेन वैसे ही बाक़ी के भी चार होंगे। फिर लाला लोग हैं। ला० मुन्शीराम, ला० हंसराज, ला० लाजपतराय, ला० देवराज वग़ैरा, वग़ैरा मगर हरएक सुर हरएक से अलहदा निकलता है क्योंकि जैसी सवारी है वैसा ही साज़-सामान है।

अब इस सवारी के गीत दो-चार सुन लो और बस बाक़ी अगली होलियों तक इन गीतों के सुनने से मालूम हो जावेगा कि जो सवारी हमने आर्यसमाज के गुरु घंटाल के लिए तजवीज़ की है, ऐन, ग़ैन, फ़े, काफ़ मुनासिब और वाजिब है। एक तो आर्य गुरु ने लिखा है कि जो ख़ुद औलाद पैदा करने की ताक़त न रखता हो या बीमार हो वह अपनी औरत से कह दे कि वह दूसरे किसी से जाकर बज़रिये नियोग लड़का पैदा कर ले !!! यह बहुत अच्छी तरकीब है कि किसी

तरह खान्दान का नाम रह जावे, डूब न जावे। अपनी औरत दूसरे के पास भेज देने से तो खान्दान का नाम न डूबेगा। यह तो ज़ाहिर है क्योंकि दयानन्दी मॉरल कोड एक नया निकला है। इसी तरह किसी का ख़ाविन्द परदेश गया, उसकी औरत भी पीछे बेकार न बैठी रहे, कुछ न कुछ खेती कराती रहे, यानी ख़ाविन्द की ग़ैरहाज़िरी में किसी और पुरुष से नियोग करके लड़का-बाला पैदा कर रक्खे, ख़ाविन्द साहब परदेश में एक कमाई करें तो जोरू साहबा भी घर में दूसरी कमाई कर रक्खें, ख़ाविन्द ५ साल बाद में आवें तो अपनी बीवी साहबा की गोद में दो-चार बच्चे खेलते हुए देखें। किस क़दर खुशी उनको होगी कि बिला मेहनत किये हुए ही दो-चार बच्चों के बाबा बन गये। मगर वह बच्चे अपनी मां के इस ख़ाविन्द साहब को अपना बाबा समझेंगे या कि उस हज़रत को जो नियोग के चक्कर में लाकर उनकी वालिदा के साथ एकान्त सेवन करता रहा? बिचारे नियोग करने वाले को तो काहे को मोहब्बत इन बच्चों से होगी। उसके साथ तो वही मामला होगा जैसे पंजाबी में कहावत है कि—'सट कड्डी फ़क़ीर बिस्तरे!!'

फिर दयानन्द महात्मा लिखते हैं के जब असली ख़ाविन्द परदेश से आ जावे तो जो नियुक्त ख़ाविन्द है—यानी जो ग़ैरहाज़िरी असली ख़ाविन्द में क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द रह कर बच्चे पैदा करता रहा वह छूट जावे! अगर बिचारा किराये का टट्टू होगा तो छूट जाना तअज्जुब नहीं, बक़ौल कि—'क़हर दरवेश बर जान दरवेश,' लेकिन अगर ऐसा न हुआ यानी किराये की उसे परवाह न हुई और औरत की उसी क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द से मोहब्बत हो गई, जिसकी बदौलत बच्चे पैदा हो गये हैं और उस क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द की भी सच्ची लगन इस बीवी साहबा से हो गई और बीच में आ कूदे असली ख़ाविन्द साहब, जिनको बच्चे पैदा करने से अभी तक कोई वास्ता नहीं था, दाल-भात में मूसलचंद की तरह, तो क्या होगा? बिचारा क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द एक जगह सिर पटकता मरेगा और बीवी साहबा उसके फ़िराक़ में अलग क़हर मचायेंगी, दोनों की जिन्दगी दूभर हो जायेगी। ऐसी सूरत में बेहतर होगा कि असल और क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द की आपस में बारी मुक़र्रर हो जावे। पन्द्रह दिन एक और पन्द्रह दिन दूसरा, या एक दिन एक और दूसरे दिन दूसरा। इस तरह दोनों खुश रहेंगे।

यह तो हुआ परदेश गये हुए ख़ाविन्द के मुतल्लिक़, लेकिन जिसका ख़ाविन्द घर में ही हो लेकिन बच्चा पैदा करने के नाक़ाबिल हो और उसकी औरत कोई क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द बना ले और बच्चा पैदा किया करे तो वह क़ायम मुक़ाम ख़ाविन्द तो हमेशा के लिए ऐक्टिंग ख़ाविन्द हो जावेगा। उसको भला औरत कब छोड़ने लगी है, जबकि उसका अपना असली ख़ाविन्द मिट्टी का मियां या बोदू-

मियां है, असली खाविन्द साहब इस सूरत में क्या खिदमत किया करेगा। कमा-धमा कर जोरू को दिया करेगा कि ऐक्टिंग खाविन्द को खिलावे-पिलावे और उससे बच्चे जन कर खान्दान के नाम को क़ायम और रोशन रखने में कोशां हो। असली खाविन्द एक अलहदा कमरे में अकेले पड़े हुए घंटे गिना करेंगे और ऐक्टिंग खाविन्द साहब उनकी जोरू को साथ लिये दूसरे कमरे में सन्तान उत्पत्ति का जतन करेंगे—क्या आनन्द आता रहेगा असली खाविन्द साहब को कि मेहनत कुछ न करनी पड़ी और बच्चों की खेप तैयार होती रही! इस ऐक्टिंग खाविन्द के साथ मियाद तअ़ल्लुक़ की कोई क़ैद नहीं, क्योंकि इस तरह दस लड़के और एक लड़की तक पैदा करने की दयानन्दी कोड में इजाज़त है। अगर लड़कियां दो-चार हो गईं तो वह गिनती में न गिनी जावेंगी, एक ही हिसाब में मुजरा होंगी, लड़के दस तक बेशक हों। फिर दयानन्द महात्मा ने लिखा है कि नियोग हमेशा अपने से आला ज़ात के मर्द के साथ कराना चाहिए यानी वीर्य उत्तम लेना चाहिए। आपने जात-पांत की क़ैद का खंडन करते हुए भी यह लिखा है कि ब्राह्मणों के साथ औरत का नियोग कराना सबसे उत्तम है क्योंकि उसका वीर्य सबमें आला है। इससे उतर कर क्षत्रिय, वैश्य वग़ैरा। अब कोई आर्यसमाजियों से पूछे कि एक तरफ़ से तो तुम ब्राह्मण को हलवा, पूरी, खीर, लड्डू, पेड़ा बंद करने के दरपै हो और खुद तुम लोग ब्राह्मणों में भी महाब्राह्मण बन कर सब दान लेने के लिए ठीकरा खोले खड़े हो। दूसरी तरफ़ से मानते हो कि ब्राह्मण का वीर्य नियोग के लिए सबसे उत्तम है—जब ब्राह्मणों को खीर, पूरी, लड्डू, पेड़ा ही न मिला तो वह बिचारे नियोग किस तरह करेंगे और आपके घरों में उत्तम सन्तान किस तरह पैदा करेंगे? पस मुनासिब है कि अपनी कुल-रक्षा के लिए आइन्दा ब्राह्मणों को खूब मुक़व्वी ग़िज़ायें खिलाकर उनके वीर्य को पुष्ट करो ताकि इसका नतीजा तुम्हारे लिए भी उमदा निकले, यह भला कैसी बात है कि इधर से ब्राह्मणों को खाने को न देना और उधर से उनसे नियोग कराने की उम्मेद रखना, या एक क़ौल पर हरताल फेरो या दूसरे पर।

एक और बात लिखकर हम होली के मज़मून को बंद करते हैं, बहुत हो चुकी। दयानन्द सरस्वती ने लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण परमात्मा के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से; यह बिल्कुल ग़लत है क्योंकि जिस अंग से जो पैदा होगा उसी अंग के-सा आकार यानी सूरत उसकी होगी। जो आदमी सिर से पैदा होगा वह गोल-मोल शलजम की तरह होगा, जो भुजाओं से पैदा होगा वह बाज़ू की तरह लम्ब-खम्ब होगा, रानों से पैदा होने वाले की सूरत टांगों की तरह होगी और पैर से पैदा होने वाला पैर की सूरत में मेंढक की तरह टापा करेगा। अगर यह दलील सच है कि जिस अंग से जो पैदा हो उसी अंग की-सी सूरत होगी तो अय दयानन्दी भाइयो, ज़रा

अपनी तरफ़ ख़याल करके देखो और ईमान से बताओ कि तुम्हारी पैदाइश किस अंग से हुई है और उस अंग के साथ तुम्हारी सूरत किस क़दर मुशाबे है !!! ज़्यादा अब और न खुलवाइए—बाक़ी अगली होली पर देखेंगे।

सनातन धर्म गज़ट बाबत ३१ मार्च सन् १८९९ ई०

सफ़े ३२ व ३३

दयानन्दी अख़बार आर्यावर्त्त का चटखना

जनाब एडीटर साहब सनातन धर्म गज़ट !

आपने १५ फ़र्वरी के रिसाले में जो स्वामी दयानन्द सरस्वती के असली ख़यालात का फ़ोटो लिखा है उससे दयानन्दियों में हलचल पड़ गई और बहुत से समझदार दयानन्दी अब फिर फ़िकर में पड़ गये हैं कि क्या किया जावे। जो कुछ सनातन धर्म गज़ट में छपा है उसमें सदाक़त का असर ख़ास तौर पर महसूस हो रहा है। आर्यावर्त्त अख़बार ने ११ मार्च के पर्चे में बहुत कुछ सरासीमगी दिखाई है और इस बात के समझने में उसने सिर पटका है कि हिन्दू धर्म क्या है, उसको तमाम परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है। मैं इसकी हैरानगी दूर करना चाहता हूं और यह कहता हूं कि अय दोस्त, सनातन धर्म के मसायल का समझना और ठीक-ठीक समझना आप जैसे चंचल और चंचल-बुद्धि लोगों का काम नहीं है, तुम लोग खुद अपने ही यहां फ़क़त मांस और घास का ही फ़ैसला नहीं कर सके और न अभी तक तुम को ठीक-ठीक यह पता लगेगा कि स्वामी दयानन्द गोश्त खाने की तरदीद कर गये या ताईद, फिर तुम लोग सनातन धर्म के मुख़्तलिफ़ मसायल को क्या समझोगे ! अगर भगवान ही की कृपा तुम पर कभी होगी या शुद्ध चित्त से अपनी गुज़िश्ता कार्रवाइयों का पश्चाताप करके किसी महात्मा की चरण-सेवा करोगे तो शायद कुछ हासिल कर सकोगे, वर्ना शक में ही उमर तमाम हो जावेगी। एडीटर आर्यावर्त्त जी अपने इस मज़मून में एडीटर सनातन धर्म गज़ट को मुख़ातिब करके लिखते हैं कि आपका मन पश्चाताप करता होगा कि क्या करें, अब इस मार्ग को पकड़ लिया, बुढ़ापे में मार्ग परिवर्तन करना ठीक नहीं वग़ैरा-वग़ैरा। मैं आर्यावर्त्त जी को यक़ीन दिलाता हूं कि सनातन धर्म गज़ट के एडीटर अभी बूढ़े नहीं हैं। अभी नौजवान वीर हैं, अगर वह दयानन्दी होते तो आपमें से बहुत सी औरतों को जिनके पति परदेश में हैं या जो खुद सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखते, इन औरतों को स्वामी दयानन्द साहब के मसले की पैरवी में नियोग द्वारा उत्तम सन्तान उत्पन्न करके देते और आपमें से बहुत से

कुल बेचिराग़ हो जाने से इसकी बदौलत बच जाते, मगर आपकी बदक़िस्मती है कि ऐसा सुन्दर कुलीन और जवान पुरुष दयानन्दी नहीं है ! !

—राक़िम आर्यों का एक दोस्त

(बवजह अयाम होली के हमने यह तहरीर शाया कर दी है। लेकिन हम अपने दोस्त नामेनिगार साहब से जो आर्यों के दोस्त हैं इल्तमास करते हैं कि ऐसी फ़बतियों से हमें आइन्दे के लिए मुआफ़ रक्खें। कहीं हमारी जवानी को दयानन्दियों की नज़र बद न लग जावे, जो आगे ही हमसे बहुत चिढ़े हुए हैं। वह चाहे हमें बूढ़ा ही कह दें तो हमारा क्या हर्ज है, हमें बूढ़ा समझ कर वह और कुछ नहीं तो हमें बाबा-बाबा तो पुकारेंगे, यही हमारे लिए ग़नीमत है।)

—एडीटर

होली की तक़रीब पर मुख़ालिफ़ हमलों का जवाब किसी क़दर आज़ादी के साथ देने का मौक़ा लिया गया है। मज़मून 'आर्यसमाज के साथ होली' मेरा लिखा हुआ है। इसमें दयानन्द सरस्वती की निस्बत ज़िकर है। ला० मुंशीराम जिसकी तरफ़ इशारा है यही मुल्ज़िम हाज़िर अदालत है, हंसराज, लाजपतराय और देवराज जिनका इसमें ज़िकर है सब आर्यसमाजी हैं। मैंने Jollywords (ज़िन्दह-दिली के अल्फ़ाज़) इस्तेमाल किये हैं। यह वाजिब तशरीह है और आर्यों की अपनी किताबों में से ली गई है, मैंने महज़ आर्यों के क़वायद के नतीजे को बतौर तशरीह लिख दिया है। मैं चारों वेदों को इलहामी किताबें मानता हूं, मैंने उनको काफ़ी तौर पर नहीं पढ़ा कि यह बतला सकूं कि लफ़्ज़ 'नियोग' उनमें आया है या नहीं, मैंने चन्द सफ़े पढ़े हैं। वे ज़ख़ीम किताबें हैं और उनका समझना मुश्किल है। अलावा इन दोनों सन् १८९९ ई० और सन् १९०० ई० के होली के पर्चों के लिए मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इस क़िस्म के होली के मज़ामीन किसी अख़बार में लिखे हैं या नहीं। यह सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ जनवरी सन् १९०० ई०, जिल्द ६, नम्बर १ है (दस्तावेज़ डी १२ और तर्जुमा अंगरेज़ी डी १३)।

अज़ सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ जनवरी सन् १९०१ ई०

अज़ सफ़े २

हमारा मुक़द्दमा

उस सच्चिदानन्द स्वरूप, घट-घट में व्यापक, भक्त हितकारी, असुर संहारी

परमात्मा ज्योतिस्वरूप का त्रिभुवन-व्यापिनी, नाना रूप-धारिणी, दुष्ट-संहारिणी, महामाया जगत् ईश्वरी, शक्ति, भवानी का कोटानुकोट धन्यवाद है कि जिनकी कृपा से हमको एक बड़ी भारी अकस्मात् आई हुई आफ़त से एक बड़ा भारी और संजीदा सबक़ मिलकर छुटकारा हासिल हुआ। हम अपने बहुत से मेहर्बान दोस्तों और बुजुर्गों और हितकारियों का कहां तक शुक्रिया अदा करें और किन अल्फ़ाज़ में अपनी ममनूनी का इज़हार करें कि जो शबो-रोज़ हमारे लिए मंगल प्रार्थना करते थे और अपनी-अपनी जगह पर हमारे लिए नाना प्रकार की आराधनाओं में हमातन मशगूल थे और ख़ुद हमसे ज़्यादा उनको फ़िक्र थी। उनको भी बेशुमार मुबारिकबाद है कि उनकी प्रार्थनाएं सुफ़ल हुईं और हम आली जनाब मिस्टर हेरिस साहब बहादुर के रहम मुज़स्सिम इन्साफ़ और गवर्नमेंट आलिया की इनायत और खास मेहर्बानी से एक सख़्त सजा से बच गये जिसकी तशवीश हमें और हमारे बेशुमार मुकर्रमों को परेशान कर रही थी, गवर्नमेंट आलिया की यह थोड़ी इनायत नहीं है कि उसने अपील की सुनवाई के मौक़े पर भी सरकारी वकील को वही हिदायात पेश होने का ईमां फ़र्माया कि वह सजाये क़ैद को मन्सूख़ कराने में इमदाद करे। इससे ज़्यादा शफ़क़त और रहम का सलूक और क्या हो सकता है जिसके लिए जिस क़दर शुक्रगुज़ारी का इज़हार किया जावे कम है। इस अहसान को हम जल्द फ़रामोश नहीं कर सकते और परमात्मा से सदक़ दिल से प्रार्थना करते हैं कि हम आइन्दा से गवर्नमेंट आलिया की ख़ुशनूदी हासिल करने में कामयाब हों और मज़ीद की इनायात खुशरूवाना के ख़ुद को क़ाबिल बना सकें, गो इस मुक़द्दमे में हमें बेहद माली नुक़सान उठाना पड़ा और जिस्मानी तकलीफ़ और तशवीश की कोई इन्तहा न थी, लेकिन विधाता का लेख अटल समझ कर सिवाय सबर के कोई चारा नहीं और प्रबल भावी पर शाकिर रहने में यही भलाई है इसी पर तकिया करके हम उम्मेद करते हैं कि जिस तरह हमने नुक़सान और तकलीफ़ उठाई उसी तरह फ़ायदा और सुख उठाने का भी कोई दिन तो होगा। क्या अजब कि उसी परमात्मा की अपार दया से हमारे नुक़सानात और तकलीफ़ात का नौमुल बदल जल्द हमें हासिल हो। वही है जिसमें यह ताक़त है कि पल में करे निहाल!!!

अज़ सफ़े २

हमारे अज़ीज़ सबसे छोटे भाई बरख़ुर्दार पं० प्राणकिशन जी की शादी खाने आबादी १५ फर्वरी को क़रार पाई है। यह शादी लाहौर में ही होगी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसकी अपार कृपा और अपने मेहर्बान दोस्तों की इमदाद और आशीर्वाद से हम इस मुक़द्दस फ़र्ज़ को बवजह अहसान और निर्विघ्न तौर पर पूरा करने में समर्थ हों। मुक़द्दमे की तकलीफ़ के बाद यह शादी हमारे

लिए ख़ुशी पर ख़ुशी है और उम्मेद है कि इसी तरह हमारे मेहर्बान नाज़रीन के लिए भी होगी जो ज़रूर इसी ख़ुशी में शामिल होकर हरेक तरह की इमदाद से हमारी और अपनी ख़ुशी को दुवाला फ़र्मावेंगे। हमारी लाज परमात्मा के हाथ है, वही इसी मौक़े पर भी किसी न किसी रूप में ज़रूर सहायता करेंगे।

अज़ सफ़े ६ और ७

ला० मुन्शीराम साहब ने या जो कोई प्रचारक के मज़मून का राक़िम है उसने अपनी तमाम लियाक़त, मालूमात और इबारत आराई और डिक्शनरी का इल्म जितना कुछ था वह इस फ़िक़रे में ज़ाहिर कर दिया है, उन्होंने मालूम होता है कि तमाम डिक्शनरियां छांट कर बदी के लिए जो-जो अल्फ़ाज़ हैं वह सब इकट्ठे करने में अपना तमाम दिमाग़ सर्फ़ कर दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा बुराइयां और किसी डिक्शनरी या लुग़ात या कोश में क्या हो सकती हैं, जो बड़ी इन्कसार सूरत लिये हुए श्रीमान् महात्मा जिज्ञासु मुन्शीराम जी महाराज के अख़बार में इस पिरोई हुई लड़ी में दर्ज हैं जो किसी एक जीव का घात महापाप समझते हैं और ऐसे मांस खाने को भी बड़ा पाप ख़याल करते हैं, कि इससे जीवहत्या होती है !! लेकिन वह नहीं जानते के अपने मुन्दर्जे बाला अल्फ़ाज़ से उन्होंने न फ़क़त पशुहत्या या जीवहत्या की है बल्कि महाघोर, लाखों ब्रह्महत्याएं कर डालीं और करोड़ों जीवों की हत्या कर डाली, शास्त्र में फ़क़त जान से मार देने का नाम ही हत्या नहीं है बल्कि उसको और भी घोर हत्या कहा गया है कि जो वाणी द्वारा की जावे। यानी किसी का अनादर करके या अपने दुर्वचनों से उसके आत्मा को कष्ट या हत्या मामूली जीवहत्या से,............हमारे ख़याल में तो वह आदमी जो भूख को रफ़ा करने के लिए या मान लो कि शौक़ के लिए, या यह भी मान लो कि मरने के लिए, या पुष्टि के लिए, या किसी ग़रज़ से भी तीतर, बटेर, जंगली मुर्ग़, बकरा, हिरन, छाग, मुर्ग़ाबी, मछली वग़ैरा जल-जन्तु जो विदित हैं, उनका मांस खाता है और इसके लिए इन जीवों का वध भी होता है, बल्कि मान लो कि ख़ुद वह अपने हाथ से इन जीवों का शिकार या वध करता है और स्वाद चखता है, वह उस शख़्स से हज़ार दर्जे कम गुनहगार है, जो अपने दुर्वचन और पापी, अपवित्र शब्दों से किसी मनुष्य की महानिन्दा करके उसके आत्मा को कलपाता और कष्ट देता है, यह जीव-वध से बहुत दर्जे ज़्यादा पाप है। ख़सूसन् जबकि हज़ारों-लाखों आत्माओं को महाघोर दुःख दिया जावे जो मुन्दर्जे बाला अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर है यह ब्रह्महत्या ज़रूर उनको चिमटेगी, इस लोक में नहीं तो परलोक में, अगर शास्त्र सच है और बक़ौल घास पार्टी के अगर किसी इस पार्टी के आर्य को तीतर, बटेर मारने और गोश्त खाने के लिए परलोक में जीवहत्या के पाप का भागी होना पड़ेगा, इससे कई दर्जे ज़्यादा इस वचन से ब्रह्महत्या का पाप

उनको चिमटेगा क्योंकि हत्या भी कई तरह की हैं, दूसरा यह भी पाप है जिन्होंने मांस खाया इससे जीव-वध हुआ, उनको मज़ा तो आया, पेट तो भरा, और आम मसल है कि मीठे के लालच से झूठन खाई ! लेकिन यह ज़बान द्वारा जो हज़ारों-लाखों ब्रह्मघात ला० मुंशीरामजी के अखबार में हुए हैं इसमें क्या मज़ा आया ? फिर जो बिला ज़रूरत, बेफ़ायदा ही पाप किया जावे ? यानी एक आसूदा आदमी दूसरे की गर्दन घोंट उसका माल लूट ले ? उसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा होती है, बनिस्बत उस पाप के जो किसी खास ज़रूरत से किया जावे, मसलन् भूख से लाचारी की हालत में ग़ल्ला लूट लेना। अगर अमूमन् मज़ामीन में 'ओ३म् शम्' लिखने वाले ला० मुन्शीरामजी, जो प्लीडर भी हैं, इस हमारे असूल को देखेंगे तो बहुत सही पायेंगे कि आपकी ऐसी घास पार्टी से मांस खाने वाला बहुत अच्छा है जो पाव भर मांस से अपना पेट भर लेता है, बजाये इसके जो लाखों जीवहत्या ज़बान से करे और उस के मुंह में एक लुक़्मा भी न जावे.........।

सफ़े ८

अगर गवर्नमेंट आलिया के मशीरान ऐसे अल्फ़ाज़ के लिए बाज़पुर्स नहीं करते तो हमें मुफ़स्सिल हिदायात मिल जानी चाहिए कि इश्तआलबख्श क्या होता है ताकि हम उसी हद्द के अन्दर-अन्दर रहें जो इश्तआलबख्श में न आवे......

सफ़े १५ व १६

हिन्दू तुख़्म से पैदा होकर जिस शख्स ने पञ्चगव्य का माहात्म्य नहीं जाना उससे ज़ियादा बदक़िस्मत और घोर पापी और कौन पैदा होगा ! हिन्दू वीर्य से उत्पन्न होकर जो गोमूत्र को पेशाब समझता है, जो गोमूत्र की महिमा नहीं जानता उसने हमारे खयाल से अपने हिन्दू कुल को कलंक लगा दिया और बजाय कुलतारक होने के वह कुलंगार पैदा हुआ। अगर धर्म और श्रद्धा का तुख़्मा भी दिल में बाक़ी नहीं है ताहम किसी चतुर और लायक़ वैद्यजी महाराज से गोमूत्र के फ़वायद दर्याफ़्त किए होते, और गोबर की हक़ीक़त मालूम की होती, हम और हमारे बुज़ुर्ग बेशक (पञ्चगव्य) पीते हैं और बड़ी भावना से पीते हैं अगर यह बक़ौल तुम्हारे पेशाब और गोबर हड़प करने के बराबर है तो अय कुल को लांछन लगाने वाले तहरीर हाज़ा के राइटर महाशय, अगर तुम हिन्दू कुल में पैदा हुए हो तो याद रक्खो कि तुम्हारे बुज़ुर्गान पुश्तहापुश्त तक इसी पेशाब और गोबर को मुद्दतों से बराबर हड़प करते रहे और उनकी नस-नस और खून और गोश्त और पोस्त और इस्तख्वान में इसी पेशाब और गोबर का दायमी और मुस्तक़िल असर मौजूद है और इसी असर से तुम भी पैदा हुए हो, लिहाज़ा तुम्हारा

इस क़िस्म के नफ़रतअंगेज़ अल्फ़ाज़ में बयान करना ज़ेब नहीं देता, अगर कोई मुसलमान या ईसाई की पैदाइश का शख्स ऐसा कहता तो क़ाबिले माफ़ी था, लेकिन तुम हर्गिज़ नहीं। तुम्हारे मां-बाप, दादा, दादी, परदादा, परदादी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, लकड़दादा, लकड़दादी, वग़ैरा-वग़ैरा तमाम की पैदाइश पर, जनेऊ पर, शादी पर, मौत पर, ग़र्ज़ कि बहुत से मौक़ों पर इसी पेशाब और गोबर से सम्मिलित (पञ्चगव्य) जरूर पान किया होगा, "उन्हीं पेशाब, और गोबर हड़प करने वालों" की नसल में पैदा होकर तुम्हारा यह मुंह कहां है कि यह कह सको, अगर हम पौराणिक बुतपरस्त गाय को पकीज़ा और मुक़द्दस जानवर ख़याल करते हैं तो याद रक्खो कि तुम भी उन्हीं की औलाद हो जो ऐसा करते थे, हम गोया तुम्हारे बुज़ुर्गों के धर्म ही का पालन कर रहे हैं इसलिए तुम्हारे लिए जाये ताज़ीम हैं, क्या तुम या तुम्हारे 'पौराणिक बुतपरस्त' वाल्दैन और बुज़ुर्गान गाय को पाकीज़ा और मुक़द्दस जानवर नहीं ख़याल करते थे! फिर हम पर इसका ताअना क्या ? जो ताअना हम पर है पहले अपने आबाओ इज़दाद पर दीजिए और साबित कीजिये कि वह तमाम जहालत मुजस्सिम और वैदिक ज्ञान से हीन थे, फिर हम अन्दाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे आबाओ इज़दाद के ख़ान्दान में आप ऐसे लायक़ और वैदिक रोशनी से एकदम मुनव्वर किस तरह पैदा हो गए ! बेशक परमेश्वर-परमात्मा सर्वव्यापी सच्चिदानन्द है, बेशक वह हरेक जगह मौजूद है, आपको अख्तियार है कि जूती में, बूट में, या संडास में उसकी पूजा करें, क्या मजाल कि आप पर कोई ऐतराज़ करे, हमको अख्तियार है कि हम सर्वशिरोमणि, पवित्र, स्वच्छ मन्दिरों में सुन्दर सामान के साथ उसकी पूजा करें, आपको कोई हक़ नहीं यह कहने का कि वहां पूजा न करें और जहां तुम बताओ वहां पूजा करने पर मजबूर हों, अगर आपके ख़याल और आप की पेशकर्दा वज़ूहात से जूती नापाक नहीं है तो आप बेशक इसे अपने सिर पर लिये-लिये फिरा करें हमें इससे ज़रा बराबर सरोकार नहीं है लेकिन आपका ऐसे गन्दे अल्फ़ाज़ पर उतर आना कैसा नामाकूल शेवा है ? अगर आप वालिद को मुकद्दस या पाकीज़ा ख़याल करते हैं तो क्या आपके लिए यह वाजिब होगा कि उसकी हड्डी और चमड़ा उधेड़कर उसकी पूजा किया करें! हम अफ़सोस करते हैं कि हमें ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि आर्य मुसाफ़िर के अल्फ़ाज़ वाक़ै में सख्त इश्तआलबख्श हैं।

अज़ सफ़े १७ व १८

हम इस रोज़ की खुशी के साथ तमन्ना करते हैं जबकि लाला मुन्शीरामजी भी अपने 'असली रंग रूप' में आकर दिखाते हैं और हम इनके लिए मुबारिकबाद की ईवनिंग पार्टी दें जिसमें "घास ही घास होगा, अगर मांस होगा भी, तो बहुत

पर्दा और लिहाज़ के साथ" कार्रवाई होगी जैसा कि मुल्तान के आर्य सभापतिजी ने कार्रवाई फ़र्माई थी।

अज़ सफ़े १९

लेकिन आर्यों से एक नहीं एक सौ एक लाख, एक हज़ार एक शिकायत हैं, जब आर्यों के साथ होलियों में दिल्लगी करने की वजह से हम पर यह जुर्म लगाया गया कि हम आर्यों को इश्ताल देकर अमन में खलल डालने के सज़ावार हैं और बड़े-बड़े आर्य लोग हमारे खिलाफ़ शहादत देने को तैयार पाये गये, तो फिर हम क्यों गवर्नमेंट आलिया के सामने यह ज़ाहिर न करें कि इन आर्यों की करतूतें भी ज़रा देखी जावें, जो हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों वग़ैरा-वग़ैरा सबकी सख्त तौहीन और उन पर फ़ोहश हमले करके उनको इश्ताल देते हैं। याद रहे कि हम बराबर आर्य लिटरेचर का नमूना हत्तेउलमक़दूर गवर्नमेंट आलिया की तवज्जह के लिए पेश करते रहेंगे और ला० मुन्शीरामजी के इस ताअने की हमें ज़रा परवाह नहीं है, जो वह हमें देते हैं कि हम ईसाई और मुसलमानों········ ग़र्ज़े कि सबको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, बाक़ी हमारी निस्बत जो 'पौराणिक' का लफ़्ज़ लाला मुन्शीरामजी ने इस्तेमाल किया है, उसका मतलब वह हमें समझा दें कि किन मानों में इस्तेमाल किया है फिर हम इसका जायज़ा बख़ूबी ले सकेंगे,·········।

अज़ सफ़े २०

हमें इस इन्तिज़ाम में दिक़्क़त दिखाई देती है कि पांच वक़्तों के लिए रुपया यानी एक वक़्त के लिए कुछ कौड़ियां कम सवा तीन आने वसूल करने से पूरी न पड़ेगी और फिर बहुत से झगड़े भी उठेंगे, अगर किसी ने कम खाया और किसी ने ज़्यादा खाया तो कैसे निभेगी, क्योंकि आर्य भाई कौड़ी-कौड़ी का हिसाब लेने वाले हैं! अगर किसी ने सवा तीन आने से कम खाना खाया तो वह बाक़ी हिसाब मांगेगा और अगर कोई ज़्यादा डकार गया तो मेहमाननवाज़ उसके सिर होंगे। कोई मेहमान खाने के हमराह चाह, दूध, चटनी, मुरब्बा, पापड़, दही-बड़े मांग बैठा तो क्या होगा, किसी ने वर्फ़, सोडा वाटर, लैमनेड का शौक़ जतलाया तो क्या होगा, किसी ने मटर या सेमफली पकाने का आग्रह किया और उनकी क़ीमत गिरां हुई या करेले मांगे जो उन दिनों बहुत महंगे हों तो फिर क्या होगा? सवा तीन आने में तो ऐसी चीज़ें मिलने से रहीं, ऐसी सूरत में बहुत-सी मुश्किलात वाक़ै होंगी, घी, दूध को आगे ही आग लगी हुई है, फिर सवा तीन आने में एक आदमी का तो पेट भरना मुश्किल है, सनातनधर्मी तरीक़ों से आर्य भाइयों को नफ़रत है वर्ना हम उनको आसान तदबीर बता देते, कि जिन दिनों जल्सा

हो उन दिनों लोगों के घरों से 'हन्दे' मांग लावें या किसी ऐसे 'पोप' के साथ ठेका कर लें कि जिसके यहां बहुत कसरत के साथ 'हन्दे' आते हैं तो मुफ़्त काम निकल जावे और उज्ररत भी देनी पड़े तो बहुत थोड़ी, क्योंकि पोप लोगों के पास इस क़दर 'हन्दे' आते हैं कि वह 'छान-बूरे' के साथ मिलाकर उनको कौड़ियों के मोल फ़रोख़्त कर दिया करते हैं, इसी निर्ख़ पर वह आर्य भाइयों दे देंगे······।

अज़ सफ़े २४

बल वे गुरुकुल, बल वे गुरुकुल, अभी यह जारी नहीं हुआ, तो आज से सवा साल पहले से यह हाल है, अगर जारी होगा तो फिर भोंचाल आ जावेगा, बक़ौल "अभी फ़ितना है किसी दिन को क़यामत होगा !" जो एक 'विद्यार्थी' सौ-सौ 'पण्डितों' के दांत खट्टे कर देगा 'विद्यार्थी' क्या तोप का गोला हुआ, बल्कि नीम्बू का सत, भला पूछो कि अगर उल्टे माने नहीं लिये जाते तो क्या एक 'विद्यार्थी' पण्डितों के दांत खट्टे किया करते हैं या कि एक पण्डित सौ-सौ विद्यार्थियों को चपत लगा-लगा और कान ऐंठ-ऐंठ कर पढ़ाया करते हैं, इन तालिब इल्मों या विद्यार्थियों को उस्ताद या पण्डित लोग 'आस्मान से गिरा हुआ' कहा करते हैं, जो आपस में मिलकर किसी एक उस्ताद को दिक़ किया करते हैं, फिर अलावा अर्जी यह ख़तरा होता है कि जब गुरुकुल के एक-एक 'विद्यार्थी' ऐसे तोप के गोले हो जावेंगे कि सौ-सौ पण्डितों के दांत खट्टे कर सकें तो वहां के 'पण्डित' कैसे होंगे ? ख़ासी मेक्सिम तोपें होंगी, बल्कि कारख़ाने छाप की बनी हुई, एक और मुश्किल है कि इस गुरुकुल के लिए पढ़ाने वाले पण्डित कहां से दस्तयाब होंगे ? फ़िलहाल तो यह आर्यसमाजी 'पण्डित' लोग ख़ुद काशी में जाकर 'विद्यार्थी बनते और पढ़ते हैं और हमारे यहां के विद्यार्थी इनके यहां के पण्डित होते हैं, मगर गुरुकुल के लिए शायद ख़िलाफ़ क़ानून क़ुदरत नई सृष्टि के 'पण्डित' आस्मान से गिरेंगे। जैसा कि स्वामी दयानन्द साहब ने लिखा है कि सृष्टि के आदि में बिला मां-बाप के जवान-जवान आदमी परमेश्वर ने पैदा किए थे, हमें आर्य भाइयों की इस शराफ़त पर बड़ा तअज्जुब आता है कि वह एक तरफ़ से तो काशी के पण्डितों को कोसते हैं दूसरी तरफ़ से उनमें वही उपदेशक या पण्डित फ़ाज़िल माना जाता है कि जिसने काशी में जाकर चन्द साल तालीम पाई हो, या पण्डितों की जूतियां सीधी की हों।

जिरह—इस पर्चे में मज़मून 'शादी ख़ाना आबादी' मैंने लिखा था। सनातन धर्म गज़ट बाबत २८ फर्वरी १९०० ई० में एक मज़मून शाया हुआ था—'ईसाइयों की करतूत और आर्यसमाजियों की नालायक़ी' (दस्तावेज़ डी १४)। सनातन धर्म गज़ट बाबत अक्टूबर १९०० ई० में एक मज़मून 'आर्य चमार' शाया हुआ है (दस्तावेज़ डी १५ तर्जुमा डी १६)············

सनातन धर्म गज़ट बाबत माह अक्टूबर सन् १९०० ई०

अज़ सफ़े ८, ९

क्योंकि इससे आगे खुद ही अखबार हाज़ा लिखता है कि वेद भगवान् की सवारी पर चारों तरफ़ से फूलों की वर्षा हो रही थी, यहां तक कि फ़ाहशा औरतों ने भी पुष्पवर्षा की, न मालूम आर्य लोगों का खयाल फ़ाहशा औरतों की तरफ़ क्योंकर चला गया, क्या वह इन्हीं को तोड़ने के लिये सवारी के साथ थे, जिस तरह रतन और जवाहरात से भरे ढेर में कौवे की चोंच ग़िलाज़त पर ही जाती है, क्या इसी तरह आर्य एडीटर मुन्शीरामजी को इस तमाम आलीशान मजमूये में जिसके साथ पचास हज़ार से ज़्यादा साहिबान थे और हर मौक़े पर मुअ़ज़्ज़िज़ रईस (अमीर) देहली की तरफ़ से अतर-पान की तवाज़े चले जाते थे—इस तमाम नज़ारे में उनकी नज़र फ़ाहशा औरतों ही की तरफ़ गई, या तो यह आपके अखलाक़ पर बड़ा भारी धब्बा है और या आपने महज़ हमारे वेद भगवान् की तौहीन करने और हमारे भाइयों को इश्ताल देने के लिये यह फ़िक़रा दर्ज किया है,.........

अज़ सफ़े ९

फिर मुन्शीराम जी को यह तूफ़ान तोलने की क्या ज़रूरत थी.........

अज़ सफ़े १०

तो उस पर मुन्शीरामजी को ऐसी जली-कटी सुनाने का क्या हक़ था सिवाय इसके कि तौहीन की जावे और अपने आर्य दल को खुश किया जावे, "ज़ात दी कोढकिल्ली शतीरां नाल जप्फे" वाली पंजाबी मसल यहां सादिक़ आती है,......

अज़ सफ़े ११

सनातन धर्म गज़ट की मुखालफ़त में इश्तआलबख्श कलमात इस्तेमाल करते और बेशर्म गुंडों की जमायत की तरह महामंडल के पंडितों को दिक़ करते थे,.........

अज़ सफ़े १२

और उन्होंने हम पर ऐसी फ़ब्तियां शुरू कीं कि अगर हम हंसी में टाल न देते और ज़रा जोश में आ जाते तो बहुत से आर्यों के वहीं सरों के टुकड़े उड़ जाते और महाभारत का थोड़ा-सा नक़शा उन्हें वहीं दिखाई दे जाता। अगर हम इस वक़्त अपना एक हाथ उठाकर किसी बदजुबान आर्य के मुंह पर एक चपत जमा

देते तो हज़ारों हाथ हमारे साथ उठते और बजाय जमना-जल से तर्पण करने के उन धर्मनिन्दकों के ख़ून से तर्पणा होता,.........

अज़ सफ़े ४८

सर मुंडाते ही ओले पड़े (आर्य और चमार)

जिरह—सनातन धर्म गज़ट बाबत माह अगस्त सन् १९०० ई० मैंने एक एडीटोरियल नोट ६ सावन सम्वत् १९४७ के सद्धर्म-प्रचारक के एक मज़मून पर लिखा था (दस्तावेज़ डी १७ तर्जुमा डी १८)।

सनातन धर्म गज़ट बाबत माह अगस्त १९०० ई०

अज़ सफ़े २१ से २३

हमारा मुक़द्दमा—हज़ूर गवर्नमेण्ट आलिया की ख़िदमत फ़ैज़दर्जत में हम कमाल अदब और इन्कसार के साथ गुज़ारिश करते हैं कि रिसाला सनातन धर्म गज़ट में ऐयाम होली वग़ैरा में चन्द ऐसे मज़ामीन शाया हुए हैं कि जिनको हम होलियों के जोश और आर्य लोगों को तुर्की ब तुर्की जवाब देने की तैश में आकर उस वक़्त शाये तो कर बैठे, लेकिन अब जो हम संजीदगी के साथ उन्हें देखते हैं तो आला अखलाक़ और तहज़ीब के पाये से, वह गिरे हुए मालूम होते हैं और हमें अफ़सोस होता है कि होली के जोश में हमसे ऐसी हरकत सर्ज़द हो गई, जो गवर्नमेण्ट आलिया की खफ़गी का मूजिब हुई, चूंकि गवर्नमेण्ट आलिया का यह आला फ़र्ज़ है कि तहज़ीब और अख़लाक़ की मआवन हो और बदतहज़ीबी और बदअख़लाक़ी को जहां तक मुमकिन हो तख़रीब के दरपै हो, लिहाज़ा हम किसी क़िस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकते। अगर वह ऐसे मज़ामीन पर हर्फ़गिरी फ़र्मावे, और अपनी नाराज़ी का इज़हार करके ऐसे मज़ामीन की अशायत के लिए सज़ा देने पर आमादा हो, क्योंकि यह तमाम कार्रवाई इसकी नेकनीयती पर मवनी है, अगर्चे उन नावाजिब और सख्त क़िस्म के इश्तआलवख़्श हमलों की तैश में आकर वह मज़ामीन हमारे गज़ट में शाया हुए जो आर्यसमाजी लोग हरेक मौक़े पर वेतहाशा हम सनातनधर्मियों पर किया करते हैं, लेकिन क़ानूनी तौर पर यह कोई डिफ़ेन्स (बचाव) हमारे लिये नहीं है कि चूंकि एक मुजिरमाना हरकत करता है लिहाज़ा दूसरे फ़रीक़ की वैसी ही मुजिरमाना हरकत क़ाबिले मवाखिज़ा न हो, एक चोर अपने बचाव के लिये यह नहीं कह सकता कि फ़लां शख्स या अशख़ास डाका मार कर चूंकि इस वक़्त तक महफ़ूज़

हैं इसलिए चोरी करने के लिये उसे भी बाज़पुर्स न की जावे, दो स्याहियां मिला कर एक सफ़ेदी नहीं बन सकती, गो यह हो सकता है कि एक स्याही के मुक़ाबले में अगर दूसरी निहायत शोख़ रंग की स्याही पेश की जावे तो पहली स्याही उसके सामने फीकी ज़रूर मालूम होगी, लेकिन सफ़ेदी नहीं बन सकती, लिहाज़ा और असहाब हमारे मुतल्लिक़ जो कुछ करते हों सो करते हों लेकिन ऐसी सूरतों में हमारा तहज़ीब या अख़लाक़ को हाथ में दे देना कोई वजह डिफ़ेन्स (बचाव) हमारे लिये नहीं हो सकता, इसी तरह गो होलियों के ऐयाम में हिन्दू लोगों में बहुत कुछ फ़ोहश और बेतकल्लुफ़ी का इस्तेमाल पाया जाता है और ख़ूब-ख़ूब तहज़ीब और अख़लाक़ की मिट्टी ख़राब की जाती है, और उन दिनों की फ़ोहश हरकात पर इसी तरह चश्मपोशी हो जाती है जिस तरह दिवाली के ऐयाम पर, कमार-बाज़ी पर, लेकिन ताहम गवर्नमेण्ट आलिया बहैसियत गवर्नमेण्ट कभी इस क़िस्म की हरकत को क़ानूनी तौर पर जायज़ नहीं ख़याल कर सकतीं, चाहे वह होलियों में हो या और किसी मौक़े पर, गवर्नमेण्ट आलिया के नुक़ते ख़याल में ज़बानी गन्द फ़ोहश चन्द ऐयाम में बाहम कह-सुन लेना और बात है और एक रिसाले में शाया करना दूसरी बात है, और बेशक गवर्नमेण्ट आलिया का ख़याल बिलकुल दुरुस्त है, गो हमारे गज़ट की अशायत एक ख़ास फ़िर्क़े तक ही महदूद है और एक भी आर्य-समाजी साहब इसका ख़रीदार नहीं है, गो वह इससे बख़याल सरकार वाला कमाल दर्जे भड़क गये, लेकिन ताहम यह एक रिसाला है और इसमें अगर कोई मज़मून क़ाबिल गिरिफ़्त और क़ाबिल सर्ज़निश चाहे किन ऐयाम में शाया हो, अगर वह किसी तरह पर गवर्नमेण्ट आलिया की तवज्जह में आ जावे तो इस पर चश्म-पोशी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से ख़ुद उसके अख़लाक़ पर हर्फ़ आता है, कि वह ऐसे मज़ामीन की अशायत को रोकने में पहलूतई करती है, और अपने नाज़ुक फ़रायज़ की अंजामदेही में क़ासिर रह जाती है, गवर्नमेण्ट आलिया बेशक हमारी मां-बाप है और हम इससे हरेक मेहरे रहम और इनायत ख़ुसरूवाना के उम्मेदवार और ख़्वास्तगार हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे या लड़के की किसी नावाजिब हरकत पर अगर मां-बाप उसे सज़ा दें या हाथ या बेंत से उसे मारें तो वह बच्चा निहायत बेवक़ूफ़ होगा, जो इस सज़ा से वाल्दैन की शिकायत करे यह इस वजह से उन्हें ज़ालिम समझे, क्योंकि इसे ख़याल करना चाहिये कि जब कि वही मां-बाप लाड़ और प्यार से उसे पालते हैं, उसकी अच्छी हरकात के लिये उससे ख़ुश होते हैं, उसे इनाम देते हैं, उसकी तालीम और पर्वरिश में हज़ारों दिक़्क़तें बरदाश्त करते हैं, उनको यह भी हक़ है कि अगर बच्चे को किसी नालायक हरकत से नाराज़ हों तो इसे सज़ा भी दें और इसे तमाचा भी मारें, क्योंकि उनका ऐसा करना भी बच्चे के हक़ में आइन्दा बेहतरी के ख़याल से है, बऐनहु इसी तरह हम ख़याल करते हैं, कि जबकि गवर्नमेण्ट आलिया हम रिआया को बच्चों की तरह

पालती है और हरेक फ़िकर रखती है और अच्छे कामों के लिये इनाम और इज़्ज़त बख़्शती है, अगर हमारी किसी नावाजिब हरकत पर नाराज़ होकर हमें सज़ा दे तो हम किसी तरह पर भी हर्फ़ शिकायत ज़बान पर नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा करना निहायत दर्जे अहसान फ़रामोशी है, क्योंकि गवर्नमेण्ट आलिया का ऐसा सलूक भी हमारी आइन्दा की बेहतरी के खयाल से है कि फिर ऐसी हरकत सज़र्द न हो, नीज़ दीगर बच्चों यानी रिआया को भी सबक़ हो कि ऐसा करने से यह नतीजा होता है, बावजूद सख़्ती सज़ा के, हम साहब मजिस्ट्रेट ज़िलअ बहादुर मिस्टर सी० एच० एटकिन्सन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस बात का अमली तजुर्बा कराया कि अदालत के क़लमी अख़्तियारात के सामने गवर्नमेण्ट की सिफ़ारिश भी नज़रअंदाज़ हो सकती है और सीग़ा ज्यूडीशल और इन्तज़ामी ऐसा अलहदा रहे कि एक की सिफ़ारिश दूसरे तक कारगर होना यक़ीनी अमर नहीं है, और इस बात का भी तजुर्बा उनके हुक्म की बदौलत हुआ कि इन्सान की तमाम पुख़्ता उम्मीदें भी किसी वक़्त एक आन की आन में बरबाद हो सकती हैं और उसे फ़क़त अपनी ही कोशिशों पर भरोसा न रखना चाहिये, बल्कि डरते रहना चाहिए कि न मालूम पर्दए क़लम से क्या ज़हूर पज़ीर हो, हम बिला शुबह अपनी कोशिशों के बाद बेफ़िकर हो गये थे, लेकिन साहब ज़िलअ बहादुर ने हमें न भूलने वाला सबक़ हमेशा के लिये दिया कि यह हमारी सख़्त ग़लती थी, हाकिम के क़लम से हमेशा डरते रहना चाहिये, आख़िरकार जो हमारी क़िस्मत में था वही हुआ, साहब ज़िलअ का क्या क़ुसूर है, वह एक ज़रिया थे हमारे कर्मों का फल देने के लिये,·········

जिरह—सनातन धर्म गज़ट मुवर्रिख़ा १३ जनवरी १६०० ई० में एक मज़मून 'भ्रष्टानन्दजी' था। मैं नहीं जानता उसे किसने लिखा था (दस्तावेज़ डी १६ और तर्जुमा डी २०)।

सनातन धर्म गज़ट ३१ जनवरी १६०० ई०

भ्रष्टानन्दजी—किसी मनुष्य से एक ने पूछा, आपका मज़हब क्या है? वह बोला, भाई इस वक़्त तो मेरा कोई मज़हब नहीं है। पहले मैं ब्राह्मण था, पर उसके बहुत झगड़े मुझे नापसन्द हुए, तब मैं उसे छोड़ सिक्ख हो गया, पर एक रोज़ सिक्खों ने मुझे हुक्का पीते देखा। इससे वह मज़हब भी छूटा, तब एक मुसलमानिन के प्रेम में फंस मुसलमान हो गया, एक दिन किसी ने होटल में सूअर खाते देख लिया, इसमें मुसलमानी भी बिगड़ी, लाचार क्रिष्टान हो गया और कुछ दिन आज़ाद रहा, पर उससे भी तबियत घबराई, तब आर्यों की मेहर्बानी से अब तो उनके दफ़्तर में नाम लिखा लिया है और बेखटके मस्त फिरता हूं, अब

बिगड़ने का ख़तरा न रहा, इससे मेरा नाम भ्रष्टानन्दजी है।

जिरह—सनातन धर्म गज़ट बाबत १४ फर्वरी सन् १९०० ई० में एक नामेनिगार का मज़मून निकला था जिसकी सुर्ख़ी थी—'होशियारपुर में दयानन्दियों का झूठ और उनका इन्तज़ाम' (दस्तावेज़ डी २१ तर्जुमा डी २२)।

अपने भाई की शादी के मौक़े पर मैंने सनातन धर्म गज़ट में (दस्तावेज़ डी २३) मदद मांगने का मौक़ा लिया था।

ज़मीमा अख़बार आम लाहौर

मुर्वरिखा २ फर्वरी १९०१ ई०

मेहर्बान नाज़रीन अख़बार आम का ख़िदमत में बेतकल्लुफ़ाना इल्तमास

हमारे अफ़सर समझो, मालिक समझो, मआवन समझो, मददगार समझो, सरपरस्त समझो, दोस्त समझो, ग़मगुसार समझो, हमदर्द समझो, जहांपनाह समझो, मेहर्बान समझो, अज़ीज़ा समझो, रफ़ीक़ समझो, शफ़ीक़ समझो, मुकर्रम समझो, मुअ़ज़्ज़म समझो, जो कुछ समझो नाज़रीन अखबार आम ही हैं। तकल्लुफ़ से या बेतकल्लुफ़ी से जो कुछ कहना है इनसे ही अर्ज़ करना है इस ग़र्ज़ की दाद देने वाले बसरो चश्म क़बूल करने वाले या न करने वाले जो कुछ हैं वह नाज़रीन अखबार आम ही हैं, ग़र्ज़ कि हमारा जो कुछ भरोसा है इन पर ही है और जो कुछ हमें नाज है इनकी वजह से। कहा भी है, नाज़ बरआं कुन के खरीदारोतुस्त !!! जहां तक एक खरीदार पर लोग नाज़ किया करते हैं वहां हज़ारों खरीदारों की वजह से नाज़ क्यों न हो !!! इसी भरोसे पर हम आज इस ख़ास मौक़े पर एक खास दरख्वास्त अपने नाज़रीन् वा तमकीन् क़दरदानान वा सफ़ा की खिदमत में बेतकल्लुफ़ाना तौर पर करना चाहते हैं और उम्मेद रखते हैं कि उस पर खातिरख्वाह तवज्जह होगी।

गुज़िश्ता ऐयाम में जो बदक़िस्मत मुक़द्दमा हमारे अज़ीज़ पण्डित गोपीनाथ पर सनातन धर्म गज़ट में होलियों का मज़मून शाया करने पर हुआ, हम ख़ुदावन्द आलमीन का लाख-लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी इनायत बड़े-बड़े आलीजाह मेहर्बानों की शफ़क़त, गवर्नमेंट आलिया के रहम, और आली जनाब मिस्टर हरी साहिब बहादुर, डिवीज़नल जज बहादुर के रहम मुजस्सिम इन्साफ़ से वह आखिरकार मुनासिब तौर अंजाम पाया, जिसके लिए शुक्रगुजारी के कोई अल्फ़ाज हमारे पास नहीं हैं "दिले मन् दानद् ओ मन दानम् ओ दानद् दिले मन्" का मामला है, इस मुक़द्दमे में अलावा वेहद तशवीश और तफ़क्कुरात और इंडाईरेक्ट नुक़सान के क़रीबन तीन हज़ार रुपये का माली नुक़सान बरदाश्त करना

पड़ा, जो एक थोड़ी रक़म नहीं है, अगर्चे हमारे चन्द मुअ़ज़्ज़िज़ मेहर्बानों ने इस मौक़े पर ब लिहाज़ हमदर्दी यह तजवीज़ पेश की थी कि नुक़सान को पूरा करने के लिए चन्दा किया जावे, जिसमें उन्होंने ख़ुशी से अपनी समूलियत का ईमां फ़र्माया था, लेकिन उस वक़्त हमने ऐसा करना मुनासिब ख़याल न किया, कि ख़ुदा जाने इसका नतीजा क्या निकले और कहां तक इसमें कामयाबी हो, साथ ही मजिस्ट्रेट साहब बहादुर का यह फ़िक़रा, जो फ़ैसले में दर्ज था, बेतरह हमारे कान में गूंज रहा था कि मुलज़िम इस हैसियत का आदमी है कि चाहे कितनी भी रक़म का जुर्माना उस पर किया जावे, उसको कुछ महसूस न होगा, क्योंकि उसके दोस्त फ़ौरन अदा करेंगे, गो यह फ़िक़रा साहब मजिस्ट्रेट बहादुर का हमारे अज़ीज़ पण्डित गोपीनाथ की शान को बढ़ाने वाला और सब तरह क़ाबिल शुक्र-गुज़ारी के था कि साहब मजिस्ट्रेट बहादुर अज़ीज़ मौसूफ़ को ऐसा हरदिल अज़ीज़ ख़याल करते हैं कि कितनी भारी रक़म का जुर्माना हो, फ़ौरन उसके दोस्त अदा करेंगे, लेकिन इस खास मौक़े पर उनकी यह तौक़ीर और आलीशान राय हमारे लिए ज़ख़्मों पर नमक छिड़कने के बराबर थी और हम ऐसे पेचोताब में थे कि 'न पाये रफ़्तन् न जाये मान्दन्' का सामना था, ग़र्ज़ कि कई एक क़िस्म की शशोपंज की वजह से हमने अपने मुअ़ज़्ज़िज़ मेहर्बानों के इस आफ़र और तजवीज़ को शुक्रगुज़ारी के साथ नामंज़ूर कर दिया जो उन्होंने ऐन हमदर्दी के ख़याल से पेश की थी और तनेतनहा इस नुक़सान और आफ़त का मुक़ाबला किया और ज़हे नसीब के विर्दे तशवीश से हमारे अज़ीज़ की सलामती का जहाज़ किनारे पर आ पहुंचा।

लेकिन अब हमें एक और ज़रूरत दरपेश है जो खिलाफ़ तशवीश के इम्बि-सात और ख़ुशी मुजिस्सम है जिसको सुन कर हमारे हमदर्द और मेहर्बान बिला शुबा ख़ुश होंगे और वह यह है कि हमारे अज़ीज़ सबसे छोटे भाई बरख़ुरदार पण्डित प्राणकिशन जी की शादी ख़ाने आबादी की मुबारिक तक़रीब दरपेश है। इसके लिए १५ फ़र्वरी की मुबारिक तारीख़ मुक़र्रर पाई है, गोया कि मुश्किल से २ हफ़्ते इस मुबारिक तक़रीब में बाकी हैं, उन्नीसवीं सदी का आख़िरी साल क़रीब-क़रीब तमाम ही तशवीश और तफ़क्कुरात और माली नुक़सानात में गुज़रने के बाद बीसवीं सदी के आग़ाज़ में यह शादी ख़ाने आबादी हमारे लिए ख़ुशी पर ख़ुशी है और उस रब्बुल आलमीन की यह बड़ी भारी बरकत और एक मुबारिक करिश्मा है जो रंज के बाद ख़ुशी भी दिखाता है, जो यह ख़ुशी सर्फ़ कसीर के साथ हासिल होने वाली होती है लेकिन चूंकि इससे ख़ाने आबादी मुतसव्विर है और हमारे ख़याल से यह तक़रीब एक ख़ास तक़द्दुस रखती है लिहाज़ा इस पर हरेक क़िस्म का ख़र्च बख़ुशी गवारा हो सकता है—

मुक़द्दमे का खर्च जैसा बदक़िस्मत था शादी का खर्च वैसा ही ख़ुशक़िस्मत

है, उस खर्च से जैसा अफ़सोस और रंज होता है, इस खर्च से वैसी ही खुशी और फ़र्हत मुतसव्विर है।

जब पहला अफ़सोसनाक खर्च जबरन व क़हरन गवारा किया गया तो यह दूसरा फ़र्हतआमेज़ खर्च अपनी खुशी से क्यों गवारा न करें?

जो यह खर्च पर खर्च हौसले को पस्त कर देने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हम उसी खुदावन्दे आलमीन हर दो जहान मुश्किल आसान पर तकिया रख कर जिसकी निस्बत कहा जाता है कि 'पल में करे निहाल' इस मुबारिक काम के इन्तज़ाम में मशग़ूल होते और अपने मुअज़्ज़िज़ हमदर्द नाज़रीन से मोअद्‌बाना इल्तमास करते हैं कि वह इस वक़्त हमारी इमदाद के लिए तैयार होकर हमारी खुशी को मज़ीद खुशी में तबदील फ़र्मावें। हमारे बोझ को जहां तक मुमकिन हो बांट लेने में हमारे साथ शामिल हों, हरेक क़िस्म की इमदाद इस खुशी के मौक़े पर शुक्रिया के साथ क़बूल होगी, जो असहाब और किसी क़िस्म की इमदाद फ़र्माने का मौक़ा न रखते हों, उनसे कमाल आरज़ू के साथ इल्तजा है कि वह मेहर्बानी से अखबार आम का चन्दा पेशगी फ़िलफ़ौर इरसाल फ़र्मा कर हमें बहुत जल्द ममनून फ़र्मावें, ताकि आपकी बामौक़ा इमदाद से हम इस मुक़द्दस फ़र्ज़ को बवजह अहसन पूरा कर सकें—

जिरह—अखबार आम में भी ऐसी ही दरख्वास्त निकली थी। सन् १८९९ ई० में दूसरे भाई की शादी हुई थी। मैंने सनातन धर्म गज़ट में हमदर्दी के लिए लिखा था। मुझे मालूम नहीं है कि इसके बाइस से खरीदारान से कुछ आया था या नहीं, मैंने ऐसी ही अपीलें दूसरे अखबारों में देखी हैं। मुझे उनके नाम याद नहीं हैं।

सनातन धर्म गज़ट बाबत ३१ जनवरी १९०१ में एक मज़मून पण्डित भीमसेन का शाया हुआ था। जिसे मैंने उसके अपने पर्चे से नक़ल किया था और उस पर फ़ुटनोट दिये थे (दस्तावेज़ डी २४)।

सनातन धर्म गज़ट बाबत फ़र्वरी १८९८ ई० (दस्तावेज़ हर्फ़ डी २५ तर्जुमा डी २६) में एक मज़मून 'एक शर्मनाक वक़ूआ' निकला है। जिस पर मैंने एक नोट लिखा है और उसी अशायत में एक मज़मून दर्ज हुआ था 'सत्यार्थप्रकाश का उर्दू तर्जुमा'। जो मुक़द्दमा गवर्नमेंट की तरफ़ से मुझ पर किया गया था, उससे पेश्तर मेरा मुबाहसा ला० मुन्शीराम से हुआ था। मैं एक जलसे के मौक़े पर तीन-चार साल हुए रोपड़ गया था और वहां पण्डित गिरधारीलाल और सोमनाथ के साथ मेरा मुबाहसा हुआ था और उसके ताल्लुक़ में एक झूठा खत सद्धर्म-प्रचारक में छपा था। इस मुबाहसे में ला० मुन्शीराम वहां (रोपड़ में) न थे। मैंने सद्धर्म-प्रचारक मुवर्रिखे १२ अप्रैल १८९८ ई० में खत 'रोपड़ में वैदिक धर्म की जय' पढ़ा है। इसके जवाब में मैंने एक मज़मून लिखा था—'इस झूठ पर खुदा की

मार', जो सनातन धर्म गज़ट बाबत अप्रैल १८९८ ई० में शाया हुआ (दस्तावेज़ डी २७ तर्जुमा डी २८)।

अज़ सनातन धर्म गज़ट बाब्त माह अप्रैल सन् १८९८ ई०

'इस झूठ पर ख़ुदा की मार'

जालन्धर के आर्य मुन्शीराम और उनका अख़बार

आर्यसमाज को अपने मुंह मियां मिट्ठू यानी अपने मुंह से खुद को महात्मा पार्टी कहने वाली समाज के जालन्धरी आर्गन अख़बार सद्धर्म-प्रचारक पर लाख-लाख लाअ़नत है, इस बेशर्माना झूठ के लिए जो इसमें सनातन धर्म सभाओं के मुतल्लिक़ शाया होते हैं, हमें खयाल था कि ला० मुन्शीराम साहब सचमुच के महात्मा होंगे, लेकिन जो महज़ बेशर्माना ग़लतबयानियां इनके अखबार में सनातनधर्मियों के मुतल्लिक़ बिला तहक़ीक़ात शाया होती हैं उनसे साबित हो रहा है कि वह सनातनधर्मी अहले हनूद को झूठे वाक़ात के ज़रिया दिखाना ही अपना मक़सदे आला खयाल करते हैं और यही इनका नापाक मिशन है, एक अखबार के एडीटर होकर और खासकर ऐसे अखबार के जिसका नाम सद्धर्म-प्रचारक है वह बिला तहक़ीकात बेबुनियाद बातें शाया करते हैं कि जिसके लिए अगर बहैसियत महात्मा नहीं तो बहैसियत एक एडीटर अखबार के उनको सख्त शर्म आनी चाहिए और हम इनको खबरदार करते हैं कि अब हम लोगों के बर्दाश्त की हद हो रही है, और अगर वह जल्दी इस इश्तआलबख्श रूईया से बाज़ नहीं आवेंगे तो मजबूर हमको दूसरा इलाज करना पड़ेगा। जिसकी वजह से इस मूढ़ आत्मा कैम्प में खलबली मच जावेगी।

घास पार्टी समाज और सनातन धर्म का मुक़ाबिला

अजब तमाशे की बात है—जिन लोगों को मुन्तज़िमान् दयानन्द कालिज ने भुक्कड़ और शरर्अंगेज़ और न मालूम किन-किन ख़राबियों की बुनियाद समझकर बल्कि कुत्ता तक कहकर कालिज के इन्तज़ाम से बाहर धता बता दी और उनकी बांय रीशोफ़श कुछ नहीं चली और अब वह हाय-पुकार मचा रहे हैं, और जो लोग खुद अपने हमचश्मों की नज़र में ऐसे गिरे हुए हैं कि जिनका वारपार नहीं (शर्म हो तो पानी में डूब मरें) कुछ लोग अब भी सनातत हिन्दू धर्म के सामने आते हैं जो उनके जैसे सैकड़ों लपोड़पंथों को आज तक हज़म कर चुका और न मालूम अभी कितनों को हज़म करेगा, आर्य या दयानन्दी लोग भी अब इस

अज़ीमुश्शान धर्म के कराल दंष्ट्राल और सरकन्नी के बीच में आए हुए हैं और अब थोड़े ही दिन बाक़ी हैं कि यह सनातन धर्म रूपी शेर आपकी हड्डी-पसली तक चबा डालेगा या एक पंजा मारकर जिस तरह दुःशासन का खून भीमसेन ने पिया था वैसा ही करेगा।

शर्म चे कुत्तीस्त के पेशे मर्दां बेआयद

'शर्म चे कुत्तीस्त के पेशे मर्दां बेआयद?' क्यों ला० मुन्शीराम साहब, यही मोटो है न? जो आपने काले-काले भैंस के अक्षरों में अपने अखबार पर मोटो लिखा हुआ है, उसके बदले आइन्दा से यह मोटो उस पर जली क़लम से लिखिए! ला० मुन्शीराम साहब, एक तरफ़ से तो सद्धर्म-प्रचारक में और दूसरी तरफ़ उन्हें अपने अखबार में जिर्यान और इग़लाम और ज़लक ज्योंकि तिर्याक़ का इश्तहार छपा कर पैसा कमाने में शर्म नहीं आती, आप वकील भी हैं लेकिन पैसा कमाने की धुन में इतना भी नहीं खयाल करते कि वह ताज़ीरात हिंद के मुताबिक जुर्म कर रहे हैं कि ऐसा फ़ोहश इश्तहार शाया करते हैं जिसके लिए कई अखबारनवीसों को सज़ा हो चुकी है। अगर मजिस्ट्रेट इनसे जवाब तलब करे तो घिग्गी बंध जावे और वकालत और एडीटरी और महात्मापन और प्रतिनिधि का खुमार चन्द मिनट में हिरन हो जावे।

ग़लतबयानियों का सिलसिला

इकम वैशाख के ला० मुन्शीराम साहब के अख़बार हाज़ा पाखंड धर्म प्रचारक में 'रोपड़ में वैदिक धर्म की जय' और 'खन्ने में पुराणों की दूसरी शिकस्त' यह दो मज़मून शाया हुए हैं। इससे पहले भी खन्ने के शास्त्रार्थ और कर्नाल के शास्त्रार्थ (ग़र्ज़ कि जहां-जहां सनातनधर्मियों से मुठभेड़ करते हैं) के मुतल्लिक़ कमाल शर्मनाक दरोग़गोईयां इस अखबार में छप चुकी हैं, खन्ने का वक़ूआ ताज़ा था, जिसके मुतल्लिक़ मुन्शीरामी अख़बार ने एक दास्तान पेश की और हमारे बहुत से सनातनधर्मियों ने दूसरी दास्तान इर्साल की, मुन्शीरामजी की तूती बोलती थी, कि हम जीतें और सनातनधर्मी असंख्य वीरों का यह बयान था कि दयानन्दियों को मुंह दिखाने की जगह नहीं है, हमें तसदीक़ का शौक़ पैदा हुआ और खास कर इसलिये कि हमें रोपड़ से निहायत पुरइसरार खतूत और तार आये कि अब की दफ़े उनके जलसे सालाना में ज़रूर शामिल हों, जहां हम आज तक कभी नहीं गये, हालांकि चार साल से सभा है, हमें खयाल पैदा हुआ कि इधर ही से खन्ने पहुंच कर भी कुल हालात मालूम करेंगे।

रोपड़ के हालात

२५, २६, २७ मार्च को रोपड़ सभा का सालाना जलसा था, २५ तारीख़ की रात को हम वहां वारिद हुए, वहां के आर्यसमाजी लोग (जिनके प्रेज़ीडेन्ट वहां के मुन्सिफ़ साहब हैं और जिनकी निस्बत जो कुछ हालात हमें मालूम हुए हैं कि कैसा पार्ट वह समाज में लेते हैं बशर्ते ज़रूरत आइन्दा दर्ज किये जावेंगे) धर्म सभा को शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहे थे, सनातन धर्म सभाओं के सालाना जलसों पर अमूमन् शास्त्रार्थ का वक़्त रखने की चाल नहीं है, इसलिए कि अपने धर्म का उत्सव और आनन्द उठाते हैं क्यों कुछ हिस्सा इस बेशक़ीमत वक़्त का ऐसे शास्त्रार्थ में ज़ाया किया जावे कि जिसका फ़ैसला एक-दो घंटे में क्या हो सकता है, लेकिन बेशर्म आर्यसमाजी लोग इस मामले को सनातन धर्म सभा की कमज़ोरी पर महमूल करके अपनी तान अलापा करते हैं और नोटिस पर नोटिस देकर वह इस नोटिसबाज़ी में ही अपनी जीत ख़याल करते हैं, रोपड़ में भी मुट्ठी-भर समाजियों ने ऐसा ही उपद्रव मचा रखा था, चूंकि हमें इन लोगों के ढोल की पोल बख़ूबी मालूम है कि समाजियों में धर्म, विद्या तो ख़ाक भी नहीं है, और उनके उपदेशक भी निरे किराये के टट्टू हैं, हमने बड़ी खुशी के साथ वहां की समाज की खारिश मिटाने के लिए शास्त्रार्थ मंज़ूर कर लिया और २७ तारीख़ सुबह ६ बजे से १०॥ बजे तक का वक़्त मुक़र्रर करके ऐलान कर दिया।

रोपड़ में शास्त्रार्थ—बेशुमार खलक़त इस मौक़े पर शास्त्रार्थ सुनने को जमा हुई, मूर्तिपूजन पर समाजियों को बड़ा बल है और उनकी ख़्वाहिश थी कि वेद के हिस्से मंत्रभाग में से मूर्तिपूजन सिद्ध किया जावे। हमें इस मामले में कोई उज़्र न था, लेकिन हमने समाजियों की लियाक़त की परख करने के लिए उनसे दरख़्वास्त की कि वह जो एक हिस्सा वेद यानी मंत्र भाग को मानते हैं और हमसे दरख़्वास्त करते हैं कि मंत्र भाग में से ही हम अपना दावा साबित करें, और दूसरे हिस्से वेद यानी उपनिषद् भाग को नहीं मानते, इसके सबूत में कोई प्रमाण देवें, अगर यह साबित हो जावेगा कि फ़क़त वेद का हिस्सा मंत्रभाग ही मानने के क़ाबिल है और बाक़ी कोई ग्रन्थ नहीं तो हम बड़ी ख़ुशी से हमेशा के लिए बाक़ी ग्रन्थों से किनाराकश हो जावेंगे और मंत्र भाग ही को मानेंगे, इस पर समाज की तरफ़ से एक लौंडा उठ खड़ा हुआ। हमें सख़्त शर्म आई कि ऐसा लौंडा जो अभी हमारे नीचे दस-बारह वर्ष रहकर तालीम पावे तो शायद किसी क़ाबिल हो, समाज ने उसको हमारे सामने खड़ा कर दिया है। मालूम हुआ कि यही कपड़ा बेचने वाला लौंडा वहां की आर्यसमाज का मंत्री भी है गो हमने उसको अपने लिए कसरे शान समझा कि इस लौंडे से गुफ़्तगू करें, जो अभी हमारा शागिर्द होने की भी हैसियत मुश्किल से रखता है, लेकिन जब मुक़ाबले में वह समाज की तरफ़ से उतर आया तो लाचार उसकी गत बनानी पड़ी और उसकी वह हालत हुई कि समाज के

लोगों ने ही इसे गुफ़्तगू करने से रोक दिया और एक बड़े मोटे-से आदमी को, जो दयानन्द सरस्वती की तरह इस क़िस्म का पग्गड़ बांधे हुए था जैसा वाटरवरी वाच के साथ दयानन्द की तसवीर बिकती थी, सामने खड़ा कर दिया। हमको आनन्द हुआ कि इस अनपढ़ लौंडे की निस्बत कुछ तो यह महात्मा जी ज़ियादे होंगे। उन्होंने मूर्तिपूजन के खंडन में तोते की तरह याद किए हुए वही मंत्र पढ़े जो 'सत्यार्थप्रकाश' में दर्ज हैं और जब हमने इन्हीं और दीगर मंत्रों के ज़रिये साबित कर दिया कि मूर्तिपूजन वेदानुकूल है और इन मोटे पण्डित जी से बाइसरार पूछा कि वह कोई सबूत फ़क़त मंत्र भाग के ही स्वत:प्रमाण होने में दें तो यह मोटे महात्मा भी होश-हवास खो बैठे, क्योंकि कुछ पूंजी होती तो बोलते, ग़र्ज़ कि कम से कम पांच दफ़े हमने यही सवाल किया और पांच दफ़े उन मोटे पग्गड़धारी महात्मा को जवाब के लिए मौक़ा दिया गया, मगर वहां सिवाय आयं-बायं-शायं के कुछ न था, हमने ख़ास इस मक़सद से कि आर्यसमाज कोई सबूत पेश करे कि क्यों फ़क़त एक हिस्सा वेद ही क़ाबिल मानने के है? बजाय १०॥ बजे शास्त्रार्थ खतम करने के ११॥ बजे तक वक़्त दिया लेकिन इस मामले में इन लोगों को ऐसी शिकस्त हुई कि मुंह से बात न निकलती थी। मोटे पण्डितजी ने एक दफ़े चार-पांच मिनट तक संस्कृत भी बोली लेकिन वह संस्कृत ऐसी अशुद्ध थी कि आसानी से उसकी ग़लतियां समझ में आ सकती थीं। हमारे हमराह संस्कृत के ऐसे-ऐसे विद्वान थे कि जो इस मोटे आर्य पण्डित को वर्षों तक संस्कृत पढ़ा सकते थे, हमने पूछा कि अगर समाजियों का यह मतलब है कि जो संस्कृत ज़्यादा बोले वही तरफ़ फ़तह समझा जावे तो यही बात लिख दो, अभी हम सभा की तरफ़ से धाराप्रवाह संस्कृत का नमूना पेश कर सकते हैं लेकिन इस पर भी समाजी न टसके, आख़िर हमने इस आर्योपदेशक के तमाम क़ौलों का प्रमाण समेत खंडन करके बार-बार उसको ललकार के कहा—"कोई एक तो प्रमाण मंत्रभाग के स्वत: प्रमाण होने में दें" लेकिन इस मामले में इनकी ज़ुबान बंद हो गई। कहां से प्रमाण लाते, यह तो उन्होंने ज़ुबानी ढकोसला बना रक्खा है, हमने स्वामी दयानन्द कृत वेदभाष्य में से ही चन्द मंत्र पढ़कर सुनाए कि 'देखो जिस मंत्रभाग पर तुम इस क़दर इतराते हो उसमें कितनी फ़ोहश बातें तुम्हारे स्वामी ने ही लिखी हैं, उनका भी समाधान करो और साबित करो कि क्यों मंत्रभाग ही स्वत: प्रमाण है?' जब वह बिचारे बिलकुल लाचार हो गये और ११ बजे का वक़्त भी हो गया तो हमारे सभासदों ने हमसे कहा कि अब पूरी तसल्ली हो गई है कि आर्यसमाज के पल्ले में कुछ नहीं है। अब इनकी शिकस्त फ़ाश सब पर वाज़ेह हो गई है। अब इनको छोड़ दो, लिहाज़ा हमने शास्त्रार्थ बंद कर दिया और जो दुर्दशा समाजियों की तमाम शहर में उस दिन हुई अगर यही फ़तह है तो परमेश्वर इनको हमेशा ऐसी ही फ़तह मुबारिक करता रहे! कोई साहब रोपड़ जावें और कुल बाशिन्दगान अहले इस्लाम

तक से दर्याफ़्त कर लें कि क्या हक़ीक़त हुई।

मुन्शीरामी अख़बार के बयान का जायज़ा—इकम् बैशाख के अख़बार दुष्ट धर्मप्रचारक में इसी बज़ाज़ के लौंडे आर्य मंत्री मुसम्मी सोमनाथ ने इस शास्त्रार्थ का हाल दर्ज कराया है। हमें इस लौंडे से क्या शिकायत हो सकती है, लेकिन हमें लाला मुन्शीराम की करतूत पर सख़्त अफ़सोस है कि ऐसे नालायक़ नामे-निगारों के भरोसे पर वह इस तरह के झूठे वाक़आत शाया करके अपना मुंह काला करते हैं। यह बज़ाज़ का लौंडा जो सिवाय कपड़ा बेचने और गज़ हाथ में लेकर नापने का दूसरा काम करने के नाक़ाबिल है, इस मुन्शीरामी अख़बार में लिखता है कि हम शास्त्रार्थ में इस लौंडे की बात का जवाब न दे सके, बोल बेशर्म, जब तुम्हारे बड़े-बड़े गुरूघंटाल ऐसे पक्के बेशर्म हैं तो तुझसे जो कुछ हो थोड़ा है, हमारे कश्मीरी पण्डित होने पर इस आर्य लौंडे को क्यों दर्द होता है, हमने कोई अपना लड़का उसके यहां नहीं ब्याहना है कि वह कश्मीरी होने का तज़किरा बीच में लाते हैं, हम तो जन्म से जाति मानते हैं। पस अगर कोई बज़ाज़ का लौंडा बड़ा भारी संस्कृत का विद्वान् या वेदपाठी भी हो जावे ताहम उसको ब्राह्मण नहीं समझ सकते और न कभी उसके घर अपना लड़का ब्याहेंगे, समाजी क्षत्रियों को अख़्तियार है कि चूंकि वह गुण, कर्म से जात मानते हैं इसलिये बेशक अपनी लड़कियों का नाता बड़े-बड़े बहादुर जंग में तमग़ा हासिल किये हुए बिलोचों, पठानों, गोरे सिपाहियों और मेजरों वग़ैरा से करें या खालसा सिंहों या पुरबियों से करें, क्योंकि असल गुण; कर्म से खत्री वही हैं लेकिन हमें शुबा है कि पुरबिये या सिक्ख या गोर्खा लोग इनसे नाता मंज़ूर करेंगे, अगर हमको उस बज़ाज़ के आर्य लौंडे के साथ या उनके मोटे उपदेशक के साथ रोपड़ में शास्त्रार्थ करने में शिकस्त हुई है, तो हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हमको इन लोगों से हमेशा ऐसी शिकस्त हासिल होती रहे, हम ऐसी शिकस्त में ही कमाल दर्जे खुश हैं और आर्यसमाजियों को ऐसी ही जीत हासिल होती रहे जो उनको रोपड़ में हुई।

लाला मुन्शीराम को चैलेंज—हमको इस आर्य लौंडे से कुछ शिकायत नहीं जिसने यह मज़मून मुन्शीरामी अख़बार में शाया कराया है, लेकिन हमको लाला मुन्शीराम साहब की हिमाक़त पर सख़्त अफ़सोस है कि उन्होंने यह मज़-मून छापकर अपनी इज़्ज़त को हमारी नज़रों से ऐसा गिरा दिया है कि हमारा ख़याल उनके मुतल्लिक़ बिल्कुल बदल गया है, हम लाला साहब को फिर एक दफ़े ख़बरदार करते हैं कि वह ऐसी झूठी तहरीरें छापना छोड़ दें वर्ना उनको इसका ख़मयाज़ा बेतरह खींचना पड़ेगा, अगर समाज की घास पार्टी और उसके बड़े महात्मा मुन्शीराम जी को शास्त्रार्थ का घमण्ड है और वह ख़ुद को सत्य धर्म पर चलने वाला मानते हैं तो हम लाला मुन्शीराम को उनके बाप की और

खुद स्वामी दयानन्द सरस्वती की क़सम देकर कहते हैं कि इधर-उधर के लौंडों को शास्त्रार्थ में खड़े कराकर क्यों अपनी और अपने समाज की मट्टी पलीद करते हैं। अगर वह बाप के तुख़्म हैं तो खुद हमारे साथ शास्त्रार्थ करने में सामने आवें, जो जगह वह शास्त्रार्थ के लिए मुक़र्रर करें हमें मंजूर है, बेशक जिस पण्डित को वह चाहें अपने साथ रक्खें। हम भी अपने दो-एक पण्डितों को साथ लेकर उनके साथ खुले मैदान में शास्त्रार्थ के लिए निकलेंगे और दुनिया पर साबित करेंगे कि लाला मुन्शीराम ऐसे कितने एक गीदड़ आर्यसमाज में हैं जो बेशर्मी के साथ अपने लौंडों के ज़रिये काम लेना चाहते हैं, और जब खुद उनके सिर पर अब तो ऐसे परख़चे उड़ते हैं कि उमर-भर याद करेंगे, अब लाला मुन्शीराम जी हमारे इस चैलेंज को मंजूर कीजिये, वर्ना इन हरकात से बाज़ आइये जो दुष्टपना आप अपने अख़बार के ज़रिये ज़ाहिर कर रहे हैं।

खन्ने की हालत

रोपड़ का काम खतम करके हम एक दिन के लिये खन्ना गये, जो एक उमदा क़सबा और रेलवे स्टेशन है वहां जाकर मालूम हुआ कि तमाम हिन्दू लोग एकज़बान होकर इस दुर्दशा का बयान कर रहे थे जो वहां के शास्त्रार्थ में आर्य-समाजियों की हुई, हमने जब इनको सुनाया कि मुन्शीरामी अख़बार में ठीक इसके बख़िलाफ़ लिखा था कि सनातन धर्मसभा वाले हार गये तो वह लोग दांतों में उंगलियां देने लगे कि देखो जी, यह लोग कैसे बेशर्म हैं, मुंह की खाते हैं और फिर भी नहीं शर्माते। हमारे साथ श्रीमान् पण्डित गणपति जी महाराज महोपदेशक, भारत धर्म महामंडल भी थे, वह भी हैरान थे कि असल हक़ीक़त तो यह है जो यहां आकर मालूम हुई है, और समाजी अख़बार किस कमीने दर्जे के बेशर्म और नालायक़ हैं। २९ मार्च की सिपहर को पण्डित गणपति जी ने और हमने वहां की धर्मसभा में व्याख्यान दिया, जिसको पादरी न्यूटन साहब भी सुनने के लिये आये थे, जब हम व्याख्यान दे रहे थे तो एक शख़्स बीच में खड़ा होकर मुख़िल हुआ और एक काग़ज़ का पर्चा दिखा कर कहने लगा कि अभी इसका जवाब दो। मालूम हुआ कि यह पर्चा आर्यसमाज की तरफ़ से था और यह शख़्स इसी समाज की तरफ़ से भेजा हुआ हमारी सभा में बदअमनी फैलाने आया है, हमने उस शख़्स की बदतहज़ीबी के लिये इससे मलामत की कि जबकि हम सभा में व्याख्यान दे रहे हैं, उस वक़्त बीच में उठने का क्या काम है, खत लाना था तो हमारे डेरे पर लाते जहां हम दिन भर मुक़ीम थे, या हमारा व्याख्यान खतम होने के बाद चिट्ठी देते, यह तहज़ीब किस नालायक़ ने तुमको सिखाई है कि हमारे जलसे में आकर खलल अंदाज़ी करो ! जाओ, इस वक़्त चिट्ठी का हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। और यह कह कर हमने उस चिट्ठी के परख़चे उड़ा दिये जो संस्कृत की ऐसी ग़लत

लिखी हुई थी कि आर्य समाज के विद्वानों के लिये मुजिबे शर्म है। ऊपर 'शास्त्रार्थ' के बदले 'शस्त्रार्थ' लिखा था और नीचे 'उपदेशक' के बदले 'उपदेशिक' लिखा था बीच की इबारत में जो ग़लतियां थीं उनका अन्दाज़ा नहीं, यह दो ग़लतियां तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे सतर में थीं, न मालूम वह कौन नालायक़ उपदेशक समाज का था जो बावजूद ऐसी बेइल्मी के, टका कमाने को उनका उपदेशक बनकर उनकी ज़िल्लत कराता था।

लाला मुन्शीरामजी से सवाल—हम महात्मा पार्टी के गुरुघंटाल ला० मुन्शीराम जी से पूछते हैं कि ऐसे ही उपदेशक हैं जिनको नौकर रख कर और प्रतिनिधि सभा का रुपया उनकी तनख्वाह में बिगाड़ कर वह सत्य धर्म की उन्नति करने निकले हैं, साफ़ ज़ाहिर होता है कि दयानन्दियों की इस प्रतिनिधि सभा में जिसको यह श्रीमती कह कर पुकारते हैं, कोई भी संस्कृत का विद्वान् नहीं और ला० मुन्शीरामजी वग़ैरा शायद महज़ कोरे हैं वर्ना कुछ तो लियाक़त देखकर वह अपने लिये उपदेशक मुक़र्रर किया करें। इस अमर में कालिज पार्टी जिस क़दर इस महात्मा पार्टी पर ज़हर उगले, सही है कि यह लोग पबलिक का रुपया इस तरह ज़ाया करते हैं। जबकि कहीं से लायक़ उपदेशक नहीं मिलते तो नालायक़ लोगों को जिनका टका कर्म और टका धर्म है, अपना उपदेशक बना लेते हैं, लाला मुन्शीराम से हम यह भी दर्याफ़्त करते हैं कि उन्होंने अपने समाजियों को यह तहज़ीब कहां से सिखाई है कि एक आदमी अपनी मजलिस में खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है और ग़ैर आदमी बिन बुलाये आकर इस लेक्चर में लाफ़ज़नी करे और इसमें रख़्ना डाले, जो आर्यसमाज की तरफ़ से खन्ने में यह खराबी कर बैठा था आम लोगों को इसकी इस ढिठाई पर इस क़दर जोश आया था कि न मालूम इसकी क्या दुर्गति होती, लेकिन ख़ास हमने और धर्मसभा के प्रेज़ीडेंट साहब ने निहायत मुश्किल से लोगों के जोश को रोका और तब वह सही सलामत निकल सका।

आर्यसमाजी पोल—ग़र्ज़े कि आर्यसमाजी शास्त्रार्थों और उनके बड़े-बड़े उपदेशकों की पोल हमारे सामने खूब खुल गई और उन गीदड़ भवकियों की कदर मालूम हो गई कि इन लोगों को कुछ नहीं आता. तोते की तरह 'सत्यार्थप्रकाश' रट रक्खी है और अगर इसमें भी कोई शंका करे तो जवाब नहीं दे सकते, पस इतना ही मसाला है बल्कि बहुत से मौक़ों पर तो ये लोग साफ़ यह भी कह देते हैं कि हम स्वामी दयानन्द के पैरों नही हैं और उनकी कुल बातों को नहीं मानते।

लाला मुन्शीराम साहब को फिर चैलेंज—हम लाला मुन्शीराम साहब को फिर चैलेंज देते हैं कि उनमें अगर कुछ शर्म है और अगर कुछ ईमानदारी है और कुछ लियाक़त और रास्ती का ज़ोम है और कुछ भी भरोसा है कि उनकी आर्यसमाज सच्चे रास्ते पर है तो बेशक हमारे साथ शास्त्रार्थ का बंदोबस्त

करें, हम साबित करेंगे कि वह ख़ुद और उनकी समाज के जुमला उपदेशकान बिल्कुल धोखे की टट्टी में शिकार खेलने वाले हैं। या तो लाला मुन्शीराम हमारे इस चैलेंज को मंज़ूर कर लें, वर्ना अपने अखबार में शास्त्रार्थ के झूठे हालात लिख कर अपना मुंह काला न किया करें। हम नियम वग़ैरा बनाने मध्यस्थ क़ायम करने में भी ज़्यादा वक़्त ज़ाया करना नहीं चाहते, जिस तरह पर चाहें निकलें मैदान में और आवें मुक़ाबले पर और दिखावें पबलिक को कि इनमें और उनकी समाज में किस क़दर पंडिताई है। हम इस रिसाले का नम्बर रजिस्ट्री करा कर ला० मुन्शीराम साहब के पास रवाने करते हैं, ताकि उनको यह उज़्र न रहे कि उनके पास यह पहुंचा नहीं है, हम और सब छोटी-छोटी भेड़ों को छोड़कर बड़े-बड़े गुर्गों से एक दफ़े ही शास्त्रार्थ करके उनकी अन्दरूनी नालायक़ी पबलिक पर ज़ाहिर करने को बेताब हो रहे हैं। आओ, मुन्शीराम, मर्दे मैदान बनो, हम भी ज़रा तुम्हारी वकालत और एडीटरी और तक़रीरबाज़ी और शास्त्रार्थ की लियाक़त को तो देखें और आपके उपदेशकों का भी जायज़ा लें। अगर आप अपने बाप के सच्चे बेटे हैं तो तैयार हो जाओ, हमारे शास्त्रार्थ के लिये और फिर तुमको साबित कराया जावे कि रोपड़ और खन्ना में कौन जीता और अगर तुम शास्त्रार्थ के लिये न निकले तो तुम्हारा सनातन धर्म के पैरों, उनकी निस्बत कभी भी यह लिखना कि यह तुमसे या तुम्हारे चेले-चांटों से या तुम्हारे किराये के टट्टू उपदेशकों से हार गये, महज़ झक मारने के बराबर होगा, जिसका खमयाज़ा इस लोक और परलोक में आपको खींचना पड़ेगा, हमें आपकी सूरत पर रहम तो आता था मगर इन नालायक़ तहरीरात को देखकर जो आपके अखबार की रू स्याह करती हैं हम मजबूर हुए हैं कि एक दफ़े आपसे भी ज़ोर आज़माई करके आपकी लियाक़त का जायज़ा तो लें, या आपसे हार खायें और या आपको बीच मैदान पछाड़ कर आपकी बोलती तूती बंद करें। क़सम है आपको, अपने निराकार परमेश्वर की अगर आप शास्त्रार्थ से गुरेज़ करें लाहौर आयें या जालंधर हमें बुलायें, हम दोनों तरह से तैयार हैं, परमेश्वर के लिये हमें नाउम्मेद न करना। हमारी भुजाएं इस धर्मयुद्ध के लिये फड़क रही हैं।

बुज़दिल बनकर बातें न बनाना, बल्कि जवां मर्द बन कर मैदान में निकलना, घर की कोठरी में बैठकर अखबार में अनाप-शनाप लिख देना और बात है, वह तो बुज़दिल से बुज़दिल, नालायक़ से नालायक़ आदमी भी कर सकता है, लेकिन पबलिक में अपनी सूरत दिखाकर फिर अपने क़ौल को साबित करना अलबत्ता कुछ हौसला चाहता है। मुन्शीराम जी करो हौसला, और दिखाओ अपनी लियाक़त अपने तमाम समाजियों को, अगर तुमने ऐसा न किया तो लाख-लाख धिक्कार और फटकार आप पर होगी, अगर फिर आपने कभी यह अल्फ़ाज़ अपने अखबार में दर्ज किये कि सनातनधर्मी आपसे या आपकी

बोदी समाज से हार गये। उस खत (मतबूआ सद्धर्म-प्रचारक, १२ अप्रैल १८९८ ई०) पर ला० मुन्शीराम ने कोई नोट नहीं दिया।

वाक़ै ४ जून १९०१ ई० — ला० वज़ीरचन्द मुल्ज़िम से मेरी कोई बड़ी ज़ाती वाकफ़ियत नहीं है। मैं सद्धर्म-प्रचारक प्रेस में कभी नहीं गया। मैंने कभी उस (ला० वज़ीरचन्द) के दस्तखत सिवाय समन के नहीं देखे। इस प्रेस से दो पर्चे निकलते हैं—सद्धर्म-प्रचारक और आर्य मुसाफ़िर, और आखिरुल ज़िक्र पर ला० वज़ीरचन्द का नाम बतौर सब-एडीटर के दर्ज है। लेकिन सद्धर्म-प्रचारक पर ऐसा नहीं है। वह जालन्धर में रहता है और सद्धर्म-प्रचारक में मज़ामीन लिखता है। इसलिये मैंने यह नतीजा निकाला कि वह सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेंट एडीटर है। मेरे पास और कोई दस्तावेज़ी शहादत नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा निकाला हुआ नतीजा माक़ूल है, मैं सिर्फ़ यह जानता हूं कि ला० बस्तीराम सद्धर्म-प्रचारक में असिस्टेंट मैनेजर लिखा जाता है। इससे ज्यादा मैं उसकी, या उसके फ़रायज़ की निस्बत नहीं जानता हूं।

अखबार आम मित्रविलास प्रेस में शाया होता है जिसमें के सनातन धर्म गज़ट भी छपता है, ब हैसियत मेम्बर खान्दान मैं मालिक मुश्तरक हूं। पं० गोविन्दसहाय मेरे साथ एक ही मकान में रहता है। मेरा भाई प्रेस का मैनेजर भी है। एक ही मकान में अखबार आम के एडीटर के लिये कमरा अलहदा है और सनातन धर्म गज़ट के एडीटर के लिये कमरा अलहदा है। एडीटरान बलिहाज़ अपने ओहदा कोई अलहदा तनख्वाह नहीं पाते हैं। सनातन धर्म गज़ट की खतो-किताबत के लिये अलहदा छपे हुए फ़ार्म हैं और अखबार आम के लिये अलहदा हैं। मैं कभी-कभी अखबार आम के एडीटर के छपे हुए ख़तूत के फ़ार्मों पर लिखता हूं, मैं अमूमन बतौर एडीटर के नहीं लिखता। लेकिन मैं अपने भाई के कहने पर कभी ऐसे लिखता हूं और खुद खतूत पर अपने दस्तखत कर देता हूं। मैं कभी-कभी अखबार आम के बख़ुद मुतल्लिक़ उसके खास फ़ार्मों पर खुद भी लिखा करता हूं।

लोग मुझे अखबार आम वाला पुकारते हैं और जो लोग कि मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, ख़याल करते हैं कि मैं अख़बार आम का एडीटर हूं। जो ख़तूत या मनीआर्डर पं० गोपीनाथ एडीटर अखबार आम के नाम से आते हैं मैं उन्हें कभी भी वापिस नहीं करता। ऐसे ख़तूत वग़ैरा मुझे आये हों तो अजब नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि मैं कभी भी किसी जलसे में या सरकारी ख़तोकिताबत में बतौर एडीटर अख़बार आम के बयान किया गया हूं। मेरी तर्ज़ तहरीर मेरे भाई से मुख्तलिफ़ है। नहीं कह सकता कि किस तरह पर फ़र्क़ है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी तहरीर की निस्बत मेरे भाई की तहरीर का मुग़ालता हो सकता है या नहीं। लेखराम को मैं जानता हूं जो आर्यसमाज का एक मेम्बर था, और

सख्त बदजुबान और हिन्दुओं को गालियां देने वाला था, वह सन् १८९७ ई० में मारा गया था। कहा जाता था कि वह क़तल किया गया है। आर्यसमाज की एक पार्टी उसकी इज़्ज़त करती थी। अख़बार आम मुर्वरिख़ा ९ मार्च सन् १८९७ ई० (दस्तावेज़ डी २९ तर्जुमा डी ३०) के सफ़े ३ पर लेखराम के क़तल पर एक नोट निकला था।

अख़बार आम मुर्वरिख़ा ९ मार्च सन् १८९७ ई० सहशम्बा

(दस्तावेज़ डी २९ तर्जुमा डी ३०)

आर्य मुसाफ़िर लेखराम का क़तल

लाहौर में इस ख़ौफ़नाक वार्दात क़तल पर बहुत ही अफ़सोस और खौफ़ जाहिर किया गया है, क़ातिल कोई मुसलमान था जो पकड़ा नहीं गया है, यह खून रोज़ रोशन में सर्ज़द हुआ है। क़ातिल ज़ाहिर करता था कि हिन्दू होना चाहता है, और मालूम होता है कि उसने दिली बुख़ार निकाला है। आर्यसमाज की तीनों पार्टियों में मातम का आलम तारी है और उनकी हालत सदक़े दिल से क़ाबिले हमदर्दी है कि उनका सर्बरावर्दा जंगजू इस बेरहमाना बुज़दिली से क़तल किया गया कि खुद अंगरेज़ी राज पर धब्बा आता है। मालूम होता है कि लाहौर यागस्तान हो गया कि क़तल के बाद क़तल वक़ूए में आते हैं और इन्तज़ाम खाक नहीं। इसके बाद कौन बाशिन्दा लाहौर अपनी ज़िन्दगी को महफ़ूज़ समझ सकता है। आर्य मुसाफ़िर की ज़िन्दगी का यह ख़ौफ़नाक खातमा क़ाबिले इबरत है लेकिन इसमें शुबा नहीं कि आर्यसमाज की कमज़कम एक पार्टी इसको क़ौमी शहीद की नज़रों से देखेगी।

यह नोट मैंने नहीं लिखा (वकील इस्तग़ासा इसके वाक़ै मुतल्लिक़े होने के बख़िलाफ़ उज़र करता है। लेकिन अदालत इस उज़र को ठीक नहीं समझती)

—दस्तख़त एच० लबर्ट।

अख़बार आम बाबत २२ मार्च सन् १८९८ ई० (दस्तावेज़ डी ३१ तर्जुमा डी ३२) में एक मज़मून 'लिवरपोल का इस्लामी इन्स्टीट्यूट' निकला है, मैंने यह नहीं लिखा, यह एडीटोरियल है।

अख़बार आम २२ मार्च सन् १८९७ ई०

(दस्तावेज़ डी ३१ व डी ३२)

लिवरपोल का इस्लामी इन्स्टीट्यूट

हम अपने नाज़रीन को इन्स्टीट्यूट की अफ़सोसनाक हालत बतला चुके हैं कि जिस पर हिन्दुस्तान के इस्लामी अख़बारात इतना फ़ख़र किया करते थे, और इसकी ख़ूबियों में दीन की उम्दगी के डंके बजाते थे, वह कैसा धोखे की टट्टी निकला है, अगर अंजुमन इस्लामिया लंडन हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों की राय का आइना ख़याल की जा सकती है, और हम समझते हैं कि बिला शक ऐसा ही है तो कोई वजह नहीं कि मिस्टर अब्दुल्ला कोयलम साहब की कोशिशों को फ़ख़र की नज़र से देखा जावे, और लिवरपोल इन्स्टीट्यूट के क़ायम करने में जो अज़ीम रुपया अहले इस्लाम का सर्फ़ हुआ है, अगर वह हिन्दुस्तान में किसी इस्लामी बहबूदी के काम में सर्फ़ किया जाता तो हज़ार दर्जे बेहतर फ़ायदा था। मुसलमानों की हालत इस मूल्क में बिल अमूम इफ़लास की बतलाई जाती है। इसलिये मुसलमानों का रुपया इस बेदर्दी से ज़ाया किया जाना किसी क़दर खास अफ़सोस मुजिब है·········जब रुपये की वाइस आजकल इतनी अज़मत है कि एक मामूली रज़ील आदमी भी अपने हस्बोनसब तक को बदल डालता है, और कोई चूं नहीं कर सकता। अगर रुपये के बाइस गुलामों की ऐसी नौकरियां फ़र्ज़कर की जाती हैं, तब रुपये के वास्ते यह क्या मुश्किल है कि दूसरे दीन की तारीफ़ और तहसीन की जावे। मिस्टर अब्दुल्ला कोयलम ने और इसी तरह मिस्टर एलेगज़ेण्डर वेब साहब ने हज़ारहा रुपया अहले इस्लाम का सिर्फ़ इसलिये खा लिया कि वह मुसलमानों के दीन की तारीफ़ करते थे। वेब साहब की निस्बत ख़ुदग़र्ज़ी का राज़ जल्दतर फ़ाश हो गया, लेकिन मिस्टर कोयलम साहब का भांडा तो ख़ुद अंजुमन इस्लामिया ने फोड़ा है,············यूरुप के हमसाया मुमालिक के पोलिटिकल यार लोगों ने टर्की में आकर ब कसरत तमाम इस्लामी मज़हब क़बूल किया और मुसलमानों की बिरादरी में दख़लयाब होकर जब देखा कि तमास नाकों पर क़ाबिज़ हो गये हैं, यकलख़्त शोर महशर बर्पा कर दिया और सुलतान रूम इस वक़्त इन्हीं लोगों के हाथों ऐसे तंग आ रहे हैं कि परेशान हैं कि क्या किया जावे, यह बात अब मालूम की गई कि क्रीट के तमाम मुजाहदीन रिआयाय् क्रीट के भाई बंद हैं, और रिआयाय् क्रीट में ज़्यादातर नुमाइशी मुसल-मान हैं जो तुर्की की बरबादी में मुजाहदीन के साथ दिल से एक मालूम होते हैं······ सुलतान रूम की मौजूदा हालत किस क़दर बेबसी की है, इसका असली

बाइस यह है कि खुद सुलतान की रिआया में कई ज़बरदस्त गिरोह मुसलमानों के शामिल हैं, यह गिरोह नौजवान टर्किश पार्टी कहलाता है, और इन लोगों ने जो ब ज़ाहिर मुसलमान हैं और टर्की की रिआया में शामिल हैं, सुलतान के खिलाफ़ वह-वह ज़बर-दस्त इश्तहार शर्मनाक और मुफ़सिदाना शाया किये हैं, कि हिन्दुस्तान के दीनदार मुसलमानों को हैरत होती होगी, कि जिनको हम हाफ़िज़े हरीमे शरीफ़ैन और खलीफ़ा तसुव्वर करते हैं, तुर्की रिआया के मुसलमान नौजवान उन्हीं की बेखकनी के दरपै हों, लेकिन वाक़ै में ऐसा ही है जब खास अपनी दीनी रिआया का यह हाल है, तो दीगर ताक़तों की मुखालफ़त क्यों न ज़ोर पकड़े ·········हम जानते हैं के हमारे खयाल की रफ़्तार से शुद्धि सभा के मक़ासद पर आंच ज़रूर आती है, और फ़िल हक़ीक़त सभा मज़कूर के मुअज़्ज़िज़ मेम्बरों की खिदमत में कि जिनकी क़ौमी नेकनीयती में शुबह करना सख्त ग़लती समझना चाहिये, यह इल्तमास मोअद्दबाना तौर पर की जा सकती है और उम्मेद हो सकती है कि वह इस पर नाचीज़ राय अखबार आम को शर्फ़ ग़ौर फ़र्मावेंगे, कि बाईस करोड़ अहले हिन्द का जमा करना और रखना बेहतर व मौज़ूं होगा, या कि चन्द हज़ार या हद्द दर्ज़े चन्द लाख ग़ैर आदमियों का सोसाइटी में मिलना के जिन में न मालूम कितने छिपे रुस्तम और लेखराम के क़ातिल और वेब और कोयलम ऐसे शामिल हों, जो महज़ भेद लेने या ताक़त तोड़ने की ग़रज़ खास से मुख्तलिफ़ बहाने पेश करके और फ़रेब देकर अपनी खास अग़राज़ को हासिल करें, जो सिवाय खास समूलियत के हासिल होना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होंगे। इस फ़िक़रे के बाद हम खयाल करते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हमें शुद्धि सभा की कार्रवाई को याद रहे, कि इसलिये बुरा नहीं समझते के मुसलमानों से डरते हैं, अंग्रेज़ी राज का साया अगर ख्वाबो खयाल नहीं है, हमको हक़ बात ज़ाहिर करने और हक़ काम के पूरा करने में किसी का डर नहीं है, यह सच है कि अगर लेखराम के क़ातिल का पता न लगा तो इस क़िस्म का खयाल क़ायम होगा, लेकिन हम यक़ीन करते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में अपने फ़रायज़ को समझती है, अगर इस क़िस्म का खौफ़ क़ायम रहा तो सबसे ज़्यादा डर ईसाई पादरियों को होगा, और हम खयाल करते हैं कि अगर मुसलमान हिन्दुओं के मज़हब की तौहीन किताबों में शाया कर सकता है तो हिन्दू को भी उन्हीं हथियारों से काम लेने का ऐसा ही अख्तियार हासिल है, हमारी बुनियाद मुखालफ़त जिस बात पर है वह ज़ाहिर कर चुके हैं, और अगर इसको खयाल में लाते तो पं० लेखराम की क़ीमती जान अज़ीज़ कभी इस बेदर्दाना तौर पर न जाती, क़ातिल का पकड़ना सरकार का फ़र्ज़ है, और इसमें मदद करना हिन्दू-मुसलमान दोनों का फ़र्ज़ है, लेकिन इन कोशिशों से लेखराम वापिस नहीं आ सकता। मिस्टर अब्दुल्ला कोयलम भी बहुत आसानी से कह सकते हैं कि तमाम

मिशन उनका अपना ज़ाती था और अंजुमन इस्लामिया को इससे क्या वास्ता है और कि अंजुमन इस्लामिया की इसको क्या परवाह है, वह-वह हाल जैसा कि हमने लिख दिया है, हमने अभी तक मिस्टर कोयलम साहब का जवाब दावा नहीं देखा है, उनके क़लम में लड़ने की ताक़त मज़बूत पाई जाती है और हम देखेंगे के वह अपने अखबार क्रीसेन्ट में इस मुख़ालफ़ाना फ़तवे की निस्बत क्या फ़र्माते हैं।

अब तक हम इसको बहुत थोड़ा देखते थे, ख़सूसन उस रोज़ से जबकि इसमें मुहम्मदिन गोला के ख़िलाफ़ एक सख्त इश्तआलबख़्श तहरीर दरबारे वफ़ादारी अहले इस्लाम शाया की थी। यह तहरीर ख़ास मिस्टर कोयलम के दस्तख़तों से थी और एडीटोरियल कालम की मुन्तखिब जगह जले हरूफ़ में छापी गई थी, इसको देखकर हमारा ख़याल मिस्टर कोयलम के काम और नीयतों की निस्बत बदल गया और उसके बाद अब ख़्वाहिश पैदा हुई है कि मिस्टर कोयलम के ऐक्सप्लेनेशन को पढ़ें, जो कुछ होगा उसका लब्बोलुबाब भी सुनावेंगे।

अखबार आम २३ मार्च सन् १८९७ ई० (दस्तावेज़ डी ३३ तर्जुमा डी ३४) एक दूसरा मज़मून लेखराम के बारे में एक नामेनिगार की तरफ़ से है।

अख़बार आम, २३ मार्च सन् १८९८ ई०, सेहशम्बा

(दस्तावेज़ डी ३३ व डी ३४)

पण्डित लेखराम का ज़ालिम दोस्त

प्यारे मक़तूल पं० लेखराम का क़ातिल दोस्त, जाये हैरत व अफ़सोस, दोस्तों से भागने की जगह शर्म का मुक़ाम, ज़हरआमेज़ शीरीनी का मज़ा, हमारे क़दीमी दुश्मन, जाये इज़तिराब हमारी एहतीयात की ज़रूरत, हिन्दू शराफ़त और निजावत का समरा, मेहमान-नवाज़ी का बदला शर्म! शर्म!! शर्म!!! अफ़सोस! अफ़सोस!! अफ़सोस!!! अय मक़तूल मुहिब्बे आर्यसमाज, हिन्दू क़ौम तेरे सदक़े, धर्म पर जान देना, क़ाबिल तहसीन व आफ़रीन, ज़िकर का निशान क़ाबिल लहराने के आर्य क़िले पर दूर का निशान बना झंडा, ग़ैर मुल्कों के दिलों में तेरी जगह, तेरा नाम, यादगार, तेरा वाक़ै जानक़ाह हमारी तारीख़, हमारा दिल तुझ पर क़ुर्बान, तू मज़हब का गर्दीदा पुरानी रसम हिन्दू धर्म का ताज़ा करने वाला, नया हक़ीक़तराय, तेरे पसमान्दे अगर्चे वे तेरे मुसीबत ज़दाह, मगर तू क़ौम के दिलों में खुब गया, कुल क़ौम तेरी यादगार में रो रही हैं, और तू मज़हबी क़ुर्बानी में शहीद, और ख़ुश और तेरा बोलबाला, तेरी रूह आनन्द में,

और तू सीधा बहिश्त में, अय अन्दे हयात स्वर्ग में विराजमान तू हमारी यादगार, अफ़सोस ! अफ़सोस !! अफ़सोस !!! तेरा क़ातिल दोज़ख का वासी, मर्दूद, नामुराद, तेरी तरह उसका कुनबा मातम में बैठे और यह दिन देखना नसीब, हमारी लाअ़नत उस पर मुदाम, अय क़ातिल तेरी जान अज़ाब में, और तू मलऊन, तूने बेरहमाना हमला किया, हमारे मुहसन को मारा, तेरी बुज़दिलाना करतूत, क़ाबिले नफ़रत, अय बेशर्म, तू अहसान तले मर न गया, तू वाक़ई किसी मुहसुन-कुश क़ौम से होगा, अहसान ने तेरी गर्दन न मारी, हातिम के क़तल में अहसान ने बादशाहों तक को ज़ेर किया, पर तू मलऊन नमकहराम पछाड़ा न गया, तेरी करतूत पर अफ़सोस, तेरी हया पर शर्म, तू क़ाबिले लानत और नफ़रीं, शर्म ! शर्म !! शर्म !!! अय लेखराम के गर्वीदा हिन्दू मरने वाला मर गया, अगर्चे ज़ालिम के हाथ से, पर धर्म पर शहीदी सीधा बहिश्त में, जुल्म ज़ालिम की गर्दन पर फिर क्या खौफ़, खुश हो जाओ अगर्चे दिल न चाहे, हाय एक प्यारा मेरे और फिर खुशी, पुर मतलबखेज़, सोचो क़ौमी बकरा हमेशा मज़बूह हुआ करता है अगर्चे नर्मदिल क़ौम का काम नहीं, यही धर्म और नामवरी का अंजाम और फल है जिसको पा लिया, यही निशान था जो धर्म के सिर पर फिराया गया, क़ाबिल ज़िकर है, और क़ाबिल तहसीन, अय खुशी मनाने वाले अगर हो तो शर्म करो, यह मर्दानगी नहीं, हिम्मत नहीं, क़ायदा है और पुराना है, जब हुज्जत में बराबर न आया तो लाचार जंग की ठानी, ख्वाह मारा या मरा, पर इस जगह यह भी नहीं, दगा और फ़रेब से मारना बुज़दिल और बेइल्म औरात का काम है, मर्दे मैदान सामने आते हैं, जो अक़्ल न रक्खे वह हैवान है और हैवान हमेशा लातें मारते आये हैं कोई मर्दमी नहीं, इसे धर्म हीना नहीं हुआ, तुम्हारी लियाक़त नहीं बढ़ी, तुमने ज़नाना काम किया, बेइल्मी क़ाबिले नफ़रत, जहूलत क़ाबिले शर्म, कर्तूत लानत के लायक़, शर्म ! शर्म !! शर्म !!! इल्हाम से मारा जाना एक वक़्त पर होता है, जो हर हालत में अटल होता है, मगर वाक़या बतलाने से इन्सान चौकन्ना हो जाता है, अगर ऐसा होना मूजिबे फ़ख़र होता, सब ही साद करते, पर एक आलिम के पीछे किसी ज़ालिम का पड़ जाना, और मौक़ा ताड़ कर मार कर रहना कोई मर्दानगी नहीं, क़ाबिल तज़हीक़ और बेजा फ़खर है, शर्म ! शर्म !! शर्म !!! (डबल आर R. R. मातमी)·········

जिरह—मैं इसका लिखने वाला नहीं हूं। कहा जाता था कि क़ातिल एक नौ मुसलिम हिन्दू था जो कि फिर हिन्दू होना चाहता था। और इसलिए लेखराम के पास गया था। हक़ीक़तराय एक हिन्दू लड़का था। जो इसलिये क़तल किया गया था कि वह मुसलमान नहीं होता था। लेखराम को उससे तशबीह दी गई है। यह मज़मून लेखराम के क़तल के बाइस मुसलमानों के सख्त बखिलाफ़ है। यह गालिबन किसी आर्यसमाजी का लिखा हुआ है। इस मौक़े पर हिन्दुओं और

मुसलमानों में फ़साद हो गया था, जिसे आर्यसमाजियों ने भड़काया था। हिन्दू भी आम तौर से इसमें शामिल थे। मुझे मालूम नहीं है कि आया कोई मुसलमान इस पर अख़बार आम से नाराज़ हो गया था या नहीं। मैंने यह देखा था कि अख़बार आम के मुसलमान ख़रीदारों को उसकी खरीदारी से बाज़ रखने की कोशिश की जाती थी। चन्द मुसलमानों ने मुसलमानों के पास सर्कुलर ख़तूत इस तरह पर हटाने के लिये भेजे थे। मैंने बहैसियत मैनेजर अपने नाज़रीन को एक सर्कुलर लेटर भेजा था। मुझे मालूम नहीं है कि वह प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल था या नहीं। मैंने ख़त को लिखा और उस पर दस्तख़त किये थे, और अपने मुसलमान मुलाज़िमों की तादाद की तरफ़ तवज्जह दिलाई थी। उस वक़्त (हमारे मुसलमान मुलाज़िम) ८० फ़ी सदी थे। अख़बार आम बावत २२ मई सन् १८१७ ई० (दस्तावेज़ डी ३५ तर्जुमा डी ३६) में इसकी बावत एक मज़मून है, जिसमें ज़िकर है कि हमने ऐसा ख़त भेजा था, यह एक एडीटोरियल नोट है, लेकिन मैंने नहीं लिखा था।

अख़बार आम बावत २४ मई सन् १८९७ ई० (दस्तावेज़ डी ३७ तर्जुमा डी ३८) में एक मज़मून 'हमारी राय की वक़अत' है, यह मेरा लिखा हुआ नहीं है।

अख़बार आम, २५ मई १८९७ ई०

(दस्तावेज़ डी ३७ तर्जुमा डी ३८)

हमारी राय की वक़्अत

बक़ौल उस्तादाने तालीमी अख़लाक़ का एक मक़ूला यह है कि क़ब्ल इसके कि दूसरों को किसी बात की नसीहत की जावे, बेहतर है कि पहले उस पर ख़ुद अमल करें, अगर ऐसा किया जावे तो आम ख़याल यह है कि नसीहत बहुत मुवस्सर होती है, बशर्ते कि नसीहत करना मंज़ूर है, लेकिन जहां नसीहत लेने से वास्ता है वह मामला हरेक के अपने हाथ में है, कि चाहे तो तिनके के रुख से ज़माने की रफ़्तार का अंदाज़ा करे और चाहे तो लाख जगाया जावे, लाख शोर किया जावे, नहीं मानेंगे, पर नहीं मानेंगे, बल्कि अगर कुछ असर महसूस होगा तो, महज़ उल्टा, पहले काम को भी ख़राब करने वाला।

कोई राय वक़त हासिल नहीं कर सकती, जब तक कि उसका नतीजा नेक तस्लीम न किया जावे, और जो राय बग़ैर ग़ौर करने नतीजा आख़िरी के बाज़ वाक़ात के जोश में ज़ाहिर कर दी जाती है, वह बाज़ औक़ात बिल्कुल ख़िलाफ़

और अकसर औक़ात कुछ भी नहीं असर पैदा करती है, हमारी राय गवर्नमेण्ट की खिदमत में जो कुछ है यह है कि, हिन्दू और मुसलमान दोनों हिन्दुस्तान की मसावी उल हक़ूक़ रिआया हैं, दोनों रिआयायें सदियों से एकजा रहीं और क़यामत तक एकजा रहेंगी। हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिये नहीं है, न मुसलमानों के लिये है, बल्कि हिन्दू-मुसलमानों ग़र्ज़े कि तमाम हिन्दुस्तानियों के लिये है, और इससे बढ़कर अगर है तो बर्त्तानिया के लिये है। हम खयाल करते हैं, हिन्दुस्तान के नब्बे फ़ी सदी देसी अखबारात इस राय के सदक़ दिल से मुवैद होंगे लेकिन घर की हालत को देखते हैं तो अजब क़लई खुलती नज़र आती है।

एक मज़हब का मामला है कि जिसमें गवर्नमेण्ट ने हर एक फ़िर्क़े को पूरी आज़ादी दे रक्खी है, हालांकि गवर्नमेण्ट खुद लामज़हब है, हमारा पॉलिटिकल इन्तज़ाम सब कुछ गवर्नमेण्ट के अधीन है, इसके लिये तो हक़ूक़ चाहते हैं, लेकिन मज़हब की अज़ीम आज़ादी जो कुल्लिया तौर पर हमारे हाथ में दी गई है इसकी तरफ़ से ऐसे अंधे हो रहे हैं कि जिसका असर पॉलिटिकल हदूद में भी अपनी नापाक आलायश पर पहुंचा देता है।

हमारा काम अपने अहले मुल्क से साफ़-साफ़ अरज़ कर देना है। अहले मुल्क अपनी मादरी ज़बान के खयालात को वखूबी समझ सकते हैं, गो इस वक़्त यह सवाल भी मुअर्ज़ बहस में लाया गया है, कि हमारी मादरी ज़बान क्या है। कोई किसी ज़बान को मादरी बतलाता है और कोई किसी को बतलाता है, लेकिन हमारे खयाल में मादरी ज़बान यही हिन्दुस्तानी ज़बान है, जो अगर नागरी हरूफ़ में लिखी जावे तो हिन्दी है, और फ़ारसी में लिखी जावे तो उर्दू है, अपने भाइयों से मुखातिब होने में तक़ल्लुफ़ नहीं करते हैं और ग़लतफ़हमी का अंदेशा कमतरीन् होता है।

एहतीयात उस वक़्त दरकार है जबकि गवर्नमेण्ट से गुज़ारिश करना है जो हम तमाम हिन्दुस्तानी फ़िर्क़ों की रिआया से अलहदा और अजनबी है, इससे मुतल्लिक़ बात-बात पर ग़लतफ़हमी का पैदा होना मुमकिन है, खुदा जाने हम क्या कहते हैं और वह क्या समझते हैं, इनके कहने और समझने में और हमारे कहने और समझने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है क्योंकि वह फ़ातेह हैं और हम मफ़तूह हैं।

अगर हम तमाम अहले हिन्द को बग़ैर इम्तियाज़ मज़हबी तफ़ावुतों के पॉलिटिकल हक़ूक़ के मुत्तफ़िक़ व मुसावी प्लेटफ़ार्म पर लाना चाहते हैं, तो मज़हबी तखसीसों की मुसावी ताज़ीम करना लाज़िम है, राक़िम उल हरूफ़ के वाक़िफ़ान क़बूल करेंगे कि वह सदक़ दिल से अपने सनातन धर्म का सनाख्वान है, और अगर हिन्दू जामा होने की वजह से मुल्की राय के ज़ाहिर करने का कुछ भी माद्दा है तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि दिखायें कि मुसलमान तो मुसलमान,

हिन्दू भाई भी हमारी राय को मानते हैं या नहीं।

पहले यह 'हमारी राय' ज़ाहिर हो जानी चाहिए कि जिस पर इस क़दर ज़ोर देना मंज़ूर है, हरेक अहले मज़हब अपने एतक़ाद में पक्का और सच्चा है, और हरेक का वास्ता ख़ुदा से है, तो हरेक को अख्तियार है कि जिस रंगत में पसंद करे उसको याद करे, अगर हमारा शंख बजाना किसी मुक़ाम पर बंद किया जावे, तो हमको जो रंज पैदा होगा, वही रंज होगा एक मुसलमान भाई को अगर उसकी अज़ां में दखल दिया जावे, नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने रंज को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसका रंज क़यास के मुतल्लिक़ है, जिसका कुछ भी हद्दो-हिसाब नहीं है।

ब्रिटिश राज्य की असल ख़ूबी अहले हिन्द को अमली तौर पर उस वक़्त महसूस होने के क़ाबिल होगी जबकि ईसा बदीने ख़ुद और मूसा बदीने ख़ुद की अक़लमन्दी को हरेक फ़र्दोबशर अमली तौर पर क़बूल करेगा, अगर मुसलमानों के यहां बीफ़ (गौमांस) खाना जायज़ है तो हमारा रोकना महज़ फ़ज़ूल है। और मुक़ाबला करना ख़ुद इन्तज़ाम का मुक़ाबला करना है, हम गौमाता की इज्ज़त करते हैं और उसके गोबर से चौका देते हैं और उसके मूत से प्रायश्चित्त करते हैं। हमको अख्तियार है, लेकिन ईसाइयों की दाल-रोटी का मदार ही बीफ़ और बटर (मक्खन) पर है, और अहले इस्लाम के नज़दीक भी यह मज़हबी तौर पर मुतलक़ हराम नहीं है, बल्कि हलाल महज़ है, कैसे अफ़सोस और शर्म की बात है कि अहले इस्लाम अगर चाहें कि गाय की क़ुर्बानी करें तो हिन्दू उनके रोकने में ख़ून-ख़ून होने लगें, हालांकि यह ख़ूंख़्वारी बिल्कुल नाजायज़ और खिलाफ़े इन्तज़ाम है।

हम बरेली के अहले इस्लाम की सदक़ दिल से तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने मौक़े ईद पर अपनी नेक सलूकी का फ़याज़ाना सबूत दिया है, हिन्दुओं को इस पर फ़ख़्र नहीं करना चाहिये, बल्कि शुक्रगुज़ार होना चाहिये कि अहले इस्लाम ने उनकी ख़ातिरदारी को मद्दे नज़र रख कर गाय की क़ुर्बानी न की, और अहले हनूद को भी जाबजा दिखलाना चाहिये कि वह भी ऐसे अमूर में जो मज़हबी फ़ीलिंग से मुतल्लिक़ हैं, खलल लाना नहीं चाहते, बल्कि उनका हाथ बटाना चाहते हैं, और याद रखना चाहिये कि इस मसलाहत के रूईया में हिन्दू का अहसान मुसलमान पर नहीं होगा, और न मुसलमान का अहसान हिन्दू पर होगा, बल्कि दोनों का अहसान ख़ुद अपने-अपने ऊपर पहले और दूसरे पर बाद में होगा।

गवर्नमेण्ट की पोज़ीशन की निस्बत कह चुके हैं कि तीन लोक से मथुरा न्यारी है, उसके नज़दीक गौ और सूअर घोड़ा और गधा दोनों बराबर और दोनों अपने-अपने मौक़े पर मुसावी मुज़ीद हैं, वह नहीं समझ सकती कि हिन्दू क्या

बकते हैं, जबकि गौ को बुरी चीज़ कहते हैं, और मुसलमान क्या रटते हैं जबकि झटके को मुर्दार से भी बदतर तसुव्वर करते हैं, इसका इलाज सीधा है कि अगर हिन्दू-मुसलमान बाहम लड़ते-झगड़ते हैं, तो फ़ौज बढ़ाई जावे और एतबार उठाया जावे और इन्तज़ाम कड़ा बनाया जाय क्योंकि वह हिन्दुस्तान को फ़तह कर चुकी है, और उसको रखना चाहती है, यह किस क़दर अफ़सोस और अदम तालीम की बात है कि गोरी फ़ौजों के लिए लखूखासन (बीफ़) बहम पहुंचे और मुसलमान अगर उसको नेआमत समझ कर नोश करना चाहें, तो इसलिए रोके जायं कि हिन्दू भड़केंगे। क्या भड़केंगे और किससे भड़केंगे? भड़क कर क्या करेंगे, याद रहे कि रहा-सहा सत्यानास करेंगे, वह गवर्नमेण्ट को जो ईसाई मज़हब आबाई की नहीं है कैसे हिन्दू बना लेंगे, और जब तक ऐसा न करेंगे दूसरी रिआया को इनकी आज़ादी से कैसे रोक सकेंगे? यह रोक सिर्फ़ एक तरह मुमकिन है, कि आपकी दिलदारी करेंगे तो ज़रूरी है कि आप भी हमारी दिलदारी ज़रूर करेंगे, यह क़ायदा कुल्लिया है और हरेक मज़हब से बजा और रवा ठहरता है, हमको बार-बार समझना चाहिये कि गवर्नमेण्ट इस बारे में आखिरकार झूठा हमीं को बनावेगी कि दूसरे के मज़हबी मामले में क्यों दखल देते हो, और उस वक़्त हमारा जवाब क्या होगा?

हमको इस बात का पूरा अख़्तियार है कि अपने लिए गौरक्षिणी सभाएं बनायें और उनमें लावारिस और आवारा मवेशियों की पर्वरिश करके आखरत का पुण्य हासिल करें लेकिन यह हमको अख़्तियार नहीं है कि और कोई शख्स अपनी ज़र खरीद चीज़ का हस्बदिल ख्वाह इस्तेमाल करें, और हम उस पर शोर मचावें, हमको चाहिये कि अपनी नज़र को बचायें। अगर ऐसा ही बुरा मालूम होता है तो याद करें कि राज कैसा है और हम क्या कर सकते हैं, अहले इस्लाम से ज़्यादा से ज़्यादा यह उम्मेद रख सकते हैं, कि वह ऐसे काम को हिन्दुओं की नज़रों से ओझल करें, लेकिन अगर कारेक़ज़ा ज़ाहिर भी हो जावे तो याद रखना चाहिये कि क़ानून की नज़रों में वह ऐसा संगीन जुर्म नहीं है जैसा कि इसकी निस्बत जोश पैदा किया जाता है। हमारा काम यह है कि अगर गाय को मुतबर्रिक समझते हैं तो अपने घर में इसकी पर्वरिश करें, कोई हिन्दू घर न हो जो गौमाता से खाली हो और वह गौ माता ऐसी खुश और तैयार नज़र आवे कि देखते ही ज़ाहिर हो जावे कि हां, हिन्दुओं की गौ माता है, बखिलाफ़ इसके, क्या है सौ हिन्दू घरों में एक गौ हो तो हो, और यहां तो वह भी 'मुस-दाने' के लिए गलियों में दर ब दर फिरती है। दूध लेने में कोई कसर न रक्खेंगे लेकिन खाना देने में पसलियां और पहलू ही ज़ाहिर कर रहे हैं जो मिस्ल पिंजर के उभरे हुए नज़र आते हैं, फिर कई अहले हनूद ऐसे भी देखे गये कि गाय हासिल की, और जब देखा कि दूध देने से रह गई है तो किसी ऐसे के पास बेच डाली जो क़ीमत का

अंदाज़ा उसके वज़न पर करता है, और वह यह ख़ुद जानता है कि मुश्तरी इसको लेकर क्या करेगा.........।

जिरह—सनातन धर्म के हिन्दुओं में गाय की बड़ी इज़्ज़त है। आम तौर पर हिन्दू 'गाय को काटा गया, जिबह किया गया' के अल्फ़ाज़ को बुरा मानते हैं। "मुसलमानों के यहां बीफ़ (गायगोश्त) खाना जायज़ है तो हमारा रोकना फ़ज़ूल है"—इस फ़िक़रे पर समझदार हिन्दुओं को कुछ एतराज़ नहीं होता। गाय का गोबर और पेशाब दीगर चीज़ों में मिलाकर (पंचगव्य) हिन्दू खास-ख़ास मौक़ों पर पीते हैं। मैं भी इसे पीता हूं। यह मज़मून सुलहकुन है, और अफ़सोस करता है कि हिन्दू लोग मुसलमानों को उसके करने और खाने से क्यों रोकते हैं। जिसे कि ब्रिटिश रेजिमेंट (गोरी फ़ौज) खाती और करती है। यह मज़मून जो मैंने पढ़ा है मेरी राय के मुताबिक है।

अखबार आम बाबत २७ मई सन् १८९७ ईस्वी (दस्तावेज़ डी ३९) में भी एक एडीटोरियल नोट 'हमारी राय की वक़अत' उसी पुरानी सुर्ख़ी से दर्ज है। उसमें भी गावकुशी के बारे में ज़िकर है। यह मैंने नहीं लिखा था। पहले मज़ामीन हिन्दुओं के समझाने के लिए थे, और बाद के मज़ामीन मुसलमानों के समझाने के लिये। ऐसे मज़ामीन का एक सिलसिला शाया हुआ था (देखो अख़बार आम, १७ जून सन् १८९७ ई०—'हमारी राय की वक़अत'—दस्तावेज़ डी ४० तर्जुमा डी ४१)।

अख़बार आम, १७ जून १८९७ ई०

(दस्तावेज़ डी ४० तर्जुमा डी ४१)

हमारी राय की वक़अत

इस उनवान के नीचे जो मज़ामीन अखबार आम में शाया हुए, हमें खुशी, ताज्जुब और अफ़सोस है कि वह ऐसी ग़ैर मामूली वक़अत या बेवक़्ती के साथ देखे, पढ़े और सुनाये और मुश्ताहिर किये गये हैं कि हम हैरान और शशदर हैं, और हमारा यह सिलसिला ही रुक गया कि तूफ़ान के रुख़ को देख लें, खुशी इसलिए है कि मज़ामीन हाज़ा का अज़हद्द चर्चा कम से कम लाहौर में हुआ, और बाहर भी किसी क़दर, इस्से ज़्यादा खुशी एक अख़बारनवीस के लिए क्या हो सकती है कि उसके मज़ामीन हर केहो मेह की ज़बान का टॉपिक हों, ताज्जुब इसलिए है कि अखबार आम में आज तक हजारों मज़ामीन शाया हुए हैं, किसी पर इस क़दर चर्चा नहीं हुई। यह आज हमारे नये मेहर्बान या ख़ास उल ख़ास

हमारे रफ़ीक़ या मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त या आला दर्जे के मसखरे दोस्त या हमारे दिली खैरख्वाह, या हमारी इज़्ज़त पर हाथ मारने (तोबा-तोबा हाथ रखने) वाले, मुशफ़िक़ान का लश्कर कहां से पैदा हो गया, कि टिड्डी दल की तरह चारों तरफ़ पर मार रहा है, और गर्दो गुबार उड़ा कर दिल्लगी करता है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे हमारे चन्द मेहर्बान इस ताक में मुद्दत मुज़ीद से थे कि कहीं मौक़ा मिले तो अपने खब्त बातन (तोबा-तोबा साफ़-साफ़ बातन) होने का पूरा जोर दिखावें, और हमें दुश्मनों और दोस्तों में तमीज़ करने का मौक़ा देवें, और यह मौक़ा उनको अपने दिल के बुखार तोबा-तोबा शान्ति) दिखाने का ऐसा मौक़ा हाथ आ गया, कि फ़कत एक डुगडुगी गले में बांधनी बाक़ी रह गई, वर्ना और कोई कसर बाज़ार में, हत्ता कि नदी किनारे भी मनादी करने में बाक़ी नहीं रही, अगर हम दस हज़ार रुपये खर्च करके भी इस काम के लिए मोअज़्ज़िज़ एजेन्ट या टाओट मुक़र्रर करते या मोअज़्ज़िज़ वकील बज़रिये टाओट्स के वहम पहुंचाते तो शायद इस क़दर चर्चा न होती जो अब हुई है, खुशी और ताज्जुब की वजह तो हम ऊपर बयान कर चुके हैं अब अफ़सोस इसलिये है कि कई एक हमारे भोले-भाले भाई खादहू-लोह, जो ज़माने के बल-छल और मौजूदा ज़माने के कुछ तालीमयाफ़्ता लोगों की चालबाज़ियों से नावाक़िफ़ हैं, वह भी बिचारे बातों-बातों में फंस गये हैं, न वह मज़मून की रविश को समझ सकते हैं, न उन भोले भाइयों ने उमर भर कभी अखबार पढ़ा या खरीदा होगा, पन्सारी के यहां से पुड़िया में आ जावे तो और बात है, वह इन्नोसेण्ट (भोला-भाला) भाई भी इन ज़ाहरी तालीमयाफ़्ता लोगों के भर्रे में ऐसे आ गये हैं, कि इस वक़्त उनकी हालत 'न पाये रफ़्तन् न जाये मान्दन्' की-सी है, एक तरफ़ हमारी ज़ात को देखते और सोचते हैं तो कुछ और खयाल पैदा होता है, दूसरी तरफ़ ग़ैर की आवाज़ सुनते हैं और चालबाज़ों की ज़बान से एक फ़िक़रा मज़ामीन का सुन लेते हैं, जो उनको खासकर सुनाया जाता है, तो बिचारे कानों को हाथ लगाते हैं और राम-राम पुकारते हैं।

यह हम क़बूल करते हैं कि उन मज़ामीन में चन्द फ़िक़रे ऐसे थे कि अगर न लिखे जाते तो बेहतर था, दूसरे अल्फ़ाज़ में वही मतलब बयान हो सकता था, या अगर वह मज़ामीन ही न लिखे जाते तो भी कोई हर्ज न था, और न इनकी ऐसी खास ज़रूरत थी, और यहां तक भी हमें मानने में इन्कार नहीं कि बिला शुभा चन्द हिन्दू भाइयों को उनसे रंज भी पहुंचा, जिनसे हमें सदक़ दिल से माफ़ी मांगने में भी इन्कार नहीं, लेकिन वांई हमहमः खुले दिल से कहते हैं, और जुर्रत के साथ लिखते हैं कि जो लोग यह मशहूर करते हैं कि अहले इस्लाम से रिश्वत लेकर यह मज़ामीन लिखे गये, अहले इस्लाम को नाजायज़ तौर पर खुश करने के लिए ईमान का खून किया गया, ज़ाती फ़ायदे के लालच से ऐसी हरकत

अखबारे आम से सर्ज़द हुई वह अव्वल दर्जे के बेईमान, नालायक़, झूठे, बदवक़्त हासिद हैं जो ख्वामख्वाह जलते हैं और हमारी इज़्ज़त को आंच पहुंचाने का मौक़ा ताक रहे हैं, या वह कोई ऐसे स्याह बातन बुज़दिल और मक्कार हैं, कि खुले मैदान में मुक़ाबले की ताब न ला कर दूसरी तरह से अपने तीर चलाते हैं, और उन लोगों को हमारे बख़िलाफ़ उकसाते हैं कि जिनकी हमारे ज़रिये से बड़ी ताक़त है, और जिनके ज़रिये से हमारी ताक़त है, जिनका दिल जैसा है वह दूसरे को वैसा ही ख़याल करता है, शायद वह खुद ऐसे बेईमान होंगे कि ज़ाती लालच से ईमान को बेच दें, इसलिए वह हमको भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ख़ुशक़िस्मती से बहुत से मौक़े इससे पहले ऐसे हो चुके हैं जबकि हम इस अमर का इम्तिहान दे चुके हैं और आइन्दा भी इंशाअल्ला ताला ऐसे बहुत से मौक़े आवेंगे जब कि यह हासिद रू स्याह होंगे, और चुल्लू भर पानी में उन्हें मुंह देखना होगा। इस वक़्त येही लोग रुख पलटेंगे, और ज़माना हमें वह तमाशा देखने का मौक़ा देगा, ज़िन्दगी और नेकनीयती शर्त है।

खोटे दिलों के नुक़्ताचीनों ने यह तो समझा नहीं कि अख़बार आम किस ग़रज़ से मज़मून लिख रहा है, उसका मुद्दआ क्या है, अगर समझा है तो उसे बदनीयती से छिपाया है, फ़क़त पर का कउवा बनाने पर कमर बांधी है और ऐसे-ऐसे बहुतान बके हैं, और बेईमानी वाले ख़यालात हमारी तरफ़ मनसूब किये हैं और ऐसी-ऐसी ग़लत अफ़वाहें उड़ाई हैं, कि अगर मसले तनासुख सही है, और अगर कोई इन्साफ़ करने वाला, सबके दिलों के हाल जानने वाला ख़ुदा मौजूद है, तो उन लोगों को चाह ज़लालत में कुछ अर्से निवास करना होगा, और न मालूम कौनसी जून में जाकर वह इस गुनाह का फल भोगेंगे, और अगर हम झूठे और वह सच्चे हैं, तो हमारा यही हाल होगा।

हम अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, सब देखते हैं और सब सुनते हैं, कभी जी चाहता है कि लुंगाड़ों के साथ लुंगाड़पन का सलूक करके दिखाया जावे कि वह किस खेत की मूली हैं, और कहां अपनी हैसियत से बढ़कर ज़ोर दिखाते हैं, फिर जी में आता है कि सुबकों के साथ हल्की कार्रवाई शायां नहीं एक चुप सौ सुख, सकूत के साथ ज़माने पर इन्साफ़ छोड़ दो, तूफ़ान के बबूले खुद बैठ जावेंगे।

कई शरीरुलनफ़्स भोले-भाले लोगों में यह मशहूर करते हैं कि अख़बार आम ने यह लिखा है कि पुराने ऋषीश्वर लोग गोमेध किया करते थे, इसलिए हिन्दू लोगों को बीफ़ खाना जायज़ है, और कइयों ने मशहूर कर रक्खा है कि फलां इस्लामी अख़बार में यह छपा है कि अख़बार आम वाले का हम या एतबार नहीं करते, अगर वह सचमुच मुसलमान हो जावे और हमारे साथ मिलकर कलमा पढ़ें तो अलबत्ता हम उस पर एतबार करेंगे, हम आंखें मल कर देखते हैं, न तो आज तक इस २७ साल के अर्से के अन्दर अख़बार आम में कोई ऐसा मज़-

मून शाया हुआ है जिसमें यह लिखा हो, अलबत्ता त्रिलोकी गुरु महामुनि श्रीमान् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी ....जी महाराज जो एक मशहूर फ़िर्के के फ़ाउण्डर हो गुज़रे हैं जिनको हिन्दुओं का सैयद अहमद कहना चाहिए, और जिनके गुरु की दो पार्टियों की लड़ाई में बेशबह लिटरेचर शाया हो चुका है और अब जिनमें एक पण्डित के मारे जाने पर सुलह हो गई मालूम होती है (जिससे इन दोनों ने साबित कराया है कि गोया वही फ़ितने की जड़ था) उन्होंने अपनी बड़ी मुक़द्दम धर्म-पुस्तक में जो वह अपने पैरवान् के लिये कुल मज़ाहब का निचोड़ बना कर इनको दे गये हैं, और जिसकी कई हज़ार कापियां शाया हो चुकी और हो रही हैं, इसमें यह ज़रूर लिखा है कि गाय और गधी बराबर हैं और बांझ गाय को.....कुछ ऐब नहीं है!!! कहां एक स्वामी महाराज की बनाई धर्म-पुस्तक और कहां यह कलाम, अफ़सोस कि इस पर ग़ौग़ा न हो और अख़बार आम में इतना लिखने पर, कि दीगर मज़ाहब के यहां वह चीज़ जायज़ है जो हिन्दुओं के लिये सख़्त से सख़्त क़सम है, इस पर यह गाज़ियों और मतवालों का सा ज़ोर-शोर, हल्ला-गुल्ला!!। दूसरी अफ़वाह की निस्बत भी हम छानबीन करते हैं, तो इसके भी सही होने का हमें कोई पता नहीं मिलता, हमने जिस-जिस इस्लामी अख़बार का नाम सुना उसको तलाश कर-करके ढूंढा और मंगवाया, कि हमारी निस्बत कहां ऐसा दर्ज है, कि बग़ैर मुसलमान हुए वह हम पर एतबार नहीं करेंगे, लेकिन इस वक़्त तक कहीं पता नहीं लगा, हमें खुद शौक़ है कि देखें, लेकिन दस्तयाब नहीं होता, कोई हमारे मेहर्बान जो अफ़वाहें उड़ाने में अपना दिल खुश कर लेते हैं अगर हमें वह अख़बार दिखावें तो हम ममनून होंगे।

यह दर्म्यानी तमहीद हमको जबरन व कहरन दर्म्यान में लिखनी पड़ी जिसकी वजह से हमारा सिलसिला ए मज़मून रह गया, अब हम अगली दफ़े हिन्दू-मुसलमानों में गोश्त झटका और हलाल पर जो ख्वाहमख्वाह की रंजिश है उस पर आज़ादाना बहस करेंगे.....यह सिलसिला कुछ मेरे भाई पं० गोविन्दसहाय ने लिखा था। यह खत (दस्तावेज़ डी ४२ तर्जुमा डी ४३) बनाम मौलवी ज़हूरअली अहमद प्लीडर दर्जे अव्वल भूपाल मैंने लिखा था। यह अखबार आम के एडीटर के औफ़िस से लिखा हुआ है।

मौलवी ज़हूरअली को भेजा हुआ खत

(दस्तावेज़ डी ४२ तर्जुमा डी ४३)

Akhbar-i-am To Molvi Zahur Ali
Editor's Office Ahmad Sahib
Lahore 29-5-1897 Bhopal

ब खिदमत शरीफ़ जनाब मुकर्रम मुअज़्ज़म बन्देह जनाब मौलवी साहब ज़ाद

इनायतहुतस्लीम, आपका नवाज़िशनामा आज मेरे पास पहुंचा। मैं निहायत शुक्रिया बजा लाता हूं कि आपने अपने ख़यालात निहायत ईमानदारी के साथ बिला किसी क़िस्म के तास्सुब या ज़ाती रंजिश के ज़ाहिर फ़र्माये हैं और ज़्यादातर वजह शुक्रिया की यह है कि एक ऐसे करमफ़र्मा के अल्ताफ़नामा हासिल होने की आज मुझे ख़ुशी हुई है, जो उस ज़माने से अख़बार-आम को ख़रीदते हैं जब से कि यह अदम से वजूद में आया, इसलिये मैं भी इस आपके नवाज़िशनामे को क़ीमती ख़याल करके इसका जवाब लिखना अपन फ़र्ज़ समझता हूं, कि ऐसे क़दीमी मुआवन के सामने सफ़ाई ख़यालात लाज़मी हैं, आपको जिस तरह अपनी राय क़ायम करने का अख़्तियार है, इसी तरह अगर मैं वैसी ही ईमानदारी के साथ आपकी राय से इख़्तलाफ़ ज़ाहिर करूं तो आपसे उम्मेद है कि इस अमर की इजाज़त देंगे। अख़बारनवीस के फ़रायज़ आप जानते हैं कि क्या हैं। हरेक पहलू को देखना—जहां तक मुमकिन हो उसका फ़र्ज़ है कि कभी किसी तरफ़ पहलू तही हो जावे, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ आपको बख़ूबी यक़ीन दिला सकता हूं कि अख़बार आम हर्गिज़ मुतास्सिब नहीं है, बल्कि इसकी हमेशा से यह कोशिश रही है कि हिन्दू-मुसलमानों को एक मुल्क की रिआया समझ कर इसके शायां सलूक करे, मुमकिन है कि किसी मज़मून से आपको रंजिश हुई हो, और शायद उसमें आपकी नज़र से मेरी ग़लती हो, लेकिन यह भी मैं आपकी ख़िदमत में सच्चे दिल से अर्ज़ करता हूं कि ऐसे भी बहुत से मौक़े हुए हैं कि जहां हिन्दू नाज़रीन अज़हद नाराज़ अख़बार आम से हुए हैं, कि इसने बिला वजह अहले इस्लाम की तरफ़दारी की।

२७ मई के अख़बार आम में जो लैटर छपा है उस पर कई एक हिन्दू साहबान के सख़्त ख़तूत आ रहे हैं।

१८ मई के अख़बार आम में जो लैटर पटियाला रियासत के मुतल्लिक़ है उस पर भी यही हालत है कि क्यों हमने एक हिन्दू रियासत में मुसलमान अहल्कारान के तक़रीर की सिफ़ारिश की, ग़र्ज़े कि ऐसे बहुत से मौक़े हैं, हम लोग आर्य-समाजी तो हैं नहीं कि आप अख़बार आम को उनमें शामिल समझें, बल्कि आप यक़ीन जानें कि हिन्दू या आर्य साहबान का यही बड़ा इलज़ाम अख़बार आम पर है कि वह पूरा-पूरा हिन्दू अख़बार नहीं है, बल्कि हिन्दू-मुसलमान दोनों के फ़ायदे के लिए है और मुसलमानों की तरफ़दारी से भी यह नहीं चूकता। मैंने जो कॉन्फ़ीडेंशल (गुप्त) चिट्ठी आपकी ख़िदमत में रवाना की वह धोखा देने की ग़र्ज़ से नहीं है बल्कि असल हालात का इज़हार है। अगर अख़बार आम बक़ौल

---

१. दस्तख़त पं० मुकन्दराम, पं० गोविन्दसहाय व पं० गोपीनाथ।

आपके पूरा-पूरा मुतास्सिब और मुसलमानों का बदख्वाह अखबार हो जावे और कट्टर और मुतास्सिब हिन्दू अखबार का जामा पहन ले, तो आप यक़ीन जानें कि अखबार आम हर्गिज़ नुक़सान में नहीं रहेगा क्योंकि इस सूरत में एक बड़ी तादाद हिन्दुओं की और आर्यों की इसकी खरीदार बन जावेगी, जैसा कि हमें इशारा हो रहा है, जितने हमारे मुसलमान खरीदार कम हो जावेंगे उससे ज़्यादा हिन्दू पैदा होंगे, लेकिन मुझको फ़क़त यह खयाल है कि फिर यह अखबार अखबार आम न रहेगा जिसके रहने का इसे आज तक फ़खर है, अखबार आम का फ़खर इसमें है कि यह मुल्की अखबार रहे, न कि किसी खास फ़िर्क़े का आर्गन। लेखराम के मामले में भी अगर आप कुल मज़मून शुरू से आखीर तक पढ़ेंगे जो अखबार आम में वक्तन् फ़वक्तन् शाया हुए तो आप पर साबित हो जावेगा कि दोनों पहलुओं से दर्ज हुए हैं, और यह आपकी ज़बरदस्ती है कि आप अखबार आम पर एकतरफ़ा कार्रवाई का इल्ज़ाम दें, क्या अखबार में यह नहीं छपा था कि मुमकिन है कि लेखराम का क़ातिल मुसलमान न हो, क्योंकि उसने बहुत से मज़ाहब और खास सनातन हिन्दू धर्म वालों के खिलाफ़ भी बहुत सख्त-सुस्त लिखा था। अगर आपको मालूम होता कि लेखराम के मुतल्लिक़ किस क़दर पुरजोश मज़ामीन हिन्दू असहाब की तरफ़ से अखबार आम के लिए आये, और उनमें से किस क़दर रद्दी में फेंक गये तो आपको ताज्जुब होगा कि किस अखबार पर आप किस क़िस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि अहले इस्लाम की तरफ़ से जो मज़ामीन आये वह कुल दर्ज किये गये और अब भी अगर कोई आवे तो इन्कार न होगा।

अंग्रेज़ी अखबार 'अर्जुन' की निस्बत भी मुझे दो-एक अल्फ़ाज़ लिखने की इजाज़त दीजिये अगर्चे अमर ज़ेर बहस अखबार आम है न कि 'अर्जुन' अखबार, मगर चूंकि आपने इसका ज़िकर किया है इसलिये मुझे भी लाज़िम आया कि हक़ीक़त बयान करूं। 'अर्जुन' अखबार को अखबार आम के साथ कोई एडीटोरियल ताल्लुक़ नहीं है, एक सीने में दो दिल नहीं हैं, लाहौर में बदक़िस्मती से एक अखबार 'पंजाब ऑब्ज़र्वर' अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया होता है, जिसकी पालिसी यही है कि अहले इस्लाम की तरफ़दारी और अहले हनूद की दिलज़ारी करना, इन पर हमेशा हमले करते रहना, इसलिए जवाब में चन्द हिन्दुओं ने अंग्रेज़ी अखबार 'अर्जुन' शाया कराया है।

इसके एडीटर वग़ैरा बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, फ़क़त इसी क़दर है कि इस मतबूअ की अंग्रेज़ी शाख में छपता है, अगर यहां न छपेगा तो दूसरे मतबूअ में छप सकता है, पस इस अखबार को अखबार आम के साथ मिलाना यह नाइन्साफ़ी है, जब तक अखबार पंजाब आब्ज़र्वर अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करता उस वक़्त तक इसको अपने खिलाफ़ जवाब सुनने के लिये आमादा रहना चाहिए,

लेकिन नाज़रीन अख़बार आम की तरफ़ से यह नाइन्साफ़ी है कि वह इन दोनों को ख़लत-मलत करें अगर (पंजाब ऑब्जर्वर) यह रवैया अख्तियार न करता तो शायद 'अर्जुन' अख़बार जारी ही न होता, और अगर होता भी तो ऐसा न होता कि जिसकी आप शिकायत करते हैं, आपको 'पंजाब ऑब्ज़र्वर' देखकर फिर इन्साफ़ करना चाहिये। हमारे मुलाज़िमान कारख़ाने की निस्बत ख़ूब राय क़ायम की है क्या यही इन्साफ़ है? माना कि लाहौर में हिन्दू कातिब कम हैं (अगर्चे अब उनकी तादाद पेश्तर से बहुत ज़्यादा है) मगर क्या चौकीदार भी हिन्दू नहीं मिल सकता? प्रेसमैन भी हिन्दू नहीं मिल सकते? दफ़्तरी भी हिन्दू नहीं मिल सकते? कैसे ताज्जुब की बात है, कि किस तरह जब आप ख़फ़गी में हैं तो उल्टा नतीजा निकालते हैं, मेरा ख़याल नहीं हुआ कि उनमें से किसी एक को भी अलहदा किया जावे, क्योंकि दिल नहीं मानता कि बिला क़सूर किसी को जवाब दिया जावे, अब आपका अख्तियार है कि आप मेरे लिखे पर बावर करें या न करें, लेकिन मैंने असली हक़ीक़त से आपको आगाह कर दिया है, मैं तो इसको आपकी बड़ी भारी फ़ैयाज़ी में दाख़िल समझता हूं, कि बावजूद आपकी राय अख़बार आम की निस्बत ऐसी है, ताहम आप इसको शुरू ज़माने से ख़रीदते रहे हैं, और इसलिये मैंने आपकी तहरीर का जवाब लिखना फ़र्ज़ समझा। अगर आप अख़बार आम की ख़रीदारी बंद कर देंगे तो आपको अख्तियार है। इसमें किसी का क्या बस है, मैं इस अरीज़े के जवाब तक का इन्तज़ार करता हूं जिसके आ जाने पर मैं जो आपकी फ़ाज़िल क़ीमत इस कारख़ाने में होगी बड़ी ख़ुशी से आपकी ख़िदमत में इर्साल करूंगा या जहां आप फ़र्मायेंगे इर्साल कर दूंगा, जवाब इर्साल फ़र्माकर ममनून फ़र्मावें।

नियाज़मन्द—गोपीनाथ

मुक़र्रर आं कि फ़क़त आपका ही एक अकेला ख़त है जिसमें अख़बार आम की निस्बत यह ख़यालात हैं, यह तो मैं कभी बावर नहीं करूंगा कि हमारे कुल मुअज़्ज़िज़ ख़रीदारान अहले इस्लाम बक़ौल आपके बेवक़ूफ़ हैं. मैं उनकी निस्बत इतना ही अर्ज़ कर सकता हूं कि वह कुल मज़ामीन को ग़ौर से पढ़ते हैं, और कुल का नतीजा निकालते हैं न कि फ़क़त एक-आध मज़मून ही पर अपनी राय क़ायम कर लेते हैं।

—P. GOPINATH

और मई सन् १८९७ ई० का है, इस पर मेरे दस्तख़त हैं और एक ख़त के जवाब में है, इस पर बतौर मैनेजर के दस्तख़त नहीं हैं। न इसमें यह ज़िकर है कि मेरे भाई के कहने से लिखा गया है। एक अख़बार 'अर्जुन' लाहौर से निकला

करता था, हम उसके मुश्तर्क़ा मालिक थे। थोड़े अर्से के लिये इसका एडीटर एक आर्यसमाजी अच्छा लिखने वाला हमारा नौकर था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। वह हमारा नौकर दो या तीन साल तक रहा।

मुझे मालूम नहीं है कि वह खत्री था या ब्राह्मण। वह ग्रेज्युएट नहीं था, मगर लाहौर का बाशिन्दा था। जिसे कुछ अर्से से मैंने यहां नहीं देखा है। आखिरी दिनों में तीन या चार माह के लिये मेरा छोटा भाई कन्हैयालाल एडीटर रहा और फिर वह पर्चा बंद कर दिया गया। यही दोनों एडीटर रहे थे। जहां तक मुझे याद है मैंने इस पर्चे में कभी कुछ नहीं लिखा। मैं खयाल करता हूं कि वह किसी खास मज़हब पर हमला नहीं करता था। लेकिन वह हिन्दुओं का तरफ़दार था, मुझे नहीं मालूम कि यह पर्चा अखबार 'महोम्डेन ऑब्ज़र्वर' की मुखालफ़त में निकाला गया था। सिर्फ़ हमारा खान्दान ही प्रोप्राइटर और पबलिशर (मालिक अशायत कुनन्दा) था। अखबार आम मुवर्रिखे २८ मई सन् १८९७ ई० (दस्तावेज़ डी ४४) में मेरे सर्कुलर खत के जवाब में जो मुसलमानों के खत आये थे उन पर एक एडीटोरियल नोट है। बहुत से आर्यसमाजियों ने इस गावकुशी के सिलसिले के मज़ामीन की बाबत हिन्दुओं को दिक़ किया कि गोपीनाथ सेक्रेटरी सनातन धर्म सभा का है और ऐसे मज़ामीन लिखता है। वे खयाल करते थे कि मैंने वह मज़ामीन लिखे थे। मैं ऐसे आर्यों के नाम नहीं जानता हूं लेकिन दर्या पर मेरे मवाहजे में वह हिन्दुओं को दिक़ करते थे और मेरे बाप को भी दिक़ करते थे। वे इन मज़ामीन को पढ़ते थे और कहते थे कि गोपीनाथ ने यह लिखा है। मैंने उनकी कभी तरदीद न की, कुछ हिन्दू इन मज़ामीन 'हमारी राय की वक़अत' की वजह से मुझ पर नाराज़ थे। लेकिन वह अखबारवीस न थे। सनातन धर्म सभा के मेम्बरों ने भी यह सुना और मैंने फ़ौरन सभा के ओहदे सेक्रेटरी से इस्तीफ़ा दे दिया। यह बाक़ायदा इजलास में नहीं किया गया था। ६ माह बाद फिर उन्होंने बाक़ायदा मुझसे सेक्रेटरी बनने के लिए दर्ख्वास्त की।

विश्वम्भर दयाल मेरा मुलज़िम था, वह ६ व ७ महीनों तक मेरे सनातन धर्म ग़ज़ट का असिस्टेण्ट एडीटर था। मैं ठीक तारीखें नहीं बतला सकता। मैं नहीं कह सकता कि आया यह सन् १८९७ ई० में था।

अखबार आम मुवर्रिखे २२ जून सन् १८९७ ई० के एडीटोरियल कालम में विश्वम्भर दयाल का एक खत दर्ज है। मैं नहीं कह सकता कि यह वही विश्वम्भर-दयाल है। मेरा विश्वम्भरदयाल सनातन धर्म का मेम्बर और एक फ़हमीदा आदमी था। और मैं उसे सच्चा आदमी समझता हूँ (दस्तावेज़ डी ४५ तर्जुमा डी ४६ शामिल किया गया)। इन मज़ामीन पर लाहौर में शोर पड़ा था।

अख़बार आम २२ जून सन् १८९७ ई०

(दस्तावेज़ डी ४५ तर्जुमाडी ४६)

अख़बार आम के साथ पुरानी मोहब्बत का इज़हार

जनाब एडीटर साहब अख़बार आम ! अर्से दस साल से हमको अख़बार आम के साथ उन्स है और बावजूदे कि बड़े-बड़े नामी-गिरामी अख़बारात देखने की ख़ुशी हमको हासिल है ताहम उर्दू अख़बारात में अख़बार आम हमारे इश्तियाक़ के लिए ग़ैरमामूली पर्चा है। जहां तक हमारा ख़याल है वा कई उर्दू अख़बारात में अख़बार आम का एज़ाज़ उसके हमअसरों के लिए रश्क पैदा करता है। आप जानते हैं कि चर्ख़ कज रफ़्तार की गर्दिश इब्तदाये आफ़रीनश से आज तक मशहूरो मारूफ़ है, इस वास्ते हम देखते हैं कि चन्द हफ़्तों से अख़बार आम को ख़ास ग़ैरमामूली सदमा बरदाश्त करना पड़ा है। हमें उम्मेद है कि आप तहम्मुल व इस्तक़लाल के साथ इस वक़्त जो ख़ुदाये बरहक़ की तरफ़ से आपको देखना पड़ा है संजीदगी के साथ बरदाश्त करेंगे। ताहम यह समझ कर कि हरेक आलादिमाग़ और दाना आदमी भी ऐसे वक़्त में जबकि उसके मुख़ालिफ़ ताक़तवर गिरोह में हो जाते हैं तो घबरा जाता है, हमारे दिल में ख़याल पैदा हुआ है कि हम अख़बार आम के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत का इज़हार करें।

हमने उन दोनों मज़ामीन को जो कि आपने 'हमारी राय की वक़अत' के उन्वान से २५ व २७ मई के अख़बार में शाया फ़र्माये हैं कई बार मुलाहज़ा किया है, न सिर्फ़ अकेले बल्कि अच्छे-अच्छे लायक़ और समझदार साहबान के साथ बैठकर भी उन मज़ामीन को पढ़ा है। अलावा इसके ख़ास इस शहर लाहौर में उस नाक़ाबिले बर्दाश्त जोश को भी अच्छी तरह देखा जो इन मज़ामीन की वजह से हिन्दू क़ौम में बर्पा हुआ है, न सिर्फ़ लाहौर बल्कि अमृतसर में हमने ख़ुद जाकर मुअज़्ज़िज़ और आला रुतबा हिन्दू साहबान से मुलाक़ातें करके आपके उन मज़ामीन का जोश देखा है। अलावा इसके बज़रिये तहकीक़ात मालूम किया है कि कुल पंजाब में उन लोगों पर, जिन्होंने एक दफ़ा इन मज़ामीन को पढ़ा, ज़रूर इस क़िस्म की तासीर हुई। अलावा इसके हमने सही तहक़ीक़ात के ज़रिये से यह भी मालूम किया है कि वाक़ई में आपके एज़ाज़ के दुश्मन, आपकी आबरू के मुख़ालिफ़ साहबान ने मौक़ा पाकर कोशिश करके इन मज़ामीन को ऐसे लोगों को सुनाया और भड़काया है, कि हक़ीक़त में जिन लोगों के हाथ तक अख़बार नहीं पहुंचता। ग़र्ज़ कि इस वक़्त लाहौर में आम तौर पर और पंजाब के दूसरे मुक़ामों में भी कमोबेश जो कुछ जोश आपके ख़िलाफ़ बर्पा हुआ है वह उस मज़मून से, जो आपने उसी उन्वान के नीचे १७ जून सन् १८९७ ई० को निकाला है, ज़ाहिर होता है कि

आपको भी उसके तसलीम करने में कुछ उज्र नहीं। आप ख़ुद मानते हैं कि हिन्दू पब्लिक आम तौर से आप पर नाराज़ हुई है। यह भी आप तसलीम करते हैं कि मज़ामीन मज़कूरा में ऐसे अल्फ़ाज़ लिक्खे गये जो नाक़ाबिले तहरीर थे या जिनका न लिखा जाना बेहतर था। बावजूद इसके आप इस मज़मून में ऐसे भारी जोश की बेपरवाई की हतक करते हैं, और अपने क़लम के ज़ोर से उन मज़ामीन की ज़हरीली तासीर को नाबूद करना चाहते हैं जो तमाम क़ौम में ऐसा जोश बर्पा करने की क़ाबिलीयत रखती है। लिहाज़ा अगर हमारा ख़याल ग़लती पर न हो तो बजाय इसके कि आप जोश बर्पा करने वालों की मुख़ालफ़त या जोश में आपसे बद ज़न होने वालों की जहालत को तश्तअज़ बाम करके ग़ुस्से को बढ़ाते, बेहतर था कि उन दोनों मज़ामीन के उन अल्फ़ाज़ की ज़हरीली तासीर को हटाने के लिए ऐसे शाइस्ता मज़ामीन, नुस्ख़े मसीहाई की तरह से शाया करते, जिनसे आपके मुख़ालिफ़ शर्मिन्दा होते, हिन्दू भाइयों के ज़ख़्मी दिलों को मरहम लगता, क्योंकि आप एक निहायत आला क़ौम आला बरन और आला ख़ान्दान के मुअज़्ज़िज़ मेम्बर हैं और आपको हिन्दू मज़हब के तमाम दक़ीक़ मसायल मालूम हैं, क्योंकि यह बात तमाम पंजाब पर रोशन है कि जिस ख़ान्दान से अख़बार आम निकलता है उसी में सनातन धर्म सभा के लायक़ सेक्रेटरी पं० गोपीनाथ साहब ने जन्म लिया है, जिन्होंने कि इस मज़मून के शाया होने से पहले बारह सनातनधर्मी आलीशान जलसों के प्लेटफ़ार्म पर, इस्तादा होकर सनातन धर्म के बारीक मज़ामीन पर लेक्चर दिये हैं, और छुआछूत वा स्पर्श-अस्पर्श जैसे मज़ामीन पर जिनके कई मशहूर लेक्चर हो चुके हैं। एक दफ़ै ख़ास लाहौर में पण्डित साहब मौसूफ़ ने सरे जलसा फ़र्माया था कि आम पापों की तासीर आर्यसमाजी और मुसलमान साहबान पर बमुक़ाबले हिन्दू भाइयों के इसलिए मालूम नहीं होती कि निहायत साफ़ बिल्कुल सफ़ेद चादर पर एक बूंद स्याही दूर से चमकती है, और स्याह चादर पर अगर एक दवात भी उल्टी हो जावे तो स्याही में स्याही मिल जाती है, ठीक उन्हीं के उस ख़याल के मुआफ़िक़ एक आला मर्त्तबा आला के ख़ान्दान आदमी से धर्म के मुतल्लिक़ ऐसी ग़लती का सर्ज़द जैसी कि इन मज़ामीन में की गई है जिस क़दर जोश बर्पा करे, और पब्लिक को उस जोश में शामिल करने वाले बदनीयत लोगों के लिए मौक़ा दे थोड़ा है, क्योंकि आप ख़ुद इन्साफ़ करें कि ज़्यादा मुअ़ज़्ज़िज़ और बहुत बड़े आदमी से थोड़ी ग़लती कितनी बड़ी ख़याल की जाती है और यह तो वह ग़लती है जिसको ख़ुद आप क़ाबिल माफ़ी तसव्वुर करते हैं, पस बजाय इसके कि जोश फैलाने वाले और उस में आने वालों के ख़िलाफ़ आप अपने क़लम की ताक़त से काम लें, आपको यही शायां है कि अब अपने एज़ाज़ और मर्त्तबे के मुताबिक़ इस्तक़लाल और हौसले को अपना रहनुमा करें, और बिलकुल इस अमर का ख़याल न फ़र्मावें कि अगर किसी स्वामी जी ने अपने किसी ग्रंथ में गौ को गधी के बराबर लिख दिया

कि बांझ गौ का···जायज़ रख दिया, इस बात के ज़ाहिर करने के सिवाय इसके कि उनके कमज़ोर समाज की बुनियाद में भारी पाप दिखाया गया है, जिसका फल परलोक में स्वामी जी और इस लोक में उनके चेले भुगत रहे हैं, आप इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, हमारे यक़ीन में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष से अगर, धर्म के मुतल्लिक़ कोई ग़लती वाक़े हो तो सबसे सीधा तरीक़ा आम राय को अपने हाथ में लेने का यह है, कि आप अव्वल उसको तस्लीम करें, और उसके बाद उस ग़लती की इस उम्दगी से तरदीद करें, कि जिन बदनीयत लोगों ने हक़ीक़त में आपके सिर्फ़ उन चन्द अल्फ़ाज़ को लेकर आपको ज़वाल पहुंचाने की सई शुरू की है वह ख़ुद ब ख़ुद शर्मिन्दा हो जावें और आप अपनी ग़लती को रफ़अ करके उसी तरह से दुश्मनों की छाती पर दनदनायें।

राक़िम्—विश्वम्भरदयाल

हम इस क़ीमती मज़मून को जो एक सच्चे करमफ़र्मा ने इर्साल किया है बड़ी ख़ुशी और शुक्रगुज़ारी के साथ अपने लीडिंग कालमों में जगह देते हैं और यह सिर्फ़ इसलिए है कि अपनी नेकनीयती का सबूत अपने इन्साफ़पसंद नाज़रीन को दिया जावे।

हम अपने करमफ़र्मा की नसीहत को सदक़ दिल से मंज़ूर करते हैं और अपनी तरफ़ से सिर्फ़ इस क़दर यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि वह बेढब सिलसिला मज़ामीन का न तो अहले इस्लाम के ख़ौफ़ से, और न ज़ाती लालच से हवाले क़लम किया गया था। ग़लती होना बेशक बशरीयत है और समझ का फ़र्क़ भी इन्सानों में क़ुदरती है, लेकिन ख़याल की ग़लती से नीयत का आलूदा करना इससे बढ़कर बेइन्साफ़ी एक ख़ैरख़्वाह अख़बारनवीस के हक़ में क्या हो सकती है, हमारे करमफ़र्मा का इज़हार बेशक पुर मोहब्बत है हम उनके फ़ीलिंग की इससे बढ़कर क़दर करते हैं जैसे कि अपने फ़ीलिंग की, हम उनकी तहरीर को बेपर्वाई से नहीं देखते हैं और न ही पब्लिक के ख़याल की हतक करते हैं, या ग़ुस्सा बढ़ाते हैं, अगर हमारी नीयत में फ़तूर होता, इस तहरीर को शाया ही न करते जो अपने तर्ज़ की पहली तहरीर इस बारे में हमारे पास पहुंची है, और भी चंद तहरीरें हमारे पास आई हैं जो भी अहले हनूद की तरफ़ से हैं, लेकिन चूंकि उनकी रविश से हमारे ख़यालात की क़द्रदानी मुतरश्शेह (प्रकट) थी उनका शाया करना ख़िलाफ़ मसलहत, और जोश की आग में तेल तसुव्वर करके, अम्दन रोक दिया गया है। हमको तहम्मुल व इस्तक़लाल के साथ संजीदगी के मद्दे नज़र रखने की दोस्ताना नसीहत की गई है, हम इस नसीहत की सर आंखों क़द्र करेंगे, आख़ीर में हम अपने परमात्मा परमेश्वर से सच्चे दिल से इल्तजा करते हैं कि हमको दोस्तों और दुश्मनों में तमीज़ करने की लियाक़त दे। हमारे हौसले को मज़बूत रखे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़र्मायें कि हमारे दुश्मन भी दोस्त बन जायें बजाय इसके कि हमारे दोस्तों की

दिलशिकनी हो। आमीन् या रब्बुल आल्मीन्।

कभी-कभी अख़बार आम में कमसर्यट के इश्तहार तब्अ़ होते हैं, उनमें कुछ चमड़ा गावान (गोचर्म) की निस्बत होते हैं, उनकी एक कापी महकमे कमसर्यट में ज़ाती है। अख़बार आम मुवर्रिख़ा २४ अप्रैल सन् १९०१ में एक इश्तहार गोश्त गाय का बिगाड़ा हुआ है (डी ४७)—

मैंने सिविल मिलिटरी गज़ट के मालिकान के बख़िलाफ़ एक इज़ाले हैसियत उर्फ़ी का मुक़द्दमा किया था। उस मुक़द्दमे में पं० अमरचन्द ने मेरे बख़िलाफ़ शहादत दी थी। उस मुक़द्दमे के हालात अख़बार में लिखे गये थे। उसमें अकेला मैं मुद्दई था। पं० अमरचन्द ने एक दावा मेरे और मेरे वालिद के बख़िलाफ़ किया था। मैंने अमरचन्द के बख़िलाफ़ अव्वल मुक़द्दमे की निस्बत कुछ नोट अख़बार आम में दिये थे। और इसलिए अमरचन्द ने दावा किया था। लेकिन बिरादरी के कहने पर मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने दीगर गवाहान इस्तग़ासा पर भी हाशिये चढ़ाये थे। पं० बालकराम भी एक (गवाह) था, और वह कश्मीरी पण्डित है और अब मर गया है। मैंने उन सब गवाहान के साथ सुलह कर ली थी। मैंने बड़े इज्ज़ व इन्कसार के साथ इन सबसे माफ़ी मांग ली थी मय वुक्लाय के। कामिल 'सीने सफ़ाई' का मज़मून अख़बार आम मुवर्रिखे २ अप्रैल सन् १८९६ ई० के एडीटोरियल कालम में है (दस्तावेज़ डी ४८ तर्जुमा डी ४९)।

अख़बार आम २ अप्रैल सन् १८९६ ई०

(दस्तावेज़ डी ४८ तर्जुमा डी ४९)

माफ़ीनामा

जो अल्फ़ाज़ तौहीन व हतकआमेज़ इज़्ज़त वक़्तन् फ़वक़्तन् अख़बार आम लाहौर में इब्तदाये ३० अप्रैल सन् १८९५ ई० लग़ायत १० जनवरी सन् १८९६ ई० निस्बत पं० अमरचन्द साहब हकीम साबिक़, दरोग़ा ठगी, हाल पेन्शनख़्वार के शाया किये गये हैं और जिनके लिए पण्डित साहब मौसूफ़ ने इस्तग़ासा फ़ौजदारी दायर किया, जो ब अदालत लेफ़्टिनेण्ट सी० पी० डौन साहब असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर पेश है, वह बिल्कुल बेबुनियाद और लख हैं, उनकी अशायत से हम हर सह अशखास यानी मालिक, एडीटर व मैनेजर जिनके दस्तख़त ज़ैल में सब्त (अंकित) हैं, नादिम होकर ब सदक़ दिल पं० अमरचन्द साहब और उनके पिसरान् से माफ़ी के ख़्वास्तगार हैं, और पंडित साहब ने ब नज़रे नवाज़िश बुज़ुर्गाना हमको माफ़ी दी है, और नीज़ उनके पिसरान ने माफ़ी मंज़ूर

करी है, और हम इक़रार करते हैं कि जो किताब मौसूम ब 'दास्तान सिविल मिलिटरी गज़ट' मतबूअ़ अख़बार आम में जेर तबअ़ है। इसमें वह हिस्सा जिसमें अल्फ़ाज़ तहतुकआमेज़ निस्बत पंडित साहब या उनके ख़ान्दान के दर्ज हैं तहरीर व शाया न करेंगे, और आइन्दा को इस क़िस्म की तौहीन और तहतुक निस्बत पंडित साहब या उनके ख़ान्दान के शाया न करेंगे, नीज़ फ़रीक़ैन बाहम रज़ामन्द होकर इस अमर का इक़रार करते हैं, कि आइन्दा को कोई फ़रीक़ निस्बत इस मुक़द्दमे के या उस शहादत के जो पं० अमरचन्द साहब ने दौरान मुक़द्दमे में दी कोई इजराय नालिश या मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे।

कामिल सीना सफ़ाई

मुन्दर्जेबाला माफ़ीनामा के शाया करने पर हम सदक़ दिल से रज़ामन्द हैं और इससे अगर अख़बार आम के मुख़ालिफ़ों को ज़क और नदामत मालम होगी, तो इसके साथ ही इसमें भी शुबह नहीं है कि दोस्तों और ग़मगुसारों पर भी साफ़ तौर पर वाज़ह हो जावेगा, कि अख़बार आम ऐसा अंधा और नामाक़ूल नहीं है कि अपनी ग़लतियों और फ़रोगुज़ाश्तों का ऐतराफ़ न करे। पं० अमरचन्द साहब मिस्ल अक्सर दीगर गवाहान के जो पं० गोपीनाथ साहब के मुक़द्दमे सिविल मिलिटरी गज़ट में ख़िलाफ़ में पेश हुए थे, हमारे मख़दूम और अहबाब थे मस्लन् पं० भानुदत्त साहब जिनके पास पढ़ने और उनके शागिर्द कहलान का एडीटर अख़बार और राक़िम उलहरूफ़ दिल से फ़ख़्र करता है, और इसी तरह मख़दूम मुकर्रम बा० चन्द्रनाथ मित्र साहब की निस्बत कहना चाहिये, कि फ़क़त उस्ताद शफ़ीक़ ही न थे बल्कि ख़ास मेहर्बान भी थे। पं० बालकराम मान साहब जिनकी निस्बत भी जाती दोस्ती और नियाज़ का ताल्लुक़ क़ायम था, इसी तरह भाई गुरुमुख सिह साहब और दीगर साहबान भी क़दीम इनाययफ़र्माओं से हैं। ऐसे मुकर्रम वाजिबुल ताज़ीम अहबाबों और दोस्तों की शान में ऐसे फ़िक़रात का इस्तेमाल जैसा कि दौरान दास्तान मुक़द्दमे में किये गये हैं, हमको ख़ुद इस वक़्त नाग़वार गुज़र रहा है और हम कोई वजह नहीं देखते कि अब जबकि मामले को यहां तक तूल दिया गया है हम बक़ीया क़दूरतों को दिलों में महफ़ूज़ रक्खें, हम मौक़े ख़ास पर और भी ज़्यादा ज़रूरत के साथ उन दोस्तों और क़दीम इनायतफ़र्माओं से जो अलावा अज़ीं अपने-अपने हलक़ों में फ़ख़्र क़ौम और मूजिबे ज़ीनत हैं, मिन्नत और आजिज़ी से माफ़ी मांगते हैं कि जिन्होंने फ़रीक़ सानी ती तरफ़ से क़ानूनी पैरवी के दौरान में महज अपना हक़ और फ़र्ज़ पूरा किया था, जनाब मिस्टर सिकिलियर साहब जो कि इस वक़्त गवर्नमेण्ट ऐडवोकेट हैं, और आला दर्जे के नेकदिल, नेकमिज़ाज और नेकनीयत अफ़सर हैं, जिनकी लियाक़तों को हम सर आंखों पर तस्लीम करते हैं, इसी तरह मौलवी शाहदीन साहब बैरिस्टर जो कि खान्दान

बाग़वान पुरा के लिये बाइसे फ़ख़्र हैं, और हमारे ज़ाती दोस्त और दिली मेहरबान न फ़क़त वह ख़ुद हैं, बल्कि उनके तमाम ख़ान्दान के बुज़ुर्गवार हमको हमेशा नज़र इनायत व शफ़क़त से देखा किये हैं, और मौलवी फ़ज़लुद्दीन साहब प्लीडर व म्यूनिसिपिल कमिश्नर कि जिनकी निस्बत अलावा दीगर बालाई ख़ूबियों के यह कहने का फ़ख़्र भी हासिल है कि एक ज़माने में अख़बार आम का एडीटर और राक़िम उनके साथ एक ही मदर्से बल्कि जमायत में पढ़ते थे, और ऐसा ही फ़ख़्र ख़ान्दान बाग़वानपुरे के बहुत से होनहार और कामयाब नौजवानों की निस्बत भी हासिल है, हम कमाले सदाक़त और साफ़ बातनी के साथ इन अहबाब से भी उम्मेद रखते हैं कि अज़राह नवाज़िश हमारी फ़रोगुज़ाश्तों की पर्दापोशी करेंगे और उनको याद दिला कर हमारे दिल को जो आगे ही मारे पशेमानी के बहुत शर्मिन्दा हो रहा है मज़ीद आज़ुर्दा नहीं करेंगे, इस वक़्त हमको मालूम हो रहा है कि जोश और एतदाल के ख़यालात में किस क़दर फ़र्क़ ज़मीनो-आसमान का हो जाता है, और इस ज़बरदस्त तजुर्बे से हम यक़ीन करते हैं कि हम को आइन्दा रफ़्तार बक़ायानिगारी में बहुत भारी और क़ीमती सबक़ हासिल होगा, हमको जब तक इस दुनिया में रहना है, अपने दोस्तों और करम फ़र्माओं की तादाद को बढ़ाना और इत्तफ़ाक व यगानगत (अपनापन) को क़ायम रखना और तरक़्क़ी देना मक़सूद है और ख़ुदा गवाह है कि हमारा कान्शन्स (अंत:करण) हमको बार-बार इस फ़िक़रे के साथ दुतकारता है कि "तू बराये वस्ल कर्दन आमदी, न बराये फ़स्ल कर्दन आमदी," इसके सामने हम मजबूर हैं कि सर तस्लीम को ख़म करें और बग़ैर चूनो-चराके अपनी ग़लतियों को क़बूल करके अपने ही ज़मीर (आत्मा) की डांटो-डपट से निजात पायें, एक इन्सान के लिए अगर अख़लाक़ी नज़र से देखा जावे तो ग़लती हो जाना अजायबात से नहीं है बल्कि मामूली बात है। और कहा भी है कि, इन्सान ग़लतियों से भरा हुआ है और यह कि ग़लती करना इन्सान का काम है और बख़्श देना ख़ुदाई है, हमारे ख़याल में ग़लती से मुतल्ला होते ही ईमानदारी यह है कि उसका उसी सफ़ाई के साथ ऐतराफ़ किया जावे, जैसे कि इर्त्तकाब किया था।

हम कमाल ख़लूसे इरादत् के साथ तैयार हैं कि इसी मैदान में कि जहां इन साहबान के हक़ में अपने रंज का बुख़ार निकाला था, और इन्हीं हाथों से इसका कुफ़ारा करें, और हम यक़ीन करते हैं कि हमारे तमाम दोस्त लाहौर के हों या कश्मीर की रियासत के हों जिनको उन बयानात से सदमा पहुंचा है, हमारे हाल पर रहम फ़र्माकर हमारी तुन्द बयानियों को इज़राहे दर्यादिली के साथ माफ़ फ़र्मावेंगे, और भूल जावेंगे। हमारी तरफ़ से इस नागवार मामले के फ़रामोश करने में कोई दकीक़ा फ़रोगुज़াश्त नहीं किया जावेगा, हम अपनी ग़लती का ऐतराफ़ करते हैं और यक़ीन रखते हैं कि अगर किसी और साहब से ग़लती हो जावे तो यह दलील हमारे लिए मज़ीद ग़लती करने की नहीं होगी, हमको इस अमर से

वास्ता नहीं है कि हमारी अपनी ज़ात के निस्बत क्या-क्या कुछ फ़र्माया गया, हमको खुद अपने फ़ैल से वास्ता है, और हम सदक़ दिल से ख़याल करते हैं कि वह हर्गिज-हर्गिज़ मुनासिब नहीं था, हम अब इस बात को मज़ीद तूल नही देंगे, बल्कि अख़ीर में फिर कमाल ख़ुशी और सीने सफ़ाई से तमाम दोस्तों से जिनकी शान में इस शहादत से मुतल्लिक़ नागवार और रंज पहुंचाने वाली बातें महज़ ग़लती और जोश से कही गई हैं, हत्ता के अपने क़दीम दोस्त और बिरादर ग़मख़्वार साहब से और अपने मेहर्बान हमसर थापर साहब से भी सच्चे दिल से माफ़ी का इज़हार करते हैं, और हमको उन तमाम असहाब की बुज़ुर्गी, और शराफ़त, और आली ख़याली से, उम्मेद वासिक़ हैं कि वह ज़ाहिर तौर पर ही नहीं बल्कि दिल से भी हमारी पिछली फ़रो गुज़ाश्तों को फ़रामोश करेंगे, और हमको मिस्ल क़दीम साबिक़ के अपना दोस्त और ख़ैरख़्वाह समझ कर हम पर पेश्तर की सी नज़रे-इनायत बशफ़क़त बहाल रक्खेंगे, हमको इस अंजाम बख़ैर मसालहत की निस्बत चन्द मुअज़्ज़िज़ करमफ़र्माओं का ख़ास तौर पर तज़किरा करना है जिसके लिए आइन्दा मौक़े की तलाश करेंगे।

कुफ़रस्त दर तरीक़ते, माकीना दाश्तन्।
आईनमास्त सीनाचूं आईना दाश्तन्॥

मौलवी फ़ज़लुद्दीन ने मेरे बख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर किया था। क्योंकि 'अर्जुन' में छप गया था कि लेखराम के मुक़द्दमे में उनकी तलाशी हुई है। मुक़द्दमा बख़िलाफ़ मेरे था। और एक माफ़ीनामा अख़बार आम मुवर्रिखे ३ मई सन् १८९७ ई० के एडीटोरियल कालम में दर्ज किया गया था (दस्तावेज़ डी ५० मय तर्जुमा डी ५१)।

अख़बार आम ३ मई सन् १८९७ ई०

(दस्तावेज़ डी ५० मय तर्जुमा डी ५१)

माफ़ीनामा

हम बड़े अदब के साथ जनाब मौलवी फ़ज़लुद्दीन साहब प्लीडर व म्यूनिसिपल कमिश्नर लाहौर के आगे अपनी ममनूनी का इज़हार करते हैं कि उन्होंने हमको मेहर्बानी से इस ग़लती के लिए माफ़ फ़र्माया जो अंग्रेज़ी अख़बार 'अर्जुन' में उनकी निस्बत शाया हुई थी कि उनकी ख़ानातलाशी पुलिस के ज़रिये हुई, हमको सख़्त नदामत है कि ऐसी ग़लती इस मामले में सर्ज़द हुई, जिसके लिए हम माफ़ी का इज़हार कर चुके हैं, अब दुबारा इज़हार माफ़ी का करके इस अमर का

शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब मौलवी साहब ने हमारे ऊपर एहसान करके यह माफ़ी मंज़ूर फ़र्माई है, इसके अलावा अदालत में हमने यह भी मंज़ूर किया है, कि इस ग़लती की फ़रोगुज़ाश्त के लिए मुबलिग़ दो सौ रुपये किसी ऐसे ख़ैरातख़ाने में अदा करेंगे जिसका किसी ख़ास मज़हब के साथ लगाव न हो और जिसको मौलवी साहब नामज़द करें, और मुबलिग़ पचास रुपये मौलवी साहब को ख़र्चे के लिए अदा करेंगे। उम्मेद है कि आइन्दा हमारे ताल्लुक़ात दोस्ताना रहेंगे और कोई वज़ह इनमें फ़र्क़ लाने वाली न होगी। ३० तारीख़ के अख़बार आम में जो मुख़्तसिर लिखा गया था कि इस मुक़द्दमे में मुल्ज़िमान बरी किये गये वह सही नहीं था, बल्कि जो हाल मुन्दर्जेबाला लिखा गया है वह सही है यानी मौलवी साहब ने माफ़ी मंज़ूर फ़र्माई और मुक़द्दमा आगे न चला, इस ग़लती के लिए भी हम इज़हार माफ़ी का करते हैं, अदालत का भी निहायत शुक्रिया है, कि जिसकी आलादिमाग़ी से यह फ़ैसला बाहमी हुआ।

यह मैंने अख़बार आम में नहीं लिखा था कि मैं बरी हो गया हूं। मैंने सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट वाले मुक़द्दमे की सफ़ाई के गवाहान के बयानात अख़बार आम में सही तौर पर दिये थे। जहां तक मुझे याद है वह मैंने ही दिये थे। (अख़बार आम मुवर्रिख़े ५ व ७ अक्टूबर सन् १८९५ ई०) मैं ग्यारह-बारह वर्ष से सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी हूं, यानी जब से उसकी रजिस्टरी हुई है, इस अर्से में मैंने अक्सर लेक्चर दिये थे, और कई मर्त्तबा जालंधर इस ग़र्ज़ के लिए बुलावे पर गया हूं। शायद आख़िरी मर्त्तबे सन् १८९८ ई० के बड़े दिनों में गया था। उस वक़्त मेरा ला० मुन्शीराम के साथ मुबाहसा हुआ था। उसके बाद मैं जालंधर नहीं गया। मैंने जालंधर से कभी कुछ नक़दी नहीं ली, अगर ली भी है तो सभा में दाख़िल कर दी है। उपदेशकों को अमूमन् नक़द नज़राना मिलता है। मुझे जालंधर और दीग़र जगहों में भी नक़दी मिली है। मैंने जालंधर में कभी भी सभा के लिए चन्दे की अपील नहीं की। पहले मैंने कहा कि मैं······रुपया नहीं लूंगा फिर ले लिया और सभा में दाख़िल कर दिया। मैंने उसे कभी भी अपने ज़ाती इख़राजात के लिए नहीं इस्तेमाल किया। 'अखबार आम' ओर 'सनातन धर्म गज़ट' देसी रियासतों में भी जाते हैं। मैं भी कभी-कभी जाता हूं, अगर मुझे दावत मिले दीगर हालतों में नहीं। और तब मुताबिक़ रिवाज के मुझे खिलअत मिलता है। मैं रियासत से मद्दउ (बुलाया हुआ) होकर कपूरथले गया था और सभा की तरफ़ से भी, और मुझे खिलअत मिले थे। मैं कुछ वर्षों से वहां नहीं गया। कई वर्षों से मुझे मद्दअ (बुलाया) नहीं किया गया। क्योंकि मद्दऊ (बुलाव) करने के कोई मौक़े न थे। मैं एक मत्तर्बा वहां दशहरा में गया था। सालगिरह के दर्बार में मुझे कभी बुलाया नहीं गया। मैं सन् १८९२ (ग़लत है, सन् ९३ चाहिये) में

जबकि कांग्रेस आई और नौरोजे[1] आये थे, कमेटी इस्तक़बालिया का मेम्बर था। इस जगह साल गुज़िश्ता में भी कांग्रेस थी। तब मैं इस्तक़बालिया कमेटी का मेम्बर न था। क्योंकि मेरे ख़यालात कुछ तबदील हो गये थे। मैं नहीं जानता कि आया मेरा नाम काट दिया गया था या नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से ही उसमें शामिल नहीं हुआ। मैंने अपने आफ़िस की इमारत ख़रीद की थी और इसकी मरम्मत की थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने उस वक़्त अपने अख़बार के ख़रीदारों से ईंट और चूने के लिए मांगा था या नहीं।

हरिद्वार में गवर्नमेंट ने एक मेला जबरन बंद कर दिया था, मैंने उसकी कार्रवाई की निगरानी की और उन्हें अपने अख़बार में रिपोर्ट कर दिया यानी अख़बार आम में। मैंने लाहौर में एक जलसा किया था (उसके मुतल्लिक़) और एक मेमोरियल भी भेजा था। (इस जगह वकील ने मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध गज़ट मुर्वरिख़े २६ नवम्बर सन् १८९२ ई० शामिल की, दस्तावेज़ डी ५२)।

नोट—इस जगह मुनासिब मालूम होता है कि गज़ट के उन हिस्से जात का तर्जुमा दर्ज किया जावे जिनमें कि मुल्ज़िमान के ऐडवोकट ने पढ़ कर मुस्तग़ीस को सुनाया था ताकि दस्तावेज़ के पेश करने की वजह मालूम हो जावे।

"इस तहरीक की तै में यात्रियों के दिल काम नहीं करते थे बल्कि पंडितों का लालच और ऐसे शख़्सों की नमकहरामी जैसे पंडित गोपीनाथ लाहौरी, और २९ मई के लाहौर के जल्से का प्रेज़ीडेण्ट······जिस जल्से का यह शख़्स मीर मजलिस था वह सनातन धर्म सभा की तरफ़ से बुलाया गया था। जिसका कि गोपीनाथ एडीटर और मालिक अख़बार आम का सेक्रेटरी और लीडर है इस पेड (Paid) मुतहर्रिक की तहरीरों की क्या वक़अत होनी चाहिये, उस इन्तखाब से ज़ाहिर होगा, जो कि अख़बार आम मुर्वरिख़ा २१ सितम्बर से मय तर्जुमे के इसके साथ शामिल है······

(५) मैं अब पंजाब की तहरीक की तरफ़ मुतवज्जह होता हूं। इसका मुतहर्रिक पं० गोपीनाथ एडीटर और मालिक अख़बार आम लाहौर का था। वह सनातन धर्म सभा का भी एक बारोब मेम्बर है जिस सोसायटी को उसने तहरीक करने और गवर्नमेण्ट की खिदमत में अर्ज़दाश्त भेजने के लिये तर्ग़ीब दी। पं० गोपीनाथ एक पुरजोश हिन्दू होगा, और जैसा कि वह बयान करता है महावारुणी के दिन गंगा में ग़ोता लगाने के पुण्य का भी मज़बूत मौतक़िद होगा, और यह भी उसका मुस्तक़िल एतक़ाद होगा कि मेले पर हिन्दुओं के साथ शर्मनाक बुरा बर्त्ताव हुआ। लेकिन वह खुद महावारुणी के मौके पर नहीं आया और न ही उसने तहरीक में

१. दादाभाई नौरोजी

काम करना शुरू किया, जब तक कि उसे एक हज़ार रुपये का इक़रार न मिल गया।"
(वाक़ै ६ जून सन् १६०१ ई०)

जब यह गज़ट शाया हुआ था तो शायद मैंने अख़बार आम में कुछ लिखा था। उस वक़्त मेरा बाप ज़िन्दा था और मैं उस वक़्त अख़बार आम का मालिक न था। इसलिये किसी क़दर मुझे उससे रंज हुआ था। मैंने मिस्टर हेरिंगटन और राइट साहबान् का जवाब अख़बार आम मुवर्रिखे २१ दिसम्बर सन् १८९२ ई० में लिखा था (दस्तावेज़ डी ५३ तर्जुमा डी ५४)।

अख़बार आम २१ दिसम्बर सन् १८९२ ई०

(दस्तावेज़ डी ५३ तर्जुमा डी ५४)

तहक़ीक़ात हरिद्वार के मुतल्लिक़

पं० गोपीनाथ का जवाब बनाम मिस्टर ए०एच० हेरिंगटन, कमिश्नर क़िस्मत (मेरठ) व मिस्टर जे० एम० राइट, मजिस्ट्रेट सहारनपुर।

अय जनाब मिस्टर हेरिंगटन और मिस्टर राइट साहबान, पेश्तर और किसी बात का जवाब देने के मैं आपसे यह दर्याफ़्त करता हूं कि किस मजहूल और पाजी शख़्स ने आपको यह बताया कि मैं अख़बार आम का मालिक और एडीटर हूं! आपने जो अपनी चिट्ठियों में यह बात लिखकर गवर्नमेंट में रवाना की, आपने कौनसी तहक़ीक़ात की थी। अगर आपने ख़ुद अपने मनघड़ंत यह झूठी और बेहूदा बात लिखी है तो आपको शर्मिन्दा होना चाहिये, कि आप इतने बड़े अफ़सर होकर आपके क़लम से ऐसी शर्मनाक ग़लती सज़र्द हो, और अगर किसी ग़ैर शख़्स ने आपके मातहतों में से आपको इस ग़लती में डाल कर आपको शर्मिन्दा कराया है तो आपको ऐसे झूठे बेईमान पाजी को ऐसी सजा देनी चाहिये कि उसका मुंह काला हो जावे और इस्कौन्ड्रल (Scoundrel) की ज़बान जल जावे, आप ख़याल फ़र्मावेंगे कि मैं ऐसा आपे से बाहर क्यों हो गया और क्यों ऐसे सख़्त अल्फ़ाज़ लिखने पर उतर आया हूं। इसका जवाब यह है कि मैं इस बात को अपने लिये सख़्त गाली के बराबर समझता हूं अगर मुझे कोई कहे कि मैं अख़बार आम का मालिक और एडीटर हूं, और ऐसी गाली बकने वाले पर मेरा बस चले तो उसकी पगड़ी और टोपी उतार कर उसके सिर पर सौ जूते लगाऊं, और फिर भूल कर एक-दो से शुरू करूं। अय ख़ुदावन्द ताला, अय रब्बुल आलमीन, मालिक अखबार आम और एडीटरे अखबार आम का साया मुबारिक, मेरे सिर पर ताअब्द बरक़रार रखियो,

कि जिनकी गोद में मैं नाज़पर्वर्दा होकर पर्वरिश पा चुका हूं और पा रहा हूं और जिनकी मौजूदगी और सलामती के बाइस मैं हज़ारों नखरों के साथ एक आज़ाद शाहज़ादे की तरह ज़िन्दगी बसर कर रहा हूं।

अय कमिश्नर साहब मेरठ और अय मजिस्ट्रेट साहब सहारनपुर, आपने गवर्नमेण्ट की रिपोर्ट ही मुलाहिज़ा फ़र्माई होती कि अख़बार आम के मालिक कौन हैं। आपने अखबार आम ही की एक कापी देखी होती कि उसके अखीर में कौन साहब का नाम बहैसियत मालिक के लिखा हुआ है, आपने उस नक़्शे की नक़ल पंजाब से मंगा ली होती जिसमें एडीटरान् अख़बार के नाम भी दर्ज होते हैं फिर आपको आसानी से मालूम हो जाता कि मालिक कौन है और एडीटर कौन है, और आप इस शर्मनाक ग़लती में न पड़ते जो आपसे सर्ज़द हुई है, और जिसका आपके पास कुछ जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि आपको शर्म से मुंह नीचा करना पड़े! मैं इस रंज का कोई अंदाजा नहीं बता सकता, जो मुझको आपके उन अल्फ़ाज़ से हुआ है इसलिये नहीं कि अख़बार आम की मिल्कीयत और एडीटरी एक दर्जे का फ़ख़र और इज्ज़त नहीं है, बल्कि इसलिये कि जो ताल्लुक़ात मेरे आलीशान मालिक साहब और एडीटर साहब से हैं वह इस क़िस्म के हैं कि मैं बारगाह आली से सदक़ दिल के साथ दुआ करता हूं कि यह इज्ज़त और फ़ख़र उनको ही हासिल रहे, और मुझे उनकी उम्दा तौर पर खिदमत करनी नसीब होती रहे, अगर कोई शख़्स मुझे मालिक और एडीटर अखबार आम का नियाज़मन्द और ताबेदार कहे तो इस खिताब को मैं अपने लिये ऐन सआदत और फ़ख़र समझूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे उन ख़िताबों से मन्सूख करे तो उसके लिये तो मेरे जी से यही निकलेगा कि ख़ुदाया उसके मुंह में छाले पड़ें और उसकी ज़बान जल जाये। अय कमिश्नर और मजिस्ट्रेट साहबान बहादुरान, आप यह फ़र्माइये कि किसने यह सख़्त रंज देने वाली महज़ दरोग़ ख़बर देकर आपको शर्मिन्दा कराया? मुनासिब है कि उस रास्कल (Rascal) को सरे बाज़ार नंगे चूतड़ों पर कम से कम एक सौ कोड़े रसीद किये जावें। सर्दार लछमनसिंह की निस्वत गो बावजूद इसके मुकर जाने के यह साबित हुआ कि उसने दो चाबुक ग़रीब चरनसिंह पर इसलिये रसीद किये कि वह सिपाहियों को मिठाई देने के लिये दुकान नहीं खोलता था और जो बिचारा बाद में इस जहान से चल दिया। अगर ग़रीब चरनसिंह पर ऐसी बात के लिये सर्दार लछमनसिंह ने दो चाबुक मारे तो बेशक उस पाजी के लिये एक सौ कोड़ों की सज़ा बहुत ही कम है, जिसने आपको ऐसी झूठी खबर दी।

जिरह—इसमें प्रोप्राइटर से मुराद मेरे वालिद और एडीटर से मुराद मेरे बड़े भाई से है। इस अखबार में यह लिखना कि 'सरेबाज़ार इस रास्कल के नंगे चूतड़ों पर कोड़े रसीद किये जावें, 'फ़ोहश' नहीं है। मैं उस वक़्त बहुत ही नाराज़ था। मेरे पास इस ग़ज़ट की रिपोर्ट की निस्बत गवर्नमेंट से एक ख़त आया था।

मुझे याद है जब पिछले अर्से में नौ-दस साल यह अफ़वाह उड़ी थी कि महाराजा कश्मीर के अख़्तियारात कम होने वाले हैं। मैं उस वक़्त कश्मीर गया था (और महाराजा साहब ने मुझे एक मुरासला शिमले ले जाने के लिये दिया था। मैंने उसे (मुरासले को) देखा था। वह उन्हीं अख़्तियारात के मुतल्लिक़ था। मैं उसे शिमले ले गया। मेरी कुछ ख़ातिरदारी नहीं हुई थी, क्योंकि एक प्राइवेट इनडिविजूअल (निजी तौर) की हैसीयत में गया था। कोहनूर में मुझ पर रुपये लेने का इलज़ाम नहीं लगाया गया था, बल्कि महाराजा साहब के लिये ज़ेवरात फ़रोख़्त करने का इलज़ाम लगाया गया था। मैंने मुक़द्दमा दायर किया और कोहनूर ने माफ़ी मांग ली। मुझे याद नहीं है कि मुझ पर अपने लिये रुपये लेने का इलज़ाम लगाया गया था या नहीं। अख़बार आम मुवर्रिख़ा १९ सितम्बर सन् १८९२ ई० में मैंने लिखा था कि मुझ पर पन्द्रह हज़ार रुपये लेने का इलज़ाम लगाया गया है। इसकी बाबत भी मुक़द्दमा किया था। जहां तक मुझे याद है (पर्चा दिखलाया गया), मैंने इस इल्ज़ाम की निस्बत दावा नहीं किया था। कोहनूर के मुक़द्दमे में मेरा बयान बा क़रार सालेह हुआ था। ला० रोशनलाल बैरिस्टर उस मुक़द्दमे में भी मुल्ज़िम की तरफ़ से पेश हुए थे, जैसा कि इस मुक़द्दमे में हुए हैं। मुझे यह इक़बाल करना याद नहीं है कि मैं अख़बार आम का एडीटर हूं। जहां तक मुझे याद है मैंने एडीटोरियल लिखे होंगे। लेकिन एडीटोरियल चार्ज मेरे पास कभी न था। पं० ईश्वरीप्रसाद ने एक पैम्फ़लैट लिखा था (दस्तावेज़ डी ५५)।

इल्तमास तहक़ीक़ात रास्ती

(दस्तावेज़ डी ५५)

बख़िदमत आर्यसामाजिक असहाब ?

यह छोटा-सा रिसाला बिल ख़सूस उन हमक़ौम असहाब की ख़िदमत में निहायत अदब के साथ पेश किया जाता है जो अपने ख़यालात के मुताबिक़ अपने हमक़ौमों की बेहतरी के लिये मुख़्तलिफ़ इसलाहें (मज़हबी व सोशल वग़ैरा) अमल में लाने के दरपै हो रहे हैं, और अपना क़ीमती वक़्त और उससे ज्यादातर क़ीमती ख़याल उन इसलाहों की कामयाबी के लिए (अलावा रुपये के सर्फ़ के) ख़र्च कर रहे हैं और जो अपनी जमायत को आर्यसमाज के नाम से मौसूम करते हैं······ मोतरिज़ान् को आर्यसामाजिक ग्रन्थों के बयानात और आर्यसमाज की कार्रवाइयों की निस्बत जो एतराज़ात हैं उनमें से बाज़ इस क़िस्म के हैं कि अगर उनका इल्म होने के बावजूद आर्यसामाजिक असहाब उनकी दुरुस्ती न करें या बाज़ाब्ता मुबाहसे के ज़रिये से उन एतराज़ात को ग़लत साबित न करें, तो सनातनधर्मी लोग तबअन्

यह नतीजा निकालेंगे कि वह क़ाबिले एतराज़ बयानात और कार्रवाइयां इरादातन किये गये हैं, और की जाती हैं, अगर बावजूद इल्म हो जाने के ग़लती या ग़लत बयानी की इसलाह न की जाये तो क्या सनातनधर्मी हिन्दू लोगों का यह ख़याल करना आर्यसामाजिक असहाब को मुतअ़ज्जिब करेगा कि आर्यसमाज ग़लती फैलाता है ?

सनातन धर्म ट्रैक्ट सोसाइटी (जिसकी तरफ़ से यह रिसाला जारी किया जाता है) तहक़ीक़ात रास्ती के लिये हर वक़्त तैयार है और इन्साफ़ पसंद आर्य-सामाजिक असहाब से इस रिसाले के ज़रिये से इल्तमास करती है कि बाज़ाब्ता तहरीरी मुबाहसा में शरीक़ होकर अपनी इन्साफ़ पसन्दी को अमल में लावें।

मौअ़्तरिज़ान के एतराज़ात हस्बे ज़ैल हैं

अव्वल—आर्यसामाजिक ग्रन्थों में ग़लत बयानात।

दोयम—वेदों के आर्यसामाजिक भाष्य में अस्सी फ़ी-सदी ग़लती।

सोयम—आर्यसामाजिक पंथ वेद के ख़िलाफ़ है।

चहारुम—ईश्वर उपासना की कमी और अख़लाक़ी कमज़ोरी की तरक़्क़ी ?

अगर्चे बज़ाहिर आर्यसामाजिक असहाब आस्तिक मालूम होते हैं ताहम जिस तरीक़ पर उनका बर्त्ताव नज़र आता है और जिस तरीक़ के दलायल वक़्तन् फ़वक्तन् उनसे सुनने में आते हैं उनसे साफ़ पाया जाता है कि अमूमन् ईश्वर उपासना की निहायत कमी होती जाती है, बल्कि ईश्वर की हस्ती का ख़याल ही कमज़ोर होता जाता मालूम देता है, नीज़ दीगरे इसलाही कोशिशों की मानिन्द आर्यसामा-जिक आम कार्रवाई से भी अन्देशा है कि चन्द अक़्साम की अख़लाक़ी कमज़ोरी को हिन्दू क़ौम में तक़वीयत हासिल हो रही है जो किसी क़दर अर्से से तरक़्क़ी कर रही है। (१) ज़िना, (२) शराबनोशी, (३) क़मारबाज़ी, (४) अपनी ज़बान का पास न रखना, (५) कारोबार और लेन-देन में बददियान्ती और फ़रेब, (६) अदब और दया की कमी, (७) लड़की का ऐसी सूरत में नाता देना कि उससे अपना ज़ाती फ़ायदा हो—इन सबकी तरक्क़ी हो रही है।

पंजुम—आर्यसामाजिक इसलाही कोशिश से हिन्दू क़ौम का नुक़सान ?

अगर्चे अक्सर मौक़ों पर आर्यसामाजिक असहाब का यह इज़हार पाया जाता है कि हम अपनी क़ौम की बेहतरी के लिये कोशिश करते हैं लेकिन निहायत अफ़-सोस के लायक़ यह अमर है कि जिस तरीक़ पर आर्यसमाज की इसलाही कोशिश अब तक जारी रही है उससे हिन्दू जमायत को कई मानों में नुक़सान हो रहा है, और एक निहायत भारी नुक़सान यह है कि दीगर इसलाही कोशिशों की तरह आर्यसमाजिक इसलाही कार्रवाई से भी क़ौमी हमदर्दी और अमूमन् क़ौमीयत के ख़याल का ज़वाल होता जाता है, और क़ौम की कमज़ोरी होती जाती है।

जिरह—और सनातन धर्म सभा ने अपनी लागत पर उसे मेरे मतबूअ में छपवाया था। ईश्वरीप्रसाद सभा में भी लेक्चर दिया करता था। और वह लेक्चर मय दूसरी कार्रवाई के सनातन धर्म गज़ट में शाया हुआ था। मैंने जून और जुलाई सन् १९०० ई० के सनातन धर्म ग़ज़ट में (दस्तावेज़ डी ५६ तर्जुमा डी ५७) मुक़द्दमा होली के मुतल्लिक़ कुछ लिखा था। रुपये की ज़रूरत ज़ाहिर की थी।

सनातन धर्म ग़ज़ट बाबत माह जून व जुलाई सन् १९०० ई०

(दस्तावेज़ डी ५६ तर्जुमा डी ५७)

इल्तमास

सनातन धर्म ग़ज़ट पर सरकारी मुक़द्दमा

सनातन धर्म ग़ज़ट १५ मार्च के नम्बर में होलियों के ऐयाम में जो मज़मून 'होली के चुटकले' शाया हुआ था, उस पर गवर्नमेण्ट आलिया की तरफ़ से एक मुक़द्दमा कई एक दफ़आत की रू से क़ायम किया गया, कि मज़मून भड़काने वाला है, आर्यों को बहुत बदनाम किया गया है, अमन में खलल आने का अन्देशा है, फ़ोहश है वग़ैरा वग़ैरा। यह अमर सुनते ही और इसकी भनक पाते ही हम इस कोशिश में हमांतन मशगूल हो गये कि जिस तरह मुम्किन हो गवर्नमेण्ट आलिया की नाराज़गी को रफ़अ किया जावे, इससे मुआफ़ी की दर्ख्वास्त की जावे, इससे रहम की इल्तजा की जावे, हमारी और हमारे बहुत से मुअज्ज़िज़ करमफ़र्माओं की यही राय थी कि ऐसे मामले में गवर्नमेण्ट आलिया के मुक़ाबले में मुक़द्दमा लड़ना बिल्कुल नामौज़ूं होगा, और इससे माफ़ी हासिल करना ही ऐन इज़्ज़त है, चुनांचे ऐसी कोशिश में हमारा यह तमाम वक्त सर्फ़ हुआ। दो दफ़ै हमें शिमले जाना पड़ा, बहुत से करमफ़र्माओं की इमदाद से हमने माफ़ी पेश की, क़ाबिल वसूक़ (विश्वसनीय) ज़रियों से हमें यह मालूम हुआ कि अगर अदालत में हम जुर्म का इक़बाल करें और अदालत के रहम पर खुद को छोड़ दें तो गवर्नमेण्ट आलिया माफ़ी को मंज़ूर फ़र्माकर सज़ाए क़ैद के लिये ज़ोर न देगी, इस इर्शाद को हमने अपना रहनुमा बना कर बग़ैर किसी क़िस्म की डिफ़ेन्स (बचाव) की कोशिश के [कि आर्य लोग भी निहायत इश्तआलबख़्श मज़ामीन हमारे और सनातन धर्म के खिलाफ़ लिखते हैं और हमारी तहरीरों में भी मानों की बड़ी गुंजायश है वग़ैरा-वग़ैरा] हमने जुर्म से इक़बाल कर लिया, गवर्नमेण्ट आलिया के इर्शाद के मुताबिक़ हमने भारी ज़मानत भी आइन्दे के लिये देनी मंज़ूर की कि ऐसी तहरीरें आइन्दा शाया न होंगी, और गवर्नमेण्ट आलिया ने भी इनायत फ़र्माकर सरकारी वकील पैरोकार

मुक़द्दमे को हिदायत फ़र्माई कि वह इस अमर की कोशिश करे कि सज़ाये जुर्माना पर हमारी रिहाई हो जावे, चुनांचे सरकारी वकील ने अदालत के रूबरू ऐसा ही बयान किया कि ऐसी सूरत में जबकि मुल्ज़िम ने माफ़ी पेश की है, जुर्म का इक़बाल किया है, गवर्नमेंट और अदालत के रहम पर खुद को छोड़ दिया है, और आइन्दा के लिये ज़मानत देना मंज़ूर करता है और यह मुक़द्दमा भी अपनी वजह का पहला ही मुक़द्दमा है जो आज तक कभी अदालत में दायर नहीं हुआ, लिहाज़ा सरकार का मन्शा इसमें ज़्यादा ज़ोर देने का नहीं है, और यह काफ़ी है कि इसे जुर्माने की सज़ा दी जावे, हम हर तरह से मुतमईन (भरोसा रखते) थे और आख़िरी हुक्म सुनने के लिये ३ अगस्त को अदालत साहब डिप्टी कमिश्नर बहादुर में पेश हुए। मिस्टर ऐटकिन्स साहब बहादुर ने फ़ैसले में लिखा कि बावजूद इन तमाम हालात के जो गवर्नमेंट ऐडवोकेट ने बयान किये, और बावजूद मुल्ज़िम के माफ़ी वग़ैरा तलब करने के, हम ख़याल करते हैं कि सज़ाये जुर्माना बिल्कुल नाकाफ़ी होगी, वह इसलिये कि चाहे कितना भी जुर्माना हम पर किया जावे अदालत की राय में वह तमाम रक़म जुर्माना सनातन धर्म सभाओं के असहाब ही हमारी तरफ़ से अदा कर देंगे। लिहाज़ा अदालत ने हमारे लिये ४ माह क़ैद महज़ की सज़ा फ़र्माई है। ३ अगस्त को यह हुक्म दिया गया। हमारी तरफ़ से अदालत साहब सेशन जज बहादुर में अपील हुई जिसने फ़िलहाल ताफ़ैसला अपील हमें ज़मानत पर रिहा कर दिया है। हमारे अहबाब सनातन धर्म सभा ग़ौर फ़र्मावें कि अदालत आलिया का क्या ख़याल है या क्या ख़याल उनके दिल में क़ायम हो गया है कि कुल सनातन धर्म सभाएं हमको हज़ारों रुपये की इमदाद दे रही हैं और आइन्दा भी इमदाद पर आमादा हैं, हालांकि असल हक़ीक़त यह है कि इस वक़्त तक एक भीनी कौड़ी हमें किसी सनातन धर्म सभा या किसी अहबाब से मुक़द्दमे की इमदाद में वसूल नहीं हुई। इस वक़्त तक एक आफ़त से खुद को बचाने के लिये हमारा पानी की तरह रुपया सर्फ़ हुआ, और हो रहा है, आइन्दा अभी और नहीं मालूम कि और कितना खर्च होगा, कि इस नागहानी आफ़त से छुटकारा हासिल करें, लेकिन किसी सनातनधर्मी साहब ने इस वक़्त तक कुछ भी इमदाद नहीं फ़र्माई, ऐसी सूरत में यह हमारी कितनी बड़ी बदक़िस्मती है कि अदालत कुछ ख़याल करती है और असल हक़ीक़त बिलकुल इसके ख़िलाफ़ है, बहरहाल जो भावी है वह ज़रूर होकर रहेगी, हमसे जहां तक हो सकेगा जद्दोजहद करेंगे, हमारी और हमारे तमाम दोस्तों और अवाम उन्नास पब्लिक की उम्मेदों के बिल्कुल ख़िलाफ़ यह फ़ैसला साफ आसमान से बिजली की तरह गिरा। ऐसी ही तरद्दुदात और तकलीफ़ात में अगर गज़ट की अशायत गुज़िश्ते चन्द अर्से से बिल्कुल बेतरतीब हो गई और आइन्दा इसकी हालत कुछ अर्से दिगरगूं रहे तो उम्मेद है कि नाज़रीन हमें माफ़ फ़र्मावेंगे।

सनातन धर्म गज़ट बाबत माह जून व जुलाई सन् १६००० ई०

सफ़े १५ व १६

दोहा

दयानन्द स्वामी भये, कलजुग का अवतार।
भ्रष्ट किये सब धर्म से, समय अनुकूल विचार ॥

चौपाई

धर्म नष्ट प्रति कीन्हे द्वारा। अर्थ श्रुतिन प्रतिकूला सारा ॥१॥
पोथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया। पाप अधर्म जगत में छाया ॥२॥
यजुर्वेद फिर भाष्य ही भाखा। कर्म धर्म की काटी शाखा ॥३॥
द्विज भोजन मुख दान श्राद्धा। सब कहँ एकबार किया बाधा ॥४॥
जेह बिध होत धर्म निर्मूला। सो सब दयानंद कर फूला ॥५॥
शुभ आचरण एक नहीं राखा। देव पितर गुरु मान न राखा ॥६॥

छन्द

इसी भ्रष्ट आचारा, भया संसारा, धर्म सुनें नहीं काना।
भारत रामायन, अति सुखदायन, श्रीमद्गीता विष्णु पुराना ॥
एह निवारे, सूत्र बिगारे, करे अनेक भाई रचना।
एंह धूर्त्ताई, स्वामी बताई, पाप युक्त सब लिखे बचना ॥

दोहा

वरन न जाये अनीत घोर, स्वामी ने जो कीन्ह।
धर्म वृक्ष को काट कर, पाप दुःख रख दीन्ह ॥

चौपाई

जिन की यह आचर्ण प्रमानी।
तेहि जान्हें निश्चर सम मानी ॥१॥
श्री गंगा जमुना नहीं न्हावें।
और जलों के समान बतावें ॥२॥
जात भेद अन्तर नहीं राखा।
शूद्र को ब्राह्मण होना भाखा ॥३॥
कर्म में द्विज शूद्र बताया।
शूद्र को वेद अधिकार बताया ॥४॥
व्याह विधवा के अनेक सुझाये।
पतिव्रता को नियोग कराये ॥६॥

मूर्ति पूजन कीन्ह निषेधा।
जानत नहीं औतारन भेदा ।।६।।
राम कृष्ण को मनुष्य ही जानें।
मोक्ष से फिर आना जड़ मानें ।।७।।
पिता मात निज मूर्ख ही दीखे।
तर्पण श्राद्ध व्रतादिक रोकें ।।८।।
गौ वन्ध्या गर्दभ तुल्य जानें।
वफ़ा दुग्धमात्र एक मानें ।।९।।
मृतक कर्म पितु मातन करहीं।
पातक दोष दुष्ट नहिं डरहीं ।।१०।।

दोहा

अति खेद संसार में, प्राप्त हुआ जब आन।
बीज पाप का बोय कर, स्वामी त्यागे प्राण ।।

चौपाई

त्यागे प्राण शीतल भई घरनी।
सिंह विनाशा जैसी हरनी ।।१।।
धर्मवृक्ष सुन्दर लहलाया।
कर्मादिक निज शाखा जाया ।।२।।
महाराजों ने कीनी सहाई।
धर्म समाजें स्थिर करवाईं ।।३।।
उपदेशक भारत बुलवाये।
पोल दयानन्द के खुलवाये ।।४।।
धर्म आर्य निश्चय सब तोरी।
दर्शाई स्वामी की चोरी ।।५।।
आर्य धर्म निर्बल कर दीन्हा।
धर्म सभा एहि पराक्रम कीन्हा ।।६।।
विरोधी धर्म अब होत ही भाये।
शनैः शनैः पाप नष्ट हो जाये ।।७।।
तर्पण श्राद्ध नियम व्रत धर्मा।
प्रतिमा पूजन जमी सत कर्मा ।।८।।
सहित आनन्द करो भय त्यागी।
दयानन्द धूर्त्ता अब भागी ।।९।।
रामचन्द्र श्रीकृष्ण मनाओ।
इह बिध भवसागर तर जाओ ।।१०।।

शेर

नमानद सितमगार बर रोज़ गार।
बमानद बरो लआनते पायेदार॥

जिरह—सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ जनवरी सन् १९०० ई० (दस्तावेज़ सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ जनवरी सन् १९०० ई० (दस्तावेज़ डी ५८ तर्जुमा डी ५९) में एक मज़मून लिखा है कि दयानन्दी आर्यों के भ्रष्ट आचार ऐसे हैं कि वह हिन्दू बिरादरियों से ख़ारिज कर देने के लायक हैं।

सनातन धर्म गज़ट बाबत १५ जनवरी सन् १९०० ई०

(दस्तावेज़ डी ५८ तर्जुमा डी ५९)

सफे ११

हिन्दू सोसाइटी का घुन

दयानन्दी आर्यों की भ्रष्टाचार करतूतें हिन्दू बिरादरी से खारिज होने के क़ाबिल, जिन पर अब तमाम हिन्दू बिरादरियों की पूरी व जरूरी तवज्जह दरकार है।

तमाम को ज़ाहिर होवे कि सन् १८७५ ई० जब से कि दयानन्दी आर्यसमाजों की बुनियाद क़ायम हुई है, तब से आज तक हिन्दू लोगों का इसकी निस्बत अमूमन यह भी खयाल रहा है कि यह फ़िर्क़ा भी मिस्ल फ़िर्क़े हाये गूगों, गुलाब-दासियों, सिक्खों, निरंकारियों, जैनियों वग़ैरा की, एक ऐसा ही हिन्दू क़ौम के मज़हबी फ़िर्क़ों में से है जो कि गो चन्द एक मज़हबी फ़रायज़ व रसूख़ात में तो हिन्दू क़ौम से कुछ-कुछ इख़्तलाफ़ रखते हैं। मगर उस भारी पाबंदी जात-पांत, छूतछात और खान-पान को जिस पर कि हिन्दू क़ौम की हस्ती और दीगर क़ौमों से अलहदा तमीज़ किये जाने का मज़ार है, बराबर क़ायम व बहाल रखने में सरे-मू कोताही नहीं करते हैं। यह बात भी साफ़ ज़ाहिर है कि दयानन्दी आर्य फ़िर्क़े में जिस क़दर के लोग शामिल हैं यह तमाम हिन्दू क़ौम से हैं।

चुनांचे ज़माने हाल से थोड़ा अर्सा पेश्तर तक यह ख़ुद दयानन्दी फ़िर्क़े के लोग भी इसी तरह पर अमल करते रहे हैं और धर्म के लिहाज़ से या बुज़ुर्गान खान्दान व बिरादरियों के ख़ौफ़ से कभी इनको भी जुरंत नहीं हुई थी कि ऐलानिया तौर पर इस पाबन्दी को तोड़ देवें या अपने खान्दान व बिरादरियों के रूबरू बिला धड़क

साफ़ तौर से यह अल्फ़ाज़ मुंह से निकाल सकें, कि ग़ैर हिन्दू क़ौमों के साथ मिल कर खाने-पीने से या उनको अपने फ़िर्क़े में शामिल कर लेने में हमको कोई ऐब खौफ़ या शर्म नहीं है, और यह ही वजह है कि आज तक हिन्दू बिरादरियों ने भी उनकी कार्रवाइयों की निस्बत कोई सख़्त नोटिस नहीं लिया था, और जो तदारुक इनका कि बिरादरी की रू से हो सकता था कोई नहीं किया था, और अभी तक इन लोगों का आम बर्त्त-बर्त्ताव खाने-पीने, रिश्ते-नाते व मरने-परने में समूलियत का बदस्तूर हिन्दू बिरादरियों में जारी है।

कुछ थोड़े अर्से से इन लोगों ने हिन्दू धर्म व बुज़ुर्गान ख़ान्दान व ज़ात-बिरादरियों को हेच तसुव्वर करके और उनकी किसी तरह की कोई परवाह को खातिर में न लाकर ऐसी-ऐसी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं कि जिनसे उनकी मुराद ये पाई जाती है कि तमाम ग़ैर हिन्दू ज़ात व क़ौमें बल्कि चूहड़े-चमार तक को भी अपनी दयानन्दी आर्यसमाज में शामिल करके परस्पर बर्त्त-बर्त्ताव व सम्बन्ध से तमाम हिन्दू क़ौम को भ्रष्ट कर देवें, और उसकी तमाम पवित्रता, धर्म-कर्म, ज़ात-पांत, छूतछात के विचार को दूर करके इस हिन्दू क़ौम की हस्ती को अब तक शुरू दुनिया से अपने पवित्र देवताओं को ऋषि-मुनि लोगों की एक यादगार चली आती है नेस्तोनाबूद करके सफ़े दुनिया से हटा देवें, क्योंकि जब चूहड़े-चमार तक की सारी क़ौमें मिलकर एक क़ौम ब मूजिब ख़याल इन भ्रष्टाचारियों के बन जावेगी और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार आगे उस क़ौम के धर्म-कर्म, आचार-विचार हुआ करेंगे फिर फ़र्माइये इस पवित्र हिन्दू क़ौम और इसके धर्म-कर्म, उपासना, ज्ञान-ध्यान का कहीं भी नामोनिशान बाक़ी रह जावेगा……!

जिरह—मैंने यह मज़मून नहीं लिखा। मेरी मौजूदगी में मज़ामीन वग़ैरह मेरे मुलाहज़े के बिना तब्अ़ नहीं होते हैं। इस मज़मून पर मेरा कोई भी नोट ताईदी या तरदीदी नहीं है। इस मज़मून का मतलब है कि चूंकि वे हिन्दुओं के साथ शामिल रहना नहीं चाहते हैं उनको अलहदा कर देना चाहिये। यह आर्टिकिल का आम मनशा है जिसमें कि सद्धर्म-प्रचारक से भी इसी क़िस्म का इक़्तबास शामिल है। मेरी ज़ाती राय है कि उन्हें इस तौर पर (बिरादरी) खारिज कर देना चाहिये।

सनातन धर्म गज़ट बाबत ३१ जुलाई सन् १८९९ ई० (दस्तावेज़ डी ६० और तर्जुमा डी ६१ व डी ६२) में एक आर्टिकिल है, जिसमें आर्या औरतों के हार्मोनियम बजाने और गाने का ज़िकर है।

सनातन धर्म गज़ट बाबत ३१ जुलाई सन् १८९९ ई०

(दस्तावेज़ डी ६० तर्जुमा डी ६१)

तरक़्क़ी का नया ढंग

एक-दो बात अगर होवें तो कोई लिक्खे।
आर्यों की तो हज़ारों हैं निराली बातें॥

अब देखिये कि कोह मन्सूरी के आर्यसमाजी अपना फ़िर्क़ा बढ़ाने में इस क़दर कोशिश कर रहे हैं कि अहाते तहरीर से बाहर है। मैं यक़ीन करता हूं कि अगर इस क़दर कोशिश और जांफ़िशानी क़ौम आर्या अपने हक़ीक़ी मज़हब के राह-रास्त पर आकर पैरवी करें तो दारैन की मुरादों से मालामाल हो जावें, मगर ताज्जुब है उनकी अक़्ल पर, हैरत है उनके अफ़आल पर, किससे कहें, कौन सुनता है !

शेर

कौन सुनता है कहानी मेरी,
और फिर भी वह ज़ुबानी मेरी॥

अब आर्य साहबान की उन चालों और फ़न्दों को कि जिनसे अपने फ़िर्क़े को तरक्क़ी देते हैं मुलाहज़ा फ़र्माइये, शास्त्रों को तो बालाये ताक़ रख दिया और नक़ूले ईसाइयत में कोई दक़ीक़ा बाक़ी न छोड़ा यानी उन लोगों को जो इस अहाते मुहीत आर्या से बाहर हैं, जमा करने और उनको अपने मज़हब में लाने के वास्ते जमा करने के हस्बज़ैल तरीक़े और ढंग निकाले। समाज के रोज़ तमाम दिन हार्मोनियम बाजा बजाना, और समाजी औरतों को ख़ूब बना व सिंगार करके समाज में जुमले हाज़रीन समाज के रूबरू लाना और निहायत सुरीली और नुकीली आवाज़ से गवाना कि जिससे ख़्वाहमख़्वाह दिल इन्सान इस जज़्ब मक़नातीस से खिंच जावें, और औरतों को मिस्ल मर्दों के बूट और मौज़े और धोती वग़ैरह पहना कर दूसरों के मकानों में उनकी मस्तूरात को पढ़ाने की ग़रज़ से भेजते हैं, वग़ैरह-वग़ैरह हबूब शुरू किये हैं। जहां तक मेरी नज़र का सोत दीखता है और मैं ख़याल करता हूं कि ज़माने हाल पर अभी कलजुग ने पूरा गलबा नहीं पाया, कुछ धर्म का ख़ौफ़ लोग मानते हैं वर्ना अय दयानन्दियो, आपकी इन चालों और दामे हयात में कलजुगी लोग ज़रूर गिरफ़्तार हो जाते। वाह, अय आर्यसमाज, तेरे अफ़आल नाहीदा और चाल पेचीदा को कहां तक कोई लिखे, ख़ामोशी के बाद यह दुआ काफ़ी है कि परमेश्वर इस तेरी चाल से बचावे।

नामेनिगार अज़ कोह मन्सूरी

मैं समझता हूं कि मैं यहां (लाहौर में) न था जबकि यह तव्अ् हुआ। मेरा असिस्टेन्ट सफ़े २२ पर लिखता है कि पंडित दयानन्द धोखे की टट्टी से दुनिया को बहका रहा है। ला० देवराज जालंधर आर्यसमाज का एक मेम्बर है, वह एक बड़ा रईस है। मैंने बद्रीदास प्लीडर को देखा है, वह भी आर्यसमाज का मेम्बर है। उसने एक पर्चा तालीम निस्वां पर चलाया है। मैंने इसका अपने सनातन धर्म गज़ट में ज़िकर किया है और बतलाया है कि उन्हें ललायन देवराज वग़ैरह कहना चाहिए गोया कि वह औरतें हैं। सनातन धर्म गज़ट बाबत ३० जून सन् १८९९ ई० (दस्तावेज़ डी ६३ तर्जुमा डी ६४) में एक गुमनाम आर्टिकिल निकला था, जिसकी सुर्ख़ी है—'एक सफ़ेद झूठ'। मुझे मालूम नहीं है कि उसको लिखने वाला कौन था।

सद्धर्म-प्रचारक का सफ़ेद झूठ

परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज को कैलास-वास किये दो माह भी नहीं गुज़रे हैं कि दयानन्दियों ने उनकी निस्बत अंड-बंड लिखना शुरू कर दिया है। न मालूम तास्सुब ने इनकी आंख में मिट्टी क्यों डाल रक्खी है कि जिसकी वजह से उनको सफ़ेदी भी स्याही नज़र पड़ती है। हम नहीं जानते कि सत्य का ग्रहण इनका असूल हाथी के दांत खाने के और, और दिखलाने के और का मस्दाक़ (प्रमाण) है या दरअसल सत्य को ग्रहण करते हैं। मुन्शीराम, जिसने सनातनधर्मी विद्वानों की हिजो पर कमर बांध रक्खी है और वकील होने की वजह से झूठ लिखना और बोलना जिसके बायें हाथ का करतब है; जो अपने तईं आर्यों का लीडर मान रहा है; आषाढ़ सम्वत् १९५६ के सद्धर्म-प्रचारक (जो दरअसल असत्य धर्म-प्रचारक है) में निहायत बेशर्म होकर लिखता है·········

सनातन धर्म गज़ट बाबत जुलाई १८९८ ई०

(दस्तावेज़ डी ६५ तर्जुमा डी ६६)

ला० मुन्शीराम से शास्त्रार्थ

हमारे माह मई के ज़मीमे के जवाब में ला० मुन्शीराम ने अपने ३ जून के पर्चे में ८ कालम स्याह किये हैं······जब आप खंडन करेंगे तो न मालूम हमारे महावीर और भैरों जी कहीं रात को आपकी छाती पर न चढ़ बैठें······। हमने लाला साहब की हरेक बात का ग़ैरमुश्तबह अल्फ़ाज़ में जवाब दे दिया है, और साबित

कर दिया है कि हमारी दिली मुराद उनसे शास्त्रार्थ करने की है, लेकिन अखीर में हम लाला साहब के एक शर्मनाक झूठ पर उनके कान ऐंठना चाहते हैं और उनको खबरदार करना चाहते हैं कि वह अब झूठी बकवास करना छोड़ दें, क्योंकि अब हमारा उनका शास्त्रार्थ होने वाला है, वेद किन शास्त्रों का नाम है अब हम खुद उनसे फ़ैसला करेंगे। लाला साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस ज़िले में वह रहते हैं उसी के मुतल्लिक़ हालात से वह इस क़दर बेइल्म हैं या वह जान-बूझकर मक्कारी और शरारत करते हैं ?

लाला साहब इस बहस के दौरान में पंडित श्रद्धाराम जी फिल्लौरी का नाम दर्म्यान में ले आये हैं और उनकी एक किताब को पेश करते हैं और इस मजमून में तीन दफ़ै उन्होंने पं० श्रद्धाराम जी को हमारा गुरु क़रार दिया है। चूंकि हमें उनके इस सरीह झूठ कहने पर सख्त गुस्सा पैदा हो गया है, इसलिए हम यह अल्फ़ाज इस्तेमाल करते हैं कि लाला साहब की शरारत और झूठी बकवास को तमाम पर ज़ाहिर करें।

लाला साहब और हमारे दर्म्यान शास्त्रार्थ है। पंडित श्रद्धाराम जी फिल्लौरी, जिनको यह चोला छोड़े कई वर्ष हो गये, उनको दर्म्यान में लाना चे मानी दारद, सिवा इसके लाला साहब अपनी हिमाक़त का सबूत दें ? सुनिये लाला साहब, हम कश्मीरी पंडित हैं। हमारे गुरु वग़ैरह सब कश्मीरी हैं, हमने सिवाय अपने कुल-गुरु के इस वक़्त तक किसी को गुरु धारण नहीं किया, आप बिल्कुल झूठ और कमाल बदनीयती से हमें पं० श्रद्धाराम जी फिल्लौरी का चेला ज़ाहिर करते हैं, फ़र्माइये, क़ानून की रू से उसकी क्या सज़ा आपके लिए है ? हम पं० श्रद्धारामजी को निहायत ताज़ीम की नजर से देखते रहे, जैसा कि और बहुत से पंडितों को देखते हैं, लेकिन हम कभी उनके चेले नहीं बने, और न उनको गुरु धारण किया। पं० श्रद्धाराम जी की और दीगर पंडितों की कमाल इज़्ज़त करते हुए भी हम इस अमर को अपनी तौहीन समझते हैं कि एक गुरु रखते हुए फिर हमारी निस्बत कोई आदमी कहे कि हमने दूसरे को गुरु धारण किया, चाहे वह दूसरे महाशय कैसे ही विद्वान और महापुरुष क्यों न हों ? ऐसा कहने वाले को हम अव्वल दर्जे की नफ़रत से देखेंगे, इस तौहीन के लिए क्या हम अदालत में चाराजोई नहीं कर सकते ! अय बदनीयती के साथ झूठ लिखने के आदी ला० मुन्शीराम, तुमने अपनी वकालत के दौरान में बहुत से लोगों पर जिरह की होगी, हम तुम पर जिरह करते हैं कि बताओ तुमको क्योंकर मालूम हुआ कि हम पं० श्रद्धाराम जी के चेले हैं, बताओ तुमने कहां से तहक़ीक़ात की कि हमने उनको गुरु धारण किया ! बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे इस नालायक और झूठे क़ौल का ? अगर कोई सबूत नहीं, अगर तुमने कमाल बेएहतियाती यानी Gross Negligence से तहक़ीक़ात के ज़रिये रखने पर भी बिला तहक़ीक़ात यह झूठ हमारी निस्बत शाया किया है

तो क्या बमूजिब क़ानून यह तुम्हारी कमाल दर्जे की बदनीयती का सबूत नहीं है और क्या उसके लिये तुम पर चाराजोई नहीं हो सकती ? ख़बरदार, कान को हाथ लगाओ, चूंकि हमें तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना है, लिहाज़ा तुम्हारी इस ख़ता को दरगुज़र करते हैं कि हमारी आरज़ू शास्त्रार्थ की पूरी हो, अलबत्ता पं० श्रद्धारामजी आस्तिक थे, बाहर क्या थे इसकी निस्बत हम कुछ न कहकर फ़क़त इतना बिला खौफ़े तरदीद कह सकते हैं, कि तुम्हारी लाहौर आर्यसमाज के प्रधान लाला जीवनदास जी पं० श्रद्धाराम जी के शिष्य रह चुके हैं, उन्होंने पंडित जी से कंठी और तिलक, जो चेला होने का निशान था, धारण किया, जिनको अब वह, मिटा चुके हैं। हमने न कभी पंडित जी से कंठी-तिलक धारण किया, न उनके चेले बने, पस हमें पं० श्रद्धारामजी की तहरीर से कोई मतलब और ग़रज़ नहीं, हम आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं, और आप ही से हमारी चन्द बातें होनी हैं।

इधर-उधर की झूठी बकवास छोड़ो, हमने तुम्हारी इस नालायक़ी और बदनीयती से पुर तहरीर पर बड़ी कशिश से अपने ग़ुस्से को शान्त किया है, अब आप ऐसी बातों को छोड़ सीधी तरह से शास्त्रार्थ करें, और मुम्किन हो तो शास्त्रार्थ की तारीख़ जल्द मुक़र्रर करें। शास्त्रार्थ के वक़्त तक़रीरों के लिखने का बन्दोबस्त हम आप मिल कर करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो उसके लिये किसी साहब को उजरत देने में भी हम शामिल होंगे, अगर आपके खयाल में कोई ऐसे साहब हों जो लिख सकें तो ख़ुशी की बात है, वर्ना हम भी कोशिश करेंगे। सामईन को अख़्तियार नहीं होगा, कि जो चाहें किसी को तक़रीर का खुलासा लिख कर शाया करें, बल्कि वह तकरीरें शाया होंगी, जिन पर तकरीर करने वालों और साहब चेयरमैन के दस्तख़त होंगे। जैसा कि आप पहले मंज़ूर कर चुके हैं, हर दो फ़रीक़ में से जो साहब बिला इस तरीक़ के कोई तक़रीर शाया करेंगे उनकी बद-नीयती समझी जावेगी।

सनातन धर्म गज़ट बाबत जुलाई सन् १८९८ ई० में एक आर्टिकिल 'लाला मुन्शीराम से शास्त्रार्थ' निकला है। यह मैंने उनके एक आर्टिकिल के जवाब में लिखा था। मुल्ज़िम ही वह लाला मुन्शीराम है। अगर मेरे अल्फ़ाज़ झूठे हैं तो हतक़आमेज़ हैं। अगर सच हैं तो हतकआमेज़ नहीं हैं। अगर जवाब में हैं तब भी हतकआमेज़ नहीं हैं।

सनातन धर्म गज़ट बाबत मई सन् १८९८ ई० (दस्तावेज़ डी ६७, तर्जुमा डी ६८)

सनातन धर्म गज़ट बाबत मई सन् १८९८

(दस्तावेज़ डी ६७ तर्जुमा डी ६८)

सफ़े ३७

पाञ्चाल पण्डिता—यह एक माहवारी रिसाला जालन्धर से शाया होता है जो खालिस मस्तूरात के लिये है और जालन्धर में जो आर्यसमाजियों ने कन्या महाविद्यालय बनाया है उसका गोया कि आर्गन है। हमको यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि नाम तो इसका मुवन्नस (स्त्रीलिंग) यानी 'पण्डित' है लेकिन एडीटर इसके दोनों असहाब मुज़क्कर (पुल्लिग) हैं, यानी लाला देवराज और लाला बद्रीदास !! जिस रिसाले के एडीटरान मर्द हों उसका नाम मुवन्नस रखना अजब मज़े की बहार है, अलावा अज़ींनाम हों 'पण्डिता' और एडीटर हो 'लाला साहबान'...

अज़ सफ़े ३८

...'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह मसल है, यह लोग खुद अपने ग्रन्थ के मुतल्लिक़ जो बातें लिखी हैं उनका भी जवाब नहीं दे सकते...

अज़ सफ़े ३९

बेशर्मी की भी हद होती है—जालन्धर के मुन्शीरामी अखबार ने १८ वैशाख के पर्चे में लिखा है कि नाहन में पण्डित गिरधारीलाल जी के बहुत से व्याख्यान हुए, साधू केशवानन्द उदासी ताब शास्त्रार्थ की न ला सका। तीन संस्कृत के पत्र गये लेकिन किसी का जवाब न दिया। अख़बार हाज़ा की तहज़ीब तो इसी से अयां है कि अपने गिरधारी पण्डित को 'पण्डित गिरधारीलालजी' के नाम से याद किया है और श्रीमान् स्वामी केशवानन्द जी महाराज जो एक बड़े भारी विद्वान् साधू हैं उनको 'साधू केशवानन्द उदासी' लिखा है। अगर यह गिरधारी पण्डित वही गिरधारी है जो रोपड़ में हमारे सामने हुआ था, तब तो हम निधड़क कह सकते हैं कि श्रीमान् स्वामी केशवानन्द जी के कई एक चेले ऐसे होंगे जिनका मुक़ाबला करते हुए गिरधारी जी तिनकाधारी भी न रहेंगे, चेजाये कि स्वामी जी से शास्त्रार्थ करें हमको यह सरीह झूठ मालूम होता है कि पं० गिरधारीलालजी से मुक़ाबले की ताब स्वामी केशवानन्दजी न ला सके हों। यह वैसी ही करतूत है जैसी कि लाला मुन्शीरामी अखबार में रोपड़ वग़ैरा की निस्बत शाया हुई थी...

अज़ सफ़े ३९

अफ़सोस इस नालायक़ी पर—जालन्धरी घास पार्टी के बेशर्म आर्य अख़बार के १४ चैत के पर्चे में नवाशहर में शास्त्रार्थ का होना दर्ज हुआ है। इस अख़बार की जो वक़अत और झूठ बकने में जो शोहरत है वह जाहिर है, इसमें और तो जो कुछ है वह है, मगर यह भी दर्ज है कि विद्यार्थी आश्रम जालन्धर से

आकर एक शख़्स मुसम्मी पं० विश्वामित्र ने 'मूर्त्ति-पूजा और पुराणों का खंडन बड़े ज़ोर-शोर से किया'। हम पूछते हैं कि कितने ज़ोर-शोर से? वह ज़ोर-शोर क्या कुम्भकर्ण के ख़फ़ीफ़ से ख़फ़ीफ़ बाल के भी बराबर था या इससे बड़ा? वाह रे विद्यार्थी आश्रम के विद्यार्थी, बड़ा ज़ोर-शोर दिखाया, अब काहे को मूर्तिपूजा और पुराण बाक़ी रह जावेंगे! अरे बेवक़ूफ़ नालायक़ो, जो मन्दिर तुम्हारी पुरानी कीर्ति और पराक्रम की ध्वजाएं हैं, और पुराण तुम्हारी प्राचीन अज़मत की ज़िन्दा मिसालें हैं उनका तुम खंडन करते हुए नहीं शर्माते! तुम कहां के पंडित और कहां के आर्य पुरुष? कोई औरंगज़ेबी नसल मालूम होती है, पुराणों में तुमको फ़ोहश बातें दिखाई देती हैं। कुन्दह नातराशो, तुम्हारी अपनी बुद्धि मलीन है और फ़ोहश है, इससे बिल्ली को छिछड़े के ख़्वाब दिखाई देते हैं। नीयत को शुद्ध करो, पवित्रता का भाव रक्खो, फिर देखो यह पुराण क्या वस्तु हैं।

अज़ सफ़े ४१

आर्यों की बाहमी जूतपैज़ार······में जो मज़ामीन सफ़े ३३ से ४० तक हैं वह मेरे लिखे हुए हैं। 'दयानन्दी अख़बार जालन्धर' से मुराद ला० मुन्शीराम के अख़बार से है। 'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का' से मुराद आर्यसमाजी हैं। 'जालन्धर घास पार्टी का बेशर्म अख़बार' से सद्धर्म-प्रचारक से मुराद है (और नोट जिसका हैडिंग हैं 'अफ़सोस है इस नालायक़ी पर' यह भी मेरा ही लिखा हुआ है।—**अज़ बयान उर्दू**)।

हमारी सभा के ख़यालात मुताबिक़ अठारह मुख्य पुराण हैं। उनके नाम याद नहीं हैं। न यह याद है कि भविष्य-पुराण उनमें से एक है या नहीं। यह (भविष्य) पुराण ज़रूर है। ला० मुन्शीराम ने यह किताब मुबाहसे में पेश की थी। (इसमें दर्ज है कि लश्करियों की औरतों को तवायफ़ बनने की निस्बत लिखा है, वह मेरे ख़याल में 'औबशीन' (फ़ोहश) नहीं हैं। क्योंकि जो उसको तहक़ीक़ से समझता है वह उसको ऐसा नहीं समझता। अगर कोई बेवक़ूफ़ मामूली तौर पर देखे और उसको 'औबशीन' (फ़ोहश) समझे तो उसका अख़्तियार है। **(अज़ बयान उर्दू)**

नोट अदालत—एक पुराण (भविष्य) के पढ़े जाने की निस्बत एतराज़ किया गया, ऐडवोकेट मुस्तग़ीस ने बयान किया कि अगर उनको (पुराणों को) पढ़ा जावे तो अदालत को आदमियों से साफ़ कर दिया जावे।

(दस्तख़त, एच० कलवर्ट साहब)

कश्मीर में आला ख़ान्दानों में पर्दा है। हमारी बिरादरी में कोई पर्दा नहीं है यानी सोशल और मज़हबी जलसों में। मैं चन्द अमूर में पर्दे के हक़ में हूं, और चन्द अमूर में इसके ख़िलाफ़ हूं। मेरे नौकर, मेरा बावर्ची वग़ैरा मुलाज़मान मेरे ख़ाना ज़नाने में जाते हैं उनसे कोई पर्दा नहीं है। हिन्दू औरतें लाहौर में मज़हबी मेलों पर जाती हैं। औरतें हमारी सभा के जलसों में भी जाती हैं। लेकिन चिकों

के अन्दर बैठती हैं। वैशाखी के मेले में नदी के किनारे पर चिकें नहीं होतीं। कुछ दिनों से वहां एक पर्दा किया गया है। सनातन धर्म गज़ट १५ दिसंबर सन् १८६६ ई० में एक मज़मून लाहौर आर्यसमाज की ऐनीवर्सरी (सालाना जल्सा) पर है। यह मेरे भाई ने नहीं लिखा। मुझे मालूम नहीं है कि यह किसका लिखा हुआ है (दस्तावेज़ डी ६९ तर्जुमा डी ७०)। आर्यसमाज और धर्मसभा में हस्बज़ैल इख़्तलाफ़ात हैं—

(१) हम मूर्तिपूजन अपना फर्ज़ समझते हैं, वे नहीं समझते।

(२) हम मानते हैं कि मुर्दों की रूहों को उनकी ख़ैरात मे फ़ायदा पहुंचता है, वह ऐसा नहीं मानते।

(३) हम जन्म से ज़ात मानते हैं, वह नहीं मानते।

(४) ऊंची तीन ज़ातों में शादी बेवगान का न होना और उनके अलावा और बहुत-सी बातें हैं, वे हमारे पुराणों को नहीं मानते।

यह खत जो पेश किया जाता है (दस्तावेज़ हर्फ़ डी ७१), मैंने करीमबख़्श को लिखा था। वह एक आफ़िस में क्लर्क है। बीस या पच्चीस साल हुए जब से मैं उसे जानता था। बारह सालों से मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है। हम अच्छे दोस्त थे और मैं कभी-कभी उसे खत लिखा करता था।

नक़ल ख़त बनाम करीमबख़्श

(दस्तावेज़ हर्फ़ डी ७१)

मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त और सच्चे दोस्त मियां करीमबख़्श साहब, बन्दगी। आपका खत आज आया, ममनून फ़र्माया, मुझे ताज्जुब है कि किस खयाल में आपने ऐसा खत तहरीर किया। अब मैं इसको सामने रखकर जवाब तहरीर करता हूं। लेकिन अव्वल यह शिकायत आपसे करता हूं कि हमको बाहम खतूतनवीसी में बहुत एहतियात रखनी चाहिये। तहरीर में वे ही बातें लिखनी चाहियें जो अगर किसी दूसरे के हाथ में कभी चली जावें तो बाहम बेतकुल्लफ़ी किसी ग़ैर पर ज़ाहिर न हो। उम्मेद है कि आप इस मामले को मुझसे बेहतर समझते होंगे। मुझे तार भी आपका पहुंचा था। उसका जवाब मैंने तार में देना मुनासिब नहीं समझा। खत में जवाब दे दिया। मेरे प्यारे भाई, मैं खुद इत्तफ़ाक़ात पर ताज्जुब करता हूं कि समझता क्या हूं क्या हो जाता है, आप यक़ीन जानिये कि मुझे हर्गिज़ ख़्वाब में भी यह खयाल न था कि मैं फ़ौरन लाहौर छोड़कर यहां आ जाऊंगा, आपका लिखना सच है, आप न मालूम इसे क्या ख़याल करते होंगे कि कैसा आदमी है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही इत्तफ़ाक़ आपके साथ मेरी तरफ़ से हुआ है, लेकिन यक़ीन जानिये कि हमेशा मैं ऐसा ही माअ़ज़ूर (लाचार) था जैसा कि अब हूं, उम्मेद है

कि मेरी हालत का अन्दाजा करके आप किसी और क़िस्म का ख़याल दिल में न लावेंगे, कि मैं ख़्वाहमख़्वाह आपको दिक़ करने के लिये, इन्फ़्लूएंस (रोब) दिखाने के लिये ऐसा करता हूं, सादिक़ मन, इन्फ़्लूएंस दिखाने के हज़ारों आदमी हैं, क्या आप जैसे सादिक़ को मैं इन्फ़्लूएंस दिखाना चाहता हूं कि जिससे ज़्यादा वेतकल्लुफ़ मैं इस वक़्त तक किसी को दोस्त नहीं ख़याल करता, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आपके दिल में क्या ख़यालात पैदा हो गये, मुझे तो आप पर उम्मेद थी कि मेरे हालात को देखकर आप इतनी हमदर्दी करेंगे चे जाये कि आप मेरे दिल को ताने वग़ैरा से क़बाब करना चाहते हैं और ऐसी बातें तहरीर करते हैं कि जिनका ख़याल मुझको ख़्वाब में भी नहीं, ख़ैर साहब, अगर मेरी क़िस्मत में ऐसा ही लिखा हो कि जिसके साथ मैं सादिक़ वेतकल्लुफ़ाना बर्त्ताव करता हूं वह ऐसा उल्टा ख़याल दिल में लावे तो ख़ैर मैं शाकिर हूं, मगर आपकी इस तहरीर से और जो दिक्क़तें आपको मेरी ख़ातिर उठानी पड़ती हैं उनके लिहाज़ से अब मेरे दिल में एक और ख़याल पैदा हुआ है जिससे वह तमाम तकालीफ़ रफ़ै हो जावेंगी, और इसका ज़िकर अब मुलाक़ात के वक़्त लाहौर में करूंगा, अब आप मेहर्बानी करके तमाम ऐसी तकालीफ़ को ख़ैरबाद कह दीजिये, अब कोई और बंदोबस्त हो जावेगा, जिसको आप भी बेहतर ख़याल करेंगे, सादिक़ मन मुइम्मा कोई नहीं, वाक़यात ही ऐसे हो जाते हैं। एक मुलाक़ात होती है फिर लाहौर से ग़ायब-ग़ुल्ला होने की नौबत आ जाती है। फ़र्माइये, इसमें मेरा क्या क़सूर है, लेकिन अगर यह ख़याल करते हैं कि मैं आपको दिक़ करना या इन्फ़्लूएंस (तेज, रोब) दिखाने के लिए आपसे ऐसी कार्रवाई करता हूं तो आज गंगाजी पै बैठा हुआ धर्म से यह बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है, वाक़याते ज़िन्दगी पर न मेरा कुछ वश है और न आपका है, आपने जो कामिल ग़ौर के बाद नतीजा निकाला है बिल्कुल ग़लत निकाला है। बेशक, आपके दिल में वाक़यात के लिहाज़ से ऐसा नतीजा पैदा होना मुमकिन है, लेकिन जो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है, तो उम्मेद है कि आपको भी यक़ीन हो जावे, मैं कोई काम इन्फ़्लूएंस से आपसे नहीं लेता रहा, न अब लेने का इरादा है। मुहब्बत मुहब्बत ही है, इसमें इन्फ़्लूएंस का क्या काम और न मुझे उम्मेद है कि आप कभी किसी के इन्फ़्लूएंस में आकर उसका काम करने वाले हैं। मुहब्बत के सामने जान भी हाज़िर है। मैं तो आपके मिज़ाज को ऐसा समझता हूं, यह मैंने आपसे कभी नहीं चाहा कि आप मेरी ख़ातिर किसी से गालियां सुनें, गालियां खाने या न खाने के आप ज़िम्मेवार हैं। इसमें मेरा क्या दख़ल है। अगर मैंने आपसे कहा हो कि ख़ास इसी मुक़ाम पर जाइये, चाहे गालियां मिलें तब तो मैं ज़िम्मेवार हूं, लेकिन जबकि सबका काम ही शुरू से आख़ीर तक आप ही की कामिल सुपुर्दगी में रहा तो आपका शिकायत करना फ़ज़ूल है, और मुझको ज़िम्मे-वार बनाना और भी ताज्जुबख़ेज़ है, मैं भी कामिल ग़ौर अपने दिल में करता हूं

मगर मुझको कोई वाक़यात ऐसे नज़र नहीं आते, जिसके लिए मैं याद ही कर सकूं कि मैंने इरादतन आपको कोई रंज दिया हो। आप अपने दिल में समझ लें तो मेरा क्या वश है। आप शिकायत करेंगे कि मैं आपसे मिल कर नहीं गया, मगर खुदावन्द पाक गवाह है कि रवानगी के लिये मुझको दो घंटे की भी मोहलत न मिली। फिर मैं आपसे कैसे मिलता। यह क़ौल खयाल रखना चाहिये—Judge not before the time (समय से पहले न्याय न करो)। बेशक यह सच होगा कि आपने कोई अमीर नहीं देखा मगर दो-एक शख्स जिनका आपने नाम नहीं लिखा, मगर मैं अपने-आपको तो अमीर समझता ही नहीं। मैं एक इस दुनिया के बहर में नाचीज़ क़तरा हूँ। अमीर जो होंगे वही होंगे, हां मुझे आपकी कुल शरायत मंज़ूर हैं – (१) लाहौर आकर ज़रूर आपसे मुलाक़ात करूंगा। (२) चार घंटे के बदले पांच घंटे मुलाक़ात में सर्फ़ करूंगा। (३) वक़्त मुलाक़ात जिसमें आपको आराम होवे, होगा। (४) इसके बाद आपसे क्यों न मिलूंगा। (५) मैं ज़रूर मिलूंगा दफ़े-दफ़े के मुताबिक़ या जो कोई और आप इसमें ईजाद करें। आपने अपने ख़यालात का लब्बो लुवाब तो क़लमबंद कर दिया। मैंने भी अपने सादिक़ दिल से जो वाकया है लिख दिया। अब वक़्त मुलाक़ात कुल फ़ैसला हो जावेगा।

आपका सादिक़ बन्दा— **गोपीनाथ**

दस्तख़त अंगरेज़ी

(पढ़ने के बाद खत चाक किया जावे)

यह पोस्टकार्ड (दस्तावेज डी ७२) भी मेरा ही है लेकिन यह शायद भेजा नहीं गया था। यह कलकत्ते में लिखा गया था। जिस मोतीराम का इसमें जिकर है वह मोतीराम नहीं बल्कि मोतीजान एक तवायफ़ है। वह मुझे यक़ीन दिलाया करती थी कि वह मेरी सादिक़ थी। मैं नहीं जानता कि वह कभी करांची गई या नहीं।

नक़ल पोस्टकार्ड बनाम करीमबख़्श

अज़ कलकत्ता (दस्तावेज़ डी ७२)

जनाब सादिक़ व मुकर्रम मन,

आदाब अर्ज़ है, मैं बख़ैरियत यहां पहुंचा, मैं आपसे यह दर्ख़्वास्त करता हूं कि मोतीराम अपनी सदाक़त का अज़हद यक़ीन मुझको दिलाता है, जैसा कि आपको मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप किसी ख़ास तरीके से उसके बज़रिये किसी ख़ास रफ़ीक़ दोस्त के, उसकी ख़ास आज़माइश करावें। जो उसको बख़ूबी लालच देवें और आप फिर नतीजा निकाल कर मुझको मुन्दर्जेबाला पते पर इत्तला दें कि वह आज़माइश में पूरा निकलता है या नहीं, आजकल उसे बख़ूबी मालूम है कि मैं वहां

नहीं हूं, पस आजकल ही उसकी आज़माइश का उम्दा मौक़ा है। ज़रूर बखूबी आज़माइश कराइये, मैं अभी चन्द दिन यहीं क़याम करूंगा और अपनी तारीख़ बारद लाहौर से आपको इत्तला दूंगा।

(नियाज़मन्द—गोपीनाथ)

यह चिट्ठी (दस्तावेज़ डी ७३) मेरे हाथ की लिखी हुई मालूम होती है। मैं नहीं कह सकता कि किसकी तरफ़ लिखी हुई है। ज़ाहिरा किसी Puplic woman (फ़ाहशा औरत) की तरफ़ लिखी हुई मालूम होती है।

नक़ल ख़त

(दस्तावेज़ डी ७३)

मेरी निहायत प्यारी जान साहब, सलाम बन्दगी, आपका ख़त मेरे पास आज एक और भी पहुंचा है। मैं पहले ही ख़त को पढ़ कर फूला-फूला नहीं समाता था कि आखिरकार मेरी जान साहब के दिल में भी मोहब्बत का असर महसूस हुआ है। प्यारीजान, मैंने उस ख़त को चूमा, छाती से लगाया, आंखों से लगाया, कम से कम पचास दफ़े इसे बार-बार पढ़ा। यक़ीन करके जानो, मेरी हालत तुम्हें मिले बग़ैर लोटन कबूतर-सी हो गई, रात को नींद हराम हो गई, ख़ुदा गवाह है कि अगर मैंने इतने अर्से में सिवाय तुम्हारी प्यारी याद के, और कोई ख़याल दिल में लाया हो, और कहीं मेरी तबीयत लगी हो। तुम्हारी शीरीं याद में मैंने इतने दिन काटे, कई दफ़े जी चाहता था कि उड़ कर तुम्हारे पास पहुंचूं। ख़्वाब में भी तुम्हारा ही खयाल था, मगर नहीं कह सकता कि किस वजह से मेरा हौसला आने को नहीं पड़ता था। मैंने यह खत डाक में तुम्हारे मना करने के बाइस रवाना नहीं किया। आज जो दूसरा खत मेरे दोस्त ने लाकर मुझे दिया है मुज़तरब हालत इससे और रहमनाक हो गई है। अब मैं तुम्हें मिले बग़ैर नहीं रह सकता। अभी दौड़ कर तुम्हारे पास चला आता, मगर आज एक ऐसा बाइस है कि मैं हर्गिज़ नहीं आ सकता। लिहाज़ा यह ख़त दोस्त के पास रवाना करता हूं। तुम्हारी अलालत का हाल सुनकर दिल पारा-पारा हो रहा है। जी चाहता है कि ख़ुद हाज़िर होकर तस्कीन दूं। अब मेरी हालत पर रहम करके एक बात मेरी मानो और मुझे ज़्यादा बेक़रार न करो। मैं एक ज़रूरी काम के लिए कल सुबह जालन्धर जाऊंगा। २-३ रोज़ वहां रहूंगा। मैंने यह इन्तज़ाम किया है कि तुम भी मेरे दोस्त के हमराह जालन्धर चलो। तबदील आबोहवा से तुम्हारी सेहत अच्छी हो जावेगी। और बाहम मुलाक़ात भी होगी और दो-तीन रोज़ में वापिस आ जावेंगे। तुम्हें हर्गिज़ कोई तकलीफ़ न होने पावेगी। सब इन्तज़ाम किया जावेगा। अगर तुम न जा सकीं तो फिर मेरे लिए महज़ मजबूरी होगी और मैं तावापसी तुम्हारे दीदार से महरूम रहूंगा और मुझमें अब ज़्यादा बर्दाश्त की ताक़त नहीं है। रहम करो और

मेरी दर्ख़्वास्त को मंज़ूर करो। तुम्हारे हिज्र में बेताब और बक़ंत ख़्वांहां—

एक नाचीज़ बन्दा

(तुम्हें ख़ुदा की क़सम है कि इस ख़त को पढ़कर चाक कर देना) 'भांडा फूट गया' वाले ख़त की मैंने १६० कापियां छपवाई थीं। मैंने अपने छोटे भाई को (छपाई के लिए) ज़बानी कहा था। महज़ १६० की तादाद में छपवाने की कोई ख़ास वजह न थी। हमारी एक सौ या डेढ़ सौ सभायें होंगी, मैंने अपने छोटे भाई को उनकी निगरानी के लिए कह दिया था। मैं यह नहीं कह सकता कि वह कुल वक़्त तक उनकी निगरानी करता हुआ वहां मौजूद रहा। छपने के कुछ अर्से बाद तक वह मेरे भाई के पास रहीं। मैं हल्फ़न् नहीं कह सकता कि १६० से ज्यादा कापियां नहीं छपीं।

इस चिट्ठी के छपवाने की सनातन धर्म सभा की तरफ़ से मुझे कोई तहरीक नहीं हुई थी। मैंने इसे अपनी तरफ़ से ही 'सनातन धर्म गज़ट' के एडीटर की हैसियत से लिखा था न कि सनातन धर्म सभा के सेक्रेटरी की हैसियत से। इसकी बाबत मैंने अपना मनशा कई दोस्तों से ज़ाहिर किया था जो कि इत्तफ़ाक़िया मुझे मिल गये थे। मैं उनके नाम नहीं बतला सकता। यह 'प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल' थी। ताकि यह आर्यसमाज के हाथ में न पड़ जावे। पचास रुपये पेशगी की शर्त्त सभाओं की संजीदगी का अंदाज़ा लगाने और एक Sooring Fund (उपदेश के दौरे के लिए सर्माया) क़ायम करने के लिए लगाई गई थी। चिट्ठी से यह ज़ाहिर नहीं होता। न यह ज़ाहिर होता है कि हिसाब-किताब रक्खा जावेगा। सभाएं मुझे जानती हैं। मेरे सिवाय और किसी का नाम चिट्ठी में दर्ज नहीं है, यह पोस्टकार्ड मुवर्रिख़े सन् १८६३ ई० (दस्तावेज़ डी ७४) मेरा लिखा हुआ करीमबख़्श के नाम है। मैं अब नहीं कह सकता कि बक़ंत ख़ां और मुन्ना खां कौन हैं। इसकी तारीख़ सन् १८६३ ई० की है और मैं सभा का सेक्रेटरी बारह वर्षों से हूं। आर्य-समाज के वानी स्वामी दयानन्द स्वामी थे। आचार्य लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। सिर्फ़ स्वामी ईश्वरानन्द और स्वामी आलाराम को जानता हूं, जिनकी कि वह वैसी ही इज़्ज़त करते थे। मैंने पण्डित भीमसेन को महज़ उसी वक़्त देखा था जबकि अप्रैल गुज़िश्ता में वह लाहौर में आये थे, उससे एक या दो माह पेश्तर मैंने उनसे ख़तोकिताबत जारी की थी। उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेण्ट के मुक़द्दमे के मौक़े पर मुझे हमदर्दी का ख़त लिखा था। मैंने यह ख़तूत अपने अख़बार में दर्ज नहीं किये और न उनको सनातन धर्म कमेटी के रूबरू पेश किया। मैंने उनके पहुंचने का ज़िकर किया। मैंने उसके (पं० भीमसेन के) मिलाने का ख़याल ज़ाहिर किया था। लेकिन प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल लैटर में जिस ख़याल का ज़िकर है वह ज़ाहिर नहीं किया था। वह (पं० भीमसेन) हमारे सभा के सालाना जलसे पर शामिल हुआ था। उसे तक़रीबन पचास रुपये ख़र्च के लिए दिये गये थे। उसने

आर्यसमाज के बख़िलाफ़ लेक्चर दिया और बतलाया था कि आर्यसमाज को क्यों छोड़ा ?

वह रावलपिंडी गया था। मैं नहीं जानता कि वहां उसे पचास रुपये मिले या नहीं। मुझसे उसने ख़र्चा नहीं मांगा था, मैं 'थियोसोफ़िकल सोसाइटी' का मेम्बर हूं। मैं इनर सर्किल में हुआ करता था जब मैडम ब्लैवेट्स्की यहां थीं। मैं इनर सर्किल से दो-तीन साल हुए अलहदा हो गया। जबकि मैं Unattached member हो गया। मैं बवाइस मुक़द्दमे फ़ोहश तहरीर निकाला नहीं गया था। जहां तक मुझे याद है उस मुक़द्दमे के बाद मैंने आर्यसमाज का किसी गवर्नमेण्ट औफ़ीशल (ओहदेदार) से ज़िकर नहीं किया। मुक़द्दमे के दौरान ज़रूर यह हुआ कि चन्द अफ़सरान् को मैंने कहा था कि आर्यसमाजी भी ऐसे मज़ामीन मेरे बख़िलाफ़ लिखते रहे हैं। यह याद नहीं है कि किन-किन अफ़सरान् से ज़िकर किया। साइम साहब से मैंने ज़रूर यह ज़िकर किया था। देसी सरकारी अफ़सरों के पास जहां तक याद है कि ज़िकर नहीं किया, दो दफ़े मुझे शिमले में जाने का इसी ग़रज़ से इत्तफ़ाक हुआ कि जनाब लाट साहब मेरी यह ग़लती माफ़ कर देवें। लाट साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी और टर्नर साहब और साइम साहब से मिला था। टर्नर साहब से भी आर्यसमाजियों की ऐसी तहरीरें लिखने की निस्बत ज़िकर किया था।

(अज़ बयान उर्दू) सनातन धर्म की जिल्द अव्वल पेश करता हूं।

बयान पढ़ा गया और गवाह ने सही तस्लीम किया।

दस्तख़त

एच० कलवर्ट साहब बहादुर

वाक़ै २६ जुलाई सन् १९०१ ई०

बयान सानी

बाक़रार सालेह (दस्तावेज़ डी ५) की बाबत चूंकि आर्यसमाजी बड़ी मुद्दत से सनातन धर्म वालों पर हमले करते रहे थे और तमाम फ़िर्क़ों पर फ़ोहश हमले किये थे, इसलिए मैंने जवाब में यह होली का मज़मून छापा था। जिसका मज़मून अमूमन सही है, गो बाज़ अल्फ़ाज़ किसी क़दर नामुनासिब हैं। आर्यसमाजियों के पहले तीन और फिर दो फ़िर्क़े थे और यह एक-दूसरे पर गन्दे हमले करते थे। इसीलिये मैंने लिखा कि वह सारा साल होली खेलते हैं, मेरा ख़ास मतलब एक उस ख़ास झगड़े से था जो सद्धर्म-प्रचारक और आर्य गज़ट के दर्म्यान चल रहा था जो कि महात्मा पार्टी मय मुल्ज़िम व कालिज पार्टी के आर्गन हैं। इसका इल्म मुझे उन्हीं के अख़बारों और रिसालों से हुआ।

(मैं ख़ास पर्चों और रिसालों के पेश करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वे अब मुनासिब तौर पर साबित नहीं किये जा सकते।—दस्तख़त हाकिम)

मज़मून मुतल्लिक़ औरात के वह 'अपने नाक़ाबिल ख़ाविन्दों को छोड़ देवें और ग़ैर मर्द के साथ तअल्लुक़ पैदा करें या उसकी आग़ोश में चली जावें—उस वक़्त तक कि वह हामिला न हो जावें' किताब सत्यार्थप्रकाश के एक फ़िक़रे पर मबनी है जो किताब कि आर्यसमाज में मुस्तनद मानी जाती है और जिसमें कि ऐसे रिवाज की तारीफ़ की गई है। इस मज़मून में मैंने तीनों मुल्ज़िमों में से किसी पर भी कोई ख़ास हमला नहीं किया है। इस मज़मून पर जो फ़ौजदारी मुक़द्दमा हुआ था, उसमें यह सही दर्ज नहीं है कि बहुत से लोग मुझे मदद देने के लिए तैयार थे और चन्दे से जुर्माना अदा कर देते।

निस्बत दस्तावेज़ डी ६ मैंने वह मज़मून ब हवाले सत्यार्थप्रकाश सफ़े जात १४७ लग़ायत ५७ लिखा था।

मैंने यह मज़मून खुद नहीं लिखा था लेकिन यह उस किताब के मुताबिक़ है। १२ जनवरी सन् १९०१ ई० के सद्धर्म-प्रचारक में लिखा है कि आर्यसमाजी सब जातों के साथ मिलने-जुलने को तैयार हैं और ख़ास शुद्धि की रसूम अदा करने पर उन्हें अपनी सोसाइटी में शामिल करने के लिए तैयार हैं, इस और दीगर ऐसी ही तहरीरों पर मैंने लिखा के आर्य लोग चूहड़े वग़ैरा के साथ खाते हैं। बाबत दस्तावेज़ डी ८ गनेशीलाल ने यह मज़मून लिखा था। उसने सवाल पूछे हैं इल्ज़ाम नहीं लगाये। चौथे सवाल में वह इल्ज़ाम लगाता है (उसका जवाबदेह वह गनेशीलाल है—अज़ बयान उर्दू)।

बाबत डी १० (स्वामी दयानन्द साहब ने अपनी किताब के सफ़े ४०२ में ज़िकर किया है और हिन्दुओं के बख़िलाफ़ बहुत सख़्तोसुस्त लिखा है। सफ़े जात ३३८, ३७३, ३७४, ३७५, ३९२, ४०१, ४०२, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४१४, ४१७, ४१९, ४२२ इन तहरीर से ममलूह हैं।

यह सफ़े जात सत्यार्थप्रकाश मतबूअ़ सन् १८९९ ई० के हैं। इन तमाम सफ़े जात में हिन्दुओं पर सख़्त हमले किये गये हैं और ऐसी तहरीर लिखी गई है कि जिसके पढ़ने से हमारे हिन्दुओं में एक क़िस्म का अजहद रंज दिलाने वाला जोश पैदा हो गया था। मेरा होली का मज़मून जवाबी तौर पर है। मेरा मज़मून उनसे संगीन नहीं है, बल्कि उनके मुक़ाबले में अशरो-असीर भी नहीं है। नीज़ मेरा आर्टिकिल होली का आर्टिकल है और इसलिए इसमें मज़हक़ाआमेज़ अल्फ़ाज़ हैं। जो लोग उनको बुरे ख़याल से देखें उनके नज़दीक फ़ोहश हैं (अज़ बयान उर्दू)।

जब आर्यसमाजी हमारे मन्दिरों के घंटों की आवाज़ सुनते हैं तो वे चले जाते हैं और मैंने उसका हवाला दिया है। वह क़ायदे और रिवाज जिनका हवाला दिया है सब 'सत्यार्थप्रकाश' में मौजूद हैं।

बाबत दस्तावेज़ डी १२ 'मदद' से यहां रुपयों से मुराद नहीं है बल्कि मामूली अशिया व तोहफ़े जात व चन्दे से है।

बाबत डी १४ मज़मून 'ईसाइयों की क़रतूत और आर्यसमाजियों की नालायक़ी' मुल्ज़िमान पर कोई हमला नहीं है, लेकिन आर्य ख़ुद कहते हैं कि बेवा की शादी नाजायज़ है और चूंकि उन्होंने ऐसी शादी की, इसलिए यह दस्तख़तो मज़मून निकला।

निस्बत डी १५ मज़मून 'आर्य चमार' में भी मुल्ज़िम पर कोई हमला नहीं है, यह भी दस्तख़ती मज़मून है, मैंने इस पर भी कोई नोट नहीं दिया।

डी १७ एडीटोरियल नोट में मैंने सिर्फ आर्यसमाजियों के अपने नोट का हवाला दिया है। मैं दिखलाना चाहता था कि सद्धर्म-प्रचारक अपने अक़ीदों पर अमल नहीं करता।

डी १९ मज़मून 'भ्रष्टानन्द जी' का यह मतलब है कि आर्य अपने गल्ले में हरेक को शामिल कर लेते हैं। फ़िक़रा 'भ्रष्टानन्द जी' ख़ुद आर्य हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्य गज़ट मुवर्रिखा इकम् फर्वरी सन् १९०० ई० लिखा है कि महात्मा आर्य लोग मुसलमानों और चमारों के साथ खाते हैं।

डी २१ में झूठ का महज़ एक नमूना दिखाया गया है और कुछ नहीं।

डी २३ मैंने महज़ एक, शादी के मौक़े पर हमदर्दी के लिए दरख़्वास्त की है।

डी २५ सत्यार्थप्रकाश १२० सतर ६ हिदायत है कि नये विवाहित जोड़े को दूसरे कमरे में भेज दिया जावे। सत्यार्थप्रकाश के दो उर्दू तर्जुमे हैं। एक महता राधाकिशन का और एक प्रतिनिधि सभा का। यह एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं और हरेक पार्टी एक तर्जुमे को मुस्तनद मानती है और कहती है कि दूसरी पार्टी का तर्जुमा ग़लत है।

सद्धर्म-प्रचारक बावत १८ चैत्र सम्वत् १९५६ (३० मार्च १९०० ई०) में एक नोटिस दर्ज है जिसमें वजीरचंद सद्धर्म-प्रचारक का कारकुन एडीटर और आर्य मुसाफ़िर का सब-एडीटर दर्ज है। नीज ८ दिसम्बर सन् १८९९ ई० के पर्चे में पेश किये गये और मुझे दिखाये गये। **—दस्तख़त हाक़िम**

मनक़ूल अज़ सद्धर्म-प्रचारक

मतबूआ ३० मार्च १९०० ई० अज़ सफ़े ९

जरूरी निवेदन

१२ अप्रैल से २३ अप्रैल तक मैं जालन्धर से ग़ैरहाज़िर रहा। २८ अप्रैल को

आर्यसमाज अजमेर के उत्सव पर जाता हूं। क़रीबन एक हफ़्ता लगेगा। १ फ़र्वरी का आर्य मुसाफ़िर छप चुका है। उसकी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया गया है। प्रचारक भी वक़्त पर निकल जावेगा। वापिस आकर बाहर से आए हुए ख़तूत का उत्तर दे सकूंगा। जिन भाइयों की तामील हुक्म में देरी वाक़े हो माफ़ फ़र्मावें।

आर्य भाइयों का दास

वज़ीरचन्द कारकुन एडीटर सद्धर्म-प्रचारक व असिस्टेंट एडीटर आर्य मुसाफ़िर मैगज़ीन जालन्धर शहर !

जिस झूठ का डी २८ में ज़िकर है उससे मुराद यह ग़लत बयान है कि मैंने रोपड़ के मुबाहसे में शिकस्त पाई, जो कि सद्धर्म-प्रचारक में दर्ज हुआ था और बादहू सिन्स पर बेइतबारी की गई डी ३३ में जिस नामेनिगार ने लेखराम की निस्बत मज़मून लिखा था वह रलाराम हाफ़ज़ा बादी है। 'अर्जुन' का एडीटर छज्जूसिंह था। यह पर्चा कल्चर्ड आर्यसमाजियों ने जारी कराया था जैसा कि उनका उनके अपने रिसालों में इक़बाल है (यानी यह कालिज पार्टी ने जारी कराया)। उनमें से एक रिसाला मुन्शीराम के प्रेस में छपा है और कल्चर्ड पार्टी पर पं० गोपीनाथ के साथ साज़िश करने का इल्ज़ाम लगाया है। क़ीमत सब मेरे पास आती थी और मैं उसमें इख़राजात अदा करता था।

आर्यसमाजियों ने यह ख़बर मशहूर कर दी कि सिलसिला 'हमारी राय की वक़अत' का लिखने वाला मैं हूं और जिनसे यह कहा गया उन्होंने यक़ीन कर लिया। मैंने दंगे के ख़ौफ़ से इस अफ़वाह की तरदीद न की। मगर मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि यह ग़लत है। सनातन धर्म गज़ट के जुलाई के नम्बर में इस अमर की तरफ़ मैंने तवज्जह दिलाई थी कि मैं इन मज़ामीन के लिखने वाला नहीं हूं। गवर्नमेण्ट की रिपोर्ट मुतल्लिक़ मेला (हरिद्वार) के जवाब में मैंने अख़बार आम की एडीटरी से इन्कार किया था। इस अख़बार (आम) में मेरा नाम चन्द सालों तक बतौर मैनेजर के निकलता रहा है। मुक़द्दमे इज़ाले हैसीयत उर्फ़ी बख़िलाफ़ सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट में मुझे अख़बार आम का असिस्टेण्ट मैनेजर बयान किया गया है। मैंने वह मुक़द्दमा अख़बार आम में रिपोर्ट किया था। मैंने सनातन धर्म सभा के ओहदे सेक्रेटरी से इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया था कि उस सोसाइटी को इन अफ़वाहों से कुछ नुक़सान न पहुंचे जो कि उस वक़्त अख़बार की निस्बत मशहूर हो रही थीं। छै या चार महीनों के बाद ऐग्ज़ेक्टिव कमेटी का रेज़ोल्यूशन मेरे पास भेजा गया था। जिसमें मुझसे दर्ख़्वास्त की गई थी कि मैं अपना पहला इस्तीफ़ा वापिस ले लूं। यह मुर्वरिख़ा २३ जनवरी सन् १८९८ ई० था (दस्तावेज़ हर्फ़ Q)।

दस्तावेज़ मदख़िला मुस्तग़ीस

(हर्फ़ Q)

ओ३म् पत्री

सनातन धर्म सभा लाहौर

ता० २४ जनवरी सन् १८९८ ई०

बख़िदमत जनाब करम फ़र्मायबन्दा पं० गोपीनाथ साहिबज़ाद इनायत हू। रेज़ोल्यूशन नम्बर ४ आपकी ख़िदमत में २३ जनवरी सन् १८९८ ई० की ऐग्ज़ेक्टिव कमेटी का भेजकर मुल्तमस हूं कि आप अपने साबकै इस्तीफ़े को वापिस लेकर दोबारा इस सभा के ओहदे सेक्रेटरी को मंज़ूर फ़र्मावें।

राक़िम् नियाज़

हरीदास

जाइन्ट सेक्रेटरी सनातन धर्म सभा, लाहौर

नक़ल रेज़ोल्यूशन नं० ४ ऐग्ज़ेक्टिव कमेटी

(मुनक्क़िदह २३ जनवरी सन् १८९८ ई०)

(४) सब-कमेटी मुनक्क़िदह १८ जनवरी सन् १८९८ ई० की रिपोर्ट जिसमें ऐसी तजवीज़ का ज़िकर है जिससे सभा की कार्रवाई में तरक़्क़ी हो और जिसकी नक़ल ज़ैल में दर्ज है।

कार्रवाई जलसा सब-कमेटी

(मुनक्क़िदह १८ जनवरी सन् १८९८ ई०)

हाज़रीन जलसा—(१) पं० भानुदत्त, (२)ला० मद्दीमल, (३) ला० रामरतन साहब, (४) ला० किशनचन्द साहब, (५) पं० सीताराम साहब, (६) ला० रामकृष्ण साहब, (७) पं० अमीरचन्द साहब, (८) गुसाईं चेतरामजी।

(१) पं० भानुदत्तजी चेयरमैन हुए। (२) आज की सब-कमेटी हस्व रेज़ोल्यूशन नं० १ ऐग्ज़ेक्टिव कमेटी १६ जनवरी सन् १८९८ ई० जमा हुई और रेज़ोल्यूशन पढ़ा गया और नीज पिछली कार्रवाई ऐग्ज़ेक्टिव कमेटी को ७ जून, १० जून सन् १८९७ ई० को पढ़ी गई "बाद बहस के इत्तफ़ाक़ राय से यह रेज़ोल्यूशन पास हुआ।" (अलिफ़) तजवीज़ नं० १ ता० ७ जून सन् १८९७ ई० में साफ़ दर्ज है कि कमेटी पं० गोपीनाथ की साबिक़ा ख़िदमात को फ़रामोश नहीं कर सकती, इसलिये उनसे ताल्लुक़ हटाना मुनासिब नहीं समझती, इस वास्ते उनका इस्तीफ़ा शामिल मिसल रहे यह तजवीज़ इत्तफ़ाक़ राय से मंज़ूर हुई। मगर उसी वक़्त उस कमेटी में रेज़ोल्यूशन नं० २, ३ ऐसे पेश हुए जो तजवीज़ पहले रेज़ोल्यूशन में मंज़ूर हो चुकी थी उसके बख़िलाफ़ हैं। इसलिए कमेटी की राय में वह कार्रवाई बेज़ाब्ता

खयाल की जाती है और क़ाबिले मन्सूख़ी है। (बे) बादजां १० जुलाई सन् १८९७ ई० को पं० गोपीनाथ का इस्तीफ़ा पेश होकर मंजूर हुआ। चूंकि इस्तीफ़ा पेश होने का कोई नोटिस न था इसलिये यह भी ख़िलाफ़ ज़ाब्ता है। (जीम) अख़बार आम का सभा हाज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। (दाल) चूंकि कुछ अर्से से ओहदेदारान् सभा की अदम तवज्जही और मौजूदा सेक्रेटरी की अदम फ़ुर्सती से काम सभा का बेरौनक़ी पर है और चूंकि मौजूदा सेक्रेटरी साहब अपने ओहदे से दस्त-बर्दार हैं इसलिये सब-कमेटी के ख़याल में पं० गोपीनाथ से, जिन्हें इस काम में बड़ी दिलचस्पी है और इसका भारी तजुर्बा है, दर्ख़्वास्त की जावे कि वह इस ओहदे पर अज़ राहे मेहर्बानी वापिस आवें।

नोट—इसी के मुताबिक़ ऐग्जेक्टिव कमेटी में रेज़ोल्यूशन पास हुआ जिसके आखिरी अल्फ़ाज़ हस्बज़ैल हैं।

इस हालत में सभा सिवाय इसके कोई चारा नहीं देखती पं० गोपीनाथ साहब से अदब और इज़्ज़त के साथ दर्ख़्वास्त की जावे कि अगर उनको इस सभा की आइन्दा बहबूदी और तरक़्क़ी मंजूर है तो वह मेहर्बानी से दुबारा ओहदा सेक्रेटरी को मंजूर फ़र्मावें।

अल्फ़ाज़ गोश्त गाय इससे पहले कभी किसी कमसर्यट के इश्तहार में से काटे नहीं गये। किसी हद से ज़्यादा सरगर्म मातहत ने काट दिया। मेरे भाई ने माफ़ी मांग ली है और बिल को मंसूख़ कर दिया है।

मौलवी फ़ज़लुद्दीन ने मुझ पर इस्तग़ासा बहैसियत मैनेजर अख़बारे आम किया था। मैंने वह मुतनाज़ा मज़मून नहीं लिखा था। उनका फ़ैसला मेरे एक ख़ैराती काम के लिये ३०० रुपये दे देने पर हो गया था। लेकिन न मालूम क्योंकर अखबार में यह लिखा गया कि मैं बरी हो गया हूं। ठीक फ़ैसला यों हुआ था कि २५० रुपये के ख़ैराती काम के लिये और ५० रुपये मौलवी फ़ज़लुद्दीन को दिया जावे। मुझे मालूम नहीं है कि हुक्म क्या सादिर हुआ था। जब मौलवी फ़ज़लुद्दीन ने अदालत की तवज्जह दिलाई कि अख़बार में यह दर्ज है कि मैं बरी हो गया हूं, तब मुझ पर २५० या ३०० रुपया जुर्माना हुआ था। मुझको सज़ा हुई थी। जहां तक मुझे याद है उसका ज़िकर भी अख़बार आम में दर्ज हुआ होगा। जो रक़म मैंने सभा को दी है, उनकी किताबों में दर्ज है। मैंने एक हज़ार रुपया अपनी जेब ख़ास से और पंद्रह सौ रुपया दूसरों से जमा करके दिया है। मेरे सेक्रेटरीशिप के ज़माने में तीस हज़ार रुपये के क़रीब जमा हुआ होगा। हिसाब बाक़ायदा रक्खा जाता है। मैं देशी रियासतों में शादियों, दरबारों और गद्दीनशीनियों वग़ैरा के मौक़ों पर जाता रहा हूं। अगर मैं सभा की तरफ़ से जाता था तो जो रुपया मिलता था वह सभा के हिसाब में दे देता था। लेकिन ख़िलअत मैं रख लेता था। जो हरिद्वार की रिपोर्ट शामिल मिसल है, उसमें गवाहों की शहादत इस मतलब

की है कि जो लोग मेले में शामिल हुए उन पर सख़्त ज़ुल्म हुआ था। स्नान के माहात्म्य के वक़्त से पहले २० या २४ घंटे पेश्तर मेला बंद कर दिया था। मैंने इस सब शहादत पर ऐतबार किया था। लाहौर के मेमोरियल पर गिर्द नवाह के बहुत से अज़ला (ज़िलों) के बाशिन्दों के दस्तख़त हुए थे। उसके मुतल्लिक़ गवर्नमेण्ट से ख़तोकिताबत हुई थी। (दस्तावेज़ हर्फ़ P) एक और रेज़ोल्यूशन गवर्नमेण्ट की ख़िदमत में इर्साल किया गया था जिसका नतीजा (दस्तावेज़ हर्फ़ Q) है। मैं इस जल्से में मौजूद था, जिसने कि रेज़ोल्यूशन पास किया था। मैंने रेज़ोल्यूशन के हक़ में राय दी थी। उसकी सही नक़ल (दस्तावेज़ हर्फ़ R) है। तब गवर्नमेण्ट ने हरिद्वार में तरक़्क़ी शुरू की। मैंमे महाराजा साहब कश्मीर से पन्द्रह हज़ार रुपया नहीं लिया था। अगर मुझे कुछ मिला तो यह महाराजा साहब की मेहर्बानी थी।

डी ५५ में पं० ईश्वरी प्रसाद के लेक्चर की बाबत सनातन धर्म गज़ट में सिर्फ़ हवाला दिया गया था।

डी ५६ में मेरा मतलब सिर्फ़ यह ज़ाहिर करने का था कि यह समझने में मजिस्ट्रेट ने ग़लती की है कि मुझे रुपये की मदद मिल रही है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला था।

डी ५८ और डी ५९ में बुरा और भ्रष्ट मज़हबी ख़याल के लिहाज़ से लिखा था। ब लिहाज़ जुर्म फ़ौजदारी नहीं लिखा था। आर्यसमाजियों के फ़िर्क़े भी आपस में एक दूसरे के बख़िलाफ़ इसी तर्ज़ पर लिखते थे, जैसा कि मैंने लिखा था।

दस्तावेज़ डी ६२ का मज़मून एक नामेनिगार ने लिखा था। जिसने दिखलाया था कि पं० दयानन्द मनुस्मृति और दीगर कुतुब में से ग़लत हवाले देता था। मैंने देवराज के लालायन पुकारने का इशारा नहीं दिया। पहले मैं ग़लती पर था। बहर सूरत तमस्ख़रन् (ठट्ठे से) लिखा गया था। मोतीजान वाला मामला सन् १८९२, १८९३ ई० या इसके नज़दीक का है।

सनातन धर्म गज़ट आर्यसमाज क़ायम के बाद जारी किया गया है। और चूंकि उसके बानी दयानन्द ने हिन्दुओं पर सख़्त गन्दे हमले किये, इसलिये हमने जवाब में उन पर हमले किये। सत्यार्थप्रकाश (दस्तावेज़ हर्फ़ S) इस बात को ज़ाहिर करता है। इस बात के इज़हार के लिये मेरे पास दीगर रिसाले जात भी हैं जो सब आर्यों के लिखे हुए हैं। **(दस्तख़त हाक़िम)**

मैं सद्धर्म-प्रचारक के नम्बर शहादत में लेने से इन्कार करता हूं, जिनमें हिन्दुओं पर हमले हैं, क्योंकि बग़ैर मुतल्लक़ दिखाई देते हैं··· **(दस्तख़त हाक़िम)**।

।। पं० गोपीनाथ का बयान ख़त्म हुआ ।।

बयान गवाह इस्तग़ासा नम्बर २

(वाक़ै २६ अप्रैल सन् १६०१ ई०)

(बाक़रार सालेह)

पं० ईशरी प्रसाद—वल्द पं० लालचन्द ज़ात कश्मीरी पण्डित उमर ५२ बावन साल, साकिन लाहौर।

मैं ब मशाहरह एक सद (१००) रुपये माहवार पं० जनार्दन का अंग्रेज़ी मुन्शी हूं। दस्तावेज़ हर्फ़ A में मैंने कई मज़ामीन का तर्जुमा किया जिसमें से A और B (दस्तावेज़ात में २) सही तर्जुमे हैं और दस्तावेज़ B में मैंने एक आर्टिकिल का तर्जुमा किया जिसका T (A) सही तर्जुमा है। मैंने दस्तावेज़ T पर उसके सही होने की सनद में दस्तख़त किये हैं। तर्जुमा कुल लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ सही है **(दस्तख़त हाक़िम)**।

मैं कभी-कभी इत्तफ़ाक़िया सद्धर्म-प्रचारक को पढ़ता हूं। मैं उसका ख़रीदार नहीं हूं। लेकिन मैं गाहे-बगाहे उसे सनातन धर्म सभा में या अपने आक़ा के यहां देखता हूं। मैंने इन कापियों को पहले-पहल उस वक़्त देखा था जब कि पं० गोपीनाथ ने माह मार्च में मुझे तर्जुमे के लिए दी थी। मैंने उससे पेश्तर इन मज़ामीन का ज़िकर सुना था कि मुद्दई के बख़िलाफ़ ऐसा मज़मून निकला है **(अज़ बयान उर्दू)** लेकिन मैंने उस वक़्त उन्हें नहीं पढ़ा था। मुझे मालूम नहीं है कि किसने इस मामले का ज़िकर किया था। दो-तीन आदमियों ने मुझसे इन मज़ामीन का ज़िकर किया था और मुझसे भीमसेन की बाबत पूछा था। मैं सनातन धर्म सभा का बराये नाम मेम्बर हूं। लेकिन मैं उसकी कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लेता हूं। मैं बहुत से वर्षों तक (बारह या चौदह वर्षों तक) चीफ़ कोर्ट का मुतरजिम ब मशाहरह १४० रुपये माहवार रहा हूं। जिस ज़ुबान में यह मज़ामीन लिखे हुए हैं, उसे मैं ख़ूब समझता हूं। मैंने इन मज़ामीन को बड़ा सख़्त समझा था। और अल्फ़ाज़ गोपीनाथ के चाल-चलन को नुक़सान पहुंचाने वाले हैं। दस्तावेज़ T (B) सतर ३९ में यह मज़मून पं० गोपीनाथ की शोहरत के लिये बड़ा ही नुक़सानदेह है। नामेहर्बानी, नफ़रत, कीनावरी गोपीनाथ से मनसूब की गई है। गंगा-जमनी और गावकुशी की निस्बत जो अल्फ़ाज़ दर्ज हैं वे बहुत ही सख़्त हैं। जो शख़्स गावकुशी के हक़ में कोई मज़मून बख़िलाफ़ हिन्दुओं के लिखे, वह हिन्दू नहीं समझा जायगा और दूसरे हिन्दुओं से उसे मिलने की इजाज़त न होगी और बेइज़्ज़त समझा जायगा। पं० गोपीनाथ एक कश्मीरी पण्डित है। पण्डित के होश संभालने के वक़्त से कमीना हरकतों की निस्बत जो इशारा है वह भी उसकी इज़्ज़त के लिये नुक़सानदेह है। नीज इल्ज़ाम निस्बत ग़लतफ़हमियां पैदा करने

और ग़लत ख़यालात फैलाने के (देखो सतर २८, तर्जुमा अंग्रेजी) छः सौ रुपये पाकेट करने से मुराद है कि (पं० गोपीनाथ) धोखादेही से रुपया हासिल करना चाहता है। पाप का भांडा से मेरी राय में मुराद है कि गोपीनाथ और भीमसेन का बाहमी ताल्लुक़ गुनाह आलूदा और अख़लाक़ से गिरा हुआ है। भीमसेन और गोपीनाथ और उसके दोस्त सब बेअसूले बयान किये गये हैं (**दस्तख़त हाकिम**), पं० गोपीनाथ को बेशर्म भी लिखा है (**दस्तख़त हाकिम**)। एक वक़्त पं० गोपीनाथ से मेरी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। अब उस क़दर मेरी बेतकल्लुफ़ी नहीं है। हमारे ताल्लुक़ात में यह तबदीली मेरे इन मज़ामीन को देखने से पहले वक़्त में आई। इन मज़ामीन ने मेरी पं० गोपीनाथ की निस्बत राय पर कोई असर पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं इन इल्ज़ामों को झूठा बावर करता हूं (**दस्तख़त हाकिम**)।

वाक़ै १७ जुलाई १९०१ ई०

बर सवालात जिरह

(बाक़रार सालेह)

मैं पं० गोपीनाथ को लड़कपन से जानता हूं। मेरा उनका ताल्लुक़ पहले बहुत था। लेकिन गुज़िश्ता चार-पांच वर्षों से बन्द हो गया है जब से कि हमारी वालिदा मर गई है। हमारा एक दूसरे के साथ खास ज़ाती ताल्लुक़ न था। मैं उसके हम-सोहबतों या उसके चाल-चलन की निस्वत कुछ नहीं जानता हूं। यह (चाल-चलन) शायद ख़राब हो। लेकिन ऐसा अग़लब नहीं है अगर उसने मान लिया हो कि वह रंडीबाज़ है तो मैं उसे औबाश कहूंगा (अगर औबाशी कोई करे फिर बगुला-भगत बना फिरे तो मैं उसको ज़िनाकार, फ़रेबी, गंगा-जमनी कहूंगा। शरीर नहीं कहूंगा। शरीर के माने फ़रेब करना, झूठ बोलना, किसी को नुक़सान पहुंचाना है (**अज़ बयान उर्दू**)।

पं० गोपीनाथ के ज़ाती चलन की निस्बत मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरा अख़लाक़ गिर जावे तो मैं अपना फ़र्ज़ समझूंगा कि धर्मसभा से इस्तीफ़ा दे दूं (वकील इस्तग़ासा इस गवाह की रायज़नी पर उज्र करता है, लेकिन चूंकि वह चालोचलन और शोहरत की गवाही दे रहा है, जोकि वाक़ई 'राय' है, इसलिये मैं इस उज्र को नामंज़ूर करता हूं—**दस्तख़त हाक़िम**)। मैं गोपीनाथ और उसके भाई का गोश्त गाय के इश्तहारों से रुपया कमाना बुरा समझता हूं। उनका शुमार सनातन हिन्दुओं में नहीं होना चाहिए। अगर यह इश्तहारात जान-बूझ कर दिये गये हैं, तो ऐसा अमल हिन्दू सनातन धर्म और उसके असूलों के बख़िलाफ़ है। (जहां तक सनातनधर्मी हिन्दुओं का ख़याल है, अगर ऐसा इश्तहारबाज़ों के

दिखाने और बाज़ों के न दिखाने के वास्ते काट दिये जावें तो मैं उस शख़्स को मक्कार समझूंगा। शरीफ़ नहीं समझूंगा। बाज़ शरीफ़ आदमी होली खेलते हैं, बाज़ नहीं। जैसा कि रंग डालना, नाच कराना। मेरा ज़ाती ख़याल यह है कि गाली-गलौज अच्छा नहीं है। धर्मशास्त्र में गाली-गलौज कहना नहीं है। सोसाइटी की बाबत कुछ नहीं कहता। अपने ज़ाती ख़याल से कबीर कहना वग़ैरा-वग़ैरा अल्फ़ाज़ फ़ोहश कहने अच्छा नहीं समझता।—**अज़ बयान उर्दू**)

हिन्दू ग़ैर मज़ाहब वालों से होली नहीं खेलते। दस्तावेज़ डी १० वाले होली के मज़मून की इबारत बेशर्माना है। यह बदले के तौर पर लिखी हुई मालूम होती है। (यह इबारत दिल दुखाने वाली ज़रूर है लेकिन शरीर नहीं कहूंगा। इसके कहने वाले को भी फ़िक़रा 'स्यापे की नायन' का मामूली ताना समझता हूं। कोई सख़्त गाली नहीं है। सभा को और दीगर लोगों को सिवाय अपने फंसा देवे, तो मैं पं० गोपीनाथ स्यापे की नायन समझूंगा, वर्ना नहीं।—**अज़ बयान उर्दू**)।

बयान सानी

म्यूनिसिपल कमेटी के हिन्दू मेम्बर भी होते हैं। और म्यूनिसिपल हुदूद के अन्दर बूचड़ख़ाने होते हैं। (और बूचड़ख़ाने में गावकुशी होती है, आम लोग इन मेम्बरान् को बुरा नहीं समझते—**अज़ बयान उर्दू**)। इस मामले में अब बड़ा ढीला-पन है। दीगर मज़हबी मामलात में भी अब बड़ी लापरवाही है। ऐसे कारख़ानों के हिस्सेदार भी सनातन हिन्दू हैं, जो कि गोश्त गाय बेचते हैं। लेकिन वे लापरवाह हैं गो मैं उसे बुरा समझता हूं। मैंने सिर्फ़ अपनी राय दी है। यही वजह है कि मैंने सनातन धर्म सभा से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। क्योंकि वे इन मामलात पर लापरवाह हैं। गो उनके असूल बहुत ही सख़्त हैं। लोग होली पर बेपरवाही से लिखते हैं, और ऐसी बातें कहते हैं जो कि मामूली तौर पर बुरी और फ़ोहश समझी जावें। मैंने वह मज़मून नहीं देखा जिसका डी १० जवाब है। अगर एक आदमी जिसका ताल्लुक़ रंडियों से रह चुका है, सात साल बाद अख़लाक़ पर लेक्चर देवे तो उसे मक्कार नहीं कहूंगा। लफ़्ज़ गंगा-जमनी के माने हरामज़ादा और लड़ाका भी है।

गवाह ने सुन कर तस्लीम किया। **(दस्तख़त हाकिम)**

बयान गवाह इस्तग़ासा नम्बर ३

(बाक़रार सालेह)

बाबू अविनाशचन्द्र—वल्द विश्वनाथ ब्रह्मसमाजी, उमर ४६ साल, साकिन लाहौर।

मैं प्यूरिटी सर्वेन्ट का एडीटर हूं। मेरे दफ़्तर में सद्धर्म-प्रचारक बाक़ायदा आता है। मुझे फ़र्वरी सन् १९०१ ई० की कापियां पहुंची थीं। वे मेरे अख़बार के तबादले में आई थीं। मैं इस अख़बार को नहीं पढ़ता हूं। कुल अख़बारात एक रीडिंग-रूम में रक्खे जाते हैं और एक या दो हफ़्ते रखकर फेंक दिये जाते हैं। प्यूरिटी ऐसोसिएशन ने एक रीडिंग-रूम खोला हुआ है जो कि अवाम के लिए है। लेकिन अमूमन इसको तालिब इल्म इस्तेमाल करते हैं।

वाक़ै १७ जुलाई सन् १९०१ ई०

बर सवालात जिरह

(बाक़रार सालेह)

मैं मिस्टर रोशनलाल और मिसेज़ रोशनलाल को जानता हूं। मैं उनके ख़ान्दान से इन्ट्रोड्यूस्ड हूं और उन्हें अपने घर में इन्ट्रोड्यूस किया हुआ है। मुझे मालूम है कि पं० गोपीनाथ ने एक होली के मौक़े पर उनके बर्ख़िलाफ़ लिखा था। पण्डित गोपीनाथ मेरा दोस्त है। लेकिन मैंने उसे अपनी फ़ेमिली इन्ट्रोड्यूस नहीं किया है। बीस वर्षों में सिर्फ़ एक मर्त्तबा उसके घर गया हूं। साल में एक-दो मर्त्तबे उससे मिला हूं। मैंने उसकी बदनामी भी सुनी है और नेकनामी भी। वह औरतों को गालियां देता है। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूं। वह अनारकली की रंडियों को रखना चाहता है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वह बदचलन है। दीनदयाल[1] उसकी नेकनामी करता है। वह सनातन सभा का उपदेशक है। गुज़िश्ता दो या तीन वर्षों में सिवाय उसके (दीनदयाल के) और किसी को इसकी नेकी करते नहीं सुना। मिस्टर रोशनलाल पर हमले का हाल सुनने के बाद मैं उन्हें उनके मकान पर मिला। उन्होंने कहा कि वह गोपीनाथ पर इस्तग़ासा करेंगे, मैंने दस मर्त्तबे कहा कि 'कुत्तों को भौंकने दो' और मैं यह भी ख़याल करता हूं कि वह बेहया आदमी है। मैं होलियों पर भजन वग़ैरा गाता हूं और लेक्चर सुनता हूं। होली के मौक़ों पर आर्यसमाज के अख़बारों में गाली नहीं होती। जब मैं जाकर मिसेज़ रोशनलाल से मिला था, तो मिस्टर रोशनलाल मौजूद थे। मैंने सोशल कान्फ्रेंस में भी कुछ काम किया था।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(दस्तख़त हाकिम)

---

१. व्याख्यान वाचस्पति पं० दीनदयालु शर्मा के नाम से प्रसिद्ध सनातनधर्मी उपदेशक।

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नम्बर ४

ला० रामचन्द्र—वल्द ला० रोडामल, ज़ात बनिया, उमर ३६ साल, साकिन जालन्धर।

मैं ट्रिब्यून अखबार का मैनेजर हूं। हमारे अखबार के तबादले में सद्धर्म-प्रचारक बाक़ायदा हमारे दफ़्तर में आता है। यह कापियां बाबू ए० एल० राय एडीटर के पास जाती हैं। कापियां आफ़िस में रहती हैं और मुलाज़मीन कारखाने में से जो चाहे पढ़ सकता है। पं० गोपीनाथ को सद्धर्म-प्रचारक की दो कापियों की ज़रूरत थी और मैंने उसे कहा कि दफ़्तरी से पूछो कि उसके पास हैं या नहीं। क्योंकि मैं उस पर्चे की फ़ाइल नहीं रखता हूं मैंने उसे एक कापी प्यूरिटी सर्वेन्ट के ऑफ़िस से ला दी।

(दस्तखत हाकिम)

सवालात जिरह महफ़ूज़ रक्खे गये।

(दस्तख़त हाकिम)

गवाह ने सुनकर तस्लीम किया।

(दस्तखत हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नम्बर ५

(बाक़रार सालेह)

हीरालाल—वल्द ला० साईंदास, ज़ात खत्री कपूर, उमर ३६ साल, साकिन लाहौर।

मैं अखबार पंजाब समाचार और प्रेस का मालिक हूं। सद्धर्म-प्रचारक हमारे यहां तबादले में आता है। यह कापी जो पेश की गई है पंजाब समाचार को भेजी गई थी। उस पर तारीख ८ व १५ फ़र्वरी दर्ज है। पं० गोपीनाथ ने आकर मुझसे यह पर्चा मांगा और एक या दो कापियां ले गया। यह अखबार मेरे पास लाहौर बज़रिये डाक आता है। मैंने उसे खोला नहीं। पण्डित गोपीनाथ ने खोला था।

सवालात जिरह महफ़ूज़ किये गये।

(दस्तखत हाकिम)

गवाह ने सुनकर तस्लीम किया।

(दस्तखत हाकिम)

मुर्वरिख़ा १७ जुलाई सन् १९०१ ई०

बर सवालात जिरह

(बाक़रार सालेह)

मैं १६ या १७ वर्षों से पं० गोपीनाथ को जानता हूं। इस अर्से में उसकी शोहरत एकसां ही रही है। वह चालबाज़ आदमी हुआ करता था। और अब तक भी वह वैसा ही है। मैं उसे इज़्ज़तदार आदमी नहीं कह सकता। (चालबाज़ से यह मुराद है कि जिस तरह हो सके टका-सिद्धि कर लेनी। पं० गोपीनाथ धोखेबाज़ है। **—अज़ बयान उर्दू**)

सनातन धर्म सभा और ग़ज़ट को महज़ पैसा कमाने के लिए चलाता है। वह धोखे की टट्टी है। वह बिला शुबा बेअसूला है। उसका असूल महज़ पैसा कमाना है। हम सब जानते हैं कि वह अख़बार आम का एडीटर है। सनातन धर्म ग़ज़ट की पालिसी सिर्फ़ यह है कि मोटे दुकानदारों को ख़ुश करके उनसे क़ीमत वसूल की जावे। यह (गज़ट) लोगों को महज़ इन (दूकानदारों) के ख़ुश करने के लिए गालियां देता है। बवक़्त मौत पं० लेखराम और मज़ामीन 'हमारी राय की वक़अत' पं० गोपीनाथ तमाम ख़रीदार उससे छोड़ कर मेरे पास आ गये थे। (यह सन् १८९७ ई० का ज़िकर है) हिन्दुओं को बड़ी दिलशिकनी हुई थी। गोपीनाथ लिखने वाला समझा जाता था। यह पंजाब समाचार ५ जून सन् १८९७ ई० का है। इसके सफ़े ११ पर एक मज़मून अख़बार आम पर है और दूसरा १२ जून सन् १८९७ ई० के पर्चे (दस्तावेज़ डी ८९) में है जो कि मज़मून 'हमारी राय की वक़-अत' का मुसन्निफ़ 'गोपीनाथ बुज़दिल एडीटर अख़बार आम' को बतलाता है। हमने अपने अख़बार में अख़बार आम का इश्तहार छापा था। गोपीनाथ ने हमें लिखा था और उसी ने उजरत दी थी। मैंने कभी किसी अख़बार में इसके मुतल्ल-क़ीन में से किसी के व्याह पर इमदाद के लिये दर्ख़्वास्त नहीं देखी है। यह Loofer (टुकड़गधा) का काम है। मैं सनातनी हिन्दू हूं। मैं यहां की खत्री कान्फ्रेंस का एक जाइन्ट सेक्रेटरी था। होली के अय्याम में कोई भी अख़बारों में लोगों को गालियां नहीं देता। रज़ील और लुच्चे आदमी आम तौर पर गलियों में खेलते हैं मस्लन् सुनयार, चमार वग़ैरा। ज़ी इज़्ज़त आदमी अपने घरों में खेलते हैं। मैंने पं० गोपीनाथ का होली का मज़मून देखा था। वह होली के बीस दिनों के बाद शाया हुआ था (मैं ऐसे मज़मून के लिखने वाले को रिन्द और औबाश कहूंगा। लाहौर में एक प्रेस ऐसोसिएशन हुआ करती थी। गोपीनाथ को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तक़रीबन कुल दीगर एडीटरान शामिल थे। इसमें भी एक राज़ था। गोपीनाथ क़ाबिले एतबार नहीं समझा गया था। मिस्टर राबिन्सन इसमें शामिल थे।

मलका[1] की मौत पर जो हिन्दुओं का जल्सा हुआ था, मैं उसमें शामिल था। गोपीनाथ वहां न था। बाबू प्रतुलचन्द ने उसे शामिल नहीं किया था। दिसम्बर में खत्री कान्फ्रेंस के मौक़े पर गोपीनाथ ने आकर कार्रवाई की रिपोर्ट करने की इजाज़त मांगी थी। लेकिन उसे इजाज़त नहीं मिली थी। पहले सनातन धर्म सभा में सिर्फ़ नेक और इज़्ज़तदार आदमी हुआ करते थे। अब उन लोगों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उससे क़त्तअ् ताल्लुक़ कर लिया है।

बर बयान सानी

मैं सनातन धर्म सभा का मेम्बर नहीं था। मैं हमदर्द था। लेकिन जब उन्होंने मेरी दरी चुरा ली, तो हट गया। उस दरी के बदले मुझे कुछ न मिला। राजा हरवंश सिंह प्रेज़ीडेण्ट था, मगर सभा में कभी नहीं आया। दो साल हुए वह फ़ौत हो गया। वह बराये नाम सनातन धर्म सभा का प्रेज़ीडेण्ट था। दीवान भगवानदास साहब और राजा हरवंशसिंह ने मुझसे कहा था कि बदनामी की वजह से हम सनातन धर्म सभा में नहीं जाते। राजा हरवंशसिंह के बाद बकाया पार्टी में से कोई प्रेज़ीडेण्ट हो गया होगा। लाला नीकामल के प्रेज़ीडेण्ट होने की खबर नहीं है (अज़ बयान उर्दू)। मैं कई मर्त्तबे जलसों में गया हूं। मुझे मालूम नहीं है कि इस वक़्त कौन प्रेज़ीडेण्ट है। न यह मालूम है कि कौन कारकुन प्रेज़ीडेण्ट था। गोपीनाथ ने सन् १८९८ ई० में अखबार आम का इश्तहार मेरे पास भेजा था। यह काम मैनेजर का है। अगर कोई अखबार शादी के मौक़े पर मदद मांगे तो लोग देने वाले होते हैं, इस खयाल पर कि उनकी मट्टी पलीद न की जावे (अज़ बयान उर्दू)

'होली के दिनों में महज़ रज़ील क़ौम के लोग गाली देते हैं' वह होली का मज़मून रूपलाल कातिब ने मेरे दफ़्तर में लिखा था क्योंकि वह मेरा मुलाज़िम था। और इसलिये मैं जानता हूं कि वह होली के बीस दिनों बाद तैयार हुआ था। मुझे इसलिए याद है कि मेरे अखबार को भी देर हो गई थी। मिस्टर राबिन्सन साहब प्रेस ऐसोसिएशन के प्रेज़ीडेण्ट थे। यह सन् १८९५ या सन् १८९६ ई० में शुरू हुई। गोपीनाथ ने मिस्टर राबिन्सन पर पहले फ़ौजदारी दावा किया था। जो कि यहां खारिज हो गया था और फिर कलकत्ते में दायर हुआ था। मैं मौजूद था, जब कि जल्से मातमी के लिये रुक़्क़े जारी हुए थे और इसलिये मैं जानता हूं कि गोपीनाथ को उनकी इजाज़त नहीं मिली थी। जल्सा पब्लिक था। और शायद गोपीनाथ भीड़ में मौजूद था। जहां तक मुझे इल्म है, गोपीनाथ खत्री कान्फ्रेंस में बतौर विज़िटर Visitor (दर्शक) भी नहीं बुलाया गया था।

---

१. महारानी विक्टोरिया

गोपीनाथ के खरीदार अमूमन मुसलमान हुआ करते थे और उनको ख़ुश करने के लिए लेखराम की मौत पर उसने उनके हक़ में मज़ामीन लिखे थे। उसने महाराजा कश्मीर से पन्द्रह हज़ार रुपया इस इक़रार पर हासिल किया था कि कोशिश करके गवर्नमेंट से इख़्तियारात दिलवा दूंगा। मैंने यह मौअ़ज़्ज़िज़ आदमियों से मालूम किया है जिन्होंने कि इस बारे में मेरे पास मज़ामीन भेजे थे। जहां तक मुझे याद है अखबार में कुछ नहीं दिया गया था। गोपीनाथ ने कभी इससे इन्कार नहीं किया, जबकि मेरे अखबार में उसे अखबार आम का एडीटर बयान किया गया था। इस वक़्त अखबार आम के उन नाज़रीन में से किसी का नाम याद नहीं है जोकि मज़ामीन 'हमारी राय की वक़अत' शाया होने पर मेरे पास आ गये थे। और यह भी नहीं कह सकता कि वे वापिस अख़बार आम के पास चले गये हैं या नहीं। आम पब्लिक कहती थी कि 'हमारी राय की वक़अत' का लिखने वाला गोपीनाथ है। मेरे अखबार में एक जवाब छपा था जिसमें लिखा था कि गोपीनाथ लिखने वाला है।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया। **(दस्तखत हाकिम)**

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नंबर ६

(बाक़रार सालेह)

रामभजदत्त—प्लीडर चीफ़ कोर्ट

मैं अखबार सद्धर्म-प्रचारक का खरीदार हूं और मुझे लाहौर में पहुंचता है। बज़रिये डांक। पर्चा जो पेश किया जाता है वह है जो के मुझे बज़रिये पोस्ट के पहुंचा था (दस्तावेज़ हर्फ़ L) मैं कभी-कभी उसे पढ़ता हूं। मैं आर्यसमाज लाहौर का सेक्रेटरी हूं। मज़ामीन विनाय दावा मैंने मुक़द्दमा दायर होने के बाद पढ़े थे।

सवालात ज़िरह महफ़ूज किये गये। **(दस्तखत हाकिम)**

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया। **(दस्तखत हाकिम)**

(वाक़ै १८ जुलाई सन् १९०१ ई०)

बर सवालात जिरह

(बाक़रार सालेह)

मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का बी० ए० हूं। मैंने मज़मून डी १० का तर्जुमा किया था। और डी ११ वह तर्जुमा है। अपनी लियाक़त के मुताबिक़ मैंने यह ठीक तर्जुमा किया है **(अज़ बयान उर्दू)**।

माह अगस्त सन् १८९९ ई० के खातमे पर ला० मुन्शीराम गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा करने गये थे और मैं उनके साथ गया था। उन्होंने कहा था कि बग़ैर तीस हज़ार रुपया इकट्ठा किये वो वापिस नहीं आवेंगे। मैंने उनके साथ उनकी मदद में एक महीना लगाया था। ला० मुन्शीराम अप्रैल सन् १९०० ई० के दूसरे हफ़्ते में वापिस आ गये थे।

बयान सानी

'दयानन्दी' आर्यसमाजियों के लिये एक हिक़ारत का क़लमा है। 'नम्बर लगाना' हमबिस्तरी से मुराद है और रिसाले में जो लिखा गया है हमारा नम्बर भी बरदाश्त करें, उसके यही माने हैं जो तर्जुमे में 'लिखे गये हैं। मन्दिरों में घंटे होते हैं। बड़े-बड़े मन्दिरों में मैंने मनों के वज़न का घंटा नहीं देखा। 'हमारे घंटे क़ीमती होते हैं,' यह दोनों मानों में आता है। अगर कोई शरीफ़ आदमी कहे के हमारे घंटे क़ीमती होते हैं तो वक़्त के फ़वायद में मुस्तमल होता है। नक़ारा ढोल को कहते हैं और बरातों में बजाया जाता है और मन्दिरों की बावत मालूम नहीं कि बजाया जाता है। दरबार साहब में बजाया जाना मालूम है (अज़ बयान उर्दू)।

भगानन्द के माने हैं वह शख़्स जिसे औरत के अजाये तनासुल में लुत्फ़ आता है। भग्नानन्द के भी वही माने हैं! मुझे मालूम नहीं है कि भगन् के क्या माने हैं। घड़याल के दो माने हैं, एक मानी आवाज़ के हैं। घंटा Bell को कहते हैं।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया। (दस्तख़त हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नंबर ७

मिस्टर रोशनलाल बैरिस्टर एटला

मैं आर्यसमाज लाहौर का प्रेज़ीडेण्ट हूं। मुझे मालूम नहीं कि अख़बार सद्धर्म-प्रचारक आर्यसमाज में आता है या नहीं।

सवालात जिरह महफ़ूज़ किये गये। (दस्तख़त हाकिम)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया। (दस्तख़त हाकिम)

(वाक़ै १८ जुलाई सन् १९०१ ई०)

बर सवालात जिरह

(बाक़रार सालेह)

(यह गवाह दौरान मुक़द्दमे में बहैसियत वकील मुल्ज़िमान हाज़िर रहा है)

(दस्तख़त हाकिम)

मैंने मज़मून 'होली के चुटकुले' मुवर्रिख़े १५ मार्च सन् १६०१ ई० देखा है। नीज़ उसका तर्जुमा मिस्टर राबिन्सन साहब गवर्नमेण्ट ऐडवोकेट ने मुझे दिखलाया था, यह मालूम करने के लिए कि आया वह सही है या नहीं। मैं उस वक़्त ऐडीशनल पब्लिक प्रौसीक्यूटर था। मज़मून और तर्जुमा जो इस मुक़द्दमे की मिसल में हैं, वही हैं जो मुझे दिखलाये गये थे। तर्जुमा बिल्कुल सही है। मुझे मालूम है कि गोपीनाथ ने एडीटर कोहनूर के बख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़द्दमा किया था। मैं उस मुक़द्दमे में मुलज़िम का वकील था। बयानात की एक नक़ल कोहनूर में तब्अ हुई थी और प्रूफ़ देखने के लिये मुझको भेजे गये थे। इस मुक़द्दमे में गोपीनाथ ने कहा था—"मैं अख़बार आम में बाज़ हालतों में एडीटर हूं और बाज़ हालतों में नहीं हूं। मैंने नक़ल मुक़द्दमा अदालत कोहनूर के हालात के साथ मुक़ाबला किया था और उसे सही पाया था। इस कार्रवाई में, जो पेश की जाती है, गोपीनाथ ने कहा था कि वह "अख़बार आम, मित्रविलास और पीपल्ज़ जर्नल का एडीटर है।"

असल तलफ़ हो चुके हैं।

(द० हाकिम)

जहां तक मुझे याद है पं० गोपीनाथ ने अपने दावे की बुनियाद एक चिट्ठी पर रक्खी थी जो कि कोहनूर मुवर्रिख़े ११ जुलाई सन् १८८६ ई० व उनवान 'मामलात कश्मीर' शाया हुई थी।

कोहनूर, ११ जुलाई सन् १८८९ ई०

मामलात कश्मीर

डीयर एडीटर ! मामलात कश्मीर की अब यह हालत हो रही है कि इस वक़्त हरेक शख़्स का फ़र्ज़ है कि जिसको कुछ भी इसके मुतल्लिक़ इल्म है अपने ख़यालात को पब्लिक पर ज़ाहिर करे, ताकि लोग इस बदक़िस्मत मुल्क की निस्बत एक सच्ची और अच्छी राय क़ायम कर सकें। चूंकि हमें भी इस मुल्क के मुतल्लिक़ कुछ ज़ाती इल्म है लिहाज़ा हम अपना ज़ख़ीरा मालूमात हद्यिे नाज़रीन करते हैं। हम सबसे पहले इस बात को ज़ाहिर करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आजकल एक-आध ख़ुदग़र्ज़ अक़्ल के दुश्मन अख़बारात कर्नैल निस्बट साहब और राजा अमर सिंह साहब पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको सख़्त गालियां दे रहे हैं, क्या इसकी यह वजह है कि उन्होंने महाराजा साहब के काग़ज़ात गवर्नमेण्ट में भेजे हैं और उनको बेअख़्तियार कराया है, अगर निस्बट

साहब और राजा अमरसिंह साहब को इस अमर के वास्ते वह बदनाम कर रहे हैं तो इससे पांच गुना बल्कि दस गुना ज़्यादा बदनामी के मुस्तहक़ हैं उनके माज़ूल मदारुल मुहाम और उनके भाई राजा रामसिंह साहब, जिन्होंने सवा दो साल हुए इस अमर का बीड़ा उठाया था। जो चिट्ठियां हाल में आपके अख़बार में शाया हुई हैं, वह चन्द हैं उन बहुत-सी चिट्ठियों में से, जिनका तर्जुमा गवर्नमेण्ट में सवा दो साल से बल्कि इससे पहले मौजूद है, हम इस मुक़ाम पर बवाइस चन्द पालिटिकिल वजूहात के उस महज़रनामे का मशवरन् जिकर करना मुनासिब नहीं समझते जो दीवान लछमनदास साहब के अहद में महाराजा साहब की निस्वत गवर्नमेण्ट में भेजा गया था और जिस पर सबसे पहले राजा रामसिंह साहब के दस्तखत हुए थे, इसमें कोई कलाम नहीं कि गवर्नमेण्ट ने बक़ौल अखबार आम के ऐसी तहरीरात को चन्दा बावकत नहीं समझा, वर्ना जो कुछ इसका महाराजा साहब के हक़ में नतीजा होता, उसका नाज़रीन अन्दाज़ा कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि महाराजा साहब की नालियाक़ती का ऐसी चिट्ठीयात ने भी बहुत कुछ सबुत दिया हो। मगर उनको कारबारे रियासत से सुबुकदोष करने वाली इसके अलावा और बहुत-सी बातें हैं जिनका मुफ़स्सिल ज़िकर हम अपनी दूसरी मुरासिलात में करेंगे।

जिन लोगों को कुछ भी इल्म महाराजा साहब प्रतापसिंह और दीवान लछमनदास साहब के पुराने ताल्लुक़ात का है, उनकी नज़रों में राजा अमरसिंह और निस्वट साहब हर्गिज़ मुल्ज़िम नहीं समझे जाते। चुनांचे हाल में कर्नैल निस्वट साहब ने एक मोअज़्ज़िज़ रईस से ज़िकर किया था कि हमने जो कुछ इस वक़्त कार्यवाई की है, महज़ महाराजा की दर्ख़्वास्त के मुताबिक़ और उनके मुल्क की बहबूदी के वास्ते, और हमने यह बात एक ऐसे देसी रईस की ज़ुबान से सुनी है, जिसकी सचाई और ईमानदारी पर हमको पूरा यक़ीन है।

पर इससे साफ़ ज़ाहिर है कि ऐसे अखबारात के पास यह दलील कोई काफ़ी वजह उनको बदनाम करने की नहीं है। अगर अखबार आम और देहली पञ्च ज़रा भी अपने कौन्शन्स से काम लेते तो उस वक़्त कभी ऐसी ज़ाहिलाना कार्रवाई के मुर्तकिब न होते। मगर कौन्शन्स जाये भाड़ में, यहां तो टके सीधे करने से काम है, क्या यह कोई छिपी बात है, कि महाराजा साहब ने पन्द्रह हज़ार रुपया अखबार आम को किस ग़रज़ से दिया है। हम तहरीरी ज़रियों से यह अमर साबित कर सकते हैं कि जब गोपीनाथ कश्मीर से हाल में वापिस आये हैं, महाराजा साहब से यह वायदा करके आये थे कि हम रेज़ीडेण्ट और कौन्सिल दोनों को मौक़ूफ़ करावेंगे। फ़लां साहब फ़लां औफ़िस में हमारे दोस्त हैं और फ़लां से हम यह करवा सकते हैं और वह करवा सकते हैं। हमारे भोले महाराज जैसे कुछ हैं उन्होंने इस दग़ा में आकर झट पन्द्रह हज़ार की रक़म निकलवा कर दे दी।

अगर अख़बार आम को इससे इनकार हो तो इन पन्द्रह हज़ार का हम काफ़ी सबूत देने को तैयार हैं। मगर दोनों महाराज अभी तक अखबार आम के इस धोखे को नहीं समझते और न पण्डित साहब ही अपनी चालबाज़ियों से बाज़ आते हैं, नाज़रीन को ग़ालिबन् मालूम होगा कि चन्द रोज़ हुए वह चन्द्रनगर में जो कि दौलत फ्रान्स के ज़ेर हुकूमत है, किस ग़रज़ से गये थे, मैंने सुना है कि गोपीनाथ परसों-नरसों ही वहां से वापिस आये हैं। महाराजा साहब के पास इस वक़्त नक़द रुपया उनकी भेंट के वास्ते मौजूद नहीं है, अलबत्ता ज़ेवर और जवाहरात हैं, उसका सौदा पं० महानन्द और गोपीनाथ की मार्फ़त अब लाहौर में हो रहा है, क्या गवर्नमेण्ट इन हालात से वाक़िफ़ नहीं है? बेशक है और जरूर है और वह अनक़रीब इसका ज़रूर इन्सदाद करेगी, मगर मेरी राय में इस अमर का उस वक़्त तक पूरा इन्सदाद नहीं हो सकता जिस वक़्त तक महाराजा साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी एक मुन्तजिम और लायक़ आदमी न हो, क्या सांवलसिंह और फ़क़ीर या झींवर इस काम को अंजाम दे सकते हैं? हर्गिज़ नहीं। ऐसी लूट-खसूट में तो उनकी भी चांदी है, अगर गवर्नमेण्ट को डोगरा ख़ान्दान की रही-सही इज़्ज़त को महफ़ूज़ रखना मंजूर है तो उसको चाहिये कि सबसे पहले महाराजा साहब के प्राइवेट तोशेखाने की बज़रिये कौन्सिल पड़ताल कराये और जिन-जिन लोगों ने नाजायज़ तौर पर महाराज से रुपया वसूल किया है, उनसे वापिस कराये और इसके बाद एक किसी लायक़ ओहदेदार को पंजाब से मुन्तखब करके महाराजा साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी मुक़र्रर करे, वर्ना मुम्किन है कि रियासत को फिर बारह-पन्द्रह लाख रुपये महाराजा साहब के क़र्ज़े का देना पड़े। जैसाकि पिछले दिनों उनके वलीअहद होने के ज़माने का देना पड़ा था, हम इस वक़्त रियासत को ऐसी फ़ज़ूलखर्ची का मुतहम्मिल नहीं देखते, अलावा गोपीनाथ के, उन्होंने अपने माज़ूल मदारुल मुहाम को पचास हज़ार और माज़ूल गवर्नर को २५ हज़ार न मालूम कौन-सी उम्मेद क़ायम पर समझा है, क्या रियासत ऐसे खर्च की मुतहम्मिल हो सकती है? हर्गिज़ नहीं।

गवर्नमेण्ट जिस क़दर जल्दी इसका इन्तज़ाम करे उतना ही बेहतर है, सरेदस्त हम रियासत में कोई ऐसा ओहदेदार नहीं देखते, जो महाराजा साहब को ऐसी कार्रवाइयों से रोक सके, इसलिए अगर कोई लायक़ आदमी पंजाब से भेजा जावे तो निहायत मुनासिब है……।

(राक़िम वाक़िफ़ हाल डोगराह)

१८ जुलाई सन् १८७९ ई० की अशायत में एक मज़मून ब उनवान 'गोपीनाथ की चालबाज़ियां' शाया हुआ था।

कोहनूर १८ जुलाई सन् १८८९ ई०

पं० गोपीनाथ की चालबाज़ियां

ख़तोकितावत के सीग़े में हम एक मुरासिलात दर्ज करते हैं, जिसका उनवान 'पं० गोपीनाथ का इज़हार' है। पण्डित साहब ने उसको छपवाकर ग़ालिबन् अक्सर उर्दू अख़बारात के पास बग़रज़ इन्दराज रवाने किया है, हमारे पास भी यह बसबील डाक इसी ग़रज़ से पहुंची थी, हम बख़ुशी उनके इर्शाद की तामील करते हैं लेकिन इस अमर का इज़हार किये बग़ैर नहीं रह सकते कि हमने उनकी इस मुरासलात को निहायत ही ताज्जुब और अफ़सोस की निगाह से देखा है, क्योंकि हमें मालूम होता है और हम ख़याल करते हैं कि एक सरसरी तौर पर मुताला करने वाला भी यह मालूम करने से क़ासिर न रहेगा कि इस तहरीर से पण्डित साहब की ग़रज़ इस क़दर अपने करेक्टर की बरीयत न थी जिस क़दर मालिक कोहनूर के करेक्टर को बदनाम करना था। जब से कश्मीर का मामला शुरू हुआ है, कोहनूर और उसके मालिक जनाब मुन्शी हरसुखराय साहब दोनों, अखबार आम और पंडित साहब के मअर्ज़ अताब में आये हुए हैं जिसकी वजह यह है कि महाराजा साहब कश्मीर की बेजा हिमायत में हम उनके हमसफ़ीर नहीं हुए, यह अपना-अपना खयाल और अपनी-अपनी राय है। हमने महाराजा प्रताप-सिंह साहब की रफ़्तार को पसन्द न किया बलिक उससे रियासत के हक़ में बहुत से नुक़सानात की पेशबीनी की, इसलिए महाराजा साहब के ख़िलाफ़ तहरीर करने पर मजबूर हुए, उसको अखबार आम ने हमारी 'नमक हरामी' से नामज़द किया और जैसा कि उसका शेवा है निहायत दर्जे के कमीने हमले मालिक कोहनूर की ज़ात पर किए, उसके एक नामेनिगार ने लिखा कि राजा अमरसिंह साहब ने सात हज़ार रुपये मालिक कोहनूर को दिए थे। उनका जोश यह तमाम तहरीरें लिखवा रहा है। नामेनिगार मज़कूर ने बड़ी जुर्रत के साथ बयान किया है कि वह इन्कार होने पर इन सात हज़ार रुपये का सबूत बहम पहुंचा सकता है। हम अखबार आम और उसके नामेनिगार दोनों को इत्तला देते हैं कि वह सहूलियत से इस सबूत को बहम पहुंचा रक्खें, ताज्जुब नहीं कि उन्हें किसी जगह उसे पेश करने की ज़रूरत पेश आये, ख़ैर, अखबार आम की तरफ़ से इस क़िस्म के कितने ही हमले किये गये और हमने जैसा कि नाज़रीन को मालूम है, अब तक उनका कोई नोटिस लेना पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुरासिलात ज़ेर बहस में यह नई तरह का हमला मालिक कोहनूर की ज़ात पर किया गया है कि उन्होंने साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास जाकर पं० गोपीनाथ की निस्बत मुख़बिरी की है, शायद हम उनके इस हमले का भी नोटिस न लेते अगर वह हमसे इस मुरासलात के कोहनूर में दर्ज किये जाने की दर्ख़्वास्त न करते। अब चूंकि मुरासलात मज़कूर

मामूली बर्त्ताव के मुआफ़िक़ कोहनूर में निकलती है, इसलिए नामुमकिन है कि इसको ख़ामोशी के साथ नज़र अन्दाज़ कर देवें, अगर पं० गोपीनाथ साहब को इस अमर का भरोसा है कि उनका हल्फ़ी बयान पबलिक के नज़दीक़ क़ाबिले एतबार समझा जाता है, तो हम उम्मेद करते हैं कि वह दूसरों के हल्फ़ी बयान को भी यकसां क़ाबिले एतबार समझेंगे, और यह यक़ीन करेंगे जबकि हम 'हल्फ़िया' तौर पर उन्हें जतलाना चाहते हैं कि मुन्शी हरसुखराय साहब मालिक कोहनूर का मुख़बिरी करना तो दरकिनार वह मौजूदा साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर की शक्ल के भी अब तक आशना नहीं हैं, और इसी तरह वह इस अमर का भी पंडित साहब को भी यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि उनसे पहले जो साहबान डिप्टी कमिश्नर यहां रह गए हैं उनसे भी कभी किसी क़िस्म की मुख़बरी पण्डित गोपीनाथ की निस्बत मुन्शी साहब मौसूफ़ ने नहीं की। मालिक कोहनूर पर मुख़-बरी का इल्ज़ाम आयद करना खसूसन जबकि उनको एक बड़े अर्से से बहुत लोग जानते हैं कि उनके दूसरे पबलिक और प्राइवेट फ़रायज़ बहुत कम हुक्काम से मिलने-जुलने की फ़ुर्सत देते हैं, जैसा अजीब है वैसे ही यह कहना भी अजीब है कि वह पं० गोपीनाथ के खिलाफ़ मुख़बिरी करते। जिनका गोश्त-पोस्त बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि इसी कारख़ाने के तुफ़ैल बना हुआ है। जिस वक़्त पंडित साहब ने मालिक कोहनूर की निस्बत नमकहराम लिखने या उन पर मुख़-बिरी का इल्ज़ाम आयद करने की जुरअत की थी काश, वह अपने वालिद साहब पं० मुकन्दराम साहब से दर्याफ़्त कर लेते कि ऐसा करने में वह कहां तक मुन्शी हरसुखराय साहब का नमक हक़ अदा करेंगे।

हम समझते हैं कि जहां तक इस मुरासलात का हमसे ताल्लुक़ था, इसके जवाब में जो कुछ ऊपर लिखा गया, वही किफ़ायत करेगा मगर इसके साथ ही हम नामुनासिब नहीं समझते अगर हम इस बात पर भी मुख़्तसिर तौर से ग़ौर करें कि ऐसे झूठे बयानात पर मालिक कोहनूर को जो चालबाज़ कहा गया है वह कहां तक ठीक है, जहां तक हमें मालूमात बहम पहुंचे हैं हम कह सकते हैं कि पं० गोपीनाथ साहब औरों को चालबाज़ कहते हैं, लेकिन चालबाज़ी में कमज़कम अख़बारनवीसों में वह सब पर फ़ौक़ीयत ले गए हैं, और जिसे इस काम के सीखने का शौक़ हो, उसको ग़ालिबन इनसे बेहतर उस्ताद इस फ़न का न मिलेगा, यह कौन नहीं जानता कि वह ज़्यादा से ज़्यादा एक आम अख़बारनवीस की हैसियत रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही थोड़े अर्से से लोगों को यह भी मालूम है कि वह इस अमर की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में उनका वजूद एक आम अख़बारनवीस की हैसियत से कुछ ज़्यादा वक़अत के साथ देखा जावे और उसके लिए उन्होंने यह उम्दा चाल अख़्तियार की है कि ख़ुद अपनी निस्बत खराब अफ़वाहें फैलाते हैं और ख़ुद ही बड़े ज़ोर-शोर के साथ अख़बारों में उनकी तरदीद करते हैं, हम सब कहते

हैं कि जिस क़दर अफ़वाहों का अपनी निस्बत मशहूर होना वह मुरासलात ज़ेर बहस में बयान करते हैं, हमने उनको अखबार आम के कालमों और ख़ुद इस मुरासलात से मालूम किया है, कभी किसी दूसरे की ज़बानी नहीं सुना, इसमें शुबा नहीं कि ११ जुलाई के कोहनूर में जो एक मुरासलात छपी थी उसमें नामे-निगार ने अफ़वाहन बयान किया है कि पण्डित साहब चन्दरनगर से वापिस आए हैं, लेकिन वह अल्फ़ाज़ ऐसे मोहमिल बल्कि कह सकते हैं कि मोहमिल थे कि हम खयाल नहीं करते कि नाज़रीन अखबार उनसे वही मतलब समझे हों, जो पंडित साहब अपनी मुरासलात में लेते हैं बशर्ते कि इस मुरासलात की बिना उसी तहरीर पर है, ताहम दूसरी अफ़वाहों का सबूत इस तहरीर से नहीं होता और इसीलिए हम उनको 'मसनूई अफ़वाहों' के नाम से नामज़द करते हैं, जिनसे यह मतलब है कि पंडित साहब ख़ुद उनको घड़ते हैं और फिर उनकी ख़ुद तरदीद करते हैं और हरचन्द नाज़रीन को उनका यह अमल बेफ़ायदा मालूम हो, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीक़े से उन्होंने अपनी उस आरज़ू में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसका हमने ऊपर इशारा किया है। यानी कि उन्हें एक मामूली अखबारनवीस की हैसियत से न देखा जाय, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा समझा जाय। इस तरीक़े को अख़्तियार करने से उन्हें यह फ़ायदा हुआ है कि इस वक़्त पबलिक और गवर्नमेण्ट दोनों की उन पर निगाह है, ख़ुद अपने क़ौल के मुताबिक़ वह आला हुक्काम मिस्ल नवाब लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर, हज़ूर गवर्नर जनरल, हज़ूर कमाण्डर-इन-चीफ़ के नज़दीक बहुत कुछ रसूख रखते हैं। उनके दोस्तों के हलक़ों में ऐसे लोग शामिल हैं जैसे कि गवर्नमेण्ट के सेक्रेटरी, कौन्सिलों के मेम्बर और दूसरे आला हुक्काम। और शायद नाज़रीन यह सुनकर मुतज्जिब होंगे कि इस रसूख से वह बहुत कुछ ज़ाती फ़ायदा हासिल करते हैं और यह हम अटकलपच्चू नहीं कहते। हमारे पास इसके लिए तहरीरी सबूत मौजूद हैं। उनको हम उस वक़्त पेश करते अगर अदम गुंजाइश मानअ न होती, लेकिन नाज़रीन आइन्दा पर्चे के मुन्तज़िर रहे, उसमें हम उनमें से बाज़ को पेश करके उन्हें दिखलावेंगे, कि हम और दूसरे अखबारात चालबाज़ हैं या पं० गोपीनाथ साहब। हमें अफ़सोस है कि हमें एक ऐसे नागवार मज़मून पर इस क़दर ज़ोर देना पड़ा, लेकिन अहले इन्साफ़ इस बहस में यह अमर वाक़ै मद्दे नज़र रक्खें कि एक आम बहस को पंडित साहब ने अव्वल ज़ातयात का रंग दिया है और हम उस वक़्त ज़ुबान खोलने पर मजबूर हुए जबकि ज़्यादा खामोश रहना क़रीब-क़रीब नामुमकिन हो गया था।

और उसी पर्चे में सफ़े ६ पर एक ख़त गोपीनाथ की तरफ़ से शाया हुआ था। २० जुलाई सन् १८८९ ई० को एक और मज़मून ब उनवान 'पंडित गोपीनाथ की चालबाज़ियां' शाया हुआ था, जिसमें एक ख़त अज़ जानिब पं० गोपीनाथ बनाम दीवान लछमनदास शामिल है।

कोहनूर २० जुलाई सन् १८८९ ई०

पं० गोपीनाथ की चालबाज़ियां

जो वायदा हमने गुज़रे पर्चे में किया था आज उसको ईफ़ा करते हैं। ११ जुलाई के कोहनूर में हमारे नामेनिगार मुसम्मी 'वाक़िफ़ हाल डोगरा' ने और पिछले इशु (भेजे हुए अखबार) में हमने ख़ुद बयान किया था कि पण्डित गोपीनाथ ने कुछ अर्से से ऐसी चाल अख़्तियार कर रक्खी है जिससे आला हुक्काम की नज़र उन पर पड़े, और लोगों को यह धोखा हो कि वह हुक्काम वक़्त के नज़दीक बहुत कुछ रसूख़ रखते हैं, और इस तरह पर उन्हें अपने ज़ाती फ़ायदों पर कामरान होने का सहूलियत और उम्दगी के साथ मौक़ा मिले, हमने यह भी बयान किया था कि हम तहरीरी सबूत अपने इस दावे के लिए रखते हैं, और उसको नाज़रीन के सामने पेश करेंगे, हम आज बख़ुशी ऐसा करते हैं, पंडित साहब के कारनामे तादाद में बेशुमार और सबके सब अपनी-अपनी जगह पर अजीब और हैरतबख़्श हैं। लेकिन हम एकबारगी सबको मन्शये शहूद पर लाने की ज़रूरत नहीं समझते और आज सिर्फ़ एक-दो ऐसे अमूर को लेते हैं जिनसे उनकी आला दर्जे की चालबाज़ी ज़ाहिर होती है। ज़ैल में जो हम दर्ज करते हैं यह पं० गोपीनाथ साहब की अपनी एक दस्तख़ती चिट्ठी का तर्जुमा है जो लाहौर से दीवान लछमनदास साहब के नाम उन दिनों भेजी गई थी जबकि महाराजा प्रतापसिंह साहब ने दीवाने साहब मौसूफ़ को ओहदे मदारुलमुहामी से बरतरफ़ किया था। हमें उम्मेद है कि नाज़रीन बहुत ग़ौर और दिलचस्पी के साथ उसे मुलाहज़ा फ़र्मावेंगे।

ख़त

२२ मार्च सन् १८८८ ई०।

मेरे प्यारे और निहायत ही मेहर्बान दीवान साहब, मैंने ग़ायत दर्जे के अफ़सोस से (जो रियासत के वास्ते हैं) उस खबर को पढ़ा, जो अखबारात में योर एक्सेलेन्सी की निस्बत छपी है। लेकिन योर एक्सेलेन्सी ज़रूर ही कामयाब होंगे जबकि मैं आज पायोनिअर में यह पढ़ता हूं कि साहब रेज़ीमेण्ट योर ऐक्सेलेन्सी की तरफ़ हैं।

इस नाज़ुक वक़्त में मेरी यह दिली तमन्ना है कि मैं कोई देरपा खिदमत योर ऐक्सेलेन्सी की बजा लाऊं एक ऐसी रियासत जिससे योर ऐक्सेलेन्सी के लिए मेरी कामिल ख़ैरख़्वाही और ग़ायत दर्जे की कोशिशों का सबूत होगा। मेरी तजवीज़ है कि फ़िल्फ़ौर कश्मीर जाऊं और वहां एक बाक़ायदा और अज़ीमुश्शान ऐड्रेस तैयार कराऊं जिसको हिज़ ऐक्सेलेन्सी वाइसराय के उस जगह पहुंचने पर बाशिन्दगान कश्मीर की जानिब से उनके हज़ूर में पेश किया जावे, और जिसमें

यह इस्तदुआ हो कि वह लोग दिल से मुतमनी हैं कि योर ऐक्सेलेन्सी का इन्तज़ाम बराबर जारी रहे। और अगर योर ऐक्सेलेन्सी ओहदे से अलहदा होने पर मजबूर किए गए तो उन्हें निहायत दर्जे ज़ुल्म और तशद्दुद की हालत में पड़ जाने का सख़्त अंदेशा है वग़ैर: वग़ैर:।

सर डोनेल्ड मेकेन्जी वेल्स साहब के० सी० आई० प्राइवेट सेक्रेटरी हज़ूर वाइसराय के साथ मेरी ख़तोकिताबत है, और मेरे लिए यह बहुत मुश्किल अमर न होगा कि मैं उस ऐड्रेस के पेश करने का इन्तज़ाम बिला वसातत किसी और शख़्स मुतल्लक़ा रियासत के कर सकूं...किसी और शख़्स से मेरी मुराद योर ऐक्सेलेन्सी के किसी मुख़ालिफ़ ओहदेदार से है। मैं ऐसे ऐड्रेस पर कई हज़ार अशख़ास के दस्तख़त करा लूंगा। और ऐक्सेलेन्सी हिज़ वाइसराय के पहुंचने से पहले तैयार कर लूंगा। योर ऐक्सेलेन्सी सिर्फ़ इख़राजात के मुतहम्मिल हों, मैं अपनी ख़िदमात के लिए कुछ नहीं चाहता। अगर वह ख़याल योर ऐक्सेलेन्सी को पसन्द हो, बराह इनायत फ़िलफ़ौर मुझे लिखें।

योर ऐक्सेलेन्सी का निहायत ही
फ़र्माबरदार खादिम पं० गोपीनाथ।

इस चिट्ठी में जो अल्फ़ाज़ वख़्ते नस्ख़ लिखे गये हैं वह ख़ुद कातिब ख़त की तरफ़ से हैं। अब पं० गोपीनाथ साहब की इस चिट्ठी से हमारा दावा साफ़ साबित है, इसमें मिस्टर मेकेन्ज़ी वेल्स का इशारा बदिही सबूत इस अमर का है कि वह हुक्काम के नज़दीक रसूख़ पैदा करके किस तरह उससे अपने ज़ाती मुफ़ाद में काम लेते हैं, हम अभी बिला यक़ीन नहीं कह सकते, लेकिन यह आम तौर पर हमारे सुनने में आया है कि महाराज प्रतापसिंह साहब को भी उन्होंने ऐसा ही दम देके उनकी चिट्ठी हज़ूर वाइसराय तक पहुंचाने की ख़िदमत हासिल की थी। बयान किया जाता है कि पंडित साहब ने महाराजा साहब को यह फ़रेब दिया कि मिस्टर रेवरेण्ड फ़ारेन सेक्रेटरी हिन्द के साथ उनकी गहरी दोस्ती है और वह बहुत जल्द रेज़ीडेण्ट और कौन्सिल दोनों को रियासत से ख़ारिज करके महाराजा साहब को उनके अख़्तियारात पर बहाल करा देवेंगे और क़यास चाहता है कि यह बयान सही हो, वरना समझ में नहीं आता कि पण्डित गोपीनाथ साहब और उनके वालिद पं० मुकन्दराम पहले से अपनी डिप्लोमेटिक क़ाबिलीयत के लिए इस क़दर मुमय्यज़ थे कि किसी क़ाबिलेतर शख़्सों के बैठे इन्हीं को महाराजा साहब इस अहम ख़िदमत के लिए मुन्तख़ब करते। शिमले में जो उनकी इज्ज़त हुई, वह इस वक़्त हमारी बहस के मुतल्लिक़ नहीं है, ताहम इस क़दर बयान कर देना बेजा न होगा कि हज़ूर वाइसराय ने उनको मौक़े बारयाबी अता नहीं फ़र्माया, और यह लोग चिट्ठी मज़कूर साहब प्राइवेट सेक्रेटरी के हवाले करके चले आये और उसका जो जवाब बराहेरास्त महाराजा साहब के पास पहुंच चुका, वह नाज़रीन

मालूम कर चुके हैं। ख़ैर, महाराजा साहब के साथ यह चाल चली गई या नहीं, यह हम अभी ठीक नहीं कह सकते, इसकी निस्वत तहक़ीक़ात दरपेश है और अगर कुछ पता लगा तो हम अपने नाज़रीन को इत्तला देंगे, लेकिन सरेदस्त जो कुछ हम उन्हें दिखलाना चाहते हैं वह सिर्फ़ इस क़दर है कि पं० गोपीनाथ साहब से ऐसी चालबाज़ियों का अमल आना बईद नहीं, मुन्दर्जे बाला ख़त से नाज़रीन ने मालूम किया है कि वह दीवान लछमनदास साहब के साथ यह चाल चले या यह कहना ज़्यादा मौज़ूं होगा कि चलनी चाही थी क्योंकि इसमें अंजामकार इन्हें मायूसी नसीब हुई और क्या अजब है कि इस बीच में और कितने शख़्सों के साथ इसी क़िस्म का हाथ किया गया हो ? पण्डित साहब की इस कार्रवाई से हरचन्द उनका ज़ाती फ़ायदा बहुत कुछ है लेकिन इस अमर से कोई इन्कार न करेगा कि पबलिक मफ़ाद के लिहाज़ से उनकी यह हरकत निहायत ज़रर रसां और इसीलिए सख़्त सर्ज़निश के क़ाबिल है, कमज़कम इस क़ाबिल ज़रूर है कि उनके फ़ैल व हरकात पर हमेशा निगाह रहे और तमाम आला ओ अदना ओहदेदाराने सरकारी यह समझ करके कि उनके मामूली बर्त्ताव, मेहर्बानी व इनायत से इस क़िस्म का फ़ायदा यदा उठाया जाता है, हमेशा ऐसे लोगों की मुलाक़ात और सोहबत से एहतराज़ किया करें।

पंडित साहब के मुन्दर्जे बाला ख़त से सिर्फ़ यही एक अमर साबित नहीं होता, बल्कि कुछ और भी साबित होता है, हम इसके मुताले से यह भी मालूम करते हैं कि पंडित गोपीनाथ साहब अपने फ़ैलों के मुताबिक़त (Consistency) के लिए किसी दर्जे तक मशहूर हैं इसके लिए वह बड़ी शेख़ी मारा करते हैं. ख़सूसन उन्हीं दिनों कोहनूर पर बड़े ज़ोर से यह इल्ज़ाम क़ायम किया है कि वह अपनी राय और हिमायत का पहलू हमेशा तबदील करता रहता है। बिलफ़र्ज़ ऐसा ही हो मगर आपकी निस्वत यह ख़ुद आपकी तहरीर क्या साबित कर रही है, एक दिन था कि आप दीवान लछमनदास साहब के मुख़ालिफ़ बल्कि मुख़ालिफ़ भी सख़्त थे, उनकी मौक़ूफ़ी पर या उसके क़रीब आपने जनाब मौसूफ़ की हिमायत का बीड़ा उठाना चाहा जो दूसरे अल्फ़ाज़ में महाराजा प्रतापसिंह साहब की सख़्त मुख़ालफ़त थी और अब वही महाराजा साहब हैं जिनकी हिमायत व तरफ़दारी में आप अपनी जान जोखों में मुबतिला रहे हैं।

चूंकि दर्म्यान में मौक़ा आ गया था हमने इस क़दर ज़िकर कर दिया, वर्ना हम चाहते हैं कि अख़बार आम की Consistency कभी अलहदा मुशर्रह तौर पर दिखलायें और उसके ज़मन में यह भी दिखलायें कि कहां तक ईमानदारी के साथ पण्डित फ़रायज़ बक़ायनिगारी को अंजाम देते हैं, अपने ख़बर व हिन्दुओं के और नामेनिगारों के एतमाद को कहां तक क़ायम रखते हैं और उन्हें भी कहां तक इनसे पूरे एहतीयात रहना वाजिब है, यक़ीनन जब यह नामेनिगारों के असल

ख़तूत अज़राह ख़ुशामद दिखला देते बल्कि दे देने में ताम्मुल नहीं करते तो अख़बार आम के लिखने वालों की हालत महफ़ूज़ नहीं है, उन्हें एहतीयात के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

मैंने असल ख़त देखा था। लेकिन चूंकि मुक़द्दमे का ख़ातमा दफ़अतन हो गया वह ख़त न पेश किया गया और न शामिल मिसल हुआ। मैंने गोपीनाथ से पूछा था कि आया उसकी ख़तोकिताबत दीवान लछमनदास से थी या नहीं और उसने इक़बाल किया था।

पर्चे २३ जुलाई सन् १८८९ ई० में गोपीनाथ के अर्ज़ी दावे की नक़ल मौजूद है। पर्चे ३० अगस्त सन् १८८९ ई० में दो ख़तूत दर्ज हैं: एक अज़ जानिब महाराजा कश्मीर और एक अज़ जानिब वाइसराय। मैंने उनके असल नहीं देखे थे। अख़बार आम मुवर्रिख़े १९ सितंबर सन् १८५९ ई० में एक मज़मून 'मुक़द्दमा कोहनूर की कहानी' अज़ जानिब पं० गोपीनाथ दर्ज है (दस्तावेज़ डी ९०)।

अख़बार आम १९ सितम्बर सन् १८८९ ई०

मुक़द्दमा तौहीन 'क़ोहनूर' की कहानी

पं० गोपीनाथ (लाहौर) लिखते हैं कि इस मुक़द्दमे की कहानी जिसका फ़ैसला ३ माह सितंबर को हुआ, और जिसमें आख़िरकार कोहनूर ने माफ़ी मांगी, कई ख़यालों से बड़ी दिलचस्प है और इसका बयान अगर किसी क़दर तुलानी हो जावे तो भी उम्मेद है कि नाज़रीन और गवर्नमेण्ट उसे ख़याल से मुताला फ़र्मावेंगे। इस अमर के दुबारा मुफ़स्सिल बयान करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने जो कोहनूर पर नालिश की थी फ़क़त दो अमूर पर मबनी थी, एक उसने यह लिखा था कि मैं चन्द्रनगर इलाक़े दौलत फ्रान्स में मामलात कश्मीर के मुतल्लिक़ गया, और दूसरा मैं महाराजा साहब कश्मीर के ज़ेवरात फ़रोख़्त कर रहा हूं, क्योंकि नक़द रुपया अभी महाराज के पास मेरी भेंट के लिए मौजूद नहीं है, अलावा अर्ज़ी जो कुछ वाहियात, ख़ुराफ़ात, बकवास अख़बार कोहनूर ने मेरी निस्बत की थी, उसको मैंने इस ख़याल से बिलकुल नज़रअन्दाज़ कर दिया था कि मुश्ते नमूने अज़ ख़रवारे इन दो ही मामलात की तहक़ीक़ात में बाक़ी सब अमर दर्म्यान में आ जावेंगे, यह दोनों इल्ज़ाम जो कोहनूर ने शाया किये थे, ऐसे सरासर ग़लत, बेहूदा और शर्मनाक थे कि जिनकी निस्बत यही कहा जा सकता है कि मन भर झूठ में एक रत्ती भर भी सच न था, और इसी वास्ते मैं बज़रिये अदालत इन्साफ़ के लिए चाराजोई पर आमादा हुआ, कि देखूं क्या सबूत इन सरासर लग़्व और शर्मनाक

इल्ज़ामात का साहब कोहनूर अपने पास रखते हैं, और किस तरह इन सरीह झूठ बातों को साबित कर सकेंगे, मुझे इस बात के तजुर्बे करने का इश्तियाक़ था कि देखूं क्या दुनिया ऐसी बेईमान और बदज़ात हो गई है कि किसी छल-कपट से एक बिलकुल सरीह झूठ को अदालत में साबित कर दिखावे ?·········एक और इत्तहाम जो मुझ पर कोहनूर ने आयद किया था यह था कि मुबलिग़ पन्द्रह हज़ार रुपया महाराजा साहब से हासिल किया है, इस फ़िक़रे को बिनाये इस्तग़ासा में दर्ज न करने से कई लोगों का यह ख़याल हो गया था कि मुल्ज़िमान का लिखना सही होगा और कई अख़बारात मस्लन् 'रफ़ीक़ हिन्द', 'पंजाबी अख़बार' और लग़्व बकवासी अख़बार, आज़ाद (लखनऊ) ने साफ़ तौर पर लिखा कि इस इल्ज़ाम के रूबरू क्यों ख़ामोशी हासिल की गई, जिससे मतलब यह था कि यह सच है, मैं इस वक़्त मौक़ा पाकर यह बयान ऐलानिया करता हूं कि कोहनूर का यह लिखना भी शर्मनाक झूठ था और शायद इसी क़िस्म की मनघड़ंत अफ़वाहों का असर था कि कोहनूर साहब हसद के मारे जलते थे, कि ओहो, एक कोहनूर रियासत जम्मू व कश्मीर के हज़ारों रुपए की रक़में उड़ावे और दूसरा आदमी भी ऐसी दस्तरस रक्खे। मैंने जान-बूझ कर इस फ़िक़रे को बिनाये इस्तग़ासा में दाखिल न किया, क्योंकि मैंने यह मुनासिब समझा कि जब कोहनूर साहब इसके मामले में मुझ पर सवाल करेंगे तो मैं उसका मुनासिब जवाब दूंगा। चूंकि जिस तौर पर मैं चाहता था उस तौर पर यह सवाल बहस में नहीं आया और न ख़ुद कोहनूर साहब ने उस पर ज़ोर दिया कि जिससे कि उसका मुनासिब जवाब देता, लिहाज़ा अब मैं उसका जवाब देता हूं, कोहनूर साहब भी दुबारा सुन लें और दीगर अख़बारात भी याद रक्खें·········मेरे पास इस अमर का सबूत मौजूद है और ज़रूरत होती तो पेश करता कि मुन्शी हरसुखराय ने बाद इस नालिश दायर हो जाने के, कई ऐसे लोगों को जिनके साथ हमारा लेन-देन है, इस अमर की तरग़ीब दी कि वह किसी तरह पर यह साबित कर देवें कि मेरी मार्फ़त श्री महाराजा साहब के ज़ेवरात का सौदा हुआ है, क्योंकि यह बात ही बिल्कुल झूठ थी और इसकी असलियत रत्ती भर न थी, मुझे इससे भी मुतलक़ कोई तशवीश नहीं हुई बल्कि मैं दिल में ख़ुश था कि देखूं कौन से झूठे गवाह कोहनूर जी इस मामले में पेश करेंगे ताकि उन बेईमानों का (अगर कोई होते तो) मुंह देख रखता और हल्फ़ दरोग़ी में उन्हें गर्दानता, मगर शुक्र है कि मामला उतनी दूर तक न गया, ख़याल फ़रमाइए कि एक मोअज़्ज़िज़ अख़बारनवीस के लिये यह कितनी बड़ी शर्म की बात है कि वह इस क़िसम की कोशिश एक झूठ बात को साबित करने के लिए करे।

मुक़द्दमा शुरू होने से पहले मैं सुनता था कि मुल्ज़िमान ने हेगिन साहब को वकील किया है, फ़लाने बैरिस्टर साहब इनका मुक़द्दमा चलायेंगे, ढिमके कायस्थ

वकील साहब मुफ़्त पैरवी करेंगे, मगर ईमान की बात है कि मुझे इससे किसी क़िसम की भी तशवीश न हुई, क्योंकि मैं बख़ूबी समझता था कि जब असल इल्ज़ामात ही बिल्कुल झूठ और लग़्व हैं तो बैरिस्टर साहब या अंग्रेज़ी वकील साहब आकर क्या कर लेंगे और किस तरह ग़ैरों की आंखों में मट्टी डाल कर झूठ को सच बना देंगे, आख़िर वह मदारी और बाज़ीगर तो हैं नहीं और अदालत भी कोई तमाशागाह नहीं है कि वह नज़रबन्दी का मंत्र चलाकर सांप की रस्सी और रस्सी का सांप बना देंगे, अगर्चे मैं भी समझता हूं कि अगर कोई लायक़ वकील मेरी तरफ़ से भी होता तो अच्छा था, लेकिन चूंकि ला० मदनगोपाल, बा० प्रतुल-चन्द्र, बा० कालीप्रसन्न, बा० जोगीन्द्रचन्द्र वग़ैरा विकला जिनको मैं लायक़ और हमदर्द समझता हूं बवजह चले जाने लाहौर से यह मुक़द्दमा न ले सकते थे, मैंने किसी और वकील को इसे सुपुर्द करना चाहा और वकील की अदम मौजूदगी में मुक़द्दमा चलने से कोई घबड़ाहट भी मुझे न थी·········३ सितम्बर को ऐन साढ़े ग्यारह बजे रायमूलराज साहब एम० ए० (पंजाब के यक्ता प्रेमचन्द राय-चन्द स्कालर) मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के सामने मुक़द्दमा पेश हुआ, अदालत के कमरे में मामूल से बहुत ज़्यादा बेंचें, कुर्सियां और टेबिल वग़ैरा रक्खी थीं, फ़रीक़ैन को आवाज़ मिलने पर जब मैं अन्दर गया, तो इस क़दर हजूम लायक़ आदमियों, रिपोर्टरों और मुख़्तलिफ़ वकीलों का वहां पाया कि कमरा बिल्कुल पुर हो गया, बल्कि दर्वाज़े तक रुक गये, मुझे इस पब्लिक मजमूए को देखकर बड़ी ख़ुशी हुई और एक क़िस्म की हिम्मत हुई कि अदालत के अलावा यह मोअ़ज़्ज़िज़ मज्मूआ भी दिल में मेरा इन्साफ़ करने को मौजूद है। अदालत की दाहिनी तरफ़ मैं खड़ा हुआ, बाईं तरफ़ क्या देखता हूं कि ला० लछमीनारायन साहब बैरिस्टर (जो पहली पेशी में वकील मुल्ज़िमान थे और जिनकी छेड़ से बहुत-सी नोक-झोंक पहली मर्त्तबा हो चुकी थी) के अलावा एक ओर मोटे-ताज़े साहब (अंगरेज़ साहब तो न मालूम होते थे क्योंकि रंग काला था, लेकिन वजह यूरेशियन या देसी किरन्टों की सी थी) उनकी दाहनी तरफ़ आ बैठे और वही मुक़द्दमा चलाने में मुल्ज़िमान की तरफ़ से अगुवा हुए। मैंने इन साहब को पहले न देखा था और नहीं जानता था कि कौन हैं, अख़बार सिविल मिलिटरी गज़ट के रिपोर्टर सब से नज़दीक मेरे पास बैठे थे, उनसे दर्याफ़्त करने पर मालूम हुआ कि आप साहब रोशनलाल बैरिस्टर हैं, बाईं तरफ़ मेरे सामने अव्वल यह रोशनलाल बैरिस्टर थे, दोयम लाला लछमीनारायन साहब बैरिस्टर थे, एक नशुद दो शुद एक बैरिस्टर के बदले दो बैरिस्टर कोहनूर साहब चढ़ा लाये·········ला० रोशनलाल साहब उठे और सवालात जिरह करने शुरू किये, जिनमें लछमी-नारायन साहब बड़ी मदद दे रहे थे। इस मौक़े पर मैं यह ज़रूर कहूंगा कि असली इन्साफ़ की कार्रवाई में यह बैरिस्टर लोग अदालत का बहुत-सा वक़्त ज़ाया करते

हैं, मुल्ज़िमान के बैरिस्टरान ने जिस क़दर सवालात मुझ पर किये ऐसे लग़्व बेहूदा बेमानी यानी ख़ारिज अज़ बहस थे कि जिनका बिनाये मुक़द्दमे के साथ मुतलक़ कोई ताल्लुक़ न था। यह भी अफ़सोस की बात है कि इन बैरिस्टरान की मौजूदगी में अदालत भी एक क़िस्म की बेबस हो जाती है। और ऐसे लग़्व सवालात से उनको बाज़ नहीं रख सकती, मैं यही खयाल करके इन लग़्व बिल्कुल खारिज अज़ बहस सवालात का जवाब देता गया कि अदालत ख़ुद इन्साफ़ की चौकी पर है, इनको रोक देगी और असल बिना ये मुक़द्दमे पर ही सवालात महदूद रखने का हुक्म देगी, लेकिन जब मुझको बाद काफ़ी दिक़ होने के यह मालूम हुआ कि अदालत यह न करेगी और मुझे एतराज़ करना चाहिये, तब मैंने दूसरा रवैया अख़्तियार करके इन बेहूदा सवालात की बारिश को बंद किया और यही एतराज़ किया कि बिनाये मुक़द्दमा के साथ इनको क्या ताल्लुक़ है? मैं अव्वल से लेकर हरेक सवाल पर यही एतराज़ करता और किसी का जवाब न देता, लेकिन मैं डर गया कि कहीं ऐसा करना अदालत में गुस्ताख़ी न समझा जावे (कहीं मुफ़्त में तौहीन अदालत की दफ़्अ् न जम जावे) और दोयम् यह ख़याल था कि यह फ़र्ज़ इन्साफ़ अदालत का है कि लग़्व और खारिज अज़ बहस सवालात से उनको रोकेगी। यह क़ानूनदानी के पुतले बैरिस्टर इस वक़्त बतावें कि क्या तुम्हारे सवालात मुझ पर बिल्कुल बेहूदा न थे? क्या उनसे साफ़ यह साबित न होता था कि जिसका मुक़द्दमा तुमने लिया, उसके पास मुतलक़ कोई सबूत असली बयान की ताईद में न था जो इस तरह अंधेरे में हाथ मारने की नौबत आई। जब मैंने साफ़ समझा दिया था कि यह इस्तग़ासा मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दायर किया है क्योंकि मुल्ज़िमान ने मेरा नाम लिख कर मेरी ज़ाती तौहीन की है, एडीटरी अख़बार आम के साथ इस मुक़द्दमे का कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर आप ही बताइये कि क्या आपके सवालात क़रीब-क़रीब सारे के सारे लग़्व महज़ न थे? अख़बार आम पर कितनी दफ़ै नालिश हुई, मित्रविलास पर कब नालिश हुई, रियासत कश्मीर के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है; आप कै दफ़ै कश्मीर गये? जम्मू में कब गये? (मज़ा यह कि हज़रत को जम्मू और कश्मीर में फ़र्क़ भी मालूम न था जो मेरे समझाने से आपने समझा) महाराज से कब मिले थे? दीवान लछमनदास से ख़तो-किताबत है? कौन्सिल के क़ायम होने के बाद आप कभी जम्मू कश्मीर गये? (फिर वही ग़लती, जम्मू और कश्मीर का फ़र्क़ न जानने की हुई) कमाण्डर-इन-चीफ़ जब कश्मीर गये थे तब आप गये थे? आप क्यों जम्मू या कश्मीर गये थे? क्या आपने महाराज से कोई ख़िदमत करने का वायदा किया? क्या आप महा-राजा साहब कश्मीर की चिट्ठी वाइसराय के पास लेकर गये थे? आप थियो-सॉफ़िकल सोसायटी के प्रेज़िडेण्ट हैं? इन सवालात से और ऐसे-ऐसे दीगर बेहूदा सवालात से आपका क्या मतलब था?······अखबार आम पर तो नालिश

हुई या कभी जुर्माना हुआ, मगर मुन्शी हरसुखराय क्या एक निहायत शर्मनाक ज़ाती मुक़द्दमे में दो-तीन साल क़ैद नहीं रह चुके? इस मुक़द्दमे के दौरान में मुल्ज़िमान के बैरिस्टरान ने अखबार आम के चंद बहुत पुराने नम्बर सन् १८८३ ई० वग़ैरा के पेश किये, एक में बख्शी रामलुभाया साहब की निस्बत खतो किताबत में तहरीर था कि इनके पास महाराजा साहब के दस्तख़ती (जो अब मालूम हुआ है कि बिलकुल जाली) चन्द निहायत संगीन काग़ज़ात हैं, एक वह नम्बर अखबार आम का पेश किया गया जिसमें मेरा सफ़रनामा दर्ज था और पाण्डूचेरी के हालात में सर्दार गुरुबचनसिंह साहब और उनके बिरादरान का अमीरी ठाठ से रहने का तज़किरा था, दबी ज़ुबान में यह भी कहा गया कि अगर मेरी कोई ख़ास ग़रज़ न थी तो क्यों इस तरह तारीफ़ के सर्दार साहब के 'मोअत्तर तौलीया' का ज़िकर किया गया है, अजीब अहमक़ाना ख़याल था। अजी बैरिस्टर साहब, मैं तो शौक़िया सफ़र दूर-दराज़ करने गया था, कुछ यह भी आपके मुवक्किल नम्बर १ की तरह खिलअत और नक़दी और रोज़ियाना हासिल करने के लिये जम्मू न जाना था, कि जिसके ज़रिये से रुपया मिला उसी की तारीफ़ छापते गये········ मैं कोई बैरिस्टरी करने या मुक़द्दमा लेने न गया था कि सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करूं। क्या इसको आप ईमानदारी में दाख़िल समझते हैं, कि अगर किसी के घर में अमीराना ठाठ देखने में आवे तो उसे उल्टा ज़ाहिर करे, अगर आपकी मेरी दुश्मनी हो और आप चार हेलर घोड़ों की बड़ी फ़िटन पर सवार होकर निकलें तो क्या यह शराफ़त में दाखिल होगा कि मैं दुश्मनी से भुन कर यही ज़ाहिर करूं कि घोड़ों के बदले गधे की सवारी थी, खसूसन उस मौक़े पर जबकि मुझे भी आप अपने हमराह सवार करा लें। सर्दार गुरुबचनसिंह साहब और उनके बिरादरान ने अपने अमीराना ठाट से मेरी दावत ख़ूब उम्दा की जो मैं कभी भूलूंगा नहीं, खसूसन अब कैसे भूल सकता हूं जबकि हासिदा और मुख़ालिफ़ों ने उसके उगलवाने के लिये इतना ज़ोर दिया। मुश्किल तो यह है कि अब क़ै करके भी वह दावत मेदे में से निकाल कर हासिदों के पेश नहीं कर सकता कि उनकी तसल्ली हो जाती क्योंकि इसको डेढ़ साल से ज़्यादा हो चुका है और उसका फ़ुज़ला भी अगर पाण्डूचेरी के समुद्र में नहीं तो मद्रास के समुद्र में तो ज़रूर हल हो गया होगा। बिलफ़र्ज़ सर्दार साहबान पाण्डूचेरी मेरे दुश्मन ही थे और मैं दुश्मन ही के घर गया, ताहम यह कैसे लाज़िम आवेगा कि उनको फ़क़ीर से तशबीह दूं और ख़सूसन जबकि मैं एक अखबार आम की रिपोर्टरी कर रहा हूं अगर ला० रोशनलाल या लछमीनारायन एक अख़बार आम वाला अपना रिपोर्टर मुक़र्रर करके मुमालिक ग़ैर में भेजें (बहुत से बैरिस्टर भी अख़बारनवीसों के नौकर हुआ करते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो एक बैरिस्टर साहब वाटरबरी वाच-कम्पनी के नौकर थे, कि उनकी जेब-घड़ियों की फ़रोख़्त यहां फैलावें) तो क्या

वह जो कुछ देखेंगे उसे सही तौर पर वैसा न लिखेंगे·······जिस वक़्त यह सवालात जिरह मुझ पर लाला रोशनलाल बैरिस्टर करते थे, दूसरे बैरिस्टर लछमीनारायन साहब घूर-घूर कर मुझे साथ ही साथ डराने की कोशिश करते थे और एक पर्चा हाथ में हिलाते-हिलाते कहते थे कि 'देखो, अभी तुम्हारी चालबाज़ी साबित की जाती है' मैं दो-एक दफ़ै तो इस हरकत को देखकर चुप रहा लेकिन मुझसे फिर रहा न गया और मैंने उनको जवाब दिया कि—'आप मुझे चालबाज़ होने का उलाहना देते हैं, क्या आपसे ज़्यादा चालबाज़ कोई और हो सकता है ? विलायत में जब से जुबली पर आप ख़ुद ब ख़ुद वकील अज़ जानिब अहले हिन्द बन बैठे थे और कोहनूर अख़बार में बड़ा नक़शा छापा था कि यह मलका मोअज़्ज़मा के पास लाला साहब बैठे हैं ! बताइये तो, आपको किस मौक़े पर अहले हिन्द ने अपना वकील मुन्तख़ब करके विलायत भेजा था ? अख़बार ट्रिब्यून लाहौर में जो हाशिया आपकी इस हरकत पर चढ़ा था, वह भी मुझे मालूम है, और वह जलसा भी याद है जबकि एडीटर अख़बार ट्रिब्यून को 'सेंसर' करने की बड़ी कोशिश आपके दोस्तों ने की थी, जो फ़िज़ूल साबित हुई, आपने इस हरकत से सफ़ाई आज तक क्या हासिल की है ? ·······लेकिन यह वकीलों और बैरिस्टरों की चालाकियां या चालबाज़ियां या 'अय रोशनीये तबाअ़तू बरमन बला शुदी' होती है ? कि जिसकी तरफ़ से वह मुक़द्दमा लेते हैं अगर झूठ भी हो और अच्छी तरह से जानते हों कि झूठ हैं, ताहम वह असली बात को छोड़ इधर-उधर पत्थर मारते हैं। तर्फ़सानो को अपने रोब से डराने या घबराने की कोशिश करते हैं। ग़रीब मुक़द्दमे वालों या उनके दहक़ान गवाहों को बातों ही बातों के पेचों में ले आते और धड़का देते हैं और बाज़ मौक़ों पर अदालत को भी धोखा देने में कामयाब होकर इन्साफ़ का ख़ून करा देते हैं; यह फ़िक़रा मैं मुक़द्दमा मौजूदा में मुल्ज़िमान के विकला की निस्बत नहीं कहा और न इस अदालत के मुतल्लिक़ कहता हूं·······हालांकि इन बैरिस्टरान को बख़ूबी इल्म था कि दोनों-तीनों बातें कोहनूर में मेरे खिलाफ़ बिल्कुल ग़लत लिखी गई हैं, ताहम वह इस मुक़द्दमे में ख़ारिज अज़ बहस सवालात कई घंटों तक करते गये, जिससे मेरी राय में मुमकिन है कि औरों की राय न हो या हो) फ़क़त उनकी नियत यह मालूम होती थी कि असली बिनाये मुक़द्दमा को बातों में उड़ा दें और अख़बारात व काग़ज़ात के बड़े अम्बार शामिल मिसल कराकर अदालत का और मेरा बेशक़ीमती वक़्त ज़ाया करें (मैं यह लिखने लगा था कि यह बैरिस्टर साहब अदालत का, मेरा और अपना बेशक़ीमती वक़्त ज़ाया करें मगर मैंने लफ़्ज़ 'अपना' छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों का वक़्त तो इसी काम के लिये है अगर वह वक़्त बेशक़ीमत भी हो तो यही बेशक़ीमत काम वह इसमें करते हैं) और मुक़द्दमे को बहुत तूल देकर असली बिनाये इल्ज़ाम को बातों में ख़ाली उड़ाकर ख़ारिज अज़ बहस बातों पर अपनी

तक़रीरों के लच्छे बाद में छोड़ें और अदालत को धोखा देने की कोशिश करें कि असली बिनाये इस्तग़ासा का उससे ख़याल ही न रहे········मगर मुझे दो ही बातों में नमूना दिखाना मतलूब था कि अगर कोहनूर का मोअज़्ज़िज़ नामेनिगार मामलात कश्मीर के मुतल्लिक़ ऐसी शर्मनाक बकवास लिखने और सरीह झक मारने से नहीं शर्माता और अख़बार कोहनूर ऐसे पाजी और झूठे नामेनिगारों को मोअज़्ज़िज़ समझता है, तो इस अखबार के बाक़ी नामेनिगारों की हक़ीक़त और अखबार कोहनूर की वक़अत ख़ुद ज़ाहिर हो जावेगी।

मुल्ज़िमान के बैरिस्टर ने एक वक़्त अदालत में यह भी कहा कि जिन दो बातों पर नालिश है उससे कोई तौहीन नहीं, चन्दरनगर जाना कोई जुर्म नहीं। इससे बल्कि साबित होता है कि पंडित साहब बड़े सय्याह हैं और ज़ेवरात फ़रोख़्त करना भी हतक नहीं बल्कि पंडित साहब का एतबार इससे बढ़कर है कि ऐसे मोअज़्ज़िज़ सौदे पण्डित साहब के हाथों होते हैं। अब बैरिस्टर साहब अपने कौन्शन्स (अन्तःकरण) से पूछिये के क्या यही मुराद इन फ़िक़रात से निकलती है, जिनको डिफ़ेण्ड करने आप खड़े हुए थे। चन्दरनगर तो मैं गया ही नहीं, हां मद्रास गया, कलकत्ता गया, बम्बई गया, सीलोन गया, जयपुर, अजमेर, अलवर, आगरा, हैदराबाद, पूना, बनारस, गाज़ीपुर, पामपन, नासिक, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद वग़ैरा-वग़ैरा मुक़ामात में गया। अगर मुझे बड़े सय्याह साबित करने की नीयत थी तो किसी और मुक़ाम का नाम क्यों न लिख दिया कि जहां मैं गया था? अगर किसी सौदागर की तुम इज़्ज़त बढ़ाना चाहो, तो क्या ज़रूरी है कि झूठ बात लिखकर इज़्ज़त बढ़ाना चाहो? सौदागर ने आपको अपना एजेन्ट नहीं मुक़र्रर किया है कि झूठ बोलकर इज़्ज़त बढ़ाने का काम तुम लो? मैं एक दूसरा फ़िक़रा बनाकर दिखाता हूं जो क़रीब-क़रीब इसी क़िस्म का लाइबिल है, मस्लन् कोई लिखे कि "लाला रोशनलाल साहब बैरिस्टर के ख़यालात बहुत तरक्क़ी करते जाते हैं, अब तो तरक़्क़ी और चालबाज़ी में माशाअल्ला वह पूरे अंगरेज़ ही हो चले हैं, अपनी लड़की को भी वह हमराह विलायत ले गये थे और ख़ूब तालीम देकर उसे भी लायक़ किया। उनके वालिद साहब उनकी लियाक़त से ऐसे ख़ुश हैं कि साहबज़ादा की तारीफ़ में फ़र्माया करते हैं कि यह तो मेरे लिए करेन्सी नोट है—एक मशख़रे ने उनकी तालीमयाफ़्ता लड़की की तरफ़ इशारा करके कहा कि माशाअल्ला, साहबज़ादे करेन्सी नोट हैं और उनकी साहबज़ादी भी चश्म-बद्दूर बिल औफ़ एक्सचेंज हैं, अब लाला साहब को इस बात की फ़िकर लगी कि लायक़ लड़की के वास्ते वह एक लायक़ ही ख़ाविन्द तलाश करें।

"नाज़रीन को ग़ालिबन् मालूम होगा कि वह पिछले दिनों न्यूयार्क में जो कि दौलत अमेरिका का इलाका है इस ग़रज़ से गये थे और मैंने सुना है कि वहां के प्रेज़ीडेण्ट साहब को उन्होंने अपनी दामादी में लिया है और परसों-तरसों ही

वहां से वापिस आये हैं फ़र्ज़ कीजिए कि एक नामेनिगार यह तहरीर लिखकर एक एडीटर के पास भेजे और वह उसे छाप दें। बग़ैर ज़रा-सी तहक़ीक़ात इस अमर के, कि वाक़यात दुरुस्त हैं या नहीं, क्या यह लाइबिल है या नहीं। लाला साहब इसे लाइबिल ख़याल करेंगे या नहीं ?………इस मौक़े पर अदालत ने फ़र्माया कि जब दोनों मुल्ज़िम इक़बाल करते हैं कि जो वाक़यात लिखे गये उनसे मुस्तग़ीस को ईज़ा पहुंचाने की बिल्कुल नियत न थी और वह वाक़यात भी बिल्कुल ग़लत हैं। अलावा अज़ीं फ़रीक़ैन में कोई अदावत बाहमी भी ऐसी नहीं है। दोनों अख़बार वाले हैं, आपस में सुलह हो जानी चाहिए, अदालत ने फ़रीक़ैन पर सुलह का ज़ोर दिया जिसका शुक्रिया वाजिब है, लाला रोशनलाल साहब का भी तेज़ और ग़ुस्से वाला चेहरा मेरी तरफ़ तबस्सुम और ख़ुशख़ल्क़ी के तर्ज़ पर बदल गया। उन्होंने यह कहा कि आपने बड़ा ज़ुल्म हम पर किया है। आपने कोहनूर को भी नोटिस नालिश का न दिया, अगर आप लिख भेजते या नोटिस देते, तो मैं कभी यक़ीन नहीं करता कि मुन्शी हरसुखराय साहब कभी तरदीद छापने को उज्र करते। वाह-वाह, क्या मोअज़्ज़िज़ वक़ायानिगारी है, शायद इसी ख़याल से महाराजा साहब कश्मीर पर सरासर बे बुनियाद और ग़लतमहज़ इल्ज़ामात् दबादब कोहनूर में शाया किए जाते हैं कि न वो नालिश करेंगे और न वह तरदीद लिखने की हिदायत फ़र्मावेंगे। चलो हाल जो चाहो लिखते जाओ और सफ़े जात काले किये जाओ………" मैंने फ़क़त यह फ़िक़रा इसमें देख कर कि 'तहक़ीक़ात मज़ीद से मालूम हुआ, न पण्डित साहब चन्दरनगर गये और न जवाहरात महाराज की फ़रोख़्त के साथ उनका ताल्लुक़ है वग़ैरा' इसको काफ़ी इक़रारे माफ़ी समझ लिया, और मैंने उस पर बिल्कुल ज़ोर न दिया कि ज़रूर लफ़्ज़ 'माफ़ी' इसमें दर्ज हो, ऐसा करना किसी क़दर ओछापन मालूम हुआ। ख़सूसन् जबकि ज़बानी 'माफ़ी' कई दफ़ै की गई इस 'माफ़ीनामा' पर पहले मुन्शी हरसुखराय दस्तख़त न करते थे, और बाहर अदालत से चले गये कि उनके बैरिस्टरान ही ख़ुद मुझसे भुगत लेंगे। मैंने अलबत्ता इस बात को बिलकुल नामंज़ूर किया, अगर मुन्शी हरसुखराय माफ़ीनामे पर अपने दस्तख़त न करेंगे तो मुझे मंज़ूर नहीं, मुन्शी साहब अपने बैरिस्टरान के बुलाए फिर अन्दर आये और दस्तख़त कर दिए। जब यह 'माफ़ीनामा' दाख़िल अदालत हुआ तो मेरे इज़हार लिए गए, जो मुझे याद पड़ता है मुन्दर्जे ज़ैल थे, चूंकि मुल्ज़िमान ने उन इल्ज़ामों का [illegible]ल्कुल ग़लत होना मंज़ूर कर लिया है जो उन्होंने अपने अख़बार में शाया किए थे और माफ़ी के ख़्वास्तगार हैं। लिहाज़ा मैं माफ़ी मंज़ूर करता हूं, अदालत ने इस पर मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म दिया, और हम लोग सब अदालत से बाहर आये, कामिल चार-पांच घंटे यह इजलास अदालत इस रोज़ रहा………

अब चूंकि यह मुक़द्दमा इस तरह पर फ़ैसला हो गया है, इससे अलहदा रहकर

मैं बहैसियत एक आम पबलिक मेम्बर के, हिन्दुस्तानी वकीलों और बैरिस्टरों से एक दर्ख्वास्त करता हूं और वह यह है कि— अय साहबो, आपका पेशा इन्साफ़ में मदद लेने के लिए है न कि उसमें रुकावट डालने के लिए, आप बखूबी जानते हैं कि मुल्क में जिस क़दर अदालतें क़ायम हैं उनका ख़र्च मुल्की सरमाये में से लिया जाता है, जितना वक़्त आप अदालत का ज़ाया करेंगे और घंटों के काम पर महीने ख़र्च करा देंगे उतना ही अदालतों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी और उतना ही आप मुल्क हिन्द का सर्माया बरबाद करेंगे और यह गुनाह आपके सर पर होगा, अपने फ़रीक़सानी को इज़हार में दबाना, ज़ोर दिखाना, उल्टे-पुल्टे बेहूदा सवालात करके उसे घबराने की कोशिश करना, दहक़ान गवाहों को या शरीफ़ कमगो (थोड़ा बोलने वाला) मोअज़्ज़िज़ गवाहों को कज बहसी के सवालात से परेशान करना, यह इन्साफ़ में मदद देने वाली बातें नहीं हैं। अदालत आपको अपनी भलमनसी से नहीं रोकती, अगर रोके तो आप उससे भी बहस करने को आमादा हो जाते हैं, अगर आप में से किसी को कह दे कि आप बड़े झगड़ालू हैं, तो आप उससे भी लड़ने से बाज़ न आवें, लेकिन अपने कौन्शन्स की आवाज़ तो सुननी चाहिए, वह तो ज़रूर रोकता होगा, जिस फ़रीक़ का आप मुक़द्दमा लें पहले ईमानदारी से इस बात को सोच लें कि आया, आपका मुवक्किल बिल्कुल झूठा है या किसी क़दर सच्चा भी है, अगर सच्चा हो तो बेशक आप मुक़द्दमा लें, वर्ना उसको नेक सलाह देकर अलहदा कर दें। कई वकील मैंने ऐसे नालायक़ भी देखे हैं कि जिनकी मालूमात का कुल ज़ख़ीरा एक टूटे बक्स में रखखी हुई दो-चार फटी-फटाई उर्दू किताबें होती हैं, उनके दलाल लोग घेर-घिराकर मुक़द्दमे लाते हैं, फ़ीस में माक़ूल हिस्सा होता है, फिर चाहे मुवक्किल झूठा हो या सच्चा, 'मुर्दा दोज़ख जाये या बहिश्त इनको अपने हलवे-मांडे से काम' होता है, कई ग़रीबों पर इस तरह से छुरियां फिर जाती हैं। इस क़िस्म के पेशे वकालत से दस हज़ार दर्जे बेहतर है कि भीख मांग कर पेट पाला जावे, क्योंकि आखिर एक चोर और जेबकतरे की निस्बत एक भिखमंगा ज्यादातर मोअज़्ज़िज़ होता है, इस बात के कहने में मुझे यक़ीन वासिक़ है कि आम राय ज़ाहिर करता हूं कि अगर आज से पेशा वकालत बिलकुल नेस्तोनाबूद कर दिया जाए तो हिन्दुस्तान में जितनी अदालतें आजकल हैं उससे तीसरा हिस्सा रखने पर भी काम बख़ूबी चल जावे और इन्साफ़ भी अच्छा हो मैंने कई दफ़ै देखा है कि अदालत में एक तरफ़ हट्टे-कट्टे सफ़ेदपोश या स्याहपोश फ़ीसदार वकील अपने मुखालिफ़ फ़रीक़ के गवाहों को जो बिचारे जाट होते हैं, बवक़्त इज़हार इस क़दर ज़लील और ख़्वार करते हैं कि जिसके लिए उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए, इस सूरत में अगर वह मुक़द्दमा हार भी जाते हैं तो अपने मुवक्किल को यह कहकर खुश कर लेते हैं कि हमने फ़लां-फ़लां बच्चोद की खबर तो अदालत में ख़ूब ली !! अब

साहबो ! ज़रा इन्साफ़ का ख़याल रक्खो, मुल्की सर्माये का ख़याल रक्खो, मुल्की भाइयों का खयाल रक्खो और सबके बाद 'आलिम नेचर' (ईश्वर) का ख़याल रक्खो कि जिसकी ख़ाक, आब, आतिश, बाद और ईथर से यह जामा आपको मिला है। अगर इन सतरों के पढ़ने के बाद आपमें से एक साहब ने भी यह बुरा तरीका छोड़ दिया, तो मैं समझूंगा कि तहरीर की तमाम मेहनत सफल हो गई। अब चन्द सतरें कहने का मौक़ा मुझे नवाब मेंहदीअली रुक्न हैदराबाद दक्खन की ताज़ा तक़रीर से हासिल हुआ है और मैं निहायत शुक्रगुज़ार उनका हूं अगर कोई मुझसे यह पूछे कि क्या तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुफ़सिद होने का ख़याल रखते हो तो मैं यह जवाब दूंगा कि इस वक़्त तक तो फ़क़त मेरे ख़ून में हरारत है जो मज़मूननवीसी करता हूं लेकिन जब दिमाग़ में हरारत पैदा होकर सिर फिर जायगा तो शायद यह ख़याल भी करने लगूंगा।

(लाहौर १० सितम्बर सन् १८८६ ई०)

बयानसानी

लफ्ज़ ज़ेरमश्क का तर्जुमा एक मर्त्तबे Butt "[also used for a boy cataruite]" किया गया है। और एक मर्त्तबा 'Butt' बग़ैर लग्वी माने किया गया है। भग देवता के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उनके बहुत बुरे माने भी हो सकते हैं। (प्लेट्स डिक्शनरी में हस्बज़ैल माने लिखे हैं Divine Power amorous pleasure valva)

(दस्तखत हाकिम)

यहां सिर्फ़ फ़ोहश माने ही समझे जा सकते हैं। शिवलिंग उस पत्थर की सिल का नाम है जो कि मर्द के आ जाये तनासुल की शकल का मन्दिरों में गड़ा होता है। लिङ्ग के माने फ़ोश और ग़ैर फ़ोश दोनों हो सकते हैं। (देखो प्लेट्स डिक्शनरी, दस्तखत हाकिम) इसके माने निशान के भी हो सकते हैं। लोग लिंग को शिव का निशान समझते हैं और उसकी पूजा होती है (हिन्दू लोग शिव का लिंग समझकर पूजते हैं, परमेश्वर का स्वरूप समझकर नहीं पूजते हैं। हिन्दू लोग कहते हैं शिव लायेज़ाल है, शिव के माने कल्याण करने वाला है। हिन्दुओं की मस्तूरात शिवाले में आम तौर पर जाती हैं और पूजा करती हैं। उन पर फूल वग़ैरा चढ़ाती हैं। वह 'चिढ़े तो चिड़े हमारे अंगूठे से' तर्जुमा ठीक है। अंगूठे के मानी Thumb के हैं, और मर्द के अज़ाय तनासुल के भी हैं (अज़ बयान उर्दू)।

कंजर फला लाहौर के एक मुहल्ले का नाम है। लेकिन कंजर फला समाज कोई नहीं है। फ़ोश मज़मून के मुक़द्दमे में मैं बतौर गवाह के तलब हुआ था। जिस मुन्शी ने मुझे गोपीनाथ की चिट्ठी दिखलाई थी उसने कहा था कि यह उसकी दस्तखती है। लेकिन उस वक़्त मैंने गोपीनाथ के दस्तखत नहीं देखे थे, पस

मैं नहीं कह सकता कि वह उसी की दस्तखती थी। मैंने बहैसियत वकील गोपीनाथ का अर्ज़ी दावा देखा था और जानता हूं कि कोहनूर की कापी सही है। गो, मैंने उसका असल के साथ मुक़ाबला नहीं किया था। मुक़द्दमे का राज़ीनामा हो गया था, मेरे ख़याल में कोई माफ़ी नहीं मांगी गई थी। जहां तक मुझे याद है, महज़ पण्डित के चन्दरनगर जाने और महाराजा साहब के ज़ेवरात से ताल्लुक़ होने की निस्बत कोहनूर में तरदीद छापी गई थी।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(दस्तखत हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नं० ८

बाबा मुथरापुरी—वल्द मानपुरी, ज़ात साधु-संन्यासी, उमर ३३ साल, साकिन चोर कोटली, ज़ि० स्यालकोट।

मैं सनातन धर्म स्कूल में बतौर मुअ़ल्लिम के मुलाज़िम हूं। अर्सा दो माह का हुआ मैंने सद्धर्म-प्रचारक में एक मज़मून पढ़ा था। मैंने उसे आर्यसमाज लाइब्रेरी में देखा था। किसी ने कहा कि गोपीनाथ के बख़िलाफ़ एक मज़मून है। मैंने देखने के लिए मांगा और मैंने मज़मून को पढ़ा और मालूम हुआ कि गोपीनाथ के बख़िलाफ़ है, गावकुशी का ज़िकर था। और एक खत गोपीनाथ से मुतल्लिक़ कहा जाता था। मैंने 'भांडा फूट गया' पढ़ा था। मेरी राय में भले मानुष के लिए वह मज़ामीन कस्रे शान का बाइस हैं। मैं पं० गोपीनाथ को भला मानुष आदमी समझता हूं।

सवालात जिरह महफ़ूज़ किए गए।

(दस्तखत हाकिम)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया। **(दस्तखत हाकिम)**

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नं० ९

रायबहादुर डाक्टर ब्रजलाल घोष—सीनीयर असिस्टेंट सर्जन।

मैं लाहौर में चालीस वर्षों से रहता हूं। मैं पं० गोपीनाथ और उनके वालिद पं० मुकन्दलाल को बख़ूबी जानता हूं। पिछले गुज़िस्ता ज़माने में हम दोस्त थे, वह कश्मीरी पण्डित है। मैं अखबार आम को जानता हूं। जिस एसोसिएशन का यह आर्गन था, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। यह पण्डित (मुराद गोपीनाथ और उसका बाप) ज़ी इज़्ज़त अशख़ास में।

ब जवाब सवालात जिरह

मैंने अख़बार आम को कभी नहीं पढ़ा है। जिस एसोसिएशन ने यह पर्चा जारी किया था, वह जारी होने के दो वर्ष बाद टूट गई थी। और तब से मेरा उस पर्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कि पण्डित मुकन्दलाल की अपनी मिल्कीयत और उसके मरने के बाद उसके बेटों की मिल्कीयत बन गया। मेरा और पं० मुकन्दलाल का दोस्ताना ताल्लुक़ जारी रहा, लेकिन जो ऐसोसिएशन के उस दोस्ती की बुनियाद थी, उसके टूट जाने पर ऐसा गहरा ताल्लुक़ न रहा। मैं गोपीनाथ के घर में कभी नहीं गया। मैं पं० गोपीनाथ की निज की ज़िन्दगी की बाबत कुछ नहीं जानता हूं। मैंने सनातन धर्म गज़ट को कभी नहीं पढ़ा है, मैं पं० गोपीनाथ को ज़ी इज़्ज़त अशख़ास के साथ देखता हूं और ऐसी जगहों में देखता हूं जहां पर कि दूकानदार नहीं जा सकते हैं। मैं पं० गोपीनाथ और मुकन्दलाल को पबलिक जलसों में और ऐसे जलसों में जिनके मीर मजलिस नवाब लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर थे, मिला हूं।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह इस्तग़ासा नं० १०

पंडित हरकिशन—वल्द विद्याधर, ज़ात कश्मीरी पण्डित, उमर ५५ साल, साकिन लाहौर।

मैं पेन्शनर एक्स्ट्रा असिस्टेण्ड कमिश्नर हूं। मुझे पेन्शन पर आए ८ माह हो चुके हैं। मेरी सकूनियत ख़ास लाहौर की है। और मुद्दई से थोड़े फ़ासले पर उसी मुहल्ले में मेरा मकान है जहां मुस्तग़ीस का है और हमक़ौम हैं। कश्मीरियों में पं० गोपीनाथ की ज़ात आला दर्जे की है। गुटूं राज़दान उनको कहते हैं। जहां तक मेरा इल्म है उससे बढ़कर कश्मीर वालों में कोई ज़ात नहीं। मैं मुस्तग़ीस के ख़ानदान से सन् १८६८ ई० से वाक़िफ़ हूं। पं० गोपीनाथ के वालिद पण्डित मुकन्दलाल को जानता हूं, शरीफ़ाना हैसियत के आदमी हैं। सोशल पोज़ीशन भी उनकी बहुत अच्छी है। उनका खान्दान ज़ी इज़्ज़त खानदान है।

ब जवाब सवालात जिरह

मैं सनातन धर्म सभा का मेम्बर नहीं हूं। आर्यसमाज और सनातन धर्म सभा दोनों को अच्छा जानता हूं। कश्मीरी पण्डितों में दो फ़रीक़ हैं। एक विशन-

नारायन बैरिस्टर[1] के नाम पर पड़ा था। बिशन-सभाये फ़िर्क़ा के लोग खाने-पीने से परहेज़ नहीं करते हैं और धर्म-सभाये परहेज़ करते हैं। मैं धर्म सभा में हूं और गोपीनाथ भी उसी सभा में हैं। न मेरा न पं० गोपीनाथ का कोई ओहदा इस सभा में है। पंच इस सभा में मुक़र्रर हैं। और मैं भी एक पंच इस सभा का हूं। पं० गोपीनाथ पंच नहीं हैं। जैसा बिरादरी में एक दूसरे से मिलने का इत्तफ़ाक़ होता है, उसी तरह पं० गोपीनाथ से मेरा ताल्लुक़ है। कोई ख़ास तौर से ख़ास ताल्लुक़ उनसे नहीं है। वर्ष में एक-दो मर्त्तबे बिरादराना सलूक के तौर पर एक दूसरे के यहां आना-जाना होता है। अख़बार आम मैं नहीं पढ़ा करता। सनातन धर्म गज़ट मेरे पास आता है। शायद दो-चार-दस महीने कभी यह अखबार खोला हो और एक दो सतरें पढ़ी हों। (बतौर एडीटर अख़बार सनातन धर्म गज़ट) मैं पं० गोपीनाथ की निस्बत कोई राय नहीं दे सकता। मैं उर्दू ज़बान से बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ हूं। गोमती का पानी पीने से मेरे ख़याल में यह मुराद है कि जिस शख़्स ने गोमती का पानी पिया, उसे बदफ़ैली कराने की आदत है।

गवाह ने सुन कर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

यह गवाह फिर जिरह के लिए बुलाया जा सकता है।

(द० हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० ११

अमीर शाह खान बहादुर—सीनियर असिस्टेंट सर्जन, लाहौर वेटर्नरी कालिज।

मैं खान बहादुर हूं। मैं ३२ वर्षों से लाहौर में हूं और पंजाब वेटर्नरी कालिज में असिस्टेंट औफ़ीसर हूं। मैं पं० गोपीनाथ को नौजवानी के ज़माने से जानता हूं और उसके बाप को भी जानता था। उससे अक्सर मिलने-जुलने का इत्तफ़ाक मजालिस वग़ैरा में होता है। एक-दूसरे के घर आमदरफ़्त नहीं है, मैं उसको एक अच्छा आदमी और शरीफ़ अच्छे पोज़ीशन का समझता हूं।

ब जवाब सवालात जिरह

गोपीनाथ दो-चार मर्त्तबा मेरे मकान पर आया था। शायद दोस्ताना मुलाक़ात के लिए आया होगा। मैं गोपीनाथ के मकान पर इलाज के लिए गया

---

१. बैरिस्टर विशननारायण पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।

हूंगा। मैंने उसे आम जलसों में देखा है और शादियों में भी उससे मिला हूं। मैं गोपीनाथ को ज़ी इज़्ज़त आदमी समझता हूं। मुझे मालूम नहीं था कि पण्डित पर जुर्माना हुआ है। मैं उसकी ज़ाती प्राइवेट ज़िन्दगी की निस्बत कुछ नहीं जानता हूं।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १२

भगवानदास—ब्राह्मण, लोकल फण्ड क्लर्क, लाहौर।

'भांडा फूट गया' वाला मज़मून मैंने ज़रूर पहले देखा हुआ है। मैं बच्छोवाली बाज़ार से गुज़र रहा था। लड़के यह कह करके कि 'भांडा फूट गया' है शोर कर रहे थे। मैंने उनसे दर्याफ़्त किया, तो मालूम हुआ कि एक चिट्ठी छपी है पं० भीमसेन और गोपीनाथ की निस्बत। उन्होंने यह मामला ज़ाहिर किया और मुझको अखबार दिखलाया। मैंने मज़मून पढ़ा और उससे समझा कि गोपीनाथ और भीमसेन के बर्ख़िलाफ़, यह मज़मून लिखा है। मैंने पण्डित गोपीनाथ को ख़ुद भी कहा था कि उस अखबार में तुम्हारी निस्बत एक ऐसा मज़मून हतकआमेज़ छपा है और चिट्ठी भी शाया की गई है। मैंने ख़ुद यह समझा था कि पं० गोपीनाथ को बदनाम करने की ग़रज़ से यह मज़मून लिखा गया है। मैं पं० गोपीनाथ को जानता हूं, उसको एक रईस समझता हूं। पं० गोपीनाथ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था।

ब जवाब सवालात जिरह

मैं सनातन धर्म सभा का मेम्बर हूं।
गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १३

मेहरसिंह चावला—वाइन मर्चेण्ट (सौदागार शराब) व म्यूनिसिपल कमिश्नर, लाहौर।

मैं पं० गोपीनाथ को बहुत सालों से जानता हूं। उसके वालिद को भी जानता

था। मैं पं० गोपीनाथ को शरीफ़, मोअ़ज़्ज़िज़, नेकचलन आदमी समझता हूं। पबलिक जलसों में अक्सर उसने मिलने का इत्तफ़ाक़ होता है। मैं उसको मोअ़ज़्ज़िज़ समझता हूं। यह सोसाइटी में लीडिंग पार्ट लेते हैं।

व जवाब सवालात जिरह

मुस्तग़ीस को अपनी लियाक़त के बाइस लेक्चरों का मौक़ा दिया जाता है। फ़ेमिन (क़हत) कमेटी में मैंने उनको सेक्रेटरी देखा है। पहली कमेटी में यह सेक्रेटरी थे। हाल की कमेटी में मालूम नहीं, थे या नहीं। दौलत और अच्छे ख़ान्दानी और नेकचलन होने के बाइस मैं उनको अच्छा समझता हूं। रोज़मर्रा मुझे मुस्तग़ीस के साथ बैठने-उठने का इत्तफ़ाक़ नहीं होता। मुस्तग़ीस के चलन के बर्ख़िलाफ़ मुझे कोई बात मालूम नहीं है। अगर कुछ होती, तो मुझे मालूम हो जाती। वह एडीटर और प्रोप्राइटर अख़बार आम का है **(अज़ बयान अंगरेज़ी)**। मैं सनातन धर्म गज़ट की बाबत कुछ नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि गोपीनाथ को अदालत में कुछ सज़ा हुई थी। लेकिन बाहर चले जाने के बाइस ठीक मालम नहीं कि अपील में उसका नतीजा क्या हुआ। ला० मुन्शीराम ने तहरीक की थी कि रहतिये आर्यसमाज में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने चंद रहतियों को शामिल भी किया था। वह [रहतिये] पहले सिक्ख थे। और उन रहतियों के केश उन्होंने [ला० मुन्शीराम ने] कटवा दिए थे। सिक्खों की तरफ़ से एक जलसा इस मौक़े पर प्रोटेस्ट (रोक) करने के वास्ते Arrange हुआ था। मैं भी उस जलसे में शामिल था। मैंने अपनी गिरह से कोई नौकर नहीं रक्खा था, कि जालन्धर मैं जाकर ऐसी कार्रवाई के रोकने के रोकने के लिए वाज़ करें। मैंने उन सोसाइटी में चन्दा दिया था। हमारी सोसाइटी ने एक-दो आदमी को सिक्खों में शामिल कर लिया था। यह मीटिंग चन्द आदमियों ने ख़ास तौर पर की थी।

रहतिये से मैंने भी कड़ाह (हलवा) खाया था

मैंने उस मीटिंग में एक रेज़ोल्यूशन ज़रूर पेश किया था। जहां तक मुझे याद है उसका मुद्दआ़ यह था कि रहतियों को समझाया जावे कि आर्यसमाजियों में शामिल न हो।

बर सवालात एडवोकेट, इस्तग़ासा—रहतिये चमार ज़ात के कमीने मज़हबी सिक्ख होते हैं फिर कहा कि ज़ात के जुलाहे सिक्ख होते हैं। मज़हबी रहतिये और रामदासिये सिक्खों में एक ही दर्जे पर माने जाते हैं और उनके साथ खाना-पीना नहीं होता। मैं अरोड़ा सिक्ख हूं। मैं इसी बाइस उनमें शामिल हुआ था कि रहतिये सिक्खों की तरग़ीब दी गई थी कि अगर वह आर्यों में शामिल हो

जावें तो हायर क्लास (ऊंचे दर्जे) में शामिल किये जावेंगे। वह रहतिये लिखे-पढ़े आदमी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने बाल कटवा लिए।

(अज़ बयान अंगरेज़ी)

ब सवालात अदालत

गुरु गोविंदसिंह साहब का मक़ौला है कि सब सिक्ख एक ही हैं। अब सिक्ख होने की वजह से चूहड़ा-चमार वग़ैरा सब ऊंचे हो गए हैं।

(अज़ बयान अंगरेज़ी)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १४

ला० भगवानदास—वल्द ला० अमींचन्द खत्री साकिन लाहौर, पेंशनर सब-जज, रियासत बहावलपुर।

मैं रियासत बहावलपुर में सब-जज था। अब पेंशन लेकर लाहौर आ गया हूं। पहले मैं [सरकार अंग्रेज़ी के मातहत] मुहर्रिर ज्यूडीशल था। ३८ साल मैंने मुलाज़मत की। छ: साल से पेन्शन ली है। ५ साल मैं रियासत बहावलपुर का मोतमिद लाहौर में रहा हूं। मैं पं० गोपीनाथ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी हैसियत बहुत अच्छी है। मोअ़ज़्ज़िज़ और बाहैसियत है और अशराफ़ ख़ान्दानी है।

ब जवाब सवालात जिरह

मैं हिन्दू सनातन धर्म सभा का मेम्बर हूं। सनातन धर्म गज़ट मेरे पास आता है। मैं सरसरी [तौर पर] उसको पढ़ा भी करता हूं। पहले कभी-कभी इस गज़ट में कुछ मज़मून भी [सनातन धर्म] सभा की इमदाद में दिया करता था। यह मज़ामीन मज़हबी होते थे और उनसे मन्शा यह होती थी कि सनातन धर्म दीगर मज़ाहब से अच्छा है। (सभा के तब्अ़शुदा कोई असूल नहीं हैं। वह इस तरह पर साफ मशहूर नहीं हैं, जैसा कि आर्यों के असूल हैं। सिवाय ब्रह्मों और आर्यों के सब हिन्दू सनातन धर्म सभा के मेम्बर हैं।

(अज़ बयान अंगरेज़ी)

वह अशख़ास जो अपने-आपको ख़ुदा मानते हैं और पत्थर को पूजते या शिव

को मानते हैं यह सब सनातनधर्मी हैं।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ोस नं० १५

ला० रामरतन—म्युनिसिपल कमिश्नर, लाहौर।

मैं १७ साल से म्यूनिसिपल कमिश्नर लाहौर में हूं। मैं सौदागर रेशम भी हूं। पं० गोपीनाथ को और उनके वालिद पं० मुकन्दलाल को १२ साल से जानता हूं। यह अच्छी हैसियत वाले और इज़्ज़तदार हैं और शहर लाहौर के बाशिन्दे हैं। इनका छापाख़ाना भी लाहौर में है। चूंकि मैं सनातन धर्म सभा का मेम्बर हूं और पं० गोपीनाथ सेक्रेटरी इस सभा के हैं, इसलिये मुझे उनसे ज़्यादातर मिलने-जुलने का इत्तफ़ाक़ होता है। मैं पं० गोपीनाथ को अच्छा इज़्ज़तदार आदमी समझता हूं (सन् १८९६ ई० में पं० गोपीनाथ फ़ेमिन रिलीफ़ कमेटी का सेक्रेटरी था। मैं समझता हूं कि उसके साथ फ़तहअली खां दूसरे सेक्रेटरी थे—(**अज़ बयान अंग्रेजी**) इसके मुतल्लिक़ गोपीनाथ की मार्फ़त ग़रीबों के देने के वास्ते टिकट रिलीफ़ मेरे पास आये थे उसके मुतल्लिक़ एक सूबा पंजाब की भी कमेटी थी। उसका भी पं० गोपीनाथ मेम्बर था। इसके बाद भी मेरी और उसकी मिल्लत रही है।

बजवाब सवालात जिरह

मैं उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी थोड़ी-थोड़ी जानता हूं। अख़बार सनातन धर्म गज़ट मैं पहले पढ़ा करता था। अब डेढ़ साल से यह अख़बार मेरे पास नहीं आता। उस गज़ट के मालिक और एडीटर पण्डित गोपीनाथ हैं। अख़बार आम की निस्बत मैं नहीं कह सकता कि किसका है। मैं सनातन धर्म सभा का दस साल से मेम्बर हूं। मुझे मालूम नहीं कि उसके खास क़वायद छपे हुए हैं या नहीं। अगर कोई होंगे भी तो मुझे इस वक़्त याद नहीं कि मैंने उनको कभी देखा या नहीं। जहां तक मुझे इल्म है, उस गज़ट का सभा से कोई ताल्लुक़ नहीं। सन् १८९९ ई० में शायद पं० गोपीनाथ इस सभा के ओहदे सेक्रेटरी से अलहदा हुए थे। उनकी अलहदगी की वजह मालूम नहीं। मेरा इस सभा में जाने का इत्तफ़ाक़ कम होता है। इस सभा की एक ऐग्ज़ीक्यूटिव कमेटी (अन्तरंग) भी है। मैं उसमें मेम्बर हूं। चार साल में शायद दो-तीन मर्तबे उस कमेटी में गया हूंगा। कभी-कभी पं० गोपीनाथ के घर जर जाने का भी मेरा इत्तफ़ाक़ होता है और चूंकि

यह कश्मीरी पंडित हैं। इस वास्ते खाने-पीने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। किसी ख़ास काम के बाइस या इत्तफ़ाक़न उनके मकान के नवाह से गुज़रने पर मैं उनके मकान पर जाता रहा हूं। अख़बार और छापेख़ाने के अलावा घड़ियां वग़ैरा भी मुद्दई के यहां देखता रहा हूं। पं० गोपीनाथ कहते थे कि यहां घड़ियां फ़रोख़्त के लिये हैं। यह मालूम नहीं कि कमीशन पर फ़रोख़्त करने के लिए थीं या किसी तरह पर। वह मुझे दिखलाते थे, जैसे दूकानदार दिखलाते हैं। अखबार, घड़ियां और प्रेस के सिवाय और ज़राये आमदनी के उनके मुझे मालूम नहीं। जहां तक मुझे इल्म है, सब भाई इकट्ठे रहते हैं। इस गज़ट की तमाम तहरीरों से यानी सनातन धर्म गज़ट से मेरा और तमाम समाज का इत्तफ़ाक़ नहीं था।

बाक़ी सवालात जिरह महफ़ूज़ किये गये।

(द० हाक़िम)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १६

मूलराज—पेन्शनर सुपरिण्टेण्डेण्ट दफ़्तर फारसी, चीफ़ कोर्ट पंजाब, लाहौर।

मैं पं० गोपीनाथ को जानता हूं। बड़ा मोतबिर, हैसियतदार, ठीक और अच्छे चाल-चलन वाला समझता हूं (मैं उसे उसके बाप के वक़्त से जानता हूं—(**अज़ बयान अंग्रेजी**), मैं पं० मुकन्दराम का भी वाक़िफ़ था। जब से उनका अखबार आम निकलता है मैं तब से ही उस अखबार आम का ख़रीदार हूं। सद्धर्म-प्रचारक का मैं बराहे रास्त खरीदार नहीं। पं० बालमुकन्द मुझे दिखलाया करता था। इस अखबार में कई मज़ामीन हिन्दुओं की निस्बट तौहीन दिलाने वाले होते हैं। मुझे कोई खास मज़मून ऐसा याद नहीं। सनातन धर्म गज़ट का मैं ख़रीदार भी हूं।

सवालात जिरह महफ़ूज़ किये गये।

(द० हाकिम)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १७

पं० किदारनाथ—वल्द शिवप्रसाद, ज़ात कश्मीरी पंडित, उमर ७२ साल, साकिन लाहौर।

महकमे नहर के अन्दर मैं २२ साल मुलाज़िम रहा हूं। इस अर्से में १६ साल डिप्टी-कलेक्टर रहा। अब १६ साल से पेन्शन पाता हूं। कश्मीरी पंडितों की जो सभा थी, मैं उसका प्रेज़ीडेण्ट था। तीन-चार साल से मैं प्रेज़ीडेण्ट नहीं हूं। पं० मुकन्दलाल और गोपीनाथ को जानता था, यह बड़े ज़ी इज़्ज़त हैं और बिरादरी में मोअ़ज़्ज़िज़ समझे जाते हैं और उनकी ज़ात सबसे आला ज़ात कश्मीरी पंडितों में है। मेरी उनकी मुलाक़ात गाहे-गाहे वर्ष-छः माह में पं० गोपीनाथ से होती है।

सवालात जिरह महफ़ूज़ किये गये। (द० हाकिम)

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

(वाक़े १७ मई सन् १६०१ ई०)

तर्जुमा बयान गवाह मुस्तग़ीस नं० १८

मिस्टर जान्सटन—साहब सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी, लाहौर।

मैं १८ या १६ साल से म्यूनिसिपल कमेटी का सेक्रेटरी हूं। मैं पं० गोपीनाथ को बहुत वर्षों से जानता हूं। मुझे इल्म है कि उसकी सोशल पोज़ीशन बहुत अच्छी है। मुझे उससे अक्सर मिलने का इत्तफ़ाक़ होता रहा। पब्लिक मीटिंग में और बाहर कभी-कभी यह मेरे पास दफ़्तर में भी आता रहा है। और मैं उसको पब्लिक दावतों में मिला हूं। जहां कि अमूमन ज़ी इज़्ज़त हिस्सा कम्यूनिटी का ही बुलाया जाता है। वह सन् १८६३ ई० व ६७ ई० की लोकल फ़ेमिन कमेटी का सेक्रेटरी था। वह सूखे की जनरल कमेटी का भी मेम्बर था। ऑनरेबल नवाब फ़तहअली खां इसके साथ ज्वाइन्ट सेक्रेटरी थे। इसके चाल-चलन के बर्ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुना है और उसे मैं ज़ी इज़्ज़त समझता हूं।

बजवाब सवालात जिरह

मुझे गोपीनाथ के बर्ख़िलाफ़ किसी दूसरे मुक़द्दमे में बतौर गवाह के पेश होना याद नहीं है। मैं उसे अच्छे मजलिसी रुतबे और इज़्ज़त के आदमियों में मिला हूं। शायद पार साल मैं उसे आख़री मर्त्तबे एक सोशल मजमूए में मिला था। जहां तक मुझे इल्म है दूसरी फ़ेमिन (क़हत) कमेटी से उसका कोई ताल्लुक़ न था। मैंने पं० गोपीनाथ के चाल-चलन की निस्बत कोई ख़ास तफ़तीश नहीं

की। जो कुछ कि मैं उसे देखता रहा हूं उससे उसकी निस्बत करता हूं। वह कभी-कभी मेरे मकान पर मुझसे बातचीत करने या कारबार के लिये मिलता रहा है। मैं उसके मकान पर उसे कभी नहीं मिला।

बजवाब सवालात ऐडवोकेट मुस्तग़ीस—मैंने गोपीनाथ को एक बड़ी मीटिंग में इस साल देखा था जो डिप्टी कमिश्नर ने राधाकुंड खोलने के लिये बुलाई थी।

ब जवाब सवालात अदालत— उसकी (मुस्तग़ीस की) शोहरत यह है कि Intemperately (बेएहतियाती से) लिखता है। इसके सिवा मैंने कुछ और इसके बख़िलाफ़ नहीं सुना है।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह इस्तग़ासा नं० १९

(मुवर्रिख़े १६ मई १९०१ ई०)

पं० गोविंदसहाय—वल्द मुकन्दराम, ज़ात कश्मीरी पण्डित, उमर ४० साल, साकिन लाहौर।

पं० गोपीनाथ मेरा छोटा भाई है, मैं अख़बार आम का एडीटर हूं। गोपीनाथ का उसकी एडीटरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वह (गोपीनाथ) सनातन धर्म गज़ट का एडीटर है और मेरा उस पर्चे की एडीटरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सद्धर्म-प्रचारक को जानता हूं। उसका सनातन धर्म गज़ट के साथ तबादला है, सनातन धर्म गज़ट और अख़बार आम प्रेस और औफ़िस एक ही है इसलिये सद्धर्म-प्रचारक मुश्तर्क़ा औफ़िस की डाक के साथ आता है और मैं कुल डाक को देखता (मुराद खोलना) और तक़सीम करता हूं।

मैंने दस्तावेज़ हाये A और B के हर सै मज़ामीन देखे हैं, मैंने उनको आज से पेश्तर देखा हुआ है। मैंने उनको लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ कुल नहीं पढ़ा था। जिस वक़्त यह मैंने देखे, मेरे दिल में बहुत गुस्सा, रंज और शर्म पैदा हुई, शर्म इस वास्ते कि ऐसा अखबार मज़हबी रिफ़ार्मर और ऐसी गंदी तहरीरें अपने हमअसरों की निस्बत शाया करे। गुस्सा क़ुदरती था कि मेरे भाई गोपीनाथ की निस्बत लिखा गया था, रंज भी इसी ख़याल से हुआ कि नाम मज़हबी और उसमें यह तमाशा भरा हुआ। **(अज बयान उर्दू)**

मुझे इस क़िस्म के तमाम मज़ामीन पढ़ने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैंने तीनों मुतनाज़ा मज़ामीन पढ़े हैं। मैंने पर्चे खोलते ही उन्हें पढ़ा, ज्यों ही भीमसेन और

गोपीनाथ के नामों पर मेरी नज़र पड़ी इन हर दो अखबारात को मैंने अपने पास रख लिया, उस वक़्त गोपीनाथ लाहौर में मौजूद नहीं थे, जब वह बाहर से आये तो मैंने उनको यह अखबार दिये और कहा कि 'यार ! ओ देखो क्या लिखा है' (अज़ बयान उर्दू) मेरे ख़याल में कुल तीनों मज़ामीन का तर्ज़ पं० गोपीनाथ की निस्बत हतकआमेज़ है और उसकी शोहरत के लिये नुक़्सानदेह है। छ: सौ रुपये की तरफ़ जो इशारा है वह हमारे कुल ख़ान्दान की निस्बत हतकआमेज़ है। बाज़ हिस्से बहुत ही ख़राब है और बाज़ नाक़ाबिले बर्दाश्त, एतराज़ के लायक़ हैं, यह ज़ाहिर किया गया है कि भीमसेन और गोपीनाथ बेअसूले हैं और कि इन दोनों ने आपस में साज़िश की है। एक मकरूह साज़िश की है, झूठा अमल करने और आर्यसमाज को तोड़ देने की।

मेरे ख़याल में 'स्ट्रिक्टली कौन्फ़ीडेंशल लेटर' ही पाप का भांडा है जिसकी तरफ़ इशारा किया गया है, छ: सौ रुपये से मुराद उस जुर्माने से है जो पं० गोपीनाथ पर हुआ था और यह इत्तहाम लगाया गया है कि इन लेक्चरों के दौरे से वह इस नुक़सान को पूरा करना चाहता है।

जिरह महफ़ूज़ की गई। गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

नोट—इसको हुक्म हुआ कि कल जिरह के लिये हाज़िर आवे, वकील मुल्ज़िमान इस गवाह से चन्द किताबें (अखबार आम की जिल्दें) पेश कराना चाहता है। लेकिन इस पर वकील इस्तग़ासा को एतराज़ है, ज़ाहिरा वकील मुल्ज़िमान का कोई हक़ इस दर्ख़्वास्त करने के लिये नहीं है, लेकिन उसने मुझे अखबार आम के चन्द-एक मज़ामीन के तर्जुमे दिखाये हैं, जिससे ज़ाहिर है कि इन्साफ़ के लिये यह काग़ज़ात पेश होने ज़रूरी हैं। अदालत इसलिये इस गवाह को हुक्म देती है कि अखबार आम बाबत मई व जून सन् १८९७ ई० और सितम्बर व अक्टूबर सन् १८९८ ई० की फ़ाइल पेश करे।

(द० एच० कलवर्ट)
सिटी मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

(वाक़ै ५ जून सन् १९०१ ई०)

ब जवाब सवालात ऐडवोकेट मुल्ज़िमान

अख़बार आम ३० साल से शाया होता है। पहले एक कमेटी एडीटर थी। और उसके बाद से भी हमारे खान्दान से बाहर एडीटर नहीं रहा। मेरा बाप उर्दू

लिख नहीं सकता था। मैं २० साल से एडीटर हूं। सोसाइटी ६ या ७ साल तक एडीटर रही। बाक़ी अर्सा विशननारायन एडीटर रहा। पं० काशीनाथ एक वर्ष तक एडीटर रहा। अपनी एडीटरी के ज़माने में अमूमन् मैं एडीटोरियल लिखता रहा हूं। दूसरों ने भी बाज़ औक़ात मेरी दख़्वास्त पर लिखा है कभी-कभी, लेकिन शाज़ो नादिर पं० गोपीनाथ ने मेरी दख़्वास्त पर एडीटोरियल लिखे हैं। अगर मैं बाहर चला जाऊं तो एडीटोरियल चार्ज मेरे भाई के सुपुर्द होता है। इन बीस वर्षों में बहुत कम बाहर गया हूं। बहुत कम मर्त्तबे गोपीनाथ के पास एडीटोरियल चार्ज रहा है। शायद बीस वर्षों में दो या तीन मर्त्तबा।

सन् १८९८ ई० में चार माह के लिये मैं कश्मीर गया था। इन चार महीनों में गोपीनाथ के ज़िम्मे एडीटरी का चार्च था। फिर कहा कि पं० कन्हैयालाल उन अय्याम में एडीटर था। मैंने ज़बानी उससे कह दिया था कि मेरा काम कर देना। गुज़िश्ता दो-तीन वर्षों से मैं पर्चा अखबार आम का मैनेजर हूं। पहले मेरा बाप मैनेजर था, और मेरा भाई भी थोड़े अर्से के लिये मैनेजर था। हमारा ख़ान्दान छापेखाने वाला या अख़बार आम वाला मशहूर है। मैं अपने बुजुर्गों का मुफ़स्सिल हाल बयान नहीं कर सकता हूं। मैंने अपने दादा को देखा है। वह मुलाज़िम सरकार था। मैं नहीं जानता कि मेरा नाना क्या था। वह पंजाब यूनीवर्सिटी (मुलाज़िम) था। मेरा एक मामा नक़्क़ाश था। मुझे मालूम नहीं है कि दूसरा दर्ज़ी था या नहीं। हम गुटू राज़दान सामन गोतक हैं। मेरी मां भी उसी गोत की थी। मुझे मालूम नहीं कि ऐसी शादी अज़ रूए धर्मशास्त्र ममनूअ है या नहीं, मुझे और कोई ऐसी मिसाल मालूम नहीं है। पं० गोपीनाथ का ब्याह पेशावर में हुआ था। लेकिन पहला ब्याह मेरठ में हुआ था। मेरी बहन अजमेर में ब्याही हुई है। मुझे नहीं मालूम कि आया वह उसी खान्दान में ब्याही गई है जिसमें से गोपीनाथ की पहली बीवी आई थी। मैं नहीं जानता कि वह किस गोत्र में ब्याही गई है। न यह मालूम है कि गोपीनाथ की पहली बीवी किस गोत्र की थी। हिन्दू लोग अमूमन् उस खान्दान में लड़की नहीं देते, जिसमें से कि लड़की ली जावे।

मैं सनातन धर्म गज़ट को बहुत कम पढ़ता हूं। जिस क़दर मैं पढ़ता हूं उसके लिहाज़ से जो कुछ मेरा भाई लिखता है मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूं। सख़्त तहरीर के जवाब में सख़्त तहरीर लिखी जा सकती है।

फ़ोहश तहरीर कभी भी लिखी नहीं जानी चाहिए

मेरे भाई ने जो होली के चुटकले लिखे थे वह मैंने देखे थे। यह महज़ होली की वजह से मुनासिब थे, वर्ना नामुनासिब थे। गाली के जवाब में गाली देना नामुनासिब नहीं है, यह क़ुदरती है। मैं अखबार आम में होली के मज़ामीन नहीं

लिखता। क्योंकि वह आम के लिये है। बख़िलाफ़ इसके सनातन धर्म गज़ट महज़ हिन्दुओं के लिये है। कई आर्य अखबारात मेरे पास तबादले में आते हैं। मैं उन्हें पढ़ता नहीं हूं। मैंने उन्हें तक़रीबन कभी नहीं देखा है। मैंने उन्हें होली पर कभी नहीं देखा। मैंने दीवान चिर्कीन नहीं देखा है। और न दीवान जान साहब देखा है। लेकिन मैंने उनकी निस्बत सुना है। अखबार आम मुवर्रिख़े २० मार्च सन् १८९३ ई० में एक नामेनिगार ने एक मज़मून 'मशरिक़ी लिटरेचर के फ़ोहश' पर भेजा था (दस्तावेज़ डी ७५)।

अज़ अख़बार आम २० मार्च सन् १८९३ ई०

मशरिक़ी लिटरेचर कैसा फ़ोहश है

हमारे एक नामेनिगार लिखते हैं: मेहर्बान गवर्नमेंट ने नौजवानों के ख़याalat महफ़ूज़ रखने के लिये मशरिकी ख़्यालात की बहुत-सी दिलचस्प किताबों की अशायत बंद कर दी। कुल्यात जान साहब, चिर्कीन का दीवान, बहुत-सी वासोख़्तें वग़ैरा जिनके मज़ामीन से क़त्अ नज़र करने के बाद एक-एक लफ़्ज़ ज़ुबान के लिहाज़ से मोतियों में तोलने के क़ाबिल था। मगर काश, गवर्नमेण्ट यह भी सोचती कि रेनेल्ड के ख़यालात पर क्या तासीर डालते हैं। मिस्ट्री को कोई नौजवान पढ़े और समझे और फिर मैं उसके ईमान से पूछूं कि कहिये हज़रत, क्या लुत्फ़ आया! तबियत पर क्या असर होगा। हमारे मशरिक़ी मुसन्निफ़ बेचारे इस बात के गुनहगार ज़रूर हैं कि आखिर तक का हाल कह देने के बग़ैर बाज़ नहीं आते और इसी वास्ते वह गर्दनज़दनी हैं। मगर ज़ाये इन्साफ़ है कि मिस्ट्री के मुसन्निफ़ ने इन अशआर के मज़ामीन से बहुत ज़्यादा समा बांध दिया है और उनको कोई नहीं पकड़ता—

मैं हो कुंज हो साक़ी हो माहवश।
और वहां पै कोई मुख़्ल न हो बाइस हिसाब का॥
गर्दन में हाथ डाल के वह शोख बेहिसाब।
दे ज़ायक़ा ज़ुबां को दहन के लुआब का॥
और हंस यूं कहे कि हमारा लहू पिये।
गर जल्द पी न जावे पियाला शराब का॥

इसमें मुहज़्ज़ब गवर्नमेण्ट कोई फ़ोहश नहीं समझती और इससे ज़्यादा रेनेल्ड ने ख़ाक़ा खींचा है। मैं पूछता हूं कि जब यह समां पढ़ने वालों की आंखों में बंध गया हो जो अशआरे वाला से पैदा होता है तो क्या उससे आगे उसके ख़यालात खुद ही न पहुंच जावेंगे? इससे दूर कितनी मंज़िल और है, फिर बेचारे जान

साहब ने क्या जुल्म किया, जो ज़रा आगे का भी लुत्फ़ दिखला दिया। मैं वह अशआर लिख नहीं सकता, सिर्फ़ दो ही अशआर लिखूंगा जो शबे,ज़फ़ाफ़ (मैथुन) के मुतल्लिक़ शायर ने कहे हैं—

जब आई मुई वह कल तख्त की रात।
पाजी हमसाई ने सिखाई यह बात॥
हाथ दूल्हा लगाये जब बदजात।
मारना उसको एक जोर से लात॥

इसके आगे जो शायर ने लिखा है वह फ़ोहश है मगर क्या ज़ुबान है और किस क़दर नाज़ुक मज़मून। अगर रेनेल्ड के पढ़ने से खयालात काफ़ी तौर पर फ़ासिद नहीं हो सकते तो जान साहब के पढ़ने वाले भी सारे न बिगड़ जावेंगे, मेरी दानिश्त में यह निरी सख़्ती है कि एक क़लम ही यह सारे मज़मून नाबूद कर दिये जावें, अगर आला अख़लाक़ ही मद्दे नज़र हैं, तो रेनेल्ड की अव्वल खबर लीजिये। ऐसी ही तसवीरात की कैफ़ियत है। मुहज़्ज़ब गवर्नमेंट ने लज़्ज़तुल्निसा वग़ैरा वा तसवीरात किताबों को क़रीबन् नाबूद ही कर दिया, वह तसवीरात जो पंडित तोताराम जैसे मुसव्विर आला दर्जे की सनत के बनाया करते थे, अब कहां हैं। गवर्नमेंट ने हुक्मन बन्द कर दिया। मगर मैं पूछता हूं कि क्या नौजवानों के अखलाफ़ बिगाड़ने को क़ुदरत की और तस्वीरें रोज़मर्रा नही मिल सकतीं। मैं फ़ोहश को सख़्त बुरा समझता हूं। मगर मुझे रोना आता है कि इस फ़ोहश के साथ एक इल्म भी गया। आजकल आम बाज़ारों में जो कुत्ते तक़ाज़ाय क़ुदरत को पूरा करते हैं और जो उनकी तसवीरें खयालात को मुफ़सिद कर सकती हैं। वह आला दर्जे की तसवीरात के मक़सद से बिल्कुल बाहर था। मैंने हाल ही में एक घोड़ों की नुमाइश देखी, उम्दा-उम्दा सांड़ सरकारी भी पेश हुए, घोड़ियों की बहुत बड़ी तादाद भी आस-पास जमा थी। मैं रेनेल्ड की तरह इससे आगे नहीं लिखता, मगर सच कहता हूं कि मेरी अपनी तबीयत पर इस मौक़े से बदतर खयालात किसी तसबीर या तहरीर से पैदा नहीं हुए। पस जब फ़ोहश का इन्स-दाद कुल्ली हो ही नहीं सकता तो एतदाल को मद्दे नज़र रक्खा जावे और यह आला तसवीरात जो दस्तकारी के आला नमूने हैं, मादूम न की जावे।

मुझे नहीं मालूम कि वह मज़मून किसने लिखा था। पं० गोपीनाथ ने नहीं लिखा था। इसमें (मज़मून में) लिखा है कि मज़क़ूरे बाला किताबों यानी दीवान चिर्कीन, दीवान जान साहब को बंद करना नही चाहिये। शायद ११ अगस्त सन् १८९६ ई० (दस्तावेज़ डी ७६ के) पर्चे में 'नंगी तसवीरें' वाला मज़मून मैंने लिखा था। ऐसी (नंगी) तसवीरें मेरे पास आई थीं। उनका मैंने बयान दिया है। यह हुनर है और हुनर की ताईद में मैंने यह आर्टिकिल लिखा था। मैंने फ्रान्सीसी (नंगी तसवीरें) सफ़ाइयों और रबड़ की औरतों का ज़िकर अवाम की इत्तला के

लिए किया था।

अख़बार आम ११ अगस्त सन् १८९६ ई०

मग़रिब में मुसव्वरी, नंगी तसवीर की तरक़्क़ी

कल के मज़मून में हमने मशरिक़ी व मग़रबी फ़ने मुसव्वरी के ज़रूरी और अयां फ़र्क़ ज़ाहिर किए थे, वह बहुत मुख़्तसिर थे, और बहुत नामुकम्मिल तरीक़ से बयान किये गये थे। इस मौक़े पर हम हिन्दुस्तानी और मौजूदा नक़्क़ाशी के फ़न का मुक़ाबला नहीं करते। ऐसे मुख़्तसिर मज़मून में अच्छी तरह होना नामुमकिन है, हमें यहां सिर्फ़ एक तोहफ़ा तसावीर का रिव्यू (समालोचना) करना है जो गुज़िश्ता डाक विलायत में हमारे एक फ्रान्सीसी दोस्त ने पेरिस दारुल ख़िलाफ़ा फ़्रान्स से भेजी हैं.........अव्वल तसवीर इस 'लीपेनो रामा सीलोन' सन् १८९६ ई० में एक नौजवान परीपैकर की है, जो अपने रेशमी कोच में बिलकुल नंगी ख़्वाब ग़फ़लत में सोई हुई है। अपने जिस्म की उसे कुछ खबर नहीं है। दूसरी तसवीर अठारह वर्ष की लड़की की है जो बाग़ में दरख़्त के तने के साथ खड़ी हुई परिन्दों को हटा रही है। वह ख़ुद नशे में मख़मूर है, आंखें निहायत मस्त और मस्ती में बंद हो रही हैं। बालों में निहायत ख़ुशबूदार फूल जड़े हैं और फूलों की ख़ुशबू से जानवर उस पर मोहित हो रहे हैं, यह तसवीर भी बिल्कुल नंगी है और मुसव्विर के फ़न को एक-एक रंग और एक-एक निशान में ज़ाहिर कर रही है, इसी तरह कई मुख़्तलिफ़ तसवीर मुख़्तलिफ़ भाव की है। एक तसवीर में नौजवान लेडियां नहा रही हैं, दो-तीन पानी में एक-दूसरे की तरफ़ छींटे उड़ा रही हैं, एक सब्ज़ी पर नंगी लेट गई है, एक बाल सुखा रही है। तक तमाम कपड़े उतार चुकी है। एक जूते को खोल रही है। एक-एक पत्ता और पानी की बूंद मुसव्विर की अक़्ल-मन्दी ज़ाहिर कर रही है, एक और तसवीर है जिसमें और एक औरत की नंगी पुश्त दिखाई गई है। एक और तसवीर में हैरानी और डर ज़ाहिर किया गया है। शायद एक नौजवान औरत नहाने के लिए कपड़े उतार कर बैठी थी। उधर से मर्द निकट आया, वह अपनी शर्म छिपाने को हैरानी और ख़ौफ़ में नदी किनारे लम्बी-लम्बी घास में छिप गई और उस हालत की यह तसवीर है। इस तोहफ़े को हम एक से ज़्यादा ख़याल से अजीबोग़रीब समझते हैं कि जबकि यहां हिन्दुस्तान में चीरहरण लीला की तसावीर को 'फ़ोहश' कहा जाता है। यह नमूना मुहज़्ज़ब और आर्टिस्ट (हुनरवाले) फ़ोहश का है, जिसको हरेक मुहज़्ज़ब और बिला ख़ौफ़ व ख़तर, अपने पास रख सकता है, बल्कि उसे ज़रूर रखना चाहिए। इस तोहफ़ा किताब के मिलने का पता यह है—**टाडोविक पसचाट सासब लाइब्रेरी**

डी० आर्ट (बाज़ार) रोडीला, वाई १२—शहर पेरिस मुल्क फ़ान्स में नुसख़े की क़ीमत ६ फ्रेंस्क (क़रीब पांच रुपये के) है। और इस तरह की तोहफ़ा किताबें हर साल की मौजूद हैं, जिस तरह पर कि यह सन् ९७ ई० की है। और यह पता हम इसलिए लिखते हैं कि कोई शौक़ीन चाहें तो मंगवा लें और बाद में आर्ट और मुहज़्ज़िब खयाल फ़ोहश का मुक़ाबला करें। हमारे ख़याल में इस क़िस्म की ख़ूब-सुरत तसावीर के और भी मुख़्तलिफ़ एल्बम (तसवीरों की किताब) मुफ़स्सिले बाला पबलिशरों से मिल जावेंगे। उन एल्बमों और तसवीरों के रखने में हमारे खयाल में कोई जुर्म नहीं है (अक्सर यूरोपियन देसी असहाब शौक़ीन के ड्राइंग रूम में नंगी तसावीर निहायत तहज़ीब के साथ लटकी होती हैं) यह फ़ोहश नहीं हैं, लेकिन फ़ान्स के फ़ोहशपसन्द आलिमान व मूजिदान ने फ़ोहश की हज़ारहा बातें ईजाद की हैं। रबर की औरतें रबर की थैली। हमने फ़ान्स की छपी हुई ताश देखी है जिसमें रात के वक़्त या अंधेरे में रोशनी के सामने रखने से अजीबोग़रीब तसावीर नज़र आती हैं जिनमें कोक के आसनों से कम फ़ोहश नहीं हैं। हमारे ख़याल में यह ताश एक पेटेन्ट चीज़ है, और ख़ास तौर पर फ़रोख़्त होती है।

अख़बार आम मुवर्रिख़े ५ व ७ अक्टूबर सन् १८९५ ई० (दस्तावेज़ डी ७७ और डी ७८) में पं० गोपीनाथ ने सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के मुक़द्दमे के हालात लिखे थे। मैं अपनी तसल्ली कर लिया करता था कि गोपीनाथ सही लिखता है।

अख़बार आम ५ अक्टूबर सन् १८९५ ई०

मुक़द्दमा सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट की दास्तान

(बक़ीया इज़हार बालकराम मान गवाह मुद्दालहुम)

मैं मुद्दई की वालिदा को बचपन से जानता था। और उसके भाइयों को भी, एक भाई उसका दर्ज़ी का काम करता था और दूसरा नक़्क़ाश था······

नोट—गवाह ने यह नहीं बताया कि मुद्दई की वालिदा के भाई ने जो दर्ज़ी था, कभी गवाह की मां की चोली सीकर दी थी या उसको सलूका बनाकर पिन्हाया था या उसकी छाती और टांगों का पैमाना लेकर इनके लिए कोई ज़नाना सूट तैयार किया था, वर्ना उसे किस तरह मालूम हुआ था कि यह दर्ज़ी था? अगर मुद्दई की वालिदा के भाई ने कोई ऐसा कपड़ा गवाह की वालिदा को चोरी-छिपे ख़ुद तैयार करके पिन्हाया हो और इससे गवाह ने उसे दर्ज़ी समझा हो तो अजब नहीं, वर्ना गवाह का यह कहना बिलकुल झक मारना था·········।

मैं अंगरेज़ी पढ़ सकता हूं। अखबार आम मतबूआ ३० जून सन् १९०० ई०

में मैंने जालन्धर के आर्यों की निस्बत एक नोट दिया था जो कि मैंने ट्रिब्यून से लिया था। (दस्तावेज़ डी ७९ मय तर्जुमा डी ८०) अखबार आम मुवर्रिखा २१ दिसम्बर सन् १८९५ ई० में एक दस्तखती मज़मून 'दीवान सन्तराम की बेवा लड़की की शादी' एक सनातनधर्मी ने लिखा था (दस्तावेज़ डी ८१ तर्जुमा डी ८२)।

अख़बार आम बाबत २५ मार्च सन् १८९९ ई० (दस्तावेज डी ८३) में एक मज़मून मेरे और गोपीनाथ के दस्तखत से व मौक़ा शादी दर्ज़ है। मैंने एक मुख़्तसर सी अपील चन्दे की मदद के लिए की थी।

इसी क़िस्म की दूसरी अपील अखबार आम मुवर्रिखे ८ अप्रैल सन् १८९९ ई० (दस्तावेज़ डी ६४) में निकली थी। ८ मार्च सन् १८९९ ई० की अशायत (दस्तावेज़ डी ८४ मय तर्जुमे डी ८५) में एक मज़मून है जिसमें लोगों का चावलों और घी के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। चावल क़ीमतन आया था और मेरे खयालात में घी भी ख़रीद किया गया था। (मज़मून साफ़ तौर से कहता है कि यह सब चीज़ें मुफ़्त आईं। अज़ **मजिस्ट्रेट**)

यह मज़मून मखौल के तौर पर लिखा गया है। अगर वे (ख़रीदार) चावल भेजते हैं और क़ीमत नहीं पाते तो मैं उन्हें अखबार मुफ़्त भेज देता हूं। कुल मज़ामीन मज़ाकिया लिखा गया है।

सन् १९०१ ई० में मेरे भाई पं० प्राणकिशन का व्याह हुआ था। अख़बार आम फ़र्वरी सन् १९०१ ई० में एक ज़मीमा (दस्तावेज़ डी २३) है। जिसमें अपने मुरब्बियों से मदद की दर्ख़्वास्त की गई थी। मुझे मालूम नहीं कि दीगर अख़-बारात इस तरह की अपील करते हैं या नहीं। इस पर पंजाब ऑब्ज़र्वर और पैसा अखबार में मुखालिफ़ तहरीर निकली थी।

दारो एक तवायफ़ थी जो मर गई है। वह ख़ान्दानी कंजरी थी। वह अच्छी नाचने वाली थी। और उसकी मौत पर एक ३ कालमों का मज़मून २२ जुलाई सन् १८९२ ई० के अख़बार आम में निकला था। (कई महाराजे उसके ख़्वाहिश-मंद थे)।

अज़ अख़बार आम २२ जुलाई सन् १८९२ ई०

अफ़सोस !!! ग़रीब दारो

ग़रीब दारो से यह मुराद नहीं है कि वह दौलत में ग़रीब थी। दौलतदार, मालदार और हैसियत असबाब व सामान जो हो जलूस में वह लाहौर में क्या और भी कई मुक़ामात के लिहाज़ से अव्वल दर्जे पर थी। यहां ग़रीब से वह मुराद है जो अजीबोग़रीब के उसके माने हैं। वाक़ई में बी दारो अपने दिनों में एक

फ़र्द थी। उसके नाम के गिर्द जो स्याह निशान मातमी लगाया गया। कोई साहब खयाल न फ़र्मावें कि एक मामूली रंडी की वफ़ात पर स्याहरूल की इज़्ज़त इसे दी गई, हम यक़ीन दिलाते हैं कि वह मामूली रंडी न थी, बल्कि ग़ैरमामूली बी साहबा थीं, उनका मातम कई बड़े-बड़े शाहान् ज़ीजाह और ओहदेदारान् बेमिसाल के दायर नक़्श हुआ होगा और ऐसे-ऐसे बड़े आदमियों के खतूत मातबदारी और अफ़सोस के आये होंगे कि जो किसी बड़े रईस के वक़ूए पर भी न आते हों।

बी दारो अपने ज़माने में एक निहायत ख़ुशक़िस्मत गर्ल थी। शुरू ही से उसके मुजरों का चर्चा ज़ुबांज़द आम हो गया। एक तो उसके चेहरे पर एक ख़ास भोलापन था जो बड़े होने तक भी बराबर उसके साथ रहा जो उसके गाने को रंगत देता था। और एक इसमें यह ख़ूबी थी कि बर महल लतायफ़ और बर महल गाने में चतुर थी और गाती इस तरह थी कि साज़ के साथ आवाज़ गुम न हो जावे, अलावा इसकी अपनी ख़ुशक़िस्मती थी कि फ़ौरन हाथोंहाथ ऐसी मशहूर हुई कि लाहौर में कोई मुजरा मुजरा ही न समझा जाता था जब तक दारो उसमें न हो। तमाम रियासतों में मजालिस अहलेनिशात इसके बग़ैर फ़ीकी मालूम होती थीं, ग़र्ज़े कि इसने वह नाम पाया और वह कुछ कमाया कि बड़े-बड़े ओहदेदारान् और तज्जारान् को वसूल न हुआ होगा, बड़े-बड़े वालियान रियासत को ऐसा दामे मोहब्बत में गिरफ़्तार किया कि इसके गेसुओं की उलझन में मुद्दतों अड़े रहे, गेसुओं के बदले अगर हम चोटी की उलझन में कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि बी दारो ज़ुल्फ़ें नहीं रखती थी, बड़े-बड़े अमीर आदमी इसके दर पर हाज़िर रहते थे, लेकिन बावजूद इसके बी दारो वैसी की वैसी ही भोली, गोया कुछ जानती ही नहीं। हम पसमान्दगान बी दारो के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं कि एक ऐसी ख़ूशक़िस्मत बेटी उनके हाथों से जाती रही कि जिसने अपने ज़माने में एक बड़ा नाम पैदा किया। दर असल ख़ुशक़िस्मती किसी खास फ़िर्क़े पर महदूद नहीं, हरेक पर है। इन्सान के तफ़र्क़ों को छोड़ यह तो हैवानों पर भी आयद है। कोई कुत्ता वैसा ख़ुशक़िस्मत होता है कि फूल की तरह रक्खा जाता है, गोरे-गोरे मेम साहब के हाथों (और वह भी कैसी-कैसी मेम साहबों का जिनका दर्जा हज़र प्रिन्स ऑफ़ वेलस तक पहुंच सकता है) में रहते हैं, उनकी नाज़ुक गोदों में लेटते हैं डाक्टर और दाइयां उनके लिए नौकर हैं, और एक ऐसे भी कुत्ते हैं कि जिनको हज़रत म्यूनिसिपल शरीफ़ डंडों के सरे बाज़ार मार डालते हैं और जिस ख़शकम जहांपाक की ग़रज़ से दो-दो आने भी दे देते हैं। यही हाल बिल्लियों, घोड़ों, बन्दरों, हाथियों, बैलों का भी समझ लो, कोई घोड़े हैं कि जलेबी, हलवा खाते हैं सवारी उन पर कोई करता ही नहीं। फ़क़त जलूस के मौक़े पर क़ीमती ज़ेवरों से आरास्ता पैरास्ता होकर ख़रामा-ख़रामा चलते हैं, और बाज़ घोड़े वह हैं कि दिन भर चाबुकों और कम्मचों की मार से सरासीमा होकर घास और पानी भी काफ़ी

तौर पर नहीं पाते, इसी तरह मुख़्तलिफ़ रंडियों, क़स्बियों और बी साहबान का।

ग़रीब दारो अभी उमर में ज़्यादा न थी अगर्चे ऐसी कमसिन भी न थी जैसा कि इसके चेहरे और अन्दाज़ भोलेपन से अयां था। यह एक बड़ी 'ख़ान्दानी रंडी' थी और सुनते हैं कि उसकी नानी महाराजा रंजीतसिंह के दरबार में भी इज़्ज़त रखती थी। इससे अक्सर ख़ान्दानी रईस इस 'ख़ान्दानी रंडी' से दोस्ती के अज़हद शायक़ थे। और उसके याराने को मूजिबे फ़ख़र ख़याल करते थे। अफ़सोस कि यह चहचहाती चिड़िया अपने घर के गुलशने बाग़ को बादे ख़िज़ां का झोंका देकर इस दुनिया से चल बसी। जब अय्याम मुहर्रम में बी दारो की मेंहदी निकलती थी तो तमाम शहर हैरानी के साथ देखा करता था कि किस शान का सामान हमराह होता है, अक्सर सामान इनका ज़ाती हुआ करता था। अबके भी मुहर्रम में उम्मेद है कि मेंहदी तो बन्द न होगी, मगर अफ़सोस कि बी दारो न होगी।

बी दारो ने अपने अय्याम में जो दौलत कमाई उसका अंदाज़ा मुश्किल है, कई दफ़े इसके एक-एक रात के नख़रे में वालियाने रियासत मजबूर हो गये कि अपने बड़े क़ीमती ज़ेवरात इसे अता कर दें कि जो अक्सर रंडियां अपनी तमाम उमर में न कमा सकेंगी, वह मुक़द्दमा जो बी दारो ने एक ख़ूबसूरत नौजवान के ख़िलाफ़ आयद किया था कि इसने बी साहबा की नाक पर हमला किया सुना गया कि उसकी और बी साहबा की आपस में अज़हद मुहब्बत थी जो बी दारो बड़े-बड़े आदमियों के हाथ में मफ़्तूं न हुई। वह उस पर शैदा थी, न मालूम क्या वजह हुई कि ऐसी गाढ़ी दोस्ती में यह खटाई नमूदार हुई, यह मुक़द्दमा हर्गिज़ न चलता मगर भड़काने वाले दोनों तरफ़ मौजूद थे, अगर्चे शख़्स मज़कूर को सज़ा हो गई। मगर बी दारो की उससे नामवरी नहीं हुई जो उस सूरत में अगर वह उस शख़्स को माफ़ कर देती। मगर दोनों तरफ़ लड़ाने वाले आदमी हो गये, जो मुहब्बत और हसद से लबरेज़ थे, इसके बाद से बी दारो नहीफ़ (निर्बल) होती गई और आख़िरकार दुनिया से आंखें बन्द कर गई। हम बी साहबा के पसमान्दगान और उन साहबान आलीशान के साथ हमदर्दी करते हैं कि जिनके दिल में बी दारो ने जगह कर रक्खी थी और जिनको उसके बेवक़्त इन्तक़ाल का सख़्त अफ़सोस है। सच है, इस दुनिया में चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है।

अख़बार आम में जो इश्तहारात निकलते हैं, उनका बहैसियत मैनेजर मैं ज़िम्मेवार हूं। मेरा भाई बालकिशन असिस्टेंट मैनेजर है। मैंने मैनेजरी का declaration विज्ञापन दिया है और मैं ही अखबार आम में भी इस हैसियत से बयान किया गया हूं। मेरा भाई सिर्फ़ मुझे पूछ कर काम करता है। मैं कुल इश्त-हारात कमसर्यट जो मेरे पास आते हैं दर्ज करता हूं। मैंने चमड़ा, गौ और गोश्त

गाय के इश्तहारात (दस्तावेज़ डी ८७ और डी ८८) दर्ज किये जाते हैं। ईंधन के इश्तहारात अब तक हस्बदस्तूर आते हैं क्योंकि हमारी वसीअ़ अशाअ़त है।

दस्तावेज़ डी ४१ और दीगर तीन कापियों में जो उस तारीख की मुझे दिखाई गई हैं 'गोश्त गाय' न मालूम क्यों बिगड़ा हुआ है। मुझे अफ़सोस है कि कुछ इस तरह पर छापी गईं (यानी बिगड़ी हुई)। तक़रीबन ३०० कापियां इस तरह छप चुकी थीं, जबकि उसे दुरुस्त किया गया। मुझको नहीं मालूम कि यह किसका क़सूर था। मुक़द्दमा हाज़ा ६ अप्रैल को दायर किया गया और मुझे मालूम था कि एक चार्ज इसमें यह था कि मुन्शीराम ने गोपीनाथ पर गावकुशी पर एक मज़मून लिखने का इल्ज़ाम लगाया है। बिगड़े हुए पर्चे जारी कर दिये गये थे। क़रीब २०० के जारी कर दिये गये थे। मैंने कमसर्यट (औफ़िस) को इस अमर की इत्तला नहीं दी थी। मैंने खुद दस्तखत करके महकमे कम सर्यट को २४ अप्रैल सन् १९०१ के बाद बिल भेज दिया था। बिल के साथ मैंने इश्तहार की एक कापी भेजी थी। कापी प्रेस में ख़राब हुई थी। प्रेस में मेरे इल्म के बग़ैर कोई शख़्स किसी चीज़ को बदल नहीं सकता है। मैंने ग़लती को दुरुस्त कर दिया और उसकी निस्बत कोई दर्याफ़्त न की। मैं असल मसविदे जात को देर तक नहीं रखता। मेरे और पं० गोपीनाथ के तर्ज़े तहरीर में फ़र्क़ है। मैं नहीं बयान कर सकता कि वह क्या है। अगर मुझे याद न हो तो पुराने एडीटोरियल नोटिस की निस्बत मैं क़यास नहीं कर सकता हूं कि किसके लिखे हुए हैं। मैं यकलख़्त अपने नोट भी पहचान नहीं सकता हूं।

मज़मून 'हमारी राय की वक़अत' मतबूअ़ सन् १८९७ ई० का असल मसविदा मौजूद नहीं है। आर्यों ने उस वक़्त शोर मचाया था। वे मशहूर कर रहे थे कि गोपीनाथ उनका लिखने वाला है। जिस तरह वे मशहूर करते हैं कि वह एडीटर भी है। मैंने उसकी तरदीद न की। पं० कन्हैयालाल मित्रविलास का एडीटर था जो कि हमारे प्रेस में छपता था।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

कार्रवाई १७ जुलाई सन् १९०१ ई०

बयान सानी बा क़रार सालेह

मेरी शादी पटियाले में कौल ख़ान्दान में हुई थी जो कि बड़ा मोअ़ज़्ज़िज़ ख़ान्दान है। मेरे भाई की पहली शादी मेरठ में पं० जगतनारायन रईस की पोती से हुई थी। दूसरी पोती से कन्हैयालाल की शादी हुई थी। अपनी बीवी की मौत

पर पं० गोपीनाथ ने पं० दयाकिशन एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर की बेटी के साथ (जो कि पं० शम्भूनाथ जज हाईकोर्ट कलकत्ते के चचाज़ाद भाई हैं) पेशावर में शादी की थी। इश्तहार कमसर्यट की निस्बत यह है कि वही इश्तहार अख़बार आम में निकल चुका है। यह सिर्फ़ उसी एक अशायत में बिगड़ा था, उसी अशायत की भी बहुत-सी जिल्दों में यह नहीं बिगड़ा था (एक जिल्द पेश करता है)। मुझे मालूम नहीं है कि यह किसने बिगाड़ा था। अख़बार आम मुवर्रिख़े १ जून व १९ जून सन् १८८७ ई० में दो मज़ामीन 'हमारी राय की वक़अ़त' नामी निकले थे, जो कि मुसलमानों को ख़िताब किये गये थे।

ब सवालात अदालत

जवाब दिया कि अख़बार आम की रोज़ाना अशायत दो हज़ार से ज़्यादा है। सही बग़ैर बिगड़ी हुई कापी २४ अप्रैल की मैं अपने मतबूअ़ से लाया हूं। मैंने कमसर्यट औफ़िस को माफ़ीनामा ५ जून को इस मामले पर अपनी शहादत के बाद भेजा था। इस वक़्त मैंने यह समझा कि मामला Serious (संजीदा) है। (इस सवाल पर कि आया उसे मालूम हुआ कि किसने यह अल्फ़ाज़ बिगाड़े, ताम्मुल करता है और जवाब नहीं देता, फिर कहता है। मैं ख़याल करता हूं कि बालकिशन मेरा छोटा भाई इसके लिए ज़िम्मेवार है, उसने इसे बिगाड़ा होगा, यह उसकी बड़ी बेवक़ूफ़ी है।

गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

फ़र्द क़रारदाद जुर्म बख़िलाफ़ हरसै मुल्ज़िमान

(फ़र्द जुर्म बख़िलाफ़ मुल्जिम नम्बर १)

मैं जे० एच० कलवर्ट सिटी मजिस्ट्रेट तुम, ला० मुन्शीराम, पर हस्बज़ैल फ़र्द जुर्म आयद करता हूं कि तुमने १ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० या उसके क़रीब मुक़ाम लाहौर पं० गोपीनाथ की इज़ाले हैसियतउर्फ़ी की, बज़रिये शाया करने चन्द मज़ामीन अखबार सद्धर्म-प्रचारक में जिसमें उस पर सेल्फ़ रेस्पेक्ट से बेबहरापन, नफ़रत, स्याहदिली, बदनीयती से हिन्दुओं के बख़िलाफ़ भड़काने, गंगा-जमनी होने, कमीनापन, हवाये नख़वत से पुर होने, और फ़ितनाअंगेज़, नुक़सान रसां और हतकआमेज़ तहरीरों का मुसन्निफ़ होने का हस्बज़ैल अल्फ़ाज़ में इल्ज़ाम लगाया है।

कोई अशराफ़ आदमी जिसके अन्दर सेल्फ़ रेस्पेक्ट का ज़रा भी ख़याल है हर्गिज़-हर्गिज़ गवारा न करेगा कि कोई रिन्द बरसरे बाज़ार उसकी पगड़ी उतारे या कोई औबाश शरारतन उसे नुक़सान पहुंचाने के लिए सख़्त से सख़्त नाजायज़

वसायल को काम में लावे, मगर वो उन बातों की कुछ भी परवाह न करे, या कमज़कम सेल्फ़ डिफ़ेन्स की भी कोशिश न करे, हम बड़े ताज्जुब से देखते हैं कि सनातन धर्म गज़ट के अन्दर पं० गोपीनाथ साहब की तरफ़ से आर्यों के बख़िलाफ़ सख़्त हतकआमेज़ मुफ़्सिदाना तहरीरें पै दर पै निकल रही हैं, बुग्ज़ व कीने से महज़ शरारतन वह महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज के भूषणों को बेनुक्त सुना रहा है और हर तरह उन्हें बदनाम करने पर कमरबस्ता है, अगर्चे हमें यक़ीन वासिक़ है कि समझदार हिन्दू पण्डित साहब के दम झांसों में नहीं आवेंगे क्योंकि वह ख़ूब जानते हैं कि यह वही गंगा-जमनी पण्डित साहब हैं जिन्होंने मुसलमानों को ख़ुश करने के लिए गावकुशी के मुतल्लिफ़ हिन्दू धर्म के बख़िलाफ़ मज़मून लिखा था। "चाहिए यह था कि पंडित साहब अपनी गुज़िश्ता करतूतों पर नादिम होकर हवाये नख़वत को अपने दिमाग़ से दूर करते और आइन्दा अपने ऐमाल-नामे को स्याह करने से डरते, वह दरीदा दहनी और बुह्तानबाज़ी में पहले से भी बढ़कर दीदा दिलेर हो रहे हैं और शबाना रोज़ आर्यसमाजियों की निस्बत ग़लत-फ़हमियां फैलाने और आर्य पुरुषों पर कमीने हमले करने पर कमरबस्ता हैं।

अगर सनातन धर्म गज़ट के ही आज तक के पर्चों की पड़ताल की जाय तो शायद ही कोई ऐसा पर्चा होगा जो कि हतकआमेज़ और शरर्अंगेज़ तहरीरों से ख़ाली हो। (द० हाकिम)

दूसरे यह कि वाक़ै २८ फ़र्वरी सन् १६०१ ई० को तुमने ब मुक़ाम लाहौर पं० गोपीनाथ की हैसियतउर्फ़ी चन्द एक मज़ामीन शाया करने के ज़रिये से की जिनमें उसको बेअसूला बयान किया है और उसको स्यापे की नायन से तशबीह दी है, उस पर ख़ौफ़ और शर्म का और मज़हबी जलसों के ज़रिये से छः सौ रुपये जुर्माने की अदायगी की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है और उसको एक बेरहम क़ातिल से तशबीह दी है जो कि एक बेबस बालक का गला घोंटता है और यह सब हस्बज़ैल अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर किया गया है। "बेअसूले आदमी का बेअसूलों में ही गुज़ारा हो सकता है", "आपके बग़ैर स्वांग पूरा ही कैसे उतरेगा और स्यापे की नायन का काम कौन करेगा", "इतना क्यों डरते हो, आदमी ढाठ होना चाहिए", "बेशक वरना छः सौ रुपये जेब में आना मुश्किल है", "क्या तुम नहीं देखते कि दयाहीन घातक इस बेबस बालक का गला घोंट कर उसका काम तमाम करने की घात में लगे हुए हैं"।

और इससे वह जुर्म किया जिसकी सज़ा दफ़ै ५०० ताज़ीरात हिन्द में लिखी है और मेरे अख़्तियार के अन्दर है और मैं हुक्म देता हूं कि उस जुर्म में तुम्हारी मेरे रूबरू तहक़ीक़ात हो।

दस्तख़त एच० कलवर्ट

तारीख़ : ४ जून सन् १६०१ ई० मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

बयान मुल्ज़िम नम्बर १

(बिला हल्फ़)

मैं जुर्म के इर्त्तकाब से इन्कारी हूं। मैंने १ और ८ फ़र्वरी सन् १६०१ ई० के सद्धर्म-प्रचारक को ज़रूर तब्अ़ और शाया किया, लेकिन मेरा जवाब है कि यह तहरीरें पं० गोपीनाथ की निस्बत हतकआमेज़ नहीं हैं, उनमें से चन्द एक का ताल्लुक़ गोपीनाथ से नहीं है। और वे मुस्तस्नियात् नम्बर १ व नम्बर ३ व नम्बर ६ व नम्बर ६ ज़ेर दफ़ै ४६६ ताज़ीरात हिन्द में आ जाती हैं। वे एक अख़बारी बहस का हिस्सा हैं जो कि मैंने शुरू नहीं की, बल्कि पं० गोपीनाथ ने शुरू की थी। (द० हाकिम)

सुनाया गया और सही तस्लीम किया गया। (द० हाकिम)

(वाक़ै ४ जून सन् १६०१ ईस्वी)

फर्द क़रारदाद जुर्म बख़िलाफ़ ला० वज़ीरचंद

मुल्ज़िम नम्बर २

मैं जे० एच० कलवर्ट तुम, ला० वज़ीरचंद, पर हस्बज़ैल फ़र्द आयद करता हूं कि तुमने तारीख़ ८ व १५ फ़र्वरी सन् १६०१ ई० या उसके क़रीब ब मुक़ाम जालन्धर पं० गोपीनाथ की इज़ाले हैसियतउर्फ़ी बज़रिये तहरीर एक मज़मून और सद्धर्म-प्रचारक में उसके शाया करने की कि जिसमें उसे बेअसूला बयान किया है और उसको 'स्यापे की नायन' से तशबीह दी, उस पर ख़ौफ़ और शर्म का और मज़हबी जलसों के ज़रिये से छः सौ रुपये के जुर्माने की अदायगी की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है और उसको बेरहम क़ातिल से तशबीह दी है जो कि एक बेबस बालक का गला घोंटता है और यह सब हस्बज़ैल अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर किया गया है।

"बेअसूले आदमी का बेअसूलों में ही गुज़ारा हो सकता है", "आपके बग़ैर स्वांग पूरा ही कैसे उतरेगा और स्यापे की नायन का काम कौन करेगा", "इतना क्यों डरते हो, आदमी ढीठ होना चाहिए", "बेशक वर्ना छः सौ रुपया जेब में आना मुश्किल है", "क्या तुम नहीं देखते कि दयाहीन घातक इस बेबस बालक का गला घोंटकर उसका काम तमाम करने की घात में लगे हुए हैं"।

और इससे वह जुर्म किया जिसकी सज़ा दफ़ै ५०० ताज़ीरात हिन्द में दर्ज है और मेरे हर अख़्तियारात के अन्दर है और मैं हुक्म देता हूं कि इस जुर्म में तुम्हारी मेरे रूबरू तहक़ीक़ात हो।

अदालत मजिस्ट्रेट ज़िला लाहौर
मुवर्रिख़े ४ जून सन् १६०१ ई०

द० एच० कलवर्ट
मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

मुल्ज़िम इर्त्तकाब जुर्म से इन्कारी है।

(द० हाकिम)

बयान ला० वज़ीरचंद मुल्ज़िम नं० २
(बिला हल्फ़)

सवाल—तुम पर फ़र्द जुर्म ज़ेर दफ़ै ५०० ताज़ीरात हिन्द लगाकर दर्याफ़्त किया जाता है कि तुम अपना जवाब लिखाओ कि तुमने यह जुर्म किया है?

जवाब—मैं बिल्कुल बेक़ुसूर हूं। मैं सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेंट एडीटर नहीं हूं। मज़मून 'भांडा फूट गया' जो अख़बार सद्धर्म-प्रचारक ८ व १५ फ़र्वरी सन् १९०१ई० में शाया हुआ, मैंने ज़रूर लिखा था। इसमें मैंने जो कुछ लिखा है वह आर्यसमाज के एक मेम्बर होने की हैसियत से महज़ समाज मज़कूर की डिफ़ेंस में लिखा है और उससे गोपीनाथ की कोई हतक या तौहीन नहीं होती, जैसाकि वह अख़बारी दुनिया में समझा जाता है। दूसरा मज़मून जो अख़बार मज़कूर मुर्वरिख़े १ फ़र्वरी सन् १९०१ में शाया हुआ, वह मेरा लिखा हुआ है और वह भी पण्डित गोपीनाथ के हक़ में तौहीनदेह नहीं है।

(द० हाकिम)

यह बयान मुल्ज़िम को हमारे मवाहजे और समाअत में क़लमबन्द होकर सुनाया गया, और उसने सुनकर उसकी सेहत का इक़बाल किया।

(द० हाकिम)

फ़र्द क़रारदाद जुर्म बख़िलाफ़ ला० बस्तीराम मुल्ज़िम नं० ३

मैं जे० एच० कलवर्ट सिटी मजिस्ट्रेट तुम, ला० वस्तीराम, पर हस्बज़ैल जुर्म आयद करता हूं कि तुमने १ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० या उसके क़रीब बमुक़ाम लाहौर पं० गोपीनाथ की इजाले हैसियतउर्फ़ी की, बज़रिये शाया करने चन्द मज़ामीन अख़बार सद्धर्म-प्रचारक में जिसमें उस पर सेल्फ़ रेस्पेक्ट से बेवहरापन, नफ़रत, स्याहदिली, बदनीयती से हिन्दूओं के बख़िलाफ़ भड़काने, गंगा-जमनी होने, कमीनापन, हवाये नख़वत से पुर होने और फ़ितना अंग्रेज़, नुक़सानरसां और हतकआमेज़ तहरीरों का मुसन्निफ़ होने का हस्बज़ैल अल्फ़ाज़ में इल्ज़ाम लगाया है।

कोई अशराफ़ आदमी जिसके अन्दर सेल्फ़ रेस्पेक्ट का ज़रा भी ख़याल है, हर्गिज़-हर्गिज़ गवारा न करेगा कि कोई रिन्द बरसरे बाज़ार उसकी पगड़ी उतारे या कोई औबाश शरारतन उसे नुक़सान पहुंचाने के लिए सख़्त से सख़्त

नाजायज़ वसायल को काम में लावे, मगर वह उन बातों की कुछ भी परवाह न करे, या कम से कम सेल्फ़ डिफ़ेन्स की भी कोशिश न करे, हम बड़े ताज्जुब से देखते हैं कि सनातन धर्म गज़ट के अन्दर पं० गोपीनाथ साहब की तरफ़ से आर्यों के बख़िलाफ़ सख़्त हतकआमेज़ मुफ़्सिदाना तहरीर पै दर पै निकल रही हैं। बुग्ज़ (ईर्ष्या) व कीने (द्वेष) से महज़ शरारतन वह महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज के भूषणों को बेनुक्त सुना रहा है और हर तरह उन्हें बदनाम करने पर कमरबस्ता है। अगर्चे हमें पूर्ण विश्वास है कि समझदार हिन्दू पण्डित साहब के दमझांसों में नहीं आवेंगे, क्योंकि वह ख़ूब जानते हैं कि यह वही गंगा-जमनी पंडित साहब हैं जिन्होंने मुसलमानों को ख़ुश करने के लिये गावकुशी के मुतल्लिक़ हिन्दू धर्म के बख़िलाफ़ मज़मून लिखा था।

चाहिए यह था कि पण्डित साहब अपनी गुज़िश्ता करतूतों पर नादिम होकर हवाये नख़वत को अपने दिमाग़ से दूर करते और आइन्दा अपने ऐमालनामे को स्याह करने से डरते, वह दरीदा दहनी और बुहतानबाज़ी में पहले से भी बढ़कर दीदा दीलेर हो रहे हैं और शबाना रोज़ आर्यसमाजियों की निस्बत ग़लतफ़हमियां फैलाने और आर्य पुरुषों पर कमीने हमले करने पर कमरबस्ता हैं।

अगर सनातन धर्म गज़ट के ही आज तक के पर्चों की पड़ताल की जाये, तो शायद ही कोई ऐसा पर्चा होगा जो कि हतकआमेज़ और शरर्अंगेज़ तहरीरों से ख़ाली हो।

(द० हाकिम)

दूसरे यह कि वाक़ै २८ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० को तुमने बमुक़ाम लाहौर पं० गोपीनाथ की इज़ाले हैसियतउर्फ़ी चन्द एक मज़ामीन शाया करने के ज़रिये से की। जिनमें उसको बेअसूला बयान किया है और उसको 'स्यापे की नायन' से तशबीह दी है। उस पर ख़ौफ़ और शर्म का और मज़हबी जलसों के ज़रिये से छः सौ रुपये जुर्माने की अदायगी की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है और उसको एक बेरहम क़ातिल से तशबीह दी है जो कि एक बेबस बालक का गला घोंटता है और यह सब हस्बज़ैल अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर किया गया है।

"बेअसूले आदमी का बेअसूलों में ही गुज़ारा हो सकता है", "आपके बग़ैर स्वांग पूरा ही कैसे उतरेगा और स्यापे की नायन का काम कौन करेगा", "इतना क्यों डरते हो, आदमी ढीठ होना चाहिए", "बेशक वर्ना छः सौ रुपया जेब में आना मुश्किल है", "क्या तुम नहीं देखते कि दयाहीन घातक इस बेबस बालक का गला घोंट कर उसका काम तमाम करने की घात में लगे हुए हैं"।

तीसरे यह कि पहली फ़र्वरी सन् १९०१ ई० या इससे पेशतर बमुक़ाम जालन्धर तुमने मज़मून हतकआमेज़ मुन्दर्जे फ़र्द जुर्म नम्बर १ तब्अ किया। और इससे जुर्म ज़ेर दफ़ै ५०१ ताज़ीरात हिन्द सर्ज़द किया जो कि मेरे हद्दूदे अख़्तियार

समाअ़त के अन्दर है। और मैं हुक्म देता हूं कि उस जुर्म में तुम्हारी मेरे रूबरू तहक़ीक़ात हो।

अदालत साहब सिटी मजिस्ट्रेट ज़ि० लाहौर (द० एच० कलवर्ट)
४ जून सन् १६०१ ई०

मुल्ज़िम इर्त्तकाब जुर्म से इन्कारी है। (द० हाकिम)

बयान ला० बस्तीराम मुल्ज़िम नं० ३
(बिला हल्फ़)

सवाल—तुम पर फ़र्द जुर्म ज़ेर दफ़ै ५०१ ताज़ीरात हिन्द लगाकर दर्याफ़्त किया जाता है कि तुमने यह जुर्म किया या नहीं—अपना जवाब लिखाओ।

जवाब—मैं बिल्कुल बेक़ुसूर हूं, सद्धर्म-प्रचारक प्रेस का मैं असिस्टेण्ड एडीटर हूं। सद्धर्म-प्रचारक अख़बार से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, न उसकी अशाअ़त से मेरा कोई वास्ता है। मैं स्टाक और किताबों के हिसाब का ज़िम्मेवार हूं जो प्रेस के मुतल्लिक़ हैं, अशायत के काम से मेरा ताल्लुक़ नहीं, ला० मुन्शीराम का मैं मुलाज़िम हूं।

(द० हाकिम)

यह जवाब अख़ीर हमारे मवाहजे और समाअ़त में क़लमबन्द होकर मुल्ज़िम को सुनाया गया और उसने सुनकर उसकी सेहत का इक़बाल किया।

(द० हाकिम)

नोट—मुल्ज़िमान (१) मुस्तग़ीस, (२) ईशरीप्रसाद, (३) अविनाशचन्द्र, (४) रामचन्द्र, (५) हीरालाल, (६) रामभजदत्त, (७) रोशनलाल, और (८) पं० गोविन्दसहाय को तलब करना चाहते हैं और किसी को तलब कराना नहीं चाहते।

(द० हाकिम)

शहादत गवाहान सफ़ाई

(१) **मिस्टर कुंजबिहारी थापर**—ज़ात खत्री, सेक्रेटरी पंजाब पबलिक लाइब्रेरी।

(बाक़रार सालेह)

मैं लाहौर में सन् १८८३ ई० से हूं, मैं टेक्स्ट बुक कमेटी का असिस्टेण्ट सेक्रेटरी हूं और नीज पंजाब ऐसोसिएशन का और पंजाब मैगज़ीन का एडीटर हूं। मेरा लाहौर में अच्छे दायरे में रब्त-ज़ब्त है। मैं गोपीनाथ को जानता हूं लेकिन

बतौर दोस्ताना नहीं, मेरी उसके साथ कोई निज की दोस्ती नहीं है और ज़ाती तौर पर उसके हक़ में या बख़िलाफ़ कुछ नहीं जानता हूं। उसने सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के बख़िलाफ़ एक मुक़द्दमा किया था। उस मुक़द्दमे में मिस्टर राटीगन और मिस्टर राबिन्सन को मैंने दोस्ताना मदद दी थी। मैंने एक लम्बी तहक़ीक़ात की थी और सुराग़रसांओं से मदद ली थी और मुझे मालूम हुआ था कि उसकी सोहरत बतौर एक पबलिकमैन (Public Man) के खराब थी।

बसवालात जिरह

जवाब दिया कि अखबार ने माफ़ी मांग ली और मुक़द्दमे का राज़ीनामा हो गया था।

यह मामला सन् १८९३ ई० या सन् १८९४ ई० का है। मैं गोपीनाथ को पब्लिक जलसों में देखता रहा हूं। जलसे हाये क़हत व एचीसन कालिज व इण्डियन ऐसोसियेशन लाहौर में इसकी मजलिसी हैसितत की निस्बत मैं कुछ नहीं जानता। सन् १८९७ ई० की फ़ेमिन रिलीफ़ कमेटी में वह शामिल था, आख़िरी में नहीं था, हर क़िस्म के आदमी जो कि दिलचस्पी रखते हों ऐसे जलसों में आते हैं। चपरासी वग़ैरा नहीं शरीक थे। मुन्शी शायद होंगे, बहुत से तालीमयाफ़्तगान उस कमेटी में थे, मेरे अपने वाक़िफ़ों में बाबू मदनगोपाल और राय प्रतुलचन्द्र साहब थे। राटीगन साहब मेरे मेहर्बान और राबिन्सन साहब मेरे दोस्त थे। इसलिए राबिन्सन साहब को इस मुक़द्दमे में मदद दी थी। **(अज़ बयान उर्दू)**

गवाह ने सुनकर सही तसलीम किया।

(द० हाकिम)

गवाह सफाई मुल्ज़िमान नं० २

शेख अब्दुल क़ादिर—एडीटर अख़बार पंजाब ऑब्ज़र्वर लाहौर।

(बाक़रार सालेह)

पं० गोपीनाथ को सरसरी तौर पर जानता हूं। उसकी तहरीरें कई मर्त्तबा मेरी नज़रों से गुज़री हैं, मय मज़मून होली के। जिसकी निस्बत की फ़ौजदारी का मुक़द्दमा हुआ था। मैंने उससे सख़्त नाइत्तफ़ाक़ी ज़ाहिर की थी और अखलाक़ अमांह के लिए इस क़िस्म के ख़तरे के बख़िलाफ़ एक सख़्त प्रोटेस्ट (Protest) (रोक) शाया किया था और गवर्नमेण्ट की तवज्जह दिलाई थी कि उसके लिए कार्रवाई करे। मेरे ख़याल में रिन्द का इतलाक़ एक शख़्स के चाल-चलन पर होता है न कि उसकी तहरीरों पर, उसके माने अच्छे या मामूली भी हो सकते हैं लेकिन अमूमन् बदचलनी के मानों में मुस्तमिल होता है, मैं उस मज़मून के लिखने

वाले को फ़ोहश लिखने वाला कहूंगा। वह मज़मून बहुत ही ज्यादा गन्दा था। मैंने कभी किसी अख़बार में भी होली पर ऐसी ज्यादती नहीं देखी। मैंने उस मज़मून को इश्तआलबख़्श बतलाया था। अख़बार आम में शादी की निस्वत एक मज़मून था। जिसे मैंने अखबारनवीसी के लिए बाइसे ज़लालत समझा था क्योंकि उसमें ख़रीदारों से चन्दे के अलावा मदद मांगी गई थी। ख़रीदारों से चन्दे से ज़्यादा तलब करना कमीनापन है। गोपीनाथ की शोहरत अच्छी नहीं है।

बर सवालात जिरह

मैं कभी-कभी आर्यसमाज के अख़बार पढ़ा करता हूं। मैंने उनमें कभी भी बहुत सख़्त गोपीनाथ के बख़िलाफ़ कुछ नहीं पढ़ा है। उनमें सनातन धर्म की निस्वत मुबाहसे जात छपते हैं। लेकिन वे गाली की हद तक पहुंचे हुए नहीं होते। यह पर्चा आर्य धर्मरक्षक है। मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। उसमें एक पं० गोपीनाथ पर हमला है। (वकील इस्तग़ासा इस और दीगर गवाहान से ऐसे अशख़ास की तहरीरों की निस्वत सवालात करना चाहता है जिनका मुक़द्दमे से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, महज़ यह ज़ाहिर करने के लिए कि किन हालात के अन्दर गोपीनाथ ने अपने मज़ामीन लिखे, ताकि सफ़ाई का यह उज़र कि उनकी यह तहरीरें सही हैं, और गोपीनाथ के जवाब में लिखी गई हैं, कमज़ोर हो जावे। ऐसे सवालात मेरी राय में बिल्कुल ग़ैरमुतल्लिक़ हैं क्योंकि जिन हालात के अन्दर कि गोपीनाथ ने अपने मज़ामीन लिखे, उनका सफ़ाई के उस उज़र पर कोई असर नहीं पड़ सकता कि वे तहरीरें ग़लत, गंगा-जमनी, फ़ोहश और मुफ़सिदाना हैं।)

(द० हाकिम)

मैंने अपने अखबार में कभी नहीं लिखा कि गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ नेक सलूक करती है और हिन्दुओं के साथ नहीं। मैंने ख़ास मामलात में इस पर उज़र किया है कि गवर्नमेंट ने मुसलमानों की निस्वत हिन्दुओं पर ज़्यादा शफ़क़त की है, बाज़ उनमें से सही थे। और गवर्नमेंट ने कई हालतों में शिकायतों को रफ़अ़ भी कर दिया है। लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी ने इस बारे में मेरे कुछ रिमार्कों पर एतराज़ करके ख़त लिखा था। जो मैंने ११ जून १९०१ ई० के पर्चे में छाप दिया।

(द० हाकिम)

बयान सानी नहीं हुआ, गवाह ने सुनकर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

गवाह् सफ़ाई मुल्ज़िमान नं० ३

निज़ामुद्दीन—वल्द शेख संधी, ज़ात शेख, उमर ४० साल, साकिन कपूरथला, कातिब।

(बाक़रार सालेह)

मैं ला० मुन्शीराम का मुलाज़िम (मतबूअ्) सद्धर्म-प्रचारक में हूं, वज़ीरचन्द का इस अख़बार या उसके स्टाफ़ (staff) के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस्तीराम महासिव है। उसका अखबार के मज़ामीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह पर्चे ज़ात दस्तावेज़ात डी ९१, डी ९२, डी ९३ सब मेरे दस्तख़ती हैं। वे मुवर्रिख़े १२ अप्रैल १८९८ ई० व १२ अप्रैल सन् १९०० ई० व १२ जून १९०० ई० हैं।

अज़ सद्धर्म-प्रचारक मतबूअ् १२ अप्रैल १८९८ ई०

रोपड़ में वैदिक धर्म की जय

रोपड़ धर्मसभा का चौथा सालाना जलसा २५, २६, २७ मार्च सन् १८९८ ई० को था। पहले जलसों वग़ैरा के मौक़े पर तो धर्मसभा वाले बिलकुल इजाज़त नहीं दिया करते थे कि उनके साथ वहस की जावे, मगर बहुत हानि देखकर इस दफ़ँ उन्होंने इजाज़त दे ही दी।

९ बजे से १०॥ बजे सुबह तक धर्म-चर्चा के वास्ते वक़्त था, गो आर्यसमाज की तरफ़ से प्रार्थना भी की गई कि सुबह के वक़्त लोग कम होंगे, धर्म-चर्चा का वक़्त शाम को रक्खा जावे, मगर नामंज़ूर हुई। वक़्त मुक़र्ररा पर आर्य लोग श्रीमान् मान्यवर पं० गिरधारीलाल जी को साथ लेकर उनके मण्डप में पहुंच गये, हमारे वास्ते दूसरा मज़ लगा दिया गया। ठीक ९ बजे सुबह के पं० गोपीनाथ ने बातचीत शुरू की, बातचीत क्या थी अगर सच पूछो तो वक़्त टालने की फ़िकर में हमारे गोपीनाथ साहब लगे हुए थे। गोपीनाथ साहब का यह असूल था कि सनातन सभा वाले वेदों, शास्त्रों, और पुराणों को सबको एक जैसा मानते हैं, उधर आर्यसमाज की पोज़ीशन थी कि वेद (ऋग्, यजुर्, साम, अथर्व) ही स्वतः प्रमाण हैं, आर्यसमाज की तरफ़ से पहले मैंने यह कहा कि चूंकि हमारे सनातनी पण्डित वेदों और पुराणों सबको एक जैसा मानते हैं और हम सिर्फ़ वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं, तो साबित है वेदों को दोनों मानने वाले हैं। अब बहस चूंकि मूर्तिपूजा पर है इस वास्ते वेद में से उसको सिद्ध किया जावे। और अगर वेद

में नहीं है तो सनातन पण्डित पहले इस बात को स्वीकार कर लें कि ऋग्, यजुर्, साम और अथर्व में तो मूर्तिपूजा नहीं है, दूसरे ग्रन्थों में है; क्योंकि अव्वल बहस वेद पर है। इस पर तो हमारे कश्मीरी लस्सान घबराये और लगे इधर-उधर की गप्प हांकने; क्योंकि उनके दिल में घमण्ड था कि रोपड़ शहर में भी वह अपनी तबअज़ाद गालियां और चिकने-चुपड़े लफ़्ज़ों से काम निकाल लेंगे, ग़र्ज़ तंग आ गये और लगे आर्यसमाज को कोसने। जब यह हालत देखी कि उन्होंने फ़ज़ूल तक़रीर में एक घंटा टाल दिया और बाक़ी सिर्फ आध घंटा रह गया, तो श्रीमान् पं० गिरधारीलालजी उठे और उन्होंने वेदों के प्रमाणों से सिद्ध किया कि मूर्ति-पूजा वेदों में नहीं बल्कि उसका करना पाप है। नीज़ उन्होंने फ़र्माया कि वेदों में मूर्तिपूजा का निषेध है। सनातनी पण्डित इन मन्त्रों का खण्डन करें और अगर कोई मूर्तिपूजा का मन्त्र वह अपनी तरफ़ से पेश करेंगे तो वेद में परस्पर विरोध हो जावेगा। जो बड़ा भारी दोष है, और खूब ही संस्कृत बोले। अब तो पं० गोपीनाथ साहब घबराये और अपने मुंह से कह उठे कि मैं संस्कृत का विद्वान् नहीं और नाहीं हम पत्थर पूजने वाले हैं। यह कहना ही था कि लोगों को निश्चय हो गया कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं है। इस पर श्रीमान् पं० गिरधारीलालजी ने फिर तो खूब ही कहा कि लोगों को आज तक धोखा क्यों दे रहे थे। इस पर तो गोपी-नाथ साहब के रहे-सहे हवास भी उड़े। आख़िरश: एक कश्मीरी चाल चले कि पहले वेद को स्वत:प्रमाण सिद्ध करो। उसके जवाब में मैंने लोगों को बतला दिया कि इस वक़्त हमारा हक़ सवाल करने का है; क्योंकि हम उनकी सभा में आये हैं। अलावा अज़ीं डेढ़ घंटे के क़रीब मूर्तिपूजा पर बहस होती रही। अब हर तरह से फंस कर पं० गोपीनाथ साहब आप लोगों को टालमटोल में डालते हैं। अगर मूर्तिपूजा वेद में है तो क्यों साबित नहीं करते। ग़र्ज़ कि जिस वक़्त वह ऐन नज़अ् में आ गये तो उनकी तरफ़ से एक दफ़े ही इस क़िस्म की हलचल मची कि कुल सभा बर्खास्त हो गई। यह लोग जब फंसते हैं तो ऐसा ही किया करते हैं। बाद अज़ां आर्य लोग खूब भजन बाज़ार में गाते और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर लेक्चर देते। समाजमन्दिर में आये लोगों को निश्चय हो गया कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं है।

राक़िम सोमनाथ,
मंत्री आ० स० रोपड़

अज़ अख़बार सद्धर्म-प्रचारक १२ अप्रैल १९०० ई०

सनातन वैदिक धर्म की जय

प्रिय पाठकगण, आपसे बिछड़े हुए मुझे नौ महीनों से ज्यादा का अर्सा हो

चुका, गो इस अर्से में कभी-कभी अपनी आवाज़ आपके कानों में पहुंचाने की कोशिश करता रहा, ताहम जिस बेतकल्लुफ़ी से खुलकर पहले मिला करते थे, वह बात नहीं रही थी। इस दौरान में जो भाई मेरे प्रतिनिधि बनकर आपको वैदिक धर्म का संदेशा पहुंचाते रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन उनमें से भी मुझे अपने धर्मप्रिय अज़ीज़ महाशय वज़ीरचन्द विद्यार्थी जी का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने कि बड़ी मेहनत और प्रेम के सच्चे भाव से प्रेरे जाकर मेरे फ़र्ज़ का बोझ अपने कंधों पर लेकर उसे पूरा करने की कोशिश की।

अज़ सद्धर्म-प्रचारक जालन्धर १२ जून सन् १९०० ई०

भारत माताओं को देवियां बनाओ

माता का अपनी सन्तानों पर जैस जबरदस्त असर पड़ता है वैसा और किसी का नहीं। इंगलिस्तान और यूरुप के इतिहास हमें सैंकड़ों ऐसी तमसीलें बतलाते हैं जहां माता के ग़ैरमामूली असर ने सन्तान को ग़ैरमामूली शक्तियों से शक्तिमान् बना दिया, हाल मैं ही काशी की 'सुदर्शन' नामी मैगज़ीन में प्रसिद्ध तैलंग स्वामी का जीवन-वृत्तान्त छपा है, उसके दौरान में ज़ाहिर किया गया है कि तैलंग स्वामी को ईश्वरपरायणता और योग में रुचि दिलाने वाली उनकी माता थीं। सुदर्शन लिखता है, "उनकी माता विद्यावती विलक्षण बुद्धिमती (अजीव अक़्लमंद) थीं। पिता की मृत्यु के अनन्तर (बाद) यह माता के पास विद्या पढ़ने लगे। कहते हैं कि उनकी माता बड़ी पण्डिता थीं और योगक्रिया में भी निपुण थीं। अपने होन-हार पुत्र को उसने और-और शास्त्रों के साथ कुछ-कुछ योगशास्त्र की भी शिक्षा दी थी। माता ने जो इस समय उनके हृदयक्षेत्र में योग का बीज रोपण कर दिया था पीछे वही सींचा जाने पर प्रकाण्ड वृक्ष के आकार में परिणत हो गया था······

तैलंग स्वामी की माता से उन्हें संन्यासी होने का उपदेश मिला था कि यह नहीं जाना गया, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इनकी इच्छा भी यह न थी कि उनका प्रिय पुत्र संसार की दलदल में पांव फंसा लें, क्योंकि उनके पिता ने कई बार वधुओं के अनुरोध पर विवाह का प्रस्ताव किया था, पर माता आजकल करके टालती गईं। बयान किया गया है कि मां के मरने पर जिस जगह उसका अन्त्येष्टि-संस्कार हुआ था उस जगह तैलंग स्वामी ने कुटिया बनाकर योगाभ्यास करना शुरू कर दिया था। इस तरह के सैंकड़ों दृष्टान्त तलाश करने से शायद भारतवर्ष की इस गिरी हुई दशा में भी मिल सकें। यही वजह है कि शास्त्रों में हर जगह माता का नाम सबसे पहले आता है। छान्दोग्य उपनिषद् में पूजनीय देवताओं की शुमार में

पहला नाम माता का है। मनु ने पिता वग़ैरा सबसे बढ़कर माता की इज़्ज़त करना लिखा है। लेकिन क्या हमारे स्वदेशी भाई इस मातृ-गौरव को समझ रहे हैं? साधारण पुरुषों का ज़िकर ही क्या है, आर्य पुरुष भी अब तक यह समझे कि जब तक माताएं विदुषी न होंगी तब तक हमारा उद्धार होना कठिन है। अगर समझते तो क्या कन्या महाविद्यालय की यही दशा रहती, जो इस वक़्त दिखाई देती है, और क्या कन्या अनाथालय के साथ वही बर्त्ताव होता जो इस वक़्त हो रहा है। भाई देवराज के लगातार जगाने के बावजूद अफ़सोस कि आर्य भाई उसी तरह सोये पड़े हैं, हमारे घरों में राक्षसों का निवास हो रहा है, क्योंकि माताएं चुड़ैल बन रही हैं। अगर सचमुच इस भूमि को अज़ सरे नौ देवताओं का स्थान बनाना चाहते हैं, तो भारतमाताओं को देवियां बनाओ।

बर सवालात जिरह

वज़ीरचन्द एक गांव में अलहदा रहता है। मतबूअ़ में नहीं रहता। वह गांव दो सौ क़दम के फ़ासले पर है। उसको प्रतिनिधि सभा से तनख्वाह मिलती है। वह अख़बार के लिए मज़ामीन भेजा करता है। मैं नहीं कह सकता कि साल में कितनी बार भेजता है। बस्तीरात महासिब है। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसका नाम कभी असिस्टेण्ट मैनेजर की हैसियय से लिखा हो। आर्य मुसाफ़िर मैगज़ीन भी इसी मतबूअ़ में छपती है। उसका एडीटर वज़ीरचन्द है। ला० मुन्शीराम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जुमला नामेनिगारों की तहरीरों को पहचानता हूं। बाज़ हालतों में मुझे यह भी मालूम नहीं है कि असल या नक़ल मेरे पास भेजी जाती हैं।

बयान सानी नहीं हुआ। गवाह ने सुन कर सही तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

गवाह सफ़ाई मुल्ज़िमान नं० ४

रामदास—वल्द चन्दूलाल, ज़ात खत्री, उमर २० वर्ष, साकिन बजवाड़ा, ज़िला होशियारपुर।

(बाक़रार सालेह)

२० जून सन् १९०० ई० के सद्धर्म-प्रचारक के मज़मून का तर्जुमा मैंने किया है। वह दस्तावेज़ डी ९३ है। जुमला दस्तावेज़ात डी नम्बर ४, ७, ९, १३, १६, १८, २०, २२, २३, २६, २८, ३०, ३३, ३४, ३६, ३८, ४१, ४३, ४६, ४९, ५१, ५४, ५५, ५७, ५९, ६१, ६२, ६४, ६६, ६८, ७० ८० ८२ का मैंने तर्जमा किया है और मतबूअ़ में प्रूफ़ भी मैंने ही देखे थे। वे उन्हीं मज़ामीन के तर्जुमे हैं

जिनके वे ज़ाहिर होते हैं और सब सही तर्जुमे हैं। छापे की चन्द एक ग़ल्तियों को मैंने दुरुस्त कर दिया है।

बर सवालात जिरह जवाब दिया

मैंने एफ़० ए० का इम्तहान पास किया है। और बी० ए० तक पढ़ा है। लेकिन इम्तहान में दाखिल नहीं हुआ था। मैं जालन्धर छावनी आर्यसमाज का मेम्बर हूं। लोग समझते हैं कि (आर्यसमाज की) दो पार्टी हैं: महात्मा और कल्चर्ड। मैं महात्मा पार्टी की तरफ़ हूं। जिसके ला० मुन्शीराम, ला० रामभजदत्त और ला० रोशनलाल मेम्बरान हैं। मैं दो-तीन वर्षों से मेम्बर हूं। (सरकारी तौर पर मुझे तर्जुमे करने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ —**अज़ बयान उर्दू**)।

लेखराम के मरने पर दोनों पार्टियों की सुलह हो गई थी, लेकिन बाद में फिर अलहदा-अलहदा हो गये। बाकरा बेवगान के ब्याह की इजाज़त है मगर दूसरीयों की नहीं। जो मर्द ब्याह के बाद अपनी बीवी की मुक़ारबत हासिल कर चुके हैं अगर उनकी बीवियां मर जायं तो वे अक़्द सानी नहीं कर सकते। बशर्ते कि वे तीन आला वर्णों से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन दीगर वर्णों में वे ब्याह कर सकते हैं। आर्य लोग अपने तईं हिन्दू नहीं समझते। अपने आपको सनातनी हिन्दुओं से अलहदा समझते हैं। वे ख़ास हालात में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खा सकते हैं लेकिन चमारों के साथ नहीं, जो कि चमड़े का काम करते हैं। मैं अमूमन मुसलमानों के साथ नहीं खाता हूं। लेकिन एक मर्त्तबा इस तरह खाया है। मैंने चमार के हाथ से कभी नहीं खाया। मैंने एक मर्त्तबा एक रहतिये के हाथ से खाया है जो आर्य था। (नियोग करना आर्यों में जायज़ है, नियोग से मुराद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से किसी की औरत मर जावे और बेऔलाद हो तो अव्वल उसे मुजर्रद रहने की कोशिश करनी चाहिये और किसी का लड़का गोद ले लेना चाहिये। लेकिन अगर बिल्कुल ही उससे न रहा जावे और नसल का खातमा हो, तो ऐसी हालत में किसी और ऐसे हालात वाले आदमी या औरत से शास्त्र के क़ायदे के मुताबिक़ मुजामअ़त करके दो-एक औलाद पैदा कर सकता है। मैं जालन्धर छावनी में कालीबाड़ी में रहता हूं। सभा के मकान में नहीं रहता —**अज़ बयान उर्दू**)।

गवाह ने सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया।

(द० हाकिम)

वकील मुल्ज़िम पं० गोपीनाथ पर मजीद जिरह की इजाज़त मांगता है। गोपीनाथ का वकील उज़्र करता है और इसलिये मैं मजबूरन दर्ख्वास्त को नामंज़ूर करता हूं।

(द० हाकिम)

तर्जुमा बयान गवाह मुल्ज़िमान नं० ५

करीमबख्श—कश्मीरी, उमर ३७ साल, क्लर्क, साहब ऐग्ज़ामिनर पबलिक वर्क्स एकाउन्ट औफ़िस, लाहौर।

(बाक़रार सालेह)

मैं पं० गोपीनाथ साहब को जानता हूं। वह मेरे दोस्त हैं। उन्हें सन् १८७७ ई० या सन् १८७८ ई० से जानता हूं। हम उसी स्कूल (गवर्नमेण्ट स्कूल) में पढ़ते थे। सन् १८७९ या सन् १८८० ई० में मैंने (स्कूल) छोड़ दिया और तब मैं रियासत जम्मू में मुलाज़िम हो गया। मैं दीवान अमरनाथ हाल गवर्नर जम्मू का उस्ताद एक साल तक रहा। और फिर लाहौर वापिस आ गया। सन् १८७८ ई० की दोस्ती आज तक बदस्तूर जारी है। स्कूल में पं० गोपीनाथ का मैं गाढ़ा दोस्त था। खसू-सियत के साथ गोपीनाथ मेरे मकान पर आया करता था। और हम एक-दूसरे की मां और बहन को अपनी मां-बहन समझा करते थे। मैं उसकी (मुस्तग़ीस की) मां को प्यार करता था और वह मुझे खिलाया करती थी.........और मैं गोपीनाथ को अपने घर पर खाना खिलाया करता था और वह मेरा खाना खाता था। हम इकट्ठे सैर को जाया करते थे और जो कुछ खाते थे उसकी क़ीमत कभी वह देता था और कभी मैं देता था। वह बाज़ार की खरीद की हुई चीज़ें अक्सर खाता था। दोस्त इकट्ठे मिला करते थे। और खर्च के लिये चन्दा कर लिया करते थे, औरतें भी नाचने के लिए मौजूद होती थीं। और गोपीनाथ के लिये और मेरे लिये बुलाई जाती थीं। गोपीनाथ रंडियां रखा करता था—बर्कतजान, मुन्नीजान, नाज़ो, मोतीजान। आखिरी गोपीनाथ की मंज़ूरे नज़र थी। इस क़िस्म की कार्रवाई सन् १८९६ या १८९७ ई० तक जारी रही। एक साल हुआ, गोपीनाथ ने मुझे कहा था कि उसका ताल्लुक़ अनारकली की एक यहूदन औरत से है। परसों रात को भी वह मेरे मकान पर मय पं० बालकिशन के आया। और उससे दो-तीन दिन पेश्तर भी (आया था) पोस्टकार्ड (दस्तावेज़ डी ९४) भी मुझे पं० गोपीनाथ ने भेजा था। दस्तावेज़ ९५ भी मुझे पं० गोपीनाथ ने भेजा था।

(तर्जुमा दस्तावेज़ डी ९५)

अखबार आम औफ़िस
३१ मई १८९२ ई०

मेरे प्यारे करीमबख्श जी,

मुझे आप बहुत अर्से से नहीं मिले। मैं नहीं जानता क्या वजह है, जिस दिन का इक़रार था उस दिन मैंने बहुत अर्से तक आपका इन्तज़ार किया था, लेकिन आप

तशरीफ़ नहीं लाये। बराये मेहर्बानी इत्तला दीजिए कि आपका मिजाज कैसा है। मैंने मुल्तान और शिकारपुर को ख़तूत भेजे हैं और जवाब आपके पते से मंगाये हैं। अगर आपके पास पहुंचें तो मुझे मुत्तलअ् करें।

—जी० एन०

इसमें जिन ख़तूत का ज़िकर है उनसे मुराद रंडियों के ख़तूत से है, जिन्होंने कि मेरी मार्फ़त गोपीनाथ को जवाब देना था। इसकी तारीख़ सन् १८६२ ई० है। यह ख़त दस्तावेज़ात डी ६६ भी मुझे भेजा गया था। यह मोतीराम की तरफ़ से है (मतलब मोतीजान) गोपीनाथ के लिये।

(नक़ल दस्तावेज डी ६६)

लिफ़ाफ़े हाज़ा ख़ास शहर लाहौर—तबेला शाहनवाज़ पास करीमबख़्श के पहुंच कर पं० गोपीनाथ को मिले।

—मुर्सले मोतीराम अज़ करांची
(लाहौर)

नोट—इस जगह करांची की २७ दिसम्बर सन् ६२ ई० और लाहौर की २६ दिसम्बर सन् ६२ ई० की मोहरें हैं।

मज़मून ख़त

सदा तन्दुरुस्त और सलामत रहिये।
सलामत रहिये जी सलामत रहिये॥
मुशफ़िक़ लिखूं शफ़ीक़ लिखूं दिलरुबा लिखूं।
मुद्दत से सोचती हूं के अल्क़ाब क्या लिखूं॥

मेरी जान, मेरे प्यारे, मैं तुझ पर हूं क़ुर्बान। तेरी क़ुर्बत हक़ से मतलूब है, तेरी मुहब्बत से बहर हाल हालत, बहर हाल हालत, तेरी ख़ब्र है, ज़ुबान एक और कलाम। न कि तुझको मालूम बाद अज़ सलाम।

गुज़रता है जैसा क़लक़ मेरी जान।
लिखूं क्या क़लम की है क़ासिर ज़ुबान॥
मैं दिन-रात रहती हूं तेरे ध्यान में।
न है जान मेरी गोया जान में॥
नहीं होता तेरे दिल को असर।
कि होती दिल को तो दिल की ख़बर॥

लाहौर में तेरा गुज़ारा हुआ।
मेरा दिल जुदाई से पारा हुआ।
तेरी जुदाई किस को मंज़ूर है।
ज़मीं सख्त और आसमां दूर है।।
खत जो मैंने रवाना किया।
तसल्ली की खातिर बहाना किया।।
तसुव्वर तेरा मुझको दिन-रात है।
के अलमक़तूबअलह् निस्फ़ मुलाक़ात है।।

जनाब आली, यह क्या वजह कि इस कनीज़ ने पहले एक क़ितअ् खत खिदमत अक़दस में रवाना किया मगर जवाब से महरूम हूं। मेरे खयाल यह और आपके खयाल यह, अफ़सोस! सद अफ़सोस!! मेरी हालत यह है कि मैं दिल के लगने से भी आजिज़ हूं।

शेर

वह कब खातिर में लाता है मेरे आज़ुर्दा होने को।
यह सुन रक्खा है ज़ालिम ने फंसा दिल कब निकलता है।

मेरे प्यारे, मेरी हालत आपकी जुदाई में बिलकुल अवतर है और मानिन्द मछली बेआब के तड़पती हूं मगर खैरियत, यह मेरी जान यह याद रखना और इस मेरी अरज़ को खूब खयाल रखना।

शेर

तेरे ही दिल की क़सम है अय यार मर जायेंगे हम।
सर को अपने दर तेरे से मार मर जायेंगे हम।।

मुझको मेरी जान हमेशा धोखा देते हो।

जानते हो आपसा दम बाज़ी जांबाजों को भी।
दम से समझा जाओगे, जब अपना दम दे देंगे हम।।

मेरे हज़ूर, मेरे को दिन-रात आपके खयाल में इस क़दर ध्यान रहता है कि एक-एक दिन और एक-एक रात साल-साल का गुज़रता है।

शेर

शबे दर्देग़म यों बसर हो गई है।
तड़पते-तड़पते सहर हो गई है।।

दीगर

किसी की शबे वस्ल सोते कटी है।
किसी की शबे हिज्र रोते कटी है।।

हमारी यह शब है कैसी खुदाया ।
न रोते कटे है न सोते कटे है ॥

बराये मेहर्वानी अगर रोज़मर्रहा ख़त नहीं तहरीर कर सकते तो हफ़्ते बाद रवाना किया करें, ताकि इस दिलेबेकस को इतमिनान रहे।

शेर

ख़तो किताबत का चर्चा रहेगा ।
तो दिल मेरा पर्चे से पर्चा रहेगा ॥

दीगर, जो अपने अरक़ाम फ़र्माया था कि तुम कब तक आओगी, सो जनाब-मन अर्से एक माह तक क़दमबोस हूंगी। बख़िदमत मियां करीमबख़्श सलाम बरसद। अज़ तरफ़ प्यारीजान, व मैना व शामजान, व ताज बेगम, व महबूब सुलतान व खानम सलाम बरसद।

अ अज़ तरफ़ वालदा साहब प्यार।

अज़ तरफ़ गामो दस्तबस्ता बाअस्सलाम जवाब जल्दी रवाना करें···

अल राक़िम मोतीजान—अज़ करांची शहर
सीग़ा अदालत काग़ज़ फटा हुआ है ।

और अपना पता पुख़्ता लिखना और दरवाज़े का पता लिखो।

बर सफ़े दोयम

जुदाइये आतिशे तेज़स्त मी सोज़द दिलो जां रा ।
खुदा हर्गिज़ नसीबे कस न साज़द दाग़े हिजरां ॥

मेरी जान, मेरा खयाल आपकी मुफ़ारक़त से बिल्कुल परेशान रहता है और दिल उदास। वह कौन दिन खुदा नसीब करेगा, कि आपका दीदार नसीब होगा। और आपकी छाती से छाती लगाऊंगी।

शेर

मेरा दिल दर्द करता है शिताबी कुछ दवा भेजो ।
दवाये पुर्ज़े काग़ज़ ऊपर मूरत लिखा भेजो ॥

क़िस्सा मरे हाल ज़ार का तवील है और दिल जुदाई आपकी से अजबस अलील है, जिसका बयान सफ़े क़र्तास पर आना मुहाल है, इसलिये खतम करता हूं बाअस्सलाम।

—अल राक़िम मोतीराम

"वाज़ै हो कि हस्ब गुफ़्ता फ़रीसन्दा लिखा गया है, मकतूब बराये मेहर्बानी कातिब पर नज़रे ग़ुस्सा न फ़र्मावें।"

यह डी ९६ मेरे पास पं० गोपीनाथ ने भेजा था, जिस मुहम्मदबख़्श की तरफ़ इशारा है, वह एक क्लर्क है। यह सनातन धर्म सभा मुल्तान शहर से २२ जुलाई को भेजा गया था।

तर्जुमा दस्तावेज़ डी ९७

मार्फ़त सनातन धर्म सभा मुल्तान शहर
ता० २२ जुलाई सन् १८९१ ईसवी

मेरे प्यारे करीमबख़्श जी,

मैं यहां आज सुबह को पहुंचा और उम्मेद करता हूं कि अगले इतवार या सोमवार को लाहौर पहुंचूंगा जिसकी कि आपको इत्तला दूंगा, कल मैं उम्मेद करता हूं कि कुछ रुपया तुम्हें बैठक वग़ैरा किराये पर लेने के लिये भेजूंगा, और मैं यक़ीन करता हूं कि आपकी मेहर्बानी से मैं पहुंचते ही अपने मक़सद के हासिल करने में कामयाब हूंगा। आपको और मुहम्मदबख़्श को सलाम।

आपका सादिक़
पं० गोपीनाथ

यह डी ९८ मेरा लिखा हुआ है। दूसरी तरफ़ पं० गोपीनाथ के रस्तख़त हैं। मैंने अपना ख़त पहले लिखा। और उसकी (गोपीनाथ की) तहरीर जवाब में है।

(नक़ल दस्तावेज़ डी ९८)

डीयर गोपीनाथ साहब!

चूंकि मैं घर पर न था इसलिये मुलाक़ात से महरूम रहा, लेकिन पैग़ाम (Understood) को समझ लिया था ताहम मुफ़स्सिला ज़ैल बातों का जवाब जल्दी रवाना करिये—

(१) मकान माशूक़ा पर रहोगे या उसको अपने पर बुलवाया जाये? तैयारी मुक़द्दम है।

(२) ह्विस्की शराब की एक बोतल हो या निस्फ़ तुम दोनों के लिये काफ़ी होगी।

(३) कबाब 'Beef' हों या 'Mutton' (मुराद इससे) इससे साबिक़ जल्से में (Beef) जो तैयार कराये गये थे मुझको भाते नहीं, अलबत्ता आपको वो ही ज्यादा मरग़ूब हैं। लेकिन इस जलसे में मौक़ूफ़ी कबाब ही मुनासिब है।

करीमबख़्श
१५-१-९३

मुक़र्रर मकान की निस्वत राय क़तअन् दीजिये, चन्दा माहवार मालूम। बराबर अदा करा सको तो वह किराये पर एक ले सकता हूं क्योंकि मैं तनहा लेना नामुनासिब ख़याल करता हूं।

करीमबख्श
१५-१-९३

पुश्तेख़त

जवाब नम्बर (१) का—मकान चाहे हो या अपना, बिल्कुल आपकी राय पर मदार है, जहां खटराग कम और हिफ़ाज़त ज्यादा वही मुनासिब है—आज के लिये बिलकुल तैयार ख़ुद को समझता हूं।

जवाब नम्बर (२) का—निस्फ़ काफ़ी है। दूध, बादाम, फल वग़ैरा का बन्दोबस्त काफ़ी होगा। (Smoke) का भी।

चन्दा माहवार मुझे बिलकुल मंजूर है, यह तो वाक़आत पर मबनी रहेगा, मैं मकान को कब और कितने अर्से पर इस्तेमाल करने का मौक़ा पाऊं, लेकिन चन्दे में हर्गिज़ तवक़्क़ुफ़ न होगा, यक़ीन जानिये, मैं कभी इसमें नुक़सान न आने दूंगा।

नियाज़मन्द
१५-१-९३

पैग़ाम से मुराद उस क़िसम के जलसे से है जिसका ज़िकर हो चुका है। ह्विस्की (Whisky) सब हाज़रीन के लिये थी। मुझे ख़ौफ़ था कि वह (गोपीनाथ) अपना हिस्सा अदा नहीं करेगा। यह तार ख़बर डी ६६ मेरे दस्तख़ती है।

(दस्तावेज़ डी ६६)

(नक़ल तारख़बर)

अज़ जानिब करीमबख्श—लाहौर शहर। बनाम गोपीनाथ, हर की पौड़ी, हरिद्वार।

प्राइवेट डिफ़र्ड

Can you keep Twenty a Month Reply Sharp?

K. B.
d. t. ११-८-९२

(तर्जुमा) क्या तुम बीस रुपये माहवार पर रख सकते हो, जवाब फ़ौरन दो।

मैंने इसे या इसकी नक़ल भेजी थी। पं० गोपीनाथ गंगाजी पर थे। इसका इशारा एक तवायफ़ को बीस रुपये माहवार पर नौकर रखने की तरफ़ है। दस्तावेज़ात डी, ७१, ७२, ७३, ७४ सब गोपीनाथ के दस्तख़ती हैं। पहले-पहल गोपीनाथ

का घर मामूली था जैसा कि ग़रीब आदमियों का होता है। जिस घर में वह रहता था, उसका किराया १) या ॥।) माहवार था। मुझे गोपीनाथ से मालूम हुआ कि उसे महाराजा कश्मीर से रुपया मिला था। उसने इख़राजात के लिये १५ हज़ार रुपया हासिल किया। मुझे यह उसके बाप से मालूम हुआ था। मैंने एक जेबी घड़ी भी देखी थी, जिसे वह कहता था कि उसने महाराजा पुञ्छ से हासिल की है। वह कहता था कि वह एक हज़ार या दो हज़ार रुपयों की क़ीमत की है। वह कहता था कि अख़बार वाला होने की वजह से उससे लोग ख़ौफ़ खाते हैं और उसे इस क़िस्म के इनाम देते हैं। उसने अखबार कोहनूर के बख़िलाफ़ मुक़द्दमा किया था। और सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के बख़िलाफ़ भी। वह (गोपीनाथ) एक मर्त्तबा मेरे पास आया और मुझे अपने मकान पर ले गया। उसने कहा कि वह कोहनूर के मुक़द्दमे में मेरी मदद चाहता है। क्योंकि इस (अखबार) ने उसका एक खत दीवान लछमनदास के नाम का छाप दिया था और वह उस ख़त को हासिल करना चाहता था। उसने कहा था कि मैंने नत्थूराम एडीटर कोहनूर से खत हासिल करने की कोशिश की और दो सौ रुपये तक देता रहा लेकिन कामयाब न हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं किसी तरह वह ख़त हासिल करूं। उसने कहा कि रुख़सत के दिन नत्थूराम खत लेकर किसी दोस्त को दिखाने के लिये बाज़ार से गुज़रता है। और उसने सलाह दी कि उस (नत्थूराम) से जबरन, वह ख़त छीन लिया जावे। मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता।

गोपीनाथ को वह खत उस वक़्त न मिला। जब सिविल मिलिटरी गज़ट का मुक़द्दमा कलकत्ते में हुआ, वह उस खत के ज़ाहिर होने से ख़ाइफ़ हुआ। उसने मुझसे कहा कि उसने एक मज़मून दीवान लछमनदास, गवर्नर कश्मीर के बख़िलाफ़ लिखा था। और फिर प्राइवेट तौर पर यह ख़त लिखा था जिसमें यह वाक़ा ज़ाहिर करके वायदा किया था कि अगर माली मदद मिल गई तो मज़मून न छापूंगा। इसलिए वह अदालत में खत के पेश होने पर पर्दाफ़ाश होने से डरता था। कुछ अर्से बाद उसने मुझसे कहा कि उसने ख़त हासिल कर लिया है उसने कहा कि मुन्शी हरसुखराय मालिक अखबार कोहनूर मर गये हैं और एक मुतबन्ना लड़का जगतनरायन छोड़ गये हैं और कि वह जगतनरायन के घर गया। और सौ या दो सौ रुपया खत के लिए पेश किया। यह कहके कि तुम्हारा मुक़द्दमा तो हो चुका है जगतनरायन ने मान लिया और खत लाने के लिए चला गया और ले आया। गोपीनाथ ने यह देखने के लिए ले लिया कि आया असल खत है या नहीं और फिर उसने निगल लिया। जगतनरायन उसे (जूतों से) मारता रहा लेकिन यह भाग आया और रुपया भी न दिया। गणपतराय की नोटों की चोरी में भी गोपीनाथ की तलाशी हुई थी। यह राज़ मैं नहीं मालूम कर सका कि अख़बार आम का एडीटर कौन है। उस (गोपीनाथ) ने मुझसे माना

था कि वह उसमें मज़ामीन लिखता है जो सख्त और गन्दी गालियों वाले हुआ करते हैं। उसने मुझसे कहा था कि हरिद्वार में गवर्नमेंट के बख़िलाफ़ एक तहरीक के मुतल्लिक़ जाने के लिए भी उसे रुपया मिला था। मैं हमेशा गोपीनाथ का एतवार नहीं करता। वह अमूमन रुपये के मामले में झूठ बोल देता है। उसने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में रुपया मक्कारी से पैदा हो सकता है। यह उसने उस वक़्त कहा, जबकि उसने मुझसे कहा कि लोग उसे नेक और इज़्ज़तदार हिन्दू समझते हैं।

'राम-राम जपना औरों का माल समझना अपना'—यह मिसाल हस्वहाल बतलाता था।

बाज़ औक़ात जब गोपीनाथ दीगर सभाओं और जलसों में जाता था तो अपने साथ औरतें ले जाता था। मैं ख़याल करता हूं कि एक भलामानस आदमी गोपीनाथ को रिन्द, औबाश और चालाक कह सकता है। गोविन्दसहाय ने यह ख़त दस्तावेज़ डी १०० मुझे भेजा था।

(नक़ल दस्तावेज़ डी १००)

Akhabar-I-Am
Manager's office
Lahore 1889
Private

मुशफ़ाकी मुकर्रमी मियां करीमबख्श साहब !

ख़ुदा गवाह है, अगर मुझे रात की ख़फ़गी का कोई ख़याल दिल में हो। आपने जो कुछ कहा हक़ से कहा। वह वक़्त ही ऐसा था, अगर ऐसी बातों का गिला किया जावे तो रास्ती के क्या मानी हुए, आपने नाहक़ इस मामले को फिर याद दिलाया।

चन्द दिन की बाबत अर्ज़ यह है कि दोनों साल आज बसबील डाक बज़रिए वेल्यू पेबिल पारसल दमोह को इर्साल कर दिये हैं, बाक़ी जो आप वापिस ले गये हैं, उनकी अब कुछ ज़रूरत नहीं है, शौक़ से उन्हें वापस कर दें मैं आपकी गुफ़्तगू की तासीर का कायल हूं, शुक्र करता हूं कि मेरे मुंह से कोई बात न निकली, और कैसे निकल सकती थी, जबकि दोस्ती के हक़ूक़ को समझता हूं। और दोस्तों की बातें किसी मौक़े पर कैसी ही सख्त क्यों न हों, हर हाल में क़ाबिले तस्लीम हुआ करती हैं। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं, इसमें शुबा नहीं कि आपकी उस वक़्त की बेतकल्लुफ़ाना बातों को सुनकर मेरा कलेजा दहल गया था। अब इस मामले को बराह ख़ुदा भूल जाइये, ख़ुदा गवाह है अगर मुझे रत्तीभर भी रंज इसका हो। शेक हैण्ड यक़ीन वासिक़ है कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ़्ते तक क़ीमत

वहां से आ जायेगी और उसी वक़्त आपको इत्तला की जावेगी ।

आपका दोस्त

दस्तख़त गोविन्दसहाय

बर सवाल अदालत

गोपीनाथ ने मेरी मौजूदगी में 'Beef' (गोश्त गाय) खाया है । कुल रंडियां जिनका मैंने नाम लिया है मुसलमानी थीं । वह (गोपीनाथ) उनके साथ ही रिकाबी में खाया करता था ।

बर सवालात जिरह

यह जुमले ख़तूत मेरे पास रहे । फिर सिविल मिलिटरी गज़ट के मुक़द्दमे पर मिस्टर रैंटीगन साहब को दिखलाये गये । उसके बाद यह मेरे पास से गुम हो गये । रैंटीगन साहब से मैंने वापिस ले लिए थे । लेकिन बाद मालूम नहीं कि यह क्या हुए । जहां तक मुझे याद है मैंने ख़ुद किसी को नहीं दिये । मैंने मिस्टर रैंटीगन साहब के हक़ में शहादत देने से इन्कार किया था । क्योंकि मामलात कौन्फ़ीडेंशल थे उन्हों (मिस्टर रैंटीगन साहब)ने देखने के लिए मांगे और मैंने इन्कार न किया, मैं नहीं कह सकता कि मुल्ज़िमान के हाथ में यह कैसे आये । गोपीनाथ के लिए जो खत मोतीजान ने मेरे पास भेजा था, वह गोपीनाथ को दिखलाया था, जो उसे मेरे पास ही छोड़ गया । गोपीनाथ का मोतीजान के नाम वाला ख़त मैं उसके पास से गोपीनाथ की दर्ख्वास्त पर लाया था क्योंकि उसने मुनासिब नहीं समझा था कि वह बाज़ारी औरत के हाथ में रहे । डी ९८ में गोपीनाथ की तहरीर और तारीख एक ही स्याही से लिखी हुई है । मैं नहीं कह सकता कि तारीख मेरी दस्तख़ती । या नहीं । न यह कह सकता हूं कि मेरे ख़त के नीचे तारीख मेरी दस्तख़ती है या नहीं । मैं नहीं कह सकता कि कोने में कटा हुआ हिस्सा उसी स्याही से है या नहीं । मैं नहीं कह सकता कि मैंने 'Mutton' या 'Beef' अंग्रेज़ी में क्यों लिखा । मैंने यह मिस्टर रैंटीगन को दिखलाने के लिए नहीं लिखा था । मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास और भी ऐसे ख़तूत हैं या नहीं जिनके दूसरी तरफ़ गोपीनाथ के दस्तख़त हों । मुझे मालूम नहीं कि जगतनारायन ज़िन्दा है या मर गया । कल तक मैं गोपीनाथ का दोस्त था । हम एक ही किस्म के थे और एक दूसरे को दोस्त कहते थे ।

(द० हाकिम)

हुक्म

बराये बहस ६१ जुलाई और यकुम् अगस्त के लिए मुल्तवी किया जावे ।

दस्तख़त एच० कलवर्ट साहब

सिटी मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

ओ३म शम्

बहस आख़िरी अज़ जानिब फ़रीक़ैन

(वाक़ै ३१ जुलाई सन् १९०१ ई०)

नोट—गुज़िस्ता तारीख़ पेशी पर यानी ता० १८ जुलाई सन् १९०१ ई० बाद ख़ातमा शहादत फ़रीक़ैन यह अमर तै क़रार पाया था कि चूंकि इस्तग़ासा ने अपनी इब्तदाई तक़रीर का मौक़ा ख़ुद ब ख़ुद खो दिया है, इसलिए मुल्ज़िमान का कौन्सिल (मशीर क़ानूनी) अपनी तक़रीर से बहस शुरू करेगा और मुस्तग़ीस का मशीर क़ानूनी अपनी जवाबी तक़रीर पर मुक़द्दमे का ख़ातमा करेगा लेकिन चूंकि मुल्ज़िमान की तरफ़ से कभी भी किसी अमर पर उज़्र नहीं किया था इसलिए मिस्टर पेटमैन साहब एडवोकेट की दरख़्वास्त पर उन्हें अदालत की तरफ़ से इब्तदाई तक़रीर की भी इजाज़त दी गई।

हाज़रीन

पं० गोपीनाथ मुस्तग़ीस मय अपने मशीर क़ानूनी मिस्टर पेटमैन साहब बैरिस्टर ऐटला और मौलवी ताजुद्दीन साहब वक़ील, और (१) ला० मुन्शीराम (२) लाला वज़ीरचन्द, और (३) लाला बस्तीराम मुल्ज़िमान मय लाला रोशनलाल बी० ए० व रायज़ादा भक्तराम बैरिस्टरान और लाला रामकृष्ण व पं० रामभजदत्त बी० ए० विकला चीफ़ कोर्ट।

इब्तदाई तकरीर मिन जानिब मिस्टर पेटमैन साहब कौंसिल इस्तग़ासह

पं० गोपीनाथ (अभियोग चलाने वाले) के कौन्सिल मिस्टर पेटमैन साहब की प्रारम्भिक स्पीच

"यद्यपि इस अभियोग में यह निश्चित किया जा चुका है कि अपराधियों (मुल्ज़िमान) का कौन्सिल बहस को प्रारम्भ करेगा, तथापि जनाब की आज्ञा से मैं एक बड़े गूढ़ विषय की ओर जनाब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो साक्ष्य (शहादतें) इस अभियोग के अन्तर्गत प्रविष्ट की गई हैं उनमें बहुत कुछ भाग इस अभियोग से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखता, किन्तु जो साक्ष्य मुस्तग़ीस (अभियोग चलाने वाले) के स्वभाव व आचरण के विषय में दी गई हैं, वह अपराधियों के अपराध को विशेषकर दृढ़ कर देती हैं। अपराधियों ने केवल अपने (पत्र) अख़बार में ही मानहानि नहीं की किन्तु अदालत में उसके स्वभाव व आचरण के विरुद्ध साक्षियां देकर और जिरह के मध्य में उससे प्रश्न पूछ कर अपने आपको अधिक दण्डनीय सिद्ध किया है, इसलिये मैं आशा रक्खूंगा कि

प्रतिवादी के योग्य और चतुर कौन्सिल क़ानूनी प्रमाणों से सिद्ध करने का यत्न करेंगे क्योंकर गोपीनाथ मुस्तग़ीस का स्वभाव और आचरण इस अभियोग से वास्तव में सम्बन्ध रखता है।" इसके पश्चात मुस्तग़ीस के योग्य और चतुर कौन्सिल ने धारा ४९९ भारतीय दण्ड संग्रह के असल लेख को पढ़कर अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सचमुच यह अपराध अपराधियों के ऊपर प्रमाणित है और फ़र्द जुर्म उन पर लग चुकी है, और कहा "इसलिए जनाब ! मेरा दावा है कि यदि अपराधियों के पास कोई क़ानूनी प्रमाण मौजूद नहीं है (जैसी कि सचमुच बात है) कि किस तरह पर गोपीनाथ का चाल-चलन इस अभियोग में सचमुच सम्बन्ध रखता है तो कोई भी उज़र (निषेध) अपराधियों का ध्यान देने के योग्य नहीं हो सकता।

तक़रीर जवाबी मिनजानिब रायज़ादा भक्तराम साहब कौन्सिल मुल्ज़िमान

अपराधियों के कौन्सिल रायज़ादा भक्तराम साहब की उत्तर में दी हुई स्पीच (संवाद)

"मैं योग्य और चतुर इस्तग़ासह के कौंसिल को धन्यवाद देता हूं कि वह विचारणीय बात जिसके विषय में कदाचित अपनी मध्यवर्ती स्पीच (तक़रीर) में ज़िकर करना था और कदाचित जिस पर अदालत का ध्यान इतना उस ओर आकर्षित न होता जैसा कि अब हो सकेगा, स्पष्ट कर दिया है, और मुझे अवसर दिया है कि अभियोग के असल झगड़े को अदालत के सन्मुख रखकर अदालत का विशेष ध्यान इसकी ओर खींच सकूं, परन्तु इसके पूर्व कि अभियोग के इस भाग पर निर्णयार्थ संवाद (बहस) करना प्रारम्भ करूं, एक सबसे प्रथम के विषय की चर्चा छेड़ना ज़रूरी है।

"अख़बार सद्धर्मप्रचारक के वे पर्चे जो अभियोग में विवादास्पद हैं उनकी (अशाअत) बमुक़ाम लाहौर में सिद्ध नहीं हुई। यह बात हमारी ओर से सिद्ध हो चुकी है कि यह पर्चे सद्धर्म-प्रचारक प्रेस मुद्रित किये गये परंतु इस बात पर अपराधियों का कोई प्रमाण नहीं है कि उनका लाहौर में प्रचारक किया गया था। यह सन्देह रहित बात है, और जनाब ने जिरह के प्रश्नों के मध्य में विचार भी किया होगा कि कोई भी इस्तग़ासह का गवाह इन खास पर्चों को पहचान नहीं सका, जिस पर्चे पर कि लाहौर के भेजने की साक्षी डाकख़ाने की मोहर की सूरत में लगी हुई है और वह गोपीनाथ के पते से भेजा गया है, यही पर्चा मुस्तग़ीस के भाई गोविन्दसहाय ने खोला। इसी की ओर उसने अपने भाई का ध्यान दिलाया और यही पर्चा अदालत में भी पेश किया गया है, बस जनाब से मेरी यह प्रार्थना

है कि केवल इस पर्चे का लाहौर में पहुंचना मेरे मुवक्किलों को लाहौर में बदला देने योग्य नहीं बनाता, यह दोनों परचे मुस्तग़ीस के नाम भेजे गये थे, परन्तु जिसकी मानहानि की गई हो उस व्यक्ति विशेष तक अपमानयुक्त लेखों का पहुंचना मानहानि की सीमा तक नहीं पहुंचता। मेरी इस बहस का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मेरे मुवक्किल इस कानूनी निषेध (उज्र) पर अपने छोड़ देने के प्रार्थी हैं और नहीं मेरे मुवक्किलों की ओर से मुझे यह क़ानूनी उज्र उठाने की प्रेरणा थी, परन्तु मैंने जनाब के सन्मुख इस बात को इसलिये वर्णन किया है कि यह स्पष्ट हो जावे कि मेरे मुवक्किल निकलने योग्य इस क़ानूनी छिद्र (सुराख़) के होते हुए भी जनाब की न्यायव्यवस्था घटनाओं (वाक़आत) के अनुसार प्राप्त करने के प्रार्थी हैं। वाक़आत (घटनाओं) पर आते ही सबसे प्रथम निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं—

प्रथम—क्या वे शब्द जिनके ऊपर अभियोग चलाया गया है मुस्तग़ीस के विषय में प्रयोग किये गये हैं?

द्वितीय—क्या यह शब्द मानहानि तथा अपमानयुक्त हैं?

तृतीय—यदि मानहानि तथा अपमानयुक्त हैं तो क्या मुस्तग़ीस का उनसे अपमान होता है?

चतुर्थ—क्या यह शब्द मुस्तग़ीस में घटते हैं या नहीं?

"मेरे मुवक्किलों ने छूट (मुस्तस्नियात) नम्बर १, ३, ६, ९ निषेध (उज्र) पेश किया है।

अनन्तर अपराधियों के कौन्सिल ने फ़र्द क़रारदाद जुर्म को पढ़कर हरेक वाक्य की व्याख्या (तशरीह) कर दी और कहा—

"यह बात जो वास्तव में सत्य है कि यह लेख शुद्ध भाव से सर्वसाधारण के सभ्याचार के लाभार्थ लिखे गये थे, जनाब! कृपया विचार कीजियेगा कि इन लेखों के लिखने को हमने मान लिया है और जिनका शाया करना (छापना) भी हमें स्वीकार है। गोपीनाथ के चाल-चलन पर उसकी प्राइवेट हैसियत (निज के स्वभाव) से आक्रमण नहीं करते किन्तु प्रथम एक अख़बार के सम्पादक होने के कारण, द्वितीय सनातन धर्म सभा का मेम्बर होने के कारण, तृतीय उस इन्स्टीट्यूशन के सेक्रेटरी होने के कारण, और चौथे उस आदमी के कारण जो हमारे अपने चाल-चलन पर कटाक्ष करने के लिये आगे बढ़ता है, और बराबर अपने आपको एक पबलिकमैन (Publicman) प्रकट करता रहा है, कोई पबलिक तहरीक (चेष्टा) प्रारम्भ हो, आप गोपीनाथ का हाथ उसमें ज़रूर देखेंगे जो कि उसने दस्तावेज़ी शहादत से सिद्ध करने का बड़ा यत्न किया है, वह सन् १८९८ ई० की दुर्भिक्ष निवारिणी सभा (क़हत कमेटी) में था।'

इसके अनन्तर अपराधियों (मुल्जिमान) के कौन्सिल ने उन सब पबलिक

तहरीकों का वर्णन किया जिनमें अपना सम्बन्ध होना मुस्तग़ीस ने अपने गवाहों के द्वारा सिद्ध कराने का उद्योग किया था और कहा—

"गोपीनाथ ने हमें बतलाया है कि उसने 'सनातन धर्म गज़ट' को हिन्दू मत के पक्ष में अन्य मतावलम्बियों के ऊपर कटाक्ष करने को आरम्भ किया था, उसने हमें बतलाया है कि उसने इण्डियन नेशनल कांग्रेस में उत्साह दिखाया है और वह बराबर अपने आपको हिन्दू सोसायटी का एक हिस्सा अर्थात् सनातनधर्मियों का लीडर (अगुआ) प्रकट करता रहा है, इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि पं० गोपीनाथ का जीवन पबलिक के लिये बहुत ही अमूल्य (बेशक़ीमत) है और हम सबके लिये दिलचस्प (रोचक) होने का कारण है। सर्वसाधारण इससे कि सनातनी हिन्दू हों या आर्य और चाहे पॉलिटिकिल (राजनीतिक) मामलों में हिस्सा लेनेवाले हों, हम सबके लिये इससे अभिज्ञ होना आवश्यक है कि यह पुरुष, जो कि बड़े ऊंचे पाये से लोगोंपर कटाक्ष (नुक़्ताचीनी) करता और उनको गाली देता है, कौन है ? और उसका चाल-चलन क्या है ? मैं पुन: निवेदन करता हूं कि सर्वसाधारण मनुष्य चाहे हिन्दू हों या हिन्दू न हों, इस बात के मुस्तहक़ (अधिकारी) हैं कि गोपीनाथ के चाल-चलन और उसकी इज़्ज़त (कीर्ति) के विषय में विज्ञता प्राप्त करें।

"मैं स्वीकार करता हूं कि एक मनुष्य की कीर्ति (इज़्जत) एक प्रकार का (किफ़ालतउलमाल है) अमूल्य अधिकार है और उस पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि ऐसे कटाक्ष करने के लिये प्रबल कारण उपस्थित हों, परन्तु यदि ऐसे हालात मौजूद हों जिनके कारण कि एक मनुष्य के स्वभाव व आचरण विषयक पर्दापोशी (ऐबों का ढकना) बड़े समूह को हानिप्रद सिद्ध होता हो, तो मैं निवेदन करता हूं कि उस मनुष्य की पर्दादरी करना (पोल खोलना) क़ानून ने उचित (जायज़)सिद्ध किया है।"

इसके अनन्तर योग्य ऐडवोकेट ने असल लेख को हाथ में लिया जो कि पहली फ़र्दजुर्म लगाने का मूल कारण था और हरेक वाक्य को पढ़कर उसकी व्याख्या करनी आरम्भ की। इस तरह पर सब लेखों का परस्पर सम्बन्ध एक दूसरे से दिखलाकर अपने सम्वाद को फिर यों आरम्भ किया—

"पूर्व इसके कि जनाब फ़र्दजुर्म के प्रथम भाग पर ध्यानपूर्वक विचार करें, मेरी यह प्रार्थना है कि अपराधियों की जो पोज़ीशन (स्थान) आर्यसमाज में है उस पर अवश्यमेव ध्यानाकर्षण करें, वज़ीरचन्द आर्यसमाज का एक सभासद् ही नहीं है किन्तु आर्यसमाज का एक उपदेशक और उसके पर्चे का सम्पादक भी है। लाला मुन्शीराम मालिक अखबार सद्धर्म-प्रचारक के विषय में प्रगट किया जा चुका है कि वह आर्यसमाज के एक बड़े भाग का लीडर समझा जाता है, यह बात इस बहस (निर्णय) में बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि निस्सन्देह इन लोगों का औचित्य

था कि वे आर्यसमाज की विरुद्ध असत्य कटाक्षों से रक्षा करने का यत्न करते और मैं आशा करता हूं कि अपनी न्यायव्यवस्था में मुस्तस्नियात (छूट) के विषय का विचार करते हुए जनाब इस बात का ध्यान रक्खेंगे। निस्संदेह कुछ शब्द कठोर प्रतीत होते हैं, परंतु उस कठोरता का कारण भी लेख से ही प्रकट है।

"अब इस लेख के विषय में जो फ़र्दजुर्म के प्रथम भाग में गोपीनाथ का बयान है कि सबसे कठोर लाइबिल उसके प्रतिकूल गावकुशी का लेख है, इसलिये मैं सबसे पहले उसी लेख के भाग को बहस में लाता हूं। इसके विषय में वे शब्द जिनके कारण मेरे मुवक्किलों पर फ़र्दजुर्म लगाई गई है, निम्नलेखानुसार हैं—

(हमें पूर्ण विश्वास है कि समझदार हिन्दू पंडित साहब के दमझांसों में नहीं आयेंगे क्योंकि वह खूब जानते हैं कि यह वही गंगा-जमनी पंडित साहब हैं हैं जिन्होंने कि मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये गावकुशी के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म के विपरीत लेख लिखा था।)

"इस लेख के विषय में हमें सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि क्या गावकुशी के विषय में कोईं लेख लिखे गये थे? अर्थात् ऐसे लेखों का अस्तित्व सिद्ध करना होगा, द्वितीय हमें यह सिद्ध करना होगा कि उनका लिखने वाला गोपीनाथ है, तृतीय यह कि वह लेख मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये लिखे गये थे, और चौथे यह कि वे हिन्दू मत के विरुद्ध थे, यह चारों बातें हमें सिद्ध करनी पड़ेंगी।

"परंतु पूर्व इसके कि मैं इन चारों बातों पर निर्णय (बहस) प्रारभ करूं मैं जनाब का ध्यान दफ़ै ५२ ताज़ीरात हिन्द की ओर आकर्षित करता हूं, उसका आशय निम्नलिखित है—

[जिस बात (अमर) के करने या विश्वास (बावर) लाने में पूरी तरह से लिहाज़ व तवज्जह (ध्यान) कर्त्तव्य में न आवे, तो न कहा जायगा कि वह बात नेकनीयती से (शुद्ध भाव) से की गई या नेकनीयती से विश्वास किया गया।]

"मैं निवेदन करता हूं कि जो कुछ ला० वज़ीरचन्द ने उस विषय में लिखा वह शुद्ध भाव से, विश्वास करके लिखा गया अर्थात् यह कि उसके निश्चय करने में पूरी तरह से लिहाज़ व तवज्जह अमल में आई। इस क़ानूनी प्रमाण के अतिरिक्त मैं वे प्रमाण पेश करना चाहता हूं कि जिनका सम्बन्ध इस शुद्ध भाव के प्रश्न के साथ है।

"उनमें से प्रथम है इंडियन ला रिपोर्ट कलकत्ते का फ़ैसला जिल्द ४ सफ़े १२४ और इंडियन ला रिपोर्ट इलाहाबाद, जिल्द ३, सफ़े ८१५ है। इलाहाबाद वाले फ़ैसले में उस मुक़द्दमे के फ़ैसला करने वाले जजों ने यहां तक उचित ठहराया है कि यदि एक इत्तहाम (दोषारोप) आम तौर पर सत्य हो या नेकनीयती से विश्वास करने के कारण किया गया हो, तो चाहे उसके सत्य होने में कुछ न्यून सा भेद भी

रह गया हो तो अपराधी अपराध के करने वाल नहीं ठहराये जावेंगे। इस अभियोग में गोपीनाथ ने उन लेखों के लिखने वाला होने से इनकार किया है, परंतु यदि पेश किये हुए प्रमाणों और साक्षियों से सिद्ध कर दूं कि वज़ीरचन्द शुद्ध भाव से विश्वास करता था कि गोपीनाथ उन लेखों का लिखने वाला है तो वह अपराधी न रहने के योग्य ठहरेगा, इसी तरह पुस्तक 'Odger's Libel and Slander' के सफ़े १६३ पर दर्ज है कि यह ज़रूरी नहीं कि हरेक शब्द लाइबिल का सत्य सिद्ध किया जावे। इसलिये इन प्रमाणों के होते हुए मैं जनाब की सेवा में प्रार्थना करता हूं कि यदि इस लेख में कुछेक असत्यता भी सिद्ध हो जावे, तथापि अपराधी छोड़ देने के योग्य हैं।

"अब सबसे प्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि इस प्रकार के गावकुशी विषयक लेख लिखे गये और इसके विषय में जनाब का ध्यान (दस्तावेज़ात डी ३७ व डी ४० की) ओर दिलाता हूं जो कि अख़बार आम में छापे गये, उनके शीर्षक हैं—'हमारी राय की वक़अत'।" इसके बाद अपराधियों के कौन्सिल ने उन लेखों का कुछेक भाग पढ़कर दिखलाया कि यह वही मज़ामीन हैं जिनकी ओर ला० वज़ीरचन्द का इशारा है और इसलिए जो लेख विवादास्पद हैं उनका अस्तित्व सिद्ध हो गया। इसके बाद रायज़ादा भक्तराम जी ने कहा—

"दूसरा दावा हमारा यह है कि इन लेखों के सिलसिले का लिखने वाला गोपीनाथ है और इस बात के सिद्ध करने के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी शहादत (साक्षी) मौजूद है, उसने अपने आचरण से यह विश्वास करने का कारण दिया है कि वही उन लेखों का लिखने वाला है, सबसे पहले मैं जनाब का ध्यान गोपीनाथ के बयान की तरफ़ खींचता हूं जिसमें कि उसने ला० वज़ीरचन्द को सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेण्ट एडीटर सिद्ध करने ने लिए कुछेक हेतु दिये हैं।"

इस जगह फ़ाज़िल कौन्सिल ने गोपीनाथ के बयान से वह हिस्सा पढ़ा जहां उसने ला० वज़ीरचन्द को असिस्टेण्ट एडीटर निश्चय करने के कुछ हेतु वर्णन किये हैं—

"मैं उन्हीं कारणों से गोपीनाथ को अखबार आम का एडीटर और इन लेखों का लिखने वाला निश्चय करता हूं, जब मैंने जिरह में गोपीनाथ से पूछा कि उसने किस तरह मालूम किया कि ला० वज़ीरचन्द सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेण्ट एडीटर है तो उसने अपने निश्चय के लिए बड़ी अच्छी युक्तियां दीं, उसने कहा कि चूंकि सद्धर्म-प्रचारक और आर्य मुसाफ़िर एक ही प्रेस से निकलते हैं और वज़ीरचन्द आर्य मुसाफ़िर का सब-एडीटर दर्ज है और जालन्धर में रहता है और कभी-कभी सद्धर्म-प्रचारक में भी लिखता है, इसलिए मैंने यह परिणाम निकाला है कि वह सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेण्ट एडीटर है, मैंने उस पर फिर प्रश्न उठाया और पूछा कि आया उसके पास अन्य कोई प्रमाण इस बात का है या नहीं, तो उसने जवाब नहीं (नफ़ी) में दिया और कहा कि केवल उपरोक्त

बातों के कारणों से ही उसने यह परिणाम निकाला है।

अब जनाब यदि इन वाक़आत (घटनाओं) से गोपीनाथ के मस्तिष्क (दिमाग़) का मनुष्य यह परिणाम निकालता है कि ला० वज़ीरचन्द सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेण्ट एडीटर है तो मेरा गोपीनाथ को अखबार आम का एडीटर समझ लेना भी उचित होगा, वह मानता है कि 'सनातन धर्म गज़ट' उसी प्रेस में छपता है जहां से कि अख़बार आम निकलता है। वह मानता है कि उस प्रेस का वह हिस्सेदार है, वह कहता कि वह उसी मकान में रहता है। वज़ीरचन्द केवल जालन्धर में रहता है परन्तु गोपीनाथ उसी मकान में रहता है। वह स्वीकार करता है कि उसने कई बार अख़बार आम के लिए लेख लिखे हैं। इसके अतिरिक्त वह मानता है कि वह उन क़ाग़जात पर भी पत्रादि लिखता है जो केवल एडीटर के लिए छपकर मौजूद रहते हैं, उन सबसे बढ़कर यह बात वास्तव में सत्य है कि वह सर्वसाधारण में अख़बार आम वाला और अख़बार आम का एडीटर प्रख्यात है और इस कथन का खण्डन भी नहीं करता, बस उसे अख़बार आम का एडीटर निश्चय करने में हम लोगों ने कोई आश्चर्यमय बात नहीं की, हमने वही निश्चय किया है जो दूसरों का विचार है। हमने केवल वही किया है जो कि दूसरे करते रहे हैं, इसके सम्बन्ध में एक और आवश्यक बात यह है कि गोपीनाथ मानता है कि जो पत्रादि या मनीआर्डर 'गोपीनाथ, एडीटर अख़बार आम' के नाम से आते हैं उनके लेने से वह इनकार नहीं करता और सबसे बढ़कर यह बात है कि जब यह लेख निकले तो वह सर्वसाधारण में उनका लिखने वाला कहा जाता था। मैंने जनाब के सन्मुख घटनाएं (वाक़आत) प्रविष्ट (पेश) कर दी हैं जिनसे कि गोपीनाथ अख़बार आम का एडीटर सिद्ध होता है, मैंने बारह हेतु दिये हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यही मनुष्य अख़बार आम का वास्तविक एडीडर है, गोपीनाथ के बयान के अलावा उसका अपना गवाह मोहरसिंह चावला स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह गोपीनाथ को अख़बार आम का एडीटर समझता है। इसके ही सम्बन्ध में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब मौलवी फ़ज़लुद्दीन ने गोपीनाथ पर अभियोग चलाया था, तो जो माफ़ीनामा (क्षमाप्रार्थना-पत्र) गोपीनाथ ने पेश किया था, वह अख़बार आम के सम्पादकीय स्तम्भ में निकला था, इस अभियोग में केवल गोपीनाथ अपराधी था, जनाब को याद होगा कि अपने बयान में गोपीनाथ ने पहले अख़बार आम की एडीटरी के हर प्रकार के सम्बन्ध से इनकार किया किन्तु कोई लेख भी लिखना स्वीकार नहीं करता था जो वास्तव में मिथ्या था, क्योंकि फिर उसको अपने भाई की अनुपस्थिति में अख़बार की एडीटरी के काम करने से स्वीकारी करनी पड़ी और उसने यह बयान नहीं किया है कि उसने अख़बार आम की एडीटरी से सम्बन्ध छुड़ा लिया है, परन्तु सबसे बढ़कर ला० रोशनलाल का बयान है कि जब सन् १८८९ ई० में गोपीनाथ ने कोहनूर पर दावा

किया था तो उनके सम्मुख उसका बयान हुआ था, जिसमें कि उसने अपने आप को अख़बार आम का एडीडर प्रगट किया था। ''

इस अवसर पर मिस्टर पेटमैन साहब ने आक्षेप (उज़्र) किया कि बिना दस्तावेज़ी शहादत के यह कथन माननीय नहीं है। इस पर रायज़ादा भक्तराम साहब ने कोहनूर मुवर्रिख़ा ५ सितंबर सन् १८८९ ई० में से [जो कि ला० रोशनलाल द्वारा सिद्ध किया जा चुका था और जिसमें गोपीनाथ के बयान की प्रतिकृति (नक़ल) दर्ज थी] गोपीनाथ का बयान सुनाया और फिर आगे चले—

''उस सन् १८८९ ई० के बयान से बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है'' कि गोपीनाथ ही अख़बार आम का एडीटर है, उस बयान के अन्तर्गत इस मनुष्य ने चार बार अंगीकार किया है कि वह अख़बार आम का एडीटर है ला० रोशनलाल इस्तग़ासह (अभियोग चलाने वाले) के गवाह ने जिरह के प्रश्नोत्तर में स्पष्ट रीति से कथन किया है कि वह अख़बार आम का एडीटर है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न केवल गोपीनाथ साधारण रीति से अख़बार आम का एडीटर ही निश्चय किया जाता है, किन्तु वास्तव में वह उन लेखों का लिखने वाला भी है जैसा कि बयान ला० हीरालाल गवाह इस्तग़ासह से मालूम होता है, इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तरीय प्रान्त (मुमालिक मग़रबी व शिमाली) के गज़ट मुवर्रिख़ा २६ नवम्बर सन् १८९२ ई० में भी यह अख़बार आम का एडीटर बयान किया गया है और जब गत वर्ष सरकार (गवर्नमेण्ट) के द्वारा अश्लील लेखादि (फ़ोहशनवीसी) लिखने के कारण अभियोग चलाया गया था तो उस अभियोग की न्याय व्यवस्था में मिस्टर ऐटकिन्स साहब बहादुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गोपीनाथ को 'सनातन धर्म गज़ट' के अतिरिक्त एक और अख़बार का एडीटर प्रगट किया है जो कि 'अख़बार आम' ही हो सकता है।

'' मेरे इस दावे की पक्षसिद्धि मुस्तग़ीस के भाई गोविन्दसहाय के बयान से भी हो सकती है। वह बयान करता है कि जब एक-दो बार वह लाहौर से बाहर गया है, तो ज़ुबानी तौर पर अख़बार आम का चार्ज गोपीनाथ को दे गया था। जिरह के प्रश्नोत्तर में भी उसे मानना पड़ा है कि उसकी अनुपस्थिति में गोपीनाथ सम्पादकीय प्रस्ताव (एडीटोरियल नोटिस) और कभी-कभी सम्पादकीय लेख भी देता रहा (गोविन्दसहाय का बयान पढ़ा गया)। इस बयान के अतिरिक्त दस्तावेज़ डी १ से भी मेरे इस पक्ष की सिद्धि होती है। यह डी १ एक पैम्फलेट है जिसमें कि गोपीनाथ के भाई कन्हैयालाल ने अपने पिता पण्डित मुकन्दराम का जीवनवृतान्त लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि मरने से दस वर्ष पूर्व ही पं० मुकन्दराम ने प्रेस के प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा था, और वह केवल बाज़ार में आने-जाने वालों ही को देखने के अतिरिक्त कुछ न करता था और सब प्रबन्ध तीनों भाई करते थे। गोपीनाथ ने स्वीकार किया है कि उसका बाप उर्दू

भाषा में लिख-पढ़ नहीं सकता था।

"इस जगह तक मैंने सम्पूर्ण घटनाओं और युक्ति-प्रमाण से केवल यह सिद्ध किया है कि गोपीनाथ वास्तव में अखबार आम का साधारण रीति से एडीटर है, परन्तु जिस समय गावकुशी के झगड़े के लेख लिखे गये थे, उस समय के मेरे पास इससे भी दृढ़तर प्रबल वजूहात (हेतु) हैं, जिनसे ज्ञात होगा कि गोपीनाथ ही इन लेखों का लेखक है और उन सबमें से पहला प्रमाण, जिसकी तरफ़ मैं जनाब का ध्यान आकर्षित करूंगा, दस्तावेज़ डी ४४ है—

"यह एक एडीटोरियल नोट है जोकि २८ मई सन् १८६७ ई० के अखबार आम में निकला था, गोपीनाथ अपने बयान मुवर्रिखा ४ जून १६०१ ई० में मानता है कि मेरे सर्कुलर खत के उत्तर में जो मुसलमानों के पत्र आये थे, उन पर एक एडीटोरियल नोट है—'निस्संदेह यदि कोई अन्य एडीटर होता तो यह कदापि न लिखता कि हमारे सर्क्युलर लेटर के जवाब में जो मुसलमानों के खत आये हैं'। द्वितीय, यह तो सिद्ध ही है कि जिस समय यह लेख अखबार आम में निकले उस समय बड़ा शोर (कोलाहल) मचा और लोग आम तौर से सचमुच ही गोपीनाथ को उसका लिखने वाला समझते थे, क्या गोपीनाथ ने इस सर्वसाधारण के कथन का किसी अखबार में खण्डन किया? यदि नहीं किया तो मैं निवेदन करूंगा कि क़ानून शहादत दफ़ै ८ के अनुसार यह कर्म उसका एक ऐसा प्रबल कारण इस घटना से सम्बन्ध रखता है कि जिस पर इस बात का पूरा निर्णय हो सकता है। तीसरा प्रबल प्रमाण मौलवी जहूरुद्दीन अहमद के नाम का पत्र है (दस्तावेज़ हर्फ़ डी ४२) यह गोपीनाथ ने एडीटर औफ़िस के काग़ज़ पर लिखा और अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) उस पर किये, अन्त में गोपीनाथ के मैनेजर होने की हैसियत से हस्ताक्षर नहीं, केवल गोपीनाथ ही लिखा है। इस सम्पूर्ण पत्र में गोपीनाथ ने अखबार आम की एडीटरी के काम से अद्भुत और अनूठी (अजीबोग़रीब) विज्ञता (वाक़फ़ियत) प्रगट की है। वह प्रगट करता है कि वह मुसलमानों का मित्र है न कि हिन्दुओं का। वह यह भी बतलाता है कि उसके यन्त्रालय (मतबूअ) के अस्सी फ़ीसदी मुलाज़िम मुसलमान हैं और इसलिये मकतूबिला (जिसके नाम पत्र भेजा जाता है) उससे प्रार्थना करता है कि वह अपने दया और प्रेम (शफ़क़त) का हाथ अखबार आम पर से न हटावे। इससे सिवाय इसके और क्या सिद्ध होता है कि यह मनुष्य ही अखबार आम की कला का चलाने वाला है। चौथे, उसका सनातन धर्म सभा लाहौर के मन्त्री पद से पृथक् हो जाना (इस्तीफ़ा दे देना) भी बड़ा प्रबल ध्यान देने योग्य कारण है, वह बयान करता है कि चूंकि लोग उसे इन लेखों का लिखने वाला समझते थे, इसलिये सनातन धर्म सभा को हानि से बचाने के लिये उसने इस्तीफा दे दिया। पांचवें, वह मानता है कि उसके सहयोगी भी यही समझते थे कि वही इन लेखों का लेखक है, इस पक्ष की सिद्धि में लाला

हीरालाल गवाह इस्तग़ासह ने जिरह के प्रश्नोत्तर में यह मान लिया है कि उसने गोपीनाथ के इन मज़ामीन के निकलने पर ४ जून सन् १८९७ ई० और १२ जून सन् १८९७ ई० के अपने अख़बार पंजाब-समाचार में गोपीनाथ को उन लेखों का लिखने वाला प्रकट करते हुए उस पर बड़ी अप्रसन्नता का भाव दिखाया था जो कि १२ जून सन् १८९७ ई० का अख़बार पंजाब-समाचार मिसल में सम्मिलित है (देखो दस्तावेज़ हर्फ़ डी ८९) जिसमें नीचे लिखी इबारत ध्यान देने योग्य है—

अख़बार आम की नाशाइस्ता हरकत
(अख़बार आम की असभ्य कुचेष्टा)

हम संक्षपेतया गत सप्ताह में दिखला चुके हैं कि अख़बार आम के डरपोक (बुज़दिल) एडीटर साहब ने हिन्दूपन पर किस प्रकार का बट्टा लगाया है। सच है कि कश्मीरी और हौसला (निर्भयता) करें ? यदि उनको थोड़ी सी भी हानि पहुंचने का भय हो, तो उनसे निस्संदेह जो चाहो सो ही कर लो या करवा लो, किसी उस्ताद ने सच कहा है कि—

शेर

अगर क़हतुलरजाल उफ़्तद, बसै कस उन्स कमगीरी
अव्वल कम्बो दोम् अफ़ग़ान, सोम् मख़सूस कश्मीरी ।।

मुख्य कारण जिसने पण्डित साहब को अपनी जाति का नाम बद करने और शेख़ सादी के क़ौल—

शैर

चूं अज़ क़ौमे यके बेदानशी कर्द
न केहरा मंज़िलत मानद न मेहरा ।।

के अनुसार अपने ब्राह्मण वर्ण के नाम को मलियामेट करने पर मजबूर किया वह यह है कि आर्य मुसाफ़िर के क़त्ल के बाद पं० गोपीनाथ साहब ने एक-दो लेख हिन्दूओं के चित्तापकर्ष (तवज्जह के क़ाबिल) लिखे थे, मुसलमानों ने अख़बार आम के मुहम्मदी अखबारों पास छपे हुए पत्रादि इस अभिप्राय से भेजने प्रारम्भ किये कि इस अखबार को माली नुक़सान (धन की हानि) पहुंचाया जावे, बस फिर क्या था, पण्डित साहब जी मामूली बुज़दिली से हौसला हार बैठे और लगे अनाप-शनाप लिखने जैसा कि आपने गावकुशी के प्रश्न पर एक अजीब ढंग से बहस प्रारम्भ कर दी, और बहस (वाद) के अन्दर अपने मुहम्मदी ग्राहकों (खरीदारों) को प्रसन्न करने के अभिप्राय से आपने स्पष्ट लिख दिया कि यदि गावकुशी होती है तो हिन्दू क्यों फ़साद करते हैं गोया कि (अर्थात्) हज़रत ने अपने शुद्ध मस्तिष्क (ज़ोममुबारिक) में कुल फ़साद (झगड़े) के बानी मुबानी (मुख्य कारण) अहले

हनूद (हिन्दुओं) को ठहराया……।"

बस यह सिद्ध हो गया कि उस समय गोपीनाथ के सहयोगियों (हमअसरों) कम से कम पंजाब-समाचार ने भी इसी को इन लेखों का लिखने वाला समझा था। अपने दूसरे बयान में उसने अपने कर्त्तव्य (अमल) के असर से बचने के लिए याद आने पर कह दिया है—"मैंने अपने मित्रों से कह दिया था कि यह असत्य है, परन्तु उसने क्या एक भी अखबारी तहरीर (लेख) दिखलाई है जिससे मालूम होवे कि उसने इन प्रबल सत्य आक्षेपों के खण्डन का भी हौसला किया, वह मानता है कि लोग आम तौर पर उसकी उपस्थिति में और पश्चात् (पीछे) उसको इन लेखों का लेखक बतलाते थे, परन्तु क्या उसने कभी इसका खंडन किया? वह कहता है कि उसने झगड़े के भय से खंडन न किया, गोपीनाथ और झगड़े का भय? कैसा परस्पर विरोध है!

"इसी समय मुस्तग़ीस (पं० गोपीनाथ के) के योग्य कौन्सिल ने मेरा ध्यान दिलाया है कि जुलाई सन् १८९७ ई० के सनातन धर्म गज़ट में गोपीनाथ ने इस बात का खंडन किया है, मैं उनकी खातिर से जुलाई का नम्बर खोलता हूं, उसके सफ़े २६ से एक लेख प्रारम्भ होता है जिसका शीर्षक है—'हमारे बख़िलाफ़ (विरुद्ध) मुखालफ़त का तूफ़ान'। सफ़े ३२ का तक लेख चलता है। मैंने सम्पूर्ण लेख ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं चैलेंज करता हूं कि उसमें एक शब्द भी दिखलाया जावे जहां गोपीनाथ ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हो कि जो दोष इन लेखों के लिखने का उस पर लगाया जाता है वह असत्य है। मैं सफ़े २७ पर केवल यह लेख पाता हूं—

[बात सारी यह थी कि अखबार आम जो भी हमारे प्रेस से मुद्रित होता है, उसमें एक देश का शुभचिन्तक (खैरख़्वाह मुल्क) और सुलहकुल (एकताभिलाषी) हिन्दू साहब की तरफ़ से एक लेखों की प्रणाली का समूह (सिलसिला-ए-मज़ामीन) मई मास के अन्त से छपना प्रारंभ हुआ।]

"इससे कहां सिद्ध होता है कि गोपीनाथ इन लेखों के लिखने से इनकार करता है, इससे तो इसके विपरीत यह सिद्ध होता है कि गोपीनाथ और उसका भाई गोविन्दसहाय दोनों झूठ बोलते हैं, जब वे कहते हैं कि यह लेख गोविन्दसहाय एडीटर ने लिखे थे। यहां तो यह दर्ज है कि एक सुलहकुल हिन्दू ने लेख लिखे, जो एडीटर नहीं हो सकता और गोपीनाथ लेख लिखने में ऐसा चतुर सिद्ध हो चुका है कि उसके अलावा (गोपीनाथ के सिवाय) और कोई हो ही नहीं सकता, इन सबसे बढ़कर यह बात है कि यदि वास्तव में गोपीनाथ उन लेखों का लेखक न था और गोविन्दसहाय ही लिखने वाला था, तो क्यों न गोविन्दसहाय ने इस कथन का खंडन किया?

"वह मानता है कि उसने कभी इस अफ़वाह (जनश्रुति) की तरदीद (खंडन)

नहीं की, बस जनाब ! मैंने यह पक्ष सिद्ध कर दिया कि न केवल गोपीनाथ अख़बार आम का असली एडीटर ही है, किन्तु यह कि गावकुशी विषयक लेखों का लिखनेवाला भी वही है—

"तीसरी बात, जिसके सिद्ध करने का भार मुझ पर है वह यह है कि क्या यह लेख मुसलमानों को प्रसन्न करने के अभिप्राय से लिखे गये थे ?—यदि मैं इस बात के सिद्ध करने में सफलीभूत हो जाऊं तो निस्संदेह इस अपराध के अपराधी मेरे मुवक्किल नहीं समझे जा सकते और इसके लिए केवल गोपीनाथ के बयान की तरफ़ ही जनाब का ध्यान दिला कर कुछेक घटनाएं ही पेश करना काफ़ी (बहुत) होगा जिनसे ख़ूब सिद्ध हो जावेगा कि इन लेखों का अभिप्राय सिवाय मुसलमानों को प्रसन्न करने के······और कुछ हो नहीं सकता। इस बात के सिद्ध करने के लिए जो घटनाएं पेश की जावेंगी उन्हें समझने के लिए आवश्यक है कि पहले पं० लेखराम के क़त्ल के वाक़आत (घटनाएं) ध्यान में बिठा लिए जावें। नीचे की बात से प्रमाणित है कि पं० लेखराम एक प्रसिद्ध आर्योपदेशक था जिसके पास एक मनुष्य अपने आपको नौमुस्लिम ज़ाहिर करके शुद्ध होने के वास्ते आया। पण्डित लेखराम के साथ वह कुछ अर्से तक परछाईं की तरह फिरता रहा और एक दिन अवसर पाकर उक्त पण्डित जी के पेट में छुरी भोंक दी, इन ज़ख़्मों के कारण पं० लेखराम मर गये, उस समय सारे शहर लाहौर में चिल्लाहट (कुहराम) मच गया। लोग कहते थे कि क़ातिल वास्तव में एक मुसलमान था। मैं उस दिन लाहौर में ही था, पं० लेखराम के विमान (जनाज़ा) के साथ सहस्रों मनुष्य थे, जिनमें हिन्दू और आर्य और ब्राह्म और सनातनी सभी एकत्र थे। अख़बार 'सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट' में छपा था कि अर्थी (जनाज़ा) के साथ तीस हज़ार का जनसमूह (हुजूम) था, जब अर्थी बाज़ार में से निकली तो लोग छतों पर से उस पर पुष्पों की वर्षा करते थे और गुलाब और केवड़े से अर्थी तर हो गई थी। बस गोपीनाथ ने उस वक़्त मामलात का रुख़ भांप लिया और देखा कि हिन्दुओं में लेखराम की मृत्यु पर आर्यों के साथ आम हमदर्दी है। बस बक़ौल ला० हीरालाल गवाह इस्तग़ासह, जिसने बयान किया है कि गोपीनाथ का धर्म पैसा है, भला गोपीनाथ ऐसा उम्दा कमाने का मौक़ा कब हाथ से खोने लगा था। बस उस समय अख़बार आम में आर्यसमाज के साथ हमदर्दी के लेख निकलने प्रारम्भ हुए, जिनमें पण्डित लेखराम की मौत पर शोक प्रगट किया गया। पहला लेख दस्तावेज़ डी २६ अख़बार आम ता० ६ मार्च सन् १८९७ ई० है जिसमें पंडित लेखराम की मौत पर एक एडीटोरियल नोट निकला (वह एडीटोरियल नोट पढ़ा गया)। यह नोट साफ़ बतलाता है कि गोपीनाथ ने हवा का रुख़ देख लिया था और स्वयं उस तरफ़ चल दिया था, चूंकि मुसलमानों के विरुद्ध उस समय हिन्दू सोसाइटी में बड़ी भारी हलचल मची हुई थी, इसलिए

ता० २२ मार्च सन् १८९७ ई० के अख़बार आम में फिर एक एडीटोरियल लेख 'लिवरपोल के इस्लामी इन्स्टीट्यूट' पर निकला, जो मुसलमानों के सख़्त प्रतिकूल (मुख़ालिफ़) है (दस्तावेज़ हर्फ़ डी ३१)। फिर २३ मार्च सन् १८९७ ई० (दस्तावेज़ डी ३३) के अख़बार आम में एक लेख निकला, जिसे ख़ुद गोपीनाथ मुसलमानों के बहुत ही प्रतिकूल बतलाता है। उसमें मुसलमानों को हिन्दुओं का सख़्त दुश्मन (शत्रु) बतलाया गया है।

"यह बात सत्य है कि उस समय हिन्दू और मुसलमानों के बीच बड़ा भारी विरोध था, गोपीनाथ के इन लेखों के निकालने पर मालूम होता है कि मुसलमानों के अन्दर सख़्त हलचल पैदा हुई। यह बात निश्चित है कि छपी हुई चिट्ठियां लाहौर के कुछेक मुसलमानों ने ग्राहकों के पास भेजीं और अख़बार आम की ग्राहकी बन्द करने की चेष्टा की, यह बात गोपीनाथ ने स्वयं स्वीकार की है। उसका अपना पत्र मौलवी ज़हूरुद्दीन वकील भोपाल (दस्तावेज़ डी ४२) के नाम का सिद्ध करता है कि गोपीनाथ उस समय अपने मुसलमान ग्राहकों के चित्त प्रसन्न करने की चेष्टा में व्याकुल था। वह अंगीकार करता है कि उसने प्राइवेट और कौन्फीडेंशल गश्ती खत (निजी और गुप्त-गुप्त भेजे जाने योग्य पत्र) अपने मुसलमान ग्रहकों के नाम भेजा। वह मानता है कि उस गश्ती ख़त में उसने अपने आपको मुसलमानों के पक्ष का अधिकतर सिद्ध करके उन्हें अख़बार आम के ग्राहक बने रहने की चेष्टा की थी, वह यह भी मानता है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि उसके ग्राहक कुछ कम हो चले थे, क्योंकि कुछ मुसलमानों ने उसके विरुद्ध तहरीक (प्रस्तावना) की थी। बस फिर क्या था, गोपीनाथ ने अपना रुख़ बदल लिया अर्थात् इस समय में उसने तीन बार अचानक रुख़ बदले। पहले वह हमेशा आर्यों के सख़्त विरुद्ध था फिर पं० लेखराम के क़त्ल पर जब हिन्दू सोसाइटी का रुख़ बदला तो वह मुसलमानों के सख़्त विरुद्ध, आर्यों के हक़ (सहयोग) में हो गया परन्तु जब मुसलमानों ने भी दांत दिखलाये और उसकी अशाअ़त (प्रचार) को मुसलमान ग्राहकों में बन्द कराने के लिए पत्र भेजे तब मुसलसानों के पक्ष का यहां तक दम भरना प्रारम्भ कर दिया कि गावकुशी की पुष्टि में लेख लिखने प्रारम्भ कर दिये और इस रीति पर अपने पर्चे की अशाअ़त के बचाव करने का यत्न किया। यही गोपीनाथ की इच्छा थी, जो दस्तावेज़ डी ४४ से पूरी तरह से प्रकट होती है।"

इसके पश्चात् अपराधियों के योग्य कौन्सिल ने ता० १७ जून सन् १८९७ ई० के अख़बार आम (डी ४०) में से विशम्भरदयाल का लेख पढ़कर सुनाया और उन दोनों लेखों पर भली प्रकार व्याख्या करते हुए प्रगट किया कि गोपीनाथ के अपने लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय सब लोग इन लेखों का लिखा जाना मुसलमानों के प्रसन्न करने के वास्ते समझते थे। और फिर कहा—

"इस विशम्भरदयाल के पत्र से भली प्रकार प्रतीत होता है कि सर्वसाधारण हिन्दू गावकुशी विषयक लेखों के कारण गोपीनाथ को मुसलमानों से रिश्वत (घूस) लेने वाला तक समझते थे, इसलिए अन्त में मेरी प्रार्थना है कि मैंने स्पष्ट रीति से सिद्ध कर दिया है कि यह लेख केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए लिखे गये थे।

" चौथी और अन्तिम बात जिसके प्रमाणित करने का भार मेरी ओर है यह है कि क्या यह लेख गावकुशी विषयक हिन्दू-धर्म के विरुद्ध थे या नहीं, मुस्तग़ीस का अपना गवाह ईश्वरीप्रसाद कहता है कि इस प्रकार के लेख का लिखना हिन्दू धर्म के विरुद्ध है और उनका लिखने वाला हिन्दू नहीं कहला सकता, गोपीनाथ अपने बयान में मानता है कि 'सनातन धर्म के हिन्दुओं में गौ का बड़ा माना है। सर्वसाधारण हिन्दू 'गाय को काटा गया', 'वध किया गया' के शब्द को बुरा मानते हैं।' मुझे जनाब को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि गौ का हिन्दुओं में कितना मान है, परन्तु एक आक्षेप (उज़्र) कदाचित् मुस्तग़ीस की ओर से किया जावेगा [और यहां मैं जुमले मौतर्ज़ा (प्रसंगवश) के तौर पर निवेदन करूं कि मेरी पोज़ीशन (अधिकार) बड़ी नाज़ुक है क्योंकि मुझे इस्तग़ासह के जवावी आक्षेपों को भी दृष्टि में रखकर अपनी युक्ति व प्रमाण देने पड़ते हैं] हां, मैं कह रहा था कि एक आक्षेप कदाचित् मुस्तग़ीस की तरफ़ से किया जावेगा कि एक हिन्दू कदापि गौ के विरुद्ध नहीं लिख सकता जैसा कि मुस्तग़ीस ने अपने बयान में ख़ुद लिखाया है कि वह भी गौ का बड़ा मान करता है यहां तक कि उसके गोबर और गोमूत्र का खाना भी अन्य हिन्दुओं की भांति पवित्र समझता है। कहा जा सकता है कि जब मुस्तग़ीस का ऐसा विश्वास है और जबकि वह धर्म सभा का सेक्रेटरी था, तो कब विश्वास आ सकता है कि ऐसे लेखों को लिखे, परन्तु जनाब को याद होगा कि मैंने गोपीनाथ से स्पष्ट रीति से प्रश्न किया था कि क्या उन लेखों से वह सहमत है या नहीं। और उसने माना कि वह इन लेखों से पूरी तरह सहमत है।

" इसके अतिरिक्त हमने अखबार आम के कुछ नम्बर प्रविष्ट (पेश) किये हैं जिसमें कमसर्यट के विज्ञापन गोमांस तथा गोचर्म के दर्ज हैं, मुस्तग़ीस ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह ऐसे विज्ञापन उजरत पर छापता रहता है और ईश्वरीप्रसाद गवाह इस्तग़ासह कहता है, 'मैं गोपीनाथ और उसके भाई का गोमांस के विज्ञापनों से रुपये कमाना बुरा समझता हूं। उनकी गणना सनातन हिन्दुओं में नहीं होनी चाहिये, अगर यह विज्ञापन जान-बूझकर दिये हैं तो ऐसा कर्म हिन्दू सनातन धर्म और उसके नियमों के विरुद्ध है।' इसके साथ यदि जनाब! करीमबख़्श के बयान के उस भाग पर विचार करें जहां कि गोपीनाथ की भोजन (ख़ुर्दनोशी) में स्वतंत्रता का वर्णन है तो कोई सन्देह नहीं रहता कि यदि अपना स्वार्थ सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो गोपीनाथ गावकुशी विषयक लेख लिखने

में भी संकोच (दरेग़) करने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विषय में अधिक कथन की आवश्यकता नहीं है और यह पूर्णरीति से सिद्ध है कि यह लेख हिन्दू धर्म के विरुद्ध है।

" मुस्तग़ीस ने इसको सबसे बढ़कर सख़्त लाइबिल बतलाया था और मैंने सिद्ध कर दिया है कि एक-एक शब्द अपराधियों की लिखत का सत्य है।

" परन्तु यह लेख तो ता० १ फ़र्वरी सन् १६०१ ई० के सद्धर्म-प्रचारक का पहला भाग है, इसके अतिरिक्त मुस्तग़ीस की ओर से बयान किया जाता है कि यह सबका सब लेख मुस्तग़ीस के विषय में अपमान व निन्दापरक है। अपने प्रारम्भ के बयान में तो मुस्तग़ीस ने एक-एक शब्द को अपने विषय में लाइबिल बयान किया था, परन्तु फ़र्द लगाने के समय मुस्तग़ीस के योग्य कौन्सिल ने केवल किसी-किसी भाग पर ही अदालत की सम्मति चाही है, और सबसे प्रथम मैं जनाब का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि मुस्तग़ीस ने अपने लिखित इस्तग़ासा (प्रार्थना-पत्र) में असत्य लिखाया है कि उस लेख पर एडीटर अर्थात् लाला मुन्शीराम अपराधी नम्बर १ ने कोई पुष्टि में नोट दिया है वह नोट क्या है ? 'मैं इस विषय पर आगे भी लिख चुका हूं और अगले सप्ताह पूर्णरीति से लिखूंगा इत्यादि'—इस इबारत में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे ज्ञात होता है कि ला० मुन्शीराम ने ला० वज़ीरचन्द के लेख से सहमत होना प्रकट किया हो। मैंने जनाब का ध्यान उस पर इसलिए दिलाया है कि गोपीनाथ ने इस बात पर बड़ा बल दिया था, कि ला० मुन्शीराम मुल्ज़िम नम्बर १ ता० पहली फ़र्वरी सन् १६०१ ई० से पेश्तर वाले लेख में अपना अनुमोदन (ताईद) प्रकट कर चुके हैं, वह पहला लेख कौनसा है ? वह लेख सद्धर्म-प्रचारक मुवर्रिख़े २५ जनवरी सन् १६०१ ई० में दर्ज है (देखिये दस्तावेज़ डी ३) इसकी इति (ख़ातमा) परमेश्वर की शरण में इस प्रार्थना पर सम्पूर्ण होती है कि आर्यों को 'सहनशीलता' की शक्ति प्रदान हो—इसके बाद वज़ीरचन्द का लेख पहली फ़र्वरी सन् १६०१ ई० को निकला जो शब्द 'सहनशीलता' की बहस से प्रारम्भ होता है, वह प्रकारान्तर से ला० मुन्शीराम के पूर्व सम्पादकीय नोट का उत्तर है। उसका कोई सम्बन्ध गोपीनाथ के साथ नहीं है, यह केवल लाला मुन्शीराम के व्यवहृत 'सहनशीलता' शब्द पर एक प्रकार का उपदेश है, लेख का लिखने वाला बहस करता है कि सहनशीलता ठीक तो है परन्तु उसकी हद भी होनी चाहिये, उसकी सम्मति में जो कुछ आर्यसमाज सहन कर रहा है, वह सहनशीलता की हद से बढ़ा हुआ है, साफ़ है कि इन शब्दों का कोई भी सम्बन्ध गोपीनाथ के साथ नहीं है। यह केवल एक पश्चिमी (मशरिकी) लेख की प्रणाली है, यहां हरेक लेख को एक तमहीद (भूमिका) के साथ प्रारंभ करते हैं, जिस प्रकार हर एक अर्ज़ी (प्रार्थना-पत्र) की इति पूर्ण हुई नहीं समझी जाती जब तक कि उसे निम्नानुसार शब्दों पर समाप्त न किया जावे—

'आफ़ताब इक़बाल व दौलत ताबां व दरख़शां बाद' अर्थात् भाग्य तथा लक्ष्मी का सूर्य उदय और प्रकाशित हो।

" इसी तरह कोई लेख नहीं लिखा जाता जब तक कि एक शिक्षाप्रद भूमिका उसके साथ सम्मिलित न हो। सत्य पूछिये तो यह एक प्रकार की तरदीद (खण्डन) ला० मुन्शीराम के पहले लेख की है, और इसलिए शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' का कोई सम्बन्ध गोपीनाथ के साथ नहीं है, और गोपीनाथ को हमारे इस बयान पर इक्तफ़ा (बस करना) चाहिये था परन्तु नहीं, वह उसको काफ़ी (अलं) नहीं समझता, वह कहता है कि शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' उसी के लिए प्रयोग किये गये हैं। यदि इस्तग़ासह का ऐसा ही निश्चय है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं।

" प्रथम तो शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' का जो अर्थ 'Libertine' और 'Lewd' पं० ईश्वरीप्रसाद गवाह इस्तग़ासह ने किया है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, इन शब्दों के शुद्ध अर्थ के लिये जहां मैंने कई लुग़ात (कोष) को पेश किया और उनकी तरफ़ मुस्तग़ीस का भी ध्यान दिलाया, वहां जनाब ने स्वयं प्लेट्स डिक्शनरी में से उनके अर्थों की पड़ताल (निर्णय) की है कोई सन्देह नहीं है कि शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' के वह अर्थ नहीं हैं जो कि मुस्तग़ीस की ओर से बतलाये जाते हैं, परन्तु, कल्पना मात्र से यदि इन शब्दों के यही अर्थ लिए जावें तो मैं जनाब की सेवा में बड़ी नम्रता (अदब) से प्रार्थना करता हूं कि हमने मुस्तग़ीस को 'रिन्द' और 'औबाश' सिद्ध कर दिया है, क्या वह शख़्स जो कि दस्तावेज़ डी ५ और डी १० के होलियों वाले लेख लिख सकता है उसके 'रिन्द' और 'औबाश' होने में कुछ सन्देह है ? मैंने जनाब के सन्मुख पंजाब ऑब्ज़र्वर ता० १६ सन् १९०० ई० का एक पर्चा पेश किया था जिसमें 'Infamatary Literature' का शीर्षक देकर उस अख़बार के एडीटर ने डी ५ वाले लेख को 'shamefully lewd' निश्चय किया है और गवर्नमेण्ट का ध्यान आकर्षित किया है कि ऐसे अश्लील और लज्जाप्रद लेखों को बंद कराना चाहिये, कदाचित् इसी लेख का यह परिणाम हुआ था कि गवर्नमेण्ट की ओर से गोपीनाथ पर अभियोग चलाया गया था और यहां मैं जनाब की आज्ञा से इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल के आरम्भ के ही आक्षेप का गूढ़ भाव प्रकट करना चाहता हूं, मेरे योग्य और चतुर मित्र ने आक्षेप किया था कि हमारी ओर से गोपीनाथ के प्राइवेट चलन पर अनावश्यक कटाक्ष किये गये हैं और उसके सम्पूर्ण जीवन के वृत्तान्त को प्रकट किया गया है। मैं अपने योग्य मित्र से पूछता हूं कि यदि हमारी ओर से ऐसा अमर (बर्त्ताव) किया गया है तो क्या उसके लिए हम ज़िम्मेवार हैं ? हमने कह दिया था कि रिन्द और औबाश के शब्द गोपीनाथ से सम्बन्ध नहीं रखते। क्या गोपीनाथ ने इस पर सन्तोष किया ? क्या गोपीनाथ के योग्य कौन्सिल ने इस पर बस किया ? कदापि नहीं ! फिर किस मुख से वे कह सकते हैं कि हमने अनावश्यक आक्षेप गोपीनाथ के चलन पर किये। यदि उसके आचरण को इस

अभियोग की शहादतों के अन्दर कोई हानि पहुंची है तो वास्तव में उसके लिए गोपीनाथ और उसके कौन्सिल ज़िम्मेवार हैं।

"यदि जनाब के सन्मुख और कोई भी साक्ष्य (शहादत) वर्तमान न हो और केवल अपराधियों की पेश की हुई दस्तावेज़ों पर ही यदि विचार किया जावे तो भी गोपीनाथ का 'रिन्द' और 'औबाश' होना एक प्रमाणसिद्ध बात है। परन्तु यहां तो प्रबल साक्ष्य मौजूद है। यदि करीमबख़्श की शहादत को भी दृष्टि से बाहर रक्खा जावे (उपेक्षा की जावे) फिर भी गोपीनाथ का अपना कथन मौजूद है कि उसका सम्बन्ध बाज़ारी कुलटा स्त्रियों के साथ रहा है, अगर दस्तावेज़ात डी ७२ और डी ७३ को लिखने वाला हमारे प्रयुक्त शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' के विषय में आक्षेप करता है तो मैं उसे आज्ञा देता हूं कि वह अपने लिए स्वयं कोई शब्द चुन लेवे। मिस्टर जान्सन साहब गवाह इस्तग़ासा मुस्तग़ीस के विषय में कथन करते हैं कि वह सावधान (मोहतात) लेखक नहीं है। ला० हीरालाल और शेख़ अबदुल क़ादिर उसे अश्लील और दुष्टभावपरक लेख लिखने वाला समझते हैं। उसके अपने गवाहों को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा है कि वह 'धोखेबाज़' (छली), 'मक्कार' (कपटी), 'दरोग़गो' (मिथ्याभाषी) और 'चालबाज़' है। केवल यही नहीं, किन्तु उसको अपने यह आचरण स्वयं स्वीकार करने पड़े हैं।

"इस्तग़ासह की ओर से कदाचित् यह उत्तर दिया जावेगा कि सन् १८९३ ई० या सन् १८९४ ई० में वह वेश्यागामी, व्यभिचारी आदि होगा परन्तु अब उसका वह चाल-चलन नहीं है, जैसाकि गोपीनाथ ने दूसरे बयान में यत्न भी किया है, परन्तु क्या उसने दिखलाया है कि कब उसने अपने चाल-चलन को बदल दिया? क्या उसने प्रगट किया कि कौन-सी ऐसी नई घटना उसके जीवन में हुई जिसने उसके चाल-चलन को सुधार दिया है? इसके विरुद्ध उसका गवाह ला० हीरालाल स्पष्ट कहता है कि पन्द्रह साल पहले जैसा उसका चाल-चलन था, वैसा ही अब तक मौजूद है। गोपीनाथ की आयु, इस समय ३९ वर्ष की है। वह बारह वर्षों से सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी होना मानता है, यह गोपीनाथ के अपने मुख से कहलाया गया है कि सन् १८९३ ई० और १८९४ ई० तक उसका सम्बन्ध बाज़ारी (व्यभिचारिणी) औरतों से रहा है। केवल यही नहीं, किन्तु उन दस्तावेज़ों से जिससे उसको इनकार करने की सामर्थ्य न पड़ी, पूरी तरह से सिद्ध है कि न्यून से न्यून उनके अनुसार तीन-चार वर्षों तक यह मनुष्य बराबर रंडीबाज़ी (वेश्या-गमन) और शराबख़ोरी (मद्यपान) करता रहा, और जनाब इस बात को ध्यान में रखें कि उसने यह सब कुछ उस समय करना स्वीकार किया है जबकि यह सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी था। यह मामला एक दिन, दो दिन या तीन दिन का नहीं है —उसका यह कर्म वर्षों तक सिद्ध किया गया है। उसने अपने कथन में प्रगट नहीं किया कि किस प्रबल उपदेशक के उपदेश ने उसके चित्त को हिलाया, जिसके

कारण से कि उसने अपने किए हुए कर्मों को बदल दिया, बस यह निश्चय होना सम्भव है कि वह अब तक वैसा ही गिरा हुआ है जैसा कि सन् १८९३ ई० में था, और उसकी पूर्ण रीति से पुष्टि करीमबख़्श की शहादत से होती है। वह कहता है, 'गोपीनाथ रंडियां रखता था—बर्कतजान, मुन्नीजान, नाज़ो, मोतीजान। आख़िरी गोपीनाथ की मंजूरे नज़र (अतिप्रिया) थी, इस प्रकार की कार्यवाही सन् १८९६ ई० या सन् १८९७ ई० तक जारी रही, एक वर्ष हुआ गोपीनाथ ने मुझे कहा था कि उसका सम्बन्ध अनारकली की एक यहूदन औरत से है। जब करीमबख़्श के बयान की पुष्टि मुस्तग़ीस के अपने बयान और दस्तावेज़ों से होती है तो कोई सन्देह नहीं रहता कि यह शख़्स उन्हीं अर्थों में 'रिन्द' और 'औबाश' है, जो इन शब्दों के अर्थ उसने स्वयं लगाये हैं।

"और इस स्थान में मैं जनाब का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि गोपीनाथ का यह कर्म क्षमा योग्य नहीं है, यदि मामला प्रेम का होता, जैसा कि प्राय: हिन्दुओं में बाल-विवाह होता है या कोई बचपन का ब्याहा हुआ युवा होने पर बेअख़्तियारी से किसी स्त्री के प्रेम में आसक्त हो जावे, तो कदाचित् उसके लिए किसी प्रकार की क्षमा का विचार हो सके, परन्तु यह मनुष्य जो कि एक बड़ी भारी धार्मिक सभा का सेक्रेटरी होने पर भी बाज़ारी औरतों के पास जाता और कदाचित् अनुचित सन्तान उत्पन्न करता रहा है इसके लिए कैसी दया और क्षमा! और बाज़ारी औरतों में से भी यदि एक के साथ उसका सम्बन्ध होता, तो समझ लेते कि कदाचित् प्रेम की ही बात हो, परन्तु उसके पत्र देखिये। यह मनुष्य एक कामातुर व्यभिचारी मालूम होता है जो नित्य नई स्त्रियां अपनी पशुवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए मांगता है। आज मोतीजान है तो कल मुन्नीजान, परसों बरकतजान है तो फिर नाज़ो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस शख़्स के ऐसे चलन के लिए कोई भी प्रमाण क्षमा योग्य नहीं है।"

इसके अनन्तर अपराधियों के योग्य कौन्सिल ने फ़र्द क़रारदाद जुर्म के शेष शब्दों के विषय में जतलाया कि 'सेल्फ़ रेस्पेक्ट' के विषय के शब्द गोपीनाथ से बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं रखते, जैसाकि इस्तग़ासह के फ़ाज़िल (योग्य) कौन्सिल ने भी इस बात को मान लिया है, इसके अनन्तर रायज़ादा भक्तराम साहब ने फ़र्दजुर्म के प्रथम भाग के शेष अंश पर निर्णय करना प्रारम्भ किया—

"अब प्रथम फ़र्दजुर्म के विषय में यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या जो मुस्तग़ीस के विषय में अपराधियों ने लिखा है वह ठीक है या नहीं? क्या इसमें कोई सन्देह है कि गोपीनाथ अश्लील और घृणित कटाक्ष आर्यसमाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानन्द और अन्य आर्यसमाज के लीडरों पर करता रहा है? वर्नाक्यूलर (उर्दू भाषा) के प्रेस में भी उसके तुल्य घृणित समाचार लेखक कोई नहीं दिखला सकेगा, और क्या इन घृणित और असभ्य लेखों के लिए उसके पास कोई उत्तर

(उज़र) है ?

"हमने दस्तावेज़ पर दस्तावेज़ यह सिद्ध करने के लिए प्रविष्ट (पेश) किये हैं कि सनातन धर्म गज़ट के अन्दर गोपीनाथ आर्यसमाज पर कठोर से कठोर और अति अश्लील हमले करता रहा है। क्या उसके सदृश एक शब्द भी मुस्तग़ीस लाला मुन्शीराम के अख़बार में से दिखला सकता है। मैंने सद्धर्म-प्रचारक की फ़ाइल प्रारम्भ से अब तक इस जगह रक्खी हुई है और मैं इस्तग़ासह को चैलेंज करता हूं कि उनमें से एक शब्द भी ऐसा दिखला दे जो कि गोपीनाथ के लेखों की असभ्यता और अश्लीलता की सदृशता कर सके, गोपीनाथ ने कहा है कि उसके लेख उत्तेजक (मुफ़सिदाना) नहीं हैं, परन्तु सरकारी इस्तग़ासह में उसने स्वयं स्वीकार किया था, वह क्या सिद्ध करता है ? क्या उसने अपने अखबारों में नहीं माना कि वास्तव में उसके लेख उत्तेजक और अश्लील थे, जिनके लिए कि उसको क्षमा मांगनी पड़ी।"

इस जगह अपराधियों के कौन्सिल ने निम्नानुसार न्यायव्यवस्था (फ़ैसला) मिस्टर ऐटकिन्स साहब बहादुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर की पढ़कर सुनाई—

फ़ैसला (न्यायव्यवस्था)

गवर्नमेण्ट मुस्तग़ीस (दावेदार)

बनाम पं० गोपीनाथ, वल्द पं० मुकन्दराम, कश्मीरी, साकिन लाहौर।

[अभियोग भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १५३ (अ) और ५०५ और २९२ के अनुसार चलाया गया। अपराधी एक रिसाले का जिसका नाम 'सनातन धर्म गज़ट' है, प्रिण्टर और पबलिशर है तेवहार होली के दिनों में ता० १५ मार्च सन् १९०० ई० को इस पर्चे में एक लेख मुद्रित किया गया जिसका शीर्षक 'होली के चुटकले' था। इस्तग़ासह का बयान है कि इस लेख के प्रचार से जुर्म दफ़ै १५३ अ० व ५०५ व २९२ ताज़ीरात हिन्द लगाया गया है। इस्तग़ासह (अभियोग) गवर्नमेण्ट की ओर से दायर किया गया है और दफ़े १९६ के अनुसार फ़ौजदारी की आज्ञा दी गई है —

अशाअ़त (प्रचार) डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस द्वारा सिद्ध की गई है और लेख अंगरेज़ी अनुवाद सहित प्रविष्ट किया गया है जो कि मिसल के साथ लगा हुआ है, मुझे ज़रूरी नहीं है कि इस जगह बयान करूं कि उसमें क्या दर्ज है—

अपराधी ने सातों दोषों (जुर्मों) में जिनके कारण उसके विरुद्ध फ़र्दजुर्म लगायी गई है स्वीकार किया है, और अपने को अदालत के रहम (दया) पर छोड़ दिया है, मेरे लिए केवल यह निश्चय करना शेष है कि क्या सज़ा देनी चाहिए, जुर्म निहायत ही संगीन है, यह लेख ऐसे हैं जिन्होंने निस्संदेह आर्यों और सनातन धर्म सभा में परस्पर घृणा और शत्रुता के विचार उत्पन्न कर दिये होंगे, आर्यों के विषय में जो समस्या (ईमा) लिखी है वे बहुत ही अपमानयुक्त अनुचित और

उत्तेजक थीं। इसकी अशाअत (प्रचार) का कारण सिवाय इसके और कुछ खयाल करना कठिन है कि जिस पार्टी (दल) के विरुद्ध यह लिखी गई थीं उनके चित्त को शोक पहुंचाने और उनके क्रोध को भड़काने की नीयत (इच्छा) हो। यह सच है कि गवर्नमेण्ट के ऐडवोकेट ने हस्ब हिदायत लोकल गवर्नमेण्ट कठोर दण्ड के लिए बल नहीं दिया और उसने इशारा किया है कि मेरे लिये मुनासिब (उचित) यह है कि मैं अपराधी को कारागार का दण्ड न दूं। इस शर्त पर कि उसमें दफ़ै १०८ फ़ौजदारी के ज़ाब्ते के अनुसार ज़मानत नेकचलनी की ली जावे, परन्तु पश्चात् बड़े सोच-विचार के मेरी सम्मति में पूर्ण तरह से यह निश्चय होता है कि चाहे जुर्माने के दण्ड के साथ ज़मानत भी ली जावे, तो भी न्यायव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यही अलम् (काफ़ी) नहीं है क्योंकि दण्ड के बिना जुर्माने का कोई असर न होगा, मैं समझता हूं कि यह निश्चय किया जा सकता है कि चाहे कितने ही जुर्माने का दिया जावे, अपराधी को उसकी अदायगी (चुका देने में) उस सोसाइटी से निस्संदेह सहायता मिलेगी कि जिसका वह वकील है, जुर्माने का प्रभाव केवल यह होवेगा कि उसके विरुद्ध केवल एक माख़ूज़गी (अभियुक्त हो जाना) मिसल पर रहेगी और कदाचित् वह भविष्यत् के लिए यत्किंचित् भय इस निश्चय से खावे कि दुबारा जुर्म करने पर उसे कारावास (क़ैद) की सज़ा मिलेगी, मैं इन संगीन अपराधों के लिये जो किये गये हैं, यही काफ़ी नहीं निश्चय करता। अपराधी एक अनभिज्ञ युवक नहीं है जिसने कि यह कर्म बिना सोचे-विचारे किया हो, वह एक दूसरे अख़बार का एडीटर है और प्रत्यक्ष में एक पुरानी विज्ञता (तजुर्बा) रखता है परन्तु साथ ही मैं इस बात का भी लिहाज़ रखता हूं कि उसने अपराध को स्वीकार किया है, और अपने आपको अदालत के रहम पर छोड़ दिया है। अपराध जैसा कि उसका कौन्सिल प्रगट करता है, होली के दिनों में किया गया था जबकि विशेष स्वतंत्रता होती है इसलिए मैं कारावास (क़ैद) का दण्ड देते हुए समझता हूं कि थोड़ी-सी सज़ा इस अभियोग में काफ़ी होगी—

अपराधी के विरुद्ध सात दोष हैं, जिनमें से दो दफ़ै १५३ (अ) के अनुसार चार दफ़ै ५०५ के अनुसार और एक दफ़ै २९२ ताज़ीरात हिन्द के अनुसार है। जहां तक कि प्रथम छः दोषों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वह केवल छः भिन्न भिन्न परिभाषाओं के अन्दर आ जाता है, बस केवल दफ़ै १५३ अ० के अनुसार एक अपराध के लिए दण्ड दूंगा। उस दफ़ै कि नीज़ मैं अपराधी को ३ तीन मास की क़ैदमहज़ का हुक्म देता हूं, जुर्म दफ़ै २९२ ताज़ीरात हिन्द के अनुसार अपराधी को मैं एक मास की क़ैद महज़ का हुक्म देता हूं।]

द० सी० एच० एटकिन्स

ता० ३० अगस्त सन् १९०० ई० डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

"यह न्यायव्यस्था प्रगट करेगी कि गोपीनाथ के विषय में जो कुछ इस लेख में दर्शाया गया है, उससे बढ़कर मिस्टर ऐटकिन्स के सन्मुख उसकी अपनी स्वीकृति से सिद्ध हो चुका है। फिर गोपीनाथ शंका करता है कि उसे केवल ईर्ष्या से बेनुक्त (कोरी-कोरी) सुनाने वाला कहा गया है। जनाब के सन्मुख हमने 'सनातन धर्म गज़ट' के नम्बर पै नम्बर पेश किये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गोपीनाथ स्वामी दयानन्द और आर्यसमाजियों पर सख्त हमले करता रहा है। इस प्रकार की २० से अधिक दस्तावेज़ें मिसल में सम्मिलित हैं—

"साधारण दशा में प्रत्येक मनुष्य के विषय में क़ानूनी विचार यह है कि वह बेगुनाह (निरपराध) है जब तक कि उसे अपराधी सिद्ध न किया जावे, परन्तु जिस तरह की अपकीर्ति (शोहरत) पं० गोपीनाथ ने अपने ही कथनों से पैदा की है, उनके अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक बात पर यह निश्चय करना सत्य होगा कि यह पुरुष दोषी है। जब तक कि यह अपनी सफ़ाई (निरपराध होने की साक्षी) पेश न करे, गोपीनाथ का आर्यसमाज से कुछ प्रेम न था, वह मानता कि उसने 'सनातन धर्म गज़ट' केवल विरोधियों को उत्तर देने के लिये निकाला था, वह मानता है कि आर्यसमाज और उसकी सभा के सिद्धान्त में बड़ा भारी भेद है, परन्तु ऐसा परस्पर विरोध होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वह आर्यों को गालियां ही देता, क्या उसने कभी भी भलेमानसों के नियमानुसार मित्रों के संवाद की रीति से निर्णय करने की इच्छा प्रगट की? और वह ऐसा कर भी क्योंकर सकता था? उसने जनाब के सन्मुख माना है कि वह उन अठारह पुराणों के नाम तक नहीं जानता जिन पर सनातन धर्म सभा का अस्तित्व निर्भर है, वह मानता है कि वह वेद नहीं पढ़ा, वह यहां तक नहीं बतला सकता के नियोग का शब्द भी कहीं वेदों में आया है या नहीं, और यह मनुष्य है जो कि हमें बार-बार खम ठोंक-ठोंककर शास्त्रार्थ के लिये चैलेंज देता रहा।"

इस जगह कौन्सिल ने दस्तावेज़ डी २७ सनातन धर्म गज़ट अप्रैल, सन् १८९८ ई० से लेख 'इस झूठ पर ख़ुदा की मार' पढ़ा और उसके साथ ही इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य गज़ट के पर्चे और सद्धर्म-प्रचारक के पर्चे पढ़कर कहा—

"जनाब ने फ़र्माया था कि और तो सब कुछ सिद्ध हुआ परन्तु मुस्तग़ीस का बेहूदापन सिद्ध नहीं किया गया, जनाब ने डी २७ के अन्तिम वाक्य सुने हैं। मुस्तग़ीस कहता है कि उसकी भुजाएं धर्मयुद्ध के लिए फड़क रही हैं और लाला मुन्शीराम को बुज़दिल (डरपोक) बतलाता है, जनाब इस बेहूदापन की ओर विचार करें। एक डरपोक (बुज़दिल) कश्मीरी एक क्षत्रिय को डरपोक कह रहा है, इससे बढ़ कर बेहूदापन और क्या होगा?

"ख़ैर शस्त्रार्थ हुआ। मुस्तग़ीस जो कि वेदमंत्र भी साफ़ नहीं पढ़ सकता था पण्डितों की सहायता से सामने आया, परन्तु परिणाम क्या हुआ? उसने वास्तव

में ला० वज़ीरचन्द के शब्दों में 'कोरी शिकस्त खाई' यदि यह इनकार करे तो इससे पूछिये कि दिसम्बर सन् १८९८ ई० के बाद यह क्यों जालन्धर नहीं गया, मुस्तग़ीस का ईर्ष्या-द्वेष (बुग्ज़) उसके एक-एक कर्म और उसके एक-एक लेख से सिद्ध है। जब कभी शास्त्रार्थ का समय आता है तो यह मनुष्य नियोग के सिद्धान्त को बीच में ले आता है, यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस समय नियोग के सिद्धान्त के महत्व को दर्शाऊं परन्तु प्रश्न यह है, क्या यह वेदों का सिद्धान्त नहीं है ? और क्या यह एक हिन्दू सिद्धान्त (अक़ीदा) नहीं है ? मुस्तग़ीस कहता है कि यह नियोग सिद्धान्त शिष्टाचार (इखलाक़) के विरुद्ध है परन्तु साथ ही मानता है कि उसने वेदों को नहीं पढ़ा है। वह मानता है कि शूद्रों के लिए यह शास्त्रानुकूल है, जब हिन्दुओं के एक समूह के लिए शास्त्रानुकूल है तो निस्संदेह यह हिन्दू-सिद्धान्त है, और जो हिन्दू सिद्धान्त है उसके लिये आर्यसमाज को दोष और लांछन का लक्ष्य बनाना यदि तुच्छता और ईर्ष्या नहीं है तो न मालूम और क्या हो सकता है। जनाब ! नियोग कोई नया सिद्धान्त नहीं है, मेन साहब और शिरोमणि के हिन्दू ला (क़ानून) को मुलाहज़ा (अवलोकन) फ़र्माएं [हवाले (प्रमाण) दिये गये] तो स्पष्ट मालूम होगा कि यह मसला (सिद्धान्त) सनातन से वेद और शास्त्रानुकूल माना जाता रहा है, इन पुस्तकों में नियोग के उदाहरण (मिसाल) दिये गए हैं, पुराण नियोग के इतिहास से भरे पड़े हैं, हिन्दुओं के अवतारों ने नियोग किए हैं, खुद उसके सनातन धर्म गज़ट और उसके कथन से सिद्ध है कि नियोग एक हिन्दू सिद्धांत है, यद्यपि मुस्तग़ीस ने केवल याज्ञवल्क्य के मत में शूद्रों के लिये नियोग उचित ठहराया है, परन्तु वेद सब वर्णों के लिए नियोग की आज्ञा देते हैं, अब जबकि यह मनुष्य नियोग के सिद्धान्त को स्वयं मानता हुआ या यह जानता हुआ कि जिस दल का वह मेम्बर है, वह नियोग के सिद्धान्त को मानता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि यदि यह मनुष्य नियोग के सिद्धान्त पर आर्यसमाज का उपहास (मखौल) करता है तो सिवाय इसके कि ऐसे कर्म को ईर्ष्या या द्वेष और नीचता कहा जावे और क्या हो सकता है, और इसके लिए मेरे पास प्रमाण है, जनाब ने अभी मिस्टर एटकिन्स साहब की न्यायव्यवस्था सुनी है। उससे बढ़कर उसके द्वेष का और क्या प्रमाण हो सकता है। वह अभियोग गवर्नमेंट की ओर से था। इस मनुष्य ने समझा कि आर्यों के यत्न से मुझ पर अभियोग चलाया गया है और इसलिए इसने आर्य अखबारों से बेजोड़ टुकड़े लेकर गवर्नमेंट और हिन्दू पबलिक को आर्यसमाज के विरुद्ध भड़काना प्रारम्भ किया जैसा कि पेश की हुई दस्तावेज़ों से सिद्ध हैं। न केवल यही, किन्तु गवर्नमेंट के अफ़सरों के पास आर्यसमाज की शिकायतें (चुग़ली) ले गया, जैसा कि उसने स्वयं स्वीकार किया है, अन्त में ला० वज़ीरचन्द ने लिखा है, 'चाहिए यह था कि पंडित साहब अपनी पिछली करतूतों पर लज्जित (नादिम) होकर अभिमान व घमण्ड (हवाये नखवत) को अपने

मस्तिष्क (दिमाग़) से दूर करते और भविष्यत् के जीवन को (आइन्दा ऐमाल-नामे को) स्याह करने से डरते।" इस पर भी मुस्तग़ीस ने शंका (ऐतराज़) की है परंतु मैं अब फिर पं० गोपीनाथ को कहता हूं कि उसे अपने गत कर्त्तव्य (गुज़िश्ता ऐमाल) के लिए लज्जा से गर्दन झुकानी चाहिये और भविष्यत् के लिये अपने कर्त्तव्यों को बदल देना चाहिए और यही सम्मति उसका मित्र बम्बई का वेंकटेश्वर उसे सन् १८९६ ई० में दे चुका है।

"मैंने निवेदन किया था कि गोपीनाथ बेजोड़ टुकड़े पेश करके पबलिक को धोखे में डालता रहा है, उदाहरण के तौर पर दस्तावेज़ात डी ६१ और डी ६३ का अवलोकन (मुलाहज़ा) हो, [पढ़कर सुनाये गये] जनाब अवलोकन करेंगे कि सद्धर्म-प्रचारक में कैसा उत्तम लेख 'भारतमाताओं को देवियां बनाओ' निकला था। इस लेख को 'आर्यवरों में चुड़ैलें' वाला नोट लिख कर इस मनुष्य ने कैसा बिगाड़ा है। बस फ़र्दजुर्म के प्रथम खंड के विषय में मैंने दिखलाया है कि ला० वज़ीरचन्द ने एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा जो कि मुस्तग़ीस के विषय में मानहानि की मर्यादा (इज़ाले हैसियतउर्फ़ी की हद) तक पहुंचा हुआ समझा जावे।"

नोट—इस समय आध घंटे के लिये कार्यवाही बन्द रही। वापिस आने पर रायज़ादा भक्तराम साहब ने अपनी तक़रीर को यों प्रारम्भ किया—

"अब फ़र्दजुर्म का दूसरा खंड शेष रह गया है। यह दोष 'भांडा फूट गया' वाले लेख के कारण लगाया गया है जो ८ व १५ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० के सद्धर्म-प्रचारक में लिखा गया है, जिसके साथ एडीटर का एक नोट भी सम्मिलित है। मुस्तग़ीस ने माना है कि भीमसेन आर्यों का एक बड़ा पण्डित था जो कि स्वामी दयानन्द के पीछे उनका स्थानापन्न समझा जाता था। मैं मुस्तग़ीस के इस दावे को मान लेता हूं, अगर यह ठीक मान लिया जावे तो प्रत्यक्ष है कि भीमसेन अब तक भी यही प्रगट करता था कि वह आर्यसमाज का मित्र है, यह बात जनाब को उन्हीं पर्चों से सिद्ध हो जावेगी जो कि पेश किए जा चुके हैं, यदि भीमसेन की योग्यता के विषय में मुस्तग़ीस के कथन को ही मान लिया जावे तो भीमसेन के सनातन धर्म सभा की ओर चले जाने से आर्यसमाज को बड़ी भारी हानि पहुंचने की आशंका थी। हम देखते हैं कि भीमसेन के विचारों में कुछ उलटफेर होता है जिसे वह अपने पत्र (अखबार) में प्रगट करता है, जिसे अपने नोटों सहित मुस्तग़ीस अपने अखबार सनातन धर्म गज़ट में दर्ज करता है। इसके कुछ अर्से बाद वह 'प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल लैटर' शाया होता (छपता) है, जिसका भांडा ला० वज़ीरचन्द ने समय से पहले ही फोड़ दिया। जनाब को मालूम है कि उसी पत्र को कारण रख कर मुस्तग़ीस ने मेरे मुवक्किल ला० मुन्शीराम पर एक चोरी या मालमसरूका (चोरी का माल) रखने का अभियोग चलाया था।"

नक़ल फ़ैसला जनाब मिस्टर एच० कलवर्ट साहब
मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

अभियोग

गोपीनाथ, साकिन लाहौर, मुस्तग़ीस बनाम ला० मुन्शीराम, साकिन जालन्धर, मुस्तग़ीस आलिया (जिस पर अभियोग चलाया गया)।

दावा ज़ेर दफ़े $\frac{३७९}{४११}$ ताज़ीरात हिन्द

नम्बर १३७······तारीख रूजूअ् १० अप्रैल सन् १९०१ ई०

हुक्म—इस अभियोग में जैसा कि इस्तग़ासे (दावे) और मुस्तग़ीस के बयान में दर्ज है, मैं किसी प्रकार की बुनियाद दोष के लिए नहीं देखता हूं—मुस्तग़ीस ने एक खत लिखा और उसकी १६० प्रति (कापियां) 'बिलकुल प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल' का शीर्षक देकर छपवाईं। वह इस पत्र को शाया (प्रचार) करना चाहता था। परन्तु इसके पश्चात् कि पत्र मुद्रित हो गया और इसके पहले ही कि इस पत्र का प्रचार (अशाअ़त) हो, एक पूर्ण, ज्यों की त्यों नक़ल अपराधी के अखबार में छापी गई। मुस्तग़ीस कहता है कि उसकी १६० प्रतियों में से एक गुम है और अपराधी पर चोरी करने या चोरी का माल जान कर बदनीयती से प्राप्त करने का दोषारोपण करता है। मुझे इस खयाल के लिए ज़रा भी कोई कारण नहीं मिलता कि किसी अपराधी ने भी इस काग़ज़ को चुराया हो (चाहे कम से कम एक एक शब्द की प्रत्यक्षर में नक़ल इनके क़ब्ज़े में आ गई) या उनको ज्ञात हो कि कोई प्रति चुराई गई है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७८ में चोरी की परिभाषा (तारीफ़) को पढ़ने से यह साफ़ हो जावेगा, और मैं इसलिये इस अभियोग को दफ़ै २०३ के अनुसार फ़ौजदारी के ज़ाब्ते से डिसमिस (खारिज) करता हूं।"

ता० ११ अप्रैल १९०१ ई०

द० एच० कलवर्ट
(सिटी मजिस्ट्रेट लाहौर)

वह अभियोग सरसरी तौर पर ही खारिज हो गया था। वहां उसने बयान किया था कि केवल १६० प्रतियां ही छपवाई गई थीं और इसलिए वह यक़ीनन कह सकता है कि एक कापी चोरी चली गई थी परन्तु अब इस वर्तमान अभियोग में गोपीनाथ अपने इस बयान का खंडन कर देता है और कहता है कि वह यक़ीनन नहीं कह सकता कि इतनी ही प्रतियां छपवाई थीं और न यह कह सकता है कि सब प्रतियां इसी के क़ब्ज़ (अधिकार) में रहीं। अब मैं जनाब को बतलाता हूं कि काग़ज़ात क्योंकर हमारे अधिकार में आये। सनातन धर्म गज़ट के

खास नम्बरों की हमें आवश्यकता थी। वे मूल्य देकर मित्रविलास प्रेस से मंगाये गए थे, उनके साथ लिपटा हुआ एक पत्र (खत) भी आ गया। जिस मनुष्य के पास ऐसा पत्र पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं कि उसको पूरा अधिकार उसके छाप देने का है चाहे उस पर शब्द 'प्राइवेट और कौन्फीडेंशल' लिखा हुआ था परन्तु जब वह पत्र लिखने के लिए कातिब (लेखक) को दिया गया और जब प्रेसमैन को छापने के लिए दिया गया, उसी समय उसका प्रचार (अशाअत) हो गया और हमने उसे क्यों छापा ? इसलिए कि जैसा कि मुस्तग़ीस कथन करता है कि उसे केवल आर्यसमाजियों से ही छिपाकर रखने का अभिप्राय था, इस पत्र में लिखा था कि भीमसेन के साथ गोपीनाथ लेक्चर देता फिरेगा। क्या यह बात 'कौन्फी-डेंशल' थी ? कदापि नहीं, किन्तु इस पत्र को केवल इसलिये 'कौन्फ़ीडेंशल' कहा गया था कि कहीं आर्यसमाजी भांडा न फोड़ दें, बस प्रत्येक आर्यसमाजी का कर्त्तव्य था कि वह अपवित्र दुष्ट सन्धि (साज़िश) का भांडा फोड़कर छिन्न-भिन्न कर दे जिसके द्वारा कि गोपीनाथ और भीमसेन आर्यसमाज को तुच्छ, ज़लील प्रगट करने का यत्न कर रहे थे। जनाब, कृपया विचार तो कीजिए कि एक ओर तो भीमसेन आर्यसमाज को यह विश्वास दिला रहा था कि वह कभी भी इनके विरुद्ध सनातन धर्म सभा वालों से नहीं मिलेगा और उनका मेहमान होकर (निमंत्रित होकर) आगरे में उनके व्यय पर आ रहा था (जैसा कि इसी आर्टीकल और ऐडीटोरियल से प्रगट होगा)। दूसरी ओर गोपीनाथ के हाथ बिक चुका था, आर्यसमाज को कदापि ज्ञात न था कि यह मनुष्य मक्कारी की पौलिसी चल रहा है, इन खयालात को लेकर मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि हमारा कर्त्तव्य था कि हम इस दस्तावेज़ को छापकर प्रगट करते, क्या लाला मुन्शीराम का अपने ऐडीटोरियल नोट में इस बात का प्रगट करना लाइ-बिल कहा जा सकता है ? [इस जगह भीमसेन का अपना लेख पढ़कर सुनाया गया] अब जनाब कृपया विचारें कि आर्यसमाजियों ने सादगी से भीमसेन की ज़बान पर विश्वास कर लिया था, और उसे अपने व्यय पर आर्यसमाज आगरे के उत्सव पर बुलवा लिया था, और इसी अवसर पर यह गुप्त और दुष्ट सन्धि हो रही थी, मैं पूछता हूं कि क्या कोई भी न्यायप्रिय (इन्साफ़ पसन्द) मनुष्य जिसके सन्मुख यह घटनाएं प्रविष्ट की जावें, इस गुप्त सन्धि की पोल खोलने पर आर्य-समाज को लांछित (मतऊन) कर सकता है ? क्या आर्यसमाज की रक्षा के लिये आवश्यक न था कि उसके मेम्बरों को बतलाया जावे कि किस मनुष्य के हथकण्डों पर वह सादगी से चढ़ रहे हैं ?

"और अब मैं उन वाक्यों की तरफ़ प्रवृत्त होता हूं, जिन्हें कि गोपीनाथ ने अपने विषय में अपमानयुक्त समझा है, और मैं पहले ही प्रार्थना करूंगा कि जिन वाक्यों को फ़र्दजुर्म के समय इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल ने छोड़ दिया है, उन

पर मैं बहस (वाद) नहीं करूंगा, पहली शिकायत यह है कि भीमसेन को बेअसूला क़रार देकर लिखा है कि 'बेअसूले आदमी का बेअसूलों में ही गुज़ारा हो सकता है' अर्थात् पं० गोपीनाथ को बेअसूला क़रार दिया है, इसके उत्तर में मेरी पहली प्रार्थना यह है कि शब्द 'बेअसूला' से यहां वह मुराद (अभिप्राय) नहीं है जो कि मुस्तग़ीस जतलाने का यत्न करता है, यक़ीनन 'सनातन धर्म सभाओं के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं हैं' जैसा कि उसी लेख में दूसरे स्थान पर ला० वज़ीरचन्द ने लिखा है, मुस्तग़ीस स्वयं मानता है कि उसकी सभा के कोई निश्चित नियम नहीं हैं, मैंने ला० रामरतन और ला० भगवानदास इस्तग़ासह के गवाहों से प्रश्न किया कि क्या सनातन धर्म सभाओं के कोई निश्चित सिद्धान्त हैं या नहीं? यह सनातन धर्म सभा के पुराने मेम्बर हैं, परन्तु यह नहीं बतला सकते कि सनातन धर्म सभा के कोई छपे हुए नियम हैं। मैंने पं० गोपीनाथ से सनातन धर्म गज़ट का प्रथम नम्बर जुलाई सन् १८९६ ई० का छपा पेश कराया है। उसमें सनातन धर्म के अन्दर नास्तिक व आस्तिक आदि हर प्रकार के आदमी को सम्मिलित समझा गया है। ला० वज़ीरचन्द ने सत्य लिखा है कि सनातन धर्म सभा के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं हैं, और चूंकि भीमसेन के भी कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं हैं इसलिये बेअसूले आदमी का बेअसूलों में गुज़ारा होना ठीक लिखा गया है—

"दूसरी शिकायत यह है कि गोपीनाथ को 'स्यापे की नायन' लिखा गया है परन्तु क्या यह वाक्य मानहानिपरक है? 'स्यापे की नायन' वह है जो स्यापे में सब स्त्रियों को पिटवाती है, अर्थात् जिस केन्द्र के चारों ओर सब स्त्रियां घूमती हैं और जिसकी बोली के पीछे वे बोलती हैं, बस इसके मआनी (अर्थ) यह हैं कि गोपीनाथ भी सनातन धर्म सभा का केन्द्र है, क्योंकि जब सभा होती है तो कुल प्रश्न सेक्रेटरी पर ही किये जाते हैं, दूसरे यह कि सनातन धर्म सभा के बहुत से मेम्बर अनपढ़ हैं। वे गोपीनाथ के गिर्द घूमते हैं अर्थात् वह सनातन धर्म सभा लाहौर का सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह-उपग्रह घूमते हैं, और सिवाय इसके पं० गोपीनाथ ही तो है जो आर्यसमाज को गालियां देने का काम प्रारम्भ करता है और चूंकि इसी के प्रयोग किये हुए वाक्यों को लेकर अन्य भी आर्यसमाज को गालियां देते हैं, इसलिये वह 'स्यापे की नायन' है, क्या वह अपमान है? परन्तु यदि इस वाक्य पर अधिक से अधिक विवरण (हाशिया) लगाया जावे तो वह अर्थ (मआनी) होंगे जो कि ईश्वरीप्रसाद गवाह इस्तग़ासह ने किये हैं कि यह मामूली ताअ़ना (उलाहना) है, कोई सख्त गाली नहीं है।

"तीसरी शिकायत हमसे यह की गई है कि पं० गोपीनाथ को बेशर्म कहा गया है परन्तु जो घटनाएं मैं अब तक प्रगट कर चुका हूं और जो लेख उसके अब तक पेश किये गये हैं क्या उनसे उसके बेशर्म और ज़लील होने में कोई शंका हो सकती है। यदि लज्जा और मान का भाव उसमें मौजूद होता तो वह इस प्रकार

के लेख न लिखता।

"चौथी शिकायत इस मामले में यह है कि ला० वज़ीरचन्द ने गोपीनाथ को नाजायज़ (अनुचित) रीति से रुपया प्राप्त करने वाला प्रकट किया है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह दोष बड़ा गंभीर (संजीदा) और कुछ कठोर भी है, और विशेषकर वे शब्द जो छ: सौ रुपया जेब में लाने के विषय में हैं। परन्तु जो शहादत के मिसल पर है यदि उसको गोपीनाथ के अपने बयानों के साथ मिलाया जावे तो क्या कोई सन्देह रहता है कि गोपीनाथ का धर्म पैसे के सिवाय और कोई नहीं है। 'कौन्फ़ीडेंशल चिट्ठी' में सिवाय इसके और कोई बात 'प्राइवेट और कौन्फ़ीडेंशल' न थी कि हरेक सनातन धर्म सभा से पचास रुपये पेशगी लेक्चरों और मार्गव्यय के वास्ते वसूल किया जावे [कौन्सिल ने चिट्ठी को फिर पढ़ा]। मैंने इस चिट्ठी को दुबारा इसलिये पढ़ा है कि जनाब का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाऊं, यह खत (पत्र) गोपीनाथ ने बहैसियत एडीटर सनातन धर्म गज़ट लिखा है न कि बहैसियत सेक्रेटरी सनातन धर्म सभा, क्या इसमें भी कोई भेद है? जनाब का ध्यान इतना ही दिलाना बहुत है कि इस पत्र में भीमसेन के विचारों के उलट-पुलट हो जाने का पूरा-पूरा वर्णन करते हुए उसके द्वारा आर्यसमाजियों को नीच (ज़लील) सिद्ध करा के जो सनातन धर्म सभा का लाभ होगा, उसे बड़े ही उकसाने वाले शब्दों में वर्णन किया गया है। बतलाया गया है कि भीमसेन के साथ बड़ा पत्र-व्यवहार होता रहा है। जनाब, मैं इस्तग़ासह से पूछता हूं कि उस पत्रव्यवहार के पत्रादि कहां हैं? मैं चाहता था कि हम लोग भी उन पत्रों के दर्शन कर सकते और उन गुप्त शर्तों को देख सकते जो कि भीमसेन और गोपीनाथ के बीच तै हुई थीं! सनातन धर्म सभाओं को यह उकसाव (तरग़ीब) दिया गया था कि भीमसेन आर्यसमाज को नीच सिद्ध करा के तुम्हें बड़ा लाभ पहुंचा सकेगा, बस मतलब सनातन-सिद्धान्तों के प्रचार से न था किन्तु आर्यसमाज को समूल विनष्ट करने का अभिप्राय था। इस पत्र में एक बात जनाब के विचारने योग्य है। गोपीनाथ लिखता है, 'इस दौरे का इन्तज़ाम मैं खुद करूंगा, साथ ही यह विचार ठहरा है कि जो सभा इस दौरे में खुद को शामिल करना चाहे, वह इसके व्यय के लिए न्यून से न्यून पचास रुपये पेशगी मेरे पास रवाना कर दे।' जनाब ने देख लिया कि इस आदमी का क्या अभिप्राय है, जिरह में उसने माना है कि यह मामला उसने अपनी अन्तरंग सभा में पेश नहीं किया था, परन्तु यहां सभाओं को धोखा देता है कि तजवीज़ की गई है जिसका साफ़ मतलब यह है कि सभा ने तजवीज़ (निश्चय) की है कि रुपया गोपीनाथ के पास आवे, वह मानता है कि उसका कोई हाल कार्यवाही के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, बस सिवाय गोपीनाथ के निस्संदेह और किसी को इस कार्यवाही का पता न था, वह पत्र में भी नहीं स्वीकार करता कि वह हिसाब सनातन धर्म सभा में पेश किया करेगा, बस यह इबारत भी निस्संदेह धोखा देने

वाली थी।

"पण्डित भीमसेन आया और सनातन धर्म सभा में लेक्चर देकर चला गया, अब लुधियाने से लाहौर तक लुधियाना, जालन्धर, होशियारपुर, अमृतसर और लाहौर, पांच सनातन धर्म सभाएं हैं। गोपीनाथ का अभिप्राय यह था कि हरेक सभा पचास रुपये अदा करे, क्या इन पांच जगहों में से जो ढाई सौ रुपये वसूल होते वह लुधियाने से लाहौर तक मार्गव्यय में लग जाते? अगर इस रक़म में से पच्चीस या तीस रुपये व्यय करके कुछ शेष बचता (और कदाचित् गोपीनाथ की दृष्टि में बहुत न्यून होता) तो उसको कौन पाकेट (जेब में) करता? बस यह रुपया सनातन धर्म सभाओं के लाभ के लिये नहीं मांगा गया था किन्तु इससे कुछ और ही अभिप्राय था और वह अभिशाप गोपीनाथ का छ: सौ रुपया जुर्माना था जो कि उसके कुटुम्ब को कंटक (ख़ार) की तरह खटक रहा था। इस घटना की सिद्धि गोपीनाथ के साधारण कर्म से प्रमाणित होती है। पं० गोपीनाथ और उसके भाई ने विवाहों के अवसर पर धन सम्बन्धी सहायता की अपील करके प्रगट कर दिया है कि उनमें लज्जा और प्रतिष्ठा का भाव शेष नहीं रहा है, उन्होंने ऐसे अवसर पर रुपयों के लिये अपील की है जबकि उनको कोई हक़ न था, यह मांगना उनका खान्दानी गुण बन गया है, बस इस मामले पर सम्मति देने के पूर्व जनाब इस बात पर अवश्य ध्यान रक्खें, हमने भिन्न-भिन्न अवसरों की तीन अपीलें मिसल में लगाई हैं जहां कि अपने ग्राहकों से उन्होंने ग़ैरमामूली (असाधारण) सहायता मांगी है। इनमें से प्रथम दस्तावेज़ डी २३ ज़मीमा अखबार आम बाबत ३ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० है [दस्तावेज़ पढ़ा गया]। क्या यह एक लज्जावान (हयादार) आदमी का लेख है? गोपीनाथ के भाई ने हमें बतलाया है और गोपीनाथ ने भी उसकी पुष्टि की है कि उनका अभिप्राय केवल अखबार का चन्दा मांगने से था, परन्तु शब्द उससे कुछ अधिक प्रगट करते हैं, यदि केवल चन्दा मागने का ही अभिप्राय था तो विवाह के व्यय आदि (इखराजात शादी) और अभियोग के व्यय आदि (इखराजात मुक़द्दमे) का रोना क्यों रोया गया और तुम्हारे ब्याह से मुसलमान ग्राहकों का क्या मतलब था? अभियोग के समय जो कुछेक मित्रों ने चन्दा एकत्र करने की सम्मति दी थी उसके वर्णन की क्या आवश्यकता थी? परन्तु मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गोविन्दसहाय की अपनी घड़न्त थी, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि किसी सनातन सभा ने गोपीनाथ को सहायता देने की तजवीज़ (सम्मति) पेश की हो, उसने सभा की क्या सेवा की थी जिसके बदले में यह सहायता के योग्य था? क्या इसलिये कि यह अश्लील और घृणित से घृणित लिटरेचर फैला रहा था। इस अपील के अन्तिम शब्द स्पष्टतया प्रगट करते हैं कि इस धोखे से पहले सहायता के लिये लोग तैयार थे। गोपीनाथ और उसका भाई रुपया प्राप्त करना चाहते थे—

"ऐसी ही प्रार्थना १५ जनवरी सन् १९०१ ई० के सनातन धर्म गज़ट में मुद्रित हुई थी। इसके शब्द असाधारणतया (ग़ैरमामूली तौर पर) एक-से ही हैं, और यह एक और प्रमाण इस बात का है कि अखबार आम का संपादक भी निस्संदेह गोपीनाथ ही है, सन् १८९९ ई० में एक दूसरे भाई का विवाह हुआ था, उस समय भी इसी प्रकार की अपीलें की गई थीं, देखिये दस्तावेजें डी ८३ और डी ८४, इसके अतिरिक्त जनाब दस्तावेज़ डी ८५ का भी अवलोकन करें, जिसमें अख़बार आम के लिए 'पुलाव का सामान प्राप्त होना' लिखा हुआ है। यदि मार्च में लिखा जाता तो कदाचित् यह भी एक होली का चुटकला बन जाता, परन्तु वह होली का अवसर न था, जब फ़र्वरी सन् १९०१ ई० वाली अपील निकली तो अन्य समाचारपत्रों ने इस काम को निन्दनीय (ज़लील) समझा और सख़्त नोटिस लिया। मैं जनाब का ध्यान ३० जनवरी सन् १९०१ ई० के समाचारपत्र पंजाब ऑब्ज़र्वर की ओर दिला चुका हूं। इस अखबार के एडीटर ने अपने बयान में भी अपने लेख की पुष्टि की है और लिखाया है, 'अखबार आम में विवाह के विषय में एक लेख लिखा था जिसे मैंने अखबारनवीसी के लिये ज़लालत का बाइस समझा था क्योंकि उसमें ग्राहकों से चन्दे के अतिरिक्त सहायता मांगी गई थी,' ग्राहकों से चन्दे से अधिक मांगना एक तुच्छता (कमीनापन) है [३० जनवरी सन् १९०१ ई० का पंजाब ऑब्ज़र्वर पढ़ा गया]। पैसा अखबार ने भी ऐसा ही लिखा था, बस जो सम्मति के अखबार आम के अन्य सहयोगियों ने ऐसी चेष्टा पर लगाई, यदि वही विचार मेरे मुवक्किलों ने ठहराया तो उनका कुछ दोष नहीं है। करीमबख्श कथन कर चुका है कि इस मनुष्य का धर्म यह है कि 'राम-राम जपना, पराया माल समझ लेना अपना!' और इस सम्मति से मालूम होता है कि पबलिक भी सहमत है, गोपीनाथ स्वयं मानता है कि उपदेशकों को सनातन धर्म सभाओं में भेंट मिलती है और स्वयं भी ऐसी भेंट लेने से स्वीकारी है यद्यपि वह कहता है कि ऐसा रुपया धर्मसभा के कोष में दाखिल कर दिया करता है, चाहे यह ध्यान उसे दूसरे कथन के समय आ गया, परन्तु उसने अपने इस कथन की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज़ी प्रमाण प्रविष्ट नहीं किया, और हम सब अब अभिज्ञ हो गये हैं कि गोपीनाथ के दावों की क्या वक़अ़त (गौरव) है, बस मैंने सिद्ध कर दिया है कि गोपीनाथ का अभिप्राय पचास रुपये प्रत्येक धर्मसभा से प्राप्त करके छः सौ रुपये जुर्माने की न्यूनता को पूरा करने की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

"अब अन्तिम शिकायत जो इस बीच में हमसे की गई है यह है कि ला० वज़ीरचन्द ने गोपीनाथ को 'दयाहीन घातक' और 'बेबस बालक का गला घोंटने वाला' प्रगट किया है। सबसे पूर्व तो यह निवेदन है कि यह शब्द स्पष्टतया पं० भीमसेन से सम्बन्ध रखते हैं न कि पं० गोपीनाथ से, क्योंकि 'विश्वासघाती' उस

मनुष्य को कहते हैं जो मित्र होकर धोखा देवे, और वह भीमसेन ही हो सकता है न कि गोपीनाथ। क्योंकि अन्तिम मनुष्य[1] का कोई भी सम्बन्ध आर्यसमाज से नहीं रहा है, परन्तु कल्पनामात्र से यदि समझ लें कि इन शब्दों का सम्बन्ध गोपीनाथ ही से है तो भी यह इज़ाले हैसियतउर्फ़ी (मानहानि) नहीं है क्योंकि यह शब्द एक अलंकार के तौर पर लिखे गये हैं, परन्तु क्या यह सत्य नहीं है, आर्यसमाज रूपी अनाथ बालक का गला घोंटना गोपीनाथ भी चाहता था? यदि हमारा यह दावा असत्य है तो यह गुप्त (तारीक) और भयावनी सन्धि क्यों? यह विश्वास करते हुए कि यह सोसाइटी (अर्थात् आर्यसमाज) शिष्टाचार और धर्म को हिन्दू सोसाइटी के अन्दर फैला रही है, क्या वज़ीरचन्द ऐसी घृणित सन्धि देखकर ऐसा वाक्य बिना लिखे रह सकता था? और यहां सब विवादास्पद बातें की जो फ़र्दजुर्म के अन्तर्गत थीं, समाप्त हो जाती हैं।"

नोट—इस समय पांच बज चुके थे और रायज़ादा भक्तराम साहब अभी एक घंटा और अपने संवाद को समाप्त करने के लिये चाहते थे, इसलिये अभियोग पहली अगस्त सन् १९०१ ई० के लिये मुल्तवी किया गया।

वाक़ै इकम् अगस्त सन् १९०१ ई०
(समय ग्यारह बजे)

जब उभय पक्ष वाले अपने कौंसिलों के सहित उपस्थित हो गये तो रायज़ादा भक्तराम साहब ने अपना कथन इस प्रकार प्रारम्भ किया—

"जनाब, पूर्व इसके कि मैं अपने कथन के इस भाग को प्रारम्भ करूं, जो कि आज के लिए शेष रहा था, मैं जनाब की आज्ञा से उन बातों के विषय में भी कुछेक और घटनाएं पेश करना चाहता हूं जिन पर कि कल सम्वाद किया था ताकि उनके समझने में सरलता हो जावे, प्रथम बात गोपीनाथ के मांगने के स्वभाव के विषय में है। जनाब देखेंगे कि उसने जब अपना औफ़िस नया बनवाया था तो चूना और ईंटों के लिए भी अपील की थी, द्वितीय बात मौलवी ज़हूरुद्दीन अहमद के नाम का पत्र (दस्तावेज़ डी ४२) है। इस पत्र में गोपीनाथ ने स्पष्टतया विश्वास दिलाया है कि अखबार 'अर्जुन' का उससे या उसके कुटुम्ब से कोई सम्बन्ध स्वामीपन का नहीं था, यद्यपि जनाब के सन्मुख वह मानता है कि वह अखबार उसके कुटुम्ब के आधिपत्य में था। इसके अतिरिक्त उसने एक और झूठ बोला है जब उसने कथन किया कि बारह वर्षों से उसकी करीमबख्श से मित्रता नहीं है। यद्यपि हमने सिद्ध कर दिया है कि आठ वर्ष हुए जब वह कुलटा स्त्रियों

---

१. पं० गोपीनाथ से अभिप्राय है।

के विषय में करीमबख्श से पत्र-व्यवहार कर रहा था, एक और बात गावकुशी के लेख के विषय में है। गोविदसहाय से जब पूछा गया कि क्या उन लेखों के मसविदेजात (पूर्वलिखित पत्र) उसके पास हैं तो उसने उनके अस्तित्व से इनकार किया। केवल एक और बात की ओर मुझे ध्यान दिलाना है। इसके पूर्व कि मैं आज के वाद-विवाद का भाग प्रारम्भ करूं, जो लाला वज़ीरचन्द की सब-एडीटरी के विषय में है। यदि ला० वज़ीरचन्द वास्तव में सब-एडीटर होता तो निःसन्देह स्वीकार कर लेता, जनाब को ज्ञात है कि ला० मुन्शीराम ने १ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० के सद्धर्म-प्रचारक के पत्रप्रेरक का नाम प्रगट नहीं किया था, परन्तु वज़ीरचन्द ने स्वयं ही उस लेख का लेखक होना स्वीकार कर लिया था, अतः यदि वज़ीरचन्द वास्तव में सब-एडीटर होता तो अवश्य अंगीकार कर लेता, वह केवल उस समय संपादक का स्थानापन्न था जबकि अगस्त सन् १८९९ ई० से लेकर ८ अप्रैल सन् १९०० ई० तक लाला मुन्शीराम जालन्धर से बाहर रहे थे।

"और इसके अनन्तर मैं अभियोग की साधारण व्यवस्था (आम कैफ़ियत) पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मुस्तग़ीस के गवाह उसे ख़ान्दानी सिद्ध करना चाहते हैं। उनका कथन है कि वह ख़ान्दानी है क्योंकि वह ब्राह्मण है, परन्तु यह कारण इस जगह सम्बन्ध नहीं रखता है, सम्बन्ध रखने वाली बात यह है कि गोपीनाथ का पबलिक चाल-चलन क्या है? उसकी लौकिक पोज़ीशन कैसी है? दस्तावेज़ डी १ में पं० मुकन्दराम जो मुस्तग़ीस का पिता है उसका जीवन-वृत्तान्त वर्णित है। उसमें मुकन्दराम के पुरखों का कुछ भी हाल दर्ज नहीं है। वृत्तान्त यहां से प्रारम्भ होता है कि मुकन्दराम निर्धनता की दशा में लाहौर में आया और दो आने दैनिक पर लिखाई का काम करने लगा, यह नहीं मालूम कि कश्मीर में यह गवर्नर था पर मज़दूरी का काम करता था, यह कहा जाता है कि वह गुर्टू राज़दान अर्थात् कश्मीरियों के सबसे उत्तम वंश का मेम्बर था, परन्तु मालूम यह होता है कि यह मनुष्य निस्सन्देह एक क़िस्मत आज़मा (प्रारब्धपरीक्षक) था जिसका वृत्तान्त किसी को मालूम नहीं कि कहां से आया, कोई शहादत (साक्ष्य) भी उपस्थित नहीं जिससे मालूम हो कि मुकन्दराम वास्तव में गुर्टू राज़दान, या वास्तविक ब्राह्मण भी था या नहीं, इस विषय में गोविन्दसहाय उसका सबसे बड़ा पुत्र अनभिज्ञता प्रगट करता है और वह यह भी नहीं बतला सकता कि उसके ननिहाल के सम्बन्धी कौन और क्या थे, इससे मालूम होता है कि गोपीनाथ का कुटुम्ब गुमनाम और निर्धन था, गोविन्दसहाय स्वीकार करता है कि उसके पिता और उसकी माता का गोत्र एक ही था और वे एक ही कुटुम्ब के मेम्बर थे, वह कहता है, 'हम गुर्टू राज़दान सामन गोतक हैं। मेरी मां भी उसी गोत्र की थी।' मुझे विश्वास है कि गोपीनाथ का पिता जानता था कि उसका असली गोत्र और कुटुम्ब कौनसा है? यदि वह इस बात से अनभिज्ञ होता तो कभी भी उसी गोत्र

की कन्या से विवाह न करता और इस दशा में वह उसको बहन या लड़की की जगह समझता, इस बात में मेरी पुष्टि हिन्दू लॉ (क़ानून) से होती है [इस स्थान पर शिरोमणि के हिन्दू लॉ का प्रमाण दिया गया]। जनाब विचारेंगे कि क़ानूनन इस प्रकार के विवाह अनुचित निश्चित किये गये हैं, बस या तो यह मानना पड़ेगा कि वास्तविक गोपीनाथ के पिता और उसकी माता का एक ही गोत्र था और इस दशा में ऐसे विवाह की सन्तान जो कुछ हो सकती है वह प्रगट है, या यह मानना पड़ेगा कि गोपीनाथ का पिता एक प्रारब्धपरीक्षक चतुर मनुष्य था जिसने अपने ही उत्साह (हिम्मत) से ब्राह्मण और गुर्टू राज़दान की पदवी प्राप्त कर ली। इन दोनों दशाओं में से मुस्तग़ीस को अधिकार है जो चाहे सो पसन्द कर लेवे।

"जनाब विचारेंगे कि इस अभियोग में मुस्तग़ीस ने एक अद्भुत पालिसी स्वीकार की है, अर्थात् अपने चाल-चलन के विषय में शहादत (साक्ष्य) प्रविष्ट की है। इसके लिए आवश्यक था कि कुछ शहादत इस प्रकार की उपस्थित होती, जो मुस्तग़ीस के शुद्धाचरण होने की पुष्टि करती, इस अभियोग के लिए मुस्तग़ीस ने बहुत से गवाह और कुछेक सार्टिफ़िकेट शुद्धाचरण के प्रविष्ट किये हैं।"

इसके अनन्तर योग्य और चतुर कौन्सिल ने रायबहादुर ब्रजलाल घोष, पण्डित हरिकिशन, लाला रामरतन, लाला भगवानदास, लाला मूलराज और मिस्टर जान्सन के कथनों की व्याख्या करते हुए प्रगट किया कि वे साधारणतया मुस्तग़ीस को ब्राह्मण होने के कारण खान्दानी कथन करते हैं, और इसका पबलिक जलसों (सर्वसाधारण उत्सवों) में सम्मिलित होना वर्णन करते हैं। उनमें से एक भी उसके चाल-चलन के विषय में अभिज्ञता प्रगट नहीं करता, न उनके कथन से मुस्तग़ीस शुद्धाचरण सिद्ध होता है, किन्तु उनके कथन से मालूम होता है कि गत तीन वर्षों में राधाकुण्ड के प्रतिष्ठा के उत्सव के अतिरिक्त जो कि रायसाहब गुलाबसिंह के पुत्रों ने एक छोटा तालाब बनवाया है जहां सर्वसाधारण की भीड़ थी और किसी पबलिक जलसे में गोपीनाथ नहीं दिखाई पड़ा, मुस्तग़ीस के प्रविष्ट किये हुए सार्टीफ़िकेटों के विषय में रायज़ादा भक्तराम ने यों कहना प्रारम्भ किया—

"पण्डित गोपीनाथ ने कुछेक दस्तावेज़ात और मिस्टर टिपर का एक पत्र यह प्रगट करने के लिए प्रविष्ट किये हैं कि वह हैसियतदार आदमी है और ऐसे पबलिक जलसों में बुलाया जाता है जहां प्रतिष्ठित मनुष्य ही बुलाये जाते हैं, परन्तु उन पत्रादि से ऐसा नहीं मालूम होता है, यह पहले थियोसॉफ़िकल सोसाइटी के Inner circle में था, अब नहीं है। यह पहले कांग्रेस में था, अब कहता है कि स्वयं उसे छोड़ दिया है। यह पहली दुर्भिक्ष निवारिणी कमेटी का मेम्बर था परन्तु दूसरी का नहीं हुआ। यह सब गत तीन वर्षों में ही हुआ है और इससे प्रगट होता है कि पण्डित गोपीनाथ ने पबलिक जीवन से पृथकता करके एकान्तवास

स्वीकार कर लिया है।

" जनाब, ध्यान से विचारेंगे कि कोई मनुष्य ऐसे गवाह को अदालत में प्रविष्ट नहीं करता जिस पर गुमान हो कि वह उसके ही चाल-चलन के विरुद्ध सम्मति रखता है, न्यून से न्यून हर कोई इस प्रकार के आदमी गवाही के लिए ढूंढ़ता है जिनका उसके पक्ष में बोलना सम्भव हो। गोपीनाथ ने बाबू अविनाश चन्द्र मजूमदार को प्रविष्ट किया, मालूम होता है कि बाबू अविनाशचन्द्र भी गोपीनाथ से डरते थे। उन्होंने गोपीनाथ को पहले अच्छा आदमी और अपना मित्र बतलाया, उन्होंने मिस्टर रोशनलाल को भी अपना मित्र बतलाया, उन्होंने माना कि मिस्टर रोशनलाल को उन्होंने अपने परिवार में इन्ट्रोड्यूस किया हुआ है, परन्तु मुस्तग़ीस को नहीं। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्यों नहीं? इसलिए कि बाबू अविनाशचन्द्र मुस्तग़ीस को एक दुष्टाचरण (बदचलन) आदमी के रूप में जानते हैं और केवल उसके भय से उसे मित्र बना रक्खा है। इस गवाह के कथन से ज्ञात होता है कि जब बाज़ारी औरतों को अनारकली बाज़ार से पृथक करने की चेष्टा की गई तो केवल मुस्तग़ीस ही इस सम्मति के प्रतिकूल था और हम सब समझ सकते हैं कि क्यों विरुद्ध था। वह शायद अपनी तकलीफ़ से डरता था कि कहीं उसे दूर न जाना पड़ा करे। बाबू अविनाशचन्द्र भी मानते हैं कि मिसेज़ रोशनलाल (रोशनलाल जी की पत्नी) को उन्होंने मुस्तग़ीस के विषय में कहा कि कुत्तों को भौंकने दो, और कि वह बेहया है। लाला हीरालाल गवाह ने भी उसके चाल-चलन को खराब ही बयान किया है। उसे धोखे की टट्टी और चालबाज़ आदि बयान किया है, कदाचित् कहा जावे कि हीरालात एक विरोधी समाचारपत्र का स्वामी है परन्तु वह किसी तरह मुस्तग़ीस का शत्रु सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि उसने सद्धर्म-प्रचारक पत्र के पर्चे मुस्तग़ीस को दे दिये थे।"

इसके पश्चात कौंसिल ने पं० ईश्वरीप्रसाद गवाह के कथन को लिया और ईश्वरीप्रसाद के मुद्रित किये हुए पैम्फलेट (दस्तावेज़ डी ५५) को पढ़कर और उसके अब तक सनातन धर्म सभा के उत्सवों में व्याख्यान देने के समाचार कथन करके सिद्ध किया कि उसका अब तक गहरा सम्बन्ध सनातन धर्म सभा से है और इसलिए वह गोपीनाथ का शत्रु नहीं हो सकता, फिर कौन्सिल ने कहा—

"यह गवाह कहता है कि जो मनुष्य गावकुशी की पुष्टि में लेख लिखे वह हिन्दू नहीं रहता, यह असली पोज़ीशन सनातन धर्म सभा की इस गवाह ने बतलाई है, और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मुस्तग़ीस सनातन धर्म सभा का सभासद नहीं है। यह गवाह कहता है कि मुस्तग़ीस ने यदि छपाई का मूल्य लेकर गोमांस के विज्ञापन मुद्रित किये हैं, तो वह सनातनधर्मी हिन्दू नहीं है। क्या विज्ञापनों की छपाई के लेने से मुस्तग़ीस ने इन्कार किया? हमारे पास बहुत से पर्चे अखबार आम के उपस्थित थे, जिनमें से केवल ३ पर्चे अदालत ने लेने

आवश्यक समझे गये। उनसे मालूम होगा कि गोमांस, गोचर्म और प्रत्येक अंग के विषय में विज्ञापन मुस्तग़ीस छपाई लेकर छापता रहा।"

इसके पश्चात् इस गवाह के द्वितीय कथन में जो उद्योग इस्तग़ासा की ओर से इस बात के सिद्ध करने में हुआ था कि सर्वसाधारण हिन्दुओं में इस समय सिद्धान्तों से बेपरवाही है, उसका कथन करके परिणाम निकाला कि फिर भी मुस्तग़ीस सनातनी हिन्दू नहीं समझा जा सकता और उसका कर्त्तव्य था कि वह सभा से पृथक् हो जावे, तदनन्तर करीमबख़्श की शहादत पर कहना प्रारम्भ किया—

"मुस्तग़ीस मानता है कि करीमबख़्श उसका मित्र था। करीमबख़्श ने मुस्तग़ीस और बाज़ारी औरतों के परस्पर पत्र-व्यवहार को तसदीक़ किया है। उसने बतलाया है कि गोपीनाथ उसके साथ और मुसलमानी रंडियों के साथ एक दस्तरख़्वान (भोजन करने का आसन) पर खाता था और क्या-क्या नहीं खाता था? जिन वस्तुओं का हिन्दुओं के लिए अति निषेध है, उनको भी भक्षण करता था। हमें कहा जाता है कि इन बातों को पबलिकली कहना नहीं चाहिए था, जनाब मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि जो लोग ऐसा करने पर बाध्य (मजबूर) हुए, यह मनुष्य बड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ आर्यसमाज को उन मनुष्यों के साथ जिन्होंने मुसलमानों के हाथ से खाया हो, शुद्धि के बाद बर्ताव करने पर कटाक्ष करता और उन पर वज्र की चोटें लगाता है और स्वयं ऐसे काम करता है। करीमबख़्श ने बतलाया है कि मुस्तग़ीस उसके घर खाता रहा है। न केवल यही, किन्तु अदालत के प्रश्न पर उसने उत्तर दिया कि मुस्तग़ीस गोमांस भी खाता रहा है, और उसकी पुष्टि दस्तावेज़ी शहादत से भी होती है (देखिए दस्तावेज़ डी ९८)। जिरह में मुस्तग़ीस के फ़ाज़िल कौन्सिल ने इस गवाह के कथन पर सन्देह उत्पन्न कराने का यत्न किया था। उस पर दो उज़्र किए थे: प्रथम यह कि दस्तावेज़ के दोनों ओर की तारीखें पीछे लिखी गई, और द्वितीय यह है कि करीमबख़्श के लेख का भाग मिस्टर राटीगन साहब से रुपया लेने की इच्छा से किया गया, क्योंकि उसमें शब्द Beef और Mutton अंग्रेजी में लिखे गये हैं। इसके उत्तर में निवेदन है कि यह तो स्वीकार किया गया है कि सन् १८९३ ई० में सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के अभियोग के समय यह दस्तावेज़ उपस्थित थी और इसी दशा में उपस्थित थी। बस यदि कोई लौटफेर हुई है, तो वह ८ वर्ष पुरानी है, हम उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं, परन्तु जनाब देखेंगे कि उस दस्तावेज़ के असल होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता [दस्तावेज़ अदालत के सन्मुख रक्खी गयी] तारीखों के विषय में शंका करना वृथा है। क्या हेतु दिया गया है कि तारीखें पीछे की बनाई हुई समझी जावें? गोपीनाथ का उत्तर तुरन्त ही प्रारम्भ होता है। उस पर कोई आदाब अल्क़ाब नहीं, जिस प्रकार करीमबख़्श लिखता है,

'डियर गोपीनाथ साहब' । यदि यह पर्चा केवल एक ओर ही गोपीनाथ का लिखा हुआ होता और किसी दूसरे पर्चे का उत्तर होता, तो ऐसा ही अल्क़ाब उस पर लिखा हुआ होता, परन्तु यहां उत्तर नम्बर १ से प्रारम्भ होता है और जो शंका Beef आदि अंग्रेज़ी में लिखने की है, वही दशा उसी दस्तावेज़ की भी है जो पूरी की पूरी गोपीनाथ की लिखी हुई सिद्ध हो चुकी है। उसमें Smoke का शब्द अंग्रेज़ी में है। क्या गोपानाथ ने भी यह शब्द मिस्टर राटीगन साहब को फांसने के लिए लिखा था? और अन्तिम शब्द जो नम्बर ३ के उत्तर में लिखे गये हैं, स्पष्टतया सिद्ध करते हैं कि करीमबख़्श के पत्र में दोनों प्रकार के कबावों का ज़िकर था। गोपीनाथ उत्तर देता है कि दूध, बादाम, फल आदि का ही प्रबन्ध 'काफ़ी' होगा, शब्द 'काफ़ी' प्रकट करता कि दूसरी ओर से अन्य वस्तुओं का भी ज़िकर आ चुका है, यह विचार वास्तव में विस्मयजनक है कि हिन्दू 'गोमांश' भक्षण करे। निस्सन्देह कोई हिन्दू इस पर विश्वास नहीं कर सकता परन्तु यहां मामला क्या है? यह तो सिद्ध हो चुका है कि गोपीनाथ की मित्रता मुसलमानों से थी और वह मुसलमानी रंडियों के घर पर जाया करता था, तीन वर्ष तक तो यह स्वभाव गोपीनाथ का सिद्ध ही है, यद्यपि शहादतों से यह सिद्ध किया गया है कि यह आदत सन् १६६७ ई० तक जारी रही। जनाब विचार सकते हैं कि जब एक हिन्दू मुसलमानी रंडी के मकान पर जाता है और वहां ह्विस्की शराब की बोतलें खुलती हैं, तो जो कुछ उस घर में पका हो, वही खा लेता है। इस तरह कबाबों का खाना प्रारम्भ हुआ और शनैः-शनैः मालूम करके भी घृणा जाती रही होगी, फिर क्या आश्चर्य है कि उस चाल-चलन का आदमी जैसा कि लाला हीरालाल गवाह इस्तग़ासह और करीमबख़्श ने मुस्तग़ीस को बयान किया है, जानबूझकर भी Beef खाने लग जावे। परन्तु सबसे बढ़कर उम्दा तरीक़ा अपने आपको इस आक्षेप से बचाने का यह था कि मुस्तग़ीस हल्फ़न करीमबख़्श की तहरीर को जाली बयान करता या बीफ़ (Beef) खाने से इन्कार करता। जनाब को याद होगा कि मैंने करीमबख़्श के कथन से पूर्व ही इस्तग़ासह को यह अवसर देना चाहा और प्रार्थना भी की कि गोपीनाथ को जिरह के लिए पेश होने की पुनः आज्ञा हो. परन्तु क्या गोपीनाथ का हौसला हुआ कि वह हल्फ़न इस बात से इन्कार करे, और हौसला क्योंकर हो सकता था जबकि वह जानता था कि उसके Wetnessbox (गवाही देने की जगह) में बड़ जाने से कदाचित उसमें अपनी और बहुत-सी अन्य करतूतों को स्वीकारना पड़ेगा। जनाब देखेंगे कि हमारी ओर से कभी भी अनुचित लाभ उठाने का यत्न नहीं हुआ, अन्त समय तक हमने मुस्तग़ीस को अवसर दिया कि यदि वह इस पत्र से इन्कारी करना चाहता है या इसके विषय में कुछ कहना चाहता है तो कह ले, परन्तु मुस्तग़ीस का हौसला न पड़ा, फिर किस मुख से अब इस्तग़ासह की ओर से इस दस्तावेज़ के

विषय में कोई शंका हो सकती है ?"

अन्त में रायज़ादा भक्तराम ने उस शास्त्रार्थ का पूर्ण वृत्तान्त कथन किया जो कि सद्धर्म-प्रचारक और सनातन धर्म गज़ट में परस्पर बहुत समय से प्रारम्भ है। कौन्सिल ने सद्धर्म-प्रचारक के उन सब पर्चों के लेखों की पड़ताल परीक्षा की जो कि मुस्तग़ीस ने अपने विषय में अपमानयुक्त कथन किये थे और सिद्ध किया कि उनमें एक भी शब्द अपमानसूचक नहीं, किन्तु वह विशेष शान्ति के साथ लिखे हुए हैं। कौन्सिल ने प्रतिवादी को पुन: चैलेंज दिया कि सद्धर्म-प्रचारक की फ़ाइल में से एक शब्द भी वैसा पेश करें, जैसे कि बीसियों लेख गोपीनाथ लिखता रहा है इस पर बड़ा बल दिया गया कि यह वाग्युद्ध (लफ़्ज़ी जंग) पहले-पहल पं० गोपीनाथ ने प्रारम्भ किया। कौन्सिल ने कहा—

गोपीनाथ स्वयं स्वीकार करता है कि पहली बार उसका नाम सद्धर्म-प्रचारक में १२ अप्रैल सन् १८९८ ई० को आया है जबकि एक पत्र रोपड़ के शास्त्रार्थ के विषय में निकला था (दस्तावेज़ डी ९)। परन्तु उस पत्र पर लाला मुन्शीराम ने कोई हाशिया नहीं चढ़ाया, न वह रोपड़ में ही उपस्थित थे। उसका कोई सम्बन्ध इस घटना से न था, तथापि सन् १८९८ ई० के सनातन धर्म गज़ट में वह प्रसिद्ध आर्टीकिल निकला जिसका शीर्षक था—'इस झूठ पर ख़ुदा की मार' (दस्तावेज़ डी २७)। जनाब ने इस लेख को सुन लिया है, क्या इस प्रकार के अश्लील और असभ्य आक्रमणों के लिए गोपीनाथ के पास कोई भी उत्तर था ?"

इसके अनन्तर कौन्सिल ने उन सब सद्धर्म-प्रचारक के पर्चों पर बहस की जो गोपीनाथ ने ला० मुन्शीराम की ओर से ईर्ष्या व द्वेष सिद्ध करने के लिये प्रविष्ट किये थे और सिद्ध किया कि उनमें जो कुछ लिखा था सब दस्तावेज़ी शहादत से सत्य सिद्ध हो चुका है। फिर इस बात पर बल दिया गया कि ला० मुन्शीराम की ओर से जो कुछ लिखा जाता रहा वह सब आत्मरक्षार्थ (हिफ़ाज़त ख़ुद अख़्तियारी) था, तदनन्तर गोपीनाथ की योग्यता और शास्त्रार्थ के लिये डींग का ज़िकर करते हुए प्रगट किया गया कि यत: (चूंकि) सबसे पूर्व आक्रमण उसने प्रारम्भ किये इसलिये उसका कोई हक़ नहीं है कि अदालत में आकर दादरसी (न्याय) मांगे और इस पुष्टि में पुस्तक 'Odger's Libel and Slander' के पृष्ठ २५३, २५४, २५५, २६३ और ४५० पढ़े गये, जिनसे प्रगट होता है कि अख़बारी मुबाहसे में प्रारम्भ करने वाला दादरसी (न्याय) का मुस्तहक़ (अधिकारी) नहीं है, यदि उत्तर के तौर पर उस पर आक्रमण किये जावें। अन्त में रायज़ादा भक्त-राम ने कहा—

"यह सिद्ध है कि यह मनुष्य एक हज़ार रुपये लेकर पश्चिमोत्तर प्रान्त के हुक्काम के विरुद्ध चेष्टा करने के लिये खड़ा हुआ था, यह भी सिद्ध है कि इस मनुष्य ने पन्द्रह हज़ार रुपये महाराजा काश्मीर से प्राप्त किये, यह भी सिद्ध है कि

इस मनुष्य ने दीवान लछमनदास से दबाग़त (दबाव डालकर) से रुपया प्राप्त करना चाहा, यह भी सिद्ध है कि यह मनुष्य असभ्य और अश्लील लेख लिखने का अभ्यासी है, न केवल यही किन्तु जो कुछ लिखता है उससे बढ़ कर गुप्त प्रकार से कर्त्तव्य[1] में लाता रहा है। इसके लेखों और प्रमाणित पत्रों से हमने सिद्ध कर दिया है कि इस मनुष्य का चाल-चलन इस प्रकार का नहीं है कि किसी लेख से भी उसकी मानहानि हो सके, और इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुवक्किल बरी होने चाहिए।"

मिस्टर पेटमैन साहब ऐडवोकेट इस्तग़ासह फिर (ईस्तादह) उठ कर खड़े हुए और कहा—

"पूर्व इसके कि मैं इस अभियोग के विषय में अपना कथन प्रारम्भ करूं, मैं अपने चतुर मित्र को उस ख़ूबी के लिये मुबारिकबाद देता हूं जिससे कि उन्होंने अपराधियों की ओर से पैरवी की है। मैं अपने योग्य मित्र को विशेषकर ललित और उत्तम स्पीच के लिये भी मुबारिकबाद देता हूं जो कि उन्होंने अभी समाप्त की है। सचमुच यह (तक़रीर) लाहौर को एक आश्चर्य में डालने वाली थी।

"और अब मैं अभियोग के विषय में विचार करता हूं, जनाब अवलोकन करेंगे कि अपराधियों ने अपने ऊपर के कुछेक दोषों के उत्तर में मुस्तग़ीस के चाल-चलन पर आक्रमण किये हैं। मेरी बहस केवल दो बातों से सम्बन्ध रखनेवाली होगी, प्रथम अपराधियों के कथन की सत्यता पर, द्वितीय मुस्तग़ीस के चाल-चलन के विषय में। और इस विषय में मैं जनाब का ध्यान दफ़ॉ १०५ क़ानूनशहादत की ओर दिलाता हूं, यह दफ़ॉ निम्नानुसार है [जब किसी मनुष्य पर कोई फ़ौजदारी का दोष आरोपित किया जावे, तो ऐसी घटनाओं के सिद्ध करने का भार जिनके कारण अभियोग ताज़ीरात हिन्द की मुस्तस्नियात (छूट) के अन्दर आ जावे, या किसी विशेष छूट या किसी अन्य आज्ञा से जिसमें दोषों की क़ानूनी परिभाषा लिखी हो, उसके अन्दर आ जावे तो उसके सिद्ध करने का भार उसी मनुष्य पर होगा और अदालत उन दोषों का अभाव ही समझेगी।] मैं इस बहस में अधिक समय लेना ज़रूरी नहीं समझता कि मुस्तस्नियात के सिद्ध करने का भार इस अभियोग में अपराधियों के ऊपर है और उन्हें इन मुस्तस्नियात के अन्दर ही अपनी सफ़ाई को परिछिन्न (महदूद) रखना रखना चाहिये, मुस्तग़ीस के चाल-चलन का उसमें कुछ सवाल पैदा नहीं होता, इस विषय में केवल इण्डियन लॉ रिपोर्ट इलाहाबाद, जिल्द ७, पृष्ठ ९०६ का हवाला दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था (फ़ैसला) को ठीक नहीं समझा गया। इस अभियोग में केवल दो शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' मुस्तग़ीस के चाल-चलन से सम्बन्ध रखते

१. काम के अर्थ में प्रयुक्त।

हैं। इसलिये सफ़ाई की शहादत भी इन दो ही तक परिछिन्न रहनी चाहिये, मुस्तग़ीस के सम्पूर्ण चाल-चलन पर आक्रमण नहीं होना चाहिये था। इलाहाबाद वाले अभियोग में स्पष्टतया यह निश्चय किया गया था कि जब लाइबिल किसी मनुष्य के सर्वसाधारण कर्त्तव्य[1] के विषय से सम्बन्ध रखता हो तो उसके प्राइवेट चाल-चलन की शहादत निश्चयार्थ घटना (वाक़ै मुतल्लिक़ा) से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती, [कौन्सिल ने सबका सब अभियोग पढ़कर सुना दिया और स्थान-स्थान पर हशिया चढ़ाया] इसी प्रकार यहां गोपीनाथ एक पत्र का सम्पादक है और पब्लिकमैन है, इसलिये उसके प्राइवेट चाल-चलन के विषय में शहादत पेश नहीं हो सकती थी। जहां तक उसके चाल-चलन का 'रिन्द' और 'औबाश' शब्द से सम्बन्ध है वहीं तक शहादत परिछिन्न होनी चाहिये थी, परन्तु मुस्तग़ीस पर जिरह में उसके सम्पूर्ण चाल-चलन पर आक्रमण किया गया है [यहां मिऊज़डाइ-जेस्ट से इसी विषय के कुछ फ़ैसले कौन्सिल ने पढ़कर सुनाये]। जनाब विचारेंगे कि इस विषय में दीवानी व फ़ौजदारी दोनों प्रकार के फ़ैसलों का इत्तफ़ाक़ (सहमत्य) है अपराधियों के योग्य कौन्सिल ने ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३६५ का हवाला दिया है, परन्तु वह कुल अध्याय दीवानी के क़ानून से सम्बन्ध रखता है।

[इस जगह अपराधियों के कौन्सिल ने बल दिया कि सम्पूर्ण वाक्य पढ़ा जावे क्योंकि अन्तिम वाक्य अपराधियों के लाभ का था, इसलिये पढ़ा गया, तदनन्तर इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल ने दफ़ै ४ क़ानूनशहादत पढ़ा। फिर दफ़ै ६५ क़ानून-शहादत को पढ़ने के अनन्तर ओजर्स साहब की पुस्तक का पृष्ठ ३६६ पढ़ा और बतलाया कि किन दशाओं में सर्वसाधारण ख्याति की शहादत दी जा सकती है]

"इसमें सन्देह नहीं है कि गोपीनाथ एक पबलिकमैन है, हमने दस्तावेज़ी शहादत से सिद्ध किया है कि वह पबलिक-कामों में दखल देता रहा और गवर्नमेण्ट के अफ़सर उसे पबलिक-जलसों में बुलाते रहे हैं। बस उसके प्राइवेट चाल-चलन के ऊपर आक्रमण करने के अपराधी अधिकारी न थे, और चाल-चलन के विषय में निवेदन है कि जहां दीवानी क़ानून के अनुसार लाइबिल की सत्यता पूरी उतरे, प्रत्यर्थी (मुद्दालह) की ओर से समझा जाता है वहां फ़ौजदारी क़ानून के अनुसार ऐसा नहीं है [देखिये ओजर्स साहब की पुस्तक का पृष्ठ ४६०], परन्तु अब लार्ड केम्बिल के ऐक्ट की दफ़ै ६ के अनुसार चाहे लाइबिल की सत्यता बतौर सफ़ाई के पेश की जा सकती है, परन्तु साबित होना चाहिये कि लाइबिल की अशाअत (फैलाव) सर्वसाधारण के लाभार्थ थी।"

---

१. काम

इसके अनन्तर इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल ने 'ओजर्स लाइबिल ऐंड स्लेन्डर' के पृष्ठ ४६१, ४४३, ३५७ पढ़कर सुनाये और क़ानूनशहादत की दफ़ै ५२ से ५५ तक पढ़ने के बाद इस बात पर बल दिया कि फ़ौजदारी के अभियोग में एक मनुष्य के चाल-चलन के विषय में सर्वसाधारण की शहादत प्रविष्ट की जा सकती है, खास बातों की शहादत घटना से सम्बन्ध नहीं रखती है। तदनन्तर दफ़ै ४१८ ताज़ीरात हिन्द की ओर ध्यान देकर योग्य कौन्सिल ने कहा—

"दफ़ै ४६६ स्पष्टतया कहती है कि जो दोष मुस्तग़ीस के चाल-चलन को हानि पहुंचाने वाले हों वह मानहानि की परिभाषा में आ जाते हैं। इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है, और अब मैं मुस्तस्नियात की ओर विचार करता हूं—

"मुस्तस्ना (छूट) नं० प्रथम तब इस्तग़ासह का उत्तर हो सकता है यदि सिद्ध किया जावे कि जो दोष लगाये गये हैं वह सर्वसाधारण के लाभार्थ थे और इस विषय में अपराधियों को बड़ी प्रबल साक्षी देनी चाहिये कि इससे सर्वसाधारण का लाभ ध्यान में था। अपराधी कहता है कि यह सर्वसाधारण के लाभार्थ था, परन्तु साथ ही कहता है कि उसने ऐसा अपनी सोसाइटी अर्थात् आर्यसमाज की रक्षार्थ किया है। ब्राह्मण पक्ष वाले आर्यसमाजियों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं और आर्यसमाजी केवल ३ तीन लाख के क़रीब हैं। इसलिये प्रगट है कि इस लाइबिल का मुद्रित करना सर्वसाधारण के लाभार्थ न था [इस स्थान में अपराधियों के चतुर कौन्सिल ने कहा कि इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल कदाचित् इंगलिस्तान के क़ानून का ज़िकर कर रहे हैं, नहीं तो हिन्द के क़ानून के अनुसार तो देश का प्रत्येक भाग इस परिभाषा के अन्दर सम्मिलित है।] अत: दफ़ै १२ ताज़ीरात हिन्द निम्नानुसार पढ़ी गई—["शब्द सर्वसाधारण में प्रत्येक जनसमूह या संप्रदाय सम्मिलित है।"]

मिस्टर पेटमैन ने अपनी बहस फिर प्रारम्भ की—

"अब मुझे तीन बातें अदालत को दिखलानी हैं, प्रथम यह कि विवादास्पद लेख शुद्ध भाव से नहीं लिखे गये थे, अपराधियों को इन लेखों में मुस्तग़ीस के प्राइवेट चाल-चलन के विषय में कुछ लिखना नहीं चाहिये था, केवल इतना ही लिखना चाहिये था जिसका कि सम्बन्ध मुस्तग़ीस के पबलिक जीवन के साथ था, कहीं हद होनी चाहिये।" [इस जगह फिर मुस्तस्ना (छूट) प्रथम के अनुसार दफ़ै ४६६ ताज़ीरात हिन्द को कौन्सिल ने पढ़ा]। "जनाब, मैं प्रार्थना करता हूं कि विवादास्पद लेखों के वाक्यों का सम्बन्ध गोपीनाथ के पबलिक जीवन से नहीं है और न सर्वसाधारण हिन्दू या हिन्दू धर्म के साथ कुछ है।"

[इस जगह मुस्तग़ीस के कौन्सिल ने मुस्तस्ना नम्बर ६ दफ़ै ४१६ ताज़ीरात हिन्द का ज़िकर करते हुए साथ ही ओजर्स साहब की पुस्तक का प्रमाण दिया और

कहा—

"नाटकों के तमाशा करने वालों के भी प्राइवेट चाल-चलन के अन्दर कोई मनुष्य नहीं जा सकता, जो नुक्ताचीनी (छिद्रान्वेषण) की जाती है वह केवल उसके कर्त्तव्य पर ऐक्टर की रीति से की जाती है, उससे बाहर जाना मानहानि है [इस जगह दस्तावेज़ E जो पेश की गई थी उसे पढ़कर यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि उसमें मुस्तग़ीस के प्राइवेट चाल-चलन पर आक्रमण है] यह सर्वसाधारण के लाभार्थ नहीं है और मुस्तग़ीस के प्राइवेट चाल-चलन पर आक्रमण करता है। मुक़द्दमा इण्डियन लॉ रिपोर्ट इलाहाबाद, जिल्द ७, पृष्ठ ८१० वाले अभियोग की ओर मैं जनाब का फिर ध्यान आकर्षित करता हूं [इस जगह फिर अभियोग का बहुत-सा अंश पढ़ा]। यह लेख अपराधियों ने अपने लाभार्थ लिखे थे। जो फ़ैसला जिल्द १५, बम्बई का अपराधियों के कौन्सिल ने प्रविष्ट किया है उससे भी स्पष्ट-तया प्रगट है कि यद्यपि अपराधियों के लेख मुस्तग़ीस के प्रत्युत्तर में हैं इसलिये शुद्ध भाव से नहीं लिखे गये। खास दफ़ै ४९९ की असल इबारत से भी मेरे कथन की पुष्टि होती है [कौन्सिल ने फिर दफ़ै पढ़ दी]। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि यह सिद्ध करें कि अपराधियों की क्या नीयत (इच्छा) थी, हमारे लिये इतना ही सिद्ध करना काफ़ी है कि मुस्तग़ीस की नेकनामी (कीर्ति) को हानि पहुंचाने के लिये अपराधियों ने विवादास्पद लेख लिखे [इसके अनन्तर दस्तावेज़ C. D. G. मुस्तग़ीस के पेश किये हुए पढ़े गये और उनसे सिद्ध करने का यत्न किया गया कि वह शुद्ध भाव से नहीं लिखे गये थे]। ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३७५ के देखने से भी मालूम होगा कि इंगलिस्तान का क़ानून भी ऐसा ही है [पृष्ठ ६७५ पढ़ा गया]। गोपीनाथ मुस्तग़ीस ने जो कुछ लिखा है वह सब उस अभियोग से पूर्व लिखा है जो गवर्नमेण्ट की ओर से उसके विरुद्ध चलाया गया था। उस पर जुर्माना हो गया और इस तरह उसने अपने पाप को धो डाला। जब किसी मनुष्य को उस अपराध के कारण दण्ड हो जावे जिसको कि वह कर चुका है, तो उसका अपराध धोया गया। यदि उसके अनन्तर कोई मनुष्य पबलिक में शोर मचावे कि इस मनुष्य को दण्ड मिल चुका है तो उसमें सर्वसाधारण का लाभ नहीं समझा जा सकता। वह ऐसा अपनी ईर्ष्या-द्वेष की स्पिरिट की खुशी के लिये करता है, ऐसी ही बात इस अभियोग में हुई है। ओजर्स साहब की पुस्तक में तो यहां तक लिखा है कि यदि किसी पुलिस अफ़सर को वारण्ट जेल से किसी क़ैदी को रुखसत करने के लिये दिया जावे और वह पुलिस अफ़सर कहता फिरे कि यह मनुष्य संगदिली (निर्दयता) के कारण से क़ैद हुआ था तो वह भी मानहानि है। इस अभियोग में यह स्पष्टतया प्रगट की है कि अपराधियों ने इन लेखों को मुद्रित करने में अपने द्वेष की स्पिरिट को तसल्ली देनी चाही है और इसमें उनकी इच्छा कदापि किसी प्रकार के सर्वसाधारण के लाभार्थ से न थी, यह आक्रमण

अपराधियों ने आर्यसमाज के लाभार्थ किये थे न कि कुल सोसाइटी के लाभार्थ, सर्वसाधारण शब्द के अर्थ में आर्यसमाज नहीं आ सकता।"

इस जगह रायज़ादा भक्तराम साहब ने फिर दफ़ै १२ ताज़ीरात हिन्द से सर्व-साधारण शब्द की परिभाषा सुनाई और इण्डियन लॉ रिपोर्ट बम्बई, जिल्द १४, पृष्ठ १३ का प्रमाण देकर बतलाया कि हिन्दुओं के मुख्य-मुख्य सम्प्रदायों तक को सर्वसाधारण के शब्द में सम्मिलित समझा गया है, इसके अनन्तर इस्तग़ासह के कौन्सिल ने दफ़े २०५ क़ानूनशहादत की फिर व्याख्या की और कहा—

"तशरीह चहारुम दफ़ै ४९९ ताज़ीरात हिन्द को पेश करके अपराधियों के कौन्सिल ने यह जतलाने का यत्न किया है कि गोपीनाथ के चाल-चलन के विषय में अपराधी शहादत दे सकते हैं परन्तु इसके विषय में ओजर्स साहब की पुस्तक का पृष्ठ ६७७ ध्यान देने योग्य है [पृष्ठ ६७७ पढ़ा गया]। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मुस्तस्ना (छूट) नम्बर ९ के अनुसार अपराधियों ने किसी नेकनीयती का प्रमाण नहीं दिया है—

"अपराधियों ने मुस्तग़ीस की हैसियत के विषय में साक्षी पेश करते हुए मुस्तग़ीस के सब कुटुम्ब की निन्दा की है। गोपीनाथ का बाप एक परिश्रमी और योग्य मनुष्य था। यह उसके लिये मान का कारण है कि उसने इस समय से ३० वर्ष पूर्व एक प्रेस खोला जबकि यह काम सर्वसाधारण (आम) न था और अखबार आम को एक खास सभा की सहायता से प्रारंभ किया। मैं मानता हूं कि वह एक प्रारब्धपरीक्षक की भांति लाहौर में आया परन्तु उसने रेवरेण्ड एच० स्मिथ की भांति अपनी पोज़ीशन (कीर्तिस्तम्भ) अपने आप बनाई, परन्तु यह प्रश्न नहीं है कि पं० मुकन्दराम की पोज़ीशन क्या थी और वह स्वयं क्या था ? किन्तु प्रश्न यह है कि मुस्तग़ीस की पोज़ीशन उस समय क्या थी, जबकि विवादास्पद लेख लिखे गये ? जनाब ! निस्सन्देह उसकी पोजीशन लाहौर में एक लीडर की थी। वह एक कम्यूनिटी अर्थात् सनातन धर्म-सभा का लीडर है और एक प्रतिष्ठित मनुष्य है और इस प्रतिष्ठा के कारण पबलिक जलसों में बुलाया जाता है। उसकी कीर्ति प्रसिद्ध है। अतः इस कीर्ति का लिहाज़ अवश्य होना चाहिये, इस विषय में सम्पूर्ण अंगरेज़ी क़ानून हमारी पुष्टि में है। अपराधियों ने मुस्तस्ना १ नं० ९ का प्रमाण दिया है, परंतु यह नहीं दिखलाया कि मुस्तग़ीस के प्राइवेट चाल-चलन का उसके साथ क्या सम्बन्ध है जो प्रेरित पत्र के अपराधियों ने अखबार में मुद्रित किया है। उससे सर्वसाधारण का कोई भी लाभ दृष्टि में नहीं रक्खा है। अपराधी के अन्य ग्राहकों को इसमें क्या लाभ था ? यह विचार में आ सकता है कि यह पर्चा उन लोगों के पास भी जाता है जो कि आर्यसमाज के सभासद नहीं हैं। अन्य हिन्दू-मुसलमानों के पास भी यह पर्चा तबादले में जाता होगा, अतः उन लोगों को इससे क्या लाभ हो सकता था ?

"अब मैं जनाब का ध्यान ओजर्स साहब की पुस्तक के पृ० ३३ की ओर आकर्षित करता हूं जहां कि शब्द 'नेकनीयत इत्तला' की परिभाषा की गई है, इसके साथ ही ३२ भी ध्यान देने योग्य है, इसके अतिरिक्त पृष्ठ ३४ पर स्पष्ट लिखा है कि इत्तला (सूचना) नेकनीयत और सत्य होनी चाहिये [पृष्ठ ३२, ३३ और ३४ पढ़े गये]। मुस्तग़ीस के ब्राह्मण होने पर बल दिया गया है और कहा गया है कि यत: वह धर्म का प्रचारक है अत: उसका प्राइवेट चाल-चलन इस अभियोग से सम्बन्ध रखता है। निस्संदेह मुस्तग़ीस जात का ब्राह्मण है परन्तु वह कश्मीरी पण्डितों के कुटुम्ब में से है, वह जन्म से उपदेशक नहीं है और उस प्रकार के ब्राह्मणों में से नहीं है जो कि भीख मांगने और हिन्दुओं के दान पर निर्वाह करते हैं, परन्तु वह एक एडीटर है। वह अपने अखबार में वही कुछ लिखता है जो कि सोसाइटी के लिये उचित और उत्तम हो, उसके विचार और लेखों पर ध्यान देना चाहिये, न कि उसके निजी जीवन पर, यदि एक मनुष्य सत्य-सत्य घटनाएं लिख-कर पवलिक का ध्यान आकर्षित करता है तो उसे मक्कार नहीं कह सकते और यह भी मक्कारी नहीं है कि एक मनुष्य अपने मत सम्बन्धी विचारों को प्रगट करे, परन्तु जिस प्रकार के छिद्रान्वेषण (नुक्ताचीनी) अपराधियों ने किये हैं और जिस प्रकार के व्यक्तिगत आक्रमण (शख़्सी हमले) उन्होंने किये हैं, वे प्रगट करते हैं कि उनकी घटनाएं असत्य हैं, और कि अपराधियों ने अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिये नहीं किन्तु ईर्ष्या और द्वेष से ऐसे लेख लिखे हैं, नुक्ताचीनी का सर्वसाधारण नियम जैसा कि ओजर्स साहब की पुस्तक में वर्णित है यह है कि जो लेख सर्व-साधारण के लाभार्थ लिखे जावें उनमें वाक्य नम्रता से लिख जावें। जो मनुष्य के क्षुद्र अभिप्राय से विवादास्पद बात को त्याग कर कटाक्ष करता है, वह शान्त-स्वभाव नहीं कहा जा सकता, और यदि वह सर्वसाधारण की रक्षा की हद से बाहर हो जावे तो कटाक्ष करने वाले को ईर्ष्यायुक्त समझना चाहिये, मेरे इस कथन की पुष्टि ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३५ से होती है [सफ़ा ३५ पढ़ा गया]। इसके साथ ही यदि पृष्ठ १३ व ४२ को पढ़ा जावे तो स्पष्ट हो जावेगा कि यदि एक पत्र का सम्पादक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहा है तो उसे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये [पृष्ठ १३ व ४२ पढ़े गये]। इस पुस्तक के पृष्ठ ४६ पर उन बातों का सूचीपत्र मुद्रित है जिन्हें सर्वसाधारण के लाभार्थ प्रगट करना उचित ठहराया है, इस स्थान में बतलाया गया है कि प्रत्येक पवलिकमैन का चाल-चलन सर्वसाधारण के निर्णय का विषय बन सकता है जहां तक कि उसका उसके पवलिक चाल-चलन से सम्बन्ध हो, परन्तु उसका प्राइवेट चाल-चलन कदापि विवादास्पद नहीं होना चाहिये, इसी विषय के सम्बन्ध में पृष्ठ ४८ से ५७ तक ओजर्स साहब की पुस्तक में पूर्णतया निर्णय करके सिद्ध किया गया है कि एक पवलिकमैन के प्राइवेट चाल-चलन पर कटाक्ष करने का किसी मनुष्य को

अधिकार नहीं है।"

उस समय आराम के लिये आध घंटे को कार्यवाही बन्द की गई। जब फिर दोनों पक्ष वाले अदालत में उपस्थित हुए तो मिस्टर पेटमैन ने अपना कथन निम्नानुसार प्रारम्भ किया—

"ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ १९२ पर स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई लाइबिल का विषय सत्य है, तो ऐसे अभियोग में पूरी सफ़ाई हो सकती है, परन्तु फ़ौजदारी का क़ानून ऐसा नहीं है। पृष्ठ १९४ और पृष्ठ २०२ पर स्पष्ट लिखा है कि न केवल लाइबिल की सत्यता ही सिद्ध होनी चाहिये किन्तु यह भी सिद्ध होना चाहिये कि वह सर्वसाधारण के लाभार्थ प्रकाशित किया गया था। पृष्ठ ४६० पर पुनः लिखा है कि इस विषय में दीवानी और फ़ौजदारी के क़ानून में भेद है, और पृष्ठ ६०६ पर लिखा है कि यदि एक लाइबिल का अस्तित्व (जवाज़) सिद्ध न हो जावे तो अर्थी (मुद्दई) को हर्जाना बहुत अधिक मिलना चाहिये। मेरी सम्मति में अपराधियों ने मुस्तग़ीस का चाल-चलन बुरा सिद्ध करने के यत्न से अपने-आपको अधिकतर दण्डनीय बना लिया है, अपराधियों ने इस अभियोग के चलाने के ढंग से न केवल मुस्तग़ीस को ही बदनाम किया है, किन्तु उसके सम्पूर्ण कुटुम्ब की निन्दा की है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १८९ से १९२ तक समाचारपत्र सम्बन्धी क़ानून का वर्णन है और पृष्ठ ६३५ पर उन मुस्तस्नियात (छूट) का वर्णन है जो कि विलायत के क़ानून के अनुसार प्रत्येक दशा में लाइबिल का पूरा उत्तर हो सकता है, परन्तु हिन्दुस्तान के क़ानून का कोई भी मुस्तस्ना अन्य घटनाओं के अतिरिक्त (बग़ैर) किसी लाइबिल का भी पूर्णतया उत्तर नहीं है।"

इसके अनन्तर योग्य कौन्सिल ने उपरोक्त पृष्ठों का एक-एक शब्द पढ़ने के अतिरिक्त पृष्ठ ३१३ पर शुद्ध भाव (नेकनीयती) की परिभाषा को पढ़ा और अपने कथन को आगे इस प्रकार आरम्भ किया—

"इस अभियोग में मुस्तग़ीस के चाल-चलन के विरुद्ध जो कि इस्तग़ासह की शहादत है, बहुत उत्तम सिद्ध होती है, केवल करीमबख्श का कथन है। हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार का मनुष्य है [इसी जगह रायज़ादा भक्तराम साहब ने कहा कि यदि आपने जिरह में जाने का यत्न नहीं किया तो हमारा दोष नहीं है], वह एक मुसलमान है, यह स्पष्टत प्रकट है कि दस्तावेज़ डी ९८ इस मनुष्य के अधिकार में उस समय उपस्थित थी जबकि मुस्तग़ीस का अभियोग सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के साथ था, क्या करीमबख्श उस समय जानता था कि यह दस्तावेज़ सत्य सिद्ध हो सकती है?

"शहादत इस प्रकार की होनी चाहिए थी जिससे सिद्ध होता कि मुस्तग़ीस के पबलिक जीवन में कुछ खराबी है, अब तक इस अभियोग की बहस केवल घटनाओं पर होती रही है, मैं मानता हूं कि उनमें से बहुत-सी बातें प्रमाणित और सत्य

हों, परन्तु यहां उनकी केवल सत्यता ही का प्रश्न नहीं है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या अपराधी मुस्तग़ीस के चाल-चलन पर नुक्ताचीनी करने में उचित सीमा के अन्दर रहे हैं या नहीं ? जब अपराधियों ने मुस्तग़ीस की मानहानि की है और शब्द भी अपमानयुक्त, निन्दनीय हैं तो ईर्ष्या व द्वेष का अनुमान कर लेना चाहिए, यही आशय ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३१३ के लेख का है, और इसके साथ पृष्ठ ३१४, ३१५, ३१६ को पढ़ा जावे तो स्पष्टतया ज्ञात हो जावेगा कि ईर्ष्या-द्वेष के लिए किसी शहादत की आवश्यकता नहीं है [यह पृष्ठ पढ़े गये]। फिर पृष्ठ ३१९ पर लिखा है कि यदि लेख लिखने के समय प्रत्यर्थियों (मुद्दालहुम) को मालूम था कि जो बातें वे लिख रहे हैं असत्य हैं, तो यह स्पष्ट ईर्ष्या-द्वेष का प्रमाण होगा। इस अभियोग में अपराधियों ने मुस्तग़ीस को अखबार आम का एडीटर और गोहत्या सम्बन्धी लेखों का लेखक सिद्ध करने का यत्न किया है जिन्हें वे स्वयं अदालत के सन्मुख लाये हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि अमुक-अमुक लेख मुसलमानों को प्रसन्न करने के अभिप्राय से लिखे थे, इसलिए स्पष्ट इर्ष्या सिद्ध है। ओजर्स साहब की पुस्तक के पृष्ठ ३२० पर लिखा है कि अपराधियों के लाइबिल मुद्रित करने की दशा में भी ईर्ष्या का निश्चय हो सकता है और यहां अपराधियों के लेखों की कठोरता स्पष्टतया ईर्ष्या की द्योतक है।"

इसके अनन्तर इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल ने उसी पुस्तक के पृष्ठ ३२५, ३३२ सुनाकर जो ईर्ष्या की शहादत के विषय में थे, फिर पृष्ठ २३४ की ओर ध्यान दिलाया और कहा—

"हमने दिखला दिया है कि गोपीनाथ केवल अखबार आम का एक हिस्सेदार है, उसका एडीटरी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए अपराधी उसके चाल-चलन पर आक्रमण करने के अधिकारी न थे। उदाहरणार्थ, निवेदन है कि यदि सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट का एडीटरी किसी अन्य अखबार से अखबारी शास्त्रार्थ प्रारम्भ करे और किसी मानहानि वाले लेख के कारण उस पर अभियोग चलाया जावे, तो क्या यह उचित होगा कि सर विलियम राटीगन साहब मालिक अखबार के चाल-चलन पर नुक्ताचीनी की जावे ? या कि उसके प्राइवेट कैरेक्टर (निजी आचरण) को प्रगट किया जावे ?

"जनाब ! मानहानि के विषय में हिन्दुस्तान का सम्पूर्ण फ़ौजदारी कानून दफ़ै ४९९ ताज रात हिन्द में परिमित (महदूद) है और जो कुछ इस दफ़ै के अन्तर्गत नहीं पाया जाता, वह मैंने ओजस की 'लाइबिल ऐंड स्लेण्डर' नामी पुस्तक में से सुना दिया है।

"अब मैं अभियोग की घटनाओं की ओर ध्यान देता हूं। आर्यसमाज कुछेक ऐसे सिद्धान्तों को लेकर आरम्भ किया गया जो कि सनातन हिन्दू दल के लिए

बहुत असह्य थे, इस कारण दोनों दलों ने परस्पर व्यक्तिगत आक्रमण करने प्रारंभ कर दिये, अब दशा यह है कि मुस्तग़ीस सनातन हिन्दू दल में एक उच्चतर अधिकार रखता है। उसका इस विवाद में निज का अभिप्राय था। क्योंकि वह सनातन सभा का हामी (सहायक) था। चूंकि वह सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी था, इसलिये वह आर्यसमाज के साथ शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुआ। उसने व्याख्यान दिये और नियोग की भांति के सिद्धान्तों पर शास्त्रार्थ प्रारम्भ किये, यही एक सिद्धान्त है जो सनातन हिन्दू पक्ष के अति विरुद्ध है। अब जनाब मुस्तग़ीस की पोज़ीशन को पूर्ण रीति से समझ गये होंगे, जो मैंने जनाब के सन्मुख बयान की है। हमें मालूम होता है कि आर्यसमाज को स्थापित हुए केवल २५ या ३० वर्ष हुए हैं। इसका एक मन्तव्य नियोग है। इस मत ने अपने मत के प्रचारार्थ एक पुस्तक 'सत्यार्थप्रकाश' नामी छपवाकर प्रचारित की और हिन्दुओं के चित्त को क्लेश पहुंचाया। यह पुस्तक खासकर हिन्दी भाषा में मुद्रित कराई गई थी, सन् १८९९ ई० में इसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के अभिप्राय से उर्दू में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक के मन्तव्य बिलकुल नवीन थे और जहां तक कि मुझे बतलाया गया है, यही पुस्तक उनकी पवित्र पुस्तक है जो ईसाइयों की इन्जील की भांति है।"

[इस जगह अपराधियों के योग्य कौंसिल ने निम्नानुसार आक्षेप किया, 'नहीं, यह पुस्तक आर्यसमाज के संस्थापक ने २५ या ३० वर्ष व्यतीत हुए जब बनाई थी। इसकी शिक्षा का मूल कारण वेद हैं। आर्यसमाज के संस्थापक ने अपना कोई नवीन मत नहीं चलाया, किन्तु उन्हीं वेदों के सिद्धान्तों को प्रगट किया मैंने केवल अशुद्धि को ठीक किया है, मेरे लिए इस बात पर विचार करने का यह अवसर नहीं है कि इस पुस्तक में सभ्यता से काम लिया गया है या नहीं, परन्तु यह दावा करने का किसी को हौसला नहीं पड़ेगा कि इस पुस्तक मे जो कुछ वर्णित है, वह हिन्दुओं के माननीय वेदों और शास्त्रों में नहीं पाया जाता।'] तब अपराधियों के कौन्सिल ने अदालत का ध्यान दिलाने के लिए 'सत्यार्थप्रकाश' के उस भाग का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना प्रारम्भ किया, जहां पर कि वाममार्ग मत पर नुक्ताचीनी है।

मिस्टर पेटमैन—यह सबका सब लेख हिन्दू मत के विषय में सख्त ग़लतबयानी है। सनातन हिन्दू मत में वाममार्ग के उन मन्तव्यों का जिनका 'सत्यार्थप्रकाश' में वर्णन है, नाम तक नहीं है—दयानन्द का यह कपोल-कल्पित आक्षेप है—

रायजादा भक्तराम—मेरे योग्य मुझे क्षमा करें, उनके मुवक्किल ने यहां उन्हें भी धोखा दिया है। यह स्वामी दयानन्द के मनघड़ंत आक्षेप नहीं हैं, किन्तु वाममार्गी हिन्दुओं की माननीय पुस्तकों के प्रमाण हैं।

मिस्टर पेटमैन—(इस जगह मुस्तग़ीस से पृथक फिर मशवरा किया और कहा—) नहीं, मैं फिर भी ज़ोर से कहूंगा कि यह हिन्दुओं की पुस्तकों के प्रमाण नहीं किन्तु स्वामी दयानन्द का अपना कथन है ।

रायज़ादा भक्तराम—मैं अदालत की सेवा में निवेदन करता हूं कि गोपीनाथ को आज्ञा दी जावे कि किताब की असल इबारत स्वयं पढ़कर सुना दे, क्योंकि मेरे योग्य मित्र उस भाषा से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इस ग़लतफ़हमी की गुंजाइश हुई है ।

मिस्टर पेटमैन—(मुस्तग़ीस से फिर कुछ बातचीत करके) मैं शोक करता हूं कि मेरे मुवक्किल ने इस जगह मुझे भ्रम में डाला, मैं अब अन्य आक्रमणों का कथन नहीं करूंगा जो 'सत्यार्थप्रकाश' के कर्ता ने हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों पर किये हैं । अब मैं जनाब का ध्यान 'सत्यार्थप्रकाश' के पृष्ठ १४८ की ओर आकर्षित करूंगा, जहां कि आर्यसमाज इस सिद्धान्त का प्रचार करता है कि एक स्त्री के ग्यारह पति होने चाहिए परन्तु मैं अंग्रेजी अनुवाद की सत्यता पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मैं असली भाषा से अभिज्ञ नहीं हूं । (योग्य कौन्सिल के हाथ में एक अंग्रेजी अनुवाद का पत्र था जो कि मुस्तग़ीस ने अनुवाद कराके उनके हवाले किया हुआ था ।)

रायज़ादा भक्तराम—यह मन्त्र वेद का है न कि स्वामी दयानन्द की सम्मति, मुस्तग़ीस स्वयं मान चुका है कि वेदों से अनभिज्ञ है, अतः ऐसे मामले पर हाथ डालने से मेरे योग्य मित्र को भ्रम (ग़लतफ़हमी) में फंसने का भय है ।

मिस्टर पेटमैन—अब मैं जनाब का ध्यान पृष्ठ ३८० पर दिलाता हूं जहां पर हिन्दू मत पर हमला है ।

रायज़ादा भक्तराम—यह बहस अभियोग से सम्बन्ध नहीं रखती, यह गोपीनाथ पर हमला नहीं है ।

अदालत—मिस्टर पेटमैन ! 'सत्यार्थप्रकाश' पुस्तक के इन प्रमाणों के पेश करने से आपका क्या अभिप्राय है ?

मिस्टर पेटमैन— मेरा अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक के मुद्रित होने के दिन से आर्यसमाज हिन्दू मत पर हमले कर रहा है और हिन्दू सोसाइटी के चित्त को क्लेश पहुंचा रहा है ।

अदालत—आप वह दस्तावेज पेश कर सकते हैं, जिनसे सिद्ध हो कि ला० मुन्शीराम ने पं० गोपीनाथ पर हमले किए हैं । यह अभियोग लाला मुन्शीराम के विरुद्ध है न कि आर्यसमाज के विरुद्ध । यह सिद्ध है कि विवाद सन् १८९८ ई० से प्रारम्भ हुआ और इस पुस्तक को छपे २० वर्ष व्यतीत हो चुके, इसके अतिरिक्त जब अपराधियों ने भविष्यपुराण पेश करना चाहा था तो आपने धर्म सम्बन्धी

पुस्तक के पेश करना से उज़र किया था। वही युक्ति अब आपके प्रतिकूल है।

इस पर इस्तग़ासह के फ़ाज़िल कौन्सिल ने इस बहस के हिस्से को छोड़ दिया और 'सत्यार्थप्रकाश', पृष्ठ १४७, १४८ १५०, १५३ और १५५ के टुकड़ों का अंग्रेज़ी अनुवाद नियोग के विषय में पढ़ा और कहा कि स्वामी दयानन्द ने नियोग का सिद्धान्त बड़ा खराब चलाया है।

मिस्टर भक्तराम—मैं फिर दखल देने के लिए मजबूर हूं। जिस इबारत का अनुवाद मेरे योग्य मित्र पढ़ रहे हैं उसमें हिन्दुओं के पुराणों से नियोग के उदाहरण दिए गये हैं, जिनमें प्रगट किया है कि अमुक-अमुक जोड़े ने नियोग से सतान उत्पन्न की। यदि हिन्दू सोसाइटी पुराणों की उन कथाओं को अब त्यागती है तो मैं बड़ा हूंगा।

इसके अनन्तर मिस्टर पेटमैन ने एक पैम्फ़लेट लाला रुचिराम एम० ए० ब्राह्मसमाजी का प्रविष्ट करना चाहा, जिसमें पेशावर के स्थानापन्न डिवीज़नल जज मिस्टर इनाम अली बी० ए० का फ़ैसला लिखा हुआ था, जिसमें नियोग के विरुद्ध कुछ रिमार्क थे, उस पर अपराधियों के कौन्सिल ने उज़र किया और अदालत ने इस कारणों से, कि (१) फ़ैसला चीफ़ कोर्ट का नहीं है, (२) फ़ैसले की नक़ल प्रमाणित (मुसद्दिक़ा) नहीं है, (३) अभियोग से सम्बन्ध नहीं है, इस पैम्फ़लेट के पेश होने की आज्ञा न दी।

मिस्टर पेटमैन—मैं अब उन दस्तावेज़ों की ओर विचार प्रारम्भ करता हूं जो कि अपराधियों की ओर से पेश की गई हैं, और सबसे पहले मैं अपने प्रतिद्वन्द्वी (बिलमुक़ाबिल) मित्र का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत-सी दस्तावेज़ों में से कई एक का अंग्रेज़ी अनुवाद दे दिया है, और पहले मैं फ़र्वरी सन् १८९७ ई० के सनातन धर्म गज़ट का निचोड़ (इन्तखाब) लेता हूं। उसमें लाला मुन्शीराम के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल रावण की कथा का इशारा है, फिर लेख 'एक शर्मनाक वक़ूआ' उसमें दर्ज है, उसमें भी अपराधियों पर कोई आक्रमण नहीं है। यह केवल एक समाचार मुद्रित है और चूंकि आर्य लोग विवाह में स्वतन्त्रता की इच्छा के मानने वाले हैं, इसलिये यह लेख लिखा गया।

मिस्टर भक्तराम—यह लेख इसलिए नहीं प्रविष्ट किया गया कि इसमें लाला मुन्शीराम के विरुद्ध कुछ लिखा गया है या नहीं, किन्तु यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार मनघड़ंत समाचार मुद्रित करके और उन पर लज्जास्पद नोट चढ़ाकर मुस्तग़ीस आर्यसमाजियों को क्लेश पहुंचाता रहा है।

अदालत ने इस जगह मुस्तग़ीस के चतुर कौन्सिल को कहा कि इस लेख के बीच में से जहां कि ढोल आदि बजाने का वर्णन है पढ़ें और फिर बतलावें कि क्या यह लेख स्वयं लज्जास्पद नहीं है? इस पर मुस्तग़ीस के योग्य कौन्सिल

ने उस दस्तावेज़ को छोड़कर दस्तावेज़ डी २७ अनुवाद सनातन धर्म गज़ट बाबत अप्रैल सन् १८९७ ई० को हाथ में लिया और पढ़ते हुए बतलाया कि इसमें केवल शास्त्रार्थ का वर्णन है और कुछ भी लाला मुन्शीराम के विरुद्ध नहीं है। इस पर अपराधियों के योग्य कौन्सिल ने प्रार्थना की कि सम्पूर्ण लेख का अनुवाद पढ़ा जावे, टुकड़े नहीं पढ़ने चाहिए। तब इस्तग़ासह के योग्य कौन्सिल ने दस्तावेज़ों पर सम्मति देकर कथन किया—

"मैं आवश्यक नहीं समझता कि अपराधियों की पेश की हुई दस्तावेज़ों की पड़ताल करूं क्योंकि उनके अनुवाद अदालत के सन्मुख हैं और अदालत स्वयं उन पर पूरा-पूरा विचार करेगी। मुस्तग़ीस की पेश की हुई दस्तावेज़ों के विषय में मैं जनाब का ध्यान उनके साधारण भाव की ओर आकर्षित करता हूं कि वे लेख गोपीनाथ की कीर्ति को हानि पहुंचाने के अभिप्राय से लिखे गये मालूम होते हैं।

"अब अपराधियों की पेश की हुई दस्तावेज़ों के विषय में अन्तिम अभिप्राय यह है कि जब गवर्नमेंट ने मार्च सन्१९०० ई० के होली वाले लेख पर अभियोग चलाया और मुस्तग़ीस उसके कारण अपराधी समझा जाकर जुर्माने का दण्डनीय ठहराया गया तो फिर इस घटना को सब जगत में फैलाना, मुस्तग़ीस की कीर्ति को हानि पहुंचाने के अभिप्राय के अतिरिक्त और कुछ विचार में नहीं आ सकता। इसमें सर्वसाधारण का क्या लाभ था कि अमुक मनुष्य पर अभियोग हुआ और उसे दण्ड मिला, जबकि अपराधी को दण्ड हो चुका है तो मामला उसी स्थान में छोड़ देना चाहिए था। इसका प्रगट करना निस्संदेह ईर्ष्या का प्रमाण है।"

इस जगह साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने दर्याफ़्त किया कि यदि आध घंटे तक स्पीच समाप्त हो सके, तो वह बैठने को तैयार है, नहीं तो अभियोग दूसरे दिन के लिए रोकना पड़ेगा।

मिस्टर पेटमैन—मुझे अभी डेढ़-दो घण्टा और चाहिए, अपराधियों के कौन्सिल ने भी कुछ अधिक समय ले लिया था, यदि मेरी स्पीच समाप्त नहीं हुई तो मेरा दोष नहीं है।

अदालत—आपने क़ानून के प्रारम्भिक नियमों के पढ़ने में बहुत-सा समय लिया जो कि आपको जानना चाहिए था कि अदालत को मालूम है। परन्तु अभियोग अब कल के लिए मुल्तवी होगा, चूंकि मुझे दूसरा काम भी करना है, इसलिये कल को अभियोग टाउन हाल के बजाय अदालत के पहले ही कमरे हैं पेश होवेगा।

वाक़ै ता० २ अगस्त सन् १९०१ ई०

दोनों पक्षवाले अपने-अपने कौन्सिलों को लेकर ग्यारह बजे अदालत में उप-

स्थित हुए। इस दिन इस्तग़ासह की ओर से ला० भगवानदास साहब वकील भी उपस्थित थे।

मिस्टर पेटमैन—पूर्व इसके कि मैं उन घटनाओं के विषय में निवेदन करूं, जिनके विषय में कल की स्पीच में न कर सका था, यह आवश्यक मालूम होता है कि लाइबिल के विषय में जो क़ानून है, उसकी ओर आपका फिर ध्यान दिलाऊं। इस जगह हाईकोर्ट इलाहाबाद के फ़ैसले जिल्द ७ की जहां व्याख्या करना चाहता हूं, वहां बम्बई, जिल्द १५ 'मिऊज़डाइजिस्ट' और ओजर्स की 'लाइबिल ऐंड स्लेण्डर' में से भी फिर पढ़ूंगा, [इसलिये इन पुस्तकों में से फिर वही बातें दुहराई गई, और 'दी ला ऑफ़ प्रेस' नामी पुस्तक भी जो फ़िशर तथा अनविन साहब कृत है उसके पृष्ठ १८७ से भी बहुत कुछ पढ़ा गया। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट के फ़ैसले उन क़ानूनी नियमों के पढ़े गये जिन्हें कि अपराधियों के वकीलों ने स्वयं स्वीकार किया था] मैंने यह सब क़ानूनी प्रमाण इसलिए प्रविष्ट किये हैं कि उनकी बदनीयती (दुष्टेच्छा) का पूरा प्रमाण है, और अब मैं घटनाओं के विषय में विचार करता हूं। इस बात का बहुत कुछ यत्न किया गया है कि गोपीनाथ को अखबार आम का एडीटर सिद्ध किया जावे और लेख 'हमारा राय की वक़अत' का लिखने वाला सिद्ध किया जावे, परन्तु अपराधी इस यत्न में कामयाब (सफलमनोरथ) नहीं हुए हैं, फिर कहा जाता है कि वे लेख मुसलमानों को प्रसन्न करने के अभिप्राय से लिखे गये थे, निस्संदेह लेखराम एक ऐसा हिन्दू था जिसे 'लिबरल' और 'कन्सर्वेटिव' अर्थात् आर्य और सनातनी दोनों गौरव की दृष्टि से देखते थे। उसके मारे जाने पर बड़ा हल्ला-गुल्ला मचा, आर्यों ने मुसलमानों के विरुद्ध शोर भड़काया, उस समय अखबार आम के एडीटर ने न केवल हिन्दुओं को समझाने के लिये, किन्तु मुसलमानों को भी शिक्षा देने के लिये कुछ लेख लिखे, इस सिलसिले का नाम 'हमारी राय की वक़अत' था, उसके कुछ नम्बर पेश हो चुके हैं, परन्तु एक रह गया है, जो मैं अब पेश करता हूं।

अदालत—पांच आर्टीकल पेश हो चुके हैं। पहले दो हिन्दुओं के विरुद्ध थे और अन्तिम तीन मुसलमानों के विरुद्ध थे। अब और कोई अखबार पेश नहीं हो सकता।

इन लेखों का विषय प्रगट करता है कि एक पक्षपातरहित मनुष्य के लिखे हुए हैं। अधिक बल दस्तावेज़ डी ४२ पर दिया गया है जो कि एक चिट्ठी गोपीनाथ की ओर से भूपाल के वकील के नाम की है। इस चिट्ठी में मुस्तग़ीस ने प्रगट किया है कि चूंकि एक मुसलमान अखबार ने हिन्दुओं को तंग किया है इसलिये हमारी ओर से कुछ लेख निकले हैं। वर्ना हम तो निष्पक्ष हैं, इसलिए इसके प्रमाण में ८० फ़ीसदी मुसलमान नौकर अपने प्रेस के बयान किये गये हैं। इस विषय में जो कुछ अपराधियों की ओर से कथन किया गया है, उसके साथ एक बात को नहीं चूकना

चाहिये, प्रश्न यह कि क्या कोई अख़बार वाला अपने सम्पूर्ण ग्राहकों को अप्रसन्न करने का हौसला कर सकता है ? गोविन्दसहाय ऐसा बेवक़ूफ़ नहीं हो सकता था कि पहले सम्पूर्ण मुसलमानों को विरुद्ध कर लेवे और फिर सम्पूर्ण हिन्दुओं को विरुद्ध कर लेवे, फिर उसका ग्राहक कौन रहता ? इसलिए यही परिणाम निकालना उचित है कि यह लेख सुलहकुल स्पिरिट (शुद्ध भाव) से लिख गये थे, विशम्भर-दयाल भी अपन पत्र में जो कि ता० २२ जून सन् १८९८ ई० के अख़बार आम में छपा है, स्पष्ट लिखता है कि 'तुम्हारे शत्रु हिन्दुओं को भड़का रहे हैं', बस सिवाय इसके कि इसे समझ का दोष कहा जावे, और कुछ नहीं है। इसलिये स्पष्ट है कि यह लेख केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये नहीं लिखे गये थे। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा का पीछे का कर्त्तव्य स्पष्ट प्रगट करता है कि गोपी-नाथ का अपराध कुछ न था और कि वह लेख 'हमारी राय की वक़अत' का लिखने वाला न था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ७ या ८ मास बाद क्यों वह फिर बड़े मान से सेक्रेटरी बनाया जाता, अपराधियों के वकील ने इस पेश किए हुए रिज़ोल्यूशन पर अविश्वास प्रगट किया था, हम अब सभा का असल रजिस्टर ले आए हैं, जिससे प्रगट होगा कि हमारी पेश की हुई नक़ल जाली नहीं है, किन्तु असल है—

मिस्टर भक्तराम—यद्यपि मुस्तग़ीस का कोई अधिकार नहीं है कि नया दस्तावेज़ पेश करे तथापि इस समय में इस रजिस्टर के पेश होने पर कोई उज़र नहीं है, परन्तु रजिस्टर हमें दिखाया जावे।

मिस्टर पेटमैन—(पं० गोपीनाथ से) रजिस्टर मिस्टर भक्तराम को दे दो, यह कह कर तक़रीर (कथन) में दत्तचित्त हुए।

इसके अनन्तर कुछ समय तक मुस्तग़ीस और उसका भाई पत्रों को लौटते रहे। रायज़ादा भक्तराम ने फिर दुबारा कहा कि शीघ्र रजिस्टर दिया जावे और मिस्टर पेटमैन ने फिर प्रेरणा की, इस पर मुस्तग़ीस ने ला० भगवानदास के साथ सम्मति की और कहा—

मुस्तग़ीस—केवल यही रिज़ोल्यूशन देखियेगा और पृष्ठ न उलटियेगा।

मिस्टर भक्तराम—तो लाभ क्या होगा, मैं सम्पूर्ण रजिस्टर देखूंगा।

मिस्टर पेटमैन ने फिर मुस्तग़ीस को प्रेरणा की और उसने रजिस्टर देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया कि ला० भगवानदास बोल उठे—

ला० भगवानदास वकील—सभा के सब गुप्त भेद इनके हाथ में देने की मूर्खता मत करो।

मुस्तग़ीस ने तुरन्त हाथ खींच लिया और रजिस्टर देने से इनकार किया। जिस पर अदालत में फ़र्मायशी क़हक़हा पड़ा।

मिस्टर पेटमैन—अपराधियों के योग्य कौन्सिल ने यह प्रगट करना चाहा

है कि प्रथम का लेख जो फ़र्द जुर्म के अन्तर्गत है उसके साथ ला० मुन्शीराम की सहानुभूति (इत्तफ़ाक़) नहीं थी, परन्तु एडीटर का ताईदी नोट अपराधियों के कौन्सिल की अद्भुत बहस में भी प्रमाणित है, अगले सप्ताह में जो लिखने का वादा था वह 'भांडा फूड गया' वाले लेख से पूरा किया गया है। पहले लेख में चाहे सहनशीलता का उपदेश है, तथापि इबारत से सहनशीलता नहीं टपकती, चाहे इस लेख का प्रथम भाग एक उपदेश से प्रारंभ होता है तथापि शब्द 'रिन्द' और 'औबाश' का सम्बन्ध मुस्तग़ीस ही से है, यह निस्संदेह चूक हुई है कि शब्द Want of self respect का सम्बन्ध भी मुस्तग़ीस से प्रगट किया गया है, यह चार्ज अपराधियों पर नहीं लगाना चाहिये था। अदालत में मुस्तग़ीस ने अपने द्वितीय कथन (बयान सानी में) लिखाया था कि उसने १५०० रुपया अपनी गिरह से सनातन धर्म सभा को दिया, उसे अपराधियों के वकील ने ठट्टे में उड़ा दिया और गोपीनाथ को अविश्वसनीय (बेएतबार) प्रगट किया था, परन्तु हम सभा का रोज़-नामचा लाये हैं जिससे सिद्ध होगा कि किस-किस समय में मुस्तग़ीस ने सभा को रुपया दिया, यदि अपराधियों के वकील को संकोच (उज़्र) न हो तो हम रजिस्टर पेश करने को तैयार हैं।

रायज़ादा भक्तराम—मुझे कोई संकोच नहीं है, परन्तु क्या खाता (Ledger) भी साथ है ?

मुस्तग़ीस—खाता-वही कोई नहीं है।

रायज़ादा भक्तराम—ख़ैर हमें एक यही स्वीकार है। यदि हमें उसकी जांच-पड़ताल का अवसर दिया जावे।

अतः मुस्तग़ीस ने रजिस्टर रायज़ादा भक्तराम के हाथों में दिया और उन्होंने ला० रामकृष्ण साहब वकील की सहायता से पड़ताल प्रारम्भ की, और उठकर कथन किया कि रजिस्टर खोलते ही तीन सौ अठारह रुपये की रक़म का गोपीनाथ को दिया जाना जून १८९७ ई० में मिलता है। इस पर यह रजिस्टर भी रायज़ादा भक्तराम साहब से मुस्तग़ीस ने वापिस ले लिया।

मिस्टर पेटमैन—मैं अब फिर मुस्तग़ीस के चाल-चलन की ओर दत्तचित्त होता हूं और उसके विषय में अकेला गवाह करीमबख़्श है, वह एक घृणा के योग्य पुरुष है, वह कृतघ्न है, और बिना किसी कारण के मित्र के स्थान में गोपीनाथ का शत्रु हो गया है, वह ऐसे पत्र मुस्तग़ीस के विरुद्ध अपराधियों को देता है और फिर भी अपने आपको मुस्तग़ीस का मित्र कहता है। वह सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट वालों के पास भी सन् १८९३ ई० में गया था परन्तु उन्होंने कदाचित् इस दस्तावेज़ को जाली समझकर न लिया और न इसे रुपये दिये जो इसका असली अभिप्राय था। इस उर्दू पत्र में इसका Beef अंगरेज़ी में लिखना सन्देह में डालने वाला है। एक जगह से एक अक्षर कटा हुआ है और तारीख भ्रमयुक्त है,

अपराधियों के कौन्सिल की यह युक्ति कुछ प्रभाव (वक़अत) नहीं रखती कि यदि गोपीनाथ की तहरीर जो दस्तावेज़ डी ९८ की पुश्त पर है किसी दूसरे काग़ज़ के उत्तर में होती तो उस पर 'माई डियर करीमबख़्श' आदि लिखा होता, यह कोई युक्ति नहीं है। ऐसी दशाओं में इस प्रकार नहीं लिखा करते, यह पुरुष विश्वास-पात्र नहीं। जो अब तक अपने आपको गोपीनाथ का मित्र कहता है वह एक कमीना (तुच्छ) Rascal (रास्कल) है। केवल इसकी शहादत पर गोपीनाथ को दुष्टाचरण (बदचलन) नहीं ठहराया जा सकता। यह माना कि व्यभिचारिणी स्त्रियों (फ़ाहशा औरतों) के साथ सम्बन्ध गोपीनाथ ने स्वयं स्वीकार किया है, परन्तु यह सन् १८९३ ई० की बात है। यह अपराधियों के कौन्सिल की अद्भुत युक्ति है कि मुस्तग़ीस को सिद्ध करना चाहिये कि उसने अपना चाल-चलन सुधार लिया था। मैं निवेदन करता हूं कि अपराधियों को कोई अधिकार न था कि पुराने मुर्दे उखाड़ते और मुस्तग़ीस को बदनाम करते, फिर यह लिखना बड़ा सख़्त लाइबिल था कि मुस्तग़ीस सनातन धर्म गज़ट के प्रत्येक नम्बर में आर्यसमाजियों को गाली देता रहा है, इसके प्रमाण में क्यों न सब जिल्दें सनातन धर्म गज़ट की पेश की गई हैं?

रायज़ादा भक्तराम—हम सब पेश करने को तैयार थे परन्तु अदालत की सम्मत्यनुसार मिसल के बढ़ जाने के भय से पेश न की गईं। आप अब पेश कर दीजिये, हमें कोई संकोच (उज़र) न होगा।

मिस्टर पेटमैन—और अब मैं अन्त में जनाब का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि मार्च सन् १९०१ ई० के होलीवाले लेख से पूर्व जो कुछ मुस्तग़ीस ने कठोर या अनुचित लिखा था उसके कारण उसे दण्ड मिल चुका था, तदनन्तर अपराधियों को कोई अधिकार नहीं था, कि वे उस पर इस तरह कटाक्ष करते। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि उसके अनन्तर मुस्तग़ीस ने एक शब्द भी अपराधियों के या आर्य-समाज के विरुद्ध नहीं लिखा है।

[रायज़ादा भक्तराम ने उस समय एक सूचीपत्र प्रविष्ट किया और कथन किया कि इस सूचीपत्र से प्रगट होगा कि गवर्नमेण्ट की ओर से अभियोग के अनन्तर भी मुस्तग़ीस ने बीसियों बार वैसे ही घृणित (वहशियाना) कटाक्ष किये हैं।]

चाहे मेरे योग्य मित्र ने यह सूचीपत्र पेश किया है तथापि जहां तक कि इस समय तक मुझे सूचना (हिदायत) मिली है, मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेण्ट की ओर से अभियोग के फ़ैसले के बाद मुस्तग़ीस ने एक शब्द भी अपराधियों के विरुद्ध नहीं लिखा है, और इसलिए अपराधी दण्डनीय हैं।

मिस्टर पेटमैन की स्पीच समाप्त होते ही साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने अन्तिम आज्ञा (हुक्म आख़री) सुनाने के लिए २ सितंबर सन् १९०१ ई० की तारीख़

नियत की और चलने से पूर्व रायज़ादा भक्तराम साहब ने अपनी और मिस्टर पेटमैन साहब की ओर से अदालत का उस धीरता और दृढ़ता के लिए धन्यवाद किया, जो कि अभियोग के अन्तर्गत काम में आई थी और उत्तर में साहब मजिस्ट्रेट ने कथन किया कि उन्हें इस अभियोग का निर्णय करने से बड़ी प्रसन्नता हुई है।

॥ शम् ॥

न्यायव्यवस्था

(फ़ैसला)

यह एक वह अभियोग है जिसे सनातन धर्म सभा के मंत्री, सनातन गज़ट के सम्पादक और अख़बार आम के कई स्वामियों में से एक पं० गोपीनाथ ने जालन्धर के तीन आर्यसमाजियों के विरुद्ध चलाया है जिनमें से मुख्य ला० मुन्शीराम प्लीडर और संपादक सद्धर्म-प्रचारक है, जो पत्र के अधिकतर समाज सम्बन्धी कार्यों में ही तत्पर रहता है—

वास्तव में इस अभियोग का सम्बन्ध सद्धर्म-प्रचारक के दो लेखों से है: पहला १ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० और एक दो बार के पत्रों का लेख जो ८ व १५ फ़र्वरी सन् १९०१ ई० का है। इनमें से पहले में एक लेख १३वें पृष्ठ पर निकला (देखो दस्तावेज़ हर्फ़ A अनुवाद सहित T. A.) जिसमें एक बम्बई के अख़बार[1] के वाक्य विशेष पर सम्मति देते हुए गोपीनाथ के मित्रविलास नामी पत्र के निरर्थक (बेहूदा) लेखों का हवाला दिया गया है और फिर १८वें पृष्ठ पर एक लेख निकला (अनुवाद दस्तावेज़ T. B.) जिसके नाम से ज्ञात होता है कि उसका सीधा सम्बन्ध सनातन धर्म गज़ट से है, और जिस लेख के बीच में निम्नलिखित वाक्य आता है—"हम देखते हैं कि सनातन धर्म गज़ट के अन्दर पंडित गोपीनाथ साहब की ओर से आर्यों के विरुद्ध अत्यन्त निन्दक और झगड़ा डलवाने वाले लेख बराबर निकल रहे हैं। ईर्ष्या-द्वेष के कारण केवल झगड़ा डलवाने के अभिप्राय से वह कोरी-कोरी सुना रहा है", "पंडित साहब भोलेभाले हिन्दुओं को आर्यसमाज के विरुद्ध भड़का रहे हैं" और "आर्यसमाज के विरुद्ध गवर्नमेण्ट के कान भरने की उन्मत्तवत् चेष्टा (दीवानावार जद्दोजहद) कर रहे हैं।" यह लेख आगे चलकर बतलाता है कि यह वही गंगा-जमनी पण्डित साहब हैं जिन्होंने कि

१. वेंकटेश्वर, मुम्बई, ३ अक्टूबर सन्१८९६ ई०, दस्तावेज़ (डी २) से अभिप्राय है।

मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए गोहत्या के विषय में हिन्दुओं के विरुद्ध लेख लिखा था। इस लेख का साधारण भाव गोपीनाथ के विषय में निन्दार्थक है—

८ व १५ फ़र्वरी के दुहरे लेख (दस्तावेज़ हर्फ़ B) में एक लेख निकला [देखो दस्तावेज़ अनुवाद T C] जिसमें गोपीनाथ के आचरण के विषय में बहुत से निन्दनीय उदाहरण सम्मिलित थे और जिसमें उसकी निन्दा और अपमान किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह लेख वास्तव में स्पष्टतया पं० गोपीनाथ की निन्दा करने वाले हैं। यह माना गया है कि ला० मुन्शीराम उस पत्र का सम्पादक तथा स्वामी है जिसमें कि वे लेख प्रकाशित हुए, और उस यन्त्रालय का स्वामी है जिसमें कि वे मुद्रित हुए और यह भी माना गया है कि उनका (मज़ामीन का) प्रचार लाहौर में हुआ। निदान जहां तक कि भारतीय दण्ड संग्रह की धारा (दफ़ै) ४९९ से सम्बन्ध है ला० मुन्शीराम दोषी नंबर १ के विरुद्ध एक स्पष्ट अभियोग दोनों पर्चों के प्रकाशित और प्रचारित करने के कारण सिद्ध है कौर इसलिए उस पर फ़र्दजुर्म, ताज़ीरात हिन्द की धारा ५०० तथा ५०१ के अनुसार लगाई गई है। दोषी नंबर २ ला० वज़ीरचन्द विवादास्पद लेखों का दोनों पर्चों में लिखना स्वीकार करता है और इसलिए उसके विरुद्ध एक स्पष्ट अभियोग भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ५०० के अनुसार प्रत्येक पर्चे के विषय में सिद्ध है। यद्यपि उस पर केवल एक के विषय में फ़र्दजुर्म लगाई गई थी, क्योंकि दूसरे लेख को लिखना स्वयं उसने उस समय स्वीकार किया है जबकि उस पर फ़र्दजुर्म लगाई जा चुकी थी। दोषी (मुल्ज़िम) नंबर ३ ला० बस्तीराम यन्त्रालय का असिस्टेन्ट मैनेजर है और (दस्तावेज़ A) के पृष्ठ २१ पर लिखा है—'बस्तीराम असिस्टेन्ट मैनेजर सद्धर्म-प्रचारक जालन्धर शहर', इसके नीचे लिखा है 'सद्धर्म-प्रचारक यन्त्रालय में मुद्रित हुआ'। अर्थात् बस्तीराम का सम्बन्ध अख़बार के साथ यन्त्रालय द्वारा है, जिसको कहा जाता है कि वह केवल हिसाब-किताब से सम्बन्ध रखता है; मैं नहीं देखता कि बस्तीराम के ऊपर कोई अभियोग सिद्ध किया गया हो, और वह बरी किया जाता है। दोनों अपराधी नंबर १ व नंबर २ की मुस्तस्नियात (छूट) नवंर १, ३, ६ और २९ के अनुसार उज़र (निषेध) करते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा (दावे) का सम्बन्ध गोपीनाथ के सर्वसाधारण सम्बन्धी आचरणों पर है जैसा कि उसके पबलिक कामों और लेखों से प्रगट होता है, कि वे सर्व-साधारण के लाभार्थ और आत्मरक्षार्थ किये गये हैं, और कि या तो वे सत्य हैं या शुद्ध भाव से किये गये। इन सब मुस्तस्नियात का सम्बन्ध एक मनुष्य के पबलिक पहलू (बर्त्ताव) से उसके निज के बर्त्ताव को छोड़कर है, और अपराधी इस बात के सिद्ध करने के लिए बहुत दूर तक पहुंचे हैं, क्योंकि उभय पक्षी (फ़रीक़ैन) प्रत्येक भिन्न-भिन्न ब्राह्मणपन और आर्यसमाज की शिक्षा के प्रकाशक हैं, इसलिए यह अभियोग सनातनधर्मियों और आर्यों के मध्य एक युद्धस्थल बन

गया, परन्तु जो धर्म सम्बन्धी प्रश्न थे उन्हें यथासम्भव अदालत ने पृथक कर दिया है। अपराधियों ने अपने ऊपर यह सिद्ध करने का काम लिया है कि गोपीनाथ का चाल-चलन जैसा कि उसके पबलिक लेखों से और उसके पबलिक कार्यों से प्रकट होता है, इन दोषों से युक्त (सज़ावार) है और सम्पूर्ण अभियोग का प्रभाव इस भयानक प्रयत्न के परिणाम पर है, इस्तग़ासह (प्रार्थनापत्र) के अनुसार पं० गोपीनाथ एक उच्च कुल का कश्मीरी ब्राह्मण (गुर्टू राज़दान) है वह 'प्रतिष्ठित' और 'यशस्वी' है, 'महान्' और 'विश्वसनीय' है, 'ठीक, अच्छे चाल-चलन का', 'कीर्त्तिवान', 'माननीय', 'धनवान' और 'रईस आदमी' है। वह पबलिक जलसों में जहां प्रायः प्रतिष्ठित मनुष्य ही निमंत्रित किये जाते हैं, और जहां प्रायः दूकानदार लोग नहीं जा सकते, और जिनके सभापति नवाब लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर बहादुर होते हैं, सम्मिलित किया जाता है, वह सन् १८९६ ई० में लोकल दुर्भिक्ष-निवारिणी सभा का सेक्रेटरी था, और प्रान्तीय दुर्भिक्ष कमेटी का सभासद् था। विशेष कर जलसों में हिस्सा लेता है। गोपीनाथ का यह चित्र है जो कि गवाहों में खींचा है जिनमें अधिकतर धर्मसभा के सभासद् हैं और जिनमें से प्रत्येक ने उसके साथ हार्दिक मित्रता या उसके प्राइवेट (आन्तरिक) जीवन की अभिज्ञता से इनकार किया है, और इनमें बहुतों ने माना है कि अर्से से उसकी वैसी कीर्ति (नमूद) नहीं है जैसी कि पहले थी।

बस पं० गोपीनाथ विशेषकर एक Publicman है। उसका पिता लाहौर में एक अजनबी (परदेशी) और दरिद्र आया और एक ऐसोसिएशन (सभा) की सहायता पाकर उसने अखबार आम की बुनियाद रक्खी, जिस अखबार के साथ गोपीनाथ का नाम विशेष कर जुड़ा हुआ है। गोपीनाथ ने इस संपूर्ण समय में अपने आपको बड़ी प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। अब और उसे उलाहना नहीं देना चाहिये यदि कभी-कभी उसके कामों को विरुद्ध आक्षेपों से सामना करना पड़ा है।

इस (गोपीनाथ) का सम्बन्ध कम से कम चार वर्षों के साथ रहा है, पश्चिमोत्तरीय प्रदेश की गवर्नमेंट के हरिद्वार के एक बड़े मेले के बंद कर देने पर उसने गवर्नमेंट की आज्ञा के विरुद्ध एक विपरीत प्रेरणा (तहरीक) की अगुवाई (रहनुमाई) की। उसने 'कोहनूर' तथा 'सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट' नामक समाचारपत्रों के विरुद्ध मानहानि के अभियोग चलाये, वह महाराजा कश्मीर के लिए एक मिशन (कर्तव्य) हाथ में ले चुका है, वह सनातन धर्म सभा लाहौर की जान रह चुका है, और अब तक है, निदान पं० गोपीनाथ एक पबलिक-आदमी है जो कि बराबर अपने आचरणों को सर्वसाधारण की सम्मति पर इस प्रकार छोड़ता रहा है कि वास्तविक उसका आचरण जो कि इन कर्त्तव्यों में प्रगट होता रहा है वही पं० गोपीनाथ का

---

१. काम

चाल-चलन है। पबलिक का अधिकार है कि ऐसे मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार दिखलावा (नुमाइश) उनके सन्मुख करता रहा हो और जो कि अपने आपको धार्मिक और राजनीतिक मामलों में लीडर प्रकट करता रहा हो, सचाई को मालूम करो। निस्सन्देह इस अभियोग-निर्णय, मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात में उन्होंने बहुत कुछ मालूम किया है, और यह बात कि इस अभियोग की साक्षियों (शहादत) से गोपीनाथ की कीर्ति को उसकी अपेक्षा अधिकतर हानि पहुंची है जो एक समाचार-पत्र के लेखों से पहुंच सकती, बहुत ही आवश्यक ठहरता है कि जो चाल-चलन उसके पबलिक कर्त्तव्यों में प्रगट होता है उसका सावधानी से निर्णय किया जावे, सौभाग्य से ज़बानी शहादत का अधिकांश हिस्सा मुख्यतया विश्वास योग्य है जिसमें से आधे से अधिक तो स्वयं पण्डित गोपीनाथ और उसके भाई ने एकत्र कर दिया है, और करीमबख़्श की गवाही के अतिरिक्त जिसके विषय में आगे चलकर अधिक वर्णन करूंगा यह [सब ज़बानी शहादत] वास्तव में ठीक समझी जा सकती है। बस हम एक साथ बढ़कर देखना चाहते हैं, कि यह गवाही क्या सिद्ध करती है। प्रथम, यह बात तुरन्त ध्यान देने योग्य है कि गुर्टू राज़दान होना तो एक ओर रहा, इतना तक सिद्ध करने के लिये कि गोपीनाथ एक कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे पास केवल, गोपीनाथ के पिता का कथन उपस्थित है। दस्तावेज़ डी १ में पं० मुकन्दराम [गोपीनाथ का पिता] का संक्षिप्त वृत्तांत दर्ज है जो कि उसके पुत्र गोपीनाथ के भाई का लिखा हुआ है। वह (पं० मुकन्दराम) सन् १८३१ ई० में उत्पन्न हुआ, और इसके पैरों चलने योग्य होने से पूर्व ही उसका पिता मर गया और थोड़े दिनों पीछे उसकी माता भी मर गई, इस कारण मुकन्दराम माता-पिता से अपने पुरखों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता था। एक चचा ने उसे ले लिया और उसे लिखना सिखवाया। तदनन्तर उसने मुन्शी के तौर पर काम करना प्रारम्भ किया और वह अभी नवयुवक (नौजवान) ही था जबकि लाहौर में आया। उसने दो आने मासिक किराये पर एक दूकान ली और लेखक (कातिब) के तौर पर दो आने रोज़ पर अर्थात् वर्त्तमान समय के कुली की आमदनी से भी कम पर काम करना प्रारम्भ किया, यह मुकन्दराम एक दिलचले upstart (नया बढ़ा हुआ) से बढ़कर नहीं मालूम होता जो कि अपने आपको गुर्टू राज़दान प्रगट करता था तथापि मांस-भक्षण करता था, और उसने अपने ही कुल की एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया, जो कार्य गोपीनाथ को उच्चकुल के हिन्दुओं की दृष्टि में एक 'हरामज़ादे' से बढ़कर प्रतिष्ठा नहीं दिलाता। यह दोनों बातें बड़े बल से प्रकट करती हैं कि गोपीनाथ उस जाति का नहीं है जिसका कि वह अपने आपको प्रगट करता है, परन्तु सब प्रकार से संसार ने उसके कथनानुसार ही उसका स्वागत किया है, यह बहुत ही स्पष्ट है कि गोपनाथ का अपने विषय में सत्यकथन करना सम्भव नहीं था—उसके (गोपीनाथ के) भाई के रिसाले (पुस्तक) के अस्तित्व के अतिरिक्त। जो रिसाला कुल

ख़ान्दान के काग़ज़ों की नक़ल से ख़ान्दान के प्रेस में छापा गया था। मुस्तग़ीस ने कथन किया कि उसे ज्ञान नहीं कि उसका पिता प्रेस खोलने से पूर्व अपनी रोज़ी (वृत्ति) कैसे कमाता था, यह बहुत से उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण है, जहां पर गोपीनाथ ने सत्य को जानकर छिपाया है और यह उसके लेखों का एक ठीक नमूना समझा जा सकता है। विवादास्पद लेखों में से पहले में कई एक कथन प्रगट हुए हैं जिसमें से मैंने अपराधियों के मशीर क़ानूनी[1] की सम्मति से चुन लिये हैं जो कि फ़र्दजुर्म के प्रथम भाग में मानहानि के तौर पर रक्खे गये हैं, इनमें से पं० गोपीनाथ कहता है कि निम्नलिखित सबसे कठोर हैं—'समझदार हिंदू ख़ूब जानते हैं कि यह (गोपीनाथ) वही गंगा-जमनी पण्डित है जिसने कि मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए गोहत्या के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म के विपरीत लेख लिखे थे।' मैं इस पर विस्तारपूर्वक विचार करूंगा क्योंकि इसका निर्णय बड़ी स्पष्टता से इस अभियोग की और इस मनुष्य की जिसने इसे चलाया है, सच्ची प्रकृति (ख़सलत) को प्रगट करेगा। इस विवादास्पद (मुतनाअज़ा) वाक्य में तीन दोष लगाये हैं—(अ) यह कि गोपीनाथ ने गोहत्या पर लेख विशेष लिखे, (आ) यह कि उसने उन्हें मुसलमानों के प्रसन्न करने को लिखा, (इ) यह कि वे लेख हिन्दू धर्म के विरुद्ध थे।

(अ) क्या गोपीनाथ ने यह लेख लिखे ? लेख जिनका प्रमाण दिया गया है, एक क्रम में थे जिनका शीर्षक था 'हमारी राय की वक़अ़त', जो कि अख़बार आम ता० २५, २७ मई, तथा १, १७ और १९ जून १८९७ ई० के सम्पादकीय स्तम्भ में निकले थे। (इनके अतिरिक्त और भी होंगे परन्तु प्रविष्ट की हुई दस्तावेज़ों में यही शामिल हैं) अपराधियों के योग्य और विद्वान् क़ानूनी सम्मति देनेवाले (बैरिस्टर) ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि गोपीनाथ के अपने इक़बाल (स्वीकृति) के अनुसार यह मानना चाहिये कि अपराधियों ने यह कथन पूर्ण विचार और सावधानी के पश्चात् शुद्ध भाव से किया है। [देखो भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५२] इस्तग़ासह के ज़मन नं० २ में यह कथन किया गया है, 'ला० वज़ीरचन्द इस (सद्धर्म-प्रचारक) अख़बार का असिस्टेंट एडीटर है', और अपने प्रारम्भ के कथन में पं० गोपीनाथ कहता है, 'वज़ीरचन्द अपराधी नं० २ जहां तक कि मुझे ज्ञात है इस पर्चे का सब-एडीटर है, मैं वज़ीरचंद को जानता हूं।' जिरह के प्रश्नों पर (देखो पृष्ठ ४६, ४७, मिसल अंग्रेज़ी) वह कहता है, 'इस (सद्धर्म-प्रचारक) प्रेस से दो समाचारपत्र निकलते हैं : सद्धर्म-प्रचारक, और आर्य मुसाफ़िर मैगज़ीन।

---

१. भ्रम से अपराधियों का शब्द साहब मजिस्ट्रेट बहादुर लिख दिया। वास्तव में उनका आशय इस्तग़ासह के मशीरक़ानूनी से है, क्योंकि फ़र्दजुर्म लगाते समय साहब मजिस्ट्रेट बहादुर ने उन्हीं से शब्द बूझे थे।

और पिछले (आर्य मुसाफ़िर मैगज़ीन) पर ला० वज़ीरचन्द का नाम असिस्टेण्ट के तौर पर लिखा है परन्तु सद्धर्म-प्रचारक पर नहीं, वह जालन्धर में रहता है और सद्धर्म-प्रचारक में लिखता है। अतः मैंने परिणाम निकाला है कि यह सद्धर्म-प्रचारक का असिस्टेण्ट एडीटर है। मेरे पास और कोई लिखित प्रमाण नहीं हैं, परन्तु मैं समझता हूं मेरा अनुमान ठीक था।'

अब यतः (चूंकि) सनातन धर्म गज़ट जिसका कि गोपीनाथ सम्पादक है और अख़बार आम जिसके एक भाग का वह स्वामी है, दोनों एक ही यन्त्रालय से प्रकाशित होते हैं जिसका कि गोपीनाथ हिस्सेदार है, और यतः (चूंकि) गोपीनाथ अख़बार आम में लिखता है, यह अनुमान करना सत्य होगा कि वह कम से कम अख़बार आम का असिस्टेण्ट एडीटर अवश्य है, और वास्तव में उसे उलाहना नहीं देना चाहिये। यदि ऐसा परिणाम निकाला जावे, परन्तु दृढ़तर हेतु इस बात के विश्वास करने का उपस्थित है कि गोपीनाथ अख़बार आम के असिस्टेण्ट एडीटर से बहुत कुछ बढ़कर है। पैम्फ़लेट (डी १) मुकन्दराम के विषय में गोपीनाथ का भाई कहता है, 'पं० गोविन्दसहाय, पं० गोपीनाथ और पं० कन्हैयालाल कार्यालय तथा समाचारपत्रों को मैनेज (प्रबन्ध) और एडिट (सम्पादन) करते हैं, जोकि उस (मुकन्दराम) ने चलाये (देखो पृष्ठ २) और पृष्ठ १३ पर लिखा है कि पण्डित मुकन्दराम की असाधारण योग्यताओं ने उसको अखबार आम के बानी (संस्थापक) की प्रतिष्ठा दिलाई, यह (पैम्फ़लेट) अनुमानतः सन् १८९८ ई० के लगभग लिखा गया था। गोपीनाथ ने स्वयं कथन किया है कि उनका कुटुम्ब साझा (मुश्तर्का) है और कि जहां तक उसे ज्ञात है, उपरोक्त पुस्तक सत्य है, फिर वह कहता है (देखो पृष्ठ २८, मिसल अंग्रेज़ी) मैं कभी अख़बार आम का सम्पादक न था, जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने कभी कोई संपादकीय लेख नहीं लिखे, यद्यपि उसके लेख उसमें (सम्पादकीय स्तम्भ में) निकले हों।' वह स्वीकार करता है कि जुलाई सन् १९०० ई० में एक सप्ताह तक वह उस (अख़बार आम) के सम्पादक की भांति और दो या तीन वर्ष प्रबन्धकर्त्ता की भांति काम करता रहा। वह उन काग़ज़ों पर लिखता है जिन पर 'अखबार आम एडीटर्ज़ औफ़िस लाहौर' लिखा हुआ है। उसने बहुत से सम्पादकीय प्रस्तावों को अपना लिखा हुआ मान लिया है, और वह 'अख़बार आम वाला' विख्यात है और प्रायः अख़बार आम का सम्पादक पुकारा जाता है [देखो उसकी अपनी स्वीकृति (इक़बाल) और उसके गवाह मौहर्रसिंह चावला का कथन, पृष्ठ २३, अंग्रेज़ी मिसल पर]। वह कभी-कभी सम्पादक की भांति अपने भाई के कथनानुसार लिखा करता है और चिट्ठियों पर स्वयं हस्ताक्षर करता है और कभी अपने भाई की आज्ञा बिना भी इस प्रकार हस्ताक्षर करता है, जब मौलवी फ़ज़-लुद्दीन ने इस पर मानहानि का दावा किया था, तब उसने अखबार आम में माफ़ी-नामा दर्ज किया और मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया है कि

'कोहनूर' के विरुद्ध मानहानि वाले अभियोग में उसने अख़बार आम का सम्पादक होना अंगीकार किया था। २६ नवम्बर सन् १८९२ ई० के मुमालिक मग़रबी व शिमाली ग़ज़ट में वह अख़बार आम के तौर पर बयान किया गया है। और 'होली के चुटकले' वाले अभियोग के फ़ैसले में मिस्टर एटकिन्स साहब बहादुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ़र्माते हैं, 'सनातन धर्म ग़ज़ट के अतिरिक्त गोपीनाथ एक दूसरे समाचार-पत्र का सम्पादक है', जो कि केवल अख़बार आम ही हो सकता है, पं० गोविन्दसहाय इस पत्र का नाममात्र संपादक कहता है कि गोपीनाथ कभी-कभी संपादकीय लिखता है और कि २० वर्षों में दो या तीन बार एडीटोरियल चार्ज (संपादकीय अधिकार) भी उसने लिया है। अख़बार आम की संपादकी के इस प्रश्न को एक गवाह[1] ने एक निगूढ़ार्थ (मुअम्मा) की भांति वर्णन किया है, परन्तु मैं नहीं समझता कि इसका हल (समझना) कठिन है, निस्संदेह पं० गोविन्दसहाय एडीटर प्रसिद्ध है परन्तु इसमें भी सदेन्ह नहीं कि पं० गोपीनाथ इसका मुहर्रिक स्पिरिट (चलानेवाला) है। उसकी (पं० गोपीनाथ की) पालिसी (कुटिल नीति) इस (अख़बार आम) की पालिसी है। जो कुछ इसमें ठीक है उसके लिए वह स्वयं शाबाशी (साधुवाद) लेता है, परन्तु आवश्यकता के समय वह अपने सम्बन्ध से इनक़ार कर देता है और पं० गोविन्दसहाय को सम्पादक प्रगट कर देता है जिसके विषय में कि कोई भी मनुष्य हैरान होना या उसकी परवाह करना आवश्यक नहीं समझता, यह सम्बन्ध बहुत कुछ Barometer[2] (वायुमापक यंत्र) के वृद्ध मनुष्य और उसकी स्त्री के सदृश है जब आकाश निर्मल होता है तो मनुष्य निकल आता है और जब दुर्दिन (मौसमे मर्त्तूब) होता है तो स्त्री बाहर निकल आती है।'

यह दिखलाया जा चुका है कि गोपीनाथ निरन्तर अपने आप को पालिटिक्स (राजनीतिज्ञ) और धार्मिक नेता प्रगट करता रहा है और क्योंकि सनातन धर्म गज़ट मुख्यतया एक मत सम्बन्धी पत्र है, अतः इसके पास अपनी पालिटिकल (राजनीतिक) सम्मतियों को प्रकाश करने लिए अख़बार आम ही है।

मैं निश्चय करता (क़रार देता) हूं कि पं० गोपीनाथ नाममात्र नहीं तो वास्तविक अखबार आम का सम्पादक है, यह अनुमान इसलिए प्रबल है कि कल्पना करो कि उसने यह गोहत्या के लेख नहीं लिखे तो भी उनकी उत्पत्ति इसी के चालाक मस्तिष्क (दिमाग़) से हुई। वे इस प्रकार भड़कीले और उमंग से लिखे

---

१. देखो बयान करीमबख़्श गवाह।

२. वायुमापक यन्त्र में आदमी और स्त्री का चित्र रहता है। जैसा कि बयान हुआ है मजिस्ट्रेट साहब का आशय यह है कि पं० गोविन्दसहाय को इसलिए सामने किया जाता है कि उसके विरुद्ध कदाचित् कोई कार्यवाही करना उचित न समझेगा।

हुए हैं कि उन्हें सम्पूर्णतया गोविन्दसहाय का काम नहीं कह सके और यह बात निश्चित है कि उनका लेखक सर्वसाधारण तौर पर गोपीनाथ समझा जाता था, यह खुले मैदान कहा जाता था कि हिन्दू इन लेखों से अप्रसन्न थे और उसके (अप्रसन्नता) के प्रगट करने में संकोच नहीं करते थे, आर्य लोग खुश होते थे और गलियों में गोपीनाथ से ठट्ठा करते थे, और उसके कारण सनातनियों को दिक़ करते थे, गोपीनाथ ने कभी भी इसका उत्तर इन्कार से देने का प्रयत्न नहीं किया, उस समय भी नहीं जबकि हास्य करना और दिक़ करना उसकी उपस्थिति में और उसके सुनते हुए हुआ, और निदान इस सर्वसाधारण की सम्मति के कारण कि उसने हिन्दुओं के चित्त को क्लेशित करने वाले लेख लिखे, उसने सनातन धर्म सभा के मंत्रिपद से इस्तीफ़ा दे दिया, यदि यह अनुमान ठीक नहीं है तो हमारे पास उसकी अपनी स्वीकृति (इक़बाल) उपस्थित है कि वह इन लेखों से सहमत है और उन्हें ठीक समझता था (और गोपीनाथ से खुदपसन्दी दूर नहीं है)। इसके अतिरिक्त वह पत्र उपस्थित है (दस्तावेज़ डी ४२, डी ४५) जो स्पष्टतया इन लेखों के विषय में है। इस पत्र में गोपीनाथ अख़बार आम की पालिसी बयान करता है और कहता है, 'सम्भव है कि किसी लेख से आपको क्लेश हुआ हो और कदाचित् इसमें आपकी दृष्टि से मेरा ही दोष हो' और फिर वह इस बात पर विचार करता है कि हिन्दुओं के अधिकतर पक्षपात की पालिसी किस प्रकार उसके लिये अधिकतर लाभदायक हो सकती है, परन्तु वह कहता है कि मुझको केवल यह ध्यान है कि फिर यह अख़बार (समाचारपत्र) अख़बार आम न रहेगा। पुनः वह अख़बार आम के सम्पादकीय कार्य से अभिज्ञता प्रगट करता है जो को साभिप्राय (पुरमआनी) है। वह लिखता है, 'बहुत से उत्तेजनायुक्त लेख हिन्दुओं की ओर से अख़बार आम के लिये आये और उनमें से बहुत से रद्दी में फैंके गये', 'मुसलमानों की ओर से जो लेख आये वे सम्पूर्ण छापे गये और अब भी यदि कोई आवे तो इन्कार न होगा। यदि वह वास्तव में एडीटर नहीं है तो उसे यह क्योंकर मालूम हुआ ? यह बात सिद्ध है कि उसने यह पत्र अख़बार आम के सम्पादकीय काग़ज़ पर लिखा, इसलिए इस बात पर मैं निश्चित ठहरता हूं (क़रार देता हूं) कि यह कथन कि गोपीनाथ ने गोहत्या के विषय में लेख लिखे, वास्तविक सत्य है और प्रविष्ट की हुई साक्षियों (प्रमाणों) से बिलकुल सत्य है।

(आ) दूसरी बात यह है कि उसने इन (गोहत्या सम्बन्धी) लेखों को मुसलमानों के प्रसन्न करने के लिये लिखा ? यह बात हमको इस अभियोग के वादी-प्रतिवादियों के विवाद की कहानी के अन्दर ले जाती है, लेखराम एक हिन्दू था जो कि धार्मिक जगत् में प्रसिद्ध था जबकि कहा जाता है कि उसका सन् १८९७ ई० के प्रारम्भ में एक मुसलमान के हाथ से वध किया गया। वह (लेखराम) एक आर्य-समाजी था परन्तु उसके शोक में सब हिन्दू सम्मिलित हुए, और मुसलमानों के

विरुद्ध एक बड़ी प्रबल उत्तेजना (जोश) भड़क उठी थी, अख़बार आम जोश की ओर झुक गया और ६ मार्च सन् १८९७ ई० को सहानुभूति का नोट लिख दिया जिसमें कि ब्रिटिश प्रबन्ध के विषय में एक अनावश्यक रिमार्क (संकेत) सम्मिलित था। उसकी सहानुभूति दूसरे पत्र और लेखों ने की, जिनमें मुसलमानों पर आक्रमण किये गये थे। २२ मार्च को एक मर्यादा से बढ़ा हुआ और असभ्य लेख निकला इस्लामिया इन्स्टीट्यूट लिवरपोल के विषय में, जिसे कि वह (गोपीनाथ) बतलाता है कि 'धोखे की टट्टी' और 'मसख़रापन' है और 'अत्यन्त मूर्खता' का परिणाम है, और वह लिवरपोल के मुसलमानों के प्रधान कोविलियम का नाम लेखराम के वध के साथ जोड़ता है और बीच में अपने प्रिय मन्तव्य को प्रगट करता है कि यदि मुसलमान हिन्दुओं का अपमान कर सकते हैं तो हिन्दुओं को भी उन्हीं शस्त्रों को काम में लाने का अधिकार है। दूसरे दिन (२३ मार्च को) एक पत्र निकला, जिसे गोपीनाथ कहता है कि 'लेखराम के वध के कारण मुसलमानों के अति विरुद्ध है।'

तब मुसलमानों की ओर से स्वधर्मियों को अख़बार आम की सहायता देने से बन्द रखने की प्रेरणा का प्रयत्न किया गया। गोपीनाथ ने तुरन्त (वह बड़ी सावधानी से प्रगट करता है कि बहैसियत मैनेजर) एक गश्ती चिट्ठी अपने ![1] मुसलमान पाठकों को भेजी। उसने इस चिट्ठी को स्वयं लिखा और उस पर हस्ताक्षर किये, फिर २२ मई के अख़बार आम में एक नोट निकला, 'हमने अपने मुसलमान ग्राहकों पर प्राइवेट पत्र के द्वारा ठीक वृत्तान्त प्रगट कर दिये', 'एक पुराने मित्र ने हमें पत्र लिखा और हमारी प्रशंसा की'। यह वही पत्र विदित होता है जिसका उत्तर गोपीनाथ ने (अख़बार आम के सम्पादकीय काग़ज़ पर २४ मई को दिया। इन सबका निरीक्षण प्रगट करता है कि अख़बार आम के प्रचार में बाधा पड़ रही थी और इस (गोपीनाथ) का गश्ती ख़त इस उपरोक्त आमदनी को पुनः प्राप्त करने के हेतु से था। जो उद्देश्य सिद्ध हो गया क्योंकि 'परिणाम हमारी सब आशाओं से बढ़ कर निकला।'

फिर २५ मई को गोहत्या के विषय में पहला लेख निकला जिसमें कि वह कहता है, 'यह किस क़दर शोक और मूर्खता की बात है कि यदि मुसलमान Beef (गोमांस) को निआमत समझकर खाना चाहें तो इस कारण रोके जायें कि हिन्दू भड़केंगे। फिर वह आगे चल कर हिन्दुओं को उनके (गौओं के) सलूक के विषय में उनकी निर्दय कृपणता पर लेक्चर देता है और कहता है, 'कई हिन्दू जब देखते हैं

---

१. आश्चर्य का चिह्न कदाचित् इसलिए है कि जिन मुसलमानों के विरुद्ध ऐसा कठोर लिखा उन्हें अब अपना प्रगट किया जाता है, और मैनेजरी पर बल देते हुए अपने पाठक (नाज़रीन) लिखना प्रगट करता है कि वास्तव में वही एडीटर है।

कि एक गौ और दूध नहीं दे सकती तो उसे बेच डालते हैं, और यह जानते हैं कि ख़रीदार उसे ख़रीद कर क्या करेगा।' (दस्तावेज़ डी ३७)। इसके अनन्तर[१] दूसरे लेख निकले। १७ जून के लेख में वह स्वीकार करता है कि इन लेखों में कुछेक वाक्य ऐसे थे कि यदि न लिखे जाते तो बेहतर था, और जिसकी कि बड़ी आवश्यकता भी न थी और जिन्होंने कि कुछेक हिन्दू पाठकों के चित्त को क्लेश भी पहुंचाया और जिसके लिए कि उसने सच्चे दिल से क्षमा मांगी। इस स्थान पर जिस कुटिल नीति का अवलम्ब लिया गया उसके विषय में कोई सन्देह नहीं है। वह मुसलमानों के मध्य (जिन्हें कि लेखराम सम्बन्धी नवीन लेखों ने दुःख पहुंचाया था और जिन्होंने कि इसलिए ख़रीदारी बन्द कर दी थी) कृपा और क्षमा प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में भी वह लक्ष्य से चूक गया और हिन्दुओं को ऐसे वाक्यों से क्लेश पहुंचाया जो कि इस सीमा तक आवश्यक न थे। [देखो दस्तावेज़ डी ४०] हिन्दुओं ने समझा कि यह लेख मुसलमानों से घूस (रिश्वत) लेकर लिखे गये' और कि 'मुसलमानों को अयोग्य रीति से प्रसन्न करने के लिए ईमान (धर्म) का ख़ून किया गया' और कि 'अख़बार आम ने ऐसा ज़ाती फ़ायदे के लालच से किया'। सम्पूर्ण साक्षी जो मिसल में सम्मिलित है, प्रगट करती है कि उन हिन्दुओं ने बहुत ही सत्य परिणाम निकाला, और गोपीनाथ ने एकदम से लगातार क्रमबद्ध लेख उसी शीर्षक के नीचे मुद्रित करने प्रारम्भ कर दिये जिसमें उसी गोहत्या के विषय में मुसलमानों को लेक्चर देते हुए उन्हें हिन्दुओं के विचार के मान्य करने का उपदेश किया। पत्र (डी ४२) जिसका कई वार प्रमाण दिया जा चुका है, उसी समय के निकट लिखा गया था और वह इस बात को सन्देह-रहित कर देता है कि यह लेख उसी प्रकार मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए लिखे गये थे जिस प्रकार कि वह प्राइवेट (गुप्त) चिट्ठी लिखी गई थी जो कि उस (गोपीनाथ) ने अपने ग्राहकों को भेजी थी, और यह कि लेख सर्वसाधारणतया हिन्दू धर्म के विरुद्ध समझे जाते थे। यह जतलाना मनोमोद (दिलचस्पी) का हेतु है कि ख़त यद्यपि इसमें केवल असल हालत का बयान ही था [उस (गोपीनाथ) ने कहा कि उसके प्रेस के प्रति सैकड़ा ८० नौकर मुसलमान हैं] तथापि कौन्फ़ीडेंशल (गुप्त) था और केवल मुसलमान ग्राहकों को भेजा गया था, वह स्वीकार करता है कि प्रायः हिन्दू उसके मुसलमानों की रिआयत (पक्ष) करने के शाकी (शिकायत करने वाले) हैं और यह स्पष्ट है कि इस कौन्फ़ीडेंशल (गुप्त) पत्र के अख़बार आम में मुद्रित होने से इन शिकायतों की वृद्धि हो गई, वह इस पर विचार करता है कि मुसलमानों के पक्ष की पालिसी की अपेक्षा हिन्दुओं के पक्ष का उसकी (अख़बार आम) की अशाअ़त (प्रचार) पर क्या असर पड़ेगा और समाप्ति इस पर करता है कि वह दोनों पालिसी (नीतियों) को अवलम्ब करेगा। यह पत्र इसलिये भी चित्ताकर्षक (दिलचस्प) है कि उसमें 'अर्जुन' के विषय में, जो कि हिन्दुओं की

ओर से 'मुसलमान आब्ज़र्वर' के उत्तर में एक अंग्रेज़ी समाचारपत्र निकाला गया था, एक हलका झूठ दर्ज है। मालूम होता है कि अख़बार आम के मुसलमान ग्राहकों ने 'अर्जुन' की मुसलमानों के विरुद्ध टोन पर आक्षेप किया था इसलिये गोपीनाथ अपने पत्र के निकास (अशाअ़त) को बचाने का दावा करता है कि उसी प्रेस में छपने के अतिरिक्त 'अख़बार आम' का 'अर्जुन' के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जिरह में गोपीनाथ ने मान लिया कि अर्जुन का और उस प्रेस का जिसमें कि वह (अर्जुन) छपता था, हिस्सेदार था और कि वह इस 'अर्जुन' का प्रकाशक (शाया कुनिन्दा) था और कि कुछ काल के लिए उसका भाई उसका एडीटर था, अर्थात् उसके साथ गोपीनाथ का सम्बन्ध निकटस्थ और वास्तविक था, ऐसा ही बेशर्म झूठ मेरे सामने उसके इस कथन से प्रगट होता है कि उसको विदित नहीं था कि क्या 'अर्जुन' 'मुसलमान ऑब्बज़र्वर' का प्रतिवादी था, यद्यपि इस पत्र में वह यह प्रकट करने के लिए बड़ा विस्तार खींचता है कि 'अर्जुन' के निकलने का मूल कारण केवल 'ऑब्बज़र्वर' के प्रत्युत्तर के वास्ते था—

बस मैंने स्पष्टतया दिखला दिया है कि यदि गोपीनाथ गोहत्या के लेखों का असली लिखने वाला न था तो उसका प्रवर्त्तक (बानी) था कि वे या उनमें से प्रथम के कुछेक लेख मुसलमानों के प्रसन्न करने के हेतु से थे और कि वे हिन्दू धर्म के विरुद्ध थे, उसका अपना गवाह पं० ईश्वरीप्रसाद कहता है कि जो मनुष्य गोहत्या की पुष्टि में हिन्दू मत के प्रतिकूल लेख लिखे वह हिन्दू नहीं समझा जावेगा, और इन लेखों ने कैसा बुरा प्रभाव हिन्दुओं में उत्पन्न किया जो (दस्तावेज़ डी ४५) कि 'अखबार आम के लिए पुरानी मुहब्बत के इज़हार' में वर्णन किया गया है।

सम्पूर्ण लाइबिल (अपमान) के नालिश करने वाले कारणों में से यह सबसे कठोर है। पहली फ़र्द के शेष वाक्यों के विषय में साधारणतया कहा जा सकता है कि ये सत्य हैं। यह पूर्णतया सिद्ध किया गया है कि उसके लेख अपमानयुक्त और झगड़ा डालने वाले हैं। उनकी कठोरता सूर्य की भांति प्रकाशित है और उनकी ईर्ष्या के विषय में कोई शंका नहीं हो सकती। वह स्वीकार करता है कि अश्लील (फ़ोहश) अभियोग जो गवर्नमेण्ट की ओर से चलाया गया था उसके पीछे गवर्नमेण्ट को आर्यसमाज के विरुद्ध भड़काया।

दूसरा (लेख) गोपीनाथ का एक बड़े संदिग्ध (मुश्तब्ह) कार्य में मिला रहना प्रगट करता है। मुख्य दोष (इलज़ाम) यह है कि वह एक व्याख्यानों का क्रम केवल आर्यसमाज को निन्दनीय ठहराने के हेतु चलाने का उद्योग करता था (जो कि वास्तव में सत्य है) और कि उसकी आमदनी में से वह अपने छः सौ रुपये के नुक़सान को पूरा करना चाहता है जो कि उस पर अश्लील लेखों वाले अभियोग में जुर्माना हुआ था, मैं उसके विवरण (तफ़सील) के अन्दर जाना नहीं चाहता। गोपीनाथ को केवल अपना और अपनी पाकेट (जेब) का ध्यान था। वह एक आर्य-

सामाजिक भीमसेन को अपनी ओर मिलाने के प्रयत्न से प्रारम्भ करता है और 'बहुत से पत्र-व्यवहार के पीछे' इसमें सफल-मनोरथ होता है (हमें विदित नहीं कि किन नियमों पर)। फिर वह प्रबन्ध करता है कि यह (भीमसेन) हमारी सनातन धर्म सभाओं का भ्रमण करके पूर्णतया आर्यसमाज की पोल खोले, और इनको पूर्णतया परास्त करे और नीचा दिखावे, इसलिए वह एक प्रेरणायुक्त प्राइवेट और गुप्त (कौन्फ़ीडेंशल) चिट्ठी की परिमित प्रतियां मुद्रित कराता है, जिसमें सनातन सभाओं के मध्य उनके प्रचार का मनसूबा वर्णित है, जिन्हें (सनातन सभाओं को) सर्वप्रकार आवश्यक होना कि इस (गोपीनाथ) के पास पचास रुपये अगाऊ व्यय के लिए भेज देवें, यह सब भेद (मामला) एक ऐसी घृणित (मायूब), ऐसी गुप्त (ख़ुफ़िया) और ऐसी ईर्ष्यायुक्त साजिश (कुमंत्रणा) है कि उसका गुप्त भेद खोलना (पर्दादरी करना) और पाप का भाण्डा फोड़ना एक बड़े और एक प्राचीन धर्म के प्रत्येक प्रतिष्ठित सभासद् को उचित समझना चाहिये, यह तक़रीबन सम्पूर्ण आर्यों को आर्य होने की दशा में लाभ के लिए था कि यह (काम) किया जावे और यदि पर्दाफ़ाश करने के काम में किसी क़दर कठोरता प्रगट हो तो कुमंत्रणाकारी (सर्गना साज़िश) का आक्षेप ठीक नहीं हो सकता।

इसलिए मैं अपराधियों को इन दोषों से बरी करता हूं जिनका सम्बन्ध कि दूसरे लेखों ता० ८, व १५ फ़र्वरी १९०१ ई० के साथ है। अब यह प्रश्न शेष रह जाता है कि पहली फ़र्द के लाइबिल कहां तक मुस्तस्नियात (छूट) के अन्दर आ जाते हैं, सर्वसाधारण मनुष्य (Publicman) की दशा में जैसा कि गोपीनाथ के गवाहों ने उसे बयान किया है, उसका वृत्तान्त मैं पूर्व लिख चुका हूं, (परन्तु) जो शहादत कि मेरे सन्मुख उसके चाल-चलन के विषय में जैसा कि वह उसके सर्व-साधारण सम्बन्धी कर्तव्य और सर्वसाधारण सम्बन्धी आचरण से प्रकट होता है, उपस्थित है वह उसे एक अद्‌भुत दशा में दिखलाती है।

इसमें सन्देह को अवकाश नहीं है कि वह एक 'मिथ्यावादी' सिद्ध हो गया है। मैं दिखला चुका हूं कि किस प्रकार उसने एक पत्र में दो बार 'अर्जुन' के विषय में झूठ बोला, उसने मिथ्याभाषण किया जैसा कि भीमसेन के पत्र की चोरी[1] के अभियोग की पुष्टि के लिए उसने कहा कि १६० और केवल १६० प्रतियां छापी गई थीं, परन्तु जब वह अभियोग सरसरी तौर पर ही ख़ारिज हो गया, तो उसने कथन किया कि और भी छपी होंगी। उसने असत्य भाषण (दरोग़गोई) किया जब उसने कहा, गत १२ वर्षों से वह करीमबख़्श से अच्छी तरह परिचित नहीं है और यह प्रकट करना चाहा है कि उस अर्से में फ़ाहशा औरतों (वेश्याओं) से नहीं मिला,

---

१. पत्र की एक छपी हुई कापी की चोरी का दावा भी पं० गोपीनाथ ने किया था जब जो ख़ारिज हो गया, नक़्ल हुक्म का अनुवाद की बहस में है।

यद्यपि पीछे से उसे इन लोगों के साथ सन् १८९३ ई० में किन्तु इसके पश्चात् तक सम्बन्ध रखना स्वीकार करना पड़ा (दस्तावेज़ डी ४८)। अख़बार आम[1] अप्रैल सन् १८९६ ई० में उसके पिता ने उसने और उसके भाई ने बहैसियत मैनेजर एडीटर और मालिक (शब्द Respectively असल में नहीं है) पबलिक तौर पर अपना झूठ बोलना स्वीकार किया था, 'जो शब्द तौहीन (अपमान) और हतकआमेज़ (निन्दनीय) समय-समय पर अख़बार आम में प्रकाशित किये गये हैं...बिल्कुल असत्य और निर्मूल हैं। हम तीनों आदमी...लज्जित होकर...क्षमा प्रार्थी हैं' और यह संक्षेपसार जो अभियोग सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट के विरोध में गोपीनाथ ने चलाया था, उसके गवाहों के विषय में है, जिनके पश्चात् कि अख़बार के क़ानूनी सलाह देने वाले वकील और दोषी के गवाहों की दासवत (ग़ुलामाना) ख़ुशामद है।

यह एक प्रतिष्ठित और कीर्तिमान् मनुष्य का काम मालूम नहीं होता, और न ही इसके जीवन का वह भाग जिसके विषय में करीमबख़्श ने गवाही दी है, उसके विषय में इस्तग़ासह (दावे) के कथन की पुष्टि करता है। वह आक्षेप करने तथा दोषारोपण करने में सदैव शूरवीर है, परन्तु जब कान पकड़कर उठाया जावे तो ख़शामदी डरपोक बन जाता है, जब गवर्नमेण्ट ने उस पर अभियोग चलाया तो उसने दोषी स्वीकार किया। एक अपराधी ने (दस्तावेज़ हर्फ़ C) में कहा है कि उस (गोपीनाथ) ने ख़ास प्रवृत्ति अश्लील और असभ्य प्रलाप (बकवास) में दिखलाई है और इससे अधिक सत्य कुछ हो नहीं सकता, वह वक्रोक्ति (दुमआनी बात) तथा श्लेषभाषण में अति निपुण है, उसके 'होली के चुटकले। वाले लेख से बढ़कर अधिक भ्रष्ट, अधिक अश्लील और गन्दा कुछ हो नहीं सकता, उसकी दुष्ट प्रकृति धार्मिक पुस्तकों में से भी वही वाक्य चुन लेती है जिनसे खींच-तान कर व्यभिचार और विषयवासना के आशय निकल सकें। इसने वास्तव में अश्लीलता को अति सुन्दर सरलता में परिणत करने में एक विचित्र योग्यता प्रगट की है, जैसा कि उसके बहुत से लेखों से प्रगट होता है।

ता० ३ मई सन् १८९७ ई० को वह फिर एक झूठ के लिए क्षमा मांगता है, और स्वीकार करता है कि एक और कथन 'दुरुस्त नहीं है' (दस्तावेज़ डी ५०)। मुमालिक मग़रबी व शुमाली गज़ट में एक गवर्नमेण्ट रिपोर्ट के अन्दर जिस पर कि नवाब लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर बहादुर की स्वीकृति भी अंकित (सब्त) है, 'वह (गोपीनाथ) बतौर एक 'बाग़ी' और 'टकापन्थी' मुहर्रिक (प्रेरक) के वर्णन किया गया है, जिसके दोषों की जड़ लालच के ऊपर थी, उसे एक फ़सादी अख़बार का एडीटर और एक बेअसूला प्रेरक वर्णन किया गया है, जिसने गवर्नमेंट के अफ़सरों

---

१. ता० २ अप्रैल सन् १८९६ ई० है।

को दोषी ठहराने में आश्चर्यमयी निर्लज्जता दिखाई, 'उसने निर्भय होकर महातुच्छ असत्य प्रगट किया' और सत्यता को उलटाने के मार्ग में वह किसी पर ठहरने वाला नहीं है'। उसके विषय में वर्णन किया गया है कि गवर्नमेण्ट के विरुद्ध उकसाने का बीड़ा उठाने के लिए उसे एक हज़ार रुपया दिया गया, और उसने २३ सितम्बर सन् १८६२ ई० के अखबार आम में उन लोगों पर गालियों की वर्षा की जिन्होंने उसकी अर्ज़ी पर हस्ताक्षर नहीं किये थे या जिन्होंने उसके आरोपित दोषों की सत्यता पर सन्देह किया था। इसके अतिरिक्त करीमबख़्श की शहादत मौजूद है जिसके अधिकांश भाग की दस्तावेज़ी शहादत से पुष्टि होती है, और जो प्रगट करता है कि उसके (गोपीनाथ के) आचरण उसके अश्लील लेखानुसार थे, और फिर वह शहादत जो उसे छत्रधारियों (राजाओं) से कर वसूल करने वाला प्रकट करती है।

अब केवल इस प्रश्न का निर्णय शेष रह गया है कि इस दग़ावाज़ (छली) की पर्दाफ़ाशी (पोल खोलना) उचित है या दण्ड योग्य है। और इस बात पर उभय पक्ष वालों ने अधिकतर पुस्तक 'Odger's Libel and Slander' ('ओजर्स लाइबिल एंड स्लेण्डर') का प्रमाण दिया है। इंगलिस्तान के क़ानून के अनुसार लाइविल के लिए फ़ौजदारी के दावे की इसलिये आज्ञा है कि प्रजा की अशान्ति दूर और निर्मूल हो जावे। परन्तु भारतवर्ष के विषय में यह बात नहीं दीखती, भारतीय दण्ड संहिता (ताज़ीरात हिन्द) की धारा ४६६ से ५०२ तक का सम्बन्ध मान हानि (इज़ाले हैसियतउर्फ़ी) से है, परन्तु उसके आगे की ही धारा ५०४ तथा ५०५ ताज़ीरात हिन्द दोषयुक्त अपमान (तौहीन मुजरिमाना) और चित्त को भड़काने वाले, तथा जिनसे संसार का शान्ति-सुख भंग हो, वा किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध जुर्म (अपराध) हो जाने की सम्भावना हो, उनके विषय में पृथक्-पृथक् वर्णन करती है। बस, हमें केवल यह सोचना है कि गोपीनाथ जैसे आदमियों के पबलिक चाल-चलन पर दबाने वाले आक्रमणों को रोकने की आवश्यकता है या नहीं। इस बात पर मुझे यह निश्चित सिद्धान्त मिलता है कि पबलिक मनुष्यों के पबलिक (सर्व-साधारण से सम्बन्ध रखने वाले) आचरणों पर आक्षेप करने का अधिकार सम्पूर्ण गवर्नमेण्ट की प्रजा को प्राप्त है, और कि एक तसनीफ़ (रचना) लाइबिल नहीं हो सकती जिसका उद्देश्य कि घटनाओं की असत्यता को ठीक करना, साहित्य (इल्मेअदब) के दुष्टभाव को जतलाना था जो कुछ कि सभ्यता के विपरीत है उसको धिक्कारना (मलामत करना) हो और यही अपराधियों ने किया है और यतः प्रत्येक पबलिक आदमी का चाल-चलन एक पबलिक मामला है, इसलिए मैं यह विचारने से नहीं रुक सकता की अपराधियों ने ऐसे आदमी की पर्दादरी (पोल खोलने) के साहस से जिनकी दृढ़ कुटिलनीति (पालिसी) दम्भ, झूठ और अनुचित दबाव से रुपया प्राप्त करने की रही है, सम्पूर्ण प्रतिष्ठित हिन्दुओं के धन्यवाद की

योग्यता का अधिकार प्राप्त किया है, और विशेष करके सनातनी हिन्दुओं के धन्यवादार्ह हैं जिनके सनातन धर्म को कि अपनी जेब भरने के लिए उसने सहायता करने तथा पुष्टि करने के छल से घृणित और तुच्छ किया है। जिन लेखों के ऊपर अभियोग है उनकी सत्यता अपराधियों के अधिक पक्ष में है, जिनसे कि अत्युक्ति की आशा हो सकती थी यदि अत्युक्ति[1] (मुबालग़ा) इस प्रकार कठिन (मुश्किल) न होती, सम्भव है कि ईर्ष्या (डाह) हो क्योंकि सचमुच एक पुराना झगड़ा था परन्तु उस तीन वर्ष के बीच जब तक कि यह (झगड़ा) रहा मालूम होता है कि सदा गोपीनाथ ही असभ्य से असभ्य गालियां, बुरी से बुरी धिक्कार, अश्लील वक्रोक्ति और गन्दी से गन्दी निन्दा का प्रयोग करता रहा है। इस घृणायुक्त प्रकृति का लेशमात्र भी अपराधियों के लेख में नहीं पाया जाता, ऐसा एक शब्द भी जहां तक अन्वेषण (तलाश) की गई अपराधियों के लेखों में नहीं पाया गया है, उनकी इबारत पर अवश्य कुछ कठोरता का रंग चढ़ा हुआ है जो कि प्रायः देशी पत्रों में पाई जाती है, परन्तु वह भी उससे अधिक नहीं है जो कि गज़ट मुमालिक मग़रबी व शुमाली में दर्ज है। हिन्दुओं की पवित्र पुस्तकों में ऐसे वाक्य लिखे हैं जिन पर साधारणतया विवाद करना उचित नहीं है, और आर्यों तथा सनातनधर्मी हिन्दुओं के झगड़े के अन्दर इन वाक्यों के अर्थ करने में बड़ी भारी उत्तेजनायुक्त गम्भीरता दिखलाई गई है, जिसका वर्णन जोशोली दलीलों में हुआ है और यहां यह बात विचारणीय है क्योंकि उससे उभय पक्षवालों (फ़रीक़ैन) की ओर से ऐसे वचनों के प्रयोग का कारण विदित हो जाता है जो कि अन्य दशाओं में द्वेष से कहा जा सकता था।

मुझे अपराधियों के विषय में ईर्ष्या व द्वेष का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यह स्पष्ट है कि वे गोपीनाथ को भली भांति जानते थे, जिससे विदित होता है कि उसने ध्यान में नहीं रक्खा, और उसे ऐसा जानकर उनके लिए अपने-आपको रोकना कठिन हो गया। एक ऐसे आदमी के आक्रमणों, कटाक्षों, असत्य कथनों को सहन करना कठिन हुआ होगा जिसको कि अपराधियों ने बिलकुल तुच्छ और नीच सिद्ध कर दिया है, परन्तु उसकी पर्दादरी (पोल खोलना) भी बड़ा भार था जो कि उठाना सुगम न था। जितनी अधिक सत्य हो उतना ही अधिक लाइबिल समझा जाता है, इसके सिवाय कि सत्यता की योग्यता सिद्ध हो, यद्यपि सत्यता को सिद्ध करना सुगम था तथापि उसके उचित ठहराने का प्रयत्न विशेषतया भयानक था, परन्तु इस अभियोग में मुस्तस्नियात (छूट) विवादास्पद मानहानि की शंकाओं में लग जाती है। मैं क़रार देता हूं कि गोपीनाथ एक धोखेबाज़ आदमी है जो निरन्तर

१. मतलब यह है कि इसका चाल-चलन ऐसा था कि उनके विषय में अत्युक्ति का अवकाश ही न था।

अपने लाभ के लिए हिन्दू दुनिया को धोखा देता रहा है, विदित होता है कि उसका हरेक पबलिक काम निजी दिखलावे (ख़ुदनुमाई) या रुपये प्राप्त करने के अभिप्राय से किया जाता था, उसने पैसा बटोरने का कोई अवसर भी व्यर्थ नहीं खोया, जैसा कि उसके दान के लिए बार-बार की बेवास्ते अपीलों, रियासतों से रुपया प्राप्त करने की घटनाओं और हरिद्वार की तहरीक (प्रेरणा) के बदले रुपया प्राप्त करने के मामलों से प्रगट है; पबलिक की स्मरण-शक्ति की निर्बलता प्रसिद्ध है और मैं समझता हूं कि इसमें सर्वसाधारण का लाभ है कि गोपीनाथ जैसे आदमियों का पबलिक चाल-चलन कभी-कभी खोलकर प्रगट कर दिया जाया करे। मैं क़रार देता हूं कि फ़र्द क़रारदाद जुर्म के पहले हिस्से में जो मामला अभियोग से सम्बन्ध रखता है वह मुस्तस्नियात (छूट) १, ३, ६, के अन्दर आ जाता है और मैं प्रथम ही सिद्ध कर चुका हूं कि फ़र्दजुर्म का दूसरा हिस्सा मुस्तस्नियात (छूट) नम्बर ९ के अन्दर आ गया है। बस तीसरे और चौथे इल्ज़ामात (दोष) भी बेअसर हो जाते हैं, इस कारण मैं सब अपराधियों को सब अपराधों (जुर्मों) से, जो कि उन पर लगाये गये थे, बरी करता हूं। यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि जो शहादत और नतीजे (परिणाम) गोपीनाथ से सम्बन्ध रखते हैं, उनका कोई प्रभाव (तासीर) सनातन धर्म सभा या उस प्राचीन मत पर जिसको वह मानती है, नहीं पड़ता। यह शुद्ध अन्तःकरण (सदक़ दिल) से शोचनीय बात है कि यह सभा और उसका मत इस अभियोग के मध्य घसीटा गया, परन्तु यदि उनको कुछ हानि पहुंची है तो मैं समझता हूं कि इसलिए कि गोपीनाथ अपने-आपको दोनों का शुभचिंतक प्रगट करता रहा है।

लाहौर	हस्ताक्षर—एच० कलवर्ट
२ सितम्बर सन् १९०१ ई०	सिटी मजिस्ट्रेट

॥ ओ३म शांति ॥

भारतीय नवजागरण में आर्यसमाज तथा उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती की भूमिका के अधिकृत व्याख्याकार **डा० भवानीलाल भारतीय** का जन्म राजस्थान प्रांत के अंतर्गत नागौर जिले के ग्राम परबसतर में आषाढ़ कृष्णा ३ सं. १९८५ वि. को हुआ। उनकी उच्चस्तरीय शिक्षा जोधपुर में हुई। उन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी में एम. ए. तथा 'संस्कृत भाषा और साहित्य को आर्यसमाज का योगदान' शीर्षक विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय से ही पी. एच. डी. की उपाधि ग्रहण की।

डा० भारतीय को आर्यसमाज लेखन क्षेत्र में अवतीर्ण हुए ३७ वर्ष हो चुके हैं। इस बीच उन्होंने लगभग ६० छोटे बड़े ग्रन्थों का प्रणयन, सम्पादन, अनुवाद आदि किया है। दयानन्द सरस्वती की निर्वाण शताब्दी के अवसर उन्होंने नवजागरण के पुरोधा शीर्षक दयानन्द सरस्वती का शोधपूर्ण, बृहद, जीवनचरित लिखा था। आर्यसमाज के वेदविद् विद्वानों, शास्त्रार्थ महारथियों, पत्रकारों एवं लेखकों पर अनेक अनुसंधानपूर्ण ग्रंथ छप चुके हैं। पं. लेखराम पुरस्कार, पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय स्मारक साहित्य पुरस्कार, विद्यावती शारदा साहित्य पुरस्कार तथा पं. गोवर्धन शास्त्री स्मारक पुरस्कार आदि से सम्मानित डा० भारतीय आर्यसमाज की साहित्यिक एवं अनुसंधानात्मक गतिविधियों में विगत तीन दशाब्दों से निरन्त सम्बद्ध रहे हैं।

वे आर्यसमाज की संगठनात्मक गतिविधियों में भी निरन्तर भाग लेते रहे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों तक वे अन्तरंग सदस्य तथा उपमंत्री रहे। दो दशाब्द से भी अधिक समय तक राजस्थान की कॉलेज शिक्षा सेवा में रहने के पश्चात् वे विगत सात वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय की दयानन्द अनुसंधान पीठ के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली के अन्तर्गत प्रकाशित रचनाओं के वैज्ञानिक रीति के संपादन, विवेचन तथा अंग्रेजी ग्रन्थों के अनुवाद आदि से प्रो. भारतीय की सारस्वत साधना सम्यक् रूप से परिलक्षित होती है। आर्यसमाज विषयक शोध और अनुसंधान के बारे में भारतीय एवं विदेशी विद्वान उनसे प्रामाणिक परामर्श लेने में गौरव का अनुभव करते हैं।